वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023-24

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 53(2) के अनुसार 31 मार्च 2024 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य के संबंध में
केंद्र सरकार को प्रस्तुत केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं.स.वि.बो.क.S149/02.16.001/2024-25

29 मई 2024
8 ज्येष्ठ 1946 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय वित्त सचिव,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

(i) 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की एक प्रति जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है और जिस पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक ने, उप गवर्नरों ने और मैंने हस्ताक्षर किए हैं; और

(ii) 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केंद्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

शक्तिकान्त दास

शक्तिकान्त दास

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन : +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स : +91 22 2266 1784 ई-मेल : governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel : +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax : +91 22 2266 1784 E-mail : governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

शक्तिकान्त दास

उप गवर्नर

माइकल देवब्रत पात्र

एम. राजेश्वर राव

टी. रबी शंकर

स्वामीनाथन जे.

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी) के अंतर्गत नामित निदेशक

रेवती अय्यर

सचिन चतुर्वेदी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के अंतर्गत नामित निदेशक

सतीश काशीनाथ मराठे

स्वामीनाथन गुरुमूर्ति

आनंद गोपाल महिंद्रा

वेणु श्रीनिवासन

पंकज रमणभाई पटेल

रवीन्द्र एच. धोलकिया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (डी) के अंतर्गत नामित निदेशक

अजय सेठ

विवेक जोशी

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र

सचिन चतुर्वेदी

उत्तरी क्षेत्र

रेवती अय्यर

दक्षिणी क्षेत्र

(27 मई 2024 की स्थिति)

प्रमुख अधिकारी

(27 मई 2024 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक	एस. सी. मुर्मू
	ओ.पी.मल्ल
	सौरव सिन्हा
	विवेक दीप
	जयन्त कुमार दाश
	आर. सुब्रमणियन
	रोहित जैन
	राधा श्याम रथ
	अजय कुमार
	राजीव रंजन
	नीरज निगम
	पी. वासुदेवन
	मनीष कपूर
	मनोरंजन मिश्रा
	आर. लक्ष्मी कांत राव
	सुधा बालकृष्णन (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
केंद्रीय कार्यालय	
केंद्रीय सतर्कता कक्ष	एन. सारा राजेंद्र कुमार, मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	नीना रोहित जैन, मुख्य महाप्रबंधक
कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग	रजनी प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
विनियमन विभाग	उषा जानकीरामन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग	ए. के. चौधरी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग	पुनीत पंचोली, मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग	सुमन रे, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	रेखा मिश्र, प्रभारी परामर्शदाता
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	सुंदर मूर्ती, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	संगीता लालवानी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	शैलेंद्र त्रिवेदी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	गुणवीर सिंह, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	ए. आर.जोशी, प्रधान परामर्शदाता
प्रवर्तन विभाग	आरती सिन्हा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	निशा नम्बियार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	सेशसाई जी, मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक
फिनटेक विभाग	शुभेंदु पति, मुख्य महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग	आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय स्थिरता विभाग	काया त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग	चारुलता एस. कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
निरीक्षण विभाग	जी.पी. बोरा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	राकेश त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक
अंतरराष्ट्रीय विभाग	योगेश के. दयाल, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
विधि विभाग	उण्णिकृष्णन् ए., प्रधान विधि परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग	प्रज्ञा दास, प्रभारी परामर्शदाता
परिसर विभाग	के. निखिला, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग	एन. सारा राजेंद्र कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
जोखिम निगरानी विभाग	मनोरंजन दाश, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सचिव विभाग	यारासी जयकुमार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
महाविद्यालय	**प्रधानाचार्य**
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे	वी. जी.सेकर
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै	अप्पाराव विनोद पंपाना, उप प्रधानाचार्य (प्रभारी अधिकारी)
कार्यालय	**क्षेत्रीय निदेशक**
चेन्नै	उमा शंकर
कोलकाता	आर. केशवन
मुंबई	अविरल जैन
नई दिल्ली	रोहित पी. दास
शाखाएं	
अहमदाबाद	राजेश कुमार
आंध्र प्रदेश	ए.ओ.बशीर
बेंगलुरु	सोनाली सेनगुप्ता
भोपाल	रेखा चंदनावेली
भुवनेश्वर	सारदा प्रसन मोहंती
चंडीगढ़	विवेक श्रीवास्तव
देहरादून	अरविंद कुमार
गंगटोक	थॉटडम जमांग
गुवाहाटी	सुश्मिता फुकन
हैदराबाद	के.पी. पटनायक
जयपुर	नवीन नंबियार
जम्मू	चंद्रशेखर आजाद
कानपुर	ईशान शुक्ला
लखनऊ	पंकज कुमार
नागपुर	सचिन वाय. शेंडे
पणजी	प्रभाकर झा
पटना	सुजीत कुमार अरविंद
रायपुर	रौनी अजित
रांची	प्रेम रंजन प्रसाद सिंह
शिमला	आर. एस. अमर
तिरुवनंतपुरम	थॉमस मैथ्यू
	प्रभारी अधिकारी
अगरतला	सुरेंद्र निडर, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
आइजोल	लुंगदीम टोंगखोपाओ, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
बेलापुर	जयकिश, मुख्य महाप्रबंधक
इंफाल	एन. श्रीधर, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
कोच्चि	टी. वेंकटेश्वर राव, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
कोहिमा	परेश जी. चौहान, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
इटानगर	अभिजीत मजूमदार, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
शिलांग	ओल्देन नोंग्प्लुह,महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
श्रीनगर	अनूप कुमार शर्मा, सहायक महाप्रबंधक

विषय वस्तु

पृष्ठ संख्या

भाग एक: अर्थव्यवस्था-समीक्षा और संभावनाएं 1

I. मूल्यांकन और संभावनाएं 1

2023-24 के अनुभव का मूल्यांकन 1

2024-25 के लिए संभावनाएं 8

II. आर्थिक समीक्षा 14

वास्तविक अर्थव्यवस्था 15

कीमतों की स्थिति 29

मुद्रा एवं ऋण 43

वित्तीय बाजार 53

सरकारी वित्त 60

बाह्य क्षेत्र 66

भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और परिचालन 81

III. मौद्रिक नीति परिचालन 81

मौद्रिक नीति 82

परिचालन ढांचा: चलनिधि प्रबंधन 84

मौद्रिक नीति संचरण 90

क्षेत्रवार उधार की दरें 92

IV. ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन 95

ऋण वितरण 96

वित्तीय समावेशन 97

वित्तीय साक्षरता 100

V. वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन 102

वित्तीय बाजार विनियमन विभाग 102

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग 106

विदेशी मुद्रा विभाग 107

VI. विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता 114

वित्तीय स्थिरता विभाग 115

विनियमन विभाग 116

फिनटेक विभाग 125

विषय वस्तु

		पृष्ठ संख्या
	पर्यवेक्षण विभाग	130
	प्रवर्तन विभाग	139
	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	140
	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	143
VII.	**लोक ऋण प्रबंधन**	**145**
	केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन	147
	राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन	150
VIII.	**मुद्रा प्रबंध**	**153**
	संचलनगत मुद्रा संबंधी घटनाक्रम	154
	मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना	157
	प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय	159
	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)	160
IX.	**भुगतान और निपटान प्रणालियां और सूचना प्रौद्योगिकी**	**162**
	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	162
	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	171
X.	**संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी**	**178**
	संचार प्रक्रियाएं	178
	अंतरराष्ट्रीय संबंध	182
	सरकारी और बैंक लेखा	185
	विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन	188
	आर्थिक और नीति अनुसंधान	189
	सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन	191
	विधिक मुद्दे	193
XI.	**अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन**	**196**
	अभिशासन संरचना	197
	मानव संसाधन विकास पहल	198
	उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन	203

विषय वस्तु

पृष्ठ संख्या

आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण 206

कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन 208

राजभाषा 209

परिसर विभाग 211

अनुबंध 214

XII. 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा 218

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 221

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का आय विवरण 222

अनुसूचियां जो तुलन पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं 223

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण 226

लेखा संबंधी टिप्पणियां 231

अनुबंध I: प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2023 से मार्च 2024 247

अनुबंध II: सार्वजनिक परामर्श के बाद किए गए विनियामकीय उपाय - अप्रैल 2021 से मार्च 2024 261

अनुबंध III: ग्राहक केंद्रित उपाय - अप्रैल 2021 से मार्च 2024 266

परिशिष्ट सारणियां 275

विषय वस्तु

पृष्ठ संख्या

बॉक्स

II.2.1 : भारत में मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देना: आपूर्ति पक्ष के संवाहकों की पहचान करना 21

II.2.2 : भारत में उत्पादकता और डिजिटलीकरण 27

II.3.1 : भारत में मुद्रास्फीति वृद्धि की गतिशीलता 31

II.3.2 : भारत की स्थानिक संयोजकता और उप-राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की गतिशीलता: घटनाओं का आकलन 32

II.4.1 : भारत में मौद्रिक नीति और गैर-वित्तीय संस्थाएं 51

II.7.1 : निर्यात में गिरावट: संरचनात्मक या चक्रीय? 68

III.1 : भारत में मौद्रिक नीति संप्रेषण 85

III.2 : ब्याज दर स्प्रेड और मौद्रिक नीति संचरण 91

IV.1 : वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड – *अंतर्दृष्टि* 99

V.1 : भारत सरकार के प्रतिभूति बाजार में प्रमुख घटनाक्रम 105

VI.1 : विनियामकीय पहलों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक परामर्श 122

VI.2 : निर्बाध ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीक प्लैटफॉर्म (पीटीपीएफसी) 126

VI.3 : पीएसबी और पीवीबी में अभिशासन प्रथाएँ 131

VI.4 : केवाईसी-एएमएल जोखिम मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए एफएटीएफ द्वारा भारत का पारस्परिक मूल्यांकन 137

VI.5 : एसई के साथ पर्यवेक्षी संलग्नता की बदलती रूपरेखा 138

VI.6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्राहक केंद्रित पहल 142

VII.1 : राज्य सरकार की गारंटियों पर कार्य दल 151

VIII.1 : बैंकनोटों और सिक्कों के उपयोग पर सर्वेक्षण 159

IX.1 : उपयोगकर्ता की पहुंच और सुविधा के लिए यूपीआई में संवर्द्धन 163

IX.2 : भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा 175

X.1 : केंद्रीय बैंक संग्रहालय 180

X.2 : सरकारी भुगतान में दक्षता लाने की पहल - सीएसएस को लागू करना 186

XI.1 : रिज़र्व बैंक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) को बढ़ाना 200

XI.2 : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और जोखिम प्रबंधन 205

विषय वस्तु

पृष्ठ संख्या

परिशिष्ट सारणियां

1. समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक 276

2. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (वर्ष 2011-12 की कीमतों पर) 277

3. सकल बचत 278

4. मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण 279

5. पूंजी बाजार - प्राथमिक एवं द्वितीयक 280

6. मुख्य राजकोषीय संकेतक 281

7. केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण 282

8. भारत का समग्र भुगतान संतुलन 283

9. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह: देश-वार और उद्योग-वार 284

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एए	- खाता एग्रीगेटर
एसीसी	- एशियाई परामर्शदात्री परिषद
एसीयू	- एशियाई मुद्रा संघ
एडी	- अधिकृत डीलर/अपर निदेशक
एडी कैट-I	- अधिकृत डीलर श्रेणी-I
एडीएफ	- आस्ति विकास निधि
एईडी	- (संयुक्त) अरब अमीरात दिरहम
एईएस	- विकसित अर्थव्यवस्थाएं
एईपीएस	- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली
एएफ़ए	- प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक
एएफएस	- बिक्री के लिए उपलब्ध
एआई	- कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआईएफ	- वैकल्पिक निवेश कोष
एआईएफआई	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
एएमएफ़आई	- भारतीय पारस्परिक निधि संघ
एएमएल	- धन शोधन निवारण
एएमएल-सीएफटी	- धन शोधन निवारण – आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम
एएमआरएमएस	- लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली
एएमएस	- लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली
एएनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण
एओ	- लेखापरीक्षित कार्यालय
एपी	- अधिकृत व्यक्ति
एपीबीएस	- आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली
एपीआई	- एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
एआरईएईआर	- विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंध पर वार्षिक रिपोर्ट
एआरएमएस	- लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति
एएसआईएसओ	- स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट
एएसटीआरए	- उन्नत सुरक्षा खतरा और जोखिम मूल्यांकन
एटीबी	- नीलामी खज़ाना बिल
एटीएम	- स्वाचालित टेलर मशीन
एयूएम	- प्रबंधनाधीन आस्तियां
बीबीए	- द्विपक्षीय उधार समझौते
बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ
बीबीपीएस	- भारत बिल भुगतान प्रणाली
बीसी	- कारोबार प्रतिनिधि
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति
बीसी-आईसीटी	- कारोबार प्रतिनिधि - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन
बीसीपी	- कारोबार निरंतरता योजना
बीई	- बजट अनुमान
बीईएसएस	- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ
बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीएफएसआई	- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
बीजी	- बैंक गारंटी
बीएचआईएम	- भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी
बीआईसी	- व्यवसाय संकेतक घटक
बीआईएस	- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक/भारतीय मानक ब्यूरो
बीओई	- बैंक ऑफ इंग्लैंड
बीओजी	- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
बीओजे	- बैंक ऑफ जापान

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

बीओपी - भुगतान संतुलन

बीपी - आधार अंक

बीपीएसएस - भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड

बीक्यूआर - भारत त्वरित प्रतिक्रिया

बीआरबीएनएमपीएल - भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड

बीआरआईसीएस - ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका

बीएसबीडीए - मूल बचत बैंक जमा खाता

बी-एससी - बिल्डिंग उप -समिति

बीएसआर - मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी

सीए - समवर्ती लेखापरीक्षा

सीएबी - कृषि बैंकिंग महाविद्यालय

सीएडी - चालू खाता घाटा

सीएएफआरएएल - उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र

सीएएमएस - केस प्रबंधन प्रणाली

सीबीडीसी - सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

सीबीडीसी-आर - सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी-खुदरा

सीबीडीसी-डब्ल्यू - सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी-थोक

सीबीजीएन - केंद्रीय बैंक गवर्नेंस नेटवर्क

सीबीआईए - केंद्रीय बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षक

सीबीपी - क्षमता निर्माण कार्यक्रम

सीबीएसएल - सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका

सीबीयूएई - संयुक्त अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक

सीसीबी - केंद्रीय बोर्ड की समिति

सीसीआईएल - भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड

सीसीआईआर - व्यापक क्रेडिट सूचना भंडार

सीसीपी - केंद्रीय प्रतिपक्ष

सीसीपीआई - जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक

सीसीएस - उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

सीसीटी - कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग योजना

सीडीबीएमएस - केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली

सीडी - जमा प्रमाणपत्र

सीडी - जमाराशियों की तुलना में ऋण

सीईओ - मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सीईओबीई - तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण

सीईपीडी - उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग

सीईआरटी -इन - कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम - भारत

सीएफएल - वित्तीय साक्षरता केंद्र

सीजीएफएस - वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति

सीजीटीएमएसई - सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट

सीआईसी - संचलनगत मुद्रा

सीआईसी - क्रेडिट सूचना कंपनियाँ

सीआईआई - महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना

सीआईएमएस - केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली

सीआईएस - ऋण संस्थाएं

सीएमबी - नकद प्रबंधन बिल

सीएमआईई - भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र

सीएमएस - शिकायत प्रबंधन प्रणाली

सीओडी - केंद्रीय कार्यालय विभाग

सीओएफ़टी - कार्ड-ऑन-फ़ाइल टोकनीकरण

सीओआर - पंजीकरण प्रमाणपत्र

सीओएस - पर्यवेक्षक महाविद्यालय

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

सीओएसओ - प्रायोजक संगठनों की समिति

सीपीएफ - प्रसार विरोधी वित्तपोषण

सीपीएफआईआर - केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री

सीपीएचएस - उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण

सीपीआई - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सीपीआई-एएल - कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई

सीपीआई-आईडब्ल्यू - औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई

सीपीआई-आरएल - ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई

सीपी - वाणिज्यिक पत्र

सीपी - केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली

सीआरए - आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था

सीआरएआर - जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

सीआरडीसी - मुद्रा अनुसंधान एवं विकास केंद्र

सीआरआईएलसी - बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार

सीआरआर - नकद आरक्षित अनुपात

सीएसएए - स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा

सीएसएपी - साइबर सुरक्षा संवर्धन योजना

सीएसबीडी - कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग

सीएसएफ - समेकित ऋण शोधन निधि

सीएसजीएल - घटक सहायक सामान्य खाता बही

सीएसपी - क्लाउड सेवा प्रदाता

सीएसएस - केंद्र प्रायोजित योजना

सीटीएस - चेक ट्रंकेशन सिस्टम

सीयू - क्षमता उपयोग

सीयूजी - सीमित उपयोगकर्ता समूह

सीवीओ - मुख्य सतर्कता अधिकारी

डीएपी - डायमोनियम फॉस्फेट

डीबीआईई - भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस

डीसीसीबी - जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

डीसीडब्ल्यू - विकास केंद्र कार्यशाला

डीडीएस - डिमांड ड्राफ्ट

डीईएएफ़ - जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कोष

डीईआईओ - बाह्य निवेश और परिचालन विभाग

डीईपीआर - आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

डेव सेक ओपीएस - विकास, सुरक्षा और परिचालन

डीजीबीए - सरकारी और बैंक लेखा विभाग

डीजीएफ - डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क

डीजीएफ़टी - विदेश व्यापार महानिदेशालय

डीआईसीजीसी - निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

डीआईएफ - जमा बीमा निधि

डीआईएस - जमा बीमा प्रणाली

डीआईएससीओएम - वितरण कंपनियां

डीआईटी - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

डीएलजी - डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी

डीएलटी - वितरित खाता प्रौद्योगिकी

डीओसी - संचार विभाग

डीओआर - विनियमन विभाग

डीओएस - पर्यवेक्षण विभाग

डीपीआई - डिजिटल भुगतान सूचकांक/डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

डीपीएसएस - भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग

डीक्यूई - डेटा क्वेरी इंजन

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

डीक्यूआई	- डेटा गुणवत्ता सूचकांक
डीआर	- आपदा रिकवरी
डीआरएएएस	- सेवा के रूप में डेटा रिकवरी
डीएसआईएम	- सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
ई-बीएटी	- इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण
ईबीआईटीडीए	- ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले का अर्जन
ईबीएलआर	- बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर
ईबीआर	- तत्व-आधारित भंडार
ईसीबी	- यूरोपीय केंद्रीय बैंक
ईसीबी	- बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीसीटीआई	- एंटरप्राइज़ कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान
ईसीएल	- अपेक्षित ऋण हानि
ईसीएलजीएस	- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
ईसीएस	- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
ईडीसी	- कार्यपालक निदेशक समिति
ईडीडीपीई	- डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम का विस्तार और गहनता
ईएफडी	- प्रवर्तन विभाग
ईएफआई	- बाह्य वित्तपोषित संस्थाएं
ईजीआरसी	- उद्यम अभिशासन जोखिम और अनुपालन
ईआई	- भावनात्मक बुद्धिमता
ईकेपी	- एंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल
ईएमडीई	- उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	- उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ईएमआई	- समान मासिक किश्तें
ईओआई	- एक्स्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट
ईआरएम	- उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन
ई₹	- डिजिटल रुपया
ई₹-आर	- डिजिटल रुपया - खुदरा
e₹-डबल्यू	- डिजिटल रुपया - थोक
ईएसजी	- पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन
ईटीसीडी	- एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स
ईटीपी	- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
ईयू	- यूरोपीय संघ
ईडब्ल्यूएस	- प्रारंभिक चेतावनी संकेत/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एफ़एसीटी	- वित्तीय जागरूकता और उपभोक्ता प्रशिक्षण
एफ़एई	- प्रथम अग्रिम अनुमान
एफ़एआर	- पूर्णतः सुलभ मार्ग
एफएटीएफ	- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल
एफबीआईएल	- फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
एफबीएस	- विदेशी बैंक
एफसी	- वित्त आयोग/वित्तीय समूह
एफसीए	- विदेशी मुद्रा आस्तियां
एफसीबी	- विदेशी केंद्रीय बैंक
एफसीएनआर(बी)	- विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक)
एफ़सीआरए	- विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम
एफ़सीवाई	- विदेशी मुद्रा
एफ़डीआई	- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफ़ई	- अंतिम अनुमान
एफ़ईडी	- विदेशी मुद्रा विभाग
एफ़ईएमए	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
एफईपीए	- वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम
एफईआर	- विदेशी मुद्रा भंडार
एफईटीपी	- वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एफएफएमसी - पूर्ण रूप से धन परिवर्तक

एफ़आई - वित्तीय सूचना

एफआईएपी - वित्तीय समावेशन कार्य योजना

एफआईसीएन - नकली भारतीय मुद्रा नोट

एफआईडीडी - वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

एफआईएफ - वित्तीय समावेशन निधि

एफआई-इंडेक्स - वित्तीय समावेशन सूचकांक

एफ़आईएमएमडीए - भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ

फिनटेक - वित्तीय प्रौद्योगिकी

एफआईपी - वित्तीय समावेशन योजना/वित्तीय सूचना प्रदाता

एफ़आई - वित्तीय मध्यस्थ/वित्तीय संस्थान

एफ़आईआरआरआई - जोखिमपूर्ण घटनाओं की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए रूपरेखा

एफ़एलडबल्यू - वित्तीय साक्षरता सप्ताह

एफएमसीबीजी - वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर

एफएमओडी - वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग

एफएमआरडी - वित्तीय बाजार विनियमन विभाग

फोरेक्स /एफएक्स - विदेशी मुद्रा

एफपीआई - विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

एफपीओ - अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव

एफपीएस - त्वरित भुगतान प्रणालियाँ

एफआरएमएस - धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली

एफआरआरआर - निर्धारित दर रिवर्स रेपो

एफआरएसबी - अस्थायी दर बचत बॉण्ड

एफएसएपी - वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम

एफएसबी - वित्तीय स्थिरता बोर्ड

एफएसडी - वित्तीय स्थिरता विभाग

एफएसडीसी - वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

एफएसडीसी-एससी - वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद - उप-समिति

एफएसआई - वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे

एफएसआर - वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

एफएसआर - वित्तीय क्षेत्र विनियामक

एफएसडब्ल्यूएम - वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुप्रबंधित

एफयू - फैक्टरिंग इकाइयाँ

एफवीटीपीएल - लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य

एफडब्ल्यूजी - फ्रेमवर्क कार्य समूह

जी -20 - 20 देशों का समूह

जी.सी.सी. - सामान्य क्रेडिट कार्ड

जीसीएफ - सकल पूंजी निर्माण

जीसीएम - अभिशासन और अनुपालन प्रबंधक

जीडीपी - सकल घरेलू उत्पाद

जीईएम - सरकारी ई-बाज़ार

जीएफसीई - सरकार का अंतिम उपभोग व्यय

जीएफसीएफ - सकल निर्धारित निश्चित पूंजी निर्माण

जीएफडी - सकल राजकोषीय घाटा

जीएफआईएन - वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क

जीएफएसएन - वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल

गिफ्ट-सिटी - गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी

जीएनडीआई - सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय

जीएनपीए - सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति

जाओआई - भारत सरकार

जीपीएफआई - वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी

जीआरईईएन - नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और नीर संरक्षण

जीआरएफ - गारंटी उन्मोचन निधि

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

जीआरआईएचए	- एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग
जीआरक्यू	- कोटा की सामान्य समीक्षा
जीएससीपीआई	- वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक
जीएसडीपी	- सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी - सेक	- सरकारी प्रतिभूतियां
जीएसटी	- वस्तु एवं सेवा कर
जीवीए	- योजित सकल मूल्य
जी.वी.सी.	- वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ
जीडबल्यू	- गीगावाट
एचएफसी	- आवास वित्त कंपनियां
एचएफआई	- उच्च आवृत्ति संकेतक
एचएफटी	- ट्रेडिंग के लिए धारित
एचआई	- श्रवण दोष
एचआरएमडी	- मानव संसाधन प्रबंध विभाग
एचआरएम-एससी	- मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति
एचएस	- सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित
आईए	- आंतरिक लेखा परीक्षा
आईएएस	- सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा
आईएएम	- पहचान और पहुँच प्रबंधन
आईबीए	- भारतीय बैंक संघ
आईबीसीसी	- भारतीय बैंकिंग समुदाय क्लाउड
आईबीयू	- आईएफएससी बैंकिंग इकाई
आईसीसी	- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
आईसीआरआईईआर	- भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद
आईसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई-सीआरआर	- वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात
आईडी	- अंतरराष्ट्रीय विभाग
आईडीएफ़	- इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड
आईडीजी	- अंतर विभागीय समूह
आईडीएमडी	- आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग
आईडीआर	- इंडोनेशियाई रुपिया
आईएफ़ए	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना
आईएफए डब्ल्यूजी	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य दल
आईएफएमआईएस	- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली
आईएफआर	- निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व
आईएफएससी	- भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
आईएफएससीए	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईएफटीएएस	- भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ
आईजीएएस	- भारतीय सरकार के लेखांकन मानक
आईजीबी	- भारत सरकार के बॉण्ड
आईजीबीसी	- इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल
आईजीआईडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
आईजीआर	- आंतरिक शिकायत निवारण
आईआईबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान
आईआईबीएक्स	- इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज
आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएलएम	- आंतरिक हानि गुणक
आईएमडी	- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आईएमई	- अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम
आईएमएफ़	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमएफसी	- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति
आईएमपी	- तत्काल भुगतान सेवा
आईएमटी	- तत्काल धन हस्तांतरण

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

आईएनबी - इन्टरनेट बैंकिंग

आईएनएफ़आईएनईटी - भारतीय वित्तीय नेटवर्क

आईएनआर - भारतीय रुपया

आईओ - आंतरिक लोकपाल

आईओएस - अंतरराष्ट्रीय संगठन

आईओआरएस - अंत:परिचालनीय विनियामकीय सैंडबॉक्स

आईपीसी - अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ

आईपीओ - प्रारम्भिक सार्वजानिक प्रस्ताव

आईपीपी - तत्काल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म

आईआरए - निवेश पुनर्मूल्यांकन खाते

आईआरएसीपी - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

आईआरडी - ब्याज दर व्युत्पन्नी

आईआरएफ - अंतर-विनियामक मंच

आईआरएस - ब्याज दर स्वैप

आईएस - सूचना प्रणाली

आईएसपीआई - भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक

आईटी - सूचना प्रौद्योगिकी

आईटीईएस - आईटी-सक्षम सेवाएँ

आईटी-एससी - सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति

आईटीबी - मध्यवर्ती खज़ाना बिल

आईटीसी - भारतीय व्यापार वर्गीकरण

आईडब्ल्यूजी - आंतरिक कार्य समूह

जेटीसीसी - संयुक्त तकनीकी समन्वयन समिति

केसीसी - किसान क्रेडिट कार्ड

केएलईएमएस - पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएँ (एस)

केआरआईएस - प्रमुख जोखिम संकेतक

केडबल्यूपी - किलोवाट पीक

केवाईसी - अपने ग्राहक को जानें

एलएबी - स्थानीय क्षेत्र बैंक

एलएई - चलनिधि समायोजित अपेक्षित कमी

एलएएफ - चलनिधि समायोजन सुविधा

एलसी - साख पत्र

एलसीआर - चलनिधि कवरेज अनुपात

एलसीएस - स्थानीय मुद्रा निपटान

एलसीएसएस - स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली

एलईआई - कानूनी इकाई पहचानकर्ता

एलएफपीआर - श्रम बल भागीदारी दर

लिबोर - लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर

एलपीए - दीर्घ अवधि औसत

एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस

एलएसएफ - विलंब से जमा करने का शुल्क

एलएसपी - ऋण सेवा प्रदाता

एम 3 - पैसे की आपूर्ति

एमएएनआई - मोबाइल एडेड नोट पहचानकर्ता

एमएएस - मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर

एमसीए - कारपोरेट कार्य मंत्रालय

एमसीएलआर - निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर

एमसीवी - मोबाइल सिक्का वैन

एमडी - मास्टर निदेश /प्रबंध निदेशक

एमडीएम - मोबाइल डिवाइस प्रबंधन

एमजीएनआरईजीएस - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

एमआईबीओआर - मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित दर

एमआईएफओआर - मुंबई अंतर बैंक वायदा एकमुश्त दर

एमएमआईएफओआर - संशोधित एमआईएफओआर

एमआईएस - प्रबंधन सूचना प्रणाली

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एमएल	- मशीन लर्निंग
एमएम	- मुद्रा गुणक
एमएनबीसी	- विविध गैर-बैंकिंग कंपनियाँ
एमओई	- त्रुटि ज्ञापन
एमओएफ़	- वित्त मंत्रालय
एमओएसपीआई	- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओवी	- समझौता ज्ञापन
एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति
एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमई	- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमएसपी	- न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीएफ	- मध्यम अवधि ढांचा
एमटीएसएस	- धन हस्तांतरण सेवा योजना
एनएबी	- उधार लेने के लिए नए समझौते
एनएबीएआरडी	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनएएमसीएबीएस	- एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय मिशन
एनबीबीएल	- एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड
एनबीएफसी	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफआई	- गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ
एनसीसीडी	- अकेंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव
एनसीडी	- गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर
एनसीएफई	- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एनसीआईआईपीसी	- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
एन डी ए	- निवल घरेलू आस्तियां
एनडीडीसी	- गैर-वितरणीय व्युत्पन्नी संविदा
एनडीआई	- गैर-ऋण लिखत
एनडीएलडी	- नई दिल्ली के नेताओं का घोषणापत्र
एनडीटीएल	- निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनईआर	- उत्तर पूर्वी क्षेत्र
एनईईआर	- नाममात्र प्रभावी विनिमय दर
एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनईटीसी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
एनएफए	- निवल विदेशी आस्तियां
एनएफसी	- गैर-खाद्य ऋण/नियर फील्ड संचार
एनजीसीएच	- नेशनल ग्रिड समाशोधन गृह
एनजीएसओसी	- अगली पीढ़ी का सुरक्षा परिचालन केंद्र
एनजीटीए	- अगली पीढ़ी का खज़ाना एप्लीकेशन
एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईएपी	- राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम
एन आई बी एम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान
एनआईएम	- निवल ब्याज मार्जिन
एनआईपीएल	- एनपीसीआई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
एनआईएसटी	- मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान
एनएलपी	- प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण
एनएनएमएल	- निवल गैर-मौद्रिक देयताएं
एनपीए	- गैर-निष्पादित आस्तियां
एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीआई	- राष्ट्रीय भुगतान इंटरफ़ेस
एनक्यूएम	- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
एनआरबी	- नेपाल राष्ट्र बैंक

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एनआरसी	- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
एनआरई	- अनिवासी (बाह्य)
एनआरएफ	- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
एनआरआई	- अनिवासी भारतीय
एनआरओ	- अनिवासी साधारण
एनएसडीएल	नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
एनएसएफई	- वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति
एनएसएफआई	- वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति
एनएसएम	- नोट सॉर्टिंग मशीन
एनएसओ	- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एनएसएसएफ	- राष्ट्रीय लघु बचत कोष
एनयूसीएफडीसी	- राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ओबीसी	- अन्य पिछड़ा वर्ग
ओबीआईसीयूएस	- ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण
ओडी	- ओवरड्राफ्ट
ओईसीडी	- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएच	- अस्थि विकलांग
ओआई	- विदेशी निवेश
ओआईडी	- विदेशी निवेश प्रभाग
ओआईएस	- ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप
ओएलटीएएस	- ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली
ओएमओ	- खुला बाजार परिचालन
ओओएच	- आउट ऑफ होम
ओपेक	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
ओआरबीआईओ	- भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल कार्यालय
ओटीसी	- काउंटर पर
ओटीपी	- वन टाइम पासवर्ड
पीए	- भुगतान एग्रीगेटर
पीएएएस	- सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म
पीएसी	- जन जागरूकता अभियान
पीएडीओ	- लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएँ
पीए एन	- स्थायी खाता संख्या
पीबीएस	- भुगतान बैंक
पीसीए	- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
पीडी	- प्राथमिक डीलर
पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएफसीई	- निजी अंतिम उपभोग व्यय
पीएफएमआई	- वित्तीय बाज़ार अवसंरचना के सिद्धांत
पीएफएम	- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीआईडीएफ	- भुगतान अवसंरचना विकास निधि
पीएलएफएस	- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएलआई	- उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन
पीएमजीकेएवाई	- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएमएल	- धन शोधन निवारण
पीएमयूवाई	- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
पीओएल	- पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक
पीओ	- भुगतान आदेश
पीओएस	- बिक्री केन्द्र
पीपीएसी	- पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ
पीपीआई	- प्रीपेड भुगतान लिखत
पीपीपी	- सरकारी निजी सहभागिता
पीआरएवीएएच	- विनियामक एप्लीकेशन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए प्लेटफॉर्म
पीआरओआई	- भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति
पीएसबी	- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसएल	- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

पीएसएलसी	- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र
पीएसओ	- भुगतान प्रणाली परिचालक
पीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
पीएसयू	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीटीपीएफसी	- बाधारहित ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म
पी2एम	- व्यक्ति से व्यापारी
पी2पी	- व्यक्ति से व्यक्ति
पीवीबी	- निजी बैंक
पीडब्ल्यूबीडी	- बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति
क्यूआईपी	- योग्य संस्थागत प्लेसमेंट
क्यूआर	- त्वरित प्रतिक्रिया
क्यूटी	- क्वांटम प्रौद्योगिकी
आरएएससीआई	- जिम्मेदार, जवाबदेह, सहायक, परामर्श प्रदत्त और संसूचित
आरबीआई	- भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआईए	- जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
आरबीआई ईपीएफ	- भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि
आरबीआईएच	- रिज़र्व बैंक इन्नोवेशन हब
आरबी-आईओएस	- रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना
आरबीएससी	- रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज
आरसीए	- मूल कारण विश्लेषण
आरसीएसएस	- ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
आर एंड डी	- अनुसंधान और विकास
आरडीए	- रुपया आहरण व्यवस्था
आरडीबी	- रुपया मूल्यवर्ग बॉण्ड
आरईबीआईटी	- रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड
आरई	- संशोधित अनुमान
आरई	- विनियमित संस्थाएं
आरईई	- दुर्लभ पृथ्वी तत्व
आरएफए	- खातों की रेड फ्लैगिंग
आरएफआईडी	- रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
आरएफपी	- प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आर एम	- आरक्षित निधि
आरएमएबी	- रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान
आरएमसी	- जोखिम निगरानी समिति
आरएमडी	- जोखिम निगरानी विभाग
आरओ	- क्षेत्रीय कार्यालय
आरओए	- आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओई	- इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरपीओ	- रिकवरी पॉइंट ओब्जेक्टिव
आरआर	- जोखिम रजिस्टर
आरआरबी	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएस	- विनियामक सैंडबॉक्स
आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान
आरटीआई	- सूचना का अधिकार
आरटीएल	- जोखिम सहनशीलता सीमाएँ
आरटीओ	- रिकवरी टाइम ओब्जेक्टिव
एसएएफ	- पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा
एसएकेएआर	- केवाईसी/एएमएल जोखिमों का पर्यवेक्षी मूल्यांकन
एसए	- वैधानिक लेखा परीक्षक
एसएएस	- सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली
एसएएआर	- मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक (संवृद्धि) दर
एसएएआरसी	- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
एसएएमडबल्यूएडी	- उन्नत डिवाइस के साथ सुरक्षित ऑडिओ-विडियो बैठकें
एसएआरएफ़ए	- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण
एसआई	और पुनर्रचना और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एसएटीआरसी	- सुरक्षा स्वचालन, खतरा विश्लेषण और प्रतिक्रिया केंद्र
एसबीई	- पैमाना-आधारित प्रवर्तन
एसबीएस	- श्रेडिंग और ब्रिक्वेटिंग सिस्टम
एससीबी	- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसडीएफ	- विशेष आहरण सुविधा/स्थायी जमा सुविधा
एसडीएमएक्स	- सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा एक्सचेंज
एसडीआर	- विशेष आहरण अधिकार
एसडी-डब्ल्यूएएन	- सॉफ्टवेयर परिभाषित-वाइड एरिया नेटवर्क
एसई	- पर्यवेक्षित संस्थाएं
एसईएसीईएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक
एसएफबी	- लघु वित्त बैंक
एसएफडीबी	- सार्कफाइनेंस डेटाबेस
एसएफएमएस	- संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली
एसएफएमएस एमआई	- एसएफएमएस सदस्य इंटरफ़ेस
एसएफटीपी	- सिक्यूअर फ़ाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
एसएफडब्ल्यूजी	- सतत वित्त कार्य समूह
एसजीबी	- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड
एसजीएल	- सहायक सामान्य खाता बही
एसजीआरबी एस	- सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड
एसजीएस	- राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ
एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह
एसआईपी	- व्यवस्थित निवेश योजना
एसएलबीसी	- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
एसएलसीसी	- राज्य स्तरीय समन्वय समिति
एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात/श्रीलंकाई रुपया
एसएलएस	- राज्य से जुड़ी योजनाएं
एसएमसीसी	- सोशल मीडिया कमांड सेंटर
एसएमई	- छोटे और मध्यम उद्यम
एसएमएस	- लघु संदेश सेवा
एसएनए	- एकल नोडल एजेंसी
एसएनए - स्पर्श	- एकल नोडल एजेंसी – समयोचित प्रणाली - एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण
एसएनआरआर	- विशेष अनिवासी रुपया
एसओसी	- सुरक्षा परिचालन केंद्र
एसओपी	- मानक परिचालन प्रक्रिया
एसपीडी	- स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलर
एसपीईसीटीआरए	- बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार ऋण रिपोर्टिंग और अनुमोदन के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म
एसपीएमसीआईएल	- सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसआरओ	- स्व-विनियामक संगठन
एसआरवीए	- विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता
एस-एससी	- कार्यनीतिक उप-समिति
एसएसओ	- सिंगल साइन आउट
एस-एसओसी	- क्षेत्रीय सुरक्षा संचालन केंद्र
एसएससीआई	- सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक
एसटी	- अनुसूचित जनजाति
एसटीसी	- अल्पावधि व्यापार ऋण
एसटीसीबी	- राज्य सहकारी बैंक
एसडबल्यूआईएफ़टी	- विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी
एसडब्ल्यूएम	- दक्षिण-पश्चिम मानसून
टीएटी	- टर्न एराउंड टाइम
टी बिल	- खज़ाना बिल
टीई	- प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
टीजीएफआईएफएल	- वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

टीआईएन - कर सूचना नेटवर्क

टीओटी - टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर

टी पी एस - प्रति सेकंड लेनदेन

टीआर - व्यापार रिपोजिटरी

टीआरईडीएस - व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली

टीएससीए - समय-संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

यूएपी - उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म

यूसीबी - शहरी सहकारी बैंक

यूडीएवाई - उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

यूडीसीएच - उपयोगकर्ता परिभाषित ग्राहक पदानुक्रम

यूआई/यूएक्स - उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस/उपयोगकर्ता अनुभव

यूके - यूनाइटेड किंगडम

यूएन - संयुक्त राष्ट्र

यूओ - छत्र संगठन

यूपीआई - एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस

यूआरसी - उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र

यूएसए - संयुक्त राज्य अमेरिका

यूएसडी - अमेरिकी डॉलर

यूटी - केंद्र शासित प्रदेश

यूटीआई - विशिष्ट लेनदेन पहचानकर्ता

यूटीएलबीसी - संघ शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियां

वीएपीटी - भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण

वीएएएस - सेवा के रूप में भेद्यता मूल्यांकन

वीसी - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

वीएफटी - मूल्य मुक्त हस्तांतरण

वीजीएफ - व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण

वीआई - नेत्रहीन

वीओआईसीई - प्रेरित करने, योगदान देने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राय व्यक्त करना

वीआरआर - परिवर्तनीय दर रेपो/स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग

वीआरआरआर - परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो

डबल्यूएसीआर - भारित औसत कॉल दर

डबल्यूएडीटीडीआर - भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर

डबल्यूएएफ़एएस (वाफास)- एक सेवा के रूप में वेब एप्लीकेशन फ़ायरवॉल

डब्लूएएलआर - भारित औसत उधार दर

डबल्यूएएम - भारित औसत परिपक्वता

डबल्यूएएस - भारित औसत स्प्रेड

डबल्यूएवाई - भारित औसत प्रतिफल

डबल्यूबी - विश्व बैंक

डबल्यूईओ - वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

डबल्यू जी - कार्य दल

डबल्यूएलए - व्हाइट लेबल एटीएम

डबल्यूएलएओ - व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर

डबल्यूएमए - अर्थोपाय अग्रिम

डबल्यूपीआई - थोक मूल्य सूचकांक

डबल्यूपीआर - श्रमिक जनसंख्या अनुपात

डबल्यूटीओ - विश्व व्यापार संगठन

एक्सबीआरएल - एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज

एक्सएमएल - एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज

ज़ेडआई - क्षेत्रीय निरीक्षणालय

जेडटीसी - क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र

इस रिपोर्ट को इन्टरनेट पर निम्नलिखित यूआरएल पर देखा जा सकता है
यूआरएल: www.rbi.org.in

*वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए **

भाग एक: अर्थव्यवस्था - समीक्षा और संभावनाएँ

I मूल्यांकन और संभावनाएँ

I.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था समुत्थानशीलता और धैर्य का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, कड़ी मौद्रिक और वित्तीय स्थिति, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ते भू-आर्थिक विखंडन, प्रमुख वैश्विक नौवहन मार्गों में व्यवधान, उच्च लोक ऋण भार और वित्तीय स्थिरता जोखिमों से उत्पन्न होने वाली कई चुनौतियां हैं। अनिश्चितता बढ़ने से वैश्विक संवृद्धि कमजोर होकर 2024 में अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे जा सकती है। इसके अलावा अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों और कार्य क्षेत्रों में उसकी स्थिति और दिशाएं भिन्न हो सकती हैं। प्राप्त होने वाला प्रत्येक आंकड़ा प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति की भावी दिशा की अनिश्चितता बढ़ा रहा है। ऐसे में वैश्विक वित्तीय बाजार दुविधा स्थिति में हैं क्योंकि उन्हें बार-बार अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है।

I.2 मुद्रास्फीति कम हो रही है, लेकिन प्रमुख प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से ऊपर है। मूल मुद्रास्फीति और सेवा मुद्रास्फीति के जड़ बने रहने और श्रम बाज़ारों की तंग स्थिति के कारण मुद्रास्फीति के कम होने में बाधाएं हैं। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्था (एई) के केंद्रीय बैंकों द्वारा 2024 में दरों की कटौती किए जाने की उम्मीद है, किंतु मुद्रास्फीति की भावी दिशा (ट्रॅजेक्टरी) अस्पष्ट होने के कारण मौद्रिक नीति में ढील दिए जाने की गति और उसके समय के बारे में बाजार की उम्मीदों में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई)[1] ने दर में कटौती करना शुरू कर दिया है और प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं ऋणात्मक नीति दरों से बाहर निकलने जैसे बड़े बदलाव कर रही हैं।

I.3 इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत समष्टि आर्थिक स्थितियां और वित्तीय स्थिरता के साथ दृढ़ता और स्थिरता का प्रदर्शन कर रही है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और वैश्विक संवृद्धि में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। मूल अवस्फीति के स्थिर रहने और ईंधन की कीमतों में कमी आने के कारण मुद्रास्फीतिक दबाव कम हो रहा है। इसके बावजूद, आपूर्ति पक्ष से बार-बार हो रहे आघातों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति संवेदनशील बनी हुई है जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्ष्य की ओर शीघ्र पहुंचने में बाधा आ रही है। राजकोषीय व्यय और समायोजन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, और साथ ही राजकोषीय सुदृढ़ता में भी प्रगति हो रही है। चालू खाता घाटे (सीएडी) में कमी आने और विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से बाह्य क्षेत्र मजबूत हो रहा है। वित्तीय क्षेत्र मजबूत और सक्रिय है जो उच्च पूंजी पर्याप्तता और ठोस आय तथा आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ द्वि-अंकीय ऋण संवृद्धि को आधार दे रहा है। 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य उज्ज्वल है।

2. 2023-24 के अनुभव का मूल्यांकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

I.4 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)[2] के अनुसार 2023 के दौरान वैश्विक संवृद्धि घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई, जो 2022 के दौरान 3.5 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित

* : जहां भी सूचना उपलब्ध है इस अध्याय को मार्च 2024 से आगे अद्यतन किया गया है।

[1] ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू वे ईएमई हैं जिन्होंने 2024 के दौरान अपनी नीतिगत दरों में कटौती की है; दूसरी ओर इंडोनेशिया और तुर्किये ने इस अवधि के दौरान अपनी नीतिगत दरें बढ़ाई हैं।

[2] वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2024, आईएमएफ।

करने के लिए अपनाए गए प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति रुख, लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और चीन में धीमी गति से बहाली तथा अन्य कारणों से आर्थिक गतिविधि की रफ्तार कम हुई। चरम मौसम की घटनाओं के कारण आर्थिक नुकसान हुआ जिससे जलवायु परिवर्तन का संभावित प्रभाव और भी अधिक दिखाई दिया। वस्तुओं की कीमतों में कमी, अनुकूल आपूर्ति स्थिति और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक सख्ती के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति, जो 2022 में 8.7 प्रतिशत थी, कम होकर 2023 में 6.8 प्रतिशत हो गई, लेकिन दो दशकों के अपने उच्चतम स्तर पर बनी रही। मूल वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में मुद्रास्फीति ऊंची बनी रही, जो श्रम बाजार की कठिन परिस्थितियों के बीच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उसके बने रहने को परिलक्षित करती है।

I.5 वैश्विक पण्य व्यापार की मात्रा, जिसमें पिछले वर्ष 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 2023 में 1.2 प्रतिशत से घट गई, क्योंकि महामारी के कम होने पर वस्तुओं की मांग की अपेक्षा में सेवाओं की मांग पुन: बढ़ गई।[3] भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के अलावा 2023 में बहु-दशकीय उच्च मुद्रास्फीति ने विनिर्मित वस्तुओं की खपत को कम कर दिया जिससे बाहरी व्यापार भी प्रभावित हुआ। दूसरी ओर, सेवा व्यापार ने कोविड-19 महामारी के निचले स्तर से यात्रा व्यय में निरंतर सुधार दर्ज करते हुए और डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं की मांग को बनाए रखते हुए समुत्थानशीलता प्रदर्शित की।

I.6 क्रमिक रूप से मौद्रिक नीति के सख्त होने और बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों के चलते बढ़ती अस्थिरता के बीच वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ सख्त हो गईं। मौद्रिक सख्ती के प्रभाव के कारण 2023-24 की पहली छमाही में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल कई साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसमें बाद की अवधि में प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति भावी दिशा के संबंध में बढ़ती अनिश्चितता के कारण दुतरफा बड़े उतार-चढ़ाव देखे गए। मौद्रिक नीति संबंधी बदलती अपेक्षाओं के कारण हुए बड़े उतार-चढ़ाव के साथ अमेरिकी डॉलर मजबूत बना रहा। इससे कई ईएमई मुद्राओं पर ह्रास होने का दबाव पड़ा। प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संबंधित शेयरों में तेज बढ़त दर्ज होने के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की संभावनाएं बनीं जिसके कारण वैश्विक इक्विटी बाजारों में तेजी आई।

घरेलू अर्थव्यवस्था

I.7 धीमी वैश्विक आर्थिक गतिविधि और प्रतिकूल परिस्थितियों के रहते 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार मजबूत गति से हुआ। वास्तविक जीडीपी वृद्धि, जो पिछले वर्ष 7.0 प्रतिशत थी, बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई। 7 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि का यह लगातार तीसरा वर्ष था।[4] घरेलू मांग में प्रमुख भूमिका निवेश की रही जिसमें बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) घटक, जो 2022-23 में 6.6 प्रतिशत था, बढ़कर 2023-24 में 10.2 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा निजी उपभोग मांग में सुस्ती देखी गई, जो एक साल पहले के 6.8 प्रतिशत से घटकर 3.0 प्रतिशत हो गई। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के कारण सरकारी उपभोग मांग भी कम रही। वैश्विक व्यापार की मात्रा में संकुचन के कारण निर्यात में गिरावट आई इसलिए निवल निर्यात में वृद्धि कम रही, जबकि मजबूत घरेलू मांग के चलते आयात मांग अपेक्षाकृत अधिक रही।

I.8 आपूर्ति पक्ष पर गौर करें तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में योजित सकल मूल्य (जीवीए) 2023-24 में घटकर 0.7 प्रतिशत हो गया जो एक साल पहले 4.7 प्रतिशत था, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के अपर्याप्त और असमान रहने

[3] ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स, अप्रैल 2024, विश्व व्यापार संगठन।

[4] इस रिपोर्ट में, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो, जीडीपी डेटा के सभी संदर्भ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 29 फरवरी 2024 को जारी राष्ट्रीय आय 2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं।

के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई। सरकार ने खाद्य पदार्थों में घरेलू आपूर्ति-मांग संतुलन बनाए रखने और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए पूरे वर्ष कई आपूर्ति उपाय किए। इन उपायों में खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से सरकारी खाद्यान्न भंडार खुला करना; अनाज और दालों पर भंडारण सीमा लागू करना; अनाज और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध लगाना; और दालों तथा खाद्य तेलों के आयात को आसान बनाना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज (मिलेट) वर्ष के रूप में घोषित किए जाने से देश भर में चावल और गेहूं के बजाय पोषक, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और पारंपरिक फसलों की ओर फसल विविधीकरण पर नए सिरे से जोर दिया गया।

I.9 औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो निविष्टि लागत में कमी लाए जाने के कारण कॉरपोरेट लाभप्रदता को बढ़ावा मिला जिससे विनिर्माण जीवीए में तेजी आई। खनन और बिजली उत्पादन में बनी रही गति से भी औद्योगिक गतिविधि को समर्थन मिला। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर जोर देने से बुनियादी ढांचे और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को लाभ हुआ। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन पूर्ववत हुआ जिसमें उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामान प्रमुख था। उपभोक्ता वस्तुओं में मात्रात्मक सुधार हुआ। ग्रामीण मांग में वृद्धि हुई और वह शहरी क्षेत्र के समतुल्य रही। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने की पहल जारी रखी। सेमी-कंडक्टर के लिए पूर्ण उत्पादन क्रमिक व्यवस्था (फुल प्रोडक्शन लाइन) विकसित करने के प्रयास के रूप में तीन सेमी-कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए ₹1.3 ट्रिलियन की निवेश राशि को मंजूरी दी गई। नवीकरणीय ऊर्जा पहल को समर्थन देने हेतु नीलामी प्रक्रिया में बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों [अर्थात, लिथियम, नियोबियम और रेअर अर्थ एलिमेंट (आरईई)] के निष्कर्षण के लिए रॉयल्टी दरें निर्दिष्ट की गई। सरकार ने भी वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं, दोनों के लिए, भंडारण लागत कम करते हुए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) विकसित करने के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना का समर्थन किया। *'प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना'* [5] टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

I.10 जीवीए में सेवा क्षेत्र की 63 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रही और वह 2023-24 में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल आपूर्ति का मुख्य आधार बना रहा। आवास क्षेत्र में बढ़ती मांग और बुनियादी ढांचे पर सरकार के विशेष बल के फलस्वरूप निर्माण गतिविधियों में तेजी आई और द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की गई। बैंक ऋण वृद्धि में निरंतर तेजी ने वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा दिया, जबकि वैश्विक मांग में कमी के कारण 2023-24 के दौरान आईटी सेवाओं में मंदी रही।

I.11 रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) शृंखला के अनुसार, जिसका डेटा 2017-18 (जुलाई-जून) से उपलब्ध है, 2023 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान बेरोजगारी दर अपने न्यूनतम स्तर पर रही, जो सामान्य स्थिति में 3.1 प्रतिशत और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में 5.0 प्रतिशत थी। शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (सामान्य स्थिति) 2023 में बढ़कर क्रमशः 59.8 प्रतिशत और 58.0 प्रतिशत हो गया, जो सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है, जिसमें महिला श्रम बल भागीदारी दर में भारी वृद्धि हुई है।

I.12 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के जलवायु कार्रवाई निष्पादन में सुधार हुआ है जिससे विश्लेषण किए गए 63 देशों में भारत

[5] 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य एक करोड़ घरों को मुफ़्त बिजली प्रदान करना है; परिवारों को अपनी छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए सौर पैनलों की लागत का 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।

चौथा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में कमी और गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों की स्थापित क्षमता में वृद्धि जैसे प्रमुख संकेतकों के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जलवायु संबंधी प्रमुख पहलों के रूप में भारत ने कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (सीसीटीएस) को अधिसूचित किया है तथा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है।

I.13 2023-24 के दौरान मुद्रास्फीतिक दबाव, यद्यपि असमान रूप से कम हुआ, सुविचारित मौद्रिक सख्ती, इनपुट लागत दबाव में कमी और आपूर्ति प्रबंधन उपायों के संयुक्त प्रभाव को परिलक्षित करता है। मूल मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) जो 6.1 प्रतिशत थी, कम होकर 4.3 प्रतिशत हुई जिसके कारण 2023-24 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 6.7 प्रतिशत से घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में सुधार के कारण लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और केरोसिन की घरेलू कीमतों में कमी आई जिससे ईंधन मुद्रास्फीति में भी तेजी से कमी आई, जो सितंबर 2023 से अपस्फीति में बदल गई। दूसरी ओर, अत्यधिक अस्थिरता के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। एक के बाद एक लगने वाले आघातों के कारण अनाज, दालों, मसालों और सब्जियों की कीमतों पर निरंतर दबाव बना रहा जिससे खाद्य मुद्रास्फीति, जो एक साल पहले 6.7 प्रतिशत थी, बढ़कर 2023-24 में 7.0 प्रतिशत हो गई, और हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर रही।

I.14 संवृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच पारस्परिक संबंध को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2023-24 के दौरान नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन (एकोमोडेशन) वापस लेने का रुख जारी रखा ताकि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य के करीब आए और साथ ही संवृद्धि को भी समर्थन मिले। एमपीसी का मानना है कि मुद्रास्फीति के पूर्ण संचरण और उम्मीदों पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति को अवस्फीतिकारी बनाए रखना होगा। मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप 2023-24 के दौरान चलनिधि की स्थिति तंग हुई। जैसा कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण से परिलक्षित होता है, चलनिधि अधिशेष पिछले वर्ष के ₹1.87 लाख करोड़ से घटकर 2023-24 के दौरान ₹485 करोड़ हो गया। बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने दो-तरफ़ा संचालन, मुख्य और फ़ाइनट्यूनिंग नीलामी, दोनों का आयोजन किया। 2023-24 के दौरान भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) नीतिगत रेपो दर से औसतन 13 आधार अंक (बीपीएस) ऊपर रहा।

I.15 घरेलू वित्तीय बाजार 2023-24 के दौरान स्थिर रहे। बॉण्ड और विदेशी मुद्रा बाजारों तथा उत्साही इक्विटी बाजारों में उतार-चढ़ाव स्थितियों के अनुकूल रहा। अनुकूल मुद्रास्फीति स्थिति, प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय बॉण्डों को शामिल करने की सूचना और अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षा से कम बाजार उधार लेने के कारण सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में नरमी आई। सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल के अनुरूप ही कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई और कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गमों में वृद्धि हुई। भारतीय रुपये (आईएनआर) ने बाहरी क्षेत्र और समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचों में सुधार, जिसमें सीएडी में आई उल्लेखनीय कमी और पूंजी प्रवाह की वापसी शामिल है, के कारण स्थिरता प्रदर्शित की जिससे अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों से लगातार उत्पन्न होने वाले अवरोधों, मजबूत अमेरिकी डॉलर और लगातार चल रहे भू-राजनीतिक तनाव का प्रभाव कम रहा। 2023-24 के दौरान भारतीय रुपये में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई (पिछले वर्ष में 7.8 प्रतिशत) और यह वर्ष के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रमुख ईएमई मुद्राओं में से एक थी। मजबूत कॉरपोरेट आय और मजबूत घरेलू जीडीपी वृद्धि स्थिति के कारण इक्विटी कीमतों ने भारी लाभ दर्ज किया। तथापि, भू-राजनीतिक चिंताओं और प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं की

मौद्रिक नीति की भावी दिशा अनिश्चित होने के कारण इसमें बीच बीच में परिवर्तन होता रहा। घरेलू इक्विटी बाजार पूंजीकरण 2023-24 की दूसरी छमाही में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया जिससे भारतीय शेयर बाजार दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा बाजार बन गया।

I.16 बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि में कमी आने और जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि के लगातार बढ़ते रहने की स्थिति में 2022-23 में रेपो दर में की गई बढ़ोतरी का बैंकों की ऋण और जमा दरों में संचरण 2023-24 में भी जारी रहा। निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) से जुड़े ऋणों की सीमांत लागत में सहवर्ती गिरावट के चलते कुल बकाया फ्लोटिंग ऋणों में बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋणों की हिस्सेदारी में और वृद्धि हुई। संचलनगत मुद्रा का विस्तार कम हो गया, जबकि बैंकिंग प्रणाली में ₹2000 के बैंक नोटों की वापसी (मई 2023 में संचलन से उनकी वापसी के बाद) से जमा में तीव्र वृद्धि हुई, जो ज्यादातर जमाराशि के रूप में थी।

I.17 केंद्र सरकार ने अपनी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रतिबद्धताओं को पूरा किया। सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2022-23 के जीडीपी के 6.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 (आरई) में जीडीपी का 5.9 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय वृद्धि 2.5 प्रतिशत पर सीमित रही जबकि पूंजीगत व्यय लगातार चौथे वर्ष दोहरे अंकों में बढ़ा। राजकोषीय समायोजन को भारी राजस्व से भी समर्थन मिला - 2023-24 (आरई) में सकल कर राजस्व बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 11.7 प्रतिशत हो गया, जो 2008-09 के बाद से उच्चतम स्तर है, जिसमें आयकर संग्रह प्रमुख है। राज्यों ने केंद्र द्वारा निर्धारित 3.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत जीएफडी का बजट रखा। 2023-24 के दौरान राज्यों का पूंजीगत व्यय 19.4 प्रतिशत बढ़ गया। 2023-24 (बीई) में सामान्य सरकारी घाटा कम हो गया, जबकि सामान्य सरकारी पूंजी परिव्यय 2022-23 (आरई) के सकल घरेलू उत्पाद के 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 (बीई) में सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत हुआ।

I.18 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान रिज़र्व बैंक ने दीर्घकालिक संस्थागत सहभागियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल ₹30,000 करोड़ की 50-वर्षीय अवधि की एक प्रदीर्घ प्रतिभूति जारी की। दूसरी छमाही में केंद्र सरकार की उधारी में 30 वर्षीय नए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबीएस) निर्गम भी शामिल थे। वर्ष के दौरान जारी सरकारी प्रतिभूतियों पर भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्युएवाई) पिछले वर्ष के 7.32 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 7.24 प्रतिशत हो गया।

I.19 वैश्विक व्यापार की मात्रा और पण्य कीमतों में गिरावट के कारण 2023-24 में भारत के व्यापारिक निर्यात में कमी आई। 2023-24 में, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में, व्यापारिक निर्यात में 3.1 प्रतिशत की गिरावट तथा आयात में 5.7 प्रतिशत की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, 2023-24 के दौरान भारत का पण्य व्यापार घाटा एक साल पहले के 264.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 238.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मजबूत सेवा निर्यात और आवक विप्रेषण के स्थिर प्रवाह के कारण अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान सीएडी घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2.6 प्रतिशत था।

I.20 बेहतर आर्थिक संवृद्धि और घरेलू समष्टि आर्थिक बुनियादी स्थितियों में सुधार के कारण 2023-24 के दौरान पूंजी प्रवाह मजबूत रहा। निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में 2023-24 में 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्ज किया गया, जो 2014-15 (45.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बाद दूसरा उच्चतम है। वर्ष के दौरान ईएमई साथियों के बीच भारत को सबसे अधिक निवल एफपीआई प्राप्त हुआ। 2023-24 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह 71.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर बना रहा, जो मोटे तौर पर एक साल पहले 71.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था। तथापि, निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह मुख्य रूप से उच्च प्रत्यावर्तन के कारण 28.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो

गया। अन्य प्रमुख पूंजी प्रवाह - बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और अनिवासी जमा - वर्ष के दौरान अधिक थे। समग्र निवल पूंजी प्रवाह सीएडी से अधिक होने के साथ, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (भुगतान संतुलन के आधार पर, अर्थात मूल्यांकन प्रभावों को छोड़कर) की वृद्धि हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 मई 2024 को 648.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे 11.4 महीने का आयात और बाहरी क्षेत्र के जोखिमों और प्रतिकूल स्पिलओवर से बचाव किया जा सकता है।

I.21 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) बेहतर स्तर पर पूंजीकृत रहे। उन्होंने सितंबर 2023 के अंत तक विनियामक न्यूनतम से ऊपर पूंजी पर्याप्तता बनाए रखी। 2023-24 के दौरान बैंक ऋण वृद्धि में गति बनी रही। सितंबर 2023 के अंत में सकल अनर्जक अस्तियों (जीएनपीए) में कमी आई और एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ। इक्विटी प्रतिलाभ (आरओई) और आस्ति प्रतिलाभ (आरओए) जैसे लाभप्रदता संकेतक भी मजबूत थे। ऋण जोखिम संबंधी समष्टि दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि एससीबी गंभीर दबाव परिदृश्य में भी, समग्र और व्यक्तिगत बैंक, दोनों स्तरों पर न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने की स्थिति में होंगे।

I.22 सितंबर 2023 के अंत तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की पूंजी पर्याप्तता संतोषजनक स्तर पर थी और आस्ति गुणवत्ता में सुधार था। लाभप्रदता के मोर्चे पर आरओए और निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) मजबूत थे और लागत-आय अनुपात में सुधार था। खुदरा ऋण की मांग के कारण ऋण वृद्धि मजबूत बनी रही। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ। सितंबर 2023 में उनका जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सभी स्तरों पर न्यूनतम आवश्यकता को पार कर गया।

I.23 अभिशासन, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और पूंजी बफर को मजबूत करने की दिशा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप वर्ष के दौरान कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी दिशानिर्देश जारी किए गए। विनियामकीय दिशानिर्देशों में शामिल हैं: (ए) डिजिटल ऋण में चूक हानि की गारंटी; (बी) समझौता निपटारा और तकनीकी राइट ऑफ के लिए ढांचा; (सी) वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन, संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड; (डी) परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं; और (ई) यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन की स्थापना। जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर सार्वजनिक परामर्श के लिए फरवरी 2024 में प्रकटीकरण रूपरेखा का एक मसौदा जारी किया गया।

I.24 पर्यवेक्षण पक्ष की बात करें तो रिज़र्व बैंक अभिशासन और आश्वासन कार्यों से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के निष्पादन और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। रिज़र्व बैंक ने प्रमुख पर्यवेक्षित संस्थाओं का व्यापक रूप से ऑनसाइट साइबर जोखिम मूल्यांकन किया। पहचान किए गए जोखिम क्षेत्रों में अनुपालन की बारीकी से निगरानी के अलावा अधिक यूसीबी और चुनिंदा एनबीएफसी को शामिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जांच के दायरे का विस्तार किया गया। *दक्ष*[6], जो एक सुप-टेक साधन है, के प्रयोग ने एसई के लिए जोखिम जानकारी के संचार और प्रसार को काफी हद तक बेहतर किया। 14 दिसंबर 2021 को एनबीएफसी (सरकारी एनबीएफसी को छोड़कर) के लिए जारी किए गए 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' (पीसीए) ढांचे में 1 अक्टूबर 2024 से सरकारी एनबीएफसी (बेस लेयर की एनबीएफसी को छोड़कर) को शामिल किया गया।

I.25 2023-24 के दौरान रिज़र्व बैंक ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा-खुदरा (e₹-R) के साथ-साथ e₹-थोक (e₹-W) क्षेत्रों में उनकी विभिन्न उपयोगिता के मामलों पर प्रायोगिक

6 बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली।

कार्यक्रम आयोजित किए। सीबीडीसी-आर क्षेत्र के प्रायोगिक प्रयोग में 15 बैंकों और 81 स्थानों को शामिल किया गया। यूपीआई स्वीकृती संरचना ढांचे का लाभ उठाने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) और सीबीडीसी के बीच अंतरपरिचालनीयता की शुरुआत की गई ताकि उपयोगकर्ताओं को सुविधा और सहजता उपलब्ध कराई जा सके। e₹-W की तकनीकी संरचना में बदलाव किया गया और अंतरबैंक ऋण और उधार लेनदेनों को शामिल करने के लिए उसका दायरा बढ़ाया गया।

I.26 ऋण के सभी क्षेत्रों में, जहां नियम-आधारित ऋण देना संभव है, वहां लागत में कमी, त्वरित संवितरण और दायरा बढ़ाने के मामले में दक्षता लाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा एक बाधा रहित ऋण सार्वजनिक तकनीक व्यवस्था (पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट)(पीटीपीएफसी) की संकल्पना की गई जिसे रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा विकसित किया गया। इसके लिए 2022 में आयोजित डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और डिजिटल डेयरी परियोजनाओं के प्रायोगिक प्रयोग से प्राप्त अनुभवों का उपयोग किया गया। इस व्यवस्था का प्रायोगिक प्रयोग 17 अगस्त 2023 को शुरू हुआ और हितधारकों से मिले अनुभव और प्रतिसूचना के आधार पर इसमें अधिक उत्पादों, डेटा प्रदाताओं और ऋणदाताओं को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है।

I.27 ऑनलाइन रिटेल और ई-कॉमर्स क्षेत्र के तीव्र गति के साथ बढ़ने तथा टियर 2 और टियर 3 केंद्रों में उनकी बढ़ती स्वीकार्यता से कार्ड माध्यम से लेनदेनों में समग्र वृद्धि हुई है। *भारत बिल* भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) ने अपनी गति बनाए रखी। इस प्रणाली से देश भर में 1,272 डिजिटल और लगभग 92 लाख भौतिक आउटलेट के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से 21,000 से अधिक बिलकर्ताओं को बिल संग्रह और भुगतान की सुविधा मिली। वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक डेटा विनिमय की सुविधा के रूप में डिज़ाइन किए गए अकाउंट एग्रीगेटर (एए) पारितंत्र ने बेहतर वृद्धि दर्ज की है। 2023-24 के दौरान नए जुड़े खातों और सहमति अनुरोधों की संख्या 10 गुना बढ़ गई। इन सभी के साथ *आधार* के माध्यम से सफल ई-केवाईसी अधिप्रमाणन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वित्तीय क्षेत्र के डिजिटलीकरण-संचालित कायापलट का प्रतीक है।

I.28 अन्य भुगतान माध्यमों के साथ ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने ई-रुपी (ई-आरयूपीआई) वाउचर (उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल वाउचर) के दायरे और पहुंच का विस्तार किया, बीबीपीएस प्रक्रियाओं और सदस्यता मानदंडों को सुव्यवस्थित किया, और कार्ड जारीकर्ताओं को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया कि वे ग्राहकों को अपने कार्ड जारी करने के लिए एकाधिक कार्ड नेटवर्क में से चयन करने की सुविधा प्रदान करें। विभिन्न प्रकार के डिजिटल भुगतान विकल्पों का जैसे-जैसे उपयोग बढ़ा, तदनुसार उन्हें उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 2023-24 में कुल डिजिटल भुगतान में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 44.3 प्रतिशत और 16.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष में क्रमशः 58.3 प्रतिशत और 19.7 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर थी।

I.29 मार्च 2024 में एक ही महीने में 13 बिलियन लेनदेनों को पार करके यूपीआई प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण उंचाइयां हासिल कीं। इसकी संख्या में एक और बिलियन जोड़ने में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी और औसत लेनदेन लागत में आई कमी खुदरा भुगतानों को सुविधाजनक बनाने में यूपीआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण को रेखांकित करती है। उपयोगकर्ता की पहुंच और सुविधा को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न भुगतान प्रणालियों में संवर्द्धन वर्ष के दौरान जारी रहा। ऑफ़लाइन लेनदेनों में भुगतान की आसानी बढ़ाने के लिए यूपीआई-लाइट में नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में लेनदेन शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए एक अभिनव भुगतान माध्यम, अर्थात, 'संवादी भुगतान' (कन्वर्जेशनल पेमेंट्स) भी यूपीआई में शुरू किया गया।

वस्तुओं और सेवाओं की आयात-निर्यात के लिए सीमा पार भुगतान लेनदेनों की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं को रिज़र्व बैंक के प्रत्यक्ष विनियमन के तहत लाया गया। भारत और मॉरीशस के बीच रुपे कार्ड और यूपीआई कनेक्टिविटी, और भारत तथा श्रीलंका के बीच यूपीआई कनेक्टिविटी स्थापित की गई। लेनदेनों के लिए बीमा की अनुमति, वित्त प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि और फैक्टरिंग इकाइयों (एफयू) के लिए द्वितीयक बाजार स्थापित करके ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) का दायरा बढ़ाया गया।

I.30 रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स), जो देश में वित्तीय समावेशन के विस्तार का आकलन करने का एक माप है, मार्च 2022 के 56.4 से बढ़ कर मार्च 2023 में 60.1 हो गया, जिसमें तीनों उप-सूचकांकों, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता, में वृद्धि देखी गई। एफआई-इंडेक्स में सुधार मुख्य रूप से उपयोग और गुणवत्ता आयामों के कारण था, जो वित्तीय समावेशन की दूर तक पहुंच को दर्शाता है। वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने और वित्तीय वंचन की स्थिति का आकलन करने के लिए एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड - *अंतरदृष्टि* - जून 2023 में शुरू किया गया।

I.31 फाइनेंस ट्रैक के तहत जी20 भारतीय अध्यक्षता[7] ने विभिन्न कार्य समूहों में प्राथमिकताओं के साथ जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण और ग्लोबल साउथ की चिंताओं संबंधी व्यापक विषयों को प्राथमिकता दी। *'वसुधैव कुटुंबकम'* - एक पृथ्वी: एक परिवार: एक भविष्य - के दृष्टिकोण को साकार करते हुए जी20 भारतीय अध्यक्षता ने इस बात को पुष्ट किया कि जी20 उभरती चुनौतियों के माध्यम से दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच बना हुआ है। भारतीय अध्यक्षता ने बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित किया और विशेष रूप से विकास वित्त, ऋण कमजोरियों और वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाया।

3. 2024-25 के लिए संभावनाएँ

वैश्विक अर्थव्यवस्था

I.32 वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण कई विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ है, जैसे कि - मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है और अवस्फीति की गति कम हो रही है; प्रमुख प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं में लोक ऋण का उच्च स्तर पर होना और अव्यवस्थित समायोजन की स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव; लंबी अवधि के लिए अधिक ब्याज दरों के परिदृश्य से वित्तीय स्थिरता जोखिम; लंबे समय तक चल रहा भू-राजनीतिक तनाव; भू-आर्थिक विखंडन से उत्पन्न अक्षमताएं; और जलवायु संबंधी आघातों में वृद्धि। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2024 के साथ-साथ 2025 में भी 3.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की समान गति है।[8] 2024 में एई में 1.7 प्रतिशत की संवृद्धि होने का अनुमान है जो एक साल पहले के 1.6 प्रतिशत से मामूली रूप से अधिक है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) का विस्तार 4.2 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो एक साल पहले के 4.3 प्रतिशत से कम है।

I.33 सख्त मौद्रिक नीति रुख और अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों के कम हो जाने से वैश्विक मुद्रास्फीति 2023 के 6.8 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.9 प्रतिशत और 2025 में 4.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। तथापि, जैसा कि पहले कहा गया है अवस्फीति का अंतिम चरण चुनौतीपूर्ण होने वाला है। प्रतिकूल मौसमी घटनाओं और भू-राजनीतिक शत्रुताओं के कारण बार-बार होने वाले आपूर्ति आघात अवस्फीति प्रक्रिया के विपरीत दिशा में जाने का जोखिम पैदा करते हैं। प्रमुख एई में केंद्रीय बैंकों को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी और तदनुसार उन्होंने इस वर्ष की दरों में कटौती का संकेत दिया है। हालाँकि, हाल के आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति में चौंकाने वाली वृद्धि से बाजार की उम्मीदों में लगातार पुनर्मूल्यांकन हो रहा है जिससे प्रमुख वित्तीय बाजार

[7] भारत ने 1 दिसंबर 2022 को जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की जो 30 नवंबर 2023 को संपन्न हुई।

[8] वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2024, आईएमएफ।

क्षेत्रों - मुद्रा, बॉण्ड और इक्विटी, में काफी अस्थिरता पैदा हो रही है। वित्तीय बाजार में बढ़ी अस्थिरता और पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव ईएमडीई के सामने आने वाली व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता संबंधी चुनौतियों को बढ़ाते हैं।

I.34 मुद्रास्फीति में कमी और माल व्यापार में अपेक्षित उछाल आने से वैश्विक व्यापार की मात्रा (वस्तु और सेवा) में 2023 के 0.3 प्रतिशत से 2024 में 3.0 प्रतिशत और 2025 में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।[9] तथापि, 2024-2025 में वैश्विक व्यापार में अपेक्षित वृद्धि 2000-19 के दौरान प्राप्त 4.9 प्रतिशत विस्तार की तुलना में कम होगी।

I.35 प्रमुख एई और ईएमई में लोक ऋण का उच्च स्तर और उनकी भावी स्थितियां इन अर्थव्यवस्थाओं में लोक वित्त की स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ा रही हैं और वित्तीय बाजार में पहले से ही बढ़ी हुई अस्थिरता को बढ़ाने का जोखिम उठा रही हैं। प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़े हुए लोक ऋण के कारण इन बाजारों में जोखिम प्रीमियम और सोवरिन बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि हो सकती है, जिसका बाद में अन्य वित्तीय बाजार क्षेत्रों में प्रभाव-प्रसार हो सकता है। पूंजी प्रवाह में परिणामी कटौती पहले ही मंद चल रही वैश्विक संवृद्धि में बाधा बन सकती है। ये संभावित विघटनकारी घटनाएं प्रभावित देशों में स्थिर वैश्विक समष्टि आर्थिक और वित्तीय वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय राजकोषीय समेकन योजनाओं की मांग करती है। मध्यम से दीर्घावधि में जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टो मुद्रा, फिनटेक, सीबीडीसी और एआई/मशीन लर्निंग (एमएल) के माध्यम से प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के लिए भी वैश्विक स्तर पर समन्वित नीति प्रयासों की आवश्यकता है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

I.36 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य उज्ज्वल है जो समष्टि-आर्थिक बुनियादी ढांचों, मजबूत वित्तीय और कॉरपोरेट क्षेत्रों और एक समुत्थानशील बाह्य क्षेत्र की निरंतर मजबूती पर आधारित है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर जोर, और उपभोक्ता तथा व्यापार आशावाद निवेश और उपभोग मांग के लिए अच्छा संकेत है।

I.37 *अल नीनो* प्रभाव के कम होने और दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से अधिक होने की उम्मीद के कारण कृषि और ग्रामीण गतिविधि की संभावनाएं अनुकूल दिखाई दे रही हैं। *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएमजीकेएवाई) योजना को 1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में *आत्मनिर्भर ऑयलसीड्स अभियान*, सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ नैनो डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का विस्तार और एक नई जैव-विनिर्माण और जैव-फाउंड्री योजना के माध्यम से जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित है जिससे कृषि क्षेत्र को भी समर्थन मिलेगा।

I.38 आवासीय और गैर-आवासीय स्थावर संपदा की मांग रहने के कारण निर्माण गतिविधि में गति बरकरार रहने की संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा और सेमी-कंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में हालिया पहलों के कारण तेजी से प्रगति होने की उम्मीद है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में सेमी-कंडक्टर और डिस्प्ले फैब के लिए 6,903 करोड़ आबंटित किए गए हैं जिससे भारत को चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनने में मदद मिलेगी। आगे चलकर उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत निवेश में अधिक तेजी आने की संभावना है। इन कारकों से रोजगार के नए अवसर पैदा होने, श्रम आय में सुधार और घरेलू मांग मजबूत होने की उम्मीद है। इन कारकों को विचार में लेते हुए 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, समान रूप से संतुलित जोखिमों के साथ, 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

[9] वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2024, आईएमएफ।

I.39 '*अनुसंधान* राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023' के पारित होने से *अनुसंधान* राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है जिससे आधारभूत विज्ञान, स्वास्थ्य देखभाल और मानविकी में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लगभग ₹6,000 करोड़ (2023-24 से 2030-31) की कुल लागत वाला स्वीकृत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास (आरएंडडी) और क्वांटम प्रौद्योगिकी (क्यूटी) में अभिनव पारितंत्र को आगे बढ़ाएगा। यह डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगा। इन सभी प्रयासों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकार के नेतृत्व वाले निवेश तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि से मध्यम अवधि में उत्पादकता और संभावित विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

I.40 हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023-24 में वार्षिक औसत आधार पर 1.3 प्रतिशत अंक कम होकर 5.4 प्रतिशत हो गई। आपूर्ति शृंखला दबाव के कम होने, मूल मुद्रास्फीति में व्यापक स्तर पर नरमी आने और सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून होने के शुरुआती संकेत 2024-25 में मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए अच्छे संकेत हैं। तथापि, जलवायु से जुड़े आघातों की बढ़ती घटनाएं खाद्य मुद्रास्फीति और समग्र मुद्रास्फीति दृष्टिकोण में काफी अनिश्चितता पैदा करती हैं। विशेषकर दक्षिणी राज्यों में कम जलाशय स्तरों और 2024-25 के शुरुआती महीनों में सामान्य से अधिक तापमान की स्थिति पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, लगातार जारी भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ी हुई वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता भी मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम पैदा करती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति, जोखिमों को समान रूप से संतुलित करते हुए, 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

I.41 चूंकि मुद्रास्फीति के टिकाऊ रूप से 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने तक अवस्फीति के मार्ग को जारी रखने की आवश्यकता है, एमपीसी ने अपनी अप्रैल 2024 की बैठक में नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और इस बात का उल्लेख किया कि मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखने और पूर्ण संचरण को सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति को सक्रिय रूप से अवस्फीतिकारी रहना चाहिए। एमपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन सुविधा (एकोमोडेशन) को वापस लेने का भी निर्णय लिया ताकि संवृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य तक पहुंच सके। रिज़र्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो, मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग परिचालनों, दोनों के माध्यम से अपने चलनिधि प्रबंधन में चुस्त और लचीला बना रहेगा। बैंक अस्थिर (फ्रिक्शनल) और टिकाऊ चलनिधि को नियंत्रित करने के लिए उपायों का एक उचित मिश्रण प्रयोग में लाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रा बाजार की ब्याज दरें व्यवस्थित तरीके से विकसित हों और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

I.42 संवृद्धि-प्रेरित पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार का प्रयास 2024-25 में बरकरार रहने की संभावना है जिसमें आधे से अधिक उधार पूंजी परिव्यय के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता योजना को ₹1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 2024-25 तक बढ़ाया। सकल बाजार उधार को 2023-24 (आरई) के सकल घरेलू उत्पाद के 5.3 प्रतिशत से घटाकर 2024-25 (बीई) में सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत करने से निजी क्षेत्र में धन का प्रवाह बढ़ेगा और निजी निवेश को समर्थन मिलेगा। पूंजीगत व्यय को जारी रखने के लिए पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश के साथ राज्यों के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण अनुकूल बना हुआ है। कर प्रणाली के डिजिटलीकरण से कर संग्रह में वृद्धि हुई है। केंद्र का प्रत्यक्ष कर राजस्व 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.7 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जो तीन दशकों में सबसे अधिक है।

I.43 वैश्विक व्यापार में अनुमानित उछाल से भारत के व्यापारिक निर्यात को लाभ होना चाहिए। लेकिन चल रहे भू-राजनीतिक संघर्ष और भू-आर्थिक विखंडन जोखिम इसके लिए बाधा बन सकते हैं। समुत्थानशील सेवा व्यापार संतुलन और बड़ी आवक विप्रेषण प्राप्तियों के साथ-साथ स्थिर पूंजी प्रवाह स्थिति रहने से सीएडी के 2024-25 में नियंत्रणाधीन बने रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक के अनुसार विश्व प्रेषण प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी 2019 के 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 15.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। वित्त पक्ष पर गौर करें तो घरेलू आर्थिक संवृद्धि के लिए अनुकूल दृष्टिकोण, घरेलू मुद्रास्फीति में कमी, और व्यापार-अनुकूल नीति सुधार, प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो दोनों में, विदेशी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भविष्य में प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत के सॉवरेन बॉण्ड को शामिल किए जाने से भी एफपीआई प्रवाह को समर्थन मिलने की उम्मीद है। वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में अधिक भागीदारी को संभव बनाने के लिए नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के अवसर, नए बाजारों तक बढ़ती पहुंच और भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने से निर्यात और एफडीआई प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा और बाह्य क्षेत्र की समुत्थानशीलता मजबूत होगी।

I.44 बैंकों और एनबीएफसी की पूंजी और आस्ति गुणवत्ता अच्छी बनी हुई है जिससे बैंक ऋण संवृद्धि और घरेलू गतिविधि को लाभ हो रहा है। अत्यधिक उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण देने पर अंकुश लगाने और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के उद्देश्य से विनियामक पूर्वोपाय किए जाने से वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्रों में संभावित दबाव निर्माण को रोकने और वित्तीय स्थिरता में मदद मिलने की उम्मीद है। यद्यपि घरेलू बैंकों और एनबीएफसी ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच समुत्थानशीलता दिखाई है फिर भी हाल की घटनाएं सतर्क जोखिम प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करती हैं। ब्याज दर जोखिम के बदलते रहने की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बैंकों को, खासकर एनआईएम में कमी के आलोक में, ट्रेडिंग और बैंकिंग बुक जोखिम, दोनों का सामना करना पड़ सकता है। देयताओं की बात करें तो जमाराशि के स्रोतों के विविधीकरण पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि थोक जमा पर निर्भर रहने से ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। इसके अलावा जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम और परिणामी सूक्ष्म और समष्टि-विवेकपूर्ण चिंताओं के लिए ऐसे जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक अपने विनियमों को इकाई-उन्मुख बनाने के बजाय अधिक सिद्धांत-आधारित, गतिविधि-उन्मुख और प्रणालीगत जोखिम के पैमाने के अनुपात में बनाने का प्रयास कर रहा है।

I.45 वित्तीय संस्थाओं को और मजबूत करने के लिए 2024-25 में कई विनियामक और पर्यवेक्षी उपाय किए जाएंगे, जैसे कि - (ए) मौजूदा आईआरएसीपी[10] मानदंडों और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे की व्यापक समीक्षा; (बी) परियोजना वित्तपोषण करने वाली सभी विनियमित संस्थाओं के लिए समरूप विवेकपूर्ण दिशानिर्देश; (सी) सभी विनियमित संस्थाओं के संबंध में अग्रिमों की ब्याज दरों पर मौजूदा विनियामक निर्देशों की व्यापक समीक्षा; (डी) दूरंदेशी अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में पहल; (ई) दबावग्रस्त आस्ति प्रतिभूतिकरण ढांचा जारी करना; और (एफ) वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु परिवर्तन की बहुमुखी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण करने और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास करना।

[10] आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान।

I.46 रिज़र्व बैंक द्वारा की गई पर्यवेक्षी पहलों का उद्देश्य जोखिमों और कमजोरियों की शीघ्र पहचान करना, कमजोरियों के मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करना और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यवेक्षी कार्य को सुसंगत बनाना है। पर्यवेक्षी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एसई के साथ लगातार और व्यापक बातचीत एक महत्वपूर्ण साधन बना रहेगा । एसई के अभिशासन और आश्वासन कार्यों को मजबूत करना रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता बनी रहेगी।

I.47 यूसीबी के लिए पीसीए ढांचा नाम के तहत एक संशोधित पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) विचाराधीन है ताकि यूसीबी को अपनी वित्तीय स्थिति को पुन:स्थापित करने के लिए उपचारात्मक उपाय शुरू करने और उन्हें लागू करने में सक्षम बनाने के लिए समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाया जा सके। कमजोरियों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने में आश्वासन कार्यों के महत्व को पहचानते हुए, उनकी प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए, एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए लागू आश्वासन कार्यों पर दिशानिर्देशों के सामंजस्य की जांच की जा रही है।

I.48 रिज़र्व बैंक 2024-25 में e₹-R और e₹-W के चल रहे प्रायोगिक प्रयोग के दायरे का विस्तार करेगा, जिसमें पूर्ण पैमाने पर अधिक वित्तीय संस्थानों/डेटा सेवा प्रदाताओं और उत्पाद पेशकशों वाला पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म शुरू करने के अलावा विभिन्न उपयोग के मामलों के साथ-साथ नए डिजाइनों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा।

I.49 भुगतान प्रणालियों के संबंध में रिज़र्व बैंक पेमेंट्स विज़न 2025 दस्तावेज़ में निर्धारित कार्यक्रम का अनुपालन करना जारी रखेगा। ग्राहक केंद्रीयता बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और विस्तार का समर्थन करने के उपायों के समेकन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 'अखंडता' (इंटीग्रिटी) स्तंभ के तहत केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) को भुगतान संबंधी धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग करने के लिए स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और गैर-अनुसूचित यूसीबी तक विस्तारित करने की योजना है। भुगतान में जोखिमों को दूर करने के लिए अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक (एएफए) के लिए एसएमएस-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के विकल्प के रूप में एक जोखिम-आधारित अधिप्रमाणन तंत्र को लागू किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, यूरोपीय संघ (ईयू), राष्ट्रमंडल देशों और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे देशों के समूह के सहयोग से त्वरित भुगतान प्रणाली (एफपीएस) के साथ-साथ बहुपक्षीय अंतर-संबंधों की संभावना का पता लगाया जाएगा।

I.50 डिजिटल भुगतान को अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थागतीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण स्तंभों के माध्यम से आउटरीच, ग्राहक केंद्रितता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल उन्नति पर अधिक ध्यान देते हुए आकार दिया जाएगा। भारत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के संबंध में ज्ञान साझा करने में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए तैयार है, जिससे अन्य उभरते देशों में समान ढांचे के निर्माण की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा की स्थापना और फिनटेक रिपॉजिटरी के निर्माण जैसी दूरंदेशी पहलों से परिचालन दक्षता में वृद्धि, जटिलता कम होने और वित्तीय नवोन्मेष को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

I.51 रिज़र्व बैंक देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। 2024-25 के दौरान रिज़र्व बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण दिशानिर्देशों की भी समीक्षा करेगा और 2025-30 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) के अगले संस्करण के निर्माण की दिशा में काम करेगा।

I.52 वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास स्थापित करने और विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए रिज़र्व बैंक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) में एआई और अन्य संबंधित साधनों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि शिकायतों को आसानी से दर्ज किया जा सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक सुसंगतता सुनिश्चित की जा सके। ग्राहक सेवा में सुधार के लिए सक्रियता से उपाय करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आंतरिक शिकायत निवारण (आईजीआर) ढांचे को अधिक मजबूत किया जाएगा।

I.53 1 अप्रैल 2024 को रिज़र्व बैंक ने अपनी स्थापना का 90वां वर्ष मनाया। इन नौ दशकों में रिज़र्व बैंक विनियमन, पर्यवेक्षण और मौद्रिक नीति के क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर, घरेलू अर्थव्यवस्था को वित्तीय स्थिरता और समुत्थानशीलता प्रदान करके एक कुशल और मजबूत वित्तीय प्रणाली विकसित करने की दिशा में निष्ठा के साथ और पेशेवर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में दृढ़ रहा है। आगे के लिए देखें तो रिज़र्व बैंक एक स्थिर और मजबूत वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में सक्रिय रूप से उचित उपाय करने का प्रयास जारी रखेगा, और साथ ही वित्तीय क्षेत्र में विकसित हो रही प्रौद्योगिकी, नवाचारों, कारोबार प्रथाओं और बढ़ती जटिलताओं से उत्पन्न जोखिमों के प्रति सचेत रहेगा।[11]

4. निष्कर्ष

I.54 संक्षेप में कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल वैश्विक समष्टिआर्थिक और वित्तीय माहौल से गुजर रही है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि ठोस निवेश मांग के कारण मजबूत है जो बैंकों और कॉरपोरेट्स के सुदृढ़ तुलन-पत्रों, पूंजीगत व्यय पर सरकार के विशेष प्रयास और विवेकपूर्ण मौद्रिक, विनियामक और राजकोषीय नीतियों द्वारा समर्थित है। जैसे-जैसे हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, उपभोग मांग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में बाह्य क्षेत्र की ताकत और बफर घरेलू आर्थिक गतिविधि को वैश्विक प्रसार-प्रभाव से बचाएंगे। भू-राजनीतिक तनाव, भू-आर्थिक विखंडन, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्य में उतार-चढ़ाव और अनियमित मौसम की घटनाएं संवृद्धि संभावना में गिरावट आने और मुद्रास्फीति संभावना के बढ़ने का जोखिम पैदा करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृत्रिम बुद्धिमत्ता/एमएल प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और बार-बार होने वाले जलवायु आघातों से उत्पन्न मध्यम अवधि की चुनौतियों से भी निपटना होगा। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के माहौल में अगले दशक में अपने संवृद्धि पथ को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है और वह अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करके और अपने प्रतिस्पर्धी लाभों का फायदा उठाकर, जिनके कारण इसे दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं को प्राप्त करेगी।

[11] शक्तिकान्त दास (2024), 'RBI@90 स्मरणोत्सव समारोह में स्वागत भाषण', 1 अप्रैल, मुंबई। यह https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1427 पर उपलब्ध है

II आर्थिक समीक्षा

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2023-24 के दौरान लंबे भू-राजनीतिक तनावों और अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाज़ारों की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए समुत्थानशीलता प्रदर्शित की है। टिकाऊ मुद्रास्फीति-रोधी मौद्रिक नीति रुख और सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों के संयोजन के परिणामस्वरूप हेडलाइन मुद्रास्फीति काफी हद तक सहन सीमा के भीतर बनी रही। मौद्रिक और ऋण स्थितियां मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप विकसित हुईं। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रतिबद्धता के भीतर पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया। वर्ष के दौरान बाह्य क्षेत्र की धारणीयता संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ जिससे वैश्विक समष्टि वित्तीय आघातों के प्रतिकूल प्रभाव- विस्तार से अर्थव्यवस्था का बचाव हुआ।

II.1.1 प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति रुख, भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के परिणामस्वरूप वित्तीय स्थितियों के जटिल रहने के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में समुत्थानशील रही। यूएस और प्रमुख उभरते बाज़ारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में उछाल के प्रभाव से वैश्विक जीडीपी वर्ष 2023 में 3.2 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 3.5 प्रतिशत[1]) बढ़ी। मौद्रिक सख्ती और आपूर्ति शृंखलाओं की बहाली के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति 2023 में घटकर 6.8 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 8.7 प्रतिशत थी। राजकोषीय नीति में महामारी के कारण लाई गई नरमी, धीमी संवृद्धि और उच्च ब्याज दर के माहौल में वैश्विक लोक ऋण-जीडीपी अनुपात पर बढ़ने का दबाव पड़ा। वैश्विक पण्य व्यापार की मात्रा, जिसका 2022 में 3.0 प्रतिशत विस्तार हुआ था, 2023 में 1.2 प्रतिशत तक संकुचित हुई[2], ऐसा बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों और वस्तुओं की मांग की बजाय सेवाओं की ओर परिवर्तित होने के कारण था। केंद्रीय बैंकों द्वारा व्यक्त किए गए दीर्घावधि उच्च रुख के बावजूद बाजार सहभागियों के बीच मौद्रिक नीति की भावी दिशा संबंधी अनिश्चित धारणाओं के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों ने अस्थिरता को दर्शाया। सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल में 2023-24 की पहली छमाही में वृद्धि हुई और दूसरी छमाही में उसमें बड़े दो-तरफा परिवर्तन हए। यूएस डॉलर वर्ष के दौरान दृढ़ रहा जिससे उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) मुद्राओं पर मूल्यह्रास होने का दबाव पड़ा।

II.1.2 वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 के दौरान समुत्थानशीलता प्रदर्शित की। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि[3], जो 2022-23 में 7.0 प्रतिशत थी, बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई, जिसे मजबूत निश्चित निवेश का समर्थन मिला। आपूर्ति पक्ष की बात करें तो आर्थिक गतिविधियों को विनिर्माण क्षेत्र में हुए लाभप्रदता सुधार से सहायता मिली जिसे निविष्टि लागत में कमी आने और सेवा गतिविधि में निरंतरता बने रहने से लाभ हुआ, और परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में आई मंदी की भरपाई हुई।

II.1.3 मुद्रास्फीतिरोधी मौद्रिक नीति, सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों और वैश्विक पण्य कीमतों में सुधार के कारण 2023-24 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होकर सहन सीमा के भीतर आ गई। मूल मुद्रास्फीति व्यापक आधार पर अवस्फीति स्थिति में थी और दिसंबर 2023 से 4 प्रतिशत से कम हो गई।

[1] विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2024), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

[2] वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी, विश्व व्यापार संगठन (अप्रैल 2024)।

[3] इस रिपोर्ट के अध्याय I के फुटनोट 4 का संदर्भ लें।

II.1.4 पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान दिए जाने, संवृद्धि-अनुकूल उपायों की दिशा में सार्वजनिक व्यय किए जाने तथा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति बेहतर प्रतिबद्धता होने के परिणामस्वरूप सामान्य सरकारी वित्त संबंधी प्रमुख घाटे और ऋण संकेतकों में सुधार हुआ। समुत्थानशील आर्थिक गतिविधि और अनुपालन में सुधार के परिणामस्वरूप कर राजस्व में तीव्र वृद्धि हुई।

II.1.5 वर्ष के दौरान घरेलू वित्तीय बाजारों में स्थिति के अनुरूप परिवर्तन हुए। चलनिधि अधिशेष घटने के कारण मुद्रा बाजार की दरें बढ़ गईं, जिसमें सरकारी नकदी शेष में वृद्धि होना भी आंशिक कारण रहा। ऋण मांग निरंतर बने रहने के बीच जमा प्रमाण पत्र (सीडी) निर्गम में वृद्धि हुई। घरेलू मुद्रास्फीति के कम होने, प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय सॉवरेन बॉण्ड को शामिल करने की घोषणा और अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित भारत सरकार (जीओआई) के अपेक्षित से कम बाजार उधार कार्यक्रम के कारण सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल में, जो 2023-24 की पहली छमाही के दौरान सीमा के भीतर था, कमी आई। आर्थिक गतिविधियों और कंपनियों के प्रदर्शन से शेयर बाजारों में मजबूत लाभ दर्ज हुआ। मजबूत घरेलू संभावनाओं और भारत की बाह्य स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप भारतीय रुपये (आईएनआर) ने स्थिरता प्रदर्शित की। भारी पूंजी अंतर्वाहों और चालू खाता घाटे (सीएडी) में आई कमी के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई।

II.1.6 इस पृष्ठभूमि के साथ शेष अध्याय छह खंडों में संरचित है। वास्तविक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण खंड 2 में किया गया है। खंड 3 में मुद्रास्फीति और उसके चालकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। कुल मौद्रिक राशियों और वित्तीय बाजारों में हुए विकास का उल्लेख क्रमशः खंड 4 और 5 में किया गया है। सरकारी वित्त (केंद्र और राज्यों) में हुए परिवर्तनों की चर्चा खंड 6 में की गई है, और बाह्य क्षेत्र में हुए उतार-चढ़ाव खंड 7 में शामिल हैं।

II.2 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 के दौरान कमजोर बाहरी मांग, दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनावों और अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों में लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आघात - सहनीयता को प्रदर्शित किया। 2023-24 में लगातार तीसरे वर्ष वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि 7 प्रतिशत और उससे अधिक बनी रही, जो पूंजीगत व्यय पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने के कारण स्थिर निवेश में मजबूत वृद्धि द्वारा अनुसमर्थित थी। भले ही कृषि क्षेत्र की गतिविधि में मंदी देखी गई लेकिन आपूर्ति पक्ष पर, इनपुट कीमतों में सुधार और सेवा गतिविधि में निरंतर गति से विनिर्माण क्षेत्र की लाभप्रदता को बढ़ावा मिलने से आर्थिक गतिविधि में सुधार देखने को मिला।

II.2.2 इस खंड में, समग्र मांग का घटक-वार विश्लेषण उप-खंड 2 में दिया गया है। कृषि, उद्योग और सेवाओं के प्रदर्शन के संदर्भ में समग्र आपूर्ति स्थितियों में हुई प्रगति के आकलन की चर्चा उप-खंड 3 में की गई है। रोजगार और श्रम बाजार में हुए बदलावों के बारे में उप खंड 5 में निष्कर्षात्मक टिप्पणियों सहित उपखंड 4 में चर्चा की गई है।

2. समग्र मांग

II.2.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) के अनुसार वास्तविक जीडीपी ने 2022-23 में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2023-24 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की [सारणी II.2.1 और परिशिष्ट सारणी 1]। इस तेजी को निवेश मांग में ठोस विस्तार से बल मिला, जो निजी उपभोग मांग में मंदी और बाहरी मांग के दबाव की भरपाई से कहीं अधिक है (परिशिष्ट सारणी 2)। 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2 प्रतिशत पर बने रहकर मजबूत थी। ति 2 में हासिल हुई तेजी बरकरार रहते हुए ति3:2023-24 में और गति पकड़ ली। (चार्ट II.2.1)।

उपभोग

II.2.4 निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) - घरेलू कुल मांग का मुख्य आधार - 2023-24 में कमजोर पड़ गया। अपर्याप्त और असमान दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण ख़रीफ़ और रबी दोनों ही फसलों का उत्पादन कम हो गया दोपहिया वाहनों की बिक्री, जोकि ग्रामीण मांग का एक संकेतक है, 2023-24 की दूसरी छमाही में बढ़ी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम की मांग भी दूसरी छमाही में कम हुई, जिससे ग्रामीण मांग में कुछ सुधार का संकेत मिलता है। श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार, उच्च प्रयोज्य आय, खुदरा मुद्रास्फीति में कमी और खुदरा ऋण में दोहरे अंक की वृद्धि से शहरी मांग को समर्थन मिला। घरेलू हवाई यात्री यातायात, रेलवे यात्री यातायात और यात्री वाहन बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह और ई-वे बिल जारी करने दोनों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में 2023-24 में मामूली बढ़ोत्तरी हुई क्योंकि सरकार अपने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रही। (चार्ट II.2.2)

सारणी II.2.1. वास्तविक जीडीपी वृद्धि

घटक	वृद्धि (प्रतिशत में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
I. कुल उपभोग व्यय	**5.0**	**-4.6**	**9.8**	**7.1**	**3.0**
निजी	5.2	-5.3	11.7	6.8	3.0
सरकार	3.9	-0.8	0.0	9.0	3.0
II. सकल पूंजी निर्माण	**-6.0**	**-10.6**	**25.4**	**2.0**	**10.2**
सकल स्थिर पूंजी निर्माण	1.1	-7.1	17.5	6.6	10.2
शेयरों में बदलाव	-58.7	-76.4	525.4	14.5	5.0
मूल्यवान स्टॉक	-14.2	29.9	32.5	-19.1	13.8
III. निवल निर्यात					
निर्यात	-3.4	-7.0	29.6	13.4	1.5
आयात	-0.8	-12.6	22.1	10.6	10.9
IV. जीडीपी	**3.9**	**-5.8**	**9.7**	**7.0**	**7.6**

स्रोत: एनएसओ।

निवेश और बचत

II.2.5 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू निवेश की दर, मौजूदा कीमतों पर सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से मापी जाती है, जो पिछले वर्ष के

चार्ट II.2.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि -तिमाही

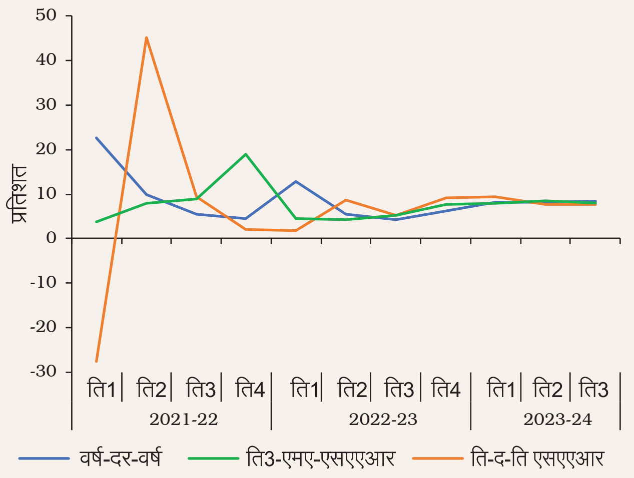

एसएएआर - मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर।
टिप्पणी: बाहरी सीमा के लिए उचित नियंत्रण के साथ पूर्ण नमूना अवधि (ति 3:2023-24 तक) का उपयोग करके मौसमी कारकों का अनुमान लगाया गया है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.2.2: जीडीपी संवृद्धि में भारित योगदान

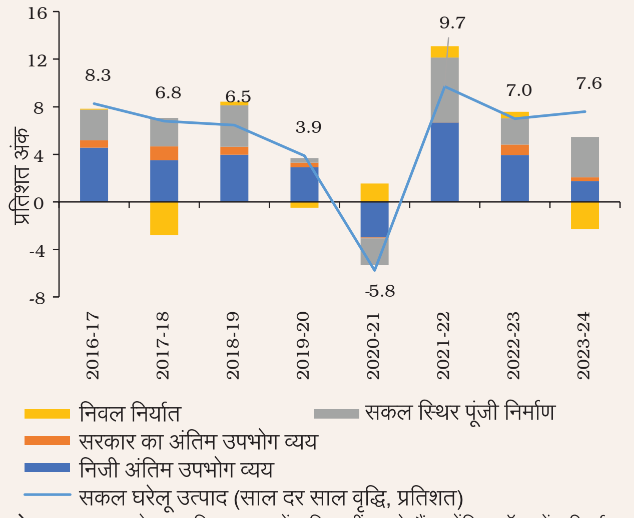

नोट: घटक-वार योगदान विकास दर में वृद्धि नहीं करते हैं क्योंकि स्टॉक में परिवर्तन, मूल्यवान आस्ति और सांख्यिकीय विसंगतियां शामिल नहीं हैं।
स्रोत: एनएसओ।

चार्ट II.2.3: निवेश मांग के संकेतक

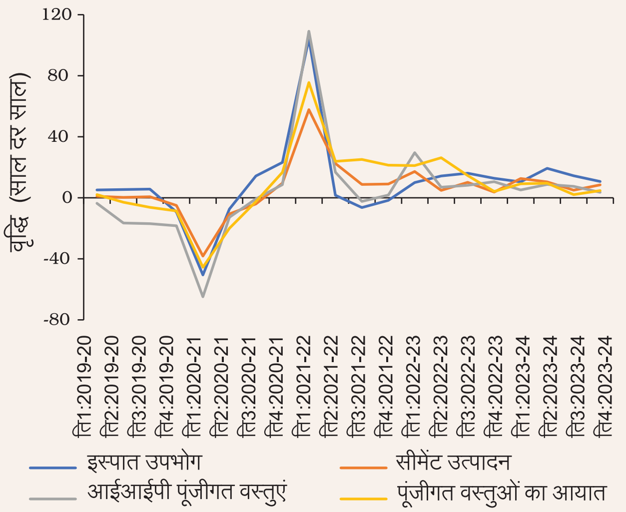

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, एनएसओ और डीजीसीआई एंड एस।

32.4 प्रतिशत से मामूली रूप से कम होकर 2022-23 में 32.2 प्रतिशत हो गई। 2023-24 के लिए जीसीएफ के घटकों के लिए उपलब्ध जानकारी आवास क्षेत्र में तेजी के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर सरकार के निरंतर जोर के कारण निवेश में बढ़ोतरी का संकेत देती है। जीडीपी के मुकाबले वास्तविक सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का अनुपात पिछले वर्ष के 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 34.1 प्रतिशत हो गया। जीएफसीएफ के घटकों में, निर्माण क्षेत्र ने गति पकड़ी है, जो इसके निकटतम संयोग संकेतकों - इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन में मजबूत वृद्धि से स्पष्ट है (चार्ट II.2.3)। विनिर्माण क्षेत्र का क्षमता उपयोग (सीयू) अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर बना हुआ है। यह पिछली तिमाही[4] के 74.0 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 की तीसरी तिमाही में 74.7 प्रतिशत हो गया। 2023-24 की तीसरी तिमाही में मौसमी रूप से समायोजित सीयू 74.6 प्रतिशत था।

II.2.6 सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत 2022-23 में घटकर 29.7 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 30.8 प्रतिशत थी। ऐसा परिवार वित्तीय बचत (निवल) में पिछले वर्ष के 7.2 प्रतिशत (सारणी II.2.2 और परिशिष्ट सारणी 3) की तुलना में 2022-23 में जीएनडीआई के 5.2 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुआ क्योंकि इसने घरेलू स्तर पर उपभोग और निवेश को निधि देने के लिए महामारी के दौरान संचित हुई अतिरिक्त बचत को कम कर

सारणी II.2.2 : परिवार क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ए. सकल वित्तीय बचत	**10.4**	**9.9**	**10.7**	**10.4**	**11.9**	**11.8**	**11.4**	**15.2**	**10.9**	**10.9**
जिसमें:										
1. मुद्रा	0.9	1.0	1.4	-2.1	2.8	1.4	1.4	1.9	1.1	0.9
2. जमाएं	5.8	4.8	4.6	6.3	3.0	4.2	4.3	6.2	3.5	4.0
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9	0.8
4. सरकार पर दावे	0.2	0.0	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.3	1.1	0.9
5. बीमा निधि	1.8	2.4	1.9	2.3	2.0	2.0	1.7	2.8	2.0	2.0
6. भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.5	2.3	2.3
बी. वित्तीय देयताएं	**3.1**	**3.0**	**2.7**	**3.0**	**4.3**	**4.0**	**3.8**	**3.7**	**3.8**	**5.7**
सी. निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	**7.2**	**6.9**	**7.9**	**7.3**	**7.5**	**7.8**	**7.6**	**11.6**	**7.2**	**5.2**

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय निपटान आय।
टिप्पणी: पूर्णांकन (राउंडिंग ऑफ के कारण) आंकड़े कुल देय की जोड़ के बराबर नहीं भी हो सकते हैं।
स्रोत: एनएसओ।

4 रिज़र्व बैंक की ऑर्डर बही, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) पर आधारित।

चार्ट II.2.4 : अतिरिक्त परिवार बचत की मात्रा

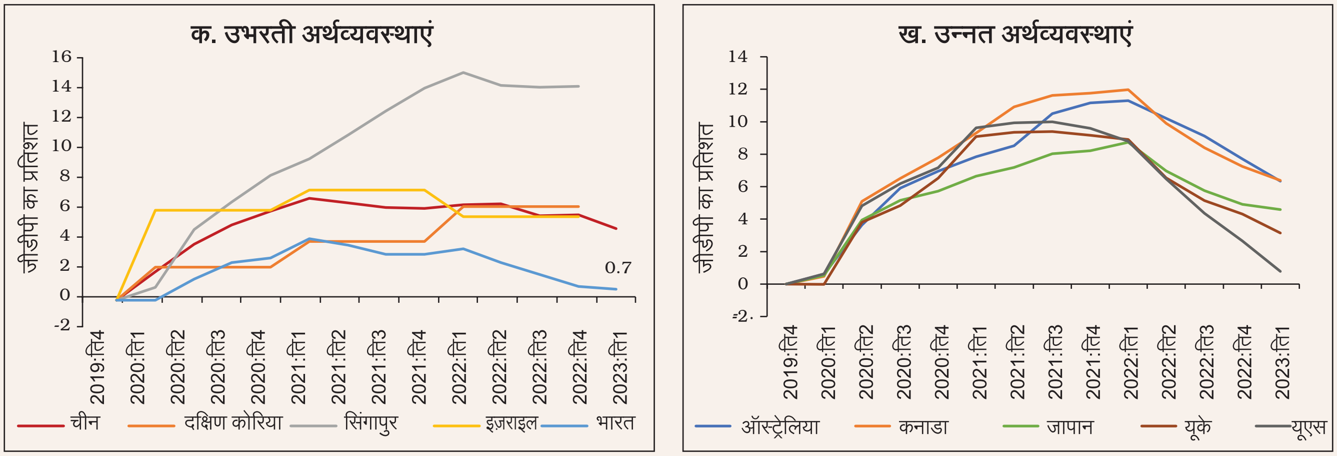

टिप्पणी: भारत संबंधी डेटा में अतिरिक्त पारिवारिक वित्तीय बचत की मात्रा शामिल है।
स्रोत: सोएर्स ईटी. एएल.,(2023)[5]और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

दिया। वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप, भारत ने 2020-21 के दौरान घरेलू वित्तीय बचत (निवल) में जीएनडीआई के 11.6 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज किया था, क्योंकि गतिशीलता पर महामारी से उपजे प्रतिबंध और संपर्क-गहन सेवाओं पर खर्च में कटौती

चार्ट II.2.5 : क्षेत्रीय संसाधन अंतर

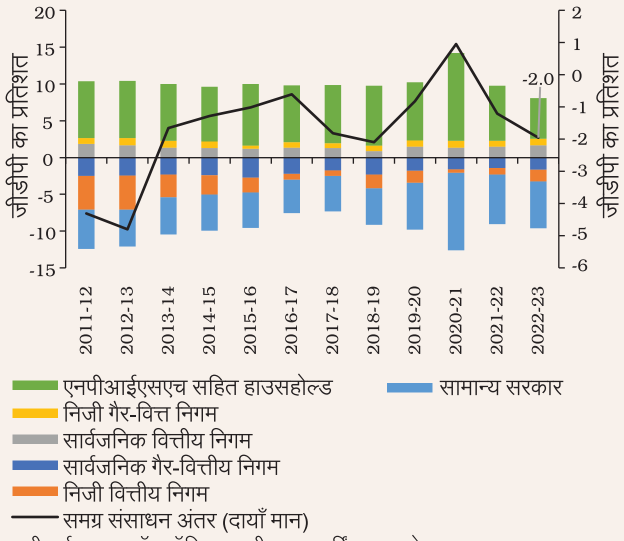

एनपीआईएसएच : नॉन-प्रॉफिट इन्स्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

हुई थी। परिणामस्वरूप, मार्च 2021 के अंत तक महामारी के कम होने और दबी हुई मांग के बने रहने के कारण अतिरिक्त वित्तीय बचत[6] की संचित मात्रा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत हो गया;, अतिरिक्त वित्तीय बचत का स्टॉक मार्च 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 0.7 प्रतिशत तक कम हो गया (चार्ट II.2.4)।

II.2.7 गैर-वित्तीय निगमों के प्रभाव के कारण, 2022-23 के दौरान बचत-निवेश अंतर बढ़ गया, जो बचत दर में कमी के साथ-साथ निवेश मांग में वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट II.2.5)। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के कारण, सामान्य सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिव्यय उच्च स्तर से कम हो गया।

3. समग्र आपूर्ति

II.2.8 एनएसओ के एसएई के अनुसार, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से हासिल गति के चलते मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) द्वारा मापी जाने वाली समग्र आपूर्ति, 2022-23 में

5 डी सोयर्स, फ्रेंकोइस, डायलन मूर, और जूलियो एल. ऑर्टिज (2023), 'महामारी के दौरान संचित बचत: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ अंतरराष्ट्रीय तुलना', एफईडीएस नोट्स, वाशिंगटन डीसी।

6 अतिरिक्त बचत के प्रवाह (बचत दर में बचत दर रुझान को घटाते हुए) की गणना हैमिल्टन रुझान का उपयोग करके अनुमानित बचत दर से विचलन के रूप में की जाती है। स्टॉक 0 से t=-1 पर संचित होना शुरू होता है, जहां t=0 COVID-19 के कारण कम वृद्धि की पहली अवधि है।

सारणी II.2.3: वास्तविक जीवीए संवृद्धि

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
I. कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	**6.2**	**4.0**	**4.6**	**4.7**	**0.7**
II. उद्योग	**-2.5**	**1.1**	**9.6**	**-0.6**	**8.3**
II.1 खनन और उत्खनन	-3.0	-8.2	6.3	1.9	8.1
II.2 विनिर्माण	-3.0	3.1	10.0	-2.2	8.5
II.3 बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएँ	2.3	-4.2	10.3	9.4	7.5
III. सेवाएँ	**5.8**	**-7.9**	**10.6**	**9.9**	**7.9**
III.1 निर्माण	1.6	-4.6	19.9	9.4	10.7
III.2 व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	6.0	-19.9	15.2	12.0	6.5
III.3 वित्तीय, रियल इस्टेट और पेशेवर सेवाएँ	6.8	1.9	5.7	9.1	8.2
III.4 लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	6.6	-7.6	7.5	8.9	7.7
IV. आधार कीमतों पर जीवीए	**3.9**	**-4.1**	**9.4**	**6.7**	**6.9**

स्रोत: एनएसओ।

6.7 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में 6.9 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि कृषि क्षेत्र 2023-24 में गति कम की गई (सारणी II.2.3)। 2023-24 की दूसरी और तीसरी तिमाही में गति में तेजी देखी गई (चार्ट II.2.6)।

चार्ट II.2.6: वास्तविक जीवीए संवृद्धि -तिमाही

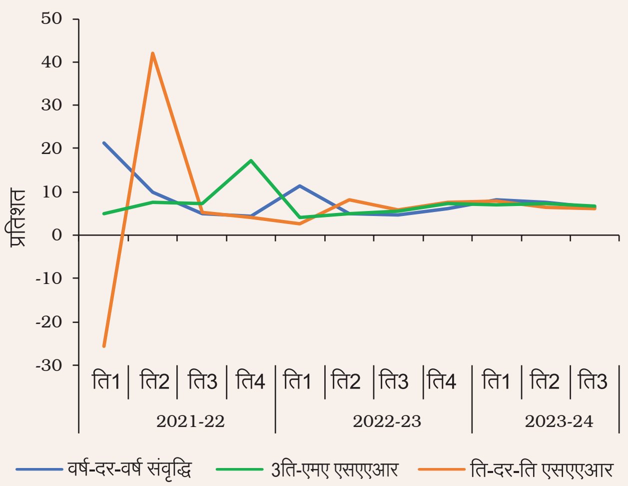

एसएएआर: मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर।
टिप्पणी: बाहरी सीमा के लिए उचित नियंत्रण के साथ पूर्ण नमूना अवधि (ति 3:2023-24 तक) का उपयोग करके मौसमी कारकों का अनुमान लगाया गया है।
स्रोत: एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ

II.2.9 कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र को अल नीनो[7] की मजबूत स्थिति के साथ-साथ असमान और दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) से होने वाले कम वर्षा से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 2023 (जून-सितंबर) में समग्र एसडब्ल्यूएम वर्षा अखिल भारतीय स्तर पर दीर्घावधि औसत (एलपीए)[8] से 6 प्रतिशत कम थी (चार्ट II.2.7 ए)। एसडब्ल्यूएम की देर से शुरुआत के साथ-साथ अस्थायी और स्थानिक असमान वर्षा के कारण, ख़रीफ़ की बुआई शुरू होने में देरी हुई और समग्र ख़रीफ़ बुआई में कमी आई। उत्तर-पूर्वी मानसून (एनईएम) [अक्टूबर-दिसंबर] भी कम वर्षा (9 प्रतिशत) के साथ समाप्त हुआ। सामान्य से कम एसडब्ल्यूएम और एनईएम वर्षा ने जलाशयों के भंडारण स्तर को कम कर दिया (चार्ट II.2.7बी)।

II.2.10 एसएई के अनुसार, 2023-24 में खरीफ और रबी खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्ष के अंतिम अनुमान से 1.3 प्रतिशत कम था (सारणी II.2.4)। उत्पादकता लाभ से बाजरा

[7] ऐतिहासिक रूप से, 23 अल नीनो वर्षों में से 14 वर्षों में एसडब्ल्यूएम मानसून वर्षा कम रही है। 1997 आखिरी अल नीनो वर्ष था जिसके दौरान एसडब्ल्यूएम सीज़न में सामान्य वर्षा हुई थी।

[8] भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सामान्य वर्षा सीमा दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 96-104 प्रतिशत है।

चार्ट II.2.7: वर्षा एवं जलाशय स्तर

ए. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (स्थानिक)

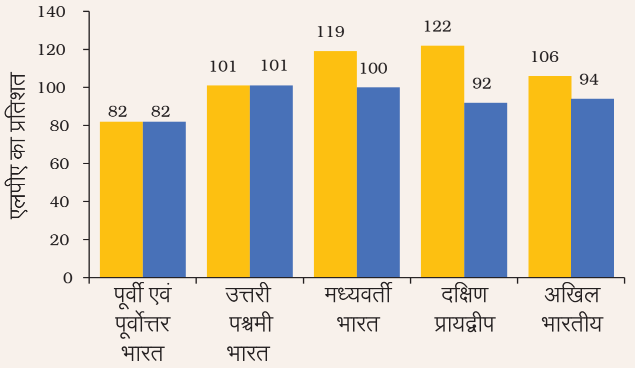

बी. जलाशय स्तर (28 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)

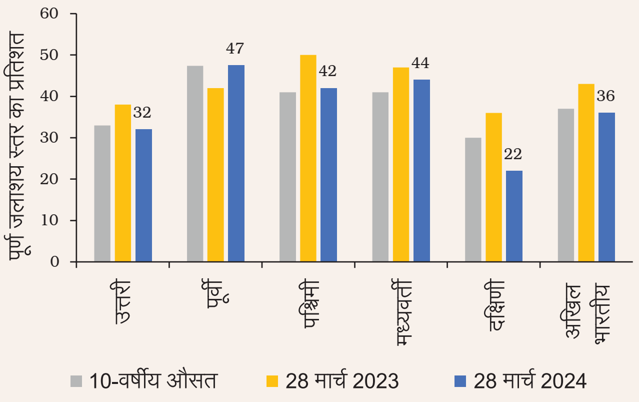

स्रोत : आईएमडी और केंद्रीय जल आयोग (सीडबल्यूसी), भारत सरकार।

के उत्पादन को लाभ होने की संभावना है (बॉक्स II.2.1)। पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) के अनुसार, 2023-24 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन 2022-23 के अंतिम अनुमान से 0.1 प्रतिशत कम था, जिसका मुख्य कारण सब्जियों का कम उत्पादन था।

II.2.11 2023-24 में *खरीफ* और *रबी* दोनों मौसमों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ने सभी फसलों की उत्पादन[9] लागत पर 50 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित किया। 31 मार्च 2024 को खाद्यान्न का कुल सार्वजनिक स्टॉक कुल त्रैमासिक बफर मानदंड का 2.9 गुना था (चार्ट II.2.8)।

सारणी II.2.4: कृषि उत्पादन 2023-24

(लाख टन)

फसल	2022-23 अंतिम अनुमान**	2023-24 द्वितीय एई (एसएई)	2023-24 2022-23 के अंतिम अनुमान के दौरान (एसएई) घट-बढ़ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1. खाद्यान्न	3,135.5	3,093.5	-1.3
चावल	1,255.2	1,238.2	-1.4
गेहूं	1,105.5	1,120.2	1.3
पोषक मोटा अनाज	535.0	500.7	-6.4
दालें	239.8	234.4	-2.2
तूर	33.1	33.4	0.8
चना	122.7	121.6	-0.9
उड़द	24.0	20.6	-14.4
मूँग	18.3	15.1	-17.6
2. तिलहन	403.0	366.0	-9.2
3. गन्ना	4,905.3	4,464.3	-9.0
4. कपास #	336.6	323.1	-4.0
5. जूट और मेस्ता ##	93.9	96.3	2.6

* खरीफ और रबी फसलें ** गर्मियों की फसलें छोड़कर #: हरेक 170 किलोग्राम की लाख गाँठें ##: हरेक 180 किलोग्राम की लाख गाँठें

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

[9] वास्तविक भुगतान लागत और परिवार श्रम का आरोपित मूल्य का जोड़ (ए2+एफएल)।

बॉक्स II.2.1

भारत में मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देना: आपूर्ति पक्ष के संवाहकों की पहचान करना

एशिया के लगभग 80 प्रतिशत और वैश्विक मोटे अनाज उत्पादन का 20 प्रतिशत भाग भारत द्वारा उत्पादित[10] होता है। हालाँकि, बाजरा का रकबा और उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है (चार्ट 1ए और 1बी), जो आंशिक रूप से एमएसपी-समर्थित खरीद के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहन और गुणवत्तापूर्ण अनाज के प्रति उपभोक्ता प्राथमिकताओं में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है (राव, 2021)। मोटे अनाज आम तौर पर बिना/न्यूनतम सिंचाई के वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाया जाता है (चार्ट 1सी)। भारत में मोटे अनाज की उत्पादकता दुनिया भर के प्रमुख उत्पादकों की तुलना में कम बनी हुई है (चार्ट 1डी)।

2021-22 के लिए प्लॉट स्तर की खेती की व्यापक लागत सर्वेक्षण (सीसीसीएस) डेटा सीमांत[11] किसानों से एक महत्वपूर्ण उपज अंतर को दर्शाता है, जिससे सुधार की काफी गुंजाइश बनती है। इस पृष्ठभूमि में, 2021-22 के लिए सीसीसीएस डेटासेट का उपयोग करते हुए एक सामान्यीकृत रैखिक मॉडल के परिणाम वर्षा की स्थिति पर बाजरा के लिए उपज अंतर[12] की एक महत्वपूर्ण निर्भरता दिखाते हैं (सारणी 1)।

चार्ट 1 :भारत में मोटे अनाज की तुलना में प्रमुख अनाजों का उत्पादन

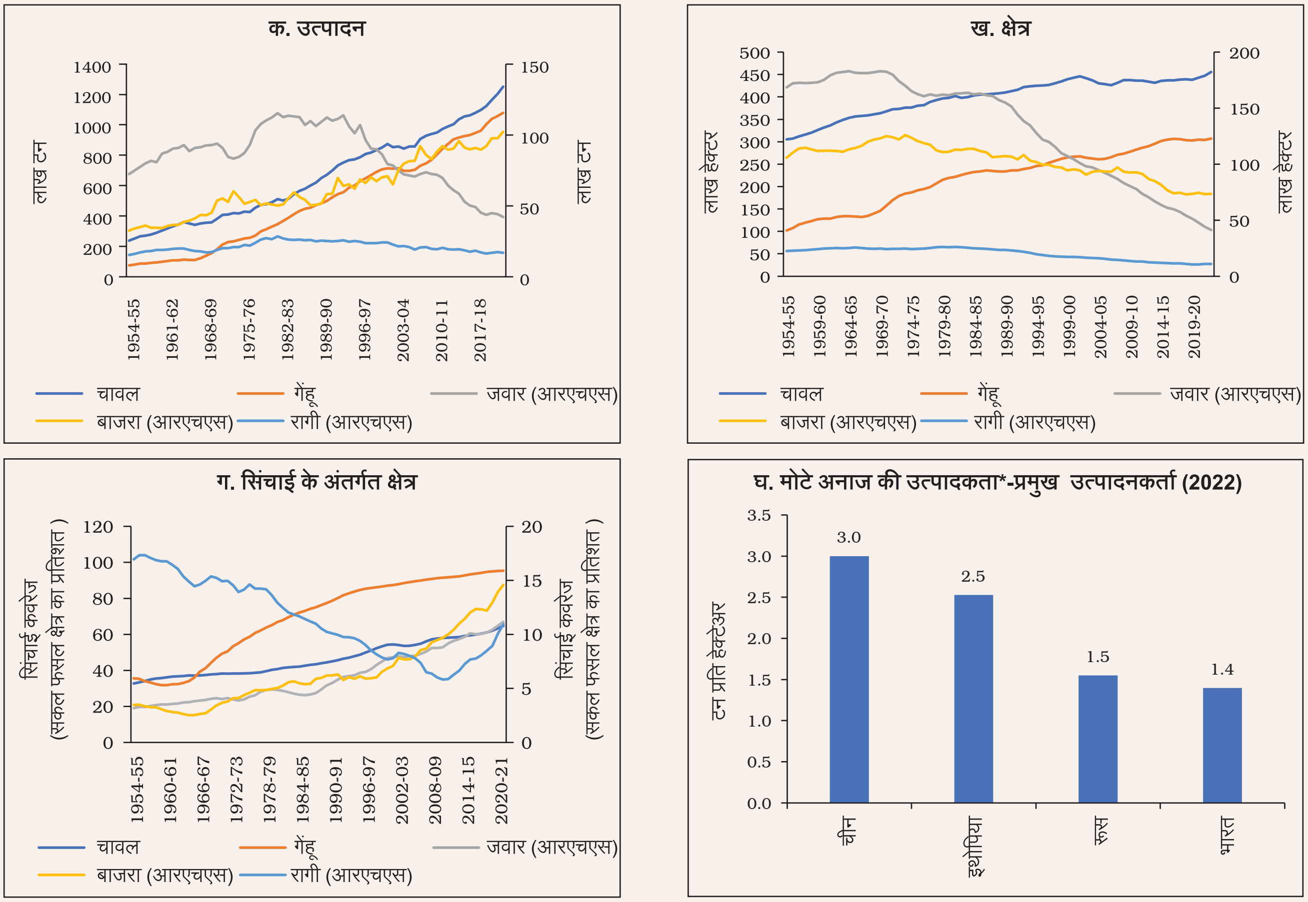

*:जवार को छोड़कर।
नोट: डेटा 5 वर्ष के चल औसत पर आधारित है।
स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, और एफ़एओएसटीएटी, यूएनओ।

(जारी)

10 'भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में रिकॉर्ड 315.7 मिलियन टन तक पहुंच गया', पीआईबी, 31 जनवरी 2023।

11 अधिकतम प्राप्य (संभावित) उपज सबसे अधिक उत्पादक कृषि भूखंडों की औसत उपज है। (प्रत्येक राज्य के लिए सर्वेक्षण किए गए नमूने का शीर्ष 10 प्रतिशत)। उपज अंतर को संभावित और वास्तविक उपज के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है।

12 परिणाम चर (उपज अंतर) प्रतिशत के संदर्भ में है; इसलिए, मान शून्य (कोई उपज अंतर नहीं) से लेकर अधिकतम एक या 100 प्रतिशत तक होता है। परिणाम चर की इस प्रकृति के कारण, पैपके और वूल्ड्रिज (1996) के बाद विश्लेषण के लिए एक भिन्नात्मक लॉजिस्टिक प्रतिगमन मॉडल का चयन किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि अधिक इनपुट उपयोग निम्न स्तर के उपज अंतर से जुड़ा है।

सारणी 1 : मोटे अनाज उत्पादन में उपज अंतर के निर्धारक

आश्रित चर: उपज अंतर

	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3	मॉडल 4
वर्षा				
वास्तविक वर्षा (मिलीमीटर)	-1.27***	-0.98***	-	-
	(0.26)	(0.23)		
एलपीए से विचलन (1 = सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा@)	-	-	-0.04**	-0.04**
			(0.02)	(0.02)
इनपुट चर				
श्रम (घंटे/हेक्टेयर)	-0.60*	-0.84***	-0.88***	-0.85***
	(0.33)	(0.27)	(0.29)	(0.28)
सिंचाई (घंटे/हेक्टेयर)	-0.01	0.01	0.02	-
	(0.02)	(0.01)	(0.01)	
सिंचाई का स्वामित्व (1=स्वामित्व)	-	-	-	-0.01*
				(0.01)
बीज (किलो/हेक्टेयर)	0.16	0.15	0.12	0.10
	(0.15)	(0.10)	(0.11)	(0.11)
उर्वरक (किलो/हेक्टेयर)	-0.17***	-0.16***	-0.17***	-0.16***
	(0.04)	(0.04)	(0.05)	(0.04)
प्रौद्योगिकी चर				
संकर बीजों का उपयोग (1=अपनाया गया)	-0.06**	-0.05**	-0.03	-0.04*
	(0.03)	(0.02)	(0.02)	(0.02)
मशीन (घंटे/हेक्टेयर)	-0.19**	-0.11*	-0.12**	-0.13**
	(0.09)	(0.07)	(0.06)	(0.06)
मांग चर				
विलंबित कीमत# (₹/क्विंटल)	-1.73	-	-	-
	(1.55)	-	-	-
अपेक्षित निवल प्रतिलाभ# (1= सकारात्मक प्रतिलाभ)	-	-0.14***	-0.15***	-0.14***
	-	(0.02)	(0.02)	(0.02)
राज्य डमी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
पर्यवेक्षणों की संख्या	448	448	427	427
छद्मसंभावना लॉग	-288.67	-282.00	-272.17	-272.13

-: लागू नही।
***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व स्तर दर्शाते हैं।
@: एलपीए से +/-19 प्रतिशत का वर्षा विचलन जिला स्तर पर सामान्य माना जाता है।
#: पिछले वर्ष की कीमतों के आधार पर।
टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मजबूत मानक त्रुटियां हैं (डेल्टा विधि का उपयोग करके गणना की जाती है और ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर की जाती है)।
2. जिला स्तर पर ली गई कीमतों और वर्षा को छोड़कर, सभी चर के डेटा का उपयोग प्लॉट स्तर पर किया गया है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

हालाँकि मोटे अनाज को सूखा प्रतिरोधी फसल माना जाता है, लेकिन न्यूनतम किंतु सुनिश्चित[13] सिंचाई उपज के अंतर को पाटने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। श्रम, उर्वरक और मशीन का उपयोग भी उपज अंतर से नकारात्मक किन्तु महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। संकर बीज अपनाने से पैदावार बेहतर होती है। उच्च अपेक्षित निवल प्रतिलाभ (पिछली कीमतों और प्रचलित लागत का उपयोग करके अनुमानित) भी किसानों को उच्च उपज वाले इनपुट में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार उपज अंतर को कम करेगा।

सन्दर्भ:

1. पपके, एल.ई., और वूल्ड्रिज, जे.एम. (1996), 'इक्नोमेट्रिक मेथड्स फॉर फ्रैक्शनल रिस्पॉन्स वेरिएबल्स विद एन एप्लीकेशन टू 401 (के) प्लान पार्टिसिपेशन रेट्स', *जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स*, 11(6), 619-632।
2. राव, बी.डी., भंडारी, आर. और टोनापी, वी.ए. के. (2021), 'बाजरा पर श्वेत पत्र - पोषण सुरक्षा के लिए बाजरा को मुख्यधारा में लाने पर एक नीति नोट', आईसीएआर-भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद, भारत।

[13] सारणी 1 में सिंचाई के स्वामित्व को डमी द्वारा समझाया गया।

चार्ट II.2.8 : स्टॉक और बफर नॉर्म की मासिक स्थिति

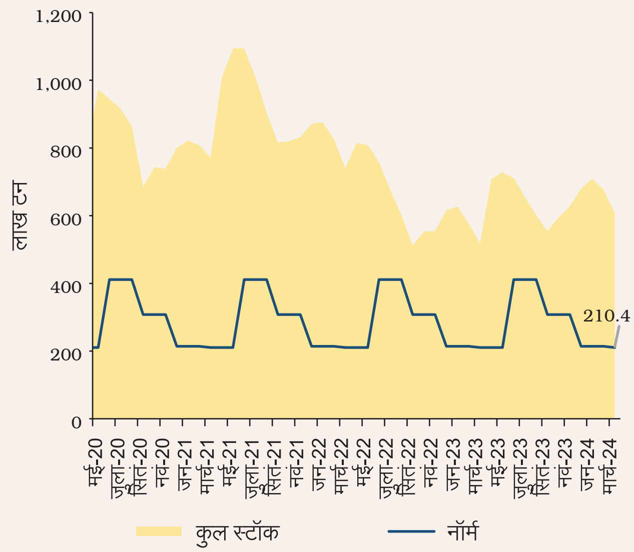

स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट II.2.9 : संगठित विनिर्माण फर्म

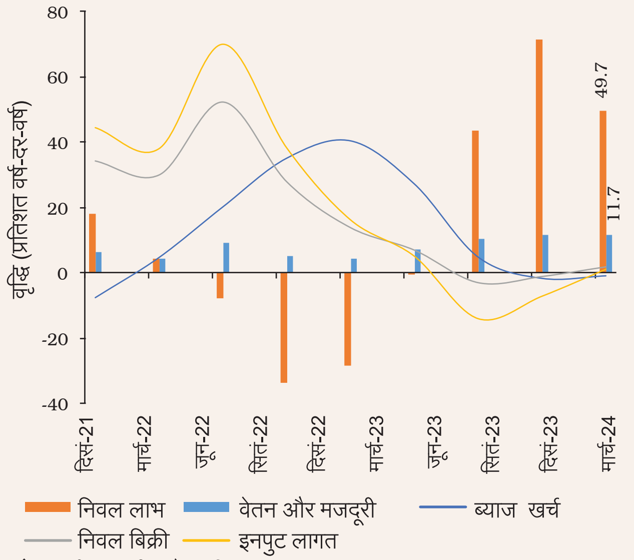

स्रोत: सीएमआई उद्योग परिदृश्य।

29 नवंबर 2023 को, सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न के मुफ्त वितरण को 1 जनवरी 2024 से पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

औद्योगिक क्षेत्र

II.2.12 भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने 2023-24 में मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिसमें इनपुट लागत के दबाव में कमी और साथ ही बेहतर कॉरपोरेट मुनाफे से मदद मिली (चार्ट II.2.9)।

II.2.13 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में 2023-24 के दौरान 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में यह 5.2 प्रतिशत थी (चार्ट II.2.10ए)। विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, 23 उद्योग समूहों में से 13 ने परिवहन उपकरण, मोटर वाहन और बुनियादी धातुओं के नेतृत्व में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज किया। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, सभी श्रेणियों में वर्ष-दर-वर्ष विस्तार दर्ज किया गया (चार्ट II.2.10बी)। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार , सभी श्रेणियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज किया गया (चार्ट II.2.10बी)।

चार्ट II.2.10: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक - उपयोग-आधारित वर्गीकरण

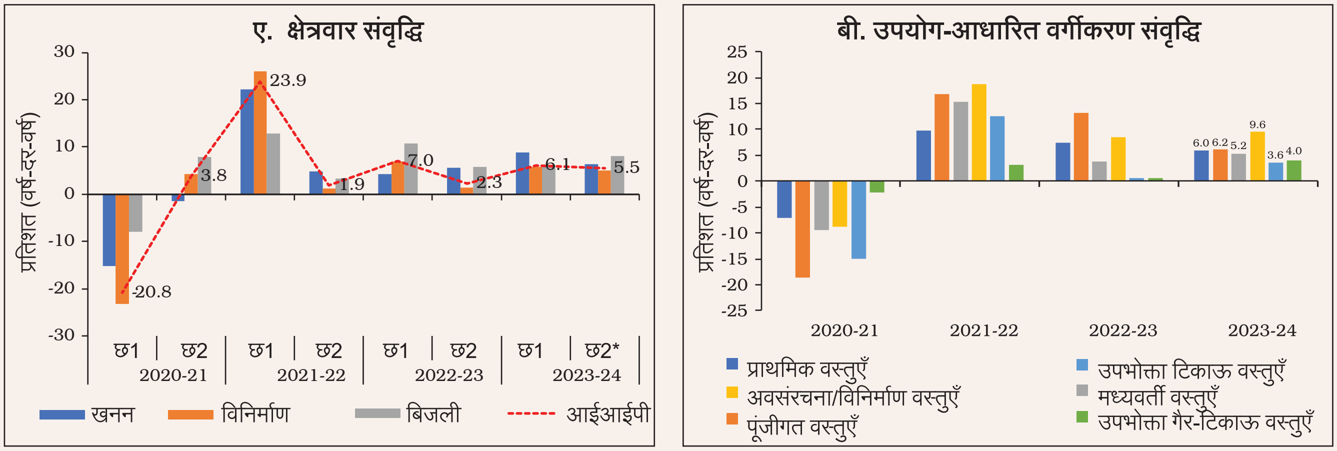

स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

II.2.14 विनिर्माण क्षेत्र को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से लाभ हुआ। दिसंबर 2023 तक ₹1.07 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹8.7 लाख करोड़ का उत्पादन/बिक्री हुई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 7.0 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ और निर्यात ₹3.4 लाख करोड़ से अधिक हो गया। योजना की शुरुआत से अब तक लगभग ₹4,415 करोड़ का प्रोत्साहन संवितरित किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स पीएलआई योजना के प्रमुख लाभार्थी रहे हैं।

II.2.15 कोयला उत्पादन में वृद्धि के कारण खनन क्षेत्र सूचकांक में 2023-24 में 7.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। नवीकरणीय ऊर्जा, जो कुल बिजली उत्पादन का लगभग 13 प्रतिशत है, ने 2023-24 के दौरान बेहतर वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.2.1)। 31 मार्च, 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 190.6 गीगावाट (जीडब्ल्यू) थी।

सेवा क्षेत्र

II.2.16 2023-24 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि को निर्माण गतिविधि और वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं द्वारा बढ़ावा मिला। हवाई यातायात, रेलवे माल ढुलाई, ऑटोमोबाइल बिक्री, स्टील की खपत, जीएसटी ई-वे बिल और विदेशी पर्यटकों के आगमन जैसे सेवा क्षेत्र के अनुमानित संकेतकों में उछाल दर्ज किया गया (सारणी II.2.5)।

II.2.17 भारत का निर्माण क्षेत्र, जो वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, ने 2023-24 में मजबूत वृद्धि दर्ज की। 2023-24 में स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन में क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महामारी के बाद से घरेलू स्वामित्व के लिए संचित मांग और मजबूत उपभोक्ता परिदृश्य ने 2023-24 में गति बनाए रखी (चार्ट II.2.12)। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र 2023-24 में सुस्त रहा। निरंतर अवकाश और कॉरपोरेट यात्रा मांग के साथ, आतिथ्य क्षेत्र ने और अधिक लाभ कमाया। वित्तीय क्षेत्र में, कुल जमा और वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक ऋण में दोहरे अंक में वृद्धि दर्ज हुई। सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) ने निरंतर वृद्धि दर्ज की।

चार्ट II.2.11: नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

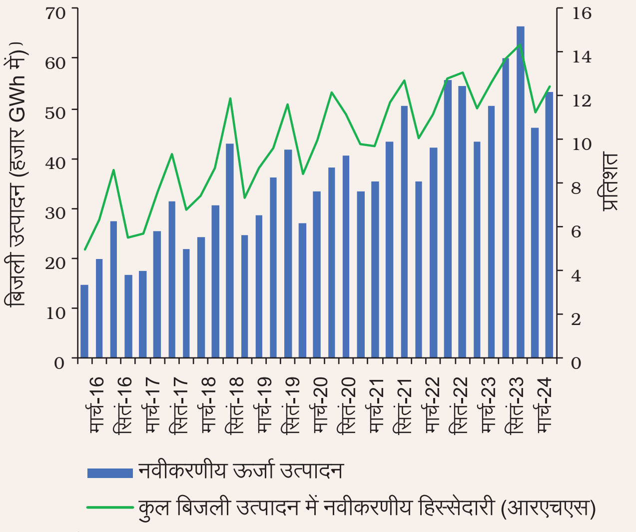

GWh: गिगावाट आवर्स।
स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।

चार्ट II.2.12: आवासीय इकाई की बिक्री

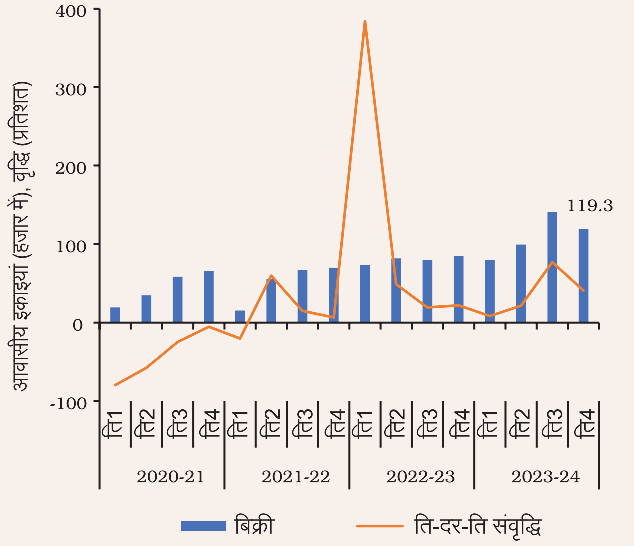

स्रोत: प्रोप टाइगर।

सारणी II.2.5: उच्च आवृत्ति संकेतक: संवृद्धि दर

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

	2022-23				2023-24			
संकेतक	**ति1**	**ति2**	**ति3**	**ति4**	**ति1**	**ति2**	**ति3**	**ति4**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शहरी मांग								
ऑटोमोबाइल बिक्री	51.8	16.9	10.0	8.7	12.2	0.9	20.6	21.7
यात्री वाहन बिक्री	33.9	34.4	21.4	10.7	9.5	5.7	8.7	10.8
कृषि / ग्रामीण मांग								
ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री	15.8	4.8	10.5	18.7	-1.9	-5.8	-4.9	-22.9
दुपहिया वाहनों की बिक्री	55.0	13.6	7.2	6.7	11.2	-1.6	22.6	24.9
तिपहिया वाहनों की बिक्री	211.3	71.2	68.2	84.4	89.6	62.2	35.2	7.3
यातायात								
कुल वाहन पंजीकरण	61.3	1.4	19.0	15.1	6.0	13.9	10.7	10.8
घरेलू हवाई यात्री यातायात	206.2	64.1	18.5	52.2	19.1	23.0	9.1	5.2
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	403.3	263.9	98.1	93.6	35.0	21.6	18.5	17.0
घरेलू हवाई कार्गो	32.1	10.0	-3	0.5	-1.0	-1.0	9.5	10.0
अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो	-1.7	-3.8	-11	-2.8	0.1	3.7	10.7	23.9
माल यातायात निवल टन किलोमीटर @	19.4	14.5	-66.7	4.7	-3.5	0.9	4.6	-
माल यातायात माल प्रारंभ स्थान*	11.8	8.4	3.2	-33.5	1.1	4.8	6.4	8.2
पोर्ट कार्गो	9.3	12.8	5.2	8.6	0.8	2.9	10.0	2.7
घरेलू व्यापार								
जीएसटी ई-वे बिल	45.6	20.1	17.2	18.1	15.8	15.0	17.1	16.3
जीएसटी ई-वे बिल इंट्रा-स्टेट	46.6	23.8	23.6	22.3	19.3	18.4	22.1	18.2
जीएसटी ई-वे बिल अंतर-राज्यीय	43.8	14.6	7.4	11.4	10.0	9.3	8.6	13.1
जीएसटी राजस्व	34.5	27.5	14.2	12.6	11.6	10.6	12.9	11.3
निर्माण								
स्टील की खपत	10.0	14.3	16.1	12.9	11.1	16.8	11.6	8.6
सीमेंट उत्पादन*	17.3	4.9	10.1	3.8	12.7	10.3	5.1	8.5
पर्यटन और आतिथ्य								
होटल अधिभोग दर	64.7	62.2	65.0	66.3	63.0	60.9	65.2	67.8
विदेशी पर्यटकों का आगमन*	895.4	521.5	218.2	121.0	38.2	17.5	14.0	13.1

← संकुचन   विस्तार →

* : @: ति3:2023-24 का डेटा अक्टूबर 2023 से संबंधित है।   *: ति4:2023-24 का डेटा जनवरी-फरवरी 2024 के लिए है।   -: उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम); ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ; वाहन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; रेल मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय बंदरगाह संघ; वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); संयुक्त संयंत्र समिति ; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; एचवीएस एनारॉक, और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

II.2.18 सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक (एसएससीआई)[14], जिसमें निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी गतिविधि आदि शामिल है और पीएडीओ को छोड़कर सेवा क्षेत्र में जीवीए वृद्धि का एक संयोग संकेतक है, 2023-24 में ऊंचे स्तर पर रहा (चार्ट II.2.13).

4. रोजगार

II.2.19 2022-23 और 2023-24 के दौरान श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार हुआ। वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में वृद्धि के साथ-साथ 2022-23 में बेरोजगारी

[14] एसएससीआई का निर्माण उच्च आवृत्ति संकेतकों, अर्थात् स्टील की खपत, सीमेंट उत्पादन, प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री/उत्पादन, रेलवे माल यातायात, हवाई यात्री/माल यातायात, पर्यटक आगमन, गैर-तेल आयात, बैंक ऋण और जमा आदि से एकत्र की गई जानकारी को उपयुक्त रूप से संकलित और संयोजित करके किया गया है।

चार्ट II.2.13: सेवा क्षेत्र में संवृद्धि (पीएडीओ को छोड़कर) और सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक

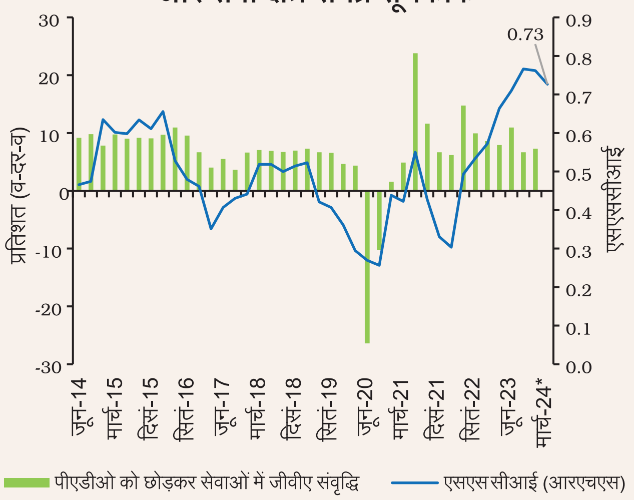

*: मार्च 2024 तिमाही के लिए एसएससीआई उपलब्ध आंशिक आंकड़ों पर आधारित है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

दर (यूआर) घटकर 3.2 प्रतिशत (पिछले वर्ष 4.1 प्रतिशत से) हो गई। महामारी के बाद बेहतर सामान्यीकरण के साथ, 55.2 प्रतिशत[15] से 57.9 प्रतिशत हो गया। 2022-23 के लिए एलएफपीआर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यपीआर) 2017-18 में पीएलएफएस शृंखला की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक थे (चार्ट II.2.14ए)। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ (चार्ट II.2.14बी)।

II.2.20 शहरी क्षेत्रों को कवर करने वाले त्रैमासिक पीएलएफएस, के अनुसार, एलएफपीआर के साथ-साथ ति4: 2023-24 के दौरान श्रमिक-जनसंख्या अनुपात 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक था, जिसने बेरोजगारी दर को उसके न्यूनतम स्तर 6.7 प्रतिशत तक ले जाने में मदद की (चार्ट II.2.15)। पेरोल डेटा द्वारा मापे गए संगठित क्षेत्र के रोजगार में भी 2023-24 में वृद्धि का संकेत मिला (चार्ट II.2.16)।

II.2.21 उत्पादकता वृद्धि मध्यम अवधि की संवृद्धि का एक प्रमुख चालक है। 1990 के दशक से भारत में उत्पादकता वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में निम्न-उत्पादक से उच्च-उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों का पुनर्वितरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)[16] का तीव्र विस्तार शामिल है [बॉक्स II.2.2]

चार्ट II.2.14: श्रम बाजार संकेतक - वार्षिक पीएलएफएस

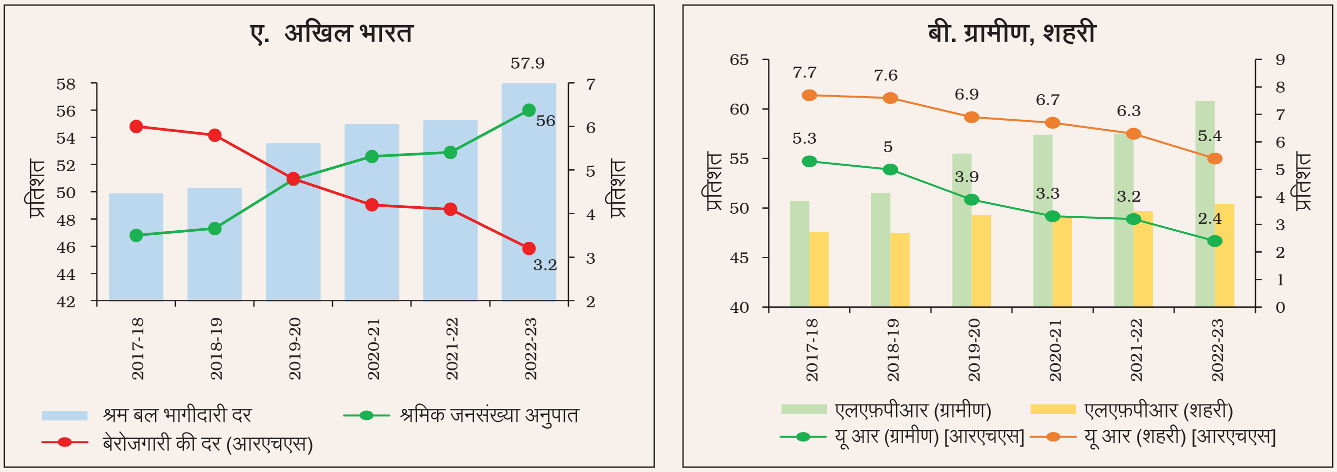

स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

[15] वार्षिक संकेतक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) पर आधारित होते हैं जबकि त्रैमासिक पीएलएफएस संकेतक वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) पर आधारित होते हैं। सभी संकेतक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए हैं।

[16] आईसीटी क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा उद्योग शामिल है, जिनके उत्पाद ट्रांसमिशन और डिस्प्ले (ओईसीडी, 2020) सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना प्रसंस्करण और संचार के कार्य को पूरा करते हैं।

चार्ट II.2.15: त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक - शहरी क्षेत्र

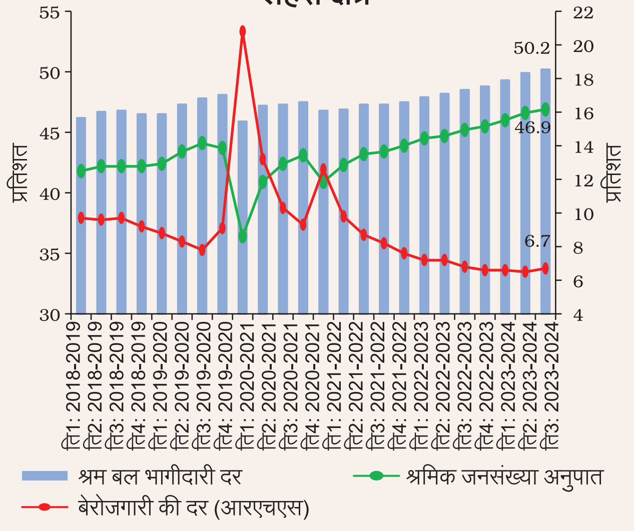

स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

चार्ट II.2.16: कर्मचारी भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन योजना - ग्राहक वृद्धि

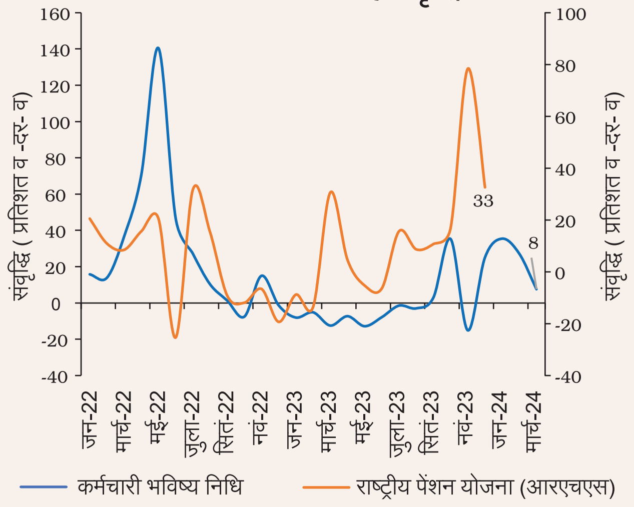

स्रोत: एमओएसपीआई और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

बॉक्स II.2.2
भारत में उत्पादकता और डिजिटलीकरण

उत्पादकता पर डिजिटलीकरण[17] के प्रभाव का आकलन दो अलग-अलग चैनलों के माध्यम से किया जाता है, अर्थात्, अर्थव्यवस्था में आउटपुट और श्रम उत्पादकता वृद्धि में इनपुट के रूप में आईसीटी की भूमिका के माध्यम से; और आईसीटी और गैर-आईसीटी क्षेत्रों (दास और एरुंबन, 2016) के बीच अंतर की जांच करके उत्पादकता संभावनाओं का अनुमान लगाना।

उत्पादन कार्य में इनपुट के रूप में आईसीटी की भूमिका

भारत के लिए, 1980 से 2020 तक 27 केएलईएमएस उद्योगों के लिए उत्पादकता और उत्पादन वृद्धि का अनुमान इस प्रकार बनाया गया था:

$\Delta lnY \equiv \bar{\upsilon}_{ictK}\,\Delta lnICTk+\bar{\upsilon}_{ictnonK}\,\Delta lnICTnonk+\bar{\upsilon}_{L}\,\Delta lnL+\Delta TFP$ .... (1)[18]

अगले चरण में, श्रम उत्पादकता वृद्धि का विघटन इस प्रकार प्राप्त होता है:

$\Delta lnLp \equiv \bar{\upsilon}_{ictK}\,\Delta lnICTk+\bar{\upsilon}_{ictnonK}\,\Delta lnICTnonk+\bar{\upsilon}_{L}\,\Delta lnLQ+\Delta TFP$ .... (2)[19]

विघटन परिणाम[20] दर्शाते हैं कि उत्पादन वृद्धि में आईसीटी पूंजी सेवाओं का योगदान 1981-90 के दौरान 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 1992-2023 के दौरान 13.2 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में श्रम उत्पादकता वृद्धि में आईसीटी पूंजी का योगदान 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 15.3 प्रतिशत हो गया।

टीएफपी वृद्धि पर आईसीटी क्षेत्रों का प्रभाव

निम्नलिखित समीकरण का उपयोग करके आईसीटी और गैर-आईसीटी क्षेत्रों के बीच उत्पादकता अंतर की जांच करने के लिए 27 केएलईएमएस उद्योगों को आईसीटी और गैर-आईसीटी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

(जारी)

[17] ओईसीडी (2020) के अनुसार, आर्थिक विकास में आईसीटी क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाकर डिजिटलीकरण की सीमा को मापा जा सकता है।

[18] जहां कुल मूल्य वर्धित (Y) उद्योग मूल्य वर्धित वृद्धि के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। ΔlnK और ΔlnL कारक इनपुट - पूंजी और श्रम में वृद्धि को दर्शाते हैं। पूंजीगत इनपुट को आईसीटी पूंजी और गैर-आईसीटी पूंजी में विभाजित किया गया है। इन्हें क्रमशः ICTK और ICTnonK के रूप में दर्शाया गया है। $\bar{\upsilon}_{ictK}$ और $\bar{\upsilon}_{ictnonK}$ कुल जोड़े गए मूल्य में आईसीटी और गैर-आईसीटी पूंजी के दो-अवधि के औसत मुआवजे के हिस्से को दर्शाते हैं। $\bar{\upsilon}_{L}$ कुल जोड़े गए मूल्य में श्रम मुआवजे का दो-अवधि का औसत हिस्सा है। ΔTFP समग्र TFP वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

[19] जहां $\Delta lnLp$ श्रम उत्पादकता वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, $\bar{\upsilon}_{ictK}$ और $\bar{\upsilon}_{ictnonK}$ क्रमशः आईसीटी और गैर-आईसीटी उद्योगों में पूंजी गहनता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, और $\Delta lnLQ$ श्रम गुणवत्ता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

[20] 1991 और 2020, क्रमशः बीओपी संकट और सीओवीआईडी वर्ष होने के कारण, नकारात्मक श्रम उत्पादकता वृद्धि के कारण विश्लेषण से हटा दिए गए हैं।

सारणी 1 : उत्पादकता और आईसीटी क्षेत्र

अवधि/चर	आश्रित चर (Δपी):				
	1980-2020	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2020
1	2	3	4	5	6
आईसीटी क्षेत्र डमी	0.16***	0.31*	0.52	0.68*	-0.31
	(3.46)	(1.83)	(1.39)	(1.99)	(-0.91)
गैर-आईसीटी क्षेत्र डमी	0.12*	0.27	0.45	0.60*	-0.33
	(2.69)	(1.56)	(1.24)	(1.82)	(-0.99)
आईसीटी और गैर-आईसीटी के बीच अंतर	0.04***	0.04***	0.07*	0.07**	0.01
	(5.46)	(9.15)	(2.69)	(3.24)	(1.33)
पर्यवेक्षणों की संख्या	1053	243	243	243	243

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व स्तर दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 1. मॉडल में श्रम गुणवत्ता, पूंजी स्टॉक, पूंजी संरचना, उद्योग और वर्ष-निर्धारित प्रभावों के नियंत्रण शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े टी-सांख्यिकी हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

$$\Delta P_{it} = \alpha + \beta * ICT\ Dummy + \gamma X_{it} + \epsilon_{it} \quad .... (3)$$[21]

परिणाम बताते हैं कि, औसतन, आईसीटी क्षेत्र की उत्पादकता पूरे नमूना अवधि (1980-2020) और दशकीय उप-अवधि (सारणी 1) के लिए गैर-आईसीटी क्षेत्र की तुलना में बेहतर रही। आईसीटी का उत्पादकता प्रभाव 1980 से 2010 के दौरान बढ़ता रहा, जिसने भारत के लिए सोलो के उत्पादकता विरोधाभास[22] की अवधारणा को खारिज कर दिया।

हालाँकि, हाल की अवधि (2010-2020) में भारत में विरोधाभास का उद्भव आम तौर पर दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते डिजिटलीकरण के बावजूद जीएफसी उत्पादकता मंदी के अनुरूप है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों या उनकी गुणवत्ता तक असमान पहुंच को दर्शाता है; और अग्रणी और पिछड़ी फर्मों के बीच प्रौद्योगिकी लाभों के धीमे प्रसार (डाइप्पे एट अल., 2020) को दर्शाता है।

सन्दर्भ:

1. डाइप्पे, ए., किलिक सेलिक, एस., और किंडबर्ग-हैनलॉन, जी (2020), 'ग्लोबल प्रोडक्टिविटी:ट्रेंड्स, ड्राइवर्स,एंड पॉलिसीस', विश्व बैंक, वाशिंगटन
2. एरुंबन, ए.ए., और दास, डी.के. (2016), इन्फोर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नॉलजी एंड इकोनमिक ग्रोथ इन इंडिया', टेलीकम्यूनिकेशंस पॉलिसी 40(5), 412-431।
3. ओईसीडी (2020), 'ए रोडमैप टुवार्ड अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर मीसरिंग द डिजिटल इकोनॉमी' , रिपोर्ट फॉर द जी 20 डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स।
4. वैन आर्क, बी. (2016), 'द प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स ऑफ द न्यू डिजिटल इकोनॉमी', इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी मॉनिटर, 31, 3-18।

5. निष्कर्ष

II.2.22 कमजोर बाहरी मांग के होते हुए भी मजबूत निवेश गतिविधि के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था ने 2023-24 में मजबूत वृद्धि को दर्शाया। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र आपूर्ति पक्ष में प्रमुख वाहक थे जबकि असमान और न्यून मॉनसून वर्षा के कारण कृषि गतिविधि धीमी रही। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर ध्यान को देखते हुए, संवृद्धि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। मजबूत कॉरपोरेट तुलनपत्र, बढ़ती क्षमता उपयोग, दोहरे अंक की ऋण वृद्धि, स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र और जारी अवस्फीति आदि के विकास के अन्य कारक बनने की संभावना है। लंबे समय तक बने रहने वाले भू-राजनीतिक तनाव, भू-आर्थिक विखंडन और प्रतिकूल जलवायु संबंधी दबाव परिदृश्य के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करते हैं।

[21] जहां ΔP_{it} वार्षिक उत्पादकता वृद्धि दर है, i उद्योग है, और t वर्ष (1980-2020) है। आईसीटी उद्योग डमी है, जो मान 1 लेता है, यदि उद्योग आईसीटी क्षेत्र से संबंधित है और 0 अन्यथा। X_यह श्रम गुणवत्ता, पूंजी गुणवत्ता, कुल पूंजी स्टॉक, उद्योग निश्चित प्रभाव और वर्ष निश्चित प्रभाव सहित नियंत्रण चर का एक वेक्टर है। X_{it} गैर-आईसीटी क्षेत्र से संबंधित उद्योग के लिए अनुमानित औसत उत्पादकता है, और $\alpha + \beta$ आईसीटी क्षेत्र से संबंधित उद्योग के लिए अनुमानित औसत उत्पादकता है। इसलिए, β आईसीटी और गैर-आईसीटी उद्योग की उत्पादकता वृद्धि दर में अंतर दिखाता है।

[22] नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उद्भव कई अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादकता में गिरावट के साथ हुआ है। जिसे अक्सर 'सोलो उत्पादकता विरोधाभास' (वैन आर्क 2016) के रूप में जाना जाता है।

II.3 कीमतों की स्थिति

चार्ट II.3.1: सभी प्रमुख घटकों की मुद्रास्फीति

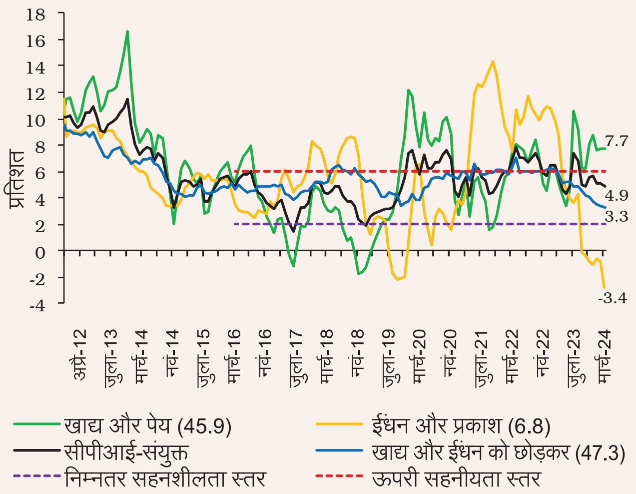

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीपीआई-संयुक्त में भार दर्शाते हैं। अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ द्वारा अभ्यारोपित हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.3.1 भारत में, मौद्रिक नीति को सख्त करने, आपूर्ति प्रबंधन उपायों और इनपुट लागत दबावों को कम करने के फलस्वरूप, 2023-24 अवधि के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति[23] कम होकर सहन स्तर में आ गई (अध्याय III देखें)। लगातार आपूर्ति दबावों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति अस्थिर रही। दूसरी ओर, मुख्य मुद्रास्फीति निरंतर आधार पर कम हुई, जिससे मौजूदा सीपीआई शृंखला[24] में मार्च 2024 में सबसे कम प्रिंट दर्ज किया गया। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में नरमी के कारण ईंधन और बिजली समूह सितंबर 2023 से अपस्फीति में बना हुआ है (चार्ट II.3.1)।

II.3.2 हालांकि 2023-24 में औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति सीमित रही, लेकिन मानक विचलन द्वारा मापी गई अस्थिरता, चरम मौसमी घटनाओं के कारण रुक-रुक कर खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बढ़ गई (सारणी II.3.1)

II.3.3 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 में वैश्विक मुद्रास्फीति और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का मूल्यांकन दिया गया है। उप-खंड 3 भारत में मुद्रास्फीति की गतिशीलता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें उप-खण्ड 4 में इसके प्राथमिक घटकों की विस्तृत जानकारी दी गई है। उप-खंड 5 में कीमतों और लागत के अन्य संकेतकों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

सारणी II.3.1: सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति - प्रमुख सांख्यिकी सारांश

(प्रतिशत)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
माध्य	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2	5.5	6.7	5.4
मानक विचलन	1.3	1.5	0.7	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	0.9	0.7	0.9
स्क्यूनेस	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	-0.2	0.1	0.5	-0.7	-0.1	-0.1	1.5
कर्टोसिस	-0.5	-1.0	-0.1	-1.6	-1.0	-1.5	-1.4	-0.7	-1.0	-0.6	1.6
माध्यिका	9.5	5.5	5.0	4.3	3.4	3.5	4.3	6.5	5.6	6.7	5.1
अधिकतम	11.5	7.9	5.7	6.1	5.2	4.9	7.6	7.6	7.0	7.8	7.4
न्यूनतम	7.3	3.3	3.7	3.2	1.5	2.0	3.0	4.1	4.2	5.7	4.3

टिप्पणी: स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती। वार्षिक मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान मासिक मुद्रास्फीति दरों का औसत है और इसलिए यह वर्ष के लिए औसत सूचकांक से गणना की गयी वार्षिक मुद्रास्फीति से भिन्न हो सकती है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[23] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी अखिल भारतीय सीपीआई-संयुक्त (ग्रामीण + शहरी) [आधार वर्ष: 2012=100] में वर्ष -दर- वर्ष बदलाव से हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापा जाता है।
[24] मुद्रास्फीति आगे अप्रैल 2024 में अनुकूल रही।

2. वैश्विक मुद्रास्फीति परिदृश्य

II.3.4 वैश्विक स्तर पर, मुद्रास्फीति 2022 में अपने बहु-दशक शिखर से 2023 में कम हो गई, लेकिन यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उनके लक्ष्य और पूर्व-महामारी स्तर से ऊपर रही। मजबूत और समकालिक मौद्रिक नीति को सख्त बनाने, आपूर्ति शृंखलाओं को सामान्य बनाने और वैश्विक ऊर्जा और खाद्य कीमतों में नरमी ने मुद्रास्फीति के दबाव पर नियंत्रण लाने में मदद की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.7 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 6.8 प्रतिशत हो गई, हालांकि यह 2010-19[25] के दौरान 3.5 प्रतिशत के औसत से ऊपर रही।

II.3.5 विश्व बैंक ऊर्जा मूल्य सूचकांक (चार्ट II.3.2) के अनुसार, प्रमुख पण्य में, 2023-24 के दौरान ऊर्जा की कीमतों में लगभग 28 प्रतिशत की कमी आई। जबकि ओपेक+ देशों द्वारा उत्पादन में कटौती जारी रखने से कच्चे तेल की कीमतों पर विपरीत दबाव पड़ा, लेकिन वैश्विक मांग में कमी और गैर-ओपेक+ आपूर्ति में वृद्धि से इसकी भरपाई हो गई। कमजोर चीनी और यूरोपीय मांग के कारण 2023-24 में धातु की कीमतों में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आई। अच्छी फसल से आपूर्ति में सुधार के कारण अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई। हालाँकि, आपूर्ति-माँग के अंतर के कारण चावल और चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। चरम जलवायु घटनाओं की बढ़ती घटनाएं और वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती हैं।

3. भारत में मुद्रास्फीति

II.3.6 भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति मई 2023 में पूरे वर्ष के न्यूनतम 4.3 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2023 में 7.4 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई। अक्टूबर में यह घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई, लेकिन दिसंबर और फिर 5.7 प्रतिशत तक बढ़ गई। मार्च 2024 में कम होकर 4.9 प्रतिशत हो गया, जो खाद्य कीमतों में अस्थिरता को दर्शाता है (चार्ट II.3.3)। मुद्रास्फीति के प्रति

चार्ट II.3.2: अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतें

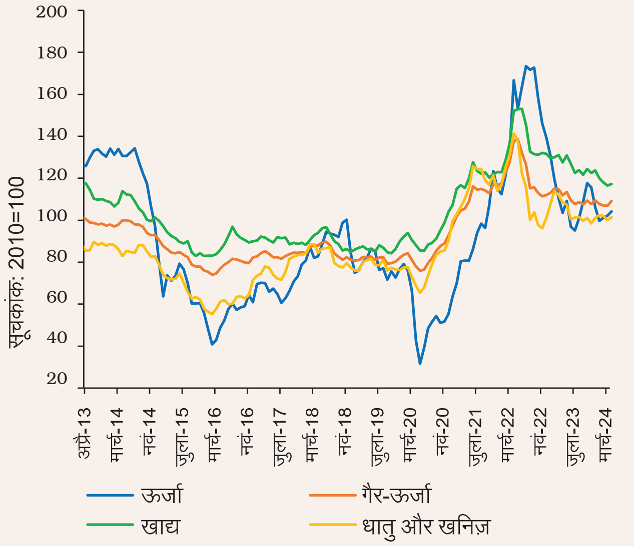

स्रोत: विश्व बैंक पिंक शीट डेटाबेस।

चार्ट II.3.3: हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव

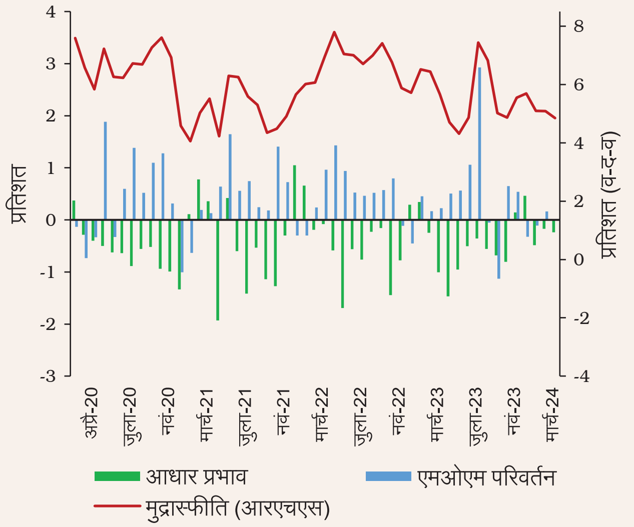

टिप्पणी: अप्रैल और मई 2020 का डेटा एनएसओ द्वारा दिया गया है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

25 विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2024, आईएमएफ।

संवेदनशील कृषि वस्तुओं के संबंध में लक्षित हस्तक्षेप, स्टॉक सीमा और सक्रिय व्यापार नीति पहल सहित आपूर्ति पक्ष के उपायों ने मूल्य दबाव को कम करने में मदद की। मौद्रिक सख्ती, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार और इनपुट लागत दबाव में सुधार से मुख्य मुद्रास्फीति में नरमी आई। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) के बाद की अवधि में मुख्य मुद्रास्फीति पर आघात का प्रभाव काफी कम हो गया है, जो मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के अनुरूप स्थिरता का संकेत देता है (बॉक्स II.3.1)।

बॉक्स II.3.1
भारत में मुद्रास्फीति वृद्धि की गतिशीलता

मौसमी रूप से समायोजित त्रैमासिक हेडलाइन और मुख्य मुद्रास्फीति प्रदर्शनों का अनुमान वृद्धि की अवधि में मुद्रास्फीति की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एक प्रतिगमन-आधारित घटना अध्ययन ढांचे में विलंबित मुद्रास्फीति और विलंबित वृद्धि घटना डमी के एक प्रकार्य के रूप में किया जाता है (ब्लैंको एट एला, 2022)। वृद्धि की घटनाओं को दीर्घकालिक मुद्रास्फीति प्रसार के 90वें प्रतिशत तक की सीमा स्तर से ऊपर या वितरण के दाएं मान में मुद्रास्फीति में परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है (चार्ट 1)।

घटना की अवधि का चयन मुद्रास्फीति वृद्धि को उनके पूर्व-वृद्धि स्तर तक पहुंचने में लगने वाले औसत समय (तिमाहियों की संख्या) पर आधारित होता है। मुद्रास्फीति पथ की गतिशीलता का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है:

$$y_{i,t} = \alpha_i + \sum_{j=0}^{J} \beta_j \, y_{i,t-1-j} + \sum_{k=-K_1}^{K_2} \gamma_k D_{i,t-k} + \varepsilon_{it} \qquad ....(1)$$

जहां $y_{i,t}$ वीं अवधि में मौसमी रूप से समायोजित त्रैमासिक मुद्रास्फीति दर (हेडलाइन या मुख्य) है, $D_{i,t-k}$ डमी वैरिएबल है जो मुद्रास्फीति वृद्धि अंतर (t) की शुरुआत में मान 1 लेता है और 0 अन्यथा और, ε_{it} यादृच्छिक त्रुटि शब्द है। J और K क्रमशः मुद्रास्फीति अंतराल और घटना के अंतराल हैं। K_1 और K_2 घटना की अवधि की शुरुआत और अंत हैं।

अनुमानित गुणांक $\hat{\beta}_j$ and $\hat{\gamma}_k$ से क्रमशः विलंबित मुद्रास्फीति और विलंबित डमी से प्राप्त औसत मुद्रास्फीति पथ का अनुमान इस प्रकार है:

$$\hat{y}_t = \sum_{k=-K_1}^{\min\,(t-1,\,K_2)} \prod_{j=0}^{\min\,(t-2-k,\,J)} \hat{\beta}_j \hat{\gamma}_k, \text{ for } t \geq -K_1 + 1 \qquad ....(2)$$

अंतर –देशीय साक्ष्य से पता चलता है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि लगातार बनी हुई है, लेकिन अवस्फीति की अवधि मुद्रास्फीति वृद्धि के चरण से अधिक है (ब्लैंको एट एल 2022; एरी एट अल 2023)। भारत में, मुख्य मुद्रास्फीति को किसी भी अतिव्यापी आघात के अभाव में अपने पूर्व-उछाल स्तर पर लौटने में औसतन एक वर्ष लगता है; हालाँकि, खाद्य मुद्रास्फीति (चार्ट 2 ए और 2 बी) में अस्थिरता के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति का इसके पूर्व-आघात स्तर तक प्रसार बाधित है। पूर्व-एफआईटी (1995-2016) और एफआईटी के बाद (2017-2023) अवधियों का अलग-अलग विश्लेषण, विशेष रूप से मुख्य मुद्रास्फीति के

चार्ट 1 : मुद्रास्फीति संवितरण (1995 -2023)

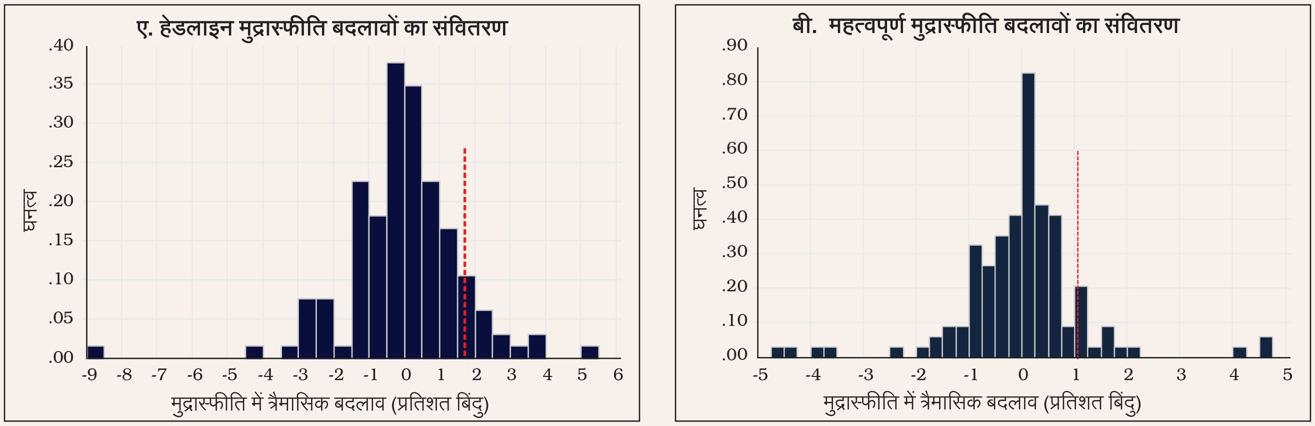

टिप्पणी: लाल रेखा मुद्रास्फीति में परिवर्तन के प्रसार का 90वां प्रतिशत दर्शाती है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(जारी)

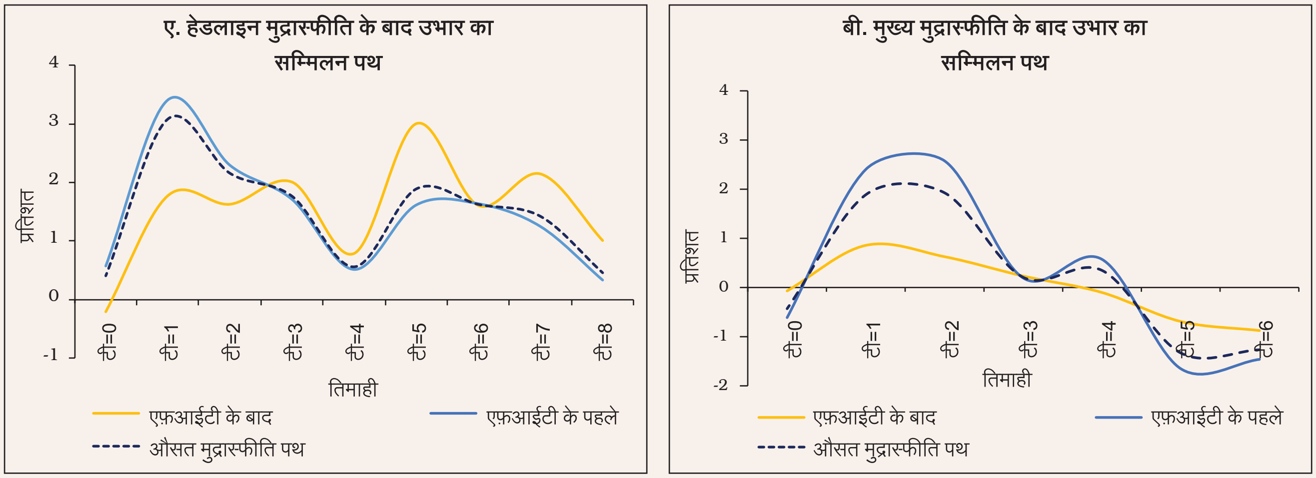

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

लिए, प्रसार के पैटर्न में बदलाव का संकेत देता है। जबकि संरचनात्मक कारकों और नीति प्रसार अंतराल के कारण संतुलन में वापस आने की समय-सीमा समान रहती है, मुख्य मुद्रास्फीति में उछाल पूर्व-एफआईटी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है। यह स्थिर मुद्रास्फीति अनुमानों की ओर इशारा करता है। इस प्रकार, विश्वसनीय और समय पर कार्यान्वित की गई मौद्रिक नीति आकार और अवधि दोनों के संदर्भ में मुद्रास्फीति पर आघात के प्रभाव को नियंत्रित कर सकती है।

सन्दर्भ:

1. एरी ए., सी. एम-ग्रेनाडोस, वी मायलोनास, एल रत्नोवस्की, और डब्ल्यू झाओ (2023), 'वन हंड्रेड इन्फ्लेशन शॉक्स: सेवन स्टाइलिज्ड फैक्ट्स', आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/23/190।
2. ब्लैंको ए., पी. ओटोनेलो और टी. रानोसोवा (2022), 'द डायनेमिक्स ऑफ लार्ज इन्फ्लेशन सर्जेज', एनबीईआर वर्किंग पेपर सीरीज, नं. 30555।

II.3.7 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति का प्रमुख वाहक बनी रही, हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसका योगदान एक साल पहले के 46 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 के दौरान 60.3 प्रतिशत हो गया। वर्षा के असमान स्थानिक और अल्पकालिक वितरण और चरम मौसमी घटनाओं के कारण फसल की क्षति हुई और प्रमुख कृषि पण्य के उत्पादन में कमी आई। सब्जियों की कीमतों में बार-बार आघात, गेहूं के कम स्टॉक और दालों और मसालों के उत्पादन में गिरावट के कारण, खाद्य मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी रही। राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति पर आपूर्ति के दबाव का प्रभाव राज्य की सीमाओं के बाहर उनके प्रभाव विस्तार का आकलन प्रदान करता है (बॉक्स II.3.2)।

बॉक्स II.3.2

भारत की स्थानिक संयोजकता और उप-राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की गतिशीलता: घटनाओं का आकलन

राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मार्क-अप को कम करके परिवहन और व्यापार लागत को आसान बनाती है। आपूर्ति आघात के स्थानिक संचरण और सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव का विश्लेषण निम्नलिखित रूप के विषम स्थानिक ऑटो रिग्रेशन (एसएआर) मॉडल के माध्यम से किया जाता है:

$$\pi_{it} = \rho_i \sum_j w_{ij} \pi_{jt} + \theta_{1i} Shock_{it} + \epsilon_{it} \quad ....(A)$$

जहां π_{it} यह वर्ष t में राज्य i के लिए मुद्रास्फीति है। आपूर्ति का आघात राज्य स्तर पर सामान्य[26] से पूर्ण वर्षा विचलन द्वारा अनुमानित है और w_{ij} राज्यों i और j ($w_{ii} = 0$)[27] को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या द्वारा मापा गया पंक्ति-सामान्यीकृत स्थानिक लिंकेज है। मॉडल का अनुमान 2013-24 के दौरान 27 राज्यों में वार्षिक सीपीआई मुद्रास्फीति डेटा का उपयोग करके विषम गुणांक (एक्वारो एट एल।, 2021) के साथ समीकरणों की एक प्रणाली के रूप में लगाया गया है। यह देखा गया है कि

26 पूर्ण वर्षा विचलन सामान्य वर्षा के सापेक्ष वर्षा की स्थिति को दर्शाता है। उच्च विचलन उच्च कमी या अधिक वर्षा का संकेत देते हैं, जो दोनों कृषि उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं।

27 बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़े राज्य के लिए i, $w_{ij} > 0$ अधिकांश j के लिए जहां $j \neq i$.

(जारी)

सारणी 1 : मुद्रास्फीति[28] में स्थानिक भिन्नताओं पर आपूर्ति आघात का प्रभाव

मॉडल →	(1)	(2)	(3)	(4)
	पूर्ण अवधि सैंपल (2013-24)		कोविड के पूर्व (2013-19)	
1	2	3	4	5
स्थानिक स्वसंबंध	0.715*** *(0.072)*	0.725*** *(0.077)*	0.701*** *(0.059)*	0.710*** *(0.059)*
पूर्ण वर्षा विचलन	0.021*** *(0.010)*	0.020*** *(0.010)*	0.029*** *(0.011)*	0.029*** *(0.011)*

*** 1 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाता है।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक आधारित त्रुटियां हैं जिनका अनुमान एक्वारो ईटी एल(2021) द्वारा सुझाए गए तटस्थ व्युत्पत्ति का उपयोग करके किया गया है।) गुणांक औसत प्रभाव, राज्यों पर लिया गया औसत दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

राज्यों के बीच सकारात्मक और महत्वपूर्ण स्थानिक स्व-सहसंबंध है, जो परिवहन संबद्धता माध्यम से आपूर्ति दबावों के प्रसार का संकेत देता है। अधिक वर्षा विचलन से खाद्य मुद्रास्फीति पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ जाता है (सारणी 1)।

स्थानिक ढांचे का उपयोग करते हुए, वर्षा के दबावों के कुल प्रभाव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव (पेस और लेसेज, 2009) में बांटा जाता है। प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य-स्तरीय वर्षा विचलन के कारण मुद्रास्फीति पर राज्य-वार प्रभाव को दर्शाता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रभाव परिवहन नेटवर्क के माध्यम से अन्य राज्यों में वर्षा के दबावों के प्रसार के कारण दूसरे दौर के प्रभाव को दर्शाता है। निष्कर्षों से पता चलता है कि वर्षा विचलन का प्रत्यक्ष प्रभाव औसतन खाद्य मुद्रास्फीति पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष प्रभाव कुल प्रभाव का 75 प्रतिशत है जो राज्यों के बीच मजबूत परिवहन कनेक्टिविटी का संकेत देता है (सारणी 2)।

अप्रत्यक्ष योगदान में स्थानिक-अस्थायी भिन्नताओं को हीटमैप (चार्ट 1) में शामिल किया गया है। अधिकांश राज्यों में कुल खाद्य मुद्रास्फीति में अप्रत्यक्ष प्रभाव[29] का योगदान अधिक है, जो आपूर्ति प्रबंधन में सड़क बुनियादी ढांचे की भूमिका को रेखांकित करता है।

निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि आपूर्ति संबंधी आघात जोकि खाद्य मूल्य दबाव को उत्पन्न करते हैं, खराब कनेक्टिविटी वाले दूर-दराज के राज्यों में बढ़ सकते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी वाले राज्यों में व्यापार लागत का दबाव कम होता है।

सारणी 2: मुद्रास्फीति पर वर्षा के आघात का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव

मॉडल →	(1)	(2)	(3)	(4)
	पूर्ण अवधि सैंपल (2013-24)		कोविड के पूर्व (2013-19)	
1	2	3	4	5
प्रत्यक्ष प्रभाव	0.045*** *(0.010)*	0.047*** *(0.010)*	0.041*** *(0.012)*	0.044*** *(0.012)*
अप्रत्यक्ष प्रभाव	0.128*** *(0.024)*	0.131*** *(0.025)*	0.121*** *(0.023)*	0.122*** *(0.023)*
कुल प्रभाव में प्रत्यक्ष प्रभाव का हिस्सा (प्रतिशत)	27.01	27.50	25.31	26.51

*** 1 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाता है।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बूटस्ट्रैप का उपयोग करके अनुमानित मानक आधारित त्रुटियां हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(जारी)

[28] विशिष्टताएँ (2) और (4) राज्य-स्तरीय वर्षा में उच्च भिन्नता के कारण विंसोराइज्ड वर्षा विचलन मूल्यों का उपयोग करती हैं। विशिष्टताएँ (1) और (3) सटीक वर्षा विचलन का उपयोग करती हैं।

[29] योगदान को कुल प्रभाव में अप्रत्यक्ष प्रभाव के हिस्से के रूप में प्राप्त किया जाता है। कुछ वर्षों में कम अप्रत्यक्ष प्रभाव उन वर्षों में उच्च प्रत्यक्ष प्रभाव को प्रतिबिंबित कर सकता है।

चार्ट 1: राज्य और समय सीमा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव का योगदान

वर्ष	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल
2013-14	0.61	0.15	0.12	0.31	0.46	0.12	0.40	0.28	0.16	0.46	0.51	0.12	0.26	0.12	0.12	0.17	0.12	0.48	0.51	0.34	0.12	0.68	0.16	0.89	0.12	0.12
2014-15	0.30	0.89	0.90	0.77	0.65	0.55	0.12	0.63	0.47	0.20	0.62	0.47	0.81	0.12	0.12	0.23	0.12	0.73	0.12	0.89	0.53	0.84	0.21	0.34	0.48	0.78
2015-16	0.86	0.83	0.87	0.65	0.51	0.89	0.46	0.49	0.39	0.79	0.40	0.80	0.22	0.57	0.12	0.25	0.12	0.61	0.84	0.69	0.58	0.57	0.89	0.12	0.65	0.77
2016-17	0.62	0.12	0.83	0.72	0.79	0.22	0.87	0.90	0.86	0.71	0.12	0.43	0.51	0.15	0.17	0.84	0.49	0.86	0.15	0.87	0.90	0.64	0.88	0.14	0.50	0.87
2017-18	0.21	0.82	0.18	0.54	0.12	0.12	0.12	0.57	0.12	0.52	0.89	0.12	0.90	0.13	0.19	0.16	0.12	0.37	0.12	0.12	0.75	0.16	0.14	0.15	0.25	0.41
2018-19	0.53	0.52	0.12	0.59	0.85	0.59	0.17	0.78	0.29	0.86	0.13	0.90	0.90	0.24	0.19	0.25	0.16	0.39	0.59	0.14	0.25	0.38	0.54	0.67	0.90	0.89
2019-20	0.56	0.17	0.88	0.67	0.15	0.12	0.45	0.34	0.53	0.14	0.69	0.45	0.84	0.15	0.12	0.37	0.53	0.66	0.31	0.61	0.24	0.72	0.30	0.64	0.50	0.81
2020-21	0.12	0.81	0.28	0.89	0.90	0.12	0.74	0.38	0.12	0.33	0.24	0.24	0.12	0.12	0.44	0.32	0.18	0.90	0.61	0.41	0.12	0.36	0.26	0.55	0.12	0.12
2021-22	0.64	0.15	0.82	0.86	0.86	0.90	0.12	0.89	0.84	0.77	0.18	0.90	0.52	0.31	0.33	0.41	0.21	0.87	0.67	0.36	0.69	0.42	0.66	0.67	0.89	0.36
2022-23	0.62	0.67	0.21	0.12	0.46	0.40	0.85	0.81	0.89	0.90	0.68	0.75	0.19	0.47	0.51	0.46	0.25	0.86	0.42	0.74	0.15	0.88	0.90	0.58	0.87	0.34
2023-24	0.63	0.65	0.25	0.10	0.51	0.51	0.80	0.82	0.87	0.82	0.65	0.72	0.25	0.45	0.55	0.52	0.22	0.81	0.40	0.70	0.21	0.83	0.86	0.61	0.85	0.37

टिप्पणी: नीला अप्रत्यक्ष प्रभाव के उच्च योगदान को दर्शाता है, जबकि लाल कम योगदान को दर्शाता है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सन्दर्भ:

1. आर्मिंगटन, पी. (1969), 'ए थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर डिमांड डिस्टिंगुइश्ड बाय प्लेस ऑफ प्रोडक्शन', इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टाफ पेपर्स, वाशिंगटन डीसी, 159-78।
2. डियरडॉर्फ, ए. (2004), लोकल कम्पेरिटिव एडवांटेज: ट्रेड कॉस्ट एंड द पैटर्न ऑफ द ट्रेड ', मिशिगन विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र चर्चा पत्र में अनुसंधान संगोष्ठी, मिशिगन विश्वविद्यालय, एन आर्बर।
3. लेसेज, जे. और रॉबर्ट। के.पी. (2009), इन्ट्रोडक्सन टू स्पेशियल इक्नोमेट्रीस, सीआरसी प्रेस, न्यूयॉर्क, जनवरी।
4. एक्वारो, एम., नतालिया बी., और हाशेम पी.एम. (2021), एस्टिमेशन एंड इन्फेरेंस फॉर स्पेशियल मॉडल्स विद हीट्रोजीनस कोईफ़ीसीएंटस : एन अप्लीकेशन टू यूएस हाउस प्राइसेस, एप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स जर्नल, 36 (1), 18-44.

II.3.8 ईंधन और विद्युत समूह में मुद्रास्फीति 2023-24 के दौरान औसतन 1.2 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले के 10.3 प्रतिशत से काफी कम है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में सुधार के कारण तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और केरोसिन की कीमतों में कमी के बाद सितंबर 2023 से इस समूह में साल-दर-साल कीमतें अपस्फीति में चली गईं। हालाँकि, कई राज्यों में टैरिफ बढ़ोतरी के कारण बिजली की कीमत मुद्रास्फीति बढ़कर औसतन 9.7 प्रतिशत हो गई।

II.3.9 2023-24 के दौरान, मुख्य मुद्रास्फीति एक साल पहले के 6.1 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई, क्योंकि सितंबर-मार्च के दौरान व्यापक आधार पर अवस्फीति ने गति पकड़ी। यह सहजता घरेलू सामान, कपड़े और जूते की कीमतों, और व्यक्तिगत देखभाल और वस्तुओं पर प्रभाव (सोने और चांदी को छोड़कर) और घर का किराया,मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और सेवा पक्ष में परिवहन किराए की कीमतों से उत्पन्न थी। कुल मिलाकर, 2023-24 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति गिरकर 5.4 प्रतिशत हो गई, जो एक साल

चार्ट II.3.4: मुद्रास्फीति के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)

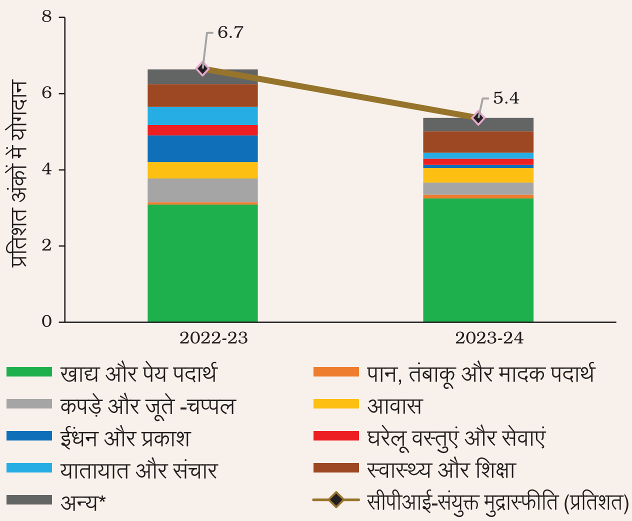

*: इसमें मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव शामिल हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.5: खाद्य मुद्रास्फीति के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)

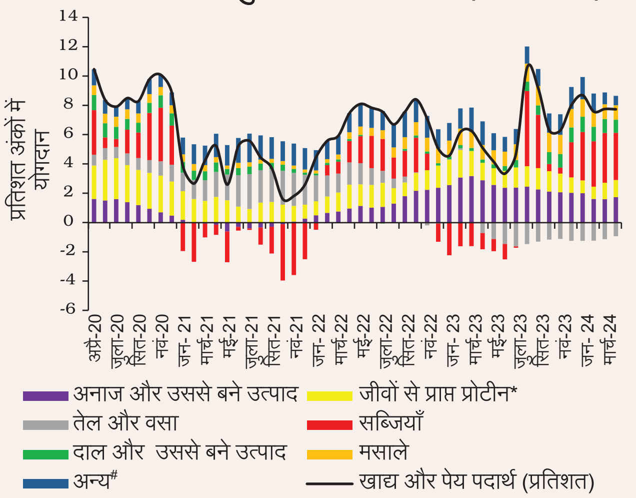

*: इसमें मांस और मछली, अंडे और दूध और उससे बने उत्पाद शामिल हैं।
#: चीनी और मिष्ठान्न, मसाले, एल्कोहोल मुक्त पेय-पदार्थ और तैयार भोजन शामिल हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पहले की तुलना में 129 आधार अंक (बीपीएस) कम है (परिशिष्ट सारणी 4)।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

II.3.10 2023-24 के दौरान, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों से प्रभावित थी, इसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा, आवास तथा कपड़े और जूते -चप्पल आदि का स्थान था (चार्ट II.3.4)

खाद्य

II.3.11 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति (भारांक: सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) 2023-24 में 3.3 प्रतिशत से 10.6 प्रतिशत की विस्तृत सीमा में रही। अनाज, मसालों, दालों और पशु प्रोटीन में लगातार मूल्य दबाव, सब्जियों, मुख्य रूप से टमाटर और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई , जोकि खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख वाहक थे (चार्ट II.3.5)। हालाँकि, वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में नरमी के कारण तेल और वसा पूरे वर्ष अपस्फीति में रहे।

II.3.12 खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति 2023-24 में औसतन 7.0 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले के 6.7 प्रतिशत से अधिक है। खाद्य समूह के भीतर, छह उप-समूहों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जबकि शेष छह उप-समूहों में यह कम हुई (चार्ट II.3.6)। दालों और मसालों (संयुक्त भार: सीपीआई-

चार्ट II.3.6: प्रमुख खाद्यान्न उप-समूह में मुद्रास्फीति

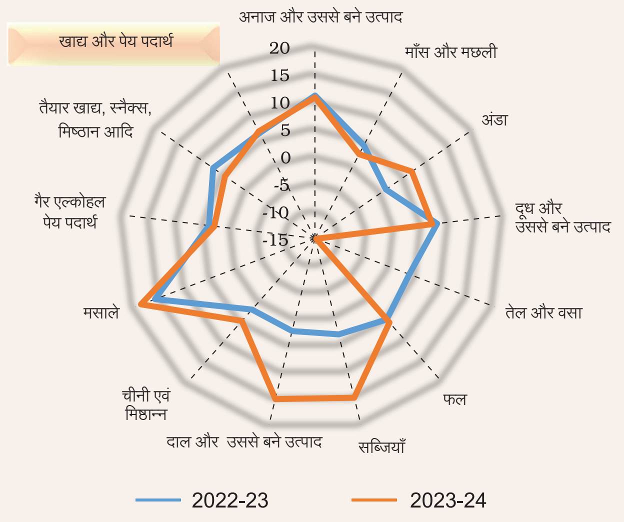

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

खाद्य और पेय पदार्थों में 10.6 प्रतिशत) में क्रमशः 15.2 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत की दोहरे अंक की मुद्रास्फीति दर्ज की गई। जुलाई 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति 10.6 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो जनवरी 2020 के बाद सबसे अधिक है।

II.3.13 नवंबर 2022-जून 2023 के दौरान अपस्फीति में रहने के बाद, फसलों की क्षति और आपूर्ति में व्यवधान के कारण जुलाई 2023 में सब्जियों की कीमतें (खाद्य और पेय पदार्थ समूह में 13.2 प्रतिशत का भार) 37.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ गईं। देश के उत्तरी भागों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) के साथ-साथ गैर-टॉप सब्जियों (चार्ट II.3.7ए और II.3.7बी) की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। आपूर्ति की स्थिति के धीरे-धीरे सामान्य होने और ताजा फसल की आवक में बढ़ोतरी से सब्जियों की मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में 2.8 प्रतिशत तक कम हो गई। नवंबर 2023 में प्याज और टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ गैर-टॉप सब्जियों की कीमतों में और प्रतिकूल आधार पर वृद्धि हुई। प्रभावों के कारण मार्च 2024 में सब्जियों की मुद्रास्फीति 28.3 प्रतिशत तक फिर से बढ़ गई।

II.3.14 ताजा रबी फसल से बाजार में मजबूत आवक के कारण अप्रैल-मई 2023 के दौरान माह-दर-माह आधार पर प्याज की कीमतों में गिरावट आई। हालाँकि, प्याज की कीमतें जून 2023 में बढ़ीं और कम उत्पादन के कारण नवंबर तक दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई [2022-23 के अंतिम अनुमान (एफई) की तुलना में पहले अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार, 2023-24 में 15.7 प्रतिशत की गिरावट]। प्याज की कीमतों में मौसमी उछाल अगस्त में शुष्क मौसम की स्थिति के कारण बढ़ गया था, जिसके परिणामस्वरूप फसल खराब हो गई। रबी स्टॉक की कम उपलब्धता के बीच खरीफ प्याज की कटाई में देरी के कारण कीमतों पर दबाव बढ़ गया, जिससे नवंबर 2023 में साल-दर-साल मुद्रास्फीति 86.3 प्रतिशत हो गई। मूल्य दबाव को नियंत्रित करने के लिए, केंद्र सरकार ने बहु-आयामी उपायों का सहारा लिया: 2022-23 में प्याज के बफर स्टॉक में 2.5 एलएमटी से 2023-24 में 7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की वृद्धि; खुले बाज़ार में बिक्री के माध्यम से स्टॉक का निपटान; विभिन्न चैनलों के माध्यम से सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री; 29 अक्टूबर, 2023 से 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क और 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम

चार्ट II.3.7: सीपीआई-सब्जी कीमतों और वर्षा विसंगति में मौसमी प्रभाव

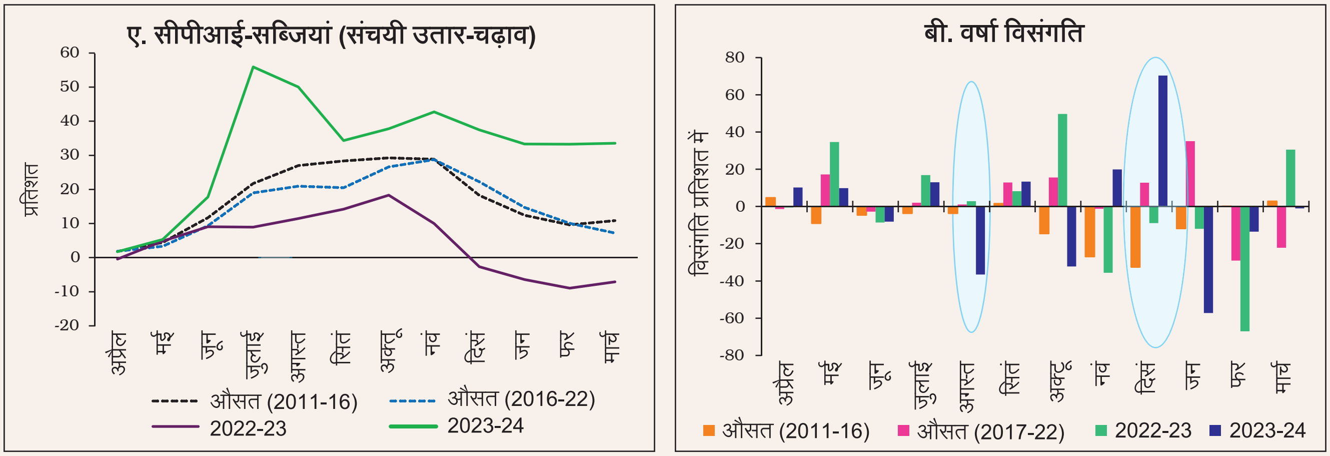

टिप्पणी: चार्ट बी के लिए, वर्षा विचलन को 50-वर्षीय औसत (1971 से 2020) से विचलन के रूप में परिभाषित किया गया है; औसत वर्षा के आंकड़े कैलेंडर वर्ष पर आधारित होते हैं।
स्रोत: एनएसओ, एन्वीस्टेट्स इंडिया 2023, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

निर्यात मूल्य (एमईपी) लागू करना; और 8 दिसंबर 2023[30] से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध आदि इसमें शामिल हैं। इन उपायों और ताजा फसल की आवक के कारण, दिसंबर 2023-फरवरी 2024 के दौरान प्याज की कीमतों में संचयी रूप से लगभग 58 प्रतिशत की गिरावट आई।

II.3.15 टमाटर की कीमतों में 2023-24 में महत्वपूर्ण अस्थिरता देखी गई। विशेष रूप से उत्तर भारत में अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण फसल क्षति और आपूर्ति में और कर्नाटक में कीटों के हमले के कारण जुलाई में इस श्रेणी में मुद्रास्फीति बढ़कर 202.1 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान सीपीआई शृंखला में सबसे अधिक है। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर के दौरान नई फसल की आवक में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। प्रमुख उत्पादक राज्यों में अत्यधिक/बेमौसम वर्षा के कारण नवंबर 2023 में टमाटर की कीमतें फिर से बढ़ गईं। कुल मिलाकर, कम उत्पादन के कारण आपूर्ति में गिरावट [2022-23 में (-)1.3 प्रतिशत] ने मूल्य दबाव में योगदान दिया। टमाटर की कीमतों में अगस्त-अक्टूबर 2023 में और उसके बाद दिसंबर 2023-जनवरी 2024 में उच्च उत्पादन (2022-23 एफई की तुलना में 2023-24 प्रथम एई में 1.9 प्रतिशत) के कारण सुधार हुआ। दूसरी ओर, अधिक उत्पादन (2022-23 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि) के कारण फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक आलू की कीमतें अपस्फीति में रहीं। हालाँकि, फरवरी 2024 में आलू की मुद्रास्फीति सकारात्मक हो गई और 2023-24 में कम उत्पादन [2022-23 से अधिक (-) 1.9 प्रतिशत)] और प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण मार्च 2024 में 41 प्रतिशत तक पहुंच गई। बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने के कारण जुलाई में अदरक, लहसुन, फूलगोभी, पत्तागोभी, बैंगन और हरी मिर्च जैसी सब्जियों की कीमतों में भी उच्च दबाव देखा गया। गैर-टीओपी सब्जियों में असामान्य रूप से उच्च संचयी मूल्य गति ने जुलाई-अगस्त 2023 के दौरान सब्जियों की मुद्रास्फीति में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ताजा फसल की आवक के साथ, बाद के महीनों में इन सब्जियों की कीमतों में सुधार हुआ, हालांकि उच्च न्यून तापमान के कारण यह नवंबर-दिसंबर 2023 में सामान्य से कम रहा।

II.3.16 अनाज और उत्पादों की कीमतों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 21 प्रतिशत का भार) अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान द्वि-अंकीय वुद्धिं हुई, जो चावल और गेहूं की कीमतों से प्रेरित थी। फरवरी 2023 में अत्यधिक तापमान, मार्च 2023 में बेमौसम बारिश और कम स्टॉक स्तर की वजह से कम उत्पादन के कारण गेहूं की कीमतों में वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान खरीफ की फसल के कम उत्पादन के साथ वर्ष 2023-24 में कम आवक के कारण अक्टूबर 2022 से चावल की कीमतों में द्वि-अंकीय मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। घरेलू आपूर्ति में सुधार और अनाज में मूल्य दबाव को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2023-24 में मुक्त-बाजार-बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत बिक्री के लिए 101.5 एलएमटी गेहूं और 25 एलएमटी चावल के आवंटन सहित विभिन्न उपाय किए जैसे कि भुजिया (उबला) चावल पर निर्यात शुल्क लगाना; गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध; गेहूं पर स्टॉक सीमा; सस्ती दरों पर बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए सब्सिडी वाले मूल्यों पर 'भारत' ब्रांड आटा और चावल की खुदरा बिक्री शुरू करना; इथेनॉल उत्पादन के लिए डिस्टिलरियों को सब्सिडी वाले चावल के विपथन पर प्रतिबंध लगाना आदि। मार्च 2024 में अनाज की मुद्रास्फीति घटकर 8.4 प्रतिशत हो गई, जिसमें गेहूं/आटा 4.7 प्रतिशत था। हालांकि चावल की मुद्रास्फीति 12.7 प्रतिशत के उच्च

[30] 4 मई, 2024 को, सरकार ने 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के एमईपी के अधीन प्याज की निर्यात नीति को 'प्रतिबंध' से 'मुक्त' कर दिया।

चार्ट II.3.8: सीपीआई – पशु प्रोटीन: कीमतों में मौसमी परिवर्तन

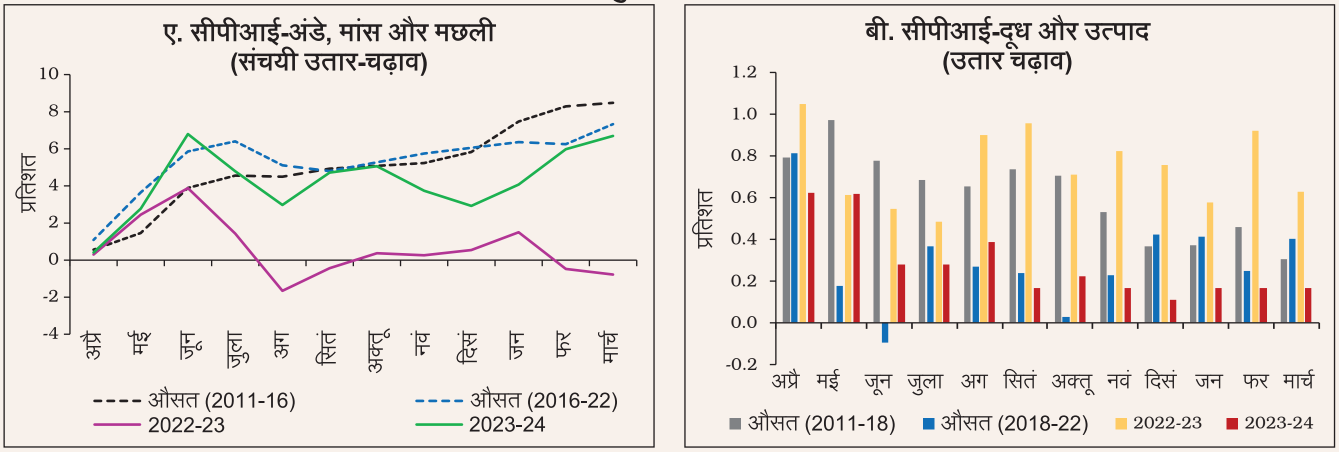

टिप्पणी: अप्रैल 2020 के लिए, मांस और मछली के लिए सूचकांक संख्या एनएसओ द्वारा तैयार किया गया है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

स्तर पर बनी हुई है। सरकार ने *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएमजीकेएवाई) को जनवरी 2024 से पांच साल के लिये बढ़ा दिया है।

II.3.17 अंडे, मांस और मछली (जिनका सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 8.8 प्रतिशत का भारांक है) जैसी पशु-प्रोटीन युक्त वस्तुओं की कीमतों में मई-जून 2023 के दौरान गर्मी की वजह से में वृद्धि देखी गई, जिससे दक्षिणी भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अंडे का उत्पादन और कुक्कुटपालन में उपज को प्रभावित किया (चार्ट II.3.8ए)। जुलाई-अगस्त 2023 के दौरान श्रावण-मास के कारण मांग में गिरावट के कहलते बाद में मूल्य-दबाव कम हो गए। हालांकि, मूल्य-दबाव फिर से उभरे विशेष रूप से सितंबर 2023 से अंडे के मामले में, जो मौसमी मांग और उच्च निर्यात को दर्शाता है। अनुकूल आधार प्रभावों के कारण 2023-24 के दौरान दूध और पण्यों की कीमतों में मुद्रास्फीति कम हो गई, प्रमुख दूध सहकारी समितियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि नहीं हुई, और 2023 (मार्च-मई) के शुरुआती भाग में बेमौसम बारिश के बाद गर्मियों की देरी से शुरुआत के कारण दूध और उत्पादों (जैसे आइसक्रीम, दही और छाछ) की चरम मांग कम हो गई। इसके अलावा, वैश्विक डेयरी कीमतों ने निर्यात को हतोत्साहित किया, जिससे मक्खन और घी जैसे दुग्ध-वसा की घरेलू आपूर्ति अधिक हो गई। बेहतर घरेलू उपलब्धता के कारण वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में पशु-खाद्य और चारे की लागत कम हो गई। इसके अलावा, जैसे-जैसे डेयरी क्षेत्र 2022 के गांठदार-त्वचा-रोग के प्रकोप से उबर गया और उत्पादन में सुधार हुआ, दूध की कीमत बढ़ने लगीं। (चार्ट II.3.8बी)।

II.3.18 तेल और वसा की कीमतें (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 7.8 प्रतिशत का योगदान) 2023-24 के दौरान दोहरे अंक की अपस्फीति में थीं, जो 2022-23 के दौरान तिलहन के अधिक घरेलू उत्पादन (8.9 प्रतिशत तक)), अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट और प्रमुख खाद्य तेलों पर कम आयात शुल्क (चार्ट II.3.9) के कारण औसतन (-) 14.8 प्रतिशत थी। 2023-24 में तिलहनों का कम ख़रीफ़ उत्पादन [(-) 2022-23 एफई की तुलना में 2023-24 द्वितीय एई के अनुसार 12.7 प्रतिशत] के कारण कुछ तिलहन (जैसे सरसों और मूंगफली तेल) में दबाव पड़ा। सरकार ने 15 जून 2023 को रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया। कच्चे पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन पर कम आयात शुल्क संरचना मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई थी। घी और मक्खन की मुद्रास्फीति

चार्ट II.3.9: सीपीआई-तेल औमर वसा (संचयी उतार-चढ़ाव)

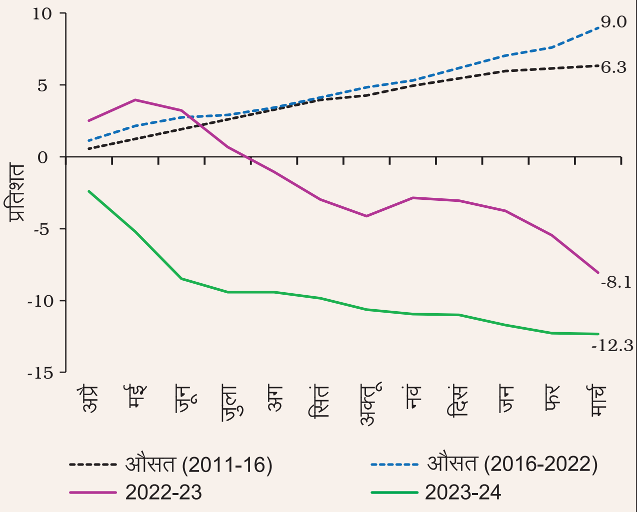

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.10: सीपीआई में घटक-वार योगदान - दाल मुद्रास्फीति

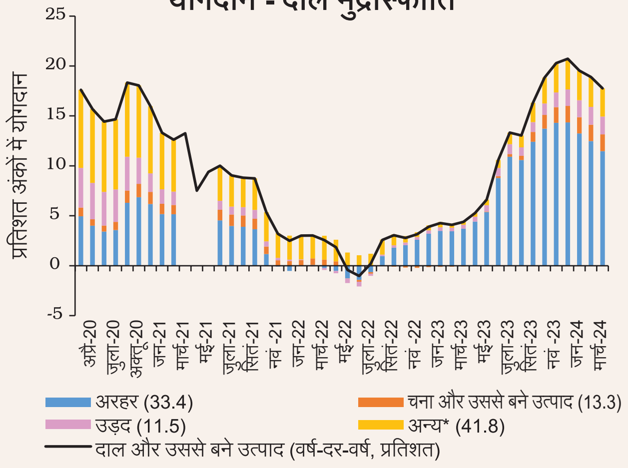

*: इसमें मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, बेसन और अन्य दाल उत्पाद शामिल हैं।
टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सीपीआई-दालों और उससे बने उत्पादों में भार को इंगित करते हैं।
2. एनएसओ द्वारा मार्च-मई 2020 के दौरान मदवार सीपीआई आंकड़े जारी नहीं किये गये थे।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कम हो गई जोकि दूध की कीमत में नरमी और अनुकूल आधार प्रभाव को दर्शाता है।

II.3.19 वर्ष के दौरान दालों की कीमतों में मुद्रास्फीति (जिनका सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 5.2 प्रतिशत का योगदान है) लगातार बढ़ी, जो वर्ष 2023-24 में औसतन 15.2 प्रतिशत थी (चार्ट II.3.10)। वर्ष 2022-23 के साथ ही ख़रीफ़ 2023-24 सीज़न (अर्थात् उड़द और मूंग) में दालों के कम उत्पादन [2022-23 एफई की तुलना में 2023-24 द्वितीय अग्रिम अनुमान (एसएई) के अनुसार (-) 6.6 प्रतिशत] ने कीमतों पर दबाव डाला। घरेलू उपलब्धता में सुधार और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए, जैसे कि 'मुक्त श्रेणी' के तहत तुअर और उड़द के आयात को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया; न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) प्रतिबंध के बिना, चने के निकटतम विकल्प, पीली मटर का मुक्त आयात अक्टूबर 2024 तक बढ़ाया गया; 31 दिसंबर, 2023 तक तुअर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगाई गई; अधिक बुआई रकबे को प्रोत्साहित करने के लिए 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर के लिए 40 प्रतिशत की खरीद सीमा हटा दी गई; तुअर को राष्ट्रीय बफर से अंशांकित तरीके से जारी किया गया; और '*भारत दाल*' ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री को प्राथमिकता प्रदान किया।

II.3.20 फलों की कीमतों में मुद्रास्फीति (जिनका सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 6.3 प्रतिशत का भारांक है) अप्रैल-जून 2023 में भी कम रही, जिसे उच्च उत्पादन (2021-22 एफई की तुलना में 2022-23 बागवानी एफई के अनुसार 2.5 प्रतिशत) द्वारा समर्थन मिला। हालांकि, जुलाई 2023 से मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ ने सेब के बागानों को नुकसान पहुंचाया और आपूर्ति में व्यवधान पैदा किया। मजबूत उत्पादन के कारण जून-सितंबर के दौरान केले में मुद्रास्फीति मध्यम रही, जो कि इसके बाद उत्पादक क्षेत्र में आपूर्ति बाधाओं के साथ-साथ उच्च त्योहारी मांग के कारण दिसंबर 2023 में 16.6 प्रतिशत तक सख्त हो गई। वर्ष 2023-24 में उच्च उत्पादन (2022-23 की तुलना में 1.7 प्रतिशत) के कारण जनवरी 2024 से फलों की मुद्रास्फीति कम हो गई।

II.3.21 अन्य खाद्य वस्तुओं में, मसालों में द्वि-अंकीय मुद्रास्फीति बनी रही (2023-24 के दौरान औसतन 18.9

चार्ट II.3.11: ईंधन मुद्रास्फीति के वाहक

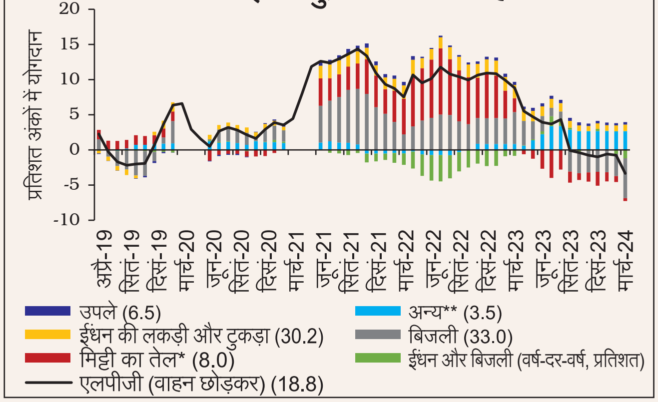

चार्ट II.3.12: एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव

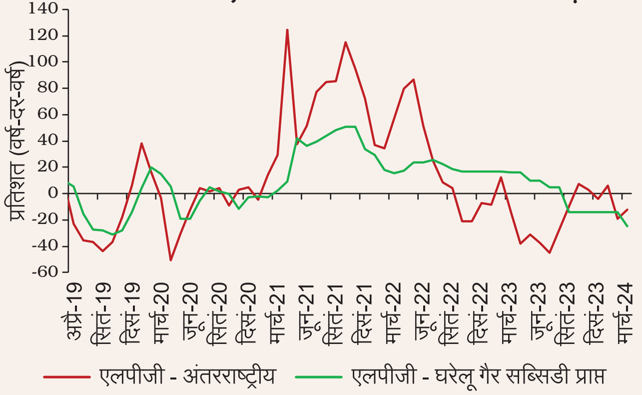

*: इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी का तेल और अन्य स्रोतों से प्राप्त मिट्टी का तेल शामिल है।

**: इसमें डीजल, कोक, कोयला, काठकोयला और अन्य ईंधन शामिल हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सीपीआई-ईंधन और बिजली के भार को दर्शाते हैं।

2. एनएसओ द्वारा मार्च-मई 2020 के दौरान मदवार सीपीआई आंकड़े जारी नहीं किये गये थे।

3. घरेलू गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमतें चार मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई कोलकाता और चेन्नई में कीमतों का औसत हैं।

स्रोत: एनएसओ, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), और ब्लूमबर्ग।

प्रतिशत), मुख्य रूप से जीरा (क्यूमिन) द्वारा संचालित - जिसने प्रतिकूल मौसम की स्थिति और स्थिर उत्पादन के कारण जुलाई-दिसंबर 2023 के दौरान 100 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की। सितंबर 2023 में जीरे की कीमतों में मासिक गति तेजी से गिर गई और दिसंबर 2023 से नकारात्मक हो गई, जो खेती के तहत उच्च रकबे को दर्शाती है और इसके परिणामस्वरूप 2023-24 में उच्च उत्पादन (2022-23 के दौरान 49 प्रतिशत) हुआ। वर्ष के दौरान सूखी मिर्च में मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 में 27.5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 3.7 प्रतिशत हो गई.

ईंधन

II.3.22 हेडलाइन मुद्रास्फीति में ईंधन समूह (सीपीआई में 6.8 प्रतिशत का भारांक) का योगदान 2023-24 में घटकर 1.6 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 10.5 प्रतिशत था। केरोसिन और एलपीजी मूल्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण ईंधन मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में 10.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में (-) 3.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.3.11)। दिनांक 30 अगस्त, 2023 को एलपीजी की कीमतों में ₹200 प्रति घरेलू सिलेंडर की कटौती ने सितंबर 2023 से देखी गई अपस्फीति को कम किया (चार्ट II.3.12)। 8 मार्च, 2024 को एलपीजी की कीमत में 100 रुपये प्रति घरेलू सिलेंडर की कटौती की घोषणा की गई।

मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति)

II.3.23 अस्थिर खाद्य और ईंधन वस्तुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति, यानी, मुख्य मुद्रास्फीति, एक साल पहले के 6.1 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 4.3 प्रतिशत हो गई, जिसमें वस्तु और सेवा मुद्रास्फीति दोनों में नरमी शामिल है (चार्ट II.3.13)।

चार्ट II.3.13: खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति से इतर सीपीआई के वाहक

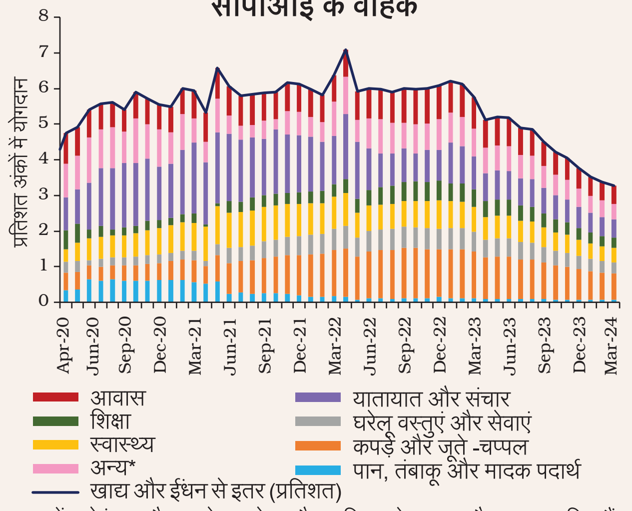

*: इसमें मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव शामिल हैं।

टिप्पणी: अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ द्वारा दिए गए हैं।

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.14: तेल की घरेलू कीमतों के रुझान

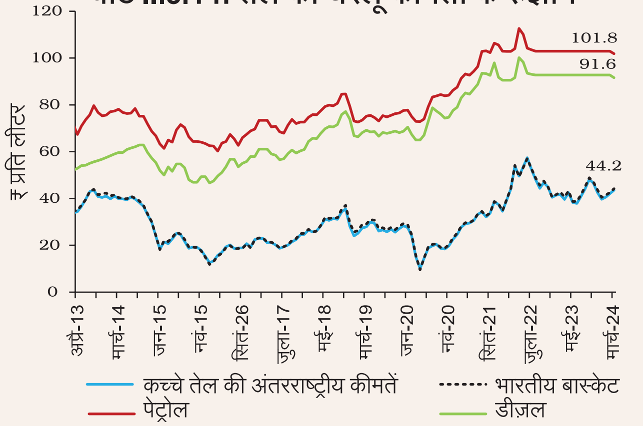

चार्ट II.3.15: मुद्रास्फीति : महत्वपूर्ण वस्तुएं

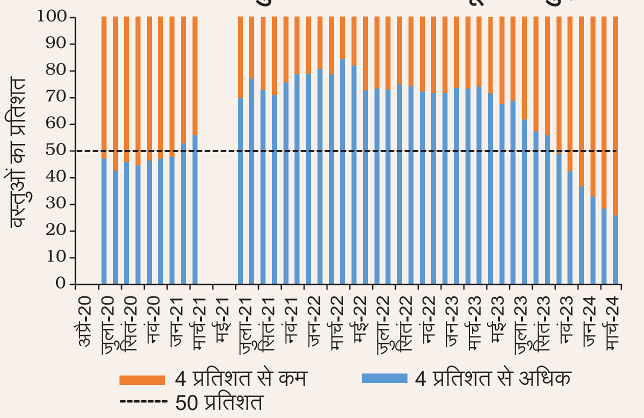

टिप्पणी: 1. कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट और दुबई फतेह की औसत कीमत को दर्शाती है।
2. मार्च-मई 2020 के दौरान एनएसओ द्वारा वस्तुगत सीपीआई डेटा जारी नहीं किया गया था।
स्रोत: वर्ल्ड बैंक पिंक शीट डेटाबेस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.3.24 कोर सीपीआई के प्रमुख घटकों में से, कपड़े और जूते में मुद्रास्फीति कम हो गई, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों में तेजी और कपड़ा और पहनने के परिधान के लिए कमजोर निर्यात मांग को दर्शाती है। मार्च 2024 में घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम होकर 2.7 प्रतिशत हो गई। अगस्त 2022 (चार्ट II.3.14) के बाद से बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों और परिवहन किराए में कमी को दर्शाते हुए, परिवहन और संचार कीमतों में मुद्रास्फीति 2023-24 में एक साल पहले की 5.9 प्रतिशत से घटकर 1.9 प्रतिशत हो गई।। दिसंबर 2022-अगस्त 2023 के दौरान 6 प्रतिशत से ऊपर रहने के बाद, स्वास्थ्य उप-समूह में मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो गई क्योंकि महामारी से प्रेरित स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कम हो गई और चिकित्सा आपूर्ति सामान्य हो गई। मार्च 2024 में लगभग 75 प्रतिशत मुख्य सीपीआई वस्तुओं में 4 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जो व्यापक आधार पर नरमी का संकेत देती है (चार्ट II.3.15)।

II.3.25 आवास मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 में 4.9 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2024 में 2.7 प्रतिशत हो गई। निवल आवास मुद्रास्फीति, भोजन और ईंधन को छोड़कर 2023-24 में औसतन 4.4 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले के 6.6 प्रतिशत से काफी कम रही।

II.3.26 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति 2023-24 में मामूली रूप से बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 7.6 प्रतिशत थी, यह मुख्य रूप से युद्ध-प्रेरित सेफ-हेवेन मांग के कारण अंतरराष्ट्रीय मूल्य आंदोलनों के कारण सोने की ऊंची कीमतों से प्रेरित रही।

5. मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.3.27 क्षेत्रीवार दृष्टिकोण से, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आईडब्ल्यू) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति अप्रैल-जनवरी 2023-24 के दौरान औसतन 5.3 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 6.1 प्रतिशत थी। कृषि मजदूरों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूरों (सीपीआई-आरएल) के लिए सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान औसत से अधिक क्रमशः 7.0 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत पर रही, जो मुख्य रूप से बढ़ी हुई खाद्य मुद्रास्फीति से प्रेरित रही।

II.3.28 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) अप्रैल-अक्टूबर 2023-24 के दौरान अपस्फीति में रहा और उसके बाद थोड़ा सकारात्मक हो गया, जिसका कारण नवंबर में सब्जियों, विशेष रूप से प्याज और टमाटर की कीमतों में तेज वृद्धि और दिसंबर में प्रतिकूल आधार प्रभाव रहा। वर्ष के दौरान डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति के सामान्य होने और

वैश्विक मांग में मंदी के कारण वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में सुधार को प्रतिबिंबित करता है, विशेष रूप से ऊर्जा, खाद्य और धातुओं में। कुल मिलाकर, 2023-24 के दौरान डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति औसत (-) 0.7 प्रतिशत रही (एक साल पहले 9.4 प्रतिशत की तुलना में), जो औसत सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत से काफी कम थी।

II.3.29 निम्न डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति सभी तीन प्रमुख समूहों द्वारा संचालित रही - प्राथमिक वस्तुएं (डबल्यूपीआई टोकरी में 22.6 प्रतिशत का भार); ईंधन और बिजली (13.2 प्रतिशत); और विनिर्मित उत्पाद (64.2 प्रतिशत)। प्राथमिक वस्तु डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 के दौरान घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से गैर-खाद्य वस्तुओं और कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अपस्फीति को दर्शाती है, जो कि वैश्विक कीमतों में कमी के अनुरूप है, जबकि वर्ष के दौरान असमान और कम वर्षा के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव आया। इसके विपरीत, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में कमी के अनुरूप ईंधन और बिजली में 2023-24 के दौरान औसतन (-) 4.5 प्रतिशत (एक साल पहले 28.1 प्रतिशत मुद्रास्फीति के मुकाबले) लगातार अपस्फीति दर्ज की गई। वैश्विक कमोडिटी कीमतों में व्यापक आधार पर नरमी ने विनिर्मित उत्पादों की कीमतों को 2023-24 के दौरान औसतन (-) 1.7 प्रतिशत (एक साल पहले 5.6 प्रतिशत मुद्रास्फीति के मुकाबले) अपस्फीति में रखा। यह मुख्यतः विनिर्मित खाद्य उत्पादों, बुनियादी धातुओं, रसायनों और वस्त्रों की कीमतों के कारण था। डबल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति दोनों में नरमी को दर्शाते हुए, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) डिफ्लेटर मुद्रास्फीति 2022-23 की इसी अवधि में 8.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) में 1.1 प्रतिशत हो गई।

II.3.30 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीफ फसलों के लिए 5.3-10.4 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 2.0-7.1 प्रतिशत की सीमा में बढ़ाया गया। खरीफ फसलों में मूंग के एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जबकि रबी फसलों में मसूर की दाल और गेहूँ के लिए सबसे अधिक वृद्धि हुई।

II.3.31 अप्रैल-फरवरी 2023-24 में सांकेतिक ग्रामीण मजदूरी वृद्धि औसतन 6.0 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले यह 5.4 प्रतिशत थी, जिसमें कृषि और गैर-कृषि मजदूरी वृद्धि दोनों 6 प्रतिशत के करीब रही। मुख्य रूप से कृषि मजदूरों की श्रेणी में जुताई, बागवानी और पैकेजिंग में तथा गैर-कृषि मजदूरों की श्रेणी में बीड़ी निर्माताओं और बांस/बेंत की टोकरी बुनकरों में मंदी होने कारण अक्टूबर से विकास की गति कम हुई है।

6. निष्कर्ष

II.3.32 संक्षेप में, खाद्य मूल्य के ओवरलैपिंग आघातों के बावजूद, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 में कम हुई। यह नरमी निरंतर मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति रुख, सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में सुधार का परिणाम रही। कोर मुद्रास्फीति ने जून 2023 से व्यापक आधार पर अवस्फीति प्रदर्शित की और 2023 के अंत तक 4 प्रतिशत से नीचे चली गई। जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023-24 (जुलाई-अगस्त को छोड़कर) में सहनशीलता बैंड में रही, यह मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर रहा। लंबे समय से चली आ रही भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक गतिविधियों के कारण नए सिरे से आपूर्ति शृंखला दबाव, निचले जलाशय स्तर और प्रमुख फसलों के उत्पादन में गिरावट से आगे चलकर मुख्य मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा हो गया है।

II.4 मुद्रा एवं ऋण

II.4.1 वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप मौद्रिक और ऋण स्थितियों की स्थितियाँ बनीं जिससे घरेलू आर्थिक गतिविधि को समर्थन मिला। ₹2000 के बैंक-नोटों का आहरण (मई 2023), बैंक के साथ गैर-बैंक का विलय (जुलाई 2023) और वृद्धिशील नकद-आरक्षित-अनुपात (आई-सीआरआर)[31] [अगस्त 2023] के अस्थायी अधिरोपण ने वर्ष 2023-24 के दौरान उपर्युक्त स्थितियों के विकास को प्रभावित किया। बैंकिंग प्रणाली में ₹2000 रुपये के बैंक-नोटों के एक प्रमुख हिस्से की जमाराशियों के रूप में वापसी से आरक्षित मुद्रा और संचलनगत-मुद्रा का प्रसार कम हो गया। इन बैंक नोटों की वापसी और सावधि जमा दरों में वृद्धि ने कुल जमा और व्यापक मुद्रा (एम$_3$) में तेजी लाने में योगदान दिया। बैंक ऋण ने वर्ष 2023-24 में द्वि-अंकीय संधारणीय वृद्धि प्रदर्शित की। बैंकों ने ऋण-जमा अंतर को पाटने के लिए जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाए।

II.4.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 आरक्षित धन की गतिशीलता और भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में बदलाव पर प्रकाश डालता है। इसके बाद, उप-खंड 3 और 4 में क्रमशः, निष्कर्षी टिप्पणियों के साथ, मुद्रा-आपूर्ति और बैंक-ऋण गतिविधियों की समीक्षा की गई है।

2. आरक्षित मुद्रा[32]

II.4.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम) केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र में मौद्रिक देयताओं की मात्रा को दर्शाती है (चार्ट II.4.1)। प्रतिवर्ती रेपो/स्थायी-जमा-सुविधा (एसडीएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकों की अधिशेष-चलनिधि के साथ, जोखिम बफर और पुर्नमूल्यन खाते [निवल गैर-मौद्रिक देनदारियों (एनएनएमएल) का बड़ा हिस्सा] तुलन पत्र के अन्य प्रमुख घटक हैं।

चार्ट II.4.1: रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र के घटक (देनदारियां)

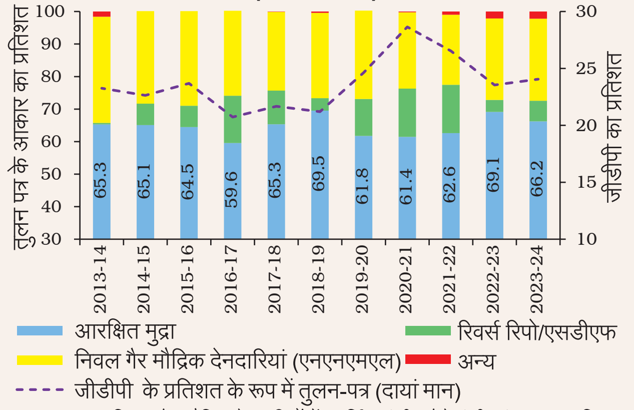

एनएनएमएल: निवल गैर-मौद्रिक देनदारियों में आर्थिक पूंजी (जैसे पूंजी, भंडार, आकस्मिक निधि, आस्ति विकास निधि, मुद्रा और स्वर्ण पुर्नमूल्यन खाता, निवश पुर्नमूल्यन खाता और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता), आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि खाता और आईएमएफ कोटा सदस्यता और अन्य भुगतान से अन्य आस्तियों को घटाकर शामिल किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

II.4.4 रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का आकार, मार्च 2023 के 23.5 प्रतिशत की तुलना में, मार्च 2024 के अंत में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 24.1 प्रतिशत हो गया। तुलन पत्र अपने महामारी-पूर्व स्तर पर सामान्य हो गया है (चार्ट II.4.2)।

II.4.5 वर्ष 2023-24 के दौरान, आरएम[33] में वृद्धि, एक वर्ष पूर्व के 9.7 प्रतिशत से घटकर, 6.7 प्रतिशत हो गई (उक्त वृद्धि सीआरआर[34] में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के अनुसार समायोजित करने पर 7.4 प्रतिशत थी), जो कि इसके 12.9 प्रतिशत के दशकीय औसत[35] (2013-14 से 2023-24) से

[31] आई-सीआरआर के विवरण के लिए अध्याय III देखें।

[32] उप-खंड 2 में, विकास और अन्य अनुपात संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/महीने के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

[33] इसमें संचलनगत मुद्रा, रिज़र्व बैंक में बैंकरों की जमाराशि, और और देनदारी पक्ष में रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमा शामिल हैं।

[34] मई 2022 में सीआरआर को 4.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

[35] नोटबंदी के वर्ष 2016-17 को छोड़कर।

चार्ट II.4.2: केंद्रीय बैंक का तुलनपत्र (दिसंबर अंत तक)

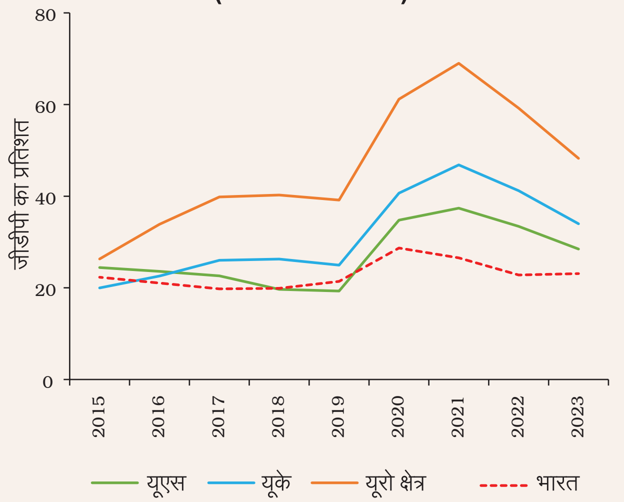

स्रोत: आरबीआई, एफआरइडी (सेंट लुइस फेड), बीओई, आईएमएफ, सीइआइसी, भारत सरकार तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

कम है। यह मुख्यतः ₹2000 बैंक-नोटों[36] के आहरण के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट II.4.3ए और परिशिष्ट सारणी 4)। आरएम वृद्धि ने अगस्त-अक्टूबर 2023 के दौरान आई-सीआरआर के अस्थायी अधिरोपण के कारण अगस्त 2023 में क्षणिक उछाल दर्ज की (चार्ट II.4.3बी)। ₹2000 बैंकनोट के आहरण के कारण, संचलनगत-मुद्रा(सीआईसी) में वृद्धि – जो 75.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ आरएम का प्रमुख घटक है – वर्ष 2023-24 के दौरान घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई, जो कि एक वर्ष पूर्व 7.8 प्रतिशत थी(चार्ट II.4.3ए और II.4.3सी)।

II.4.6 महामारी की अनिश्चितता और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ मुद्रा-जीडीपी अनुपात कम हो गया है।[37] खुदरा खंड में भारतीय केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है (चार्ट II.4.4)।

चार्ट II.4.3: आरक्षित मुद्रा- घटक (देनदारियां)

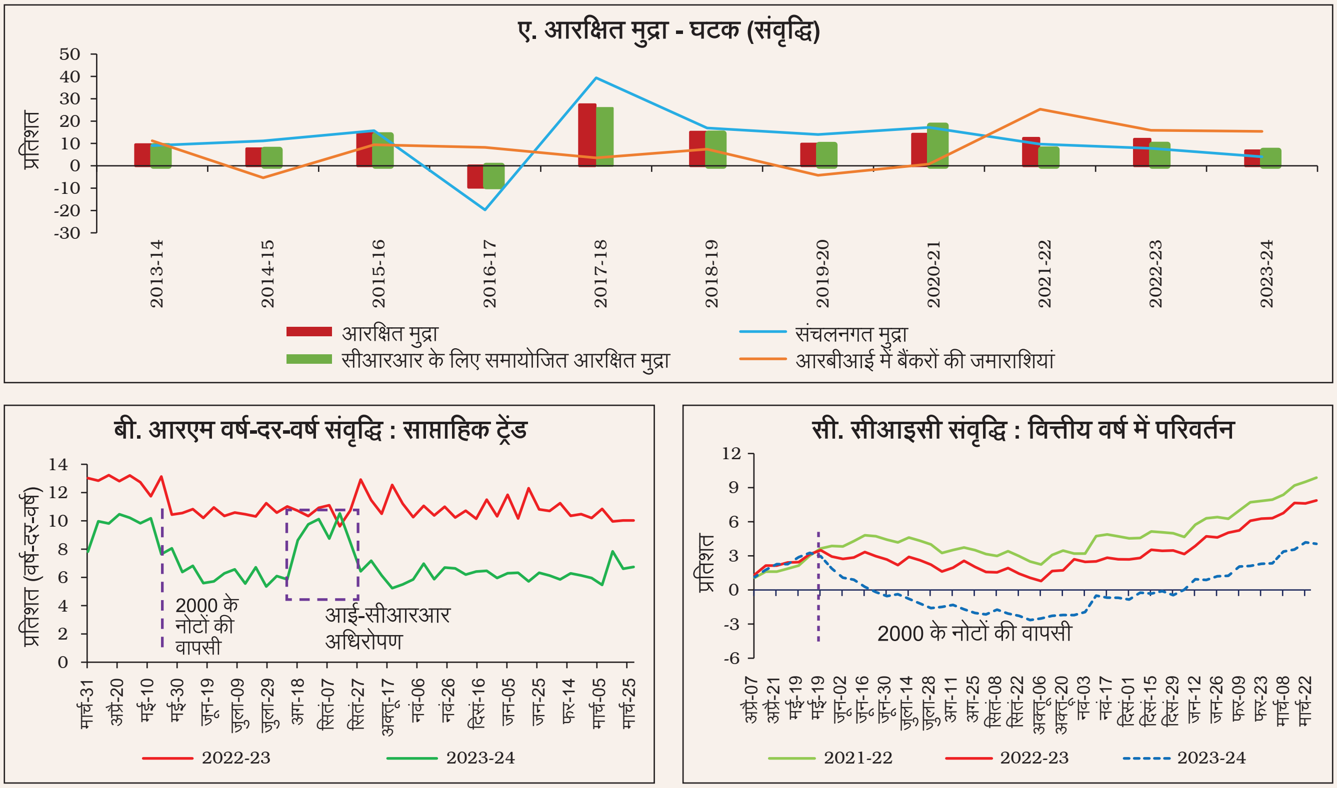

स्रोत: आरबीआई।

[36] प्रचलन में ₹2000 बैंक-नोटों का कुल मूल्य दिनांक 19 मई, 2023 तक ₹3.56 लाख करोड़ था। दिनांक 29 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 97.69 प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जिनमें से अधिकांश जमाराशि के रूप में हैं।

[37] डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों (सीबीडीसी सहित) का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय VI, VIII और IX में शामिल हैं।

चार्ट : II.4.4: संचलनगत मुद्रा और डिजिटल भुगतान

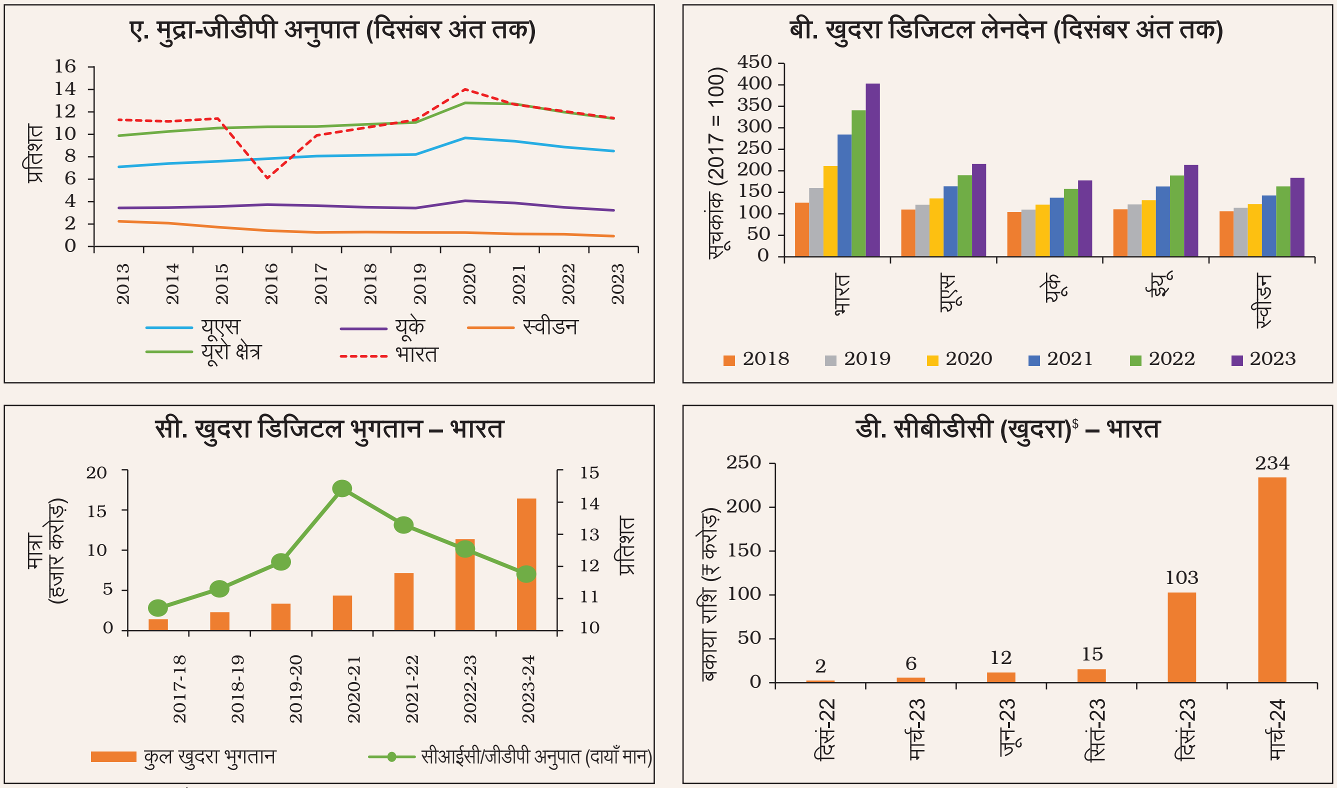

$: 01 दिसंबर 2022 को लागू किए गए।
स्रोत: आरबीआई, भारत सरकार, सीईआईसी, स्टेटिस्टा, आईएमएफ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.4.7 भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकरों की जमा राशि (आरएम में 22.9 प्रतिशत शेयर), अर्थात, बैंकों द्वारा अपनी सीआरआर आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संधृत जमा-शेष में, वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक-जमा में विस्तार के साथ 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 15.9 प्रतिशत थी (चार्ट II.4.3ए)।

II.4.8 स्रोत पक्ष (आस्तियां) के संदर्भ में , आरएम में भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियाँ (एनडीए)[38] और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए)[39] शामिल हैं। वर्ष 2023-24 में, आरएम में विस्तार मुख्य रूप से एनएफए द्वारा चालित था, जिसमें पिछले वर्ष की ₹2.2 लाख करोड़ की निवल बिक्री के मुकाबले अधिकृत डीलरों से ₹3.4 लाख करोड़ की निवल खरीद हुई थी। वर्ष के दौरान एनडीए में गिरावट आई क्योंकि सरकारी नकदी शेष में वृद्धि ने, बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र को निवल ऋण में विस्तार की भरपाई से कहीं ज्यादा , सरकार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निवल दावों को कम कर दिया (चार्ट II.4.5)।

3. मुद्रा आपूर्ति[40]

II.4.9 व्यापक मुद्रा (एम$_3$) के अर्थों में मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत जनता के पास मुद्रा (सीडब्ल्यूपी) और घटकों के संदर्भ (देयताओं) में बैंकों की कुल जमाराशियां (एडी) शामिल होती हैं।

38 इसमें बैंकों, सरकार और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्य रूप से प्राथमिक डीलरों) को निवल रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण शामिल है।

39 इसमें स्वर्ण विदेशी-मुद्रा-आस्ति (एफ़सीए) शामिल हैं। एफ़सीए में भारत सरकार (जीओआई) से हस्तांतरित विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं। आईएमएफ में भारत सरकार और रिज़र्व ट्रांच पोजीशन (आरटीपी) के साथ शेष एसडीआर होल्डिंग्स, जो विदेशी मुद्रा में आईएमएफ में भारत के अंश-योगदान का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं हैं।

40 उप-खंड 3 और 4 में, विकास और अन्य अनुपात संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं। आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

चार्ट II.4.5: आरक्षित मुद्रा - स्रोत (आस्तियां)

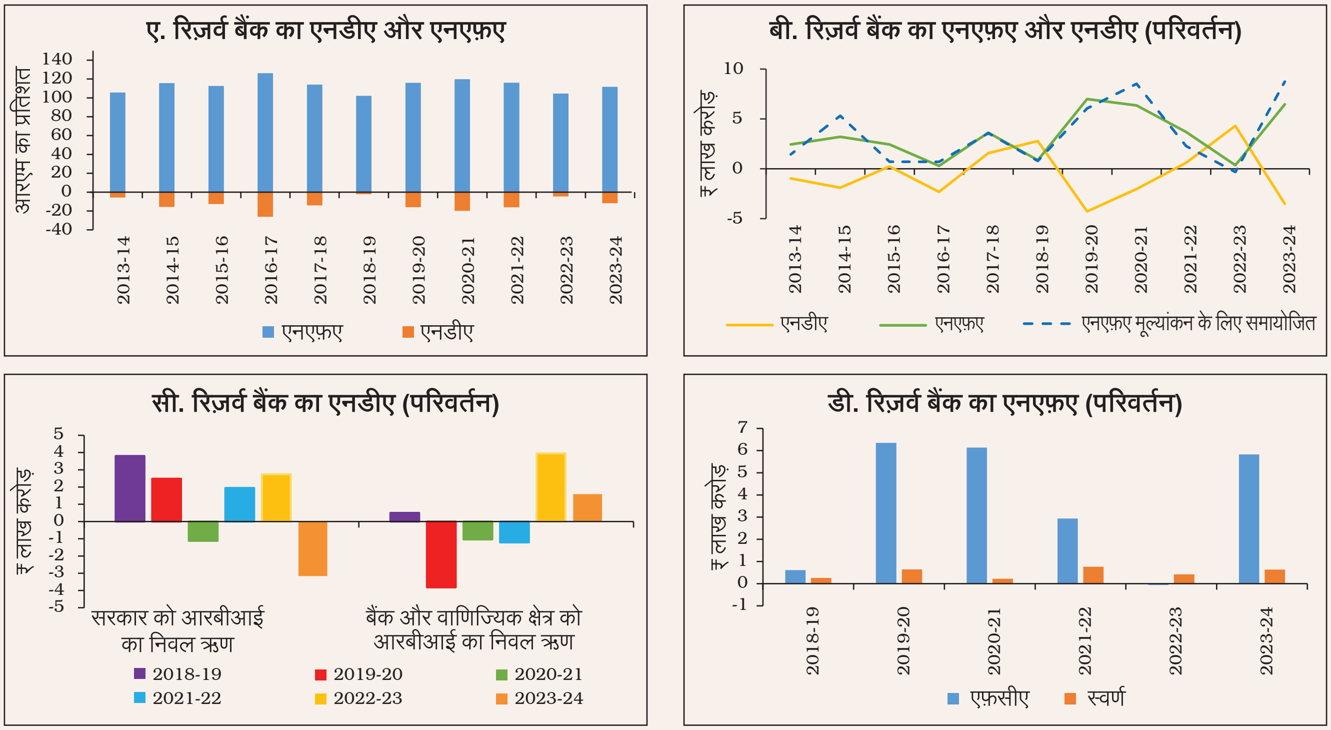

स्रोत: आरबीआई।

दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार एम$_3$ ने 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (एक साल पहले 9.0 प्रतिशत) जो मुख्य रूप से, अन्य बातों के साथ-साथ नीतिगत-दर-वृद्धि के संचरण के कारण उच्च जमा दरों से लाभप्राप्त सावधि-जमा द्वारा चालित थी(चार्ट II.4.6)। बैंक-ऋण की निरंतर मांग ने बैंकों पर अधिक जमाराशि जुटाने के लिए दबाव डाला। लगातार दूसरे वर्ष, बैंक-जमा में विस्तार सीडब्ल्यूपी से अधिक हो गया।[41] एम$_3$ और जीडीपी का अनुपात अपने महामारी-पूर्व स्तरों पर वापस आ गया है (चार्ट II.4.7)।

II.4.10 स्रोत पक्ष (आस्तियां) के संदर्भ में, एम$_3$ में हुआ विस्तार मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण द्वारा चालित था, जो वर्ष 2023-24 में 15.6 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व के 14.4 प्रतिशत) तक बढ़ा था। सरकार को निवल बैंक-ऋण का विस्तार 2023-24 में अपने एक वर्ष पूर्व के 11.5 प्रतिशत से घटकर 5.7 प्रतिशत हो गया। दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार, एससीबी द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों[42] की अतिरिक्त धारिताएँ निवल मांग और सावधि देयताओं(एनडीटीएल) का 10.4 प्रतिशत थीं, जबकि एक वर्ष पूर्व उक्त धारिताएँ 11.0 प्रतिशत थीं। बैंकिंग क्षेत्र की निवल

[41] मांग-जमा अस्थिर बने रहे, जो काफी हद तक जनता के साथ मुद्रा में विचलन को दर्शाता है।

[42] एसएलआर प्रतिभूतियों की अतिरिक्त धारिता बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक बफर प्रदान करती है और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का एक घटक भी है। रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल, 2022 से प्रभावी परिपक्वता श्रेणी(एचटीएम) के तहत प्रतिभूतियों को रखने की सीमा को एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया। एचटीएम सीमा को 31 मार्च, 2025 तक चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत पर बहाल किया जाएगा, जो 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही से शुरू होगा।

चार्ट II.4.6: मुद्रा आपूर्ति एवं एससीबी की सावधि जमाराशियां

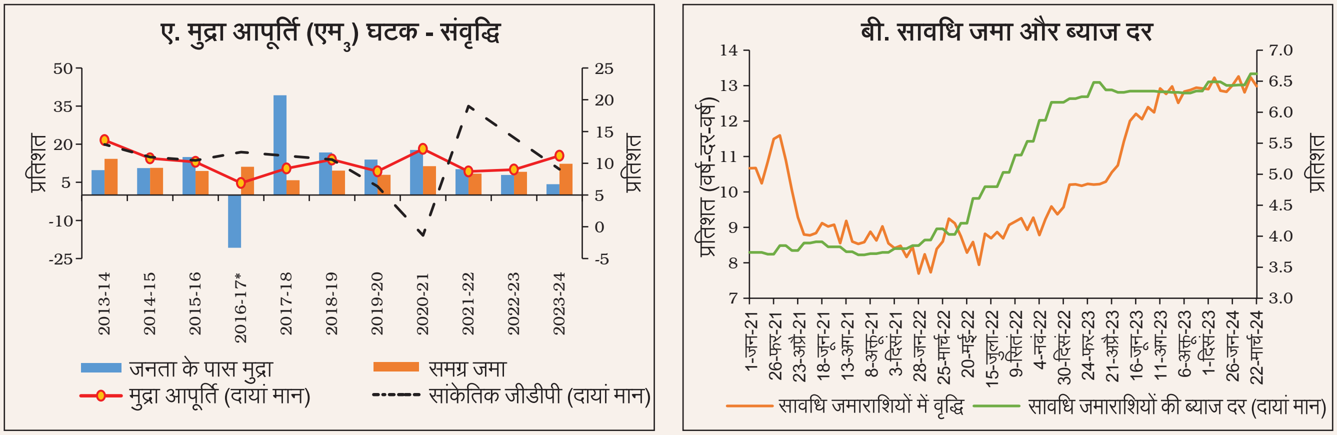

*: 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक।
टिप्पणी: एससीबी की बकाया रुपया सावधि जमा के लिए, सावधि जमा ब्याज दरें, भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों को संदर्भित करती हैं।
स्रोत: आरबीआई।

विदेशी आस्तियों में वृद्धि हुई, जो कि वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में एनएफ़ए के विस्तार को दर्शाता है (चार्ट II.4.5 और II.4.8; सारणी II.4.1)।

प्रमुख मौद्रिक-अनुपात

II.4.11 मौद्रिक लेन-देन कि गति, जो सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद को एम$_3$ से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, स्थिर बनी हुई है। दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार, मुद्रा बहुगुणक(एमएम) 5.4 था, जो अपने दशकीय औसत[43] (2013-14 से 2023-24) से थोड़ा अधिक है। मुद्रा-जमा अनुपात वर्ष 2022-23 में 17.3 प्रतिशत से गिरकर 15.9 प्रतिशत हो गया, जो ₹2000 रुपये के बैंक-नोटों के आहरण और जमा के रूप में बैंकिंग प्रणाली में उनकी वापसी को दर्शाता है। प्रतिवर्ती रेपो के लिए समायोजित

चार्ट II.4.7: एम$_3$ और जीडीपी अनुपात (दिसंबर अंत तक)

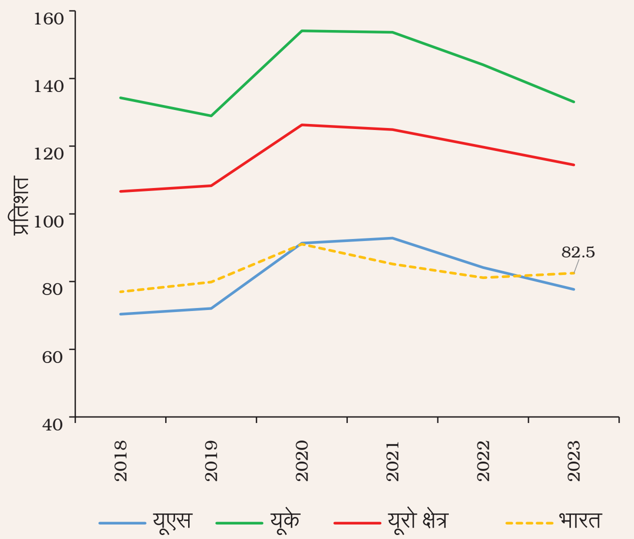

स्रोत: आरबीआई, भारत सरकार, आईएमएफ, सीईआईसी और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.4.8: मुद्रा आपूर्ति स्रोत-संवृद्धि

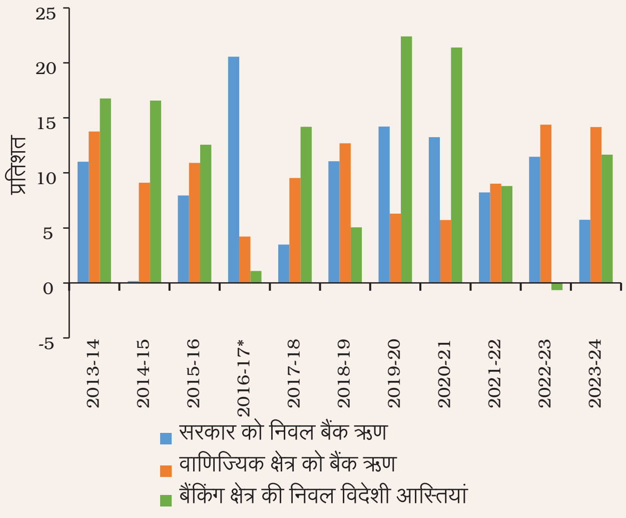

*: 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक।
स्रोत: आरबीआई।

[43] इसमें नोटबंदी का वर्ष 2016-17 शामिल नहीं है।

सारणी II.4.1: मौद्रिक कुल राशियां

मद	22 मार्च 2024 को बकाया (₹ लाख करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत)		
		2021-22	2022-23	2023-24 (22 मार्च, 2024 तक)
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा (आरएम)	46.8	12.3	9.7	6.7
II. मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$)	248.3	8.7	9.0	11.2
III. एम$_3$ के प्रमुख घटक				
III.1. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	34.2	10.2	7.9	4.3
III.2. समग्र जमाराशियां	213.3	8.4	9.1	12.3
IV. एम$_3$ के प्रमुख स्रोत				
IV.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	73.1	8.2	11.5	5.7
IV.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	166.7	9.0	14.4	15.6
IV.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां	55.1	8.8	-0.6	11.7
V. मुद्रा बहुगुणक (अनुपात)	5.4			

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. आरएम के आंकड़े 29 मार्च 2024 की अवधि के हैं।
स्रोत: आरबीआई।

मुद्रा बहुगुणक - विश्लेषणात्मक रूप से केंद्रीय बैंक में बैंक-जमा के समान – दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार एमएम और समायोजित एमएम के अभिसरण के साथ मामूली रूप से कम होकर 5.3 आ गया(चार्ट II.4.9ए) । सीआरआर में कोई बदलाव नहीं होने के कारण आरक्षित-जमा अनुपात स्थिर रहा (चार्ट II.4.9बी)।

4. ऋण

II.4.12 खुदरा और सेवा क्षेत्रों की मांग के कारण वर्ष 2023-24 में बैंक ऋण में द्वि-अंकीय वृद्धि बनी रही। दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार एससीबी के ऋण में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पूर्व 15.0 प्रतिशत थी (चार्ट II.4.10ए)। बैंक समूह-वार, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के

चार्ट II.4.9 : मौद्रिक अनुपात

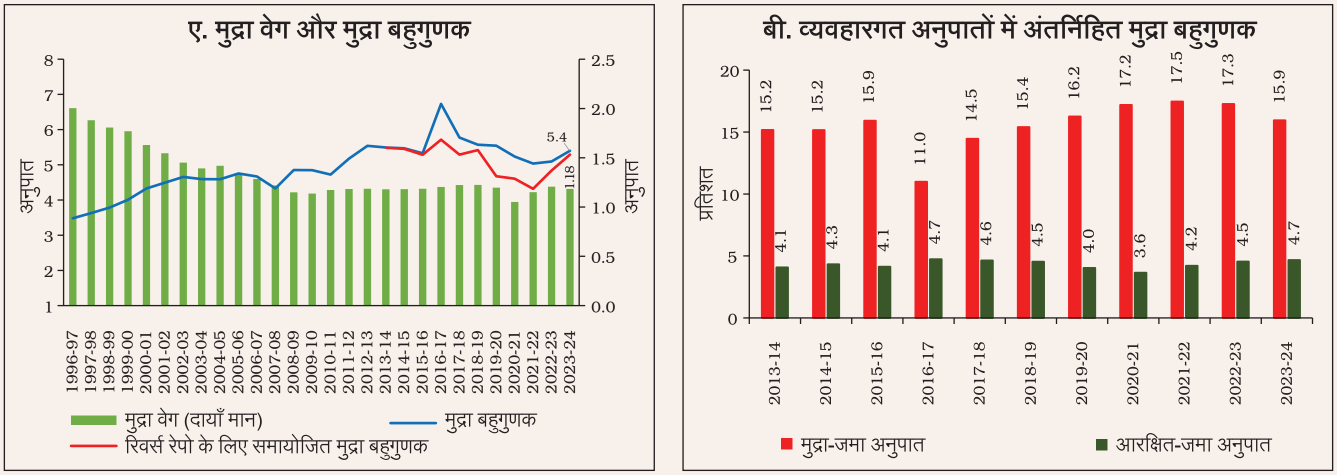

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.4.10 : बैंक समूह-वार ऋण

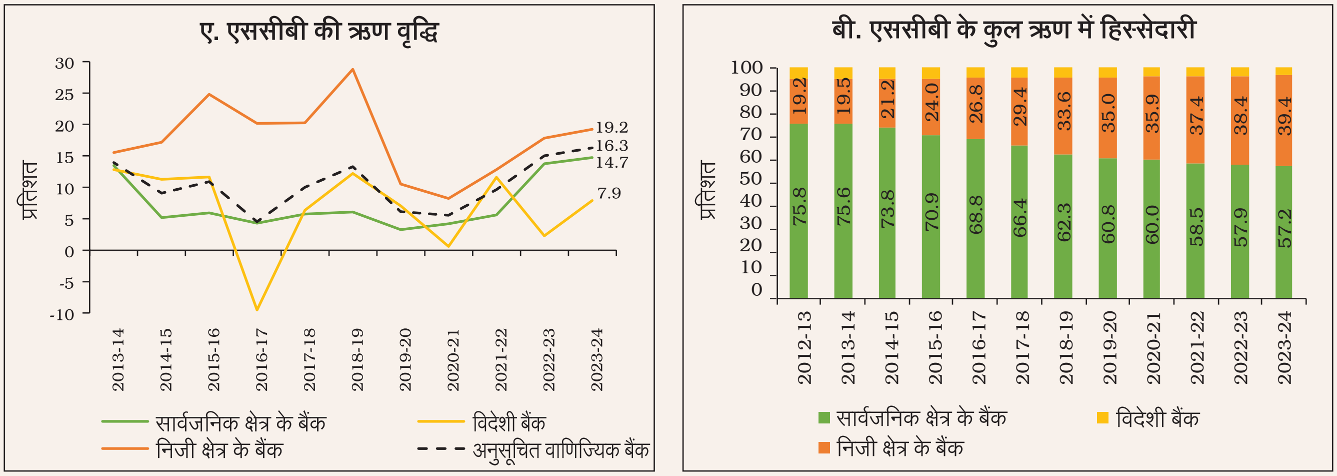

स्रोत: आरबीआई।

बैंकों (पीएसबी) से उच्चतर वृद्धि प्रदर्शित करना जारी रखा। दिनांक 22 मार्च, 2024 के अनुसार, पीवीबी में संवृद्धि एक वर्ष पूर्व के 17.8 प्रतिशत से बढ़कर 19.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) और पीएसबी में 13.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.7 प्रतिशत हो गई। इसके परिणामस्वरूप कुल ऋण में पीएसबी के हिस्से में गिरावट आई, हालांकि ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी पीएसबी का है। (चार्ट II.4.10बी)।

II.4.13 क्षेत्रवार[44] देखें तो, मार्च 2024 में कृषि-क्षेत्र के लिए ऋण में 20.1 प्रतिशत का विस्तार हुआ (जो कि एक वर्ष पूर्व 15.4 प्रतिशत था)। बड़े उद्योगों में ऋण वृद्धि अपेक्षाकृत कम (6.4 प्रतिशत) थी जिसका कारण आंशिक रूप से उनकी लाभप्रदता और नकदी प्रवाह में सुधार होना था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के ऋण में 14.1 प्रतिशत कि सुदृढ़ वृद्धि हुई जो कि संपार्श्विक-मुक्त ऋण[45] की उपलब्धता से समर्थित थी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और व्यापार-क्षेत्र की मांग के चलते मार्च 2024 में सेवा क्षेत्र के बैंक ऋण में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 16 नवंबर, 2023 को घोषित विनियामकीय उपायों के बाद एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋण की विस्तार-गति कम हुई (अध्याय VI देखें)। मार्च 2024 में निजी-ऋण में 17.7 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि हुई, जो कि आवास ऋण - इस खंड का आधे से अधिक हिस्सा- से समर्थित थी(चार्ट II.4.11 और सारणी II.4.2)।

II.4.14 वर्ष 2023-24 में एससीबी की जमा वृद्धि बैंक-ऋण से कम रही (चार्ट II.4.12ए और II.4.12बी)। इसके परिणामस्वरूप, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात जून 2022-मई 2023 के दौरान 100 प्रतिशत से ऊपर बढ़ गया (चार्ट II.4.12सी)। तदनंतर, जमा वृद्धि में तेजी के कारण यह अनुपात गिर तो गया, लेकिन ऋण और जमा वृद्धि के बीच की खाई बनी हुई है। निधीयन के उक्त अंतर को पाटने के लिए बैंकों ने सीडी-निर्गम किए जो, पिछले वर्ष के ₹6.4 लाख करोड़ रुपये कि तुलना में, वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर ₹8.3 लाख करोड़ रुपये हो गए(चार्ट II.4.12डी)।

[44] गैर-खाद्य ऋण आंकड़े पाक्षिक धारा 42 रिटर्न पर आधारित हैं और सभी एससीबी को शामिल करते हैं। क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक-ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित होते हैं, जिसमें, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्से को दर्शाने के लिए चुनिंदा बैंकों के हिसाब शामिल हैं। उक्त आंकड़े महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है।

[45] केंद्रीय बजट 2023-24 में, सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना में सुधार की घोषणा की, जिसमें कॉर्पस में ₹9,000 करोड़ का निवेश किया गया ताकि ₹2 लाख करोड़ के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण को सक्षम किया जा सके और ऋण की लागत में लगभग 1 प्रतिशत की कमी की जा सके। इसके अलावा, गारंटी के लिए उच्चतर सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।

चार्ट II.4.11 एससीबी की खाद्येतर ऋण वृद्धि

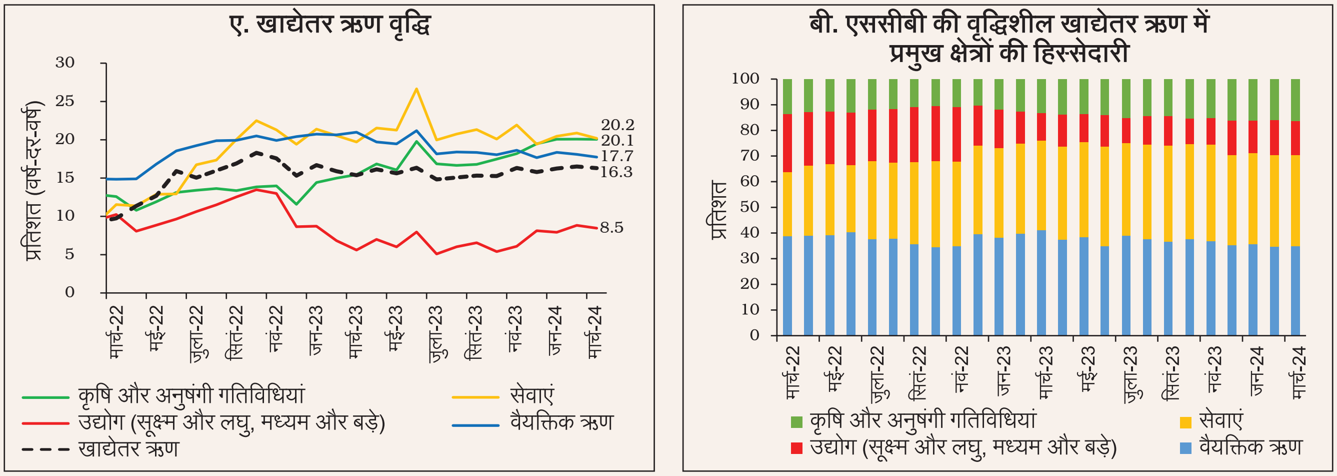

स्रोत: आरबीआई।

II.4.15 सख्त वित्तीय स्थितियों के कारण फर्मों की कर्ज-चुकौती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है, लेकिन न्यून-ऋण-आश्रय और चलनिधि बफ़र्स का निर्माण कॉरपोरेट वित्त पर उच्चतर ब्याज दरों के प्रभाव को कम कर सकता है (बॉक्स II.4.1)।

सारणी II.4.2: क्षेत्रीय ऋण वृद्धि - एससीबी

(प्रतिशत, वर्ष दर वर्ष)

क्षेत्र	2022-23#	2023-24											
		अप्रैल	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्तू	नवं	दिसं	जन	फर	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
खाद्येतर ऋण	**15.4**	**16.1**	**15.6**	**16.3**	**14.8**	**15.0**	**15.3**	**15.3**	**16.3**	**15.8**	**16.2**	**16.5**	**16.3**
I. कृषि और अनुषंगी गतिविधियाँ	**15.4**	**16.8**	**16.1**	**19.8**	**16.9**	**16.6**	**16.8**	**17.5**	**18.2**	**19.5**	**20.1**	**20.1**	**20.1**
II. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	**5.6**	**7.0**	**6.0**	**8.0**	**5.1**	**6.0**	**6.6**	**5.4**	**6.1**	**8.1**	**7.9**	**8.8**	**8.5**
II.1. सूक्ष्म और लघु	13.2	9.9	9.8	13.2	10.2	10.8	10.1	16.5	16.8	14.7	16.0	15.1	14.6
II.2. मध्यम	12.0	11.2	10.4	13.4	9.1	9.3	9.1	12.0	11.9	8.6	9.9	12.7	13.1
II.3. बड़े	3.1	5.8	4.6	6.1	3.4	4.5	5.4	2.2	3.0	6.4	5.7	6.8	6.4
II.3.1 इंफ्रास्ट्रक्चर	0.4	3.2	1.9	1.7	0.3	1.0	1.9	-0.1	1.1	4.8	5.0	5.8	5.4
II.3.2 मूल धातु और धातु उत्पाद	19.6	19.9	17.1	22.0	18.1	18.5	18.6	17.0	17.9	15.0	11.5	11.9	11.4
II.3.3 रसायन और रसायनिक उत्पाद	10.0	4.9	4.5	6.5	0.2	1.7	2.9	0.4	5.8	9.5	8.9	11.8	11.5
II.3.4 वस्त्र	1.9	4.3	5.2	8.7	8.4	11.8	12.6	12.7	14.9	13.5	13.6	13.6	10.9
II.3.5 सभी इंजीनियरिंग	4.3	6.3	5.6	10.5	10.2	9.0	7.4	9.4	9.6	8.5	12.0	11.1	11.2
II.3.6 खाद्य प्रसंस्करण	5.1	2.4	3.7	5.9	4.1	8.0	8.0	10.6	11.4	10.3	13.5	13.7	14.9
III. सेवाएं	**19.6**	**21.4**	**21.1**	**26.5**	**19.4**	**20.6**	**21.2**	**19.9**	**21.7**	**19.4**	**20.5**	**20.9**	**20.2**
III.1. व्यापार	17.8	18.2	17.4	17.4	16.6	16.0	17.2	19.6	19.6	17.8	18.2	18.1	17.0
III.2. एनबीएफसी	29.9	28.7	27.3	34.7	19.4	20.9	21.4	17.9	18.5	14.7	15.2	14.4	15.0
IV. वैयक्तिक ऋण	**21.0**	**19.7**	**19.5**	**21.2**	**17.9**	**18.4**	**18.3**	**18.0**	**18.6**	**17.7**	**18.4**	**18.1**	**17.7**
IV.1. आवास	15.2	14.5	14.6	15.0	12.8	13.6	13.7	14.5	15.0	14.4	16.7	16.7	17.4
IV.2. वाहन ऋण	24.8	23.1	22.3	23.0	21.2	20.7	21.3	20.0	20.8	20.5	16.3	17.5	17.3

#: मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023।
टिप्पणी: डेटा अनंतिम है और बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को हटाने के बाद।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट II.4.12 : एससीबी के जमा एवं ऋण

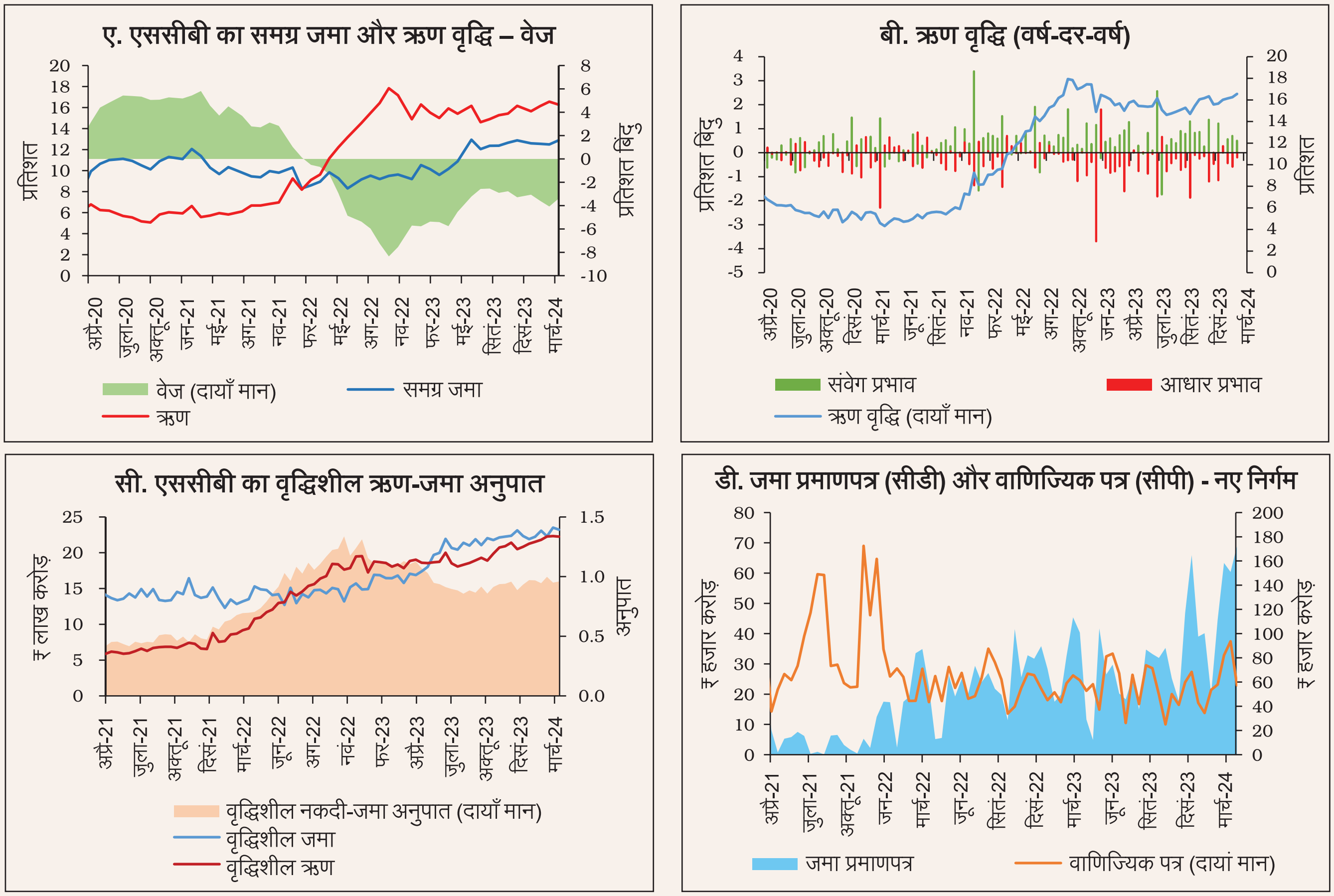

स्रोत: आरबीआई।

बॉक्स II.4.1
भारत में मौद्रिक नीति और गैर-वित्तीय संस्थाएं

मौद्रिक नीति चक्रों से बनीं वित्तीय स्थितियां वित्त पोषण लागत, कर्ज-चुकौती और गैर-वित्तीय कॉरपोरेट क्षेत्र के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं (शूलरिक और अन्य, 2021; बोइसे और अन्य, 2023)। वर्ष 2010 की पहली तिमाही से वर्ष 2023 की चौथी तिमाही की अवधि के 1,700 सूचीबद्ध भारतीय गैर-वित्तीय फर्मों के लिए सीएमआईई कौशल त्रैमासिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए, औसत निधीयन लागत पर मौद्रिक नीति में बदलाव के प्रभाव का विश्लेषण स्थानीय रैखिक प्रक्षेपण (एलएलपी) मॉडल फ्रेमवर्क में किया जाता है। यह विश्लेषण, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, और तिमाही और फर्म-निश्चित प्रभावों को स्थिर रखते हुए, ब्याज-व्यय-अनुपात (आईईआर) [कुल ऋण पर सकल ब्याज व्यय] और ब्याज-कवरेज-अनुपात (आईसीआर) [सकल ब्याज व्यय पर परिचालन लाभ] का नीतिगत रेपो दर में से प्रतिगमन करके किया जाता है। नीतिगत दर में बदलाव का कर्ज-चुकौती संकेतकों पर एक धीमा प्रभाव पड़ता है और फर्मों पर चरम प्रभाव नीतिगत दर संबंधी कार्रवाई के 7-9 तिमाहियों के बाद होता है (चार्ट 1)।

कॉरपोरेट क्षेत्र का स्वास्थ्य – जो ऋण परिपक्वता संरचना और नकदी शेष जैसे संकेतकों में लक्षित है- कर्ज-चुकौती लागत पर नीतिगत दर कार्रवाइयों के प्रभाव को संभावित रूप से बढ़ा या घटा सकता है। भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र ने चलनिधि बफ़र्स के निर्माण के साथ अपने ऋण की परिपक्वता संरचना में बढ़त देखी है। यह फर्मों को कठिन वित्तीय परिस्थितियों में समुत्थानशील बनाता है (चार्ट 2)।

(जारी)

चार्ट 1 : मौद्रिक नीति और ऋण उपयोगिता
(रेपो रेट में 100 आधार अंकों की बढ़ोतरी का प्रभाव)

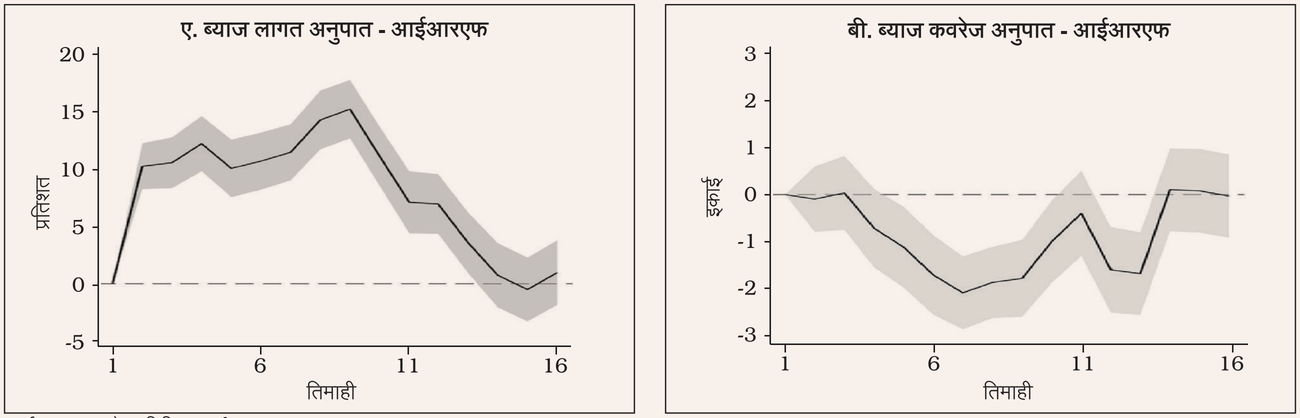

आईआरएफ: आवेग प्रतिक्रिया कार्य
टिप्पणी: छायित भाग 95 प्रतिशत कोन्फिडेंस बैंड को दर्शाता है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 2 : मौद्रिक दरों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने वाले संस्था-विशिष्ट कारक

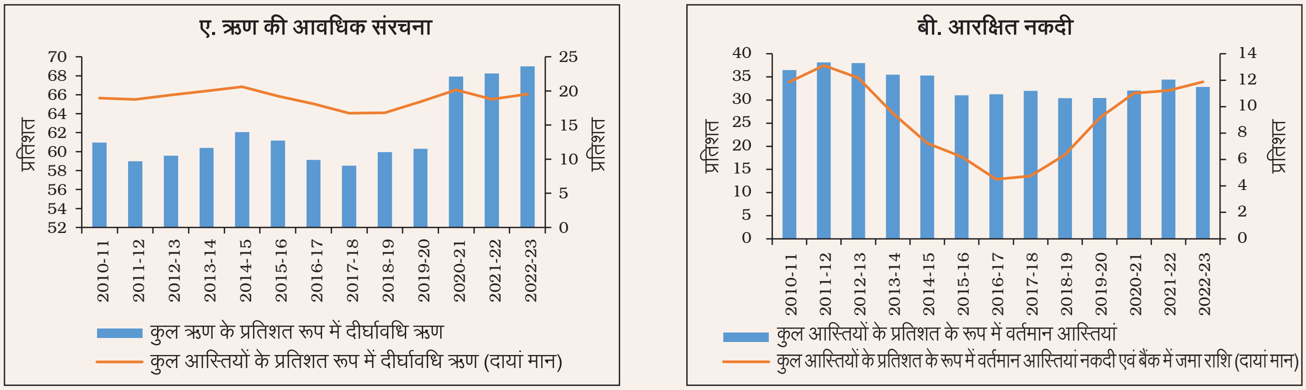

टिप्पणी: उक्त आंकड़े 900 फर्मों की कुल संख्या के वार्षिक आंकड़ों पर आधारित हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

संदर्भ:

1. शूलरिक, एम , स्टीगे, एल. टी., और वार्ड, एफ. (2021), 'लीनिंग अगेंस्ट द विंड एंड क्राइसिस रिस्क', *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू: इनसाइट्स*, 3(2), 199-214
2. बोइसे, एफ., कोलार्ड, एफ., मानेया, सी., और शापिरो, ए. (2023), 'मोनेटरी टाइटनिंग, इन्फ्लेशन ड्राइवर्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस', बीआईएस वर्किंग पेपर्स, नं.1155, दिसंबर

5. निष्कर्ष

II.4.16 वर्ष के दौरान ₹2000 के बैंक-नोटों का आहरण और बैंक-जमा के रूप में उनकी वापसी से संचलनगत-मुद्रा के और आरक्षित मुद्रा में मंदी आई, जबकि उसी अवधि में जमा-वृद्धि में तेजी आई। आकर्षक रिटर्न से बैंक-जमा को भी बढ़ावा मिला। सेवा, कृषि, खुदरा और एमएसएमई क्षेत्रों के नेतृत्व में बैंक-ऋण में सुदृढ़ विस्तार बना रहा। उपभोक्ता और व्यावसाय दोनों की आशावादिता और बैंकों के सशक्त तुलन-पत्रों से ऋण-वृद्धि के बने रहने की उम्मीद है, और ऐसे में ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए जमाराशि-जुटाव हेतु प्रयासरत होना आवश्यक है।

II.5 वित्तीय बाजार

II.5.1 वैश्विक वित्तीय बाज़ार वर्ष 2023-24 के दौरान अस्थिर रहे, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अवस्फीति-गति की अनिश्चितता, प्रमुख केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक-नीति प्रक्षेप-वक्र और तीव्र भू-राजनैतिक तनावों को दर्शाता है। ब्याज दरों के चरम पर पहुंचने की प्रत्याशा के कारण, केंद्रीय बैंकों के मार्गदर्शन और नवीनतम आंकड़ों के प्रति बाजार का उत्साह अत्यधिक संवेदनशील बना रहा, जिसके कारण बड़े उतार-चढ़ाव हुए।

II.5.2 समुत्थानशील आर्थिक गतिविधियों और मजबूत समष्टि-आर्थिक बुनियाद से सुदृढ़ता प्राप्त कर, घरेलू वित्तीय बाजार 2023-24 के दौरान एक व्यवस्थित तरीके से विकसित हुए। सरकारी नकदी शेष में निरंतर वृद्धि से चलनिधि अधिशेष कम होने के कारण वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में मुद्रा बाजार दरें मजबूत हुईं। नकदी की तंगी और ऋण मांग में कमी के बीच जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के निर्गम में तेजी आई। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के दौरान संप्रभु बॉण्ड प्रतिफल अपने कार्यक्षेत्र में ही सीमित रहा, लेकिन कच्चे तेल की कम कीमतें, वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट, प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांक में भारतीय संप्रभु बॉण्ड को शामिल करने की घोषणा, घरेलू मुद्रास्फीति में ढील और वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा उम्मीद से कम ऋण लेने के बाद उक्त कार्यक्षेत्र बढ़ गया। कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल ने सामान्यतः वर्ष के अंत में स्प्रेड में बृहतीकरण के साथ जी-सेक प्रतिफल को ट्रैक किया। आर्थिक गतिविधियों और कंपनियों के प्रदर्शन में हुई तेजी के कारण शेयर बाजारों ने मजबूत लाभ दर्ज किया। घरेलू विकास की संभावनाओं में सुधार और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ़पीआई) के उच्चतर प्रवाह के चलते भारतीय रुपये (आईएनआर) में स्थिरता देखी गई।

II.5.3 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, मुद्रा बाजार की गतिविधियां उप-खंड 2 में विस्तार से दी गई हैं। सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और कॉरपोरेट बॉण्ड के बाजार खंड का उल्लेख क्रमशः उप-खंड 3 और 4 में है। इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां, उप-खंड 7 में निष्कर्षी टिप्पणियों के साथ, उप-खंड 5 और 6 में शामिल हैं।

2. मुद्रा बाजार

II.5.4 वर्ष 2023-24 के दौरान मुद्रा बाजार दरें नीतिगत-गलियारे के आसपास बनी रहीं, जो कि चलनिधि की बदलती स्थितियों के अनुरूप थीं।[46] भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) वर्ष की पहली छमाही में अपने कार्यक्षेत्र में ही सीमित रही। उक्त दर अक्टूबर-जनवरी के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर की उच्चतम सीमा के करीब बनी रही क्योंकि सरकारी नकदी शेष में लगातार वृद्धि और संचलनगत-मुद्रा (सीआईसी) में त्योहारी परिवेश के कारण हुए विस्तार के परिणामस्वरूप चलनिधि स्थितियाँ सख्त हो गई थी [अध्याय III देखें]। फरवरी-मार्च के दौरान डब्ल्यूएसीआर में बढ़त हुई और यह नीतिगत रेपो दर के आसपास बनी रही। नीतिगत दर के सापेक्ष डब्ल्यूएसीआर का औसत प्रसार वर्ष 2022-23 के (-) 12 बीपीएस की तुलना में वर्ष 2023-24 में (+) 13 आधार अंक (बीपीएस) था (चार्ट II.5.1)।

II.5.5 डब्ल्यूएसीआर के परिवर्तन-गुणांक[47] द्वारा मापे गए कॉल मनी खंड में अस्थिरता पिछले वर्ष के 18.1 प्रतिशत से वर्ष 2023-24 में तेजी से घटकर 2.5 प्रतिशत हो गई। मुद्रा बाजार[48] में औसत-दैनिक-मात्रा 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष के ₹5.36 लाख करोड़ रुपये से 6 प्रतिशत घटकर ₹5.04 लाख करोड़ रुपये रह गई। वर्ष के दौरान, सख्त-चलनिधि-स्थितियों के साथ, तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः ₹5.1 लाख करोड़ और ₹5.2 लाख करोड़ तक पुनरुत्थान करने से पहले, औसत-दैनिक-मात्रा आरंभ में पहली तिमाही के ₹5.0 लाख करोड़ से वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में ₹4.9 लाख

[46] रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे चलनिधि प्रबंधन परिचालनों को इस रिपोर्ट के अध्याय-III में शामिल किया गया है।

[47] भिन्नता-गुणांक माध्य से मानक विचलन का अनुपात है।

[48] शनिवार को छोड़कर ओवरनाइट और आवधिक खंड दोनों के कॉल मनी, त्रिपक्षीय रेपो और मार्केट रेपो

चार्ट II.5.1 मुद्रा बाज़ार दरें और नीतिगत कॉरीडोर

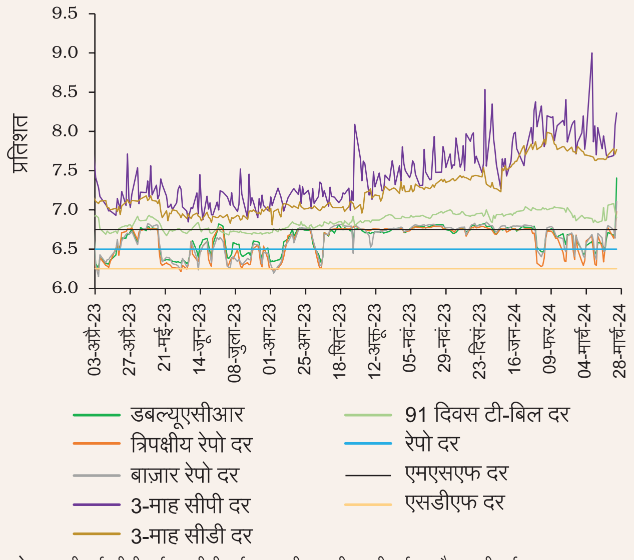

स्रोत: आरबीआई, सीसीआईएल, सीसीआईएल-एफ़टीआरएसी, एफ़बीआईएल और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट II.5.2: मुद्रा बाजार की मात्रा में प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा

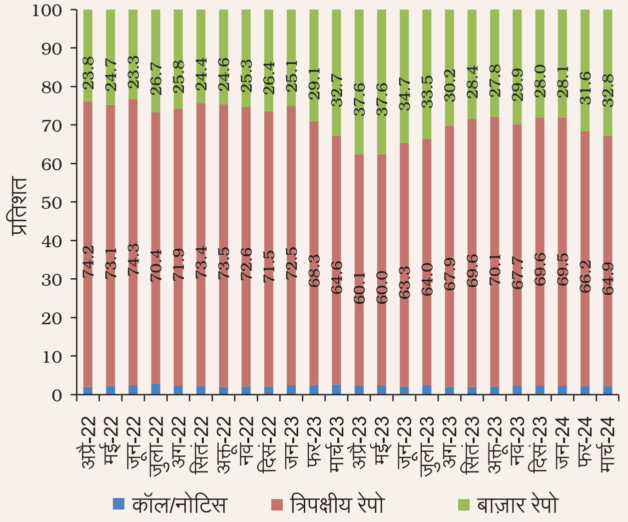

स्रोत: सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

करोड़ तक गिर गई।[49] बाजार रेपो की हिस्सेदारी में 37 प्रतिशत से 31 प्रतिशत की सहगामी गिरावट के साथ, कुल मुद्रा-बाजार-मात्रा में से त्रिपक्षीय रेपो की हिस्सेदारी वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 61 प्रतिशत से बढ़कर चौथी तिमाही में 67 प्रतिशत हो गई। गैर-संपार्श्विक कॉल मनी खंड का हिस्सा सभी तिमाहियों में लगभग 2 प्रतिशत पर बना रहा (चार्ट II.5.2)।

II.5.6 वर्ष के दौरान टी-बिल दरों की तुलना में जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पेपर (सीपी) दरों का औसत दैनिक प्रसार बढ़ा (चार्ट II.5.3)। दिनांक 16 नवंबर, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) हेतु उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण पर विनियामकीय उपायों ने भी वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान एनबीएफसी के लिए सीपी दरों को सख्त करने में योगदान दिया।

II.5.7 बैंकों द्वारा सुदृढ़ क्रेडिट ऑफटेक के निधीयन की मांग के कारण, प्राथमिक बाजार में, नए सीडी का निर्गम वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के ₹1.5 लाख करोड़ और दूसरी तिमाही के ₹1.6 लाख करोड़ से बढ़कर तीसरी तिमाही में ₹2.6 लाख करोड़ हो गया। चौथी तिमाही में ₹3.0 लाख करोड़ रुपये का सीडी निर्गम हुआ। हालांकि, प्राथमिक बाजार में सीपी का नया निर्गम पहली तिमाही के ₹3.8 लाख करोड़ रुपये से घटकर दूसरी तिमाही में ₹3.3 लाख करोड़ रुपये और तीसरी तिमाही में ₹2.9 लाख करोड़ रुपये रह गया। तथापि, चौथी तिमाही में सीपी निर्गम फिर से बढ़कर ₹3.8 लाख करोड़ रुपये हो गया।

3. जी-सेक बाजार

II.5.8 वर्ष 2023-24 के दौरान जी-सेक प्रतिफल में उतार-चढ़ाव बना रहा। पहली तिमाही के दौरान मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखने, मुद्रास्फीति के अनुकूल माहौल और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से प्रतिफल में गिरावट आई। 10-वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल तिमाही के अंत में 7.12 प्रतिशत रहा, जो 31 मार्च, 2023 (चार्ट II.5.4) के अपने स्तर से 19 बीपीएस कम है। मार्च 2023 के अंत तक 5-वर्षीय और 10-वर्षीय दरों के बीच प्रसार 14 बीपीएस से 4 बीपीएस तक सीमित होने के कारण प्रतिफल-वक्र सपाट हो गया। वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के दौरान,

[49] कॉल मनी खंड में, औसत-दैनिक-मात्रा (शनिवार को छोड़कर) पहली तिमाही में ₹11,274 करोड़ से घटकर दूसरी तिमाही में ₹10,381 करोड़ हो गई थी जो कि तीसरी तिमाही में बढ़कर ₹11,441 करोड़ और चौथी तिमाही में बढ़कर ₹11,785 करोड़ हो गई थी।

चार्ट II.5.3: 91-दिवसीय टी-बिल दर पर 3 महीने की सीपी और सीडी दर का स्प्रेड

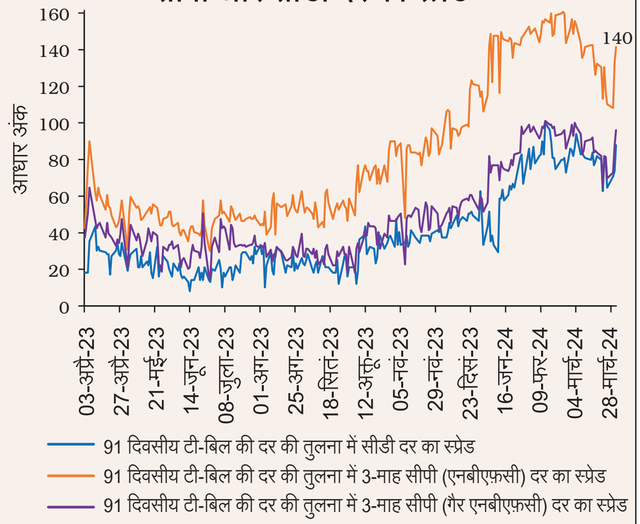

स्रोत: ब्लूमबर्ग, एफ़बीआईएल और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट II.5.4: 10-वर्षीय जी-सेक सामान्य प्रतिफल

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

घरेलू जी-सेक प्रतिफल सख्त वैश्विक प्रतिफल, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ बढ़ गया, जो प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय जी-सेक को शामिल करने के आशावाद को अनुचित्रित करता है।[50] पिछली तिमाही में अपने स्तरों की तुलना में, घरेलू 10 वर्षीय और 5 वर्षीय जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल तिमाही के अंत में क्रमशः 10 बीपीएस और 15 बीपीएस की अधिकता पर पहुंचे। घरेलू जी-सेक प्रतिफल-वक्र आगे और सपाट हो गया एवं 5 वर्षीय और 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल के बीच प्रसार 1 बीपीएस तक मामूली रूप से व्युत्क्रमित हो गया।

II.5.9 तीसरी तिमाही के दौरान 10 वर्षीय जेनरिक जी-सेक प्रतिफल 5 आधार अंक घटकर 7.17 प्रतिशत रह गया, जो बहुवर्षीय उच्च स्तरों से प्राप्त वैश्विक प्रतिफल में वृद्धि और घरेलू मुद्रास्फीति में तेजी के बावजूद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को दर्शाता है। दीर्घान्त क्रम की तुलना में अल्पांत क्रम के प्रतिफल में हुई तेज गिरावट के साथ, प्रतिफल-वक्र अधोगामी हो गया। 5 वर्षीय जेनरिक जी-सेक प्रतिफल 10 आधार अंक की गिरावट के साथ 7.13 फीसदी पर बंद हुआ। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में उम्मीद से कम सकल और निवल बाजार उधारी और घरेलू मुद्रास्फीति के कम होने के बीच वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान प्रतिफल और बढ़ गया। तिमाही के दौरान 10-वर्ष और 5-वर्ष का जेनरिक जी-सेक प्रतिफल क्रमशः 11 बीपीएस और 7 बीपीएस तक कम हो गया और दोनों मार्च 2024 के अंत में उक्त अवधि के दोनों प्रतिफल 7.06 प्रतिशत पर थे।

II.5.10 दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से पूर्ण प्राप्य मार्ग (एफएआर)[51] की शुरुआत के साथ, एफपीआई के पास निवेश के तीन चैनल हैं - मध्यम अवधि के फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के तहत निर्धारित निवेश सीमाओं का सामान्य मार्ग; स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर); और एफएआर (सारणी II.5.1)। कुल मिलाकर, एफ़पीआई ने वर्ष 2023-24 में ऋण लिखतों में ₹1.3 लाख करोड़ का निवेश किया।

[50] 10 वर्षीय जेनेरिक अमेरिकी राजकोष-प्रतिफल 73 आधार अंक बढ़ा, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत उक्त अवधि में 27 प्रतिशत से अधिक बढ़ी और जुलाई और अगस्त में हेडलाइन मुद्रास्फीति ने ऊपरी सीमा के परे चली गई।

[51] एफएआर के तहत, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियों को घरेलू निवेशकों को उपलब्ध होने के अलावा, बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया था।

सारणी II.5.1 : ऋण लिखतों में एफपीआई निवेश

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

निवेश का मार्ग/चैनल	मार्च 31, 2022			मार्च 31, 2023			मार्च 31, 2024		
	सीमा	बकाया	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)	सीमा	बकाया	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)	सीमा	बकाया	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i) एमटीएफ़^	10.8	2.2	20.5	11.7	1.8	15.4	11.7	1.9	16.0
(ii) वीआरआर^$	1.5	1.5	100.0	2.5	2.1	82.0	2.5	1.8	70.1
(iii) एफ़एआर#	17.6	0.5	2.6	28.0	0.8	2.8	39.0	1.7	4.5

^: इसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां (जी-सेक), राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (एसजीएस) और कॉरपोरेट बॉण्ड शामिल हैं।
$: 2023-24 में उपयोग में कमी जुलाई 2023 से वीआरआर के तहत समाप्त सीमा को वापस लेने के कारण है।
#: केवल मार्ग के अंतर्गत शामिल निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए उपलब्ध है।
स्रोत: सीसीआईएल और एनएसडीएल।

4. कॉरपोरेट ऋण बाजार

II.5.11 वर्ष 2023-24 के दौरान कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल बढ़ा, जो कि जी-सेक प्रतिफिल को प्रतिबिंबित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों के एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड पर मासिक औसत प्रतिफल; एनबीएफसी; और कॉरपोरेट्स मार्च 2023 के स्तर की तुलना में मार्च 2024 में क्रमशः 12 बीपीएस, 14 बीपीएस और 12 बीपीएस तक बढ़े (सारणी II.5.2)। पहली छमाही के दौरान प्रतिफल बढ़ा और चलनिधि-स्थितियों के सख्त होने और एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के लिए विनियामकीय उपायों की घोषणा के बीच स्प्रेड-विस्तार के साथ सामान्यतः दूसरी छमाही में कम हुआ।

II.5.12 तदनुरूपी परिपक्वता के जी-सेक प्रतिफल पर एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड-प्रतिफल का प्रसार सामान्यतः मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच बढ़ गया। कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार में औसत दैनिक द्वितीयक बाजार का कारोबार वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष के ₹5,549 करोड़ रुपये से मामूली रूप से बढ़कर ₹5,718 करोड़ रुपये हो गया (चार्ट II.5.5)।

II.5.13 विदेशी निर्गमों के माध्यम से लामबंदी में वृद्धि के साथ, वर्ष 2023-24 में सूचीबद्ध कॉरपोरेट बॉण्ड के प्राथमिक निर्गम बढ़े (सारणी II.5.3)। बॉण्ड बाजार के जरिए जुटाए गए कुल संसाधनों में निजी नियोजनों का हिस्सा 97.8 प्रतिशत रहा। कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई द्वारा निवेश वर्ष के दौरान मामूली रूप से बढ़ा, जिससे अनुमोदित सीमाओं का उपयोग एक वर्ष पूर्व के 15.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 16.2 प्रतिशत तक हो गया।

सारणी II.5.2: कॉरपोरेट बॉण्ड* - प्रतिफल और स्प्रेड

इकाई	प्रतिफल (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) [संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक]		
	मार्च 2023	मार्च 2024	परिवर्तन (बीपीएस)	मार्च 2023	मार्च 2024	परिवर्तन (बीपीएस)
1	2	3	4 (=3-2)	5	6	7 (=6-5)
(i) पीएसयू, एफआई और बैंक	7.75	7.63	-12	36	44	8
(ii) एनबीएफसी	8.12	7.98	-14	73	80	7
(iii) कॉरपोरेट्स	8.07	7.95	-12	68	77	9

*: एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड।
नोट: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफ़आईएमएमडीए।

चार्ट II.5.5: कॉरपोरेट बॉण्ड बाज़ार में एएए-रेटेड 3-वर्षीय प्रतिफल स्प्रेड और कुल कारोबार

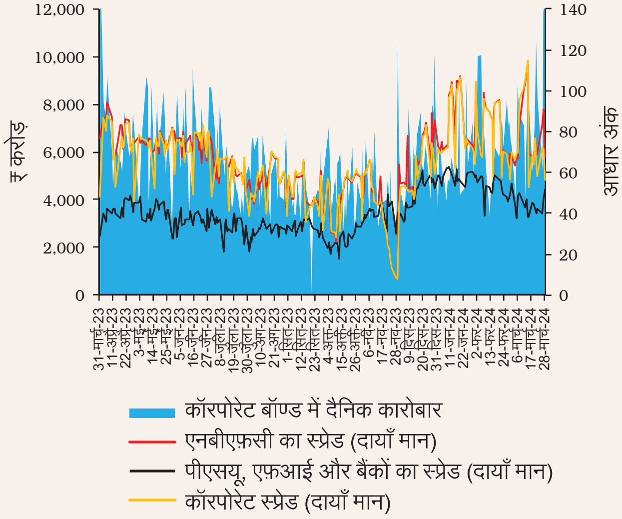

स्रोत: सेबी और एफ़आईएमएमडीए।

5. इक्विटी बाजार

II.5.14 वर्ष 2023-24 में, भारतीय इक्विटी मार्केट मजबूत समष्टि-आर्थिक बुनियाद और कॉरपोरेट लाभप्रदता पर उद्गामी बना रहा। मार्च 2024 के अंत में 24.9 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,651 पर बंद होकर बीएसई सेंसेक्स एक नए पायदान पर पहुंचा, जो अधिकांश वैश्विक समकक्षों (चार्ट II.5.6) के प्रदर्शन से बेहतर था। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) निर्गमों के स्थिर प्रवाह और तरजीही आवंटन एवं योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से तीव्र गति से बढ़ते हुए संसाधन जुटाव के साथ द्वितीयक बाजार के उत्साह के कारण प्राथमिक बाजार में भी अधिक संसाधन जुटे।

II.5.15 वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए ठोस कॉरपोरेट आय, उत्साहित घरेलू विनिर्माण प्रदर्शन, सुदृढ़ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह और मई 2023 के लिए बढ़े हुए मुद्रास्फीति-प्रिंट से उत्साहित होकर वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में बाजार एक शुभ संकेत नोट पर शुरू हुआ। चीन के इक्विटी में हुई गिरावट के तनाव और उच्च वैश्विक ब्याज दरों की लंबी अवधि की बढ़ती चिंताओं के बावजूद, दूसरी तिमाही में बाजारों ने 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सकारात्मक घरेलू कॉरपोरेट परिणामों और अनुकूल समष्टि-आर्थिक आंकड़ों पर उद्गामी प्रक्षेपवक्र बनाए रखा।

II.5.16 तीसरी तिमाही में, शुरू में बाजारों ने अक्टूबर 2023 में एफ़पीआई बहिर्वाह और मध्य-पूर्व युद्धस्थितियों के कारण नुकसान दर्ज किया। इसके बाद, घरेलू इक्विटी सूचकांकों में तीव्र प्रतिक्षेप हुआ, जो कि अमेरिका में प्रत्याशा से अधिक बढ़ी मुद्रास्फीति से मिले वैश्विक संकेतों और वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही की अनुकूल घरेलू कॉरपोरेट आय से प्रेरित था। वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में, बाजारों ने मामूली वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के मजबूत जीडीपी विकास आंकड़ों के बाद, बीएसई सेंसेक्स ने मार्च 2024 में 74,000 अंक – जो एक नया शिखर था- पार कर लिया।

II.5.17 बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में जोखिम-प्रवृत्ति बढ़ने पर वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः 63.4 प्रतिशत और 60.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, व्यापक बाजार सूचकांकों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया(चार्ट II.5.7ए)। एफ़पीआई ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹0.4 लाख करोड़ की निवल बिक्री के मुकाबले वर्ष 2023-24 के दौरान घरेलू इक्विटी बाजार में ₹2.1 लाख करोड़ का निवल क्रय किया (चार्ट II.5.7बी)।

सारणी II.5.3: कॉरपोरेट बॉण्ड जारी करना

मद	राशि (₹ लाख करोड़)		परिवर्तन (कॉलम 3 की तुलना में कॉलम 2) [प्रतिशत]
	2022-23	2023-24	
1	2	3	4
(i) प्राथमिक कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गमन	7.6	8.6	12.2
(ii) बकाया कॉरपोरेट बॉण्ड (मार्च-अंत)	43.1	47.3	9.6
(iii) कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई द्वारा निवेश (मार्च अंत)	1.04	1.08	4.4

स्रोत: सेबी और एनएसडीएल।

चार्ट II.5.6: इक्विटी बाजार

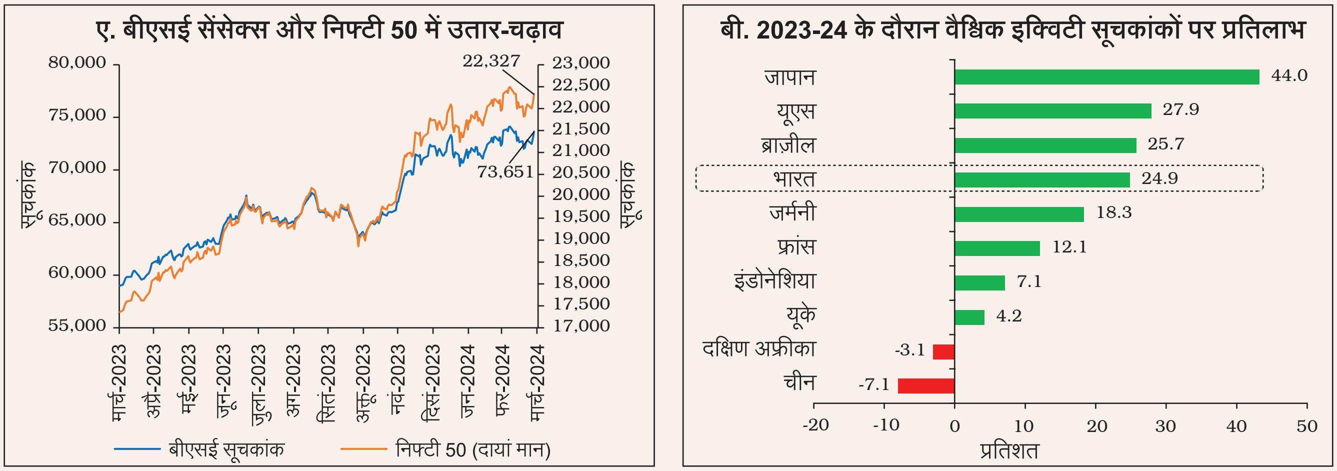

स्रोत : बीएसई, एनएसई और ब्लूमबर्ग।

म्यूचुअल फंड्स ने वर्ष 2023-24 में ₹2.0 लाख करोड़ का निवल क्रय किया।

प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाव

II.5.18 इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड में, तरजीही आवंटन और क्यूआईपी के माध्यम से संसाधनों का जुटाव वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर ₹1.1 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष के दौरान ₹0.9 लाख करोड़ रुपये था। आईपीओ, अनुगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधनों का जुटाव 0.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 0.8 लाख करोड़ रुपये हो गया (चार्ट II.5.8ए और परिशिष्ट सारणी 5)। लघु एवं मध्यम उद्योग (एसएमई) खंड ने, एक वर्ष पूर्व 125 एसएमई आईपीओ/एफपीओ निर्गमों से जुटाए गए ₹2,333 करोड़ रुपये की तुलना में, वर्ष 2023-24 में 197 एसएमई आईपीओ/एफपीओ निर्गमों से ₹6,122 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

II.5.19 म्यूचुअल फंड द्वारा जुटाए गए निवल संसाधन, वर्ष 2022-23 के ₹0.8 लाख करोड़ रुपये की तुलना में, वर्ष 2023-24 के दौरान चार गुना से अधिक बढ़कर ₹3.5 लाख करोड़ रुपये हो गए। इक्विटी-आधारित-अबाध- म्यूचुअल फंड-योजनाओं से निवल संसाधन जुटाव ₹1.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर ₹1.8 लाख करोड़ रुपये हो गया। सुनियोजित निवेश योजना (एसआईपी) मार्ग के माध्यम से म्यूचुअल फंड में औसत

चार्ट II.5.7: व्यापक बाज़ार और संस्थागत निवेश

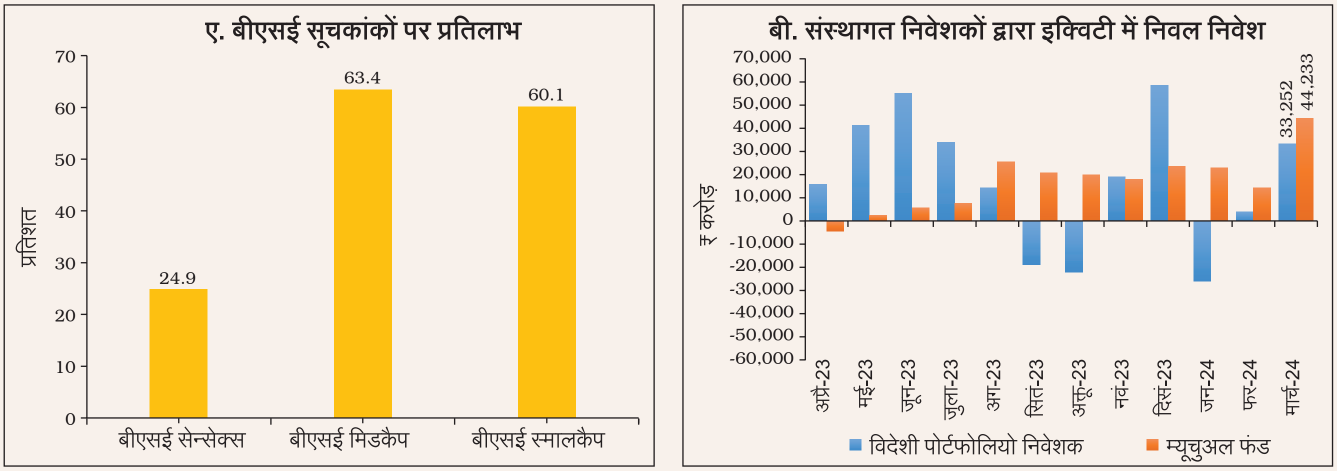

स्रोत: सेबी, एनएसडीएल और ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.5.8: संसाधन जुटाना

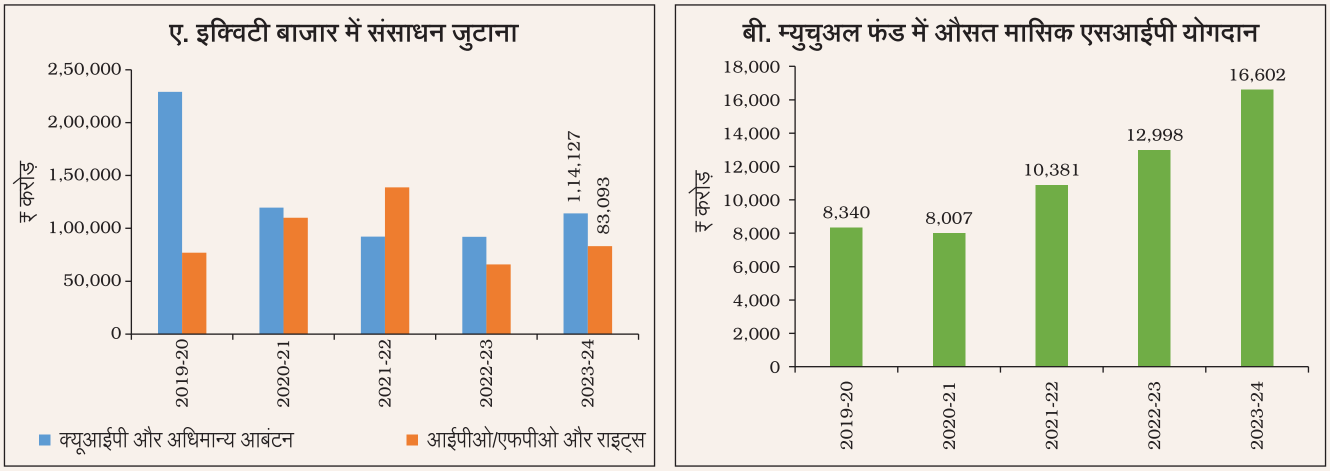

स्रोत: सेबी और एएमएफआई।

मासिक योगदान पिछले वर्ष के ₹12,998 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹16,602 करोड़ हो गया (चार्ट II.5.8बी)। इक्विटी-आधारित- अबाध -म्यूचुअल फंड के प्रबंधन के तहत आस्तियां (एयूएम) मार्च 2024 के अंत में करीब 55 प्रतिशत बढ़कर ₹23.5 लाख करोड़ रुपये हो गईं ऋण-आधारित-अबाध योजनाओं में निवल प्रतिदान वर्ष 2023-24 के दौरान गिरकर ₹0.2 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष में ₹1.8 लाख करोड़ रुपये था।

6. विदेशी मुद्रा बाजार

II.5.20 भारतीय रुपए (आईएनआर) ने 2023-24 के दौरान घरेलू समष्टि-आर्थिक बुनियाद में सुधार, कमतर चालू खाता घाटे (सीएडी) और उच्च पूंजी अंतर्वाह के प्रति समुत्थानशीलता दिखाई। पहली तिमाही में, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और बड़े एफ़पीआई अंतर्वाह से भारतीय रुपए में मूल्यवृद्धि की उम्मीद मिली, जबकि मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ऋण-उच्चतम-सीमा समस्या के कारण भारतीय रुपए को मूल्यह्रास के दबाव और गतिरोध का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर, पहली तिमाही में 0.2 प्रतिशत बढ़कर भारतीय रुपए का मूल्य जून 2023 के अंत तक ₹82.04 प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में, यूएस डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र लाभ के चलते भारतीय रुपया मूल्यह्रास के दबाव में आ गया। यूएस एफ़ईडी द्वारा और अधिक मौद्रिक कसाव की उम्मीदों और लंबी अवधि के लिए उच्चतर ब्याज दर के अपने रुख के कारण, यूएस डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) ने तिमाही के दौरान 3.2 प्रतिशत की बढ़त प्राप्त की जो कि सितंबर 2022 के बाद से इसका सबसे अच्छा प्रतिशत था। सितंबर 2023 में एफ़पीआई के बहिर्वाह ने भारतीय रुपए पर मूल्यह्रास दबाव डाला, जबकि जेपी मॉर्गन के *इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल बॉण्ड इंडेक्स* में भारतीय बॉण्ड के शामिल होने की रिपोर्ट ने उसे सहायता प्रदान की। कुल मिलाकर, तिमाही के अंत में 1.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ भारतीय रुपए का मूल्य ₹83.04 प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट II.5.9)।

II.5.21 वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में, अमेरिकी राजकोष-प्रतिफल में वर्ष 2007 के बाद से हुई, उच्चतम स्तर की वृद्धि, मध्य-पूर्व एशिया के भू-राजनैतिक-तनाव-विस्फोट के बीच कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और निरंतर एफ़पीआई बहिर्वाह का भारतीय रुपए पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बाद, नवंबर और दिसंबर (यूएस $ 13 बिलियन) के दौरान अमेरिकी राजकोष-प्रतिफल की बढ़त और एफ़पीआई अंतर्वाह की बहाली से भारतीय रुपए को बल मिला। कुल मिलाकर, तिमाही के अंत में 0.2 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ भारतीय रुपए का मूल्य ₹83.21 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में, मजबूत अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की उच्च कीमतों ने भारतीय रुपए पर मूल्यह्रास का दबाव डाला, जबकि करीब $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफ़पीआई अंतर्वाह ने भारतीय रुपए को बल दिया। तिमाही के अंत में 0.2

चार्ट II.5.9: रुपये, यूएस डॉलर, कच्चे तेल की कीमत और ईएम मुद्रा सूचकांक में उतार-चढ़ाव

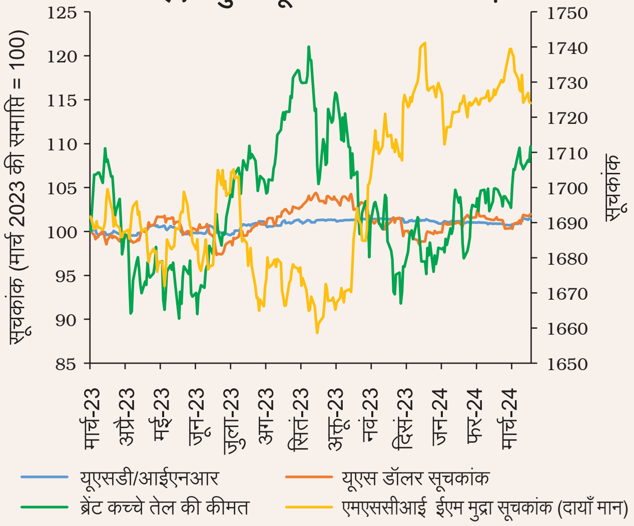

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

प्रतिशत की गिरावट के साथ भारतीय रुपए का मूल्य ₹83.40 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत और अमेरिका के बीच ब्याज़-दर-विभेदक के संकुचन के चलते कम वर्ष 2023-24 के दौरान, वायदा-लाभ में गिरावट आई।

II.5.22 40- सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) में 0.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में वर्ष 2023-24 के दौरान 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7. निष्कर्ष

II.5.23 सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों से उत्पन्न प्रतिकूल वैश्विक स्पिलओवर, प्रमुख प्रणालीगत अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीति के अनिश्चित प्रक्षेपवक्र, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों और दीर्घस्थायी भू-राजनैतिक तनावों के बावजूद, भारतीय वित्तीय बाजारों में वर्ष 2023-24 के दौरान व्यवस्थित उतार-चढ़ाव देखे गए। मुद्रा बाजार दरों में कम अस्थिरता देखी गई। घरेलू जी-सेक प्रतिफल में उतार-चढ़ाव देखा गया। भारतीय रुपए का मूल्य स्थिर रहा। भारतीय इक्विटी मार्केट को नए शिखर मिले और प्राथमिक बाजारों में संसाधन जुटाव को गति मिली।

II.6 सरकारी वित्त

II.6.1 सरकारी वित्त - केंद्र और राज्य दोनों - 2023-24 के दौरान मजबूत हुए। कर प्राप्तियों में बढ़ोतरी और कम राजस्व व्यय के कारण सामान्य सरकारी घाटे (जीडीपी का प्रतिशत) में गिरावट आई। पूंजीगत परिव्यय में विस्तार के साथ व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इस पृष्ठभूमि में, उपखंड 2 और 3 क्रमशः 2023-24 और 2024-25 में केंद्र सरकार के वित्त का विश्लेषण करते हैं। उपखंड 4 और 5 इन वर्षों के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर केंद्रित हैं। उपखंड 6 में सामान्य सरकारी वित्त पर चर्चा की गई है। अंतिम खंड समापन टिप्पणियाँ निर्धारित करता है।

2. 2023-24 में केंद्र सरकार का वित्त

II.6.2 केंद्र सरकार ने बजट अनुमान (चार्ट II.6.1) के अनुरूप, संशोधित अनुमान (आरई)[52] में 2023-24 के लिए अपने सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत पर सीमित रखा ।

चार्ट II.6.1: बीई की तुलना में आरई का 2023-24 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में योगदान

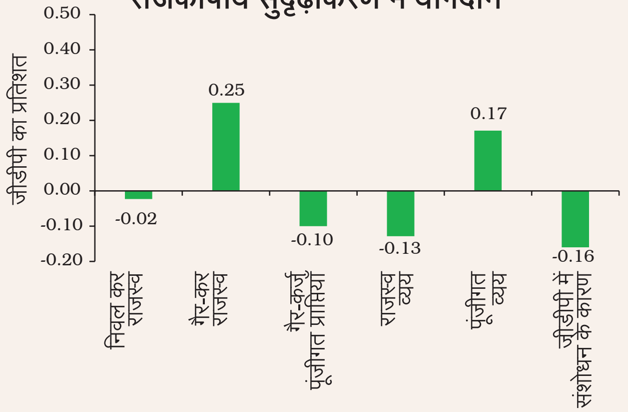

बीई: बजट अनुमान। आरई: संशोधित अनुमान।
टिप्पणी: नकारात्मक योगदान, प्राप्तियों में वृद्धि या व्यय में कटौती या जीडीपी में बीई से आरई तक ऊर्ध्वगामी संशोधन को दर्शाता है क्योंकि ये बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके विपरीत, सकारात्मक योगदान, कम प्राप्तियों या बीई से आरई तक उच्च व्यय को दर्शाता है, क्योंकि ये बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से फिसलन में योगदान करते हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[52] 2023-24 के लिए सांकेतिक जीडीपी का दूसरा अग्रिम अनुमान (29 फरवरी, 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी) 293.9 लाख करोड़ रुपये रखा गया, जबकि पहले का अनुमान 296.6 लाख करोड़ रुपये (अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किया गया) था। तदनुसार, 2023-24 (आरई) के लिए सकल राजकोषीय घाटा अंतरिम यूनियन बजट 2024-25 में दिए गए 5.85 प्रतिशत के संशोधित अनुमान के मुकाबले जीडीपी का 5.90 प्रतिशत है ।

II.6.3 2023-24 (आरई) में राजस्व व्यय, बजट अनुमान से सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत (₹38,103 करोड़) अधिक हो गया, यह अतिरिक्त व्यय उपायों को प्रतिबिंबित करता है जैसे कि ₹200 प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी (अगस्त 2023 में घोषित); प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) योजना (अक्टूबर 2023 में घोषित) के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर ₹100 की अतिरिक्त सब्सिडी; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का पांच साल तक विस्तार; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत अधिक धन का आवंटन और पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी (एनबीएस) के तहत उच्च व्यय। दूसरी ओर, पूंजीगत व्यय, बजटीय ऋण और अग्रिम (₹20,640 करोड़) तथा पूंजी परिव्यय[53] (₹30,075 करोड़) कम होने के कारण बजट अनुमान (बीई) से ₹50,715 करोड़ कम हो गया। फिर भी, पूंजीगत व्यय 2023-24 (आरई) में 28.4 प्रतिशत की मजबूत गति से बढ़ा और 2022-23 के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत हो गया।

II.6.4 प्राप्तियों के मामले में, सकल कर राजस्व बजट अनुमान बीई से बढ़कर ₹76,353 करोड़ हो गया, जो उच्च आयकर राजस्व से प्रेरित है, जो उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क संग्रह में कमी की भरपाई करता है। आयकर ने बजट अनुमान (बीई) के 1.0 की तुलना में 2023-24 (आरई) में 2.5 की उछाल दर्ज की। हालाँकि, राज्यों को अधिक हस्तांतरण के कारण निवल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद (₹6,713 करोड़) के बीई से 0.02 प्रतिशत कम हो गया। रिज़र्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उच्च लाभांश हस्तांतरण के कारण गैर-कर राजस्व संग्रह सकल घरेलू उत्पाद (₹74,145 करोड़) के बीई से 0.3 प्रतिशत अधिक हो गया। हालाँकि, 2023-24 (आरई) में विनिवेश प्राप्तियाँ ₹30,000 करोड़ थीं, जो बीई (चार्ट II.6.2) से कम थीं।

चार्ट II.6.2: विनिवेश – वास्तविक बनाम बजट

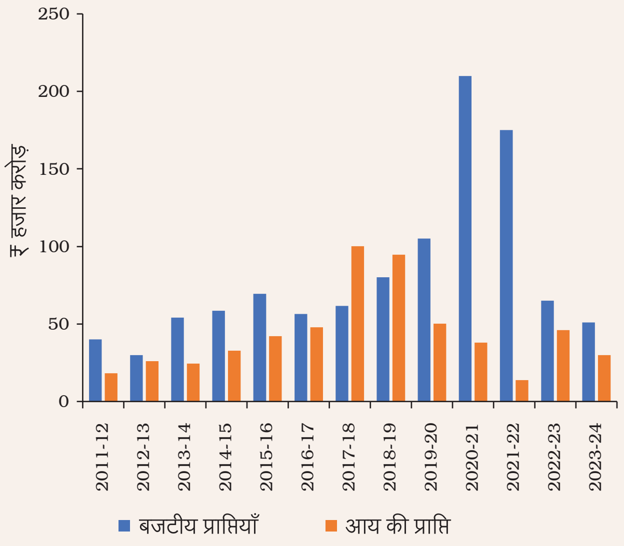

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

3. 2024-25 में केंद्र सरकार का वित्त

II.6.5 अंतरिम यूनियन बजट 2024-25 ने उच्च पूंजीगत व्यय के माध्यम से विकास गति का समर्थन करते हुए राजकोषीय समेकन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। 2024-25 के लिए जीएफडी का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत रखा गया है, जो 2023-24 के लिए आरई पर 76 आधार अंक (बीपीएस) का समेकन है, जिसका मकसद सकल घरेलू उत्पाद के 11.2 प्रतिशत पर राजस्व व्यय को नियंत्रित करना है, साथ ही पूंजीगत व्यय को 2023-24 (आरई) के 3.2 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत करने का बजट रखा गया है [सारणी II.6.1 और परिशिष्ट सारणी 6]।

II.6.6 व्यय के मोर्चे पर, प्रमुख सब्सिडी पर भुगतान 2024-25 (बीई) में 7.8 प्रतिशत तक संकुचन होने की उम्मीद है, जिससे राजस्व व्यय वृद्धि 3.2 प्रतिशत तक सीमित हो जाएगी। 2024-25 में पूंजीगत व्यय मजबूत रहने की उम्मीद है (16.9 प्रतिशत की वृद्धि), जो सड़कों और रेलवे पर खर्च से प्रेरित है (चार्ट II.6.3)। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को 2024-25 तक बढ़ा दिया गया

[53] पूंजीगत व्यय से ऋण और अग्रिम को कम करके।

सारणी II.6.1: केंद्र सरकार का राजकोषीय प्रदर्शन

(जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2015-16 से 2018-19 तक का औसत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (बीई)	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. गैर-कर्ज प्राप्तियाँ	9.1	8.7	8.5	9.4	9.1	9.0	9.4	9.4
II. सकल कर राजस्व (ए+बी)	11.0	10.0	10.2	11.5	11.3	11.1	11.7	11.7
ए) प्रत्यक्ष कर	5.7	5.2	4.8	6.0	6.2	6.0	6.6	6.7
बी) अप्रत्यक्ष कर	5.3	4.8	5.5	5.5	5.2	5.1	5.1	5.0
III. निवल कर राजस्व	7.1	6.7	7.2	7.6	7.8	7.7	7.9	7.9
IV. गैर-कर राजस्व	1.5	1.6	1.0	1.5	1.1	1.0	1.3	1.2
V. गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियाँ	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
VI. कुल व्यय	12.6	13.4	17.7	16.1	15.6	14.9	15.3	14.5
VII. राजस्व व्यय	10.9	11.7	15.5	13.6	12.8	11.6	12.0	11.2
VIII. पूंजीगत व्यय	1.7	1.7	2.1	2.5	2.7	3.3	3.2	3.4
IX. राजस्व घाटा	2.4	3.3	7.3	4.4	4.0	2.9	2.9	2.0
X. सकल राजकोषीय घाटा	3.5	4.6	9.2	6.7	6.4	5.9	5.9	5.1

बीई: बजट अनुमान। आरई: संशोधित अनुमान।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

है। 2024-25 (बजट अनुमान) में पूंजीगत परिव्यय के बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है और राजस्व व्यय/पूंजी परिव्यय अनुपात में और गिरावट आएगी, जिससे खर्च की गुणवत्ता में सुधार होगा (चार्ट II.6.4)।

II.6.7 प्राप्तियों के मामले में, सकल कर राजस्व में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, इसमें हाल के रुझानों के अनुरूप 1.09 की उछाल है [सारणी II.6.2]। 2024-25 में प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात जीडीपी का 6.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो तीन दशकों में सबसे अधिक है (चार्ट II.6.5)। गैर-कर प्राप्तियों में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जबकि विनिवेश लक्ष्य ₹0.5 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।

चार्ट II.6.3: 2024-25 में पूंजीगत व्यय का मंत्रालय-वार विभाजन (कुल का प्रतिशत)

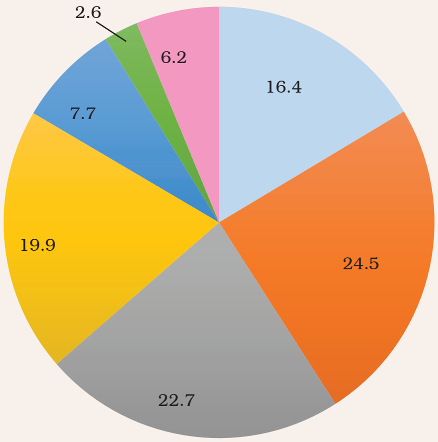

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

चार्ट II.6.4: व्यय की गुणवत्ता

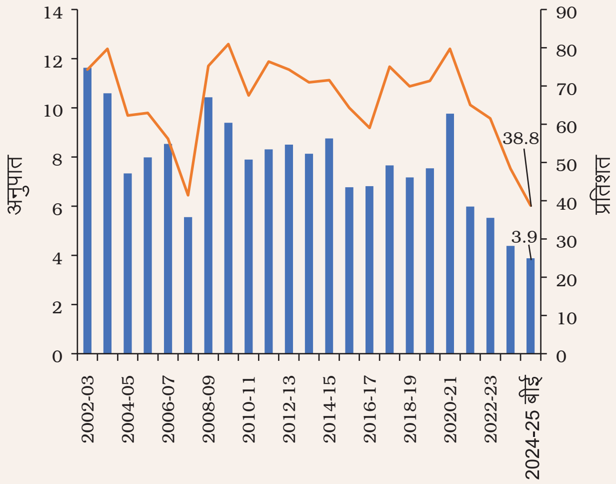

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

सारणी II.6.2 : कर उछाल

	औसत कर उछाल (2010-11 to 2018-19)	2023-24 (बीई)	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)
1	2	3	4	5
1. सकल कर राजस्व	1.11	0.99	1.39	1.09
2. प्रत्यक्ष कर	1.03	1.00	1.90	1.24
i) कॉर्पोरेशन कर	0.92	1.00	1.30	1.24
ii) आय कर	1.27	1.00	2.49	1.25
3. अप्रत्यक्ष कर	1.25	0.99	0.77	0.89
i) जीएसटी	-	1.14	1.40	1.11
ii) सीमा शुल्क	0.31	1.05	0.27	0.55
iii) उत्पाद शुल्क	0.91	0.57	-0.50	0.48

-: अनुपलब्ध जीएसटी : वस्तु एवं सेवा कर
टिप्पणी: कर उछाल को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन तथा कर नीतियों में विवेकाधीन परिवर्तनों के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के यूनियन बजट दस्तेवाजों पर आधारित आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.6.8 2024-25 के लिए सकल बाजार उधार ₹14.1 लाख करोड़ (जीडीपी का 4.3 प्रतिशत) आंका गया है, जो 2023-24 आरई (जीडीपी का 5.3 प्रतिशत) के ₹15.4 लाख करोड़ से कम है। 2024-25 (बीई)[54] में निवल बाजार उधार जीएफडी के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बना हुआ है, इसके बाद छोटी बचतें (चार्ट II.6.6) है।

4. 2023-24 में राज्य वित्त

II.6.9 राज्यों ने 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत का संयुक्त जीएफडी बजट रखा है, जो इस वर्ष के लिए केंद्र की 3.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर है (सारणी II.6.3)। 2023-24 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के पास उपलब्ध 22 राज्यों के आंकड़ों के अनुसार, राज्यों का जीएफ़डी बजट अनुमान का 92.0 प्रतिशत था जो एक साल पहले (88.1 प्रतिशत) से अधिक था। प्राप्तियों के मोर्चे पर, उच्च हस्तांतरण के कारण राज्यों के कुल कर राजस्व में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उनके स्वयं की कर राजस्व वृद्धि कम हो गई। राज्यों के अपने कर राजस्व के भीतर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर और राज्य उत्पाद

चार्ट II.6.5: कर-जीडीपी अनुपात

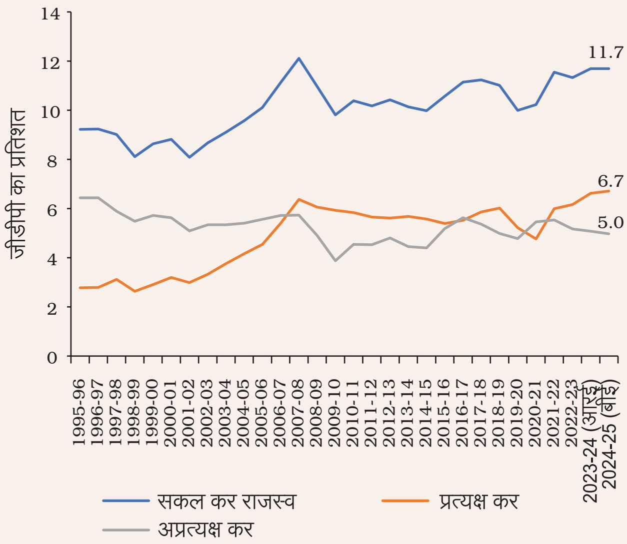

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

चार्ट II.6.6: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

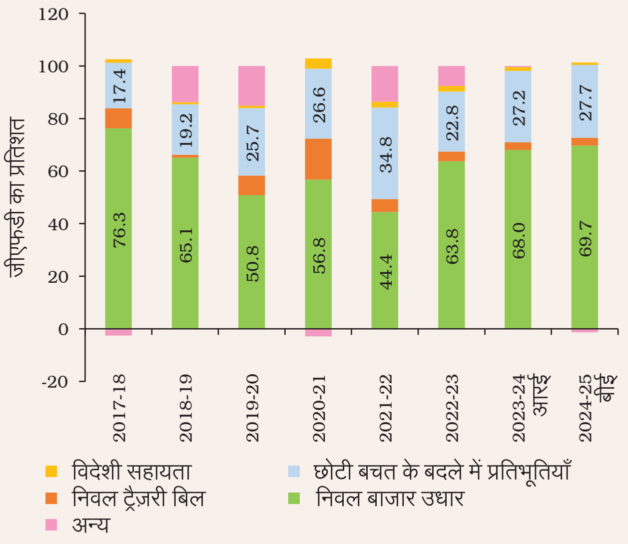

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

[54] 2024-25 (बीई) के लिए निवल बाजार उधार 11.75 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.6 प्रतिशत) रखा गया है, जबकि 2023-24 (आरई) में 11.80 लाख करोड़ रुपये [जीडीपी का 4.0 प्रतिशत] था ।

सारणी II.6.3: राज्यों/यूटी की राजकोषीय स्थिति

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियाँ	26.7	25.9	32.3	39.1	43.1
	(13.3)	(13.0)	(13.7)	(14.4)	(14.3)
II. गैर कर पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.6	0.2	0.2	0.1	0.4
	(0.3)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
III. राजस्व व्यय	27.9	29.6	33.3	40.4	43.4
	(13.9)	(14.9)	(14.2)	(14.8)	(14.4)
IV. पूंजीगत व्यय	4.6	4.6	5.8	8.1	9.6
	(2.3)	(2.3)	(2.4)	(3.0)	(3.2)
ए. पूंजीगत परिव्यय	4.2	4.1	5.3	7.3	8.7
	(2.1)	(2.1)	(2.3)	(2.7)	(2.9)
बी. राज्यों द्वारा ऋण और अग्रिम	0.4	0.4	0.4	0.8	0.9
	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.3)
V. राजकोषीय घाटा	5.3	8.1	6.6	9.2	9.5
	(2.6)	(4.1)	(2.8)	(3.4)	(3.1)
VI. राजस्व घाटा	1.2	3.7	1.0	1.3	0.4
	(0.6)	(1.9)	(0.4)	(0.5)	(0.1)
VII. प्राथमिक घाटा	1.7	4.2	2.3	4.5	4.3
	(0.9)	(2.1)	(1.0)	(1.7)	(1.4)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

शुल्क में कमी हुई। गैर-कर राजस्व में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राज्यों को जीएसटी मुआवजे की समाप्ति और वित्त आयोग अनुदान में कमी के बाद केंद्र से अनुदान में 21.7 प्रतिशत की कमी आई।

II.6.10 खर्च के मोर्चे पर, 2023-24 में राजस्व व्यय वृद्धि (8.1 प्रतिशत) रही, जो एक साल पहले (11.2 प्रतिशत) की तुलना में कम थी। पूंजीगत खर्च पर जोर (19.4 फीसदी वृद्धि) जारी रहा, जिसे पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने की केंद्र की योजना से सहायता मिली।

5. 2024-25 में राज्य वित्त

II.6.11 2024-25 के लिए 27 राज्यों की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनका सकल घरेलू उत्पाद के 3.0 प्रतिशत के समेकित जीएफ़डी के लिए बजट रखा है (सारणी II.6.4)। 2024-25 (बीई) के दौरान केंद्र से सकल हस्तांतरण के बजट में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कर हस्तांतरण में वृद्धि और पूंजीगत व्यय के लिए ऋण में वृद्धि है। राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की योजना 2024-25 में जारी रहेगी, जिसमें कुल परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपये होगा - 2023-24 में संशोधित अनुमान (आरई) के स्तरों पर 23.2 प्रतिशत की वृद्धि। हालांकि, वित्त आयोग के अनुदान में 2024-25 में गिरावट की उम्मीद है, मुख्य रूप से हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान के तहत कम अंतरण के कारण।

सारणी II.6.4: राज्य सरकार वित्त 2024-25*: प्रमुख घाटा संकेतक

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

मद	2022-23	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)
1	2	3	4
राजस्व घाटा	0.3	0.5	0.2
सकल राजकोषीय घाटा	2.7	3.3	3.0
प्राथमिक घाटा	1.0	1.6	1.3

*: डेटा 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित है, जिनमें से 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है और शेष राज्यों ने 2024-25 के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

6. सामान्य सरकारी वित्त

II.6.12 सामान्य सरकारी घाटा और ऋण 2023-24 (बीई) में कम होकर क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 8.6 प्रतिशत और 81.6 प्रतिशत हो गया, जो 2022-23 (आरई) में क्रमशः 9.6 प्रतिशत और 82.5 प्रतिशत था (चार्ट II.6.7 और परिशिष्ट सारणी 7)। 2023-24 में सामान्य सरकारी घाटे में कमी को कर राजस्व में वृद्धि [2022-23 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद के 17.9 प्रतिशत से 2023-24 (बीई) में 18.2 प्रतिशत तक] के साथ-साथ राजस्व व्यय में कमी (जीडीपी का 25.8 प्रतिशत से 24.0 प्रतिशत तक) से समर्थन मिला।

II.6.13 वैश्विक स्तर पर, धीमी वृद्धि, बढ़ती वास्तविक ब्याज दरों और विस्तारवादी राजकोषीय नीति (आईएमएफ़, 2023)[55] के कारण 2023 में सरकारी वित्त दबाव में रहा। सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (AE) में 2022 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 5.6 प्रतिशत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (EME) में 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया [चार्ट II.6.8]। भले

चार्ट II.6.7: सामान्य सरकारी ऋण और घाटा संकेतक

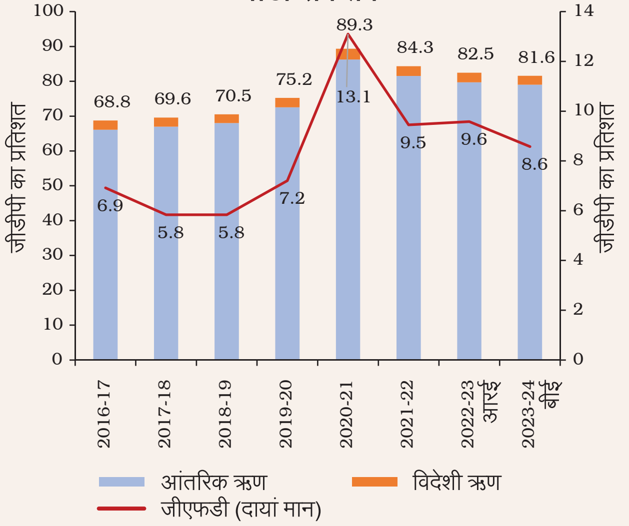

स्रोत: आरबीआई और यूनियन बजट दस्तावेज़।

चार्ट II.6.8: राजकोषीय अधिशेष और सकल ऋण

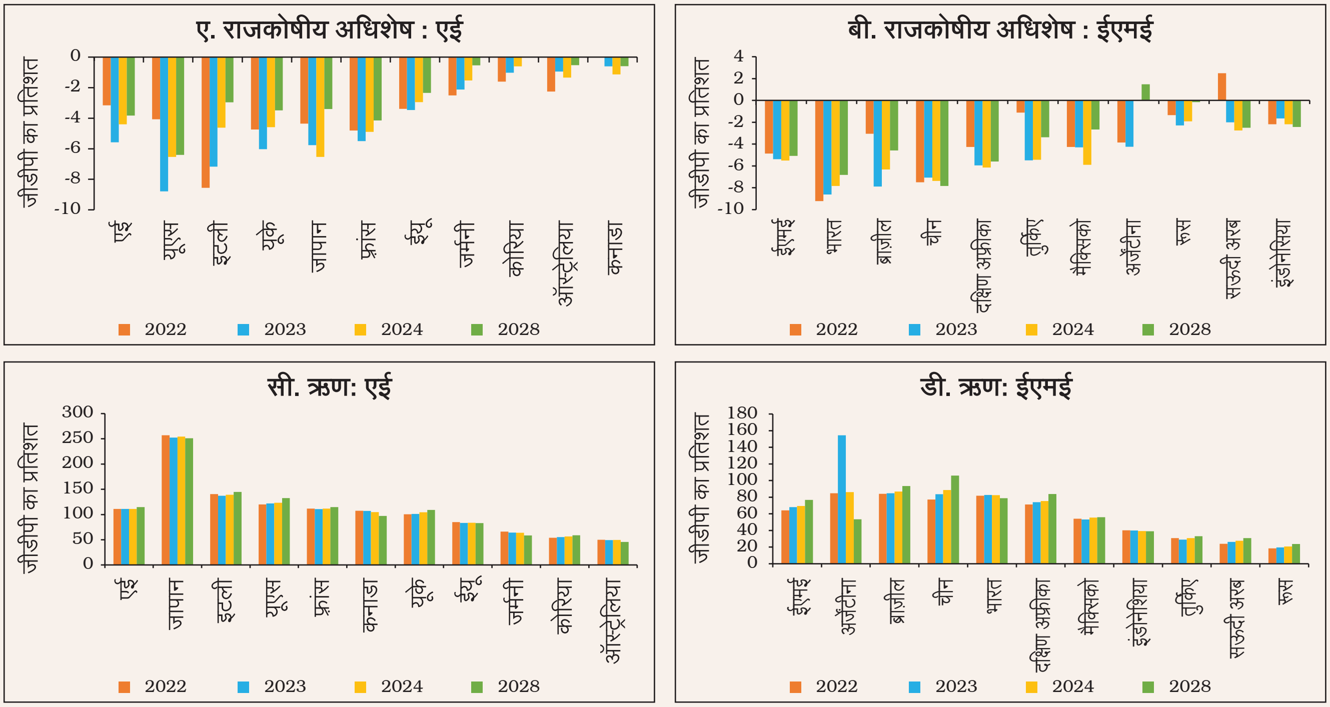

यूएस : संयुक्त राज्य अमेरिका यूके: यूनाइटेड किंगडम ईयू: यूरोपीय संघ

टिप्पणी: अन्य देशों के साथ तुलना सुनिश्चित करने के लिए भारत का डेटा वर्ल्ड ईकोनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ), आईएमएफ से लिया गया है। हालाँकि, यह यूनियन बजट दस्तावेजों या रिजर्व बैंक प्रकाशनों में बताए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकता है क्योंकि आईएमएफ भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रथाओं और परंपराओं की तुलना में विभिन्न लेखांकन प्रथाओं और परंपराओं का पालन करता है।

स्रोत: वर्ल्ड ईकोनोमिक आउटलुक, अप्रैल 2024, आईएमएफ।

[55] आईएमएफ फिस्कल मॉनिटर, अक्टूबर 2023।

ही 2024 में समग्र घाटे के कम रहने का अनुमान है, वैश्विक ऋण/जीडीपी अनुपात ऊंचा रहेगा और एई और ईएमई दोनों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है।

7. निष्कर्ष

II.6.14 वर्ष 2024-25 का अंतरिम यूनियन बजट उच्च पूंजी परिव्यय के माध्यम से खर्च की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सुदृढ़ीकरण को जारी रखता है। 2024-25 में सकल बाजार उधार को कम रखा गया है, जिससे निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि होगी। 2024-25 के लिए राज्य सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण की भी परिकल्पना की गई है। तदनुसार, 2024-25 में सामान्य सरकारी घाटे में और गिरावट आने की उम्मीद है, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए अच्छा संकेत है।

II.7 बाह्य क्षेत्र

II.7.1 वर्ष 2023-24 के दौरान वैश्विक व्यापार की मात्रा में तेज गिरावट से उत्पन्न होने वाली कई वैश्विक प्रतिकूलताओं, प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों की आक्रामक कठोर मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वित्तीय बाजार में उत्पन्न अस्थिरता के बीच भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत हुआ। कमोडिटी की कीमतों में सुधार और कमजोर बाहरी मांग के कारण व्यापारिक निर्यात और आयात (अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) में संकुचन हुआ और पण्य व्यापार घाटा कम हुआ। सेवा निर्यात और निजी अंतरण प्राप्तियों में उछाल ने चालू खाता घाटे (सीएडी) को कम कर दिया। पोर्टफोलियो प्रवाह और बैंकिंग पूंजी के कारण निवल पूंजी प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई।

II.7.2 इस पृष्ठभूमि में, उपखंड 2 वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है, इसके बाद खंड 3 में भारत के व्यापारिक निर्यात और आयात का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अदृश्य मदों का रुख उपखंड 4 में प्रस्तुत किया गया है। निवल पूंजी प्रवाह पर विवरण उपखंड 5 में दिए गए हैं, जबकि बाह्य भेद्यता संकेतकों का मूल्यांकन उपखंड 6 में किया गया है, जिसके पश्चात निष्कर्ष अवलोकन किया गया है।

2. वैश्विक आर्थिक स्थितियां

II.7.3 तंग वित्तीय स्थितियों, उच्च मुद्रास्फीति, भू-आर्थिक विखंडन और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 के दौरान असमान विस्तार बनाए रखा। अमेरिका और कई बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में समुत्थानशीलता के कारण जीडीपी वृद्धि कुछ हद तक अनुमानों से अधिक रही [चार्ट II.7.1ए]। वैश्विक व्यापार की मात्रा में वृद्धि बढ़ती व्यापार

चार्ट II.7.1: वास्तविक जीडीपी और विश्व व्यापार* मात्रा वृद्धि

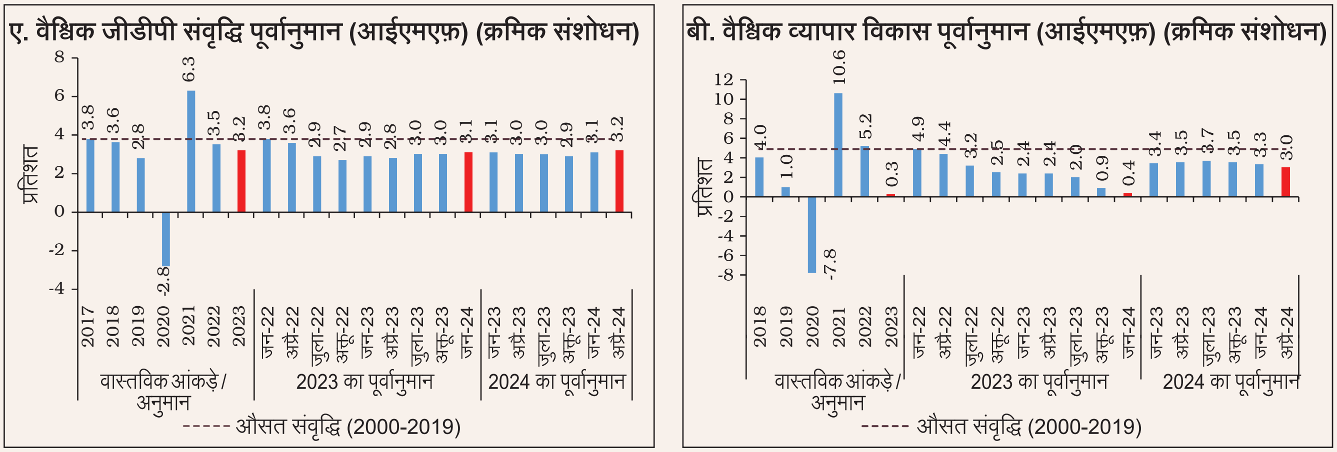

*वस्तुएं एवं सेवाएं
स्रोत: आईएमएफ।

चार्ट II.7.2: ईएमई के लिए पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह

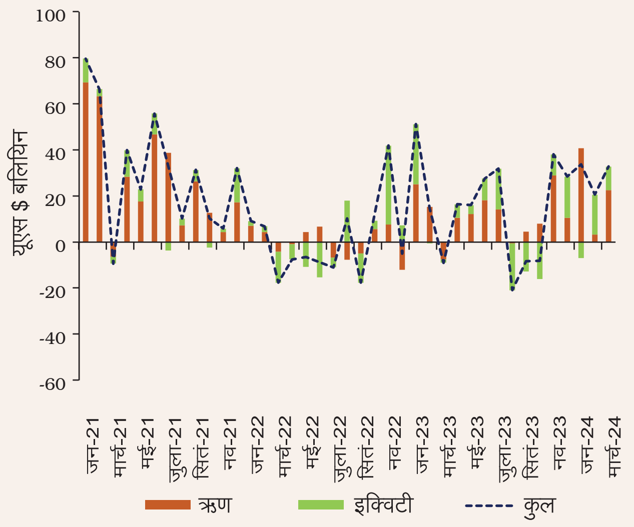

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान।

चार्ट II.7.3: वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन*

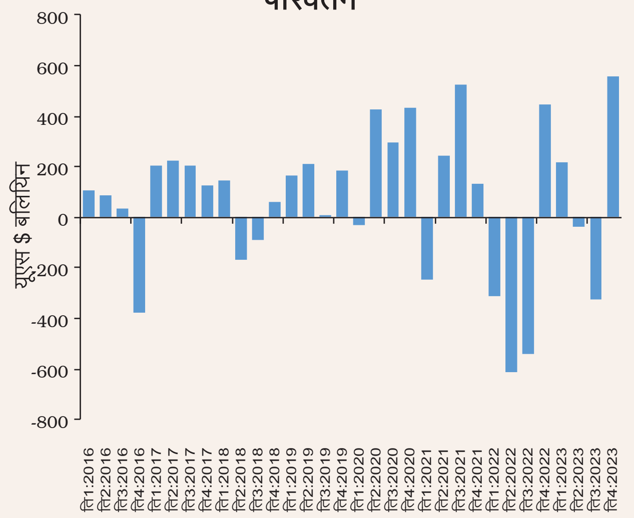

*: आधिकारिक आरक्षित आस्तियों में तिमाही-दर-तिमाही परिवर्तन को इंगित करता है।
स्रोत: आईएमएफ।

बाधाओं, महामारी के कम होने के साथ वैश्विक मांग का वस्तुओं से कम-व्यापार गहन सेवाओं की ओर घूमना, कमज़ोर निवेश मांग और अमेरिकी डॉलर की मजबूती (चार्ट II.7.1बी) के कारण बाधित हुई। अवस्फीति में लगातार बढ़ोतरी के साथ, बाजार 2024 में वैश्विक मौद्रिक चक्र में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, जो वित्तीय बाजारों के रुख को बढ़ा रहा है।

II.7.4 बढ़ती अस्थिरता के बीच 2023 में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पोर्टफोलियो प्रवाह में सुधार हुआ (चार्ट II.7.2)। 2023 के दौरान वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, जो वर्ष के दौरान सोने की ऊंची कीमतें और 2023 की चौथी तिमाही में निम्न बॉण्ड प्रतिफल को दर्शाता है (चार्ट II.7.3)।

3. पण्य व्यापार

II.7.5 भारत में, 2023-24 के दौरान पण्य निर्यात के साथ-साथ आयात (अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) में भी गिरावट आई (सारणी II.7.1)। निर्यात से अधिक आयात में गिरावट के साथ, 2023-24 में व्यापारिक व्यापार घाटा कम हो गया, जो वैश्विक मांग की कमजोरी को दर्शाता है (बॉक्स II.7.1)।

सारणी II.7.1: भारत का पण्य वस्तु व्यापार

	यूएस $ बिलियन में मूल्य				विकास दर (वर्ष-दर-वर्ष)			
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निर्यात								
ति1	51.5	95.5	121.0	103.9	-36.4	85.7	26.6	-14.1
ति2	74.2	102.7	110.7	107.2	-5.2	38.5	7.8	-3.2
ति3	75.8	106.8	104.6	105.6	-4.2	41.0	-2.1	1.0
ति4	90.4	117.0	114.8	120.4	20.4	29.3	-1.9	4.9
वार्षिक	291.8	422.0	451.1	437.1	-6.9	44.6	6.9	-3.1
आयात								
ति1	61.3	127.0	183.5	160.1	-52.9	107.2	44.5	-12.8
ति2	90.7	147.5	189.0	170.3	-23.1	62.7	28.1	-9.9
ति3	110.8	167.0	176.1	174.4	-4.6	50.7	5.4	-1.0
ति4	131.7	171.6	167.3	170.7	19.1	30.3	-2.5	2.0
वार्षिक	394.4	613.1	716.0	675.4	-16.9	55.4	16.8	-5.7
व्यापार शेष								
ति1	-9.8	-31.4	-62.6	-56.2				
ति2	-16.5	-44.8	-78.3	-63.1				
ति3	-35.1	-60.2	-71.5	-68.8				
ति4	-41.2	-54.6	-52.6	-50.3				
वार्षिक	-102.6	-191.0	-264.9	-238.3				

टिप्पणी : तिमाही आंकड़े वार्षिक आंकड़ों में शामिल नहीं है।
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

बॉक्स II.7.1
निर्यात में गिरावट: संरचनात्मक या चक्रीय?

भारत का पण्य निर्यात 2000-01 के 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग दस गुना बढ़कर 2023-24 में 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें बीच-बीच में संकुचन और तेजी दर्ज की गई। वर्ष 2009 की पहली तिमाही से वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही तक की अवधि के लिए एक ऑटोरेग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग (एआरडीएल) मॉडल इंगित करता है कि विश्व पण्य व्यापार मात्रा के संबंध में भारत की पण्य निर्यात मात्रा की दीर्घकालिक मूल्य-सापेक्षता लगभग 1.4 है।लगभग (-) 0.5 की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) लोचनीयता के साथ निर्यात भी सापेक्ष कीमतों के प्रति संवेदनशील है (सारणी 1)।

अल्पावधि व्यापार लोच इसकी दीर्घकालिक मात्रा से ऊपर है, जो बताता है कि वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव का अल्पावधि में भारत के निर्यात पर अधिक प्रभाव पड़ता है। समायोजन की गति (ईसीएम शब्द) अधिक है, यानी, प्रवृत्ति से विचलन के बाद निर्यात वृद्धि तेजी से अपने संतुलन पथ पर लौट आती है। उपरोक्त परिणामों का उपयोग करते हुए, भारत की पण्य निर्यात वृद्धि संरचनात्मक और चक्रीय घटकों (कॉन्स्टेंटिनेस्कु एट अल, 2020) में विघटित हो गई है। विश्लेषण से पता चलता है कि चक्रीय घटक हाल की तिमाहियों में पण्य निर्यात मात्रा में संकुचन का प्रमुख चालक रहा है (चार्ट 1)।

चार्ट 1: भारत के निर्यात मात्रा में वृद्धि का अपघटन

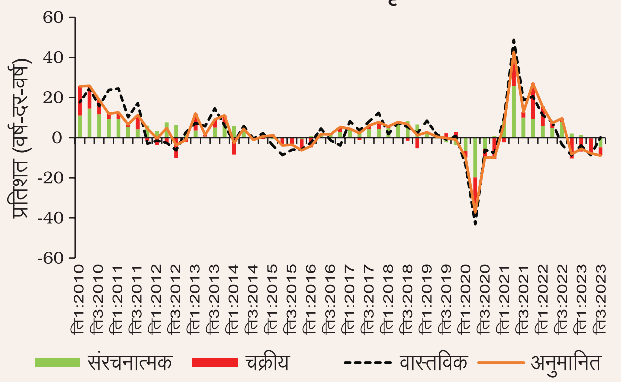

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी 1 : भारत के व्यापारिक निर्यात की अनुमानित मूल्य सापेक्षता
आश्रित चर: लॉग (निर्यात मात्रा सूचकांक)

व्याख्यात्मक चर	गुणक
1	2
अल्पकालिक (त्रुटि सुधार परिणाम)	
D [लॉग (भारत का निर्यात मात्रा सूचकांक) $_{t-1}$]	-0.173** (0.076)
D [लॉग (भारत का निर्यात मात्रा सूचकांक) $_{t-2}$]	0.123* (0.064)
D [लॉग (भारत का निर्यात मात्रा सूचकांक) $_{t-3}$]	0.272*** (0.061)
D [लॉग (विश्व व्यापार मात्रा सूचकांक) $_{t}$]	2.132*** (0.155)
त्रुटि सुधार $_{t-1}$	-0.567*** (0.099)
दीर्घकालिक (संयुक्त संबंध)	
स्थिर	1.263 (0.933)
लॉग (विश्व व्यापार मात्रा सूचकांक)	1.369*** (0.106)
लॉग (निर्यात भारित आरईईआर)	-0.544** (0.265)
बाउंड टेस्ट, एफ-सांख्यिकी	7.779
ब्रूश-गॉडफ्रे एलएम टेस्ट, पी-वैल्यू	0.339
ब्रूश-पेगन-गॉडफ्रे टेस्ट, पी-वैल्यू	0.455
समायोजित आर-वर्ग	0.818

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व स्तर दर्शाते हैं।
नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियां हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

कॉन्स्टेंटिनेस्कु, सी., मट्टू, ए., और रूटा, एम. (2020), 'द ग्लोबल ट्रेड स्लोडाउन: साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल ?', द वर्ल्ड बैंक ईकोनोमिक रिव्यू, 34(1), 121-142।

II.7.6 2023-24 में निर्यात में गिरावट व्यापक थी, निर्यात टोकरी के लगभग आधे हिस्से में गिरावट दर्ज की गई। यह संकुचन पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों (पीओएल) तथा रत्न एवं आभूषणों द्वारा प्रेरित था। दूसरी और, गैर-तेल, गैर-रत्न और आभूषण निर्यात में विस्तार देखा गया (चार्ट II.7.4)।

II.7.7 पेट्रोलियम उत्पादों तथा रत्न और आभूषणों के अलावा, सभी वस्त्रों के रेडीमेड परिधान (आरएमजी), कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों और चावल ने पण्य निर्यात में गिरावट में योगदान दिया। दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, लौह अयस्क और सूती धागे/फैब्स/मेड-अप्स में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.7.5)।

चार्ट II.7.4: भारत का पण्य वस्तु निर्यात

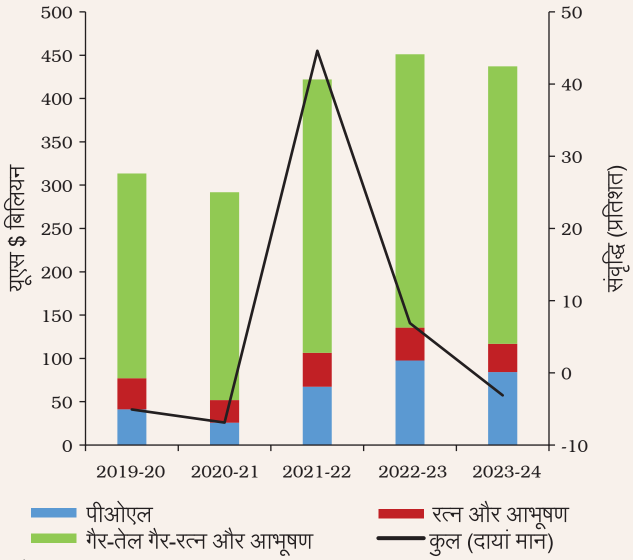

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

चार्ट II.7.5: निर्यात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान (2022-23 की तुलना में 2023-24)

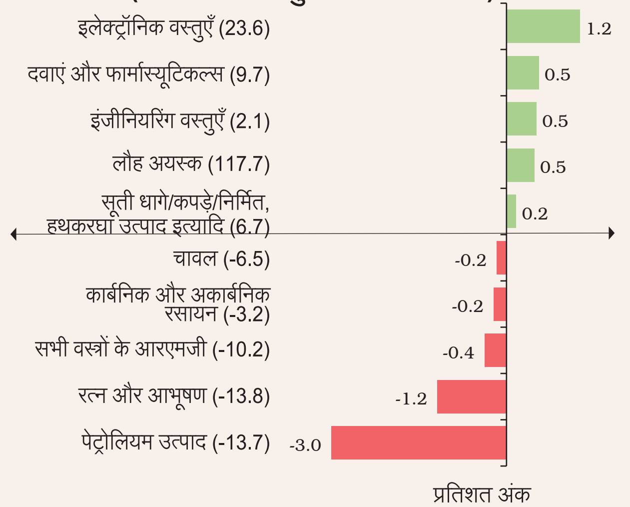

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन प्रतिशत हैं।
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई स्टाफ अनुमा।

II.7.8 तेल की कीमतों में नरमी के कारण 2023-24 में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 13.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई, जिससे मात्रा के संदर्भ में वृद्धि की भरपाई हो गई (चार्ट II.7.6ए)। शीर्ष दस निर्यात गंतव्यों में से, पांच में आपूर्ति में वृद्धि देखी गई (चार्ट II.7.6बी)।

II.7.9 इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात - कुल निर्यात टोकरी का एक-चौथाई - 2023-24 के दौरान 2.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा, जो विमान, अंतरिक्ष यान और कल-पुर्जों, और इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरणों द्वारा समर्थित है। दूसरी ओर, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम और उसके उत्पाद, और जस्ता

चार्ट II.7.6 : भारत का पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

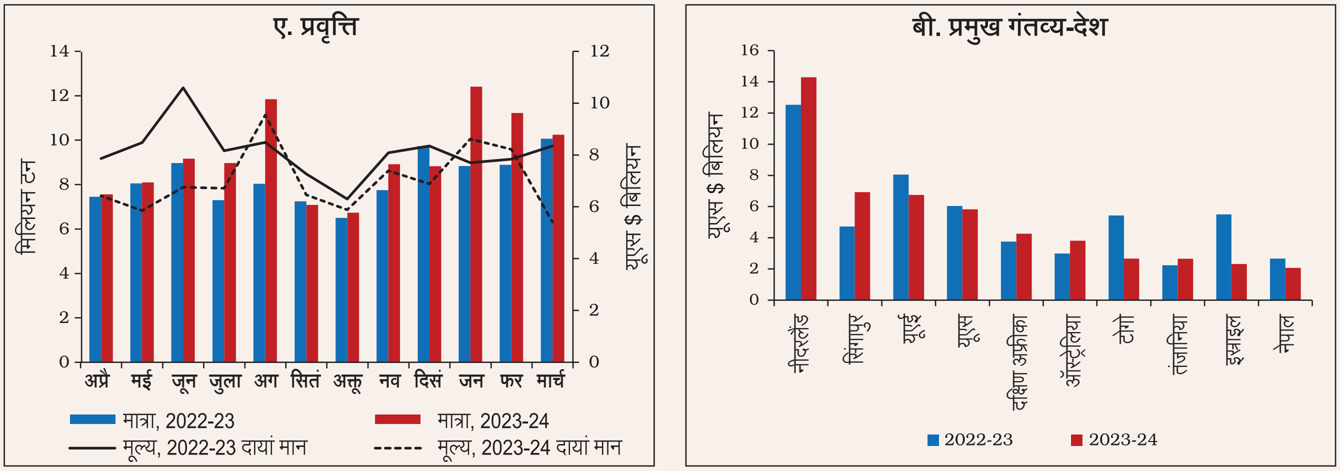

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

चार्ट II.7.7: भारत के इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात – सापेक्ष योगदान (2022-23 की तुलना में 2023-24)

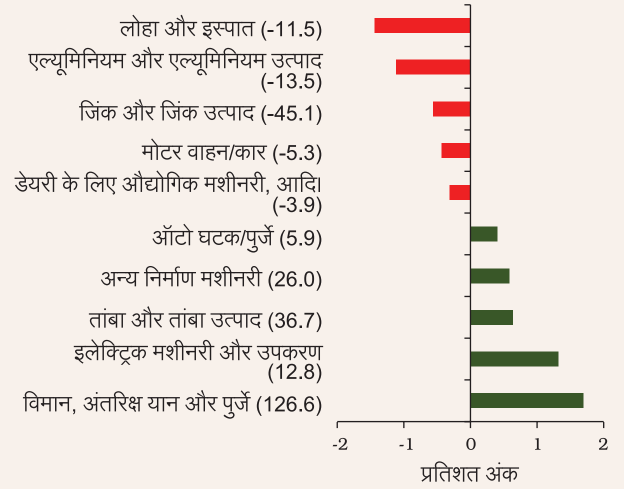

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन प्रतिशत हैं।
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.7.8: भारत का चावल निर्यात

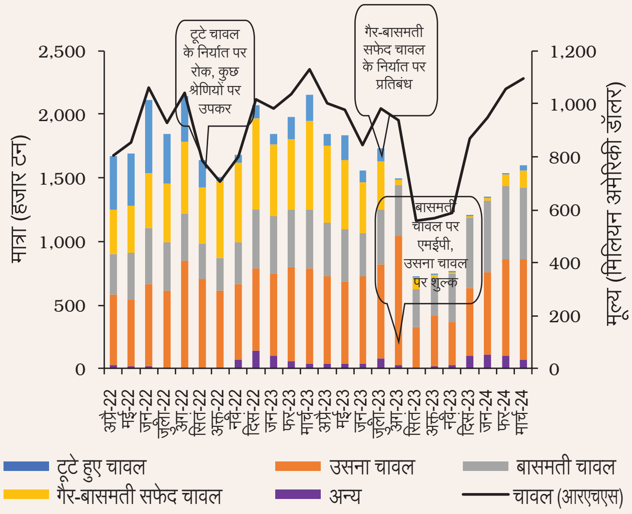

एमईपी : न्यूनतम निर्यात मूल्य
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

और उसके उत्पादों ने समग्र निर्यात वृद्धि को नीचे खींच लिया (चार्ट II.7.7)।

II.7.10 2023-24 के दौरान कृषि निर्यात में 9.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट दर्ज की गई और यह 46.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। घरेलू आपूर्ति में सुधार के लिए निर्यात पर प्रतिबंध के कारण 2023-24 के दौरान चावल निर्यात 6.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट II.7.8)।

II.7.11 2023-24 के दौरान 29.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में 23.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो मोबाइल फोन (कुल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात का आधे से ज्यादा) द्वारा संचालित है, जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसएमई)[56] के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से लाभान्वित है [चार्ट II.7.9]। स्मार्टफोन के लिए प्रमुख निर्यात बाजार अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, नीदरलैंड और इटली रहे।

चार्ट II.7.9: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात

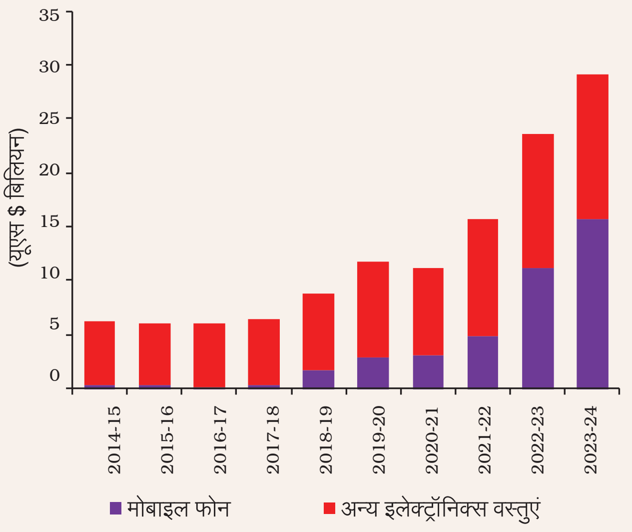

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

[56] सरकार ने अप्रैल 2020 में एलएसईएम के लिए पीएलआई योजना शुरू की यह पात्र कंपनियों को पांच साल की अवधि के लिए आधार वर्ष पर निवल वृद्धिशील बिक्री पर 4-6 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान करती है। एलएसईएम के लिए पीएलआई का दूसरा दौर मार्च 2021 में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए लॉन्च किया गया, जिसमें चार साल की अवधि के लिए 3-5 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

चार्ट II.7.10: दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स

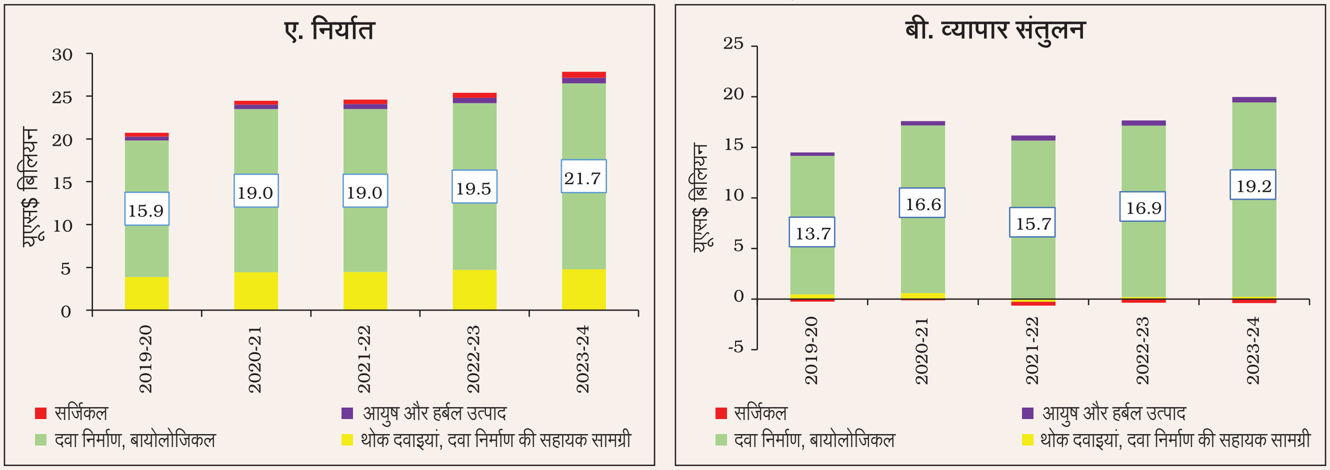

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

II.7.12 दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात, भारत के व्यापारिक निर्यात का 6.4 प्रतिशत है, 2023-24 में सभी उप-घटकों के उच्च शिपमेंट पर 9.7 प्रतिशत बढ़ गया, जिसमें दवा फॉर्मूलेशन, जैविक और शल्य चिकित्सा में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट II.7.10)।

II.7.13 2023-24 के दौरान 675.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पण्य आयात में 5.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण कम कीमतें रही (चार्ट II.7.11)। आयात में गिरावट पीओएल, कोयला, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों, उर्वरकों और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों से प्रेरित रही। दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, स्वर्ण, मशीनरी, दालों और अलौह धातुओं ने समग्र आयात वृद्धि का समर्थन किया (चार्ट II.7.12)।

II.7.14 पीओएल आयात (कुल पण्य आयात का 26.6 प्रतिशत) 2023-24 के दौरान 14.2 प्रतिशत घटकर 179.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण कम

चार्ट II.7.11: भारत का पण्य आयात

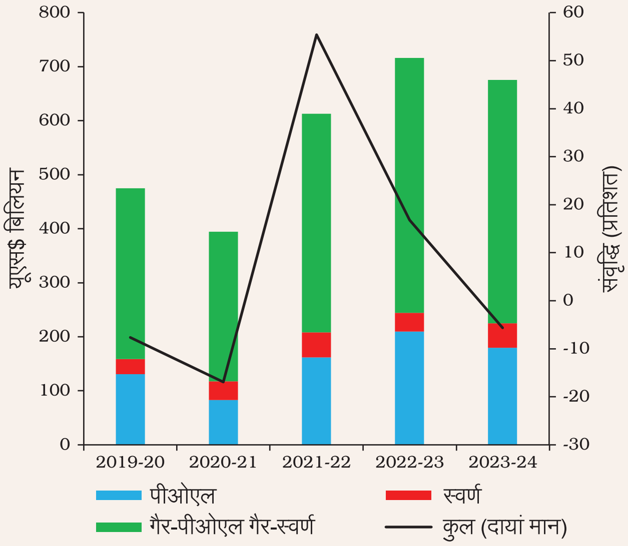

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

चार्ट II.7.12: आयात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान (2022-23 की तुलना में 2023-24)

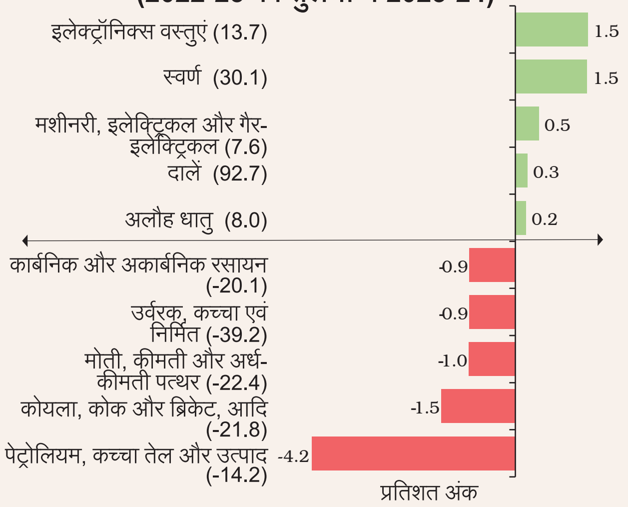

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन प्रतिशत हैं।
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.7.13: पीओएल

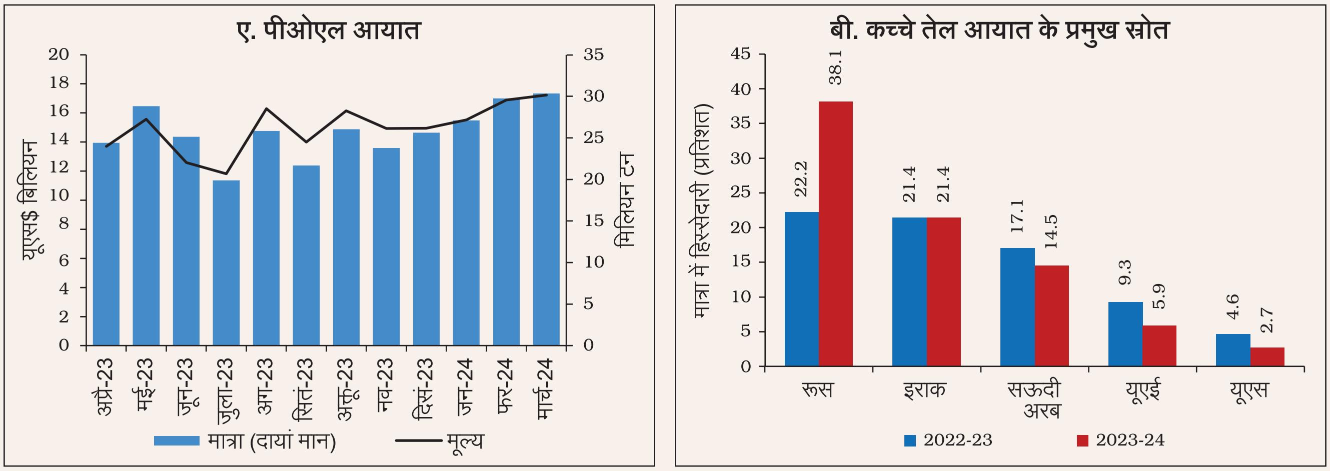

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

कीमतें रही क्योंकि मात्रा में 0.8 प्रतिशत का विस्तार हुआ (चार्ट II.7.13ए)। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में रूस की हिस्सेदारी 2022-23 में 22.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 के दौरान 38.1 प्रतिशत हो गई, जबकि मध्य पूर्व क्षेत्र से आपूर्ति में कमी आई (चार्ट II.7.13बी)।

चार्ट II.7.14: भारत का उर्वरक आयात

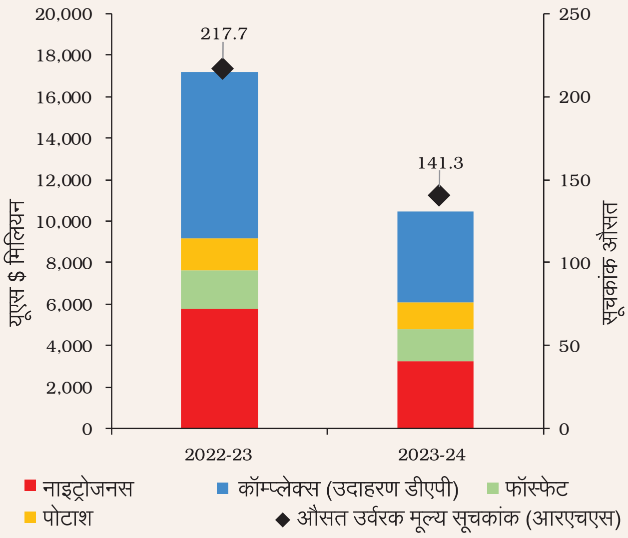

स्रोत: डीजीसीआई&एस और विश्व बैंक।

II.7.15 घरेलू खपत का लगभग एक तिहाई उर्वरक आयात, कम कीमतों पर 2023-24 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 39.2 प्रतिशत घटकर 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट II.7.14)।

II.7.16 2023-24 के दौरान कोयला आयात 21.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) गिर कर 38.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, इसमें कम कीमतों से लाभ हुआ, यहां तक कि अंतर्निहित मात्रा में 11.3 प्रतिशत[57] की वृद्धि हुई (चार्ट II.7.15)।

II.7.17 2023-24 के दौरान सोने का आयात 30.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 45.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मात्रा (17.2 प्रतिशत) के साथ-साथ कीमतों (10.2 प्रतिशत) में वृद्धि पर आधारित है [चार्ट II.7.16]।

II.7.18 2023-24 के दौरान 87.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात में 13.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई जो इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जों, दूरसंचार उपकरणों और कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा चालित रही (चार्ट II.7.17)।

II.7.19 2023-24 के दौरान पण्य व्यापार घाटा 10.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) गिरकर 238.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तेल घाटा लगभग 40.1 प्रतिशत रहा (चार्ट II.7.18ए)।

[57] वैश्विक मांग में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत कोयले का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है [कोल 2023, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)]।

चार्ट II.7.15: कोयला आयात और कीमत

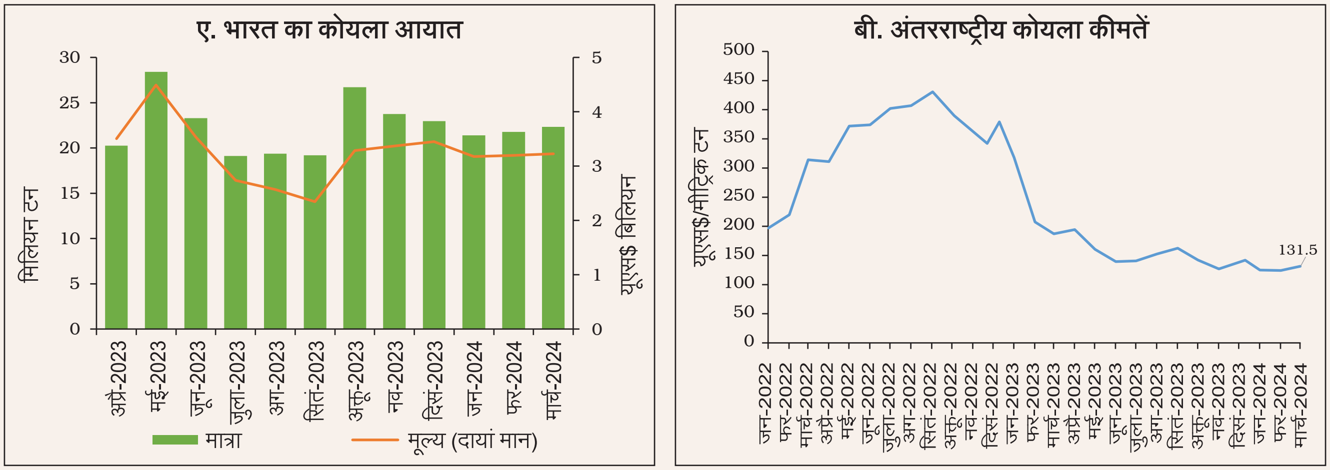

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और विश्व बैंक।

प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में, रूस, स्विट्जरलैंड और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया, जबकि अमेरिका, नीदरलैंड और यूके के संबंध में व्यापार अधिशेष में बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.7.18बी)।

4. अदृश्य मदें

II.7.20 अदृश्य मदों से शुद्ध प्राप्तियां - सेवाओं, आय और अंतरण में सीमा पार लेनदेन - पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान बढ़ीं। सॉफ्टवेयर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात कुल मिलाकर भारत के सेवा निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत रहा, और समान अवधि के दौरान उनमें 11.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है [चार्ट II.7.19]। अन्य सेवाओं में, यात्रा सेवाओं के निर्यात में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसे महामारी से संबंधित आवाजाही प्रतिबंधों के हटने का लाभ मिला है। परिवहन प्राप्तियों में 23.9 प्रतिशत की

चार्ट II.7.16: स्वर्ण आयात

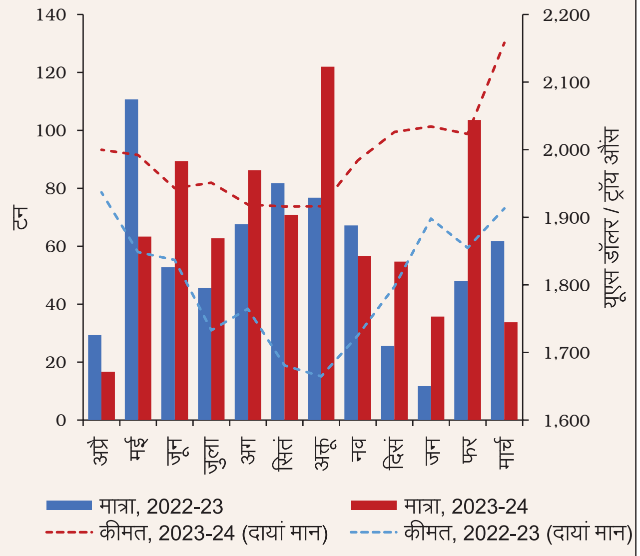

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और विश्व बैंक।

चार्ट II.7.17: इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात

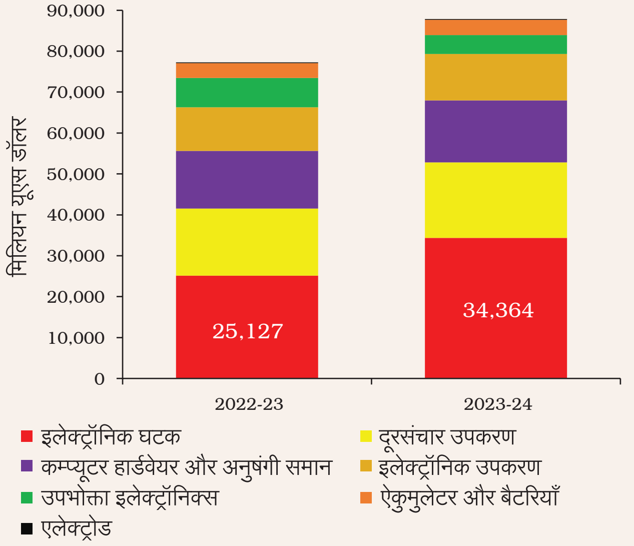

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और विश्व बैंक।

चार्ट II.7.18 : भारत का पण्य व्यापार घाटा

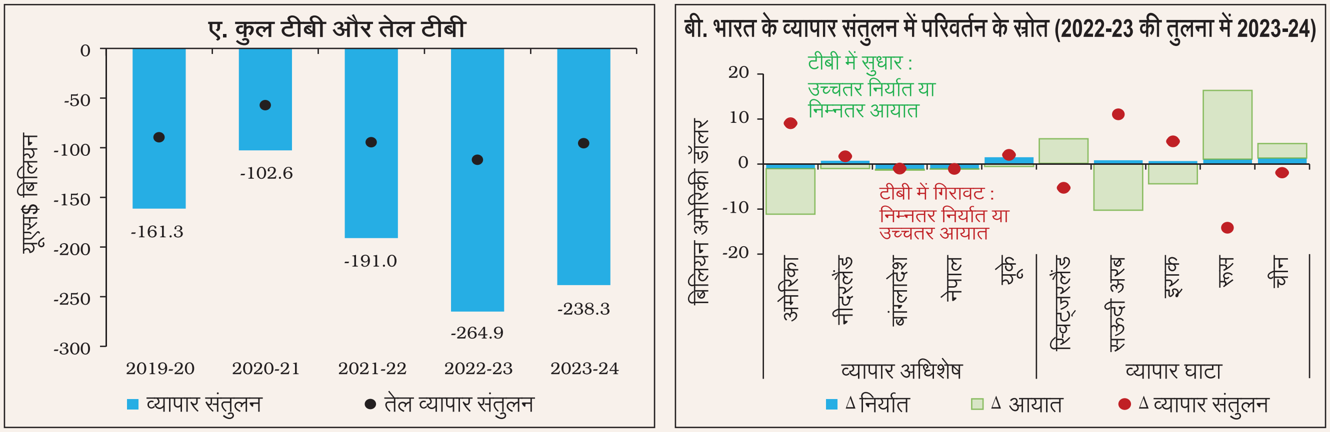

टीबी : व्यापार संतुलन
नोट : एक सकारात्मक Δ निर्यात/Δ आयात का अर्थ अधिक निर्यात / आयात है और यह विलोमत: भी सही है।
स्रोत : डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

गिरावट आई, जो मुख्य रूप से वैश्विक माल ढुलाई दरों में नरमी के कारण हुई: अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान औसत बाल्टिक ड्राई इंडेक्स[58] पिछले वर्ष की तुलना में 19.3 प्रतिशत गिर गया। निजी हस्तांतरण प्राप्तियाँ, मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा विप्रेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान इसमें 3.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई। प्राथमिक आय खाते पर निवल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उच्च ब्याज और लाभांश भुगतान को दर्शाता है।

चार्ट II.7.19 : भारत के सेवा निर्यात की संरचना

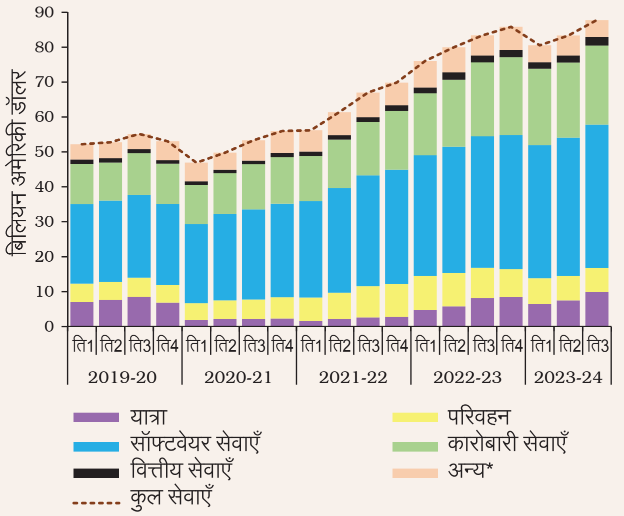

* इसमें बीमा सेवाएँ और संचार शामिल हैं, जिन्हें अन्यत्र शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत : आरबीआई।

II.7.21 कमजोर वैश्विक मांग के कारण 2023-24 में सेवा निर्यात वृद्धि में गिरावट आई। वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के मूल्य में वृद्धि 2023 में 9.0 प्रतिशत से कम रही जो 2022 में 15.1 प्रतिशत थी। भारत ने 2023 के दौरान शीर्ष पांच निर्यातक देशों में अपना स्थान बरकरार रखा (चार्ट II.7.20)। गार्टनर[59] के अनुसार, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) खर्च 2023 के 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 5.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है, जिससे भारत के सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात को समर्थन मिलना चाहिए।

II.7.22 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) में भारत में आवक विप्रेषण 86.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है

[58] बाल्टिक एक्सचेंज (लंदन) द्वारा बनाया गया एक शिपिंग और व्यापार सूचकांक, जो कोयला, लोहा और स्टील जैसे सूखे थोक कच्चे माल के परिवहन की लागत को मापता है।

[59] गार्टनर इंक एक अमेरिकी तकनीकी अनुसंधान और परामर्श फर्म है, जो आईटी उद्योग पर अपने शोध और रिपोर्ट और दुनिया भर में आईटी खर्च पर पूर्वानुमान के लिए जानी जाती है।

चार्ट II.7.20 : सेवाओं के देश-वार निर्यात में वृद्धि

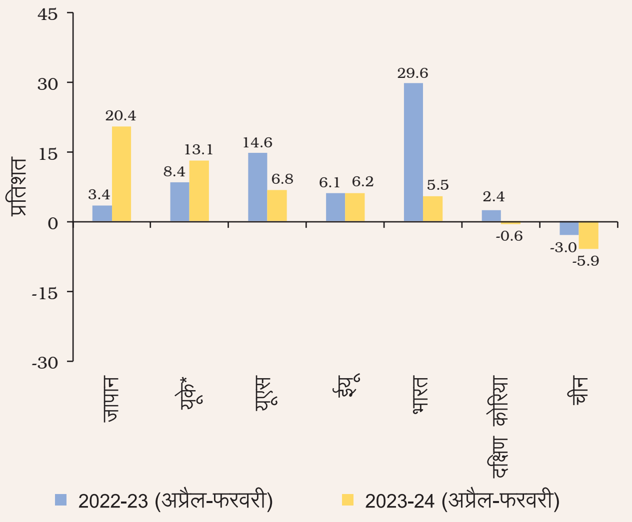

स्रोत : डबल्यूटीओ और आरबीआई।

(चार्ट II.7.21ए)। विश्व बैंक के अनुसार, 2024 में वैश्विक विप्रेषण में 15.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत का आवक विप्रेषण 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। अमेरिका और यूरोप जैसी प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत श्रम बाजारों ने भारत में विप्रेषण प्रवाह का समर्थन किया है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत में 200 अमेरिकी डॉलर विप्रेषण की औसत लागत 2020 की चौथी तिमाही में 5.51 प्रतिशत (2019 की पहली तिमाही के बाद से उच्चतम) से घटकर 2023 की तीसरी तिमाही में 4.95 प्रतिशत हो गई। आम तौर पर, विप्रेषण प्राप्तियों की राशि और विप्रेषण की लागत में नकारात्मक संबंध होता है (चार्ट II.7.21बी)।

II.7.23 आय खाते[60] के तहत, 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान भुगतान में बढ़ोतरी प्राप्तियों से अधिक होने के कारण घाटा बढ़ गया। विदेशों में अपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) के निवेश पर रिज़र्व बैंक की उच्च ब्याज/छूट की कमाई बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), बाहरी सहायता, अल्पकालिक क्रेडिट और अनिवासी जमाओं, तथा अनिवासी शेयरधारक (प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेशक दोनों) को लाभांश के भुगतान जैसी देनदारियों पर ब्याज के व्यय से ऑफसेट हो गई।

II.7.24 भारत का सीएडी 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) में कम होकर 31.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) हो गया, जो एक साल पहले 65.6 बिलियन अमेरिकी

चार्ट II.7.21 आवक विप्रेषण

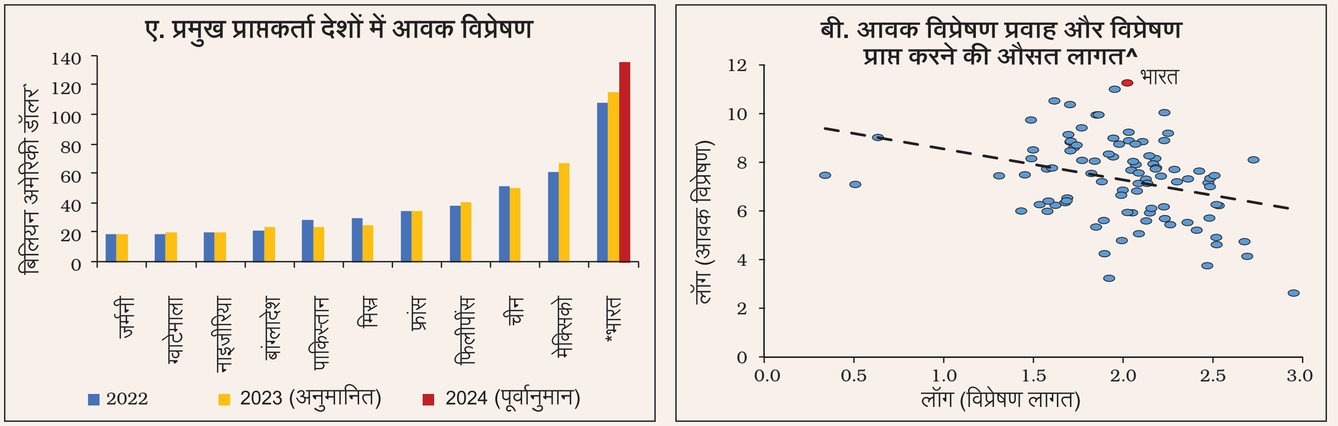

*: भारत के बीओपी आंकड़ों पर आधारित।
^ : वर्ष 2011 की पहली तिमाही से वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही तक की अवधि के लिए 200 अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने की औसत लागत के आधार पर।
टिप्पणी: आवक विप्रेषण पर आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में है, जबकि विप्रेषण लागत कुल लेनदेन राशि के प्रतिशत के संदर्भ में है।
स्रोत: आरबीआई और विश्व बैंक।

60 सीमा पार निवेश पर आय और कर्मचारियों का मुआवजा जो घरेलू निवासी संस्थाएं शेष दुनिया से कमाती हैं/भुगतान करती हैं।

चार्ट II.7.22: भारत के चालू खाता शेष (सीएबी) की संरचना

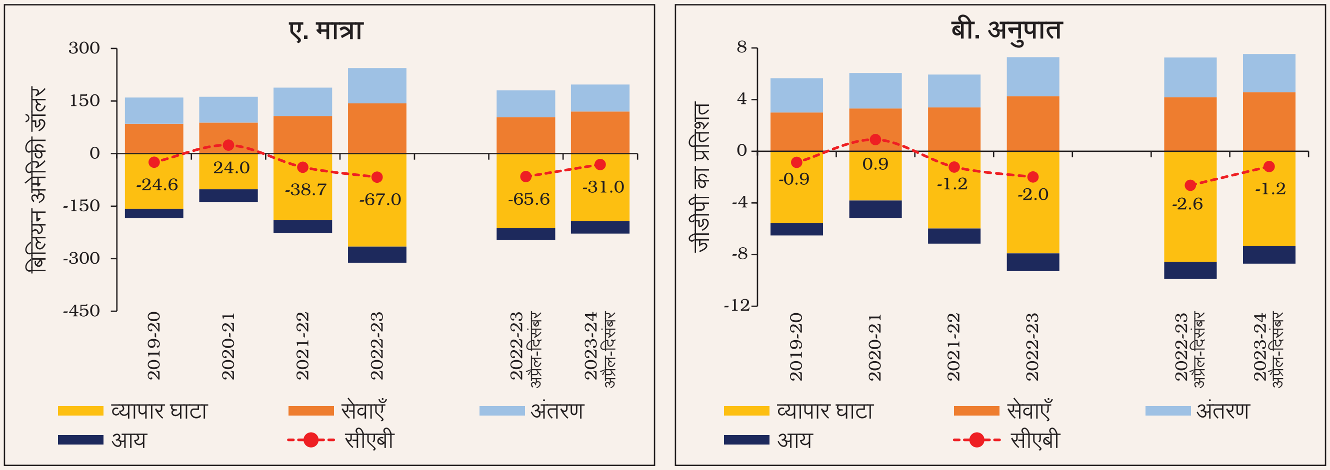

स्रोत: आरबीआई।

डॉलर (जीडीपी का 2.6 प्रतिशत) था (चार्ट II.7.22)। यह पण्य व्यापार घाटे में गिरावट के साथ-साथ सेवा व्यापार में उच्च अधिशेष का परिणाम था।

5. बाह्य वित्तपोषण

II.7.25 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, पूंजी प्रवाह मजबूत रहा, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में बदलाव से प्रेरित था। अनिवासी जमा और बाहरी वाणिज्यिक उधार के तहत निवल प्रवाह एक साल पहले की तुलना में अधिक था। हालाँकि, भारत से एफडीआई के प्रत्यावर्तन में वृद्धि के कारण निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह कम था। कुल मिलाकर, निवल पूंजी प्रवाह अधिक रहा, जबकि सीएडी में कमी आई, जिससे अप्रैल-दिसंबर के दौरान बीओपी आधार (मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर) पर विदेशी मुद्रा भंडार में 32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई (चार्ट II.7.23 और परिशिष्ट सारणी 8)।

II.7.26 निवल एफडीआई (यानी, निवल आवक एफडीआई तथा निवल जावक एफडीआई का अंतर) प्रवाह 2023-24 के दौरान एक साल पहले के 28.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जबकि अनिवासियों द्वारा सकल प्रवाह समुत्थानशील बना रहा, भारत में एफडीआई का प्रत्यावर्तन/विनिवेश बढ़ा (सारणी II.7.2)। 2023-24 के दौरान, शीर्ष एफडीआई स्रोत देश सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान रहें, जिन्होंने 73.9 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट II.7.24)। क्षेत्र-वार, सेवा क्षेत्र (वित्तीय सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, व्यापार सेवाओं और संचार सेवाओं सहित) का भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में बड़ा हिस्सा रहा, इसके बाद विनिर्माण, बिजली और अन्य ऊर्जा, खुदरा और थोक व्यापार और परिवहन क्षेत्र आते है (परिशिष्ट सारणी 9)

II.7.27 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2023-24 के दौरान भारत से बाहरी एफडीआई में 13.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सिंगापुर,

चार्ट II.7.23: चालू खाता घाटे का वित्तपोषण

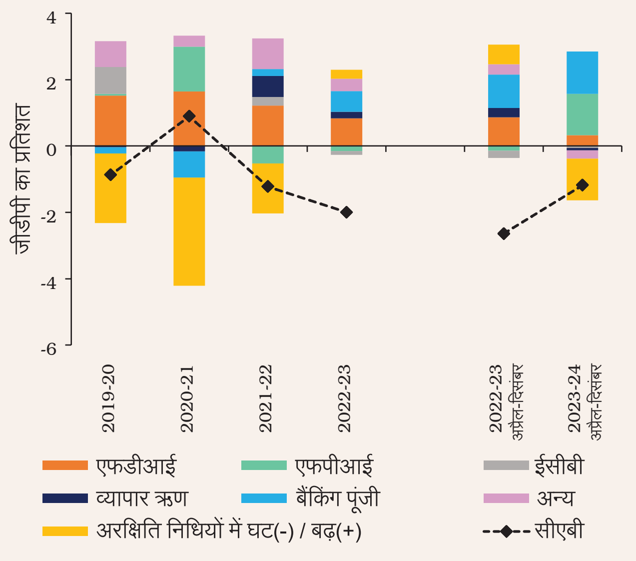

स्रोत : आरबीआई।

सारणी II.7.2 : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

मदें	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
1. निवल एफडीआई (1.1 - 1.2)	44.0	38.6	28.0	10.6
1.1 निवल आवक एफडीआई (1.1.1 - 1.1.2)	54.9	56.2	42.0	26.5
1.1.1 सकल अंतर्वाह	82.0	84.8	71.4	71.0
1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	27.0	28.6	29.3	44.4
1.2 निवल जावक एफडीआई	11.0	17.6	14.0	16.0

स्रोत : आरबीआई।

अमेरिका, यूके, यूएई और नीदरलैंड प्रमुख गंतव्य देश रहे। 2023-24 के दौरान वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएँ, विनिर्माण, थोक और खुदरा व्यापार, रेस्तरां और होटल भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र थे।

II.7.28 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 2022-23 में निवल विक्रेता बने रहने के बाद 2023-24 में घरेलू बाजार में बड़े निवल खरीदार बन गए। 2023-24 के दौरान, निवल एफपीआई अंतर्वाह 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2022-23 के दौरान 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह था (चार्ट II.7.25)। मजबूत घरेलू जीडीपी वृद्धि, उज्ज्वल मध्यम अवधि संभावनाओं और मजबूत कॉरपोरेट आय के दम पर भारत ने 2023-24 में समकक्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे अधिक एफपीआई अंतर्वाह को आकर्षित किया।

II.7.29 इक्विटी बाजार में एफपीआई अंतर्वाह मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं, ऑटोमोबाइल, पूंजीगत सामान, तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दर्ज किया गया (चार्ट II.7.26)। वर्ष के दौरान ऋण बाजार में एफपीआई द्वारा निवेश बढ़ने के बावजूद, उपयोग उपलब्ध निवेश सीमा से कम बना हुआ है।

चार्ट II.7.24 : एफडीआई (इक्विटी) का स्रोत देश-वार अंतर्वाह

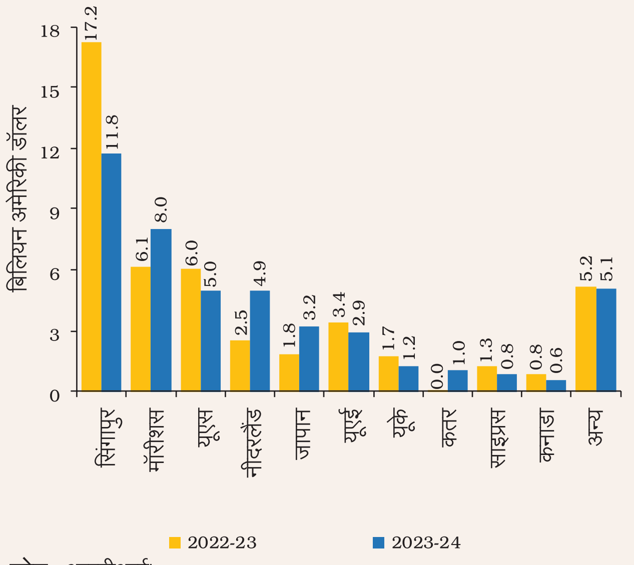

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट II.7.25 : भारत में निवल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह

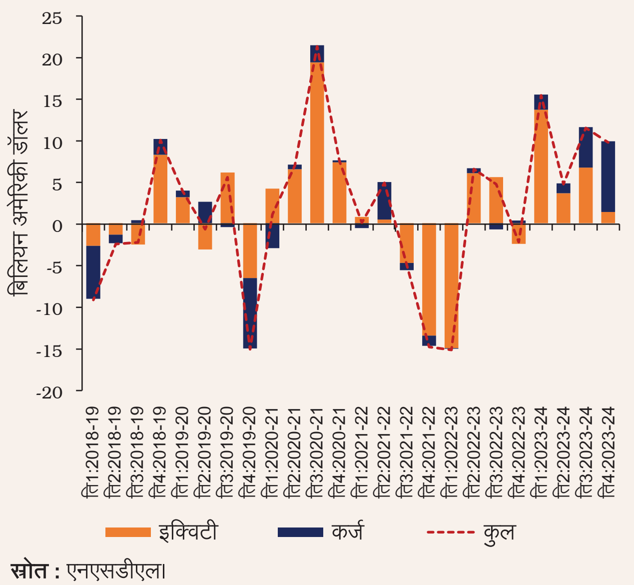

स्रोत : एनएसडीएल।

चार्ट II.7.26 : इक्विटी बाजार में एफपीआई के एक्सपोजर में बदलाव

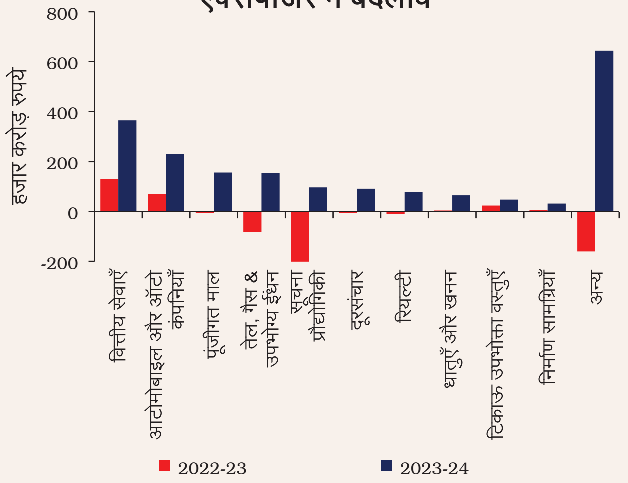

नोट : अन्य क्षेत्र में तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, रसायन और उपभोक्ता सेवाएं जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
स्रोत : एनएसडीएल।

चार्ट II.7.27: भारत की ईसीबी (निवल)

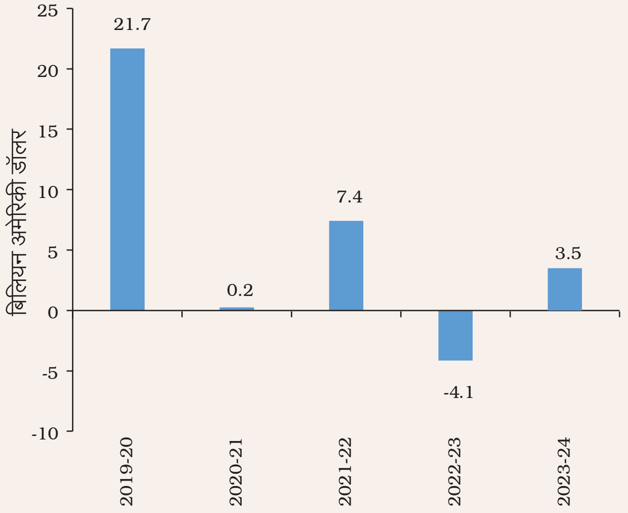

स्रोत : आरबीआई।

II.7.30 ईसीबी प्रवाह ने 2023-24 के दौरान 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अंतर्वाह के साथ एक बदलाव प्रदर्शित किया, जबकि एक साल पहले 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह हुआ था (चार्ट II.7.27)।

II.7.31 ईसीबी समझौते की राशि के चार-पाँचवें भाग से अधिक का उपयोग ऑन-लेंडिंग/सब-लेंडिंग, स्थानीय पूंजीगत वस्तुओं के लिए रुपया व्यय, आधुनिकीकरण, पहले के ईसीबी के पुनर्वित्त और नई परियोजनाओं के लिए किया गया था (चार्ट II.7.28)। ईसीबी के भीतर, रुपये मूल्यवर्ग वाले ऋण और रुपये मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड का हिस्सा 2023-24 के दौरान कुल समझौता राशि का 5.3 प्रतिशत रहा, जबकि एक साल पहले यह 8.0 प्रतिशत था। 2023-24 के दौरान कुल समझौता राशि में से 50.8 प्रतिशत ऋण स्पष्ट रूप से हेज किए गए, 15.3 प्रतिशत ऋण एफडीआई मूल कंपनियों (आईएनआर ऋण को छोड़कर) से थे और 5.3 प्रतिशत आईएनआर में मूल्यवर्गित थे। शेष 28.6 प्रतिशत में अन्य ईसीबी शामिल हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से हेज्ड ऋण (यानी, विदेशी मुद्रा में उधारकर्ताओं की व्यावसायिक आय) शामिल हैं।

II.7.32 पण्य आयात में संकुचन के अनुरूप 2023-24 के दौरान अल्पकालिक व्यापार ऋण में गिरावट आई, अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह हुआ, जबकि एक साल पहले 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह हुआ था। व्यापार ऋण का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा कच्चे तेल, सोना, कोयला और तांबे के आयात के लिए उठाया गया था।

चार्ट II.7.28: 2022-23 के दौरान ईसीबी का अंतिम उपयोग (कुल अंतर्वाह में हिस्सेदारी)

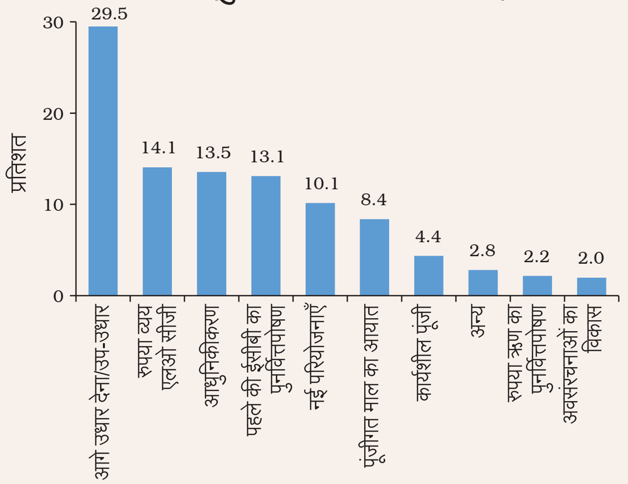

एलओ सीजी : स्थानीय पूंजीगत माल
स्रोत : आरबीआई।

सारणी II.7.3 : अनिवासी जमा खातों के अंतर्गत प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

मदें	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
1. अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता	8.8	3.3	2.5	4.2
2. अनिवासी साधारण खाता	2.3	3.5	4.0	4.2
3. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	-3.8	-3.6	2.4	6.4
अनिवासी जमाराशियाँ (1+2+3)	**7.4**	**3.2**	**9.0**	**14.7**

स्रोत : आरबीआई।

II.7.33 अनिवासी जमा के तहत निवल अंतर्वाह 2023-24 के दौरान बढ़कर 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 9.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, सभी तीन योजनाओं के तहत अभिवृद्धि के साथ - अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा; अनिवासी साधारण (एनआरओ) खाते; और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमा (सारणी II.7.3)।

6. भेद्यता संकेतक

II.7.34 दिसंबर 2023 के अंत में, भारत का विदेशी ऋण मार्च 2023 के अंत के स्तर से 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया। हालाँकि, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, इसमें गिरावट आई और यह उभरते बाज़ार प्रतिस्पर्धियों के बीच सबसे कम रहा (सारणी II.7.4)।

II.7.35 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2023-24 के दौरान बढ़ा, जिससे बाहरी जोखिमों और स्पिलओवर को कम करने के लिए

सारणी II.7.4 : बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता के संकेतक (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत, जब तक अन्यथा इंगित न किया गया हो)

संकेतक	2013	2022	2023	दिसंबर अंत में 2023
1	2	3	4	5
1. जीडीपी में बाहरी कर्ज का अनुपात	22.4	20.0	19.0	18.7
2. कुल कर्ज में अल्पकालिक कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	23.6	19.7	20.6	19.5
3. कुल कर्ज में अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	42.1	43.2	44.0	43.9
4. कुल कर्ज में रियायती कर्ज का अनुपात	11.1	8.3	8.2	7.7
5. कुल कर्ज में आरक्षित निधियों का अनुपात	71.3	98.1	92.7	96.0
6. आरक्षित निधियों में अल्पकालिक कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	33.1	20.0	22.2	20.3
7. आरक्षित निधियों में अल्पकालिक कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	59.0	44.0	47.4	45.7
8. आयात का रिज़र्व कवर (महीनों में)*	7.0	11.8	9.6	11.0 (11.4)
9. कर्ज चुकौती अनुपात (चालू प्राप्तियों की तुलना में)	5.9	5.2	5.3	6.5
10. बाह्य कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	619.0	624.3	648.2
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	-326.7	-358.2	-367.5	-370.3
12. एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात	-17.8	-11.6	-11.3	-10.8
13. सीएबी/जीडीपी अनुपात	-4.8	-1.2	-2.0	-1.2

*: बीओपी आंकड़ों में प्रकाशित नवीनतम चार तिमाहियों के पण्य आयातों पर आधारित।
#: कॉलम 5 में सीएबी/जीडीपी अनुपात अप्रैल-दिसंबर 2023 से संबंधित है।
टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े मार्च 2024 के अंत से संबंधित हैं।
स्रोत : आरबीआई और भारत सरकार।

बफर मजबूत हुए। मार्च 2024 के अंत में उन्हें 646.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रखा गया, जिसमें मार्च 2023 के अंत में 68.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। दिसंबर 2023 के अंत में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मूल परिपक्वता के आधार पर अल्पकालिक विदेशी ऋण से पांच गुना अधिक और अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अल्पकालिक विदेशी ऋण का दो गुना से अधिक रहा। मार्च 2024 के अंत में, विदेशी मुद्रा भंडार ने 2023-24 के लिए 11.4 महीने के आयात का कवर प्रदान किया।

7. निष्कर्ष

II.7.36 भारत का बाह्य क्षेत्र 2023-24 के दौरान मजबूत हुआ। चालू खाते का घाटा कम हुआ, धारणीय बना रहा और अच्छी तरह से वित्तपोषित रहा। पूंजी प्रवाह में सुधार हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिली। तदनुसार, प्रतिकूल वैश्विक समष्टि-वित्तीय आघातों के प्रसार को झेलने की अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि हुई, जिसने समग्र व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में योगदान दिया।

भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और परिचालन

III मौद्रिक नीति परिचालन

वर्ष 2022-23 में संचयी ब्याज दर में की गई 250 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि के साथ, हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आई और 2023-24 के दौरान बीच-बीच में खाद्य कीमतों में उछाल के साथ सहनीयता दायरे (टोलरेंस बैंड) में पहुंच गई, भले ही आर्थिक गतिविधि में समुत्थानशीलता दिखाई दी। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखा और 2023-24 तक समायोजन वापस लेने के रुख को बनाए रखा। बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण की गति धीमी हो गई। मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप चलनिधि की स्थिति विकसित हुई।

III.1 2022-23 के दौरान, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी 250 बीपीएस की वृद्धि की। रेपो दर में वृद्धि और इनपुट लागत दबाव में नरमी का प्रभाव कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) में लगातार गिरावट के रूप में परिलक्षित हुआ। सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति भी सहनीयता सीमा (टोलरेंस बैंड) में कम हो गई, हालांकि सब्जियों की कीमतों से क्षणिक झटके ने इसे कभी-कभी ऊपरी सहनीयता सीमा से ऊपर धकेल दिया। विकट वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद घरेलू आर्थिक गतिविधि के समुत्थानशीलता से अवस्फीति की लागत कम हो गई। तदनुसार, एमपीसी ने पॉलिसी रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखी और 2023-24 के दौरान समायोजन वापस लेने के रुख पर कायम रही।

III.2 वर्ष के दौरान, मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप चलनिधि की स्थितियाँ विकसित हुईं। बैंकिंग प्रणाली में ₹2000 के बैंक नोटों की वापसी के परिणामस्वरूप, अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए 12 अगस्त से 7 अक्टूबर, 2023 के दौरान एक अस्थायी उपाय के रूप में वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (आई-सीआरआर) लागू किया गया था। सरकारी नकदी शेष और त्यौहार संबंधी मुद्रा व्यय के निर्माण के कारण दूसरी तिमाही में प्रणालीगत चलनिधि घाटे में बदलने के साथ, अल्पकालिक मुद्रा बाजार दरें मजबूत हो गईं। लंबी अवधि के प्रतिफल मोटे तौर पर स्थिर रहे। रिज़र्व बैंक ने दो-तरफ़ा चलनिधि परिचालन किया। 2022-23 की नीतिगत दर में बढ़ोतरी का बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण जारी रहा, हालांकि वर्ष के दौरान इसकी गति धीमी हो गई।

III.3 इस पृष्ठभूमि में, खंड 2 वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ 2023-24 के लिए निर्धारित कार्यसूची की कार्यान्वयन स्थिति प्रस्तुत करता है, जबकि खंड 3 में 2024-25 के लिए कार्यसूची निर्धारित की गई है। अंतिम खंड में समापन टिप्पणियां दी गई हैं।

2. 2023-24 की कार्यसूची

III.4 विभाग ने पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की नाउकास्टिंग और पूर्वानुमान में सुधार के लिए मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का अनुप्रयोग (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ III.5]
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की उधार दरों और उनके द्वारा क्षेत्रीय उधार के संचरण के विश्लेषण को मजबूत करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ III.5]; तथा

- मौद्रिक नीति संचरण में ऋण के लिए बाह्य बेंचमार्क प्रणाली के कामकाज की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ III.5]।

कार्यान्वयन स्थिति

III.5 जीडीपी के अल्पकालिक अनुमानों के लिए प्रयुक्त वर्तमान और पूर्वानुमान मॉडल को उच्च आवृत्ति संकेतकों का उपयोग करते हुए रैखिक और गैर-रैखिक एमएल तकनीकों को नियोजित करके संवर्धित किया गया। प्रमुख एनबीएफसी से ऋण के संचरण और क्षेत्रीय परिनियोजन पर डेटा एकत्र किया जा रहा है तथा केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के तहत डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर (ईबीएलआर) प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई। बैंकों से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ और सुझाव प्राप्त हुए।

III.6 वर्ष के दौरान (i) हाल के वर्षों में बार-बार मुद्रास्फीति के आघातों को देखते हुए विभिन्न प्रमुख मुद्रास्फीति उपायों के गुणों का आकलन करने; (ii) मुद्रा मांग पर डिजिटल भुगतान में वृद्धि के प्रभाव का आकलन करने; (iii) 2 महीने के ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) से नीति दर पर प्रत्याशा निकालने; (iv) स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरूआत के एक वर्ष के बाद इसके प्रचालन का मूल्यांकन करने; (v) मौजूदा सख्ती चक्र में मौद्रिक संचरण की तुलना पिछले सहजता चरण से करने; और (vi) क्रॉस-कंट्री ढांचे में इनपुट कीमतों के आउटपुट कीमतों तक पहुंचने की जांच करने के लिए अध्ययन किए गए।

प्रमुख गतिविधियां

मौद्रिक नीति

III.7 जब अप्रैल में एमपीसी की 2023-24 की पहली बैठक हुई, तो कई खाद्य उप-समूहों में उच्च मुद्रास्फीति के बीच सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में 5.7 प्रतिशत से फरवरी 2023 में 6.4 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, इनपुट लागत के दबाव का आउटपुट कीमतों पर विलंबित असर, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता और विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों से आयातित मुद्रास्फीति जोखिमों की पृष्ठभूमि में मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है। कच्चे तेल की वार्षिक औसत कीमत (भारतीय बास्केट) 85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल और सामान्य मानसून को मानते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 के लिए 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें पहली तिमाही 5.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत थी, इसमें जोखिम समान रूप से संतुलित था। 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जो अच्छी *रबी* फसल, संपर्क-गहन सेवाओं में निरंतर उछाल, पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर और दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि द्वारा समर्थित थी। एमपीसी ने सर्वसम्मति से 2022-23 के दौरान छह अनुक्रमिक दर वृद्धि के बाद, अप्रैल 2023 में नीति रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने इस बात पर जोर दिया कि वह उभरती मुद्रास्फीति और विकास के दृष्टिकोण पर कड़ी निगरानी रखना जारी रखेगी और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाई करेगी। एमपीसी ने 5-1 वोट के साथ विकास का समर्थन करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए उदारता बरतने को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य के अनुरूप हो।

III.8 मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान मुद्रास्फीति के सहनीयता दायरे में आने के साथ, मौद्रिक सख्ती और आपूर्ति बढ़ाने के उपायों के संयुक्त प्रभाव के तहत, और घरेलू गतिविधि के लचीले बने रहने के साथ, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीति दर पर *यथास्थिति बनाए रखी* और जून 2023 की बैठक में 5-1 वोट के साथ रुख बनाए रखा। यह नोट किया गया कि अतीत की संचयी दर वृद्धि अभी भी अर्थव्यवस्था में फैल रही है और इसके पूर्ण प्रभाव से आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित रखना चाहिए। एमपीसी ने मुद्रास्फीति की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखने और मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक लाने के लिए,

आवश्यकतानुसार आगे की मौद्रिक कार्रवाई करने का संकल्प लिया।

III.9 अगस्त 2023 में जब एमपीसी की बैठक हुई, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग विकास प्रक्षेपवक्र के साथ धीमी गति से चल रही थी। मुद्रास्फीति कम हो रही थी, लेकिन लक्ष्य से ऊपर थी। सख्त वित्तीय परिस्थितियाँ, बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष और भू-आर्थिक विखंडन मुख्य जोखिम थे। घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति मई में 4.3 प्रतिशत से बढ़कर जून में 4.8 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से टमाटर में कीमतों के दबाव से प्रेरित थी । असमान दक्षिण-पश्चिम मानसून, प्रतिकूल भू-राजनीतिक वातावरण के कारण वैश्विक खाद्य कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव और उत्पादन में कटौती के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ने मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा किया। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और सामान्य मानसून मानते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 2023-24 के लिए 5.4 प्रतिशत तक संशोधित किया गया जिसमें समान रूप से संतुलित जोखिम के साथ, सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान दूसरी तिमाही 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 5.7 प्रतिशत और चौथी तिमाही 5.2 प्रतिशत था। अर्थव्यवस्था में रेपो दर में वृद्धि का असर अभी भी देखने को मिल रहा है, इसलिए एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, ताकि स्थिति के अनुसार नीतिगत अनुवर्ती कार्रवाई की तैयारी की जा सके। एमपीसी ने 5-1 बहुमत से उदारता बरतने को वापस लेने के अपने रुख को भी दोहराया।

III.10 अक्टूबर 2023 की बैठक के समय, वैश्विक विकास गति खो रहा था लेकिन घरेलू वास्तविक जीडीपी ने ति.1: 2023-24 में मजबूत वृद्धि दर्ज की थी। सब्जियों की कीमतों में उछाल के कारण सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 2.6 प्रतिशत अंक बढ़कर जुलाई में 7.4 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद अगस्त में घटकर 6.8 प्रतिशत पर आ गई। जुलाई-अगस्त में कोर मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही। एमपीसी ने देखा कि अभूतपूर्व खाद्य मूल्य झटके मुद्रास्फीति के विकसित मार्ग को प्रभावित कर रही थे और इस तरह के परस्पर-व्यापक आघातों की आवर्ती घटनाएं सामान्यीकरण और दृढ़ता प्रदान कर सकती हैं। इसने पाया कि, सहनीयता दायरे से ऊपर हेडलाइन मुद्रास्फीति के साथ, मौद्रिक नीति को सक्रिय रूप से अवस्फीतिकारी बने रहने की आवश्यकता है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से 5-1 वोट के साथ अपने रुख को बरकरार रखते हुए नीति रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया।

III.11 दिसंबर 2023 में एमपीसी की बैठक तब घरेलू आर्थिक गतिविधि ने मजबूत निवेश और सरकारी खपत के आधार पर समुत्थानशीलता बनाए रखी थी। 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया गया। कुछ सब्जियों की कीमतों में तेज सुधार, ईंधन में अपस्फीति और प्रमुख कीमतों में तेज और व्यापक आधार पर अवस्फीति के कारण अक्टूबर में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति लगभग 2 प्रतिशत अंक गिरकर 4.9 प्रतिशत हो गई। 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत के साथ 5.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया । 2024-25 के लिए सामान्य मानसून मानते हुए, 2024-25 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 4.0 प्रतिशत; और तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत पर अनुमानित की गई थी। एमपीसी ने सर्वसम्मति से आवश्यकता पड़ने पर उचित नीतिगत कार्रवाई करने की तैयारी के साथ, नीति रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया और और 5-1 बहुमत के साथ अपना रुख बरकरार रखा।

III.12 आर्थिक गतिविधियों में निरंतर गति की पृष्ठभूमि में, एमपीसी ने अपनी फरवरी की बैठक में 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। मुख्य रूप से सब्जी की कीमत में वृद्धि के कारण, सीपीआई मुद्रास्फीति नवंबर और दिसंबर में बढ़ी थी, यहां तक कि ईंधन अपस्फीति बहुत अधिक बढ़ी और कोर मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में चार साल के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर आ गई। सीपीआई मुद्रास्फीति चौथी तिमाही के लिए 5.0 प्रतिशत के साथ 2023-24 के लिए 5.4 प्रतिशत अनुमानित थी। सामान्य मानसून मानते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 4.0 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 4.7

चार्ट III.1: मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मतदान का स्वरूप

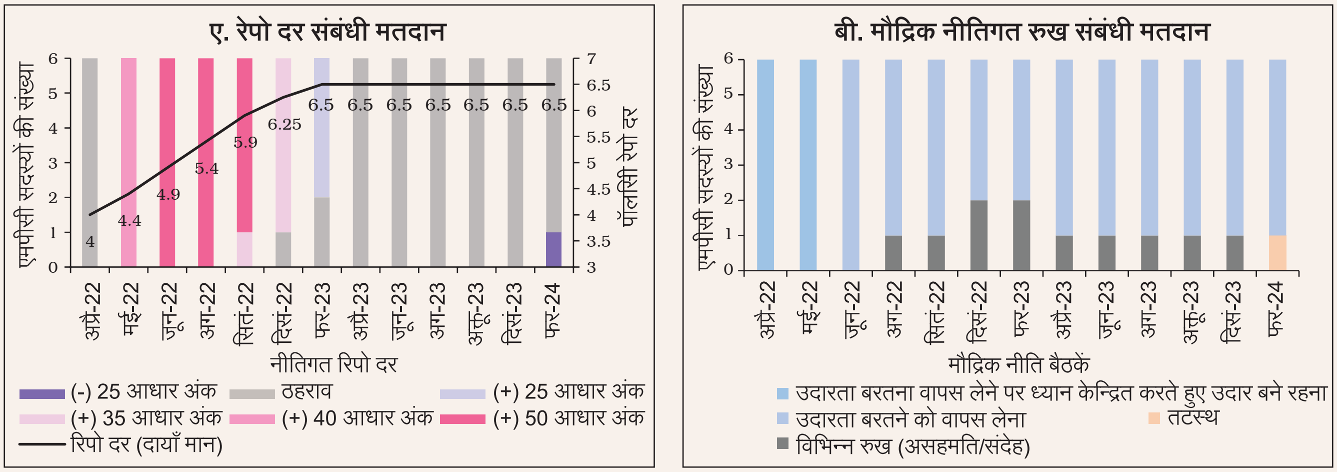

स्रोत: आरबीआई।

प्रतिशत के साथ 4.5 प्रतिशत पर अनुमानित थी, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। जहां घरेलू गतिविधि अच्छी तरह से पकड़ में थी, वहां बड़े और बारंबार आनेवाले खाद्य मूल्य झटके अवस्फीति की गति को बाधित कर रहे थे। एमपीसी ने अवस्फीति के मार्ग को बनाए रखने के लिए 5-1 बहुमत के साथ नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। एमपीसी ने गौर किया कि मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और पूर्ण संचरण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति को सक्रिय रूप से अवस्फीतिकारी बनाए रखना चाहिए। एमपीसी ने 5-1 बहुमत से उदारता बरतने को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय किया।

सारणी III.1: नीति दरें – प्रमुख केंद्रीय बैंक

वर्ग	देश	नीतिगत दर (प्रतिशत) (31 मार्च 2024 तक)	ठहराव से
1	2	3	4
एई	यूएस	5.50	जुलाई 2023
	यूके	5.25	अगस्त 2023
	यूरो क्षेत्र	4.50	सितंबर 2023
	कनाडा	5.00	जुलाई 2023
	स्वीडन	4.00	सितंबर 2023
	न्यूज़ीलैंड	5.50	मई 2023
ईएमई	भारत	6.50	फरवरी 2023
	थाईलैंड	2.50	सितंबर 2023
	मलेशिया	3.00	मई 2023
	दक्षिण अफ्रीका	8.25	मई 2023

यूएस : संयुक्त राज्य अमेरिका। यूके: यूनाइटेड किंगडम।
एई: उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ। ईएमई: उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं।
स्रोत: केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें।

III.13 2023-24 के दौरान एमपीसी के निर्णयों में फरवरी की बैठक को छोड़कर, दर संबंधी कार्रवाईयों पर सर्वसम्मति लेकिन रुख में विविधता देखी गई (चार्ट III.1)।

III.14 वैश्विक स्तर पर, कई केंद्रीय बैंकों ने 2023 के मध्य से दरें बरकरार रखी हैं (सारणी III.1)।

III.15 आर्थिक घटकों की प्रत्याशाओं को स्थिर रखने में मौद्रिक नीति संप्रेषण प्रभावी रहा है (बॉक्स III.1)।

परिचालन ढांचा : चलनिधि प्रबंधन

III.16 मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप, 2023-24 के दौरान चलनिधि प्रबंधन परिचालनों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि के स्तर को संतुलित करना था। विभिन्न कारकों (नीचे चर्चा की गई है) के कारण अधिशेष चलनिधि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 19 मई से 28 जुलाई 2023 के बीच सभी अनुसूचित बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात (आई-सीआरआर) लगाया, जो

बॉक्स III.1
भारत में मौद्रिक नीति संप्रेषण

संप्रेषण, केंद्रीय बैंकों की एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो उनकी नीति घोषणाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देती है। मौद्रिक नीति पर रिज़र्व बैंक के संप्रेषण में एमपीसी के संकल्प, एमपीसी की बैठकों के कार्यवृत्त, गवर्नर का वक्तव्य, मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर), नीति की घोषणा के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषण शामिल हैं।

प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) तकनीकों का उपयोग करके एमपीसी के संकल्पों के विश्लेषण से पता चलता है कि परिस्थितियों के आधार पर संप्रेषण का प्रभाव अलग-अलग होता है; अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2023 के दौरान सात प्रमुख विषय उभर कर सामने आए (चार्ट 1)। मुद्रास्फीति चर्चा का केंद्रीय विषय बनी रही, बाद के पूर्व-कोविड-19 अवधि (अक्टूबर 2016 से फरवरी 2020) के दौरान इसकी जगह संवृद्धि ने ली। हालाँकि, यह क्रम महामारी (मार्च 2020 से फरवरी 2022) के दौरान उलट गया; चलनिधि और कोविड विषयों पर भी ध्यान दिया गया। 2022 में भू-राजनीतिक संकट और परिणामी मुद्रास्फीति के दबाव ने बाद की एमपीसी चर्चाओं को उचित दिशा दी, जिसमें मुद्रास्फीति मुख्य विषय के रूप में वापिस सामने आई (मार्च 2022 से अक्टूबर 2023); विदेशी सहलग्नता पर भी ध्यान बढ़ा।

चूंकि संप्रेषण, नीति रेपो दर में मात्रात्मक परिवर्तनों के लिए सहायक हो सकता है और वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए विश्लेषण के लिए मौद्रिक नीति की संप्रेषण भाषा पद्धति का उपयोग किया गया[1]। मुद्रास्फीति पर संप्रेषण का यह स्वर नीति चक्र के साथ अच्छी तरह मेल खाता है; सख्ती की अवधि के दौरान, नकारात्मक था, जबकि सहजता चक्र के दौरान यह सकारात्मक था। मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर संवृद्धि की भाषा पद्धति सकारात्मक या नकारात्मक रही।

चार्ट 1: विषय विकास

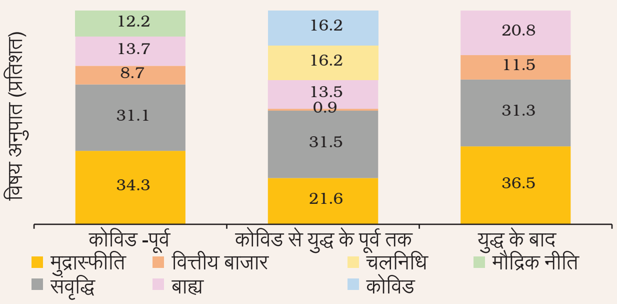

नोट: 1. विषय मॉडलिंग के लिए लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन (एलडीए) पद्धति का उपयोग किया गया है।
2. विषय लेबलिंग किसी विषय के प्रमुख शब्दों पर आधारित होती है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

एक घटना-अध्ययन दृष्टिकोण(नीति घोषणा से पहले और बाद में पांच दिनों की विंडो) में ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) दरों पर भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) (जो पॉलिसी रेपो दर में बदलाव को प्रतिबिंबित करता है), मुद्रास्फीति (एमपीसी_आईएनएफ़) और विकास (एमपीसी _जीआर) संप्रेषण स्वर के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि डब्ल्यूएसीआर अल्पकालिक ओआईएस दरों को संचालित करता है, लेकिन अवधि बढ़ने के साथ इसका प्रभाव कम हो जाता है (सारणी-1)। ओआईएस दरें विकास पर संप्रेषण स्वर के साथ कमजोर और महत्वहीन सहसंबंध दर्शाती हैं। इसके विपरीत, उनका मुद्रास्फीति के स्वर के साथ महत्वपूर्ण विपरीत संबंध है। इसके अलावा, सख्त नीति चरणों के दौरान मुद्रास्फीति पर संप्रेषण अधिक मायने रखता है (सारणी 2)।

पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के विश्लेषण से पता चलता है कि मुद्रास्फीति अनुमान (मात्रात्मक) और मुद्रास्फीति स्वर दोनों उनके पूर्वानुमानों को प्रभावित करते हैं। जब प्रक्षेपण कम होता है और स्वर सकारात्मक होता है, तो पेशेवरों के पूर्वानुमानों में परिनियमन और इसके विपरीत देखा जाता है (सारणी 3)।

सारणी 1: ओआईएस दरों पर संप्रेषण का प्रभाव

मद	ओआईएस_1एम	ओआईएस_2एम	ओआईएस_3एम	ओआईएस_6एम	ओआईएस_9एम	ओआईएस_1व
1	2	3	4	5	6	7
डब्ल्यूएसीआर	0.484***	0.373***	0.327***	0.279*	0.287*	0.290*
एमपीसी_आईएनएफ	-0.102	-0.112	-0.144	-0.199*	-0.218*	-0.237*
स्थिर	-0.032	-0.016	-0.012	-0.006	-0.003	0.001

*** और * क्रमशः 1 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्त्व दर्शाते हैं।
नोट : विश्लेषण में अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2023 तक के आंकड़े शामिल हैं।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

[1] संप्रेषण के भाषा पद्धति के लिए, मुद्रास्फीति के लिए आक्रामक-नरमी शब्दों और संवृद्धि के लिए विस्तारवादी-संकुचनवादी शब्दों से युक्त अनुकूलित शब्दकोष का उपयोग किया गया है।

सारणी 2: ओआईएस दरों पर संप्रेषण का प्रभाव - विभिन्न नीति चक्र

मद	ओआईएस_1एम	ओआईएस_2एम	ओआईएस_3एम	ओआईएस_6एम	ओआईएस_9एम	ओआईएस_1व
1	2	3	4	5	6	7
डब्ल्यूएसीआर	0.401***	0.261*	0.213	0.136	0.157	0.147
एमपीसी _आईएनएफ़ _ईजिंग	-0.199	-0.232	-0.219	-0.179	-0.163	-0.197
एमपीसी _आईएनएफ़ _सख्ती	-0.239	-0.306*	-0.391**	-0.639***	-0.657***	-0.698***
एमपीसी _आईएनएफ़ _यथास्थिति	-0.040	-0.029	-0.057	-0.081	-0.108	-0.118
स्थिर	-0.032	-0.016	-0.018	-0.028	-0.027	-0.023

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

कुल मिलाकर, विश्लेषण से पता चलता है कि प्रभावी संप्रेषण आर्थिक घटकों की प्रत्याशाओं को दिशा दे सकता है।

सारणी 3: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के मुद्रास्फीति दृष्टिकोण पर संप्रेषण का प्रभाव

मद	आईएनएफ़ _दृष्टिकोण
1	2
मुद्रास्फीति	0.731***
एमपीसी _आईएनएफ़	0.340
आईएनएफ़ _प्रक्षेपण_1#	-0.156**
आईएनएफ़ _प्रोजेक्शन_2&	0.047*
स्थिर	1.422***

#: एमपीसी _आईएनएफ़ स्वर सकारात्मक है और आईएनएफ़ प्रक्षेपण 5 प्रतिशत से नीचे है।
&: एमपीसी _आईएनएफ़ स्वर नकारात्मक है और आईएनएफ़ प्रक्षेपण 5 प्रतिशत से ऊपर है।
***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाते हैं।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सन्दर्भ:

1. ब्लाइंडर, ए.एस., एहरमन, एम., फ्रैट्ज़चर, एम., डी हान, जे., और जानसन, डी.जे. (2008)। केंद्रीय बैंक संचार और मौद्रिक नीति: सिद्धांत और साक्ष्य का एक सर्वेक्षण। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, 46(4), 910-945।
2. दास, शक्तिकांत (2022), 'मोनेटरी पॉलिसी एंड सेंट्रल बैंक कम्यूनिकेशन', राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में भाषण, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 4 मार्च।
3. पात्रा, एम.डी. (2022), 'दी लाइटर साइड ऑफ मेकिंग मोनेटरी पॉलिसी', 9वें एसबीआई बैंकिंग और अर्थशास्त्र कॉन्क्लेव में भाषण, मुंबई, 24 नवंबर।
4. लेगार्ड, सी.(2023), 'कम्यूनिकेशन और मोनेटरी पॉलिसी', यूरोपीय अर्थशास्त्र और वित्तीय केंद्र, लंदन द्वारा 4 सितंबर को आयोजित विशिष्ट वक्ताओं के सेमिनार में भाषण।

12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा।[2] आई-सीआरआर की 8 सितंबर 2023 को समीक्षा की गई और इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया ताकि प्रणाली में उपलब्ध चलनिधि को आकस्मिक आघात न लगें और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से काम कर सके। तदनुसार, जब्त आई-सीआरआर निधि का 25 प्रतिशत 9 सितंबर को, अन्य 25 प्रतिशत 23 सितंबर को तथा शेष 50 प्रतिशत 7 अक्टूबर, 2023 को जारी किया गया।

चलनिधि के कारक और प्रबंधन

III.17 2023-24 के दौरान सरकारी नकदी शेष, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और पूंजी प्रवाह चलनिधि के प्रमुख कारकों के रूप में उभरकर आए (सारणी III.2)। 2023-24 की पहली तिमाही की शुरुआत में, सरकारी नकदी शेष के निर्माण और अप्रैल 2020 में आयोजित किए गए लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त शेष धनराशि के पुनर्भुगतान के कारण अप्रैल में चलनिधि स्थितियां सख्त हो गई।[3]

2 हालाँकि, मौजूदा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।

3 कुल उपलब्ध ₹ 1,12,900 करोड़ की धनराशि में से बैंकों ने अप्रैल 2023 के दौरान ₹ 61,113 करोड़ चुकाए।

सारणी III.2: चलनिधि - प्रमुख चालक और प्रबंधन

(₹ करोड़)

वस्तु	2022-23	2023-24	ति1:2023-24	ति2: 2023-24	ति3: 2023-24	ति4: 2023-24
1	2	3	4	5	6	7
चालक						
(i) सीआईसी [आहरण (-) / प्रतिलाभ (+)]	-2,44,804	-1,37,011	18,103	71,253	-73,831	-1,52,536
(ii) निवल विदेशी मुद्रा खरीद (+) / बिक्री (-)	-2,17,259	3,39,528	1,60,738	-16,071	-2,348	1,97,209
(iii) भारत सरकार के नकद शेष [बिल्ड-अप (-) / ड्रॉडाउन (+)]	84,028	-2,75,156	-2,37,937	-1,79,913	-6,606	1,49,301
(iv) अतिरिक्त आरक्षित निधियाँ [बिल्ड-अप (-) / ड्रॉडाउन (+)]	1,17,393	-11,961	31,485	3,440	-1,217	-45,669
प्रबंधन						
(i) निवल ओएमओ खरीद (+) / बिक्री (-)	-31,360	-18,505	-	-8,480	-10,025	-
(ii) आवश्यक आरक्षित निधि [एनडीटीएल और सीआरआर में परिवर्तन दोनों में सहित आई-सीआरआर]	1,62,701	-1,27,716	-33,712	-1,01,508	30,605	-23,101
मदें :						
अंतिम अवधि में दैनिक निवल अवशोषण (+) / अंतर्वेशन (-)	1,28,497	-52,918	1,29,194	-97,015	-1,82,679	-52,918

सीआईसी: प्रचलन में मुद्रा। जीओआई : भारत सरकार। -:शून्य।
नोट: 1. बैंकिंग प्रणाली से आने-जाने वाला प्रवाह (+)/बहिर्वाह (-)।
2. आंकड़े संबंधित अवधि के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

इसके बाद, (i) संचलन से ₹2000 के बैंक नोटों की वापस लेने के परिणामस्वरूप, बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की वापसी ; (ii) मानसून सीज़न की शुरुआत से पहले शीघ्रता से किया गया सरकारी खर्च; और (iii) रिज़र्व बैंक के बाज़ार परिचालन के मद्देनजर मई में चलनिधि की स्थिति आसान हो गई । जून में, अग्रिम कर भुगतान और माल और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बहिर्वाह ने अधिशेष चलनिधि को कम कर दिया, यद्यपि,बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की मौसमी वापसी ने कुछ दबाव कम कर दिया। चलनिधि की स्थितियों में क्षणिक तंगी को कम करने के लिए 19 मई, 2023 को 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी (मुख्य परिचालन) आयोजित की गई थी, जिसके बाद जून में एक फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर परिचालन किया गया।

III.18 दूसरी तिमाही में, जुलाई और अगस्त के पहले पखवाड़े के दौरान चलनिधि की स्थिति काफी हद तक सुविधाजनक रही क्योंकि सरकारी व्यय ने बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि को संवर्धित किया । आई-सीआरआर को लागू किए जाने के बाद, 12 अगस्त, 2023 से अधिशेष चलनिधि में कमी आई जिसने बैंकिंग प्रणाली से लगभग ₹1.1 लाख करोड़ अवरुद्ध किए। अग्रिम कर संग्रह और जीएसटी भुगतान के कारण सरकारी नकदी शेष में वृद्धि ने चलनिधि की स्थिति को और कड़ा कर दिया और औसत निवल चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) मई 2019 के बाद पहली बार सितंबर में घाटे की स्थिति में चली गई। नतीजतन, औसत निवल एलएएफ़ अवशोषण 2023-24 की पहली तिमाही में ₹ 1.26 लाख करोड़ से कम होकर दूसरी तिमाही में ₹ 0.89 लाख करोड़ हो गया।

III.19 अक्टूबर-नवंबर में त्योहार संबंधी मुद्रा मांग और दिसंबर 2023 में अग्रिम कर और जीएसटी भुगतान के कारण सरकारी नकदी शेष में वृद्धि से प्रेरित, तीसरी तिमाही में ₹ 0.76 लाख करोड़ के औसत निवल एलएएफ अंतर्वेशन साथ चलनिधि घाटे में बदल गई। चलनिधि दबाव को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने चार फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर परिचालन किए।

III.20 चौथी तिमाही में, निवल एलएएफ अंतर्वेशन औसतन ₹1.36 लाख करोड़ रहा, जिसमें जनवरी-फरवरी की तुलना में मार्च 2024 में अंतर्वेशन काफी कम हो गया। आरबीआई के विदेशी मुद्रा परिचालन के साथ-साथ सरकारी खर्च में वृद्धि ने मुद्रा निकासी के कारण चलनिधि अपवाह को कुछ हद तक संतुलित

किया। 8 मार्च, 2022 को रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए यूएसडी/आईएनआर बिक्री-खरीद स्वैप नीलामी के रिटर्न-लेग ने भी 11 मार्च, 2024 को कुल ₹42,800 करोड़ की चलनिधि अंत:क्षेपित की। चौथी तिमाही के दौरान, रिज़र्व बैंक ने छह मुख्य और उन्नीस फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर परिचालनों के माध्यम से चलनिधि अंत:क्षेपित की। साथ ही, अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए फाइन-ट्यूनिंग परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों का बीच-बीच में आयोजन किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रा बाजार दरें मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप विकसित हों।

III.21 संचलन में मुद्रा आमतौर पर बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक चलनिधि का एक प्रमुख कारक है। 19 मई, 2023 को ₹2000 के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने के निर्णय के कारण बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा वापसी से 2023-24 के दौरान संचलन में मुद्रा में सामान्य वृद्धि कम हो गयी थी (चार्ट III.2)।

चार्ट III.2: संचलनगत मुद्रा

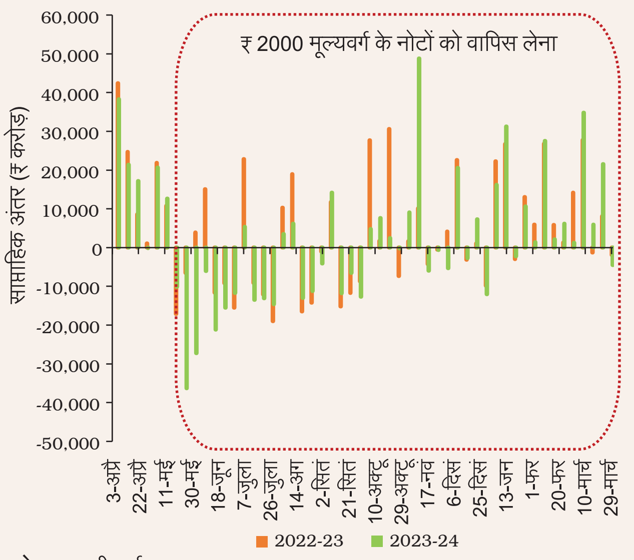

स्रोत: आरबीआई।

चलनिधि परिचालन

III.22 2023-24 के दौरान, एसडीएफ के तहत अवशोषण औसतन ₹0.90 लाख करोड़ था, जो एलएएफ के तहत दैनिक कुल अवशोषण औसतन (₹1.16 लाख करोड़) का 78 प्रतिशत था, जबकि शेष 22 प्रतिशत राशि वीआरआरआर नीलामी - मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग दोनों परिचालनों के माध्यम से अवशोषित की गयी (चार्ट III.3ए और III.3.बी)। चलनिधि की तंग स्थिति को दर्शाते हुए, बैंकों की सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) की ओर झुकाव बढ़ गया, 2023-24 के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा के तहत दैनिक उधार औसतन ₹0.50 लाख करोड़ था, जो 22 नवंबर, 2023 को ₹2.34 लाख करोड़ के उच्च स्तर पर पहुंच गया। एमएसएफ का बड़े पैमाने पर सहारा लेते हुए एसडीएफ के तहत पर्याप्त धनराशि एक साथ लगाना कुछ हद तक विरोधाभासी

चार्ट III.3: चलनिधि परिचालन

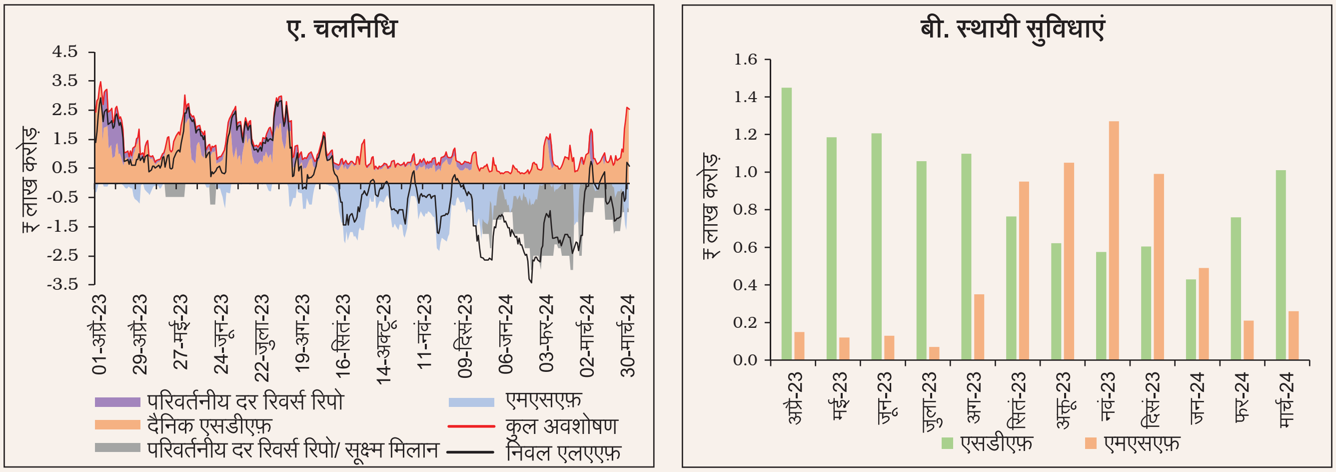

स्रोत: आरबीआई और सीसीआईएल।

है। बैंकों द्वारा बेहतर निधि प्रबंधन को सक्षम करने के लिए, 30 दिसंबर 2023 से सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी एसडीएफ और एमएसएफ दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं को वापिस लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। इससे बैंकों को अपने परिचालन में अधिक लचीलापन प्रदान किया, सप्ताहांत के दौरान चलनिधि की स्थितियों में तंगी दूर हुई और चलनिधि प्रबंधन में अधिक कार्यक्षमता प्रदान की गयी।

III.23 2023-24 के दौरान, वीआरआरआर फाइन-ट्यूनिंग परिचालन और पाक्षिक 14-दिवसीय मुख्य परिचालन ने क्रमशः 0.47 और 0.38 के औसत ऑफर-कवर अनुपात प्राप्त किए। इसके विपरीत, वीआरआर फाइन-ट्यूनिंग और मुख्य परिचालन में क्रमशः 2.07 और 1.75 का औसत बोली-कवर अनुपात था, जो सख्त चलनिधि स्थितियों को दर्शाता है।

III.24 चलनिधि की बदलती गतिशीलता से प्रेरित, भारित औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - अक्टूबर 2023-जनवरी 2024 के दौरान ऊंचा रहा। वर्ष के अंत में सख्त होने से पहले, फरवरी 2024 के मध्य और मार्च के तीसरे सप्ताह के बीच इसमें कमी आयी (चार्ट III.4)।

चार्ट III.4: पॉलिसी कॉरिडोर और भारित औसत कॉल दर

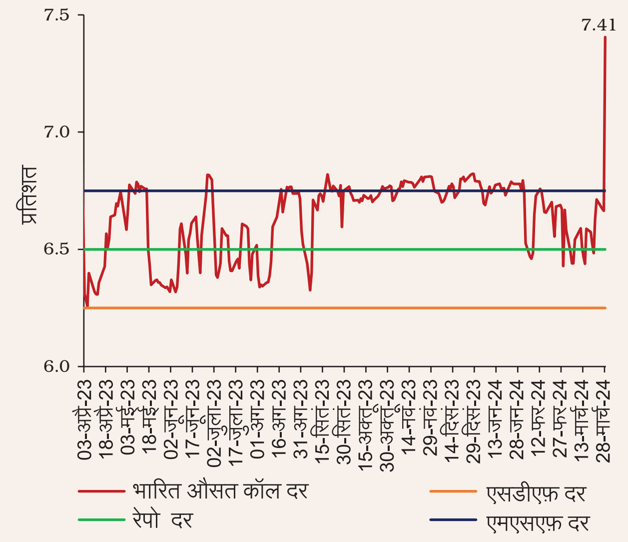

स्रोत: आरबीआई और सीसीआईएल।

III.25 डबल्यूएसीआर के साथ तालमेल बिठाते हुए, संपार्श्विक खंड में ओवरनाइट दरें वर्ष के दौरान फरवरी में कम होने से पहले बढ़ीं (सारणी III.3)। मीयादी मुद्रा खंड में, एनबीएफसी के लिए 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर प्रतिफल में मजबूती आई, जो अन्य बातों के साथ-साथ, 16 नवंबर, 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विनियामक उपायों को दर्शाती है (अध्याय VI देखें)। चलनिधि की तंगी की वजह से बैंकों को जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने पड़े। हालांकि, अमेरिकी राजकोषीय प्रतिफल में वृद्धि के बावजूद, घरेलू घटनाक्रमों से संकेत लेते हुए, मध्यम से लंबी अवधि के बॉण्ड प्रतिफलों में अपने मार्च 2023 के स्तर से कमी आ गयी।

सारणी III.3: ब्याज दरें

(प्रतिशत)

संकेतक		औसत			
		मार्च-2023	जून-2023	सितं-2023	मार्च-2024
1		2	3	4	5
दरें	डबल्यूएसीआर	6.52	6.54	6.76	6.60
	त्रिपक्षीय रिपो	6.47	6.47	6.74	6.54
	मार्केट रिपो	6.55	6.46	6.78	6.61
	3-माह का टी-बिल	6.88	6.75	6.96	6.92
	3-माह सीपी	7.78	7.15	8.40	8.19
	3 महीने की सीडी	7.48	6.91	7.56	7.70
	एए कॉरपोरेट बॉण्ड - 5-वर्ष	7.85	7.56	7.69	7.66
	जी-सेक यील्ड - 5-वर्ष	7.28	6.98	7.10	7.08
	जी-सेक यील्ड - 10-वर्ष	7.35	7.04	7.18	7.06
स्प्रेड (बीपीएस)	सीपी - टी-बिल	90	40	144	127
	एए 5-वर्ष - जी-सेक 5-वर्ष	57	58	59	59
मदें :					
चलनिधि	निवल एलएएफ (करोड़ रुपए)	14,185	1,30,246	-14,586	-29,323
वैश्विक संकेतक	अमेरिकी 10-वर्षीय जी-सेक यील्ड (प्रतिशत)	3.66	3.74	4.36	4.20
	कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बास्केट) (अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल)	79	75	93	85

स्रोत: सीसीआईएल, आरबीआई और ब्लूमबर्ग।

मौद्रिक नीति संचरण

III.26 2023-24 के दौरान रिज़र्व बैंक की नीतिगत दर परिवर्तन से बैंकों की जमा और उधार दरों पर संचरण *हालांकि* धीमी गति से ही, जारी रहा । 2023-24 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की रुपए में नए ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) और बकाया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में क्रमशः 5 बीपीएस और 13 बीपीएस की वृद्धि हुई। जमा राशियों के मामले में, बकाया सावधि जमा पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) 2023-24 में बढ़ी, जिसमें उच्च दरों पर नवीकृत होने वाली जमाओं का अनुपात बढ़ रहा है। वर्ष के दौरान नई मीयादी जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर में 14 बीपीएस की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, मई 2022 में मौजूदा सख्ती चक्र की शुरुआत के बाद से, बैंकों ने अपनी रेपो-सहबद्ध बेंचमार्क दरों में 250 बीपीएस और अपनी 1-वर्षीय सीमांत लागत निधि-आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) में 167 बीपीएस की वृद्धि की है। परिणामस्वरूप, मई 2022-मार्च 2024 के दौरान रुपये में नए ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में 186 बीपीएस की और बकाया ऋणों पर 113 बीपीएस की वृद्धि हुई। इसी अवधि में नई मीयादी जमा और बकाया मीयादी जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर में क्रमशः 259 बीपीएस और 185 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी III.4)।

III.27 वर्तमान सख्त चक्र में, बैंकों की बचत जमा पर ब्याज दर - जो कुल जमा का लगभग 30 प्रतिशत है - लगभग अपरिवर्तित बनी हुई है, जबकि चालू खाता शेष [मार्च 2024 के अंत में कुल जमा में लगभग 9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ)] से कोई ब्याज नहीं मिलता है। इससे बैंकों की धन की समग्र लागत में वृद्धि कम हो गई है, जो उच्च ब्याज दर प्रसार में परिलक्षित होती है। सख्त चक्रों के दौरान, जमा दरों के सापेक्ष उधार दरों में तेजी से ऊपर की ओर समायोजन के साथ एससीबी की ब्याज दर का दायरा शुरू में बढ़ जाता है (बॉक्स III.2)। जमाराशियों के चरणबद्ध पुनर्मूल्यांकन के साथ, निवल ब्याज मार्जिन बाद में मध्यम/स्थिर हो जाता है।

III.28 बैंक-समूहों में, मौजूदा सख्त चक्र में रुपए में नए ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर और नए तथा बकाया मीयादी जमा पर

सारणी III.4: नीतिगत रिपो दर से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरों में संचरण

(आधार अंक में अंतर)

अवधि (अप्रैल -मार्च)	रिपो दर	सावधि जमा दरें		उधार दरें			
		डबल्यूएडी टीडीआर – नई जमा राशियाँ	डबल्यूएडी टीडीआर – बकाया जमा राशियाँ	1-वर्षीय एमसीएलआर (औसत)	ईबीएलआर	डबल्यूएएल आर – रुपए में नया ऋण	डबल्यूएएल आर-रुपए में बकाया ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-22	0	27	-25	-5	0	-29	-36
2022-23	250	236	113	150	250	169	98
2023-24	0	14	72	30	0	5	13
मदें :							
फरवरी 2019 से मार्च 2022 (उदार चक्र)	-250	-259	-188	-155	-	-232	-150
मई 2022 से मार्च 2024 (सख्त चक्र)	250	259	185	167	250	186	113

-: शून्य।
डब्ल्यूएडीटीडीआर : भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर। डब्ल्यूएएलआर : भारित औसत उधार दर।
एमसीएलआर: फंड की सीमांत लागत-आधारित उधार दर। ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर।
नोट: ईबीएलआर के आंकड़े घरेलू बैंकों से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

बॉक्स III.2
ब्याज दर स्प्रेड और मौद्रिक नीति संचरण

ब्याज दर प्रसार (आईआरएस) - नए ऋणों पर भारित औसत उधार दर और बैंकों की कुल जमा पर भारित औसत दर के बीच का अंतर - मौद्रिक संचरण को प्रभावित करता है। अरेलानो-बोवर (1995) और ब्लंडेल एंड बॉण्ड (1998) के रेखाचित्र, एक गतिशील पैनल ढांचा जिसमें बैंक-विशिष्ट नियंत्रण चर, अर्थात, आकार (बैंकों की कुल संपत्ति का लॉग), सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात, पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के अनुपात (सीआरएआर) और ऋण-जमा (सीडी) अनुपात के साथ 2018-19 की चौथी तिमाही से 2023-24 की पहली तिमाही की अवधि के लिए 27 एससीबी (12 सार्वजनिक और 15 निजी क्षेत्र के बैंक) के तिमाही डेटा पर सिस्टम जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट (रूडमैन, 2009) का उपयोग करते हुए से यह इंगित करता है कि डब्ल्यूएसीआर में 100 बीपीएस की वृद्धि बैंकों के आईआरएस को अल्पावधि में 15-17 बीपीएस तक बढ़ाती है, क्योंकि मीयादी जमा दरों में ऊपर की ओर समायोजन की गति उधार दरों में पिछड़ जाती है। मॉडल निम्नलिखित रूप लेता है:

$$IRS_{b,t} = \mu + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \, IRS_{b,(t-i)} + \sum_{i=0}^{n} \delta_i \; wacr_{t-i} + \sum_{i=0}^{n} \beta_j \, X_{b,(t-i)} + \varepsilon_{b,t} \qquad \ldots \text{(I)}$$

जहाँ, समय 't' पर बैंक 'b' के लिए बैंक-विशिष्ट चर का प्रतिनिधित्व करता है। समय 't' पर भारित औसत कॉल दर है, जो मौद्रिक नीति दर के लिए एक प्रॉक्सी है। स्टोकेस्टिक अवरोध शब्द को दर्शाता है जिसमें अनपेक्षित बैंक-विशिष्ट प्रभाव (समय अपरिवर्तनीय) और ईडीयोसिंक्रेटिक अवरोध (समय के साथ भिन्न होता है लेकिन बैंकों के साथ नहीं) निहित होता है। मॉडल I बेंचमार्क प्रतिगमन का अनुमान लगाता है, जिसमें केवल मौद्रिक नीति दर शामिल है, जबकि मॉडल II में मौद्रिक नीति दर के साथ बैंक-विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं। (सारणी 1)।

सारणी 1: भारत में बैंकों की ब्याज दर का स्प्रेड

आश्रित चर: आईआरएस	मॉडल I	मॉडल II
व्याख्यात्मक चर		
1	2	3
आईआरएस (-1)	0.49***	0.51***
डब्ल्यूएसीआर	0.08***	
डब्ल्यूएसीआर (-1)	0.09***	0.15***
आकार		-0.16***
जीएनपीए (-1)		-0.02**
सीआरएआर (-2)		0.04***
सीडीआरएटीआईओ (-2)		0.01
स्थिर	2.34***	2.27***
निदान		
एआर (1)	-2.86**	-2.85**
एआर (2)	1.03	1.26
सरगन (प)	0.31	0.15
बैंकों की संख्या	27	27
टिप्पणियां	486	486

*** और ** क्रमशः 1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत पर महत्व स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

1. अरेलानो, एम., और बोवर, ओ. (1995), 'एनादर लुक एट द इंस्ट्रुमेंटल वेरिएबल एस्टीमेशन ऑफ एरर-कंपोनेंट्स मॉडल्स', जर्नल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, 68(1), 29-51।
2. ब्लंडेल, आर., और बॉण्ड, एस. (1998), 'इनिशियल कंडीशंस एंड मोमेंट रिस्ट्रिक्शन्स इन डायनामिक पैनल डेटा मॉडल्स', जर्नल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, 87(1), 115-143।
3. रूडमैन, डी. (2009), 'हाउ टू डू एक्स्टाबॉण्ड2: एन इंट्रोडक्शन टू डिफरेंस एंड सिस्टम जीएमएम इन स्टाटा', द स्टाटा जर्नल, 9(1), 86-136।

डबल्यूएडीटीडीआर में वृद्धि, निजी बैंकों (पीवीबी) की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में अधिक थी (चार्ट III.5)। विदेशी बैंकों के मामले में संचरण सबसे अधिक था, जो उनकी कम लागत और कम अवधि की जमाराशियों द्वारा सुगम था, जो उन्हें नीति दर परिवर्तनों के जवाब में त्वरित समायोजन करने में सक्षम बनाता है।

बाह्य बेंचमार्क-आधारित ऋण दरें

III.29 चुनिंदा क्षेत्रों में ऋण मूल्य निर्धारण के लिए अक्टूबर 2019 में शुरू की गई बाहरी बेंचमार्क व्यवस्था ने उधार दरों में मौद्रिक संचरण की गति को मजबूत किया है। बाहरी बेंचमार्क से जुड़े बकाया फ्लोटिंग रेट ऋणों का अनुपात मार्च 2022 के 44 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2023 में 56.2 प्रतिशत हो

चार्ट III.5: बैंक-समूहों में उधार और जमा दरों में संचरण

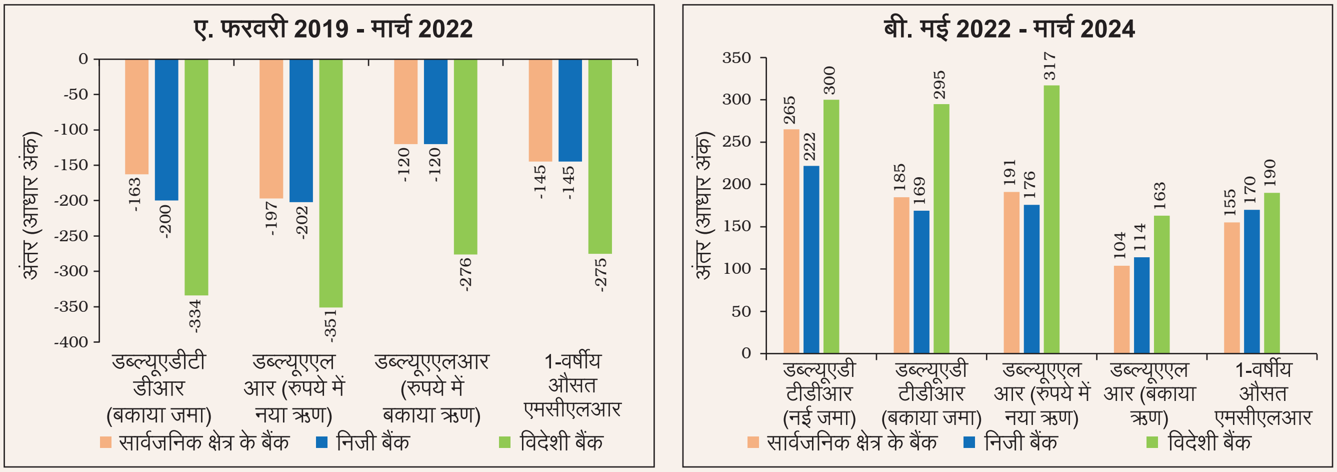

स्रोत: आरबीआई।

गया। इस प्रकार बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋण कुल फ्लोटिंग रेट ऋणों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप, इसी अवधि में एमसीएलआर से जुड़े ऋणों की हिस्सेदारी 48.6 प्रतिशत से गिरकर 39.4 प्रतिशत हो गई (सारणी III.5)।

III.30 नीतिगत रेपो दर से जुड़े ऋणों के मामले में, रुपये में नए ऋणों से संबंधित स्प्रेड, अर्थात रेपो दर पर डब्ल्यूएएलआर, शिक्षा ऋणों के लिए सबसे अधिक था, उसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण का स्थान था। घरेलू बैंक समूहों में, आवास, वाहन, शिक्षा और अन्य व्यक्तिगत ऋणों के लिए पीएसबी द्वारा लगाए गए स्प्रेड पीवीबी की तुलना में कम थे।

सारणी III.5: ब्याज दर बेंचमार्कों में एससीबी के बकाया फ्लोटिंग रेट रुपया ऋण

(कुल का प्रतिशत)

माह	आधार दर	एमसीएल आर	ईबीएल आर	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
मार्च 2021	6.4	62.3	29.5	1.8	100.0
मार्च 2022	4.9	48.6	44.0	2.5	100.0
मार्च 2023	3.1	45.4	49.6	1.9	100.0
दिसंबर 2023	2.4	39.4	56.2	2.0	100.0

नोट: डेटा 73 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है।
स्रोत: आरबीआई।

हालाँकि , एमएसएमई ऋणों के मामले में, पीएसबी द्वारा लगाया गया स्प्रेड अधिक था (सारणी III.6)। 2023-24 में स्प्रेड में आम तौर पर गिरावट आई है, जिससे उधार दरों में पास-थ्रू की सीमा कम हो गई है।

क्षेत्र-वार उधार की दरें

III.31 2023-24 के दौरान कृषि ऋण, बड़े उद्योग, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और शिक्षा के लिए रुपए में नए ऋण पर डब्लूएएलआर में मामूली वृद्धि हुई, और व्यापार, आवास, वाहन और रुपया निर्यात ऋण जैसे क्षेत्रों के लिए मामूली गिरावट आई [सारणी III.7]।

सारणी III.6: बाह्य बेंचमार्क से जुड़े ऋण - रेपो दर की तुलना में डबल्यूएएलआर (रुपए में नए ऋण) का प्रसार (मार्च 2024)

(प्रतिशत बिंदु)

बैंक समूह	व्यक्तिगत ऋण				एमएस-एमई ऋण
	आवास	वाहन	शिक्षा	अन्य व्यक्तिगत ऋण	
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.06	2.56	3.62	3.04	3.34
निजी क्षेत्र के बैंक	2.23	3.00	4.39	3.33	3.24
घरेलू बैंक	2.18	2.64	3.98	3.08	3.27

स्रोत: आरबीआई।

सारणी III.7: एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) का क्षेत्र-वार डब्ल्यूएएलआर – रुपए में नए ऋण

(प्रतिशत)

अंत-माह	कृषि	उद्योग (बड़ा)	एमएसएमई	आधारभूत संरचना	व्यापार	पेशेवर सेवाएं	व्यक्तिगत ऋण				रुपया निर्यात ऋण
							आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मार्च-22	9.06	6.55	8.66	7.09	7.36	7.68	7.01	8.85	8.74	36.04	5.53
मार्च-23	10.12	8.34	9.84	8.56	8.87	8.80	9.02	10.47	10.26	37.06	8.09
जून-23	10.03	8.21	9.78	8.47	8.75	9.13	8.53	10.23	9.92	36.58	7.34
सितम्बर-23	10.03	8.11	9.88	8.46	8.88	8.96	8.68	10.33	10.12	35.74	7.54
दिसम्बर-23	9.99	8.15	9.93	8.45	8.90	9.47	8.62	9.99	10.20	36.98	7.76
मार्च-24	10.18	8.39	9.99	8.74	8.53	9.58	8.65	9.21	10.45	37.72	7.21
अंतर (प्रतिशत अंक)											
2022-23	1.06	1.79	1.18	1.47	1.51	1.12	2.01	1.62	1.52	1.02	2.56
2023-24	0.06	0.05	0.15	0.18	-0.34	0.78	-0.37	-1.26	0.19	0.66	-0.88

स्रोत: आरबीआई।

III.32 2023-24 के दौरान बकाया ऋणों के मामले में, बड़े उद्योग और व्यापार खंड को दिए गए ऋणों पर डबल्यूएएलआर में क्रमशः 9 बीपीएस और 3 बीपीएस की गिरावट आई। वर्ष के दौरान बुनियादी ढांचे, कृषि ऋणों, एमएसएमई, पेशेवर सेवाओं, आवास, शिक्षा वाहन और रुपया निर्यात ऋण से संबंधित ऋणों पर डबल्यूएएलआर में वृद्धि हुई (सारणी III.8)।

3. 2024-25 की कार्यसूची

III.33 मुद्रास्फीति और विकास दृष्टिकोण पर उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करके मौद्रिक नीति के संचालन और निर्माण को समृद्ध किया जाएगा। अल्पकालिक अनुमानों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चलनिधि की स्थितियों के विश्लेषण को और अधिक परिष्कृत किया जाएगा। ऋण स्थितियों और क्षेत्रीय प्रवाह के मूल्यांकन के साथ-साथ मौद्रिक नीति संचरण को मजबूत करने

सारणी III.8: एससीबी का क्षेत्र-वार डब्ल्यूएएलआर (आरआरबी को छोड़कर) - रुपए में बकाया रुपया ऋण

(प्रतिशत)

अंत -माह	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएसएमई	आधारभूत संरचना	व्यापार	पेशेवर सेवाएं	व्यक्तिगत ऋण				रुपया निर्यात ऋण
							आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मार्च-22	9.35	7.76	9.28	8.31	8.14	8.11	7.46	9.06	9.30	30.51	6.55
मार्च-23	9.84	8.78	10.28	8.96	9.49	9.29	8.86	9.36	10.20	30.44	7.71
जून-23	9.99	8.84	10.27	9.08	9.47	9.56	8.97	9.33	10.27	29.85	8.07
सितं-23	10.05	8.76	10.25	9.08	9.51	9.50	9.00	9.41	10.41	29.56	7.90
दिसं-23	10.11	8.73	10.35	9.09	9.61	9.53	8.96	9.47	10.44	28.81	8.10
मार्च-24	10.16	8.69	10.31	9.11	9.46	9.54	8.90	9.48	10.46	28.84	7.96
अंतर (प्रतिशत अंक)											
2022-23	0.49	1.02	1.00	0.65	1.35	1.18	1.40	0.30	0.90	-0.07	1.16
2023-24	0.32	-0.09	0.03	0.15	-0.03	0.25	0.04	0.12	0.26	-1.60	0.25

स्रोत: आरबीआई।

के उपाय अपनाए जाएंगे। इस पृष्ठभूमि में, विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- एनबीएफसी की उधार दरों में नीतिगत आवेगों के संचरण के विश्लेषण को और मजबूत करना (*उत्कर्ष* 2.0);
- एनबीएफसी के क्षेत्रीय ऋण प्रवाह को मापना (*उत्कर्ष* 2.0);
- एनबीएफसी द्वारा चुनिंदा क्षेत्रों को दिए गए ऋण के लिए ऋण मूल्य निर्धारण की ईबीएलआर प्रणाली की शुरूआत की व्यवहार्यता की जांच करना;
- भारत के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक की गणना करना;
- परिवर्तनीय आरक्षित निधि आवश्यकताओं के अंतर्गत बैंकों के व्यवहार का अध्ययन करना; तथा
- सीपीआई प्रसार सूचकांकों को प्रकाशित करना।

4. निष्कर्ष

III.34 आगे बढ़ते हुए, 2023-24 में प्राप्त अनुभव के आधार पर, मजबूत समष्टि आर्थिक आधारभूत से घरेलू आर्थिक गतिविधि को समर्थन मिलने की उम्मीद है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में और कमी आने की उम्मीद है, हालांकि इसका प्रक्षेपवक्र उभरते आपूर्ति-पक्ष और मौसम की स्थिति पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगा। जबकि खाद्य कीमतों के दबावों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति-पक्ष के हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं, मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता के अपने प्रयासों में डटी रहेगी ताकि मुद्रास्फीति स्थायी आधार पर 4 प्रतिशत के अपने लक्ष्य के साथ संरेखित हो और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं नियंत्रण में बनी रहें। रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन परिचालन करेगा।

IV ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के अंतर्गत की गई परिकल्पना के अनुरूप देशभर में वित्तीय समावेशन की कार्यसूची को आगे बढ़ाना जारी रखा। वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए गए ताकि मार्च 2024 तक संपूर्ण देश को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए कक्षा VIII से X तक के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया।

IV. 1 वर्ष 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), और अन्य चिह्नित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण वितरण में सुधार के प्रयास जारी रखे। समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ़आई-इंडेक्स), जो देशभर में वित्तीय समावेशन का एक व्यापक संकेतक है, मार्च 2023 में सभी उप-सूचकांकों में विस्तार के साथ वर्ष-दर-वर्ष 6.6 प्रतिशत बढ़कर 60.1 हो गया है। जून 2023 में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड – *अंतर्दृष्टि* – प्रारंभ किया गया, जिससे वित्तीय समावेशन के तीन आयामों, अर्थात पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के अंतर्गत व्यापक मानदंडों को समाहित करते हुए वित्तीय समावेशन के आकलन एवं प्रगति की निगरानी के लिए नीति को और प्रभावी बनाया जा सके। वित्तीय साक्षरता को और गति प्रदान करने के लिए सीएफएल परियोजना में मार्च 2024 के अंत तक सीएफ़एल की संख्या बढ़ा कर 2,421 कर दी गई जिनमें 7,225 ब्लॉक शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने देशभर के सरकारी और नगरपालिका स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय प्रश्नोतरी प्रतियोगिता का आयोजन किया।

IV. 2 इसी पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को तीन खंडों में विभाजित किया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति सहित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह के स्तर और वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के संबंध में हुई प्रगति को खंड 2 में शामिल किया गया है। वर्ष 2024-25 की कार्यसूची को खंड 3 में तथा खंड 4 में निष्कर्ष को शामिल किया गया है।

2. वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

IV. 3 विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- सभी बकाया ब्लॉकों में सीएफएल स्थापित करना ताकि संपूर्ण देश को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IV.4] ; और
- वित्तीय समावेशन के लिए जी20 वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई) के डिलिवरेबल्स की प्राप्ति के लिए कार्य करना [पैराग्राफ IV.5]

कार्यान्वयन की स्थिति

IV. 4 प्रायोगिक सीएफएल परियोजना को ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता के लिए नवोन्मेषी और सहभागी दृष्टिकोण का पता लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था जिसमें इसके कार्यान्वयन के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर विस्तार किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के भाग के तौर पर यह परिकल्पना की गई थी कि 31 मार्च 2024 तक संपूर्ण देश को इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए सीएफ़एल का विस्तार किया जायेगा। इस लक्ष्य के समनुरूप सीएफ़एल परियोजना को देशभर में तीन चरणों में लागू किया गया। सबसे पहले 80 सीएफएल के साथ इतने ही ब्लॉकों में इसका शुभांरभ किया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 2,421 किया गया और 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार यह 7,225 ब्लॉकों में कार्य कर रहा है। इस परियोजना को जमाकर्ता शिक्षण जागरूकता निधि (डीईएएफ), राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (नाबार्ड) की वित्तीय समावेशन निधि

(एफआईएफ) और प्रायोजक बैंकों से निधि प्राप्त होती है। इन सीएफएल द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों का लक्ष्य जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना और कुछ परिणामों, जैसे कि खाता खोलना/पुनः चालू करना, पेन्शन और बीमा से जोड़ना और शिकायत निपटान प्रणाली के बारे में जागरूकता प्रदान करना है।

IV. 5 भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, जीपीएफआई कार्य समूह (डब्लयूजी) ने अध्यक्षीय प्राथमिकताओं के भाग के रूप में, "डिजिटल पब्लिक अवसंरचना (डीपीआई) के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभों को बढ़ाने के लिए जी20 नीति सिफारिशों" पर एक रिपोर्ट भी जारी की। रिज़र्व बैंक ने इस अवधि के दौरान रिपोर्ट और जीपीएफआई के अन्य कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रमुख गतिविधियां

ऋण वितरण

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV. 6 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) के लिए उधार समायोजित निवल बैंक ऋण(एएनबीसी) का 45.1 प्रतिशत[1] रहा। सभी बैंक समूहों ने वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारित 40 प्रतिशत के समग्र पीएसएल लक्ष्य को प्राप्त किया [सारणी IV.1]

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

(राशि लाख करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	एससीबी
1	2	3	4	5
2022-23	28.4 (43.7)	19.5 (45.3)	2.3 (42.8)	50.2 (44.2)
2023-24*	32.2 (43.4)	24.7 (48.1)	2.3 (41.5)	59.1 (45.1)

*: आंकड़े अनंतिम है।
नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्र जोखिम से इतर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) जो भी अधिक हो, उसके प्रतिशत को दर्शाते हैं।
स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह

IV. 7 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों को कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए कार्यशील पूंजी के साथ-साथ निवेश के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करता है (सारणी IV.2)। सक्रिय केसीसी कार्ड की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2024 के अंत तक 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बकाया राशि में 10.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

सारणी VI.2: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(आंकड़े लाख में, राशि करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	सक्रिय केसीसी की संख्या#	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण	पशुपालन एवं मछली पालन के लिए बकाया ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6
2022-23	282.96	4,61,391	37,551	19,694	5,18,636
2023-24*	298.14	4,93,362	46,332	35,279	5,74,973

*: आंकड़े अनंतिम हैं।
#: सक्रिय केसीसी खातों की संख्या में अनर्जक (एनपीए) खाते शामिल नहीं हैं।
स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक (आरआरबी को छोड़कर)।

[1] सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों से संबंधित है।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

IV. 8 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाना रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की नीतिगत प्राथमिकता रही है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एससीबी द्वारा एमएसएमई को दिए गए ऋण के बकाया में वर्ष 2023-24 के दौरान 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (दिसंबर 2023 के अंत तक) [सारणी IV.3]।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए उठाए गए कदम

IV. 9 मौजूदा विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऋणदाताओं को संस्थाओं को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 'उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने की आवश्यकता है। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई), जो अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' पर पंजीकरण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए औपचारीकरण को सुविधाजनक बनाने हेतु एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने 'उद्यम सहायक प्लेटफॉर्म (यूएपी)' शुरू किया है। रिज़र्व बैंक ने अपनी विनियमित संस्थाओं को सूचित किया है कि यूएपी पर जारी प्रमाण-पत्र को यूआरसी के समान ही माना जाए और इस प्रकार एमएसएमई के अंतर्गत आईएमई को सूक्ष्म संस्थाओं के रूप में चिह्नित करने को सुविधाजनक बनाया गया है।

एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकरों के क्षमता संवर्धन हेतु राष्ट्रीय मिशन

IV. 10 बैंकरों को एमएसएमई क्षेत्र को ऋण संबंधी समस्त पहलुओं से परिचित करवाने और उनमें उद्यमशीलता के प्रति संवेदना विकसित करने के लिए वर्ष 2015 से एक विशेष क्षमता संवर्धन कार्यक्रम 'एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकरों के क्षमता संवर्धन हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएएमसीएबीएस)' लागू किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में उभरते महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए इस क्षेत्र की नई गतिविधियों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम की अवसंरचना में परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संचालित नैम्केब्स कार्यक्रमों में कुल 3,950 बैंक अधिकारियों ने सहभागिता की।

वित्तीय समावेशन

अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपना

IV. 11 रिज़र्व बैंक प्रत्येक जिले में एक निर्दिष्ट बैंक को अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपता है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 12 बैंकों और निजी क्षेत्र के दो बैंकों (जम्मू और कश्मीर बैंक और आईसीआईसीआई बैंक) को देशभर के 779 जिलों में अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

सारणी IV.3: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में, राशि करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021-22	239.6	8.8	21.9	7.2	3.2	4.1	264.7	20.1
2022-23	194.4	10.5	15.7	7.5	3.2	4.6	213.3	22.6
2022-23 (दिसंबर 2022 के अंत तक)	193.6	9.8	16.8	7.3	3.2	4.4	213.6	21.5
2023-24* (दिसंबर 2023 के अंत तक)	242.6	12.6	15.6	8.3	3.5	5.0	261.7	26.0

*: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विवरणियां।

प्रत्येक गांव में वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुँच

IV. 12 प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में / पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवारों के आवास वाले प्रत्येक गांव तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना एनएसएफ़आई: 2019-24 का एक प्रमुख लक्ष्य है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 27 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में इस लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है और देशभर के चिह्नत गांवों / छोटे गांवों के 99.99 प्रतिशत को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष गांवों / छोटे गांवों के संबंध में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डिजिटल भुगतान पारितंत्र का विस्तार और पैठ बढ़ाना

IV. 13 देश के डिजिटल भुगतान पारितंत्र का विस्तार करने और उसकी पैठ बढ़ाने के लिए सभी राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी)/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों (यूटीएलबीसी) को अपने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिले/जिलों की पहचान करने और उसे ऐसे बैंक को आबंटित करने के लिए कहा गया है जिसकी जिले में प्रभावी मौजूदगी हो। यह बैंक जिले के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, त्वरित, किफ़ायती और सुविधाजनक तरीके से भुगतान करने/प्राप्त करने की सुविधा के लिए जिले को डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाने के लिए प्रयास करेगा। इस उद्देश्य के लिए 31 मार्च 2024 तक देशभर के सभी जिलों (अंडमान निकोबार केंद्रशासित प्रदेश के दो जिलों को छोड़कर) को चिह्नित किया गया है; रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के अनुसार 179 जिले 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम थे।

वित्तीय समावेशन योजना

IV. 14 वित्तीय समावेशन योजना (एफ़आईपी) के अंतर्गत वित्तीय समावेशन क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिसंबर 2023 के अंत तक की गई प्रगति को सारणी IV.4 में दर्शाया गया है। दिसंबर 2023 के दौरान आधारभूत बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) के अंतर्गत कुल राशि में 13.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की बढ़ोत्तरी हुई है।

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010	दिसंबर 2022	दिसंबर 2023$
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट-शाखाएं	33,378	53,159	53,893
गांवों में बैंकिंग आउटलेट >2000* बीसी	8,390	13,83,569	13,15,004
गांवों में बैंकिंग आउटलेट <2000* बीसी	25,784	2,95,657	2,77,594
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट-बीसी	34,174	16,79,226	15,92,598
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट-अन्य माध्यम	142	2,273	2,289
गांवों में बैंकिंग आउटलेट -कुल	**67,694**	**17,34,658**	**16,48,780**
बीसी के माध्यम से समावेशित शहरी क्षेत्र	447	4,38,333	3,58,167
बीएसबीडीए-शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,704	2,780
बीएसबीडीए-शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	1,23,653	1,35,628
बीएसबीडीए-बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	4,082	4,274
बीएसबीडीए-बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	1,16,777	1,36,558
बीएसबीडीए- कुल (संख्या लाख में)	**735**	**6,786**	**7,053**
बीएसबीडीए- कुल (राशि करोड़ में)	**5,500**	**2,40,430**	**2,72,186**
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	89	53
बीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	546	579
केसीसी- कुल (संख्या लाख में)	240	499	507
केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	7,66,694	8,11,906
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	67	55
जीसीसी- कुल (राशि करोड़ में)	3,500	1,85,915	53,690
आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	25,434	27,294
आईसीटी-ए/सी-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में))#	700	8,15,598	9,86,236

बीसी: कारोबार प्रतिनिधि

बीएसबीडीए: बेसिक बचत बैंक जमा खाता

ओडी – ओवरड्राफ्ट केसीसी- किसान क्रेडिट कार्ड

जीसीसी- जनरल क्रेडिट कार्ड

बीसी-आईसीटी- कारोबार प्रतिनिधि-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

$: आंकड़े अनंतिम है। *: ग्रामीण जनसंख्या

#: वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफ़आईपी विवरणियां।

चार्ट IV.1 – एफ़आई-सूचकांक और उप-सूचकांक (मार्च के अंत तक)

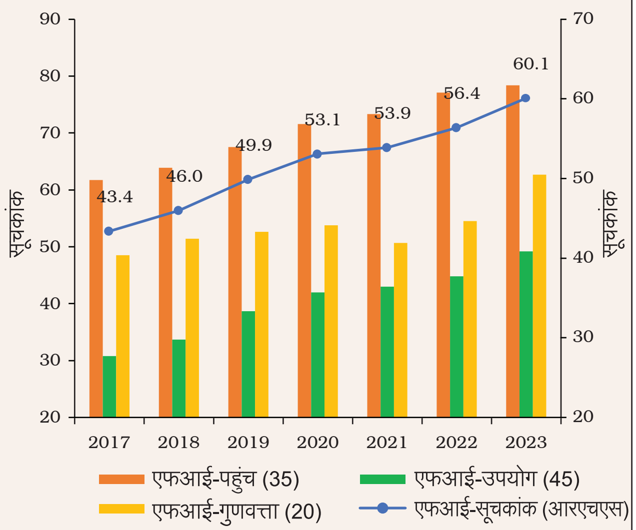

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एफआई-सूचकांक में भारिता को दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ़आई-सूचकांक)

IV. 15 वित्तीय समावेशन के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन का आकलन और मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। इस दिशा में एक सम्मिश्र एफ़आई-सूचकांक तैयार किया गया है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2021[2] में प्रकाशित किया गया था। इस एफ़आई-सूचकांक में संकेतकों की संख्या के आधार के बदले तीन व्यापक उप-सूचकांक (कोष्ठक में भार दिए गए हैं) अर्थात पहुंच (35 प्रतिशत), उपयोग (45 प्रतिशत) और गुणवत्ता (20 प्रतिशत) में प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं। एफ़आई-सूचकांक मार्च 2022 के 56.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 60.1 प्रतिशत हो गया। साथ ही सभी उप-सूचकांकों में भी वृद्धि देखी गई (चार्ट IV.1)।

वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड – 'अंतर्दृष्टि'

IV. 16 वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और इसकी निगरानी एवं वित्तीय बहिष्करण की सीमा का आकलन करने के लिए जून 2023 में एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड–अंतर्दृष्टि-प्रारंभ किया गया (बॉक्स IV.1)।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) 2019-24

IV. 17 एनएसएफआई का उद्देश्य सभी हितधारकों के समन्वय से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन के प्रयासों को व्यापक और सुस्थिर बनाना है। एनएसएफआई कार्य योजना बनाता है और लक्ष्य निर्धारित करता है तथा कार्यनीति की अवधि के भीतर पूरा करने के लिए व्यापक सिफारिशें करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान लागू की जाने वाली पांच सिफारिशें फिनटेक क्षेत्र में हुए विकास का लाभ उठाने, कस्टमर ऑनबोर्डिंग के लिए विकसित होती डिजिटल और सहमति-आधारित संरचना की तरफ बढ़ने, प्रक्रिया साक्षरता को बढ़ावा देने, सीएफएल की पहुंच का विस्तार करने और हितधारकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने/निगरानी पर केंद्रित थीं।

बॉक्स IV.1

वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड–अंतर्दृष्टि

वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड-अंतर्दृष्टि-का उद्देश्य क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरीय जानकारी के लिए ड्रिल-डाउन सुविधा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रगति की निगरानी करना है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से प्राप्त किए गए कुछ मापदंडों में ऋण–जमा (सीडी) अनुपात, किसानों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की ऋण सहबद्धता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण संवितरण और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में प्रगति शामिल है। इस डैशबोर्ड में रंगों से कूटबद्ध किए गए हीट मैप, क्विक टिकर और ट्रेंड चार्ट की सुविधाएं हैं जो क्षेत्रीय असमानताओं और बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में असमानताओं सहित विभिन्न आयामों में ऋण प्रवाह का आकलन करती हैं ताकि वित्तीय बहिष्करण के कारकों का पता लगाया जा सके। इस रूप में यह डैशबोर्ड अगली पंक्ति के कर्मियों को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के अलावा एक प्रभावी प्रबंधन सूचना टूल के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: आरबीआई।

[2] 'भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की' विषय पर रिज़र्व बैंक की दिनांक 17 अगस्त 2021 की प्रेस प्रकाशनी।

IV. 18 वर्ष 2023-24 के दौरान रुपे क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से जोड़ना और यूपीआई लाइट की शुरुआत जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अलावा भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ), डिजिटल भुगतान पारितंत्र (ईडीडीपीई) का विस्तार और पैठ बढ़ाना और साथ ही भारत सरकार की भारतनेट परियोजना (BharatNet) जैसी पहल डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़ई):2020-25 के तहत प्रमुख लक्ष्यों का कार्यान्वयन

IV. 19 एनएसएफई ने सामग्री (कंटेंट) विकसित करने, मध्यस्थ संस्थाओं की क्षमता (कैपेसिटी) विकसित करने, सामुदायिक (कम्युनिटी) सहभागिता वाले मॉडल का लाभ उठाने, उपयुक्त संचार (कम्यूनिकेशन) कार्यनीति अपनाने और सहयोग (कोलेब्रेशन) बढ़ाने पर जोर देकर वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5सी' दृष्टिकोण निर्धारित किया है। इन उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)[3] विभिन्न वित्तीय साक्षरता पहलें जैसे कि वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम (एफईपीए), स्कूली शिक्षकों के लिए वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफईटीपी), छात्रों के लिए मनी स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम (एमएसएसपी)[4] और युवा स्नातकों और स्नातकोत्तर के लिए वित्तीय जागरूकता और उपभोक्ता प्रशिक्षण (एफएसीटी) आयोजित करता है। इसके अलावा, एनएसएफई के तहत वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद-उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) के तत्वावधान में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) द्वारा भी विभिन्न प्रमुख लक्ष्यों की निगरानी की जा रही है। इस वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह की 22वीं बैठक 14 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन

IV. 20 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडबल्यू) रिज़र्व बैंक की एक पहल है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष एक केंद्रित अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर आम जनता/ विभिन्न तबकों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाती है। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफ़एलडबल्यू) 2024 विद्यार्थियों और युवा वयस्कों पर लक्षित था, इसे 'करो सही शुरुआत: बनो फाइनेंशियली स्मार्ट' थीम के साथ दिनांक 26 फरवरी से 01 मार्च 2024 तक मनाया गया। इस जागरूकता अभियान के उप-विषय थे - 'बचत और कंपाउंडिंग की शक्ति', 'छात्रों के लिए बैंकिंग अनिवार्यताएं' और 'डिजिटल और साइबर हाइजिन।

वित्तीय साक्षरता पर विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी

IV. 21 वित्तीय साक्षरता की दिशा में की गई पहल के एक भाग के रूप में और जमीनी स्तर पर सहभागिता के रूप से वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने देशभर में सरकारी और नगरपालिका स्कूलों की कक्षा VIII से X के छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। इस बहु-स्तरीय प्रश्नोत्तरी की शुरूआत अप्रैल 2023 से ब्लॉक स्तर पर की गई। प्रश्नोत्तरी में देशभर के 51,694 स्कूलों के 1,03,388 छात्रों ने भाग लिया। प्रश्नोत्तरी की राष्ट्रीय स्तर की अंतिम प्रतियोगिता 14 सितंबर 2023 को मुंबई में आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता/जागरूकता के प्रति छात्रों में अत्यधिक उत्साह देखा गया।

[3] राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) कंपनी है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत भर में लोगों के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षण को बढ़ावा देना है।

[4] वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु स्कूलों में शिक्षा और जागरूकता जैसे दो स्तंभों के आधार पर वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीएफई की एक पहल।

3. वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

IV. 22 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- 2025-30 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) के अगले संस्करण का निरूपण (*उत्कर्ष* 2.0) ;
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) ;
- डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम (ईडीडीपीई) के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत मार्च 2025 तक देश भर के 50 प्रतिशत जिलों तक 100 प्रतिशत पहुँच (चिह्नित जिले में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का कम से कम एक माध्यम, जैसे कि डेबिट/रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी), आधार समर्थित भुगतान (एईपीएस) आदि उपलब्ध कराना) ;
- वित्तीय समावेशन को और अधिक विस्तारित करने के लिए अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की प्रभावशीलता को बढ़ाना ;
- एमएसएमई को मजबूत बनाने हेतु ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए विनियामकीय ढांचे को सुदृढ़ करना।

4. निष्कर्ष

IV. 23 रिज़र्व बैंक ने देश भर में समाज के सभी तबकों के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। रिज़र्व बैंक ने देश में वित्तीय समावेशन को और भी मजबूत करने के अपने प्रयासों के अनुसरण में वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड-'अंतर्दृष्टि' शुरू किया। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक अन्य कार्यों के अलावा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगा और 2025-30 की अवधि के लिए एनएसएफआई के अगले संस्करण की दिशा में काम करेगा।

V वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने घरेलू वित्तीय बाजारों को विकसित करने और उनमें पहुँच बढ़ाने के लिए सहभागिता को बढ़ाना, पहुंच को आसान बनाना, विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाना, विनियमों को सुव्यवस्थित करना और नवोन्मेषों को बढ़ावा देना जारी रखा। स्थानीय मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार के निपटान के माध्यम से भारतीय रुपए (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रयास जारी हैं।

V.1 वर्ष 2023-24 के दौरान रिज़र्व बैंक ने कठोर निगरानी के माध्यम से बाजार की अक्षुण्णता सुनिश्चित करते हुए, विभिन्न खंडों में सहभागिता आधार में वृद्धि, पहुंच और लेनदेन मानदंडों की सुविधा और वित्तीय उत्पादों की श्रेणी में विस्तार के माध्यम से वित्तीय बाजारों को और अधिक विकसित करने और पहुँच बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) ने रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) से भिन्न वैकल्पिक बेंचमार्क में संक्रमण करने पर निदेश जारी किए; इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर मांग और सूचना पर देय मुद्रा बाजारों में उधार लेने के लिए अपनी स्वयं की सीमाएं निर्धारित करने की अनुमति देना; पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में सरकारी हरित बॉण्ड को शामिल करके सूची का विस्तार करना; और सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) को उधार लेने और उधार देने की अनुमति देना शामिल है। रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालन, इसकी मौद्रिक नीति रुख़ के अनुरूप विकसित हुए। रिज़र्व बैंक ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के दौर के बावजूद वित्तीय बाजार की सुव्यवस्थित स्थितियों को सुनिश्चित किया।

V.2 रिज़र्व बैंक ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने और विनियमित संस्थाओं के लिए अनुपालन भार को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विदेशी व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना जारी रखा। तदनुसार, विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के प्राधिकार ढांचे; उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के युक्तिकरण; गारंटी और व्यापार विनियमों के युक्तिकरण; और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-II के लिए पर्यवेक्षी ढांचे जैसे कई मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की।

V.3 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड 2 में वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन को शामिल किया गया है। रिज़र्व बैंक के बाजार परिचालनों की चर्चा खंड 3 में की गई है। खंड 4 में विदेशी व्यापार एवं भुगतान तथा विदेशी वित्तीय प्रवाह के उदारीकरण और विकास से संबंधित उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खंड 5 में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.4 एफएमआरडी को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), ब्याज दर डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट डेरिवेटिव बाजारों के विकास, विनियमन और निगरानी का काम सौंपा गया है। विभाग ने 2023-24 के लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिदेश के अनुसरण में कई उपाय किए।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

V.5 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अकेंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव (एनसीसीडी) के लिए प्रारंभिक मार्जिन के विनिमय को अनिवार्य करने वाले अंतिम निदेश जारी करना *[उत्कर्ष 2.0]* (पैराग्राफ V.6);
- परिचालन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से विनियामक ढांचे की समीक्षा करना, विदेशी मुद्रा (एफएक्स) के कम एक्सपोजर वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न बाजार तक पहुंच को आसान बनाना और यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता वाले ग्राहकों का एक व्यापक समूह अपने बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की सुविधा से लैस है (पैराग्राफ V.7); और
- बाजार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न लेनदेनों के व्यापारागार (ट्रेड रिपॉजिटरी-टीआर) के लिए रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण ढांचे की समीक्षा करना *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.8]।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.6 प्राप्त फीडबैक के आधार पर, एनसीसीडी के लिए प्रारंभिक मार्जिन के विनिमय को अनिवार्य बनाने वाले अंतिम निदेश 8 मई 2024 को जारी किए गए हैं।

V.7 विदेशी मुद्रा जोखिमों की बचाव-व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई और 5 जनवरी 2024 को निदेश जारी किए गए।

V.8 ओटीसी डेरिवेटिव के व्यापारागार (टीआर) के लिए रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण ढांचे की समीक्षा की गई। ओटीसी डेरिवेटिव की रिपोर्टिंग के लिए निदेशों को समेकित किया गया और तर्कसंगत बनाया गया। ओटीसी डेरिवेटिव बाजार पर डेटा के प्रसार के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न डेरिवेटिव उत्पादों में सहभागी आधार की चलनिधि और विविधता पर आधारित है।

प्रमुख पहलें

लाइबोर से भिन्न वैकल्पिक बेंचमार्क में संक्रमण को पूरा करना

V.9 30 जून 2023 के बाद सभी लाइबोर सेटिंग्स के प्रकाशन की समाप्ति के साथ, रिज़र्व बैंक ने मई 2023 में अपनी विनियमित संस्थाओं को एक अंतिम परामर्शिका जारी की, जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि नए लेनदेन उनके द्वारा या उनके ग्राहकों द्वारा लाइबोर या घरेलू बेंचमार्क - मुंबई अंतर-बैंक वायदा एकमुश्त दर (माइफॉर) के माध्यम से नहीं किए जाएँ। माइफॉर के विकल्प के रूप में विकसित, संशोधित माइफॉर (एम-माइफॉर), एक 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया गया था।

मांग एवं सूचना पर देय मुद्रा बाजारों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए उधार सीमाएं

V.10 रिज़र्व बैंक द्वारा 8 जून 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, एससीबी (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) को जून 2023 में अंतर-बैंक देयताओं के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर मांग एवं सूचना पर देय मुद्रा बाजारों में उधार लेने के लिए अपनी सीमा निर्धारित करने की मंजूरी देकर मुद्रा बाजार परिचालन में अधिक लचीलेपन की अनुमति दी गई थी।

गैर सुपुर्दगी-योग्य व्युत्पन्न संविदा (एनडीडीसी) बाजार का विकास

V.11 जैसा कि 6 अप्रैल 2023 को रिज़र्व बैंक के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) में कार्यरत प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों को जून 2023 में निवासी गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के उद्देश्य से आईएनआर-एनडीडीसी की पेशकश करने की अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य गैर सुपुर्दगी-योग्य आईएनआर डेरिवेटिव के लिए ऑनशोर बाजार विकसित करना

है और उन्हें अपने हेजिंग कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक डिजाइन करने के लिए सुविधा प्रदान करना है।

पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत सरकारी हरित बॉण्ड को शामिल करना

V.12 अनिवासियों को 1 अप्रैल 2020 से एफएआर के तहत बिना किसी प्रतिबंध के सरकारी प्रतिभूतियों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। एफएआर के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार 8 नवंबर 2023 को किया गया था ताकि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा वर्ष 2023-24 में जारी सभी सरकारी हरित बॉन्डों को शामिल किया जा सके।

अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं की चेतावनी सूची

V.13 अनधिकृत संस्थाओं/इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म (ईटीपी) की पेशकश या प्रचार करने वाली अनधिकृत संस्थाओं की 'चेतावनी सूची' [सितंबर 2022 में प्रकाशित] जून 2023 और नवंबर 2023 में अद्यतन की गई थी।

सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिभूति उधार देने और लेने की शुरुआत

V.14 दिनांक 8 फरवरी 2023 को रिज़र्व बैंक के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, दिसंबर 2023 में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रतिभूतियों को उधार देने और लेने की अनुमति दी गई थी, जिसका उद्देश्य निवेशकों को अपनी निष्क्रिय प्रतिभूतियों को विनियोजित करने के माध्यम से पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने और जी-सेक बाजार में पहुँच बढ़ाने का अवसर प्रदान करना था।

वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों (एफबीए) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

V.15 एफबीए के लिए पहली बार जून 2019 में जारी किए गए विनियामक ढाँचे की समीक्षा की गई थी तथा 10 अगस्त 2023 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों से संबंधित सभी बेंचमार्क के प्रशासन को कवर करने वाला एक व्यापक जोखिम-आधारित विनियामक ढाँचा दिसंबर 2023 में लागू किया गया। ढांचे के अंतर्गत, एफबीए के लिए अभिशासन और निरीक्षण व्यवस्था, नियंत्रण और पारदर्शिता का पालन करना और हितों के टकराव से बचना अपेक्षित है ताकि बेंचमार्क की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके।

वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) पर निदेशों की समीक्षा

V.16 एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले सीपी और एनसीडी पर निदेशों की समीक्षा की गई और जनवरी 2024 में संशोधित निदेश जारी किए गए ताकि इन बाजारों में जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य सहभागियों के संदर्भ में उत्पादों में अनुरूपता लाई जा सके।

सरकारी प्रतिभूतियों पर बॉण्ड वायदा का सूत्रपात

V.17 घरेलू वित्तीय बाजार में उपलब्ध ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों के समूह का विस्तार करने और बाजार सहभागियों, विशेष रूप से दीर्घकालिक निवेशकों को उनके नकदी प्रवाह और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों पर बॉण्ड वायदा की अनुमति देने वाले मसौदा निदेश, दिसंबर 2023 में हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगने के लिए जारी किए गए।

विदेशी मुद्रा जोखिमों की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

V.18 विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी लेनदेनों को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई और संशोधित निदेश 7 अप्रैल 2020 को जारी किए गए थे। इस संबंध में प्राप्त अनुभव के आधार पर, विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा की गई और 5 जनवरी 2024 को संशोधित निदेश जारी किए गए। इन निदेशों में सभी प्रकार के लेनदेनों – ओवर द काउंटर (ओटीसी) और एक्सचेंज ट्रेडेड - के संबंध में पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को समेकित कर एक ही मास्टर निदेश के तहत लाया गया।

अनुमत विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी उत्पादों के समूह का विस्तार कर, उपयोगकर्ता वर्गीकरण ढांचे को परिष्कृत किया गया ताकि आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के एक बड़े समूह को अपने जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

वैश्विक बॉण्ड सूचकांक में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करना

V.19 प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्ड (आईजीबी) को शामिल करने की घोषणा, घरेलू बॉण्ड बाजार में विदेशी निवेशकों की अधिक भागीदारी में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रही है (बॉक्स V.1)।

बॉक्स V.1

भारत सरकार के प्रतिभूति बाजार में प्रमुख घटनाक्रम

भारतीय बॉण्ड बाजार सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में से एक है, जिसका अनुमानित आकार 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्षों से किए गए सुधारों से प्रेरित, भारत में गिल्ट बाजार ने समुत्थानशीलता प्रदर्शित करते हुए पहुँच, चलनिधि और स्फूर्ति प्राप्त की है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में बिना किसी समष्टि-विवेकपूर्ण सीमा के निवेश के लिए एफएआर मार्ग अप्रैल 2020 में प्रस्तुत किया गया था। एफएआर के तहत, सरकारी प्रतिभूतियों के समूह के साथ-साथ सरकारी हरित बॉण्ड को समय-समय पर 5, 7, 10, 14 और 30 वर्षों की अवधि के साथ विस्तारित किया गया है। एफपीआई द्वारा निवेश की परिचालन सुलभता बढ़ाने के उपाय भी किए गए, जिनमें बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में अपने लेनदेन के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफपीआई को उधार देने की अनुमति देना और ट्रेड-रिपोर्टिंग के लिए ऑनशोर बाजार घंटों की समाप्ति होने के बाद एक विस्तारित समयावधि प्रदान करना शामिल हैं। इसके समानांतर, इन संस्थाओं द्वारा ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और ऋण जोखिमों की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू डेरिवेटिव बाजारों में एफपीआई सहित अनिवासियों की पहुंच को सक्षम/आसान बनाया गया है।

अप्रैल 2020 में एफएआर की शुरुआत और संबंधित बाजार सुधारों के बाद, भारत सरकार के बॉण्ड (आईजीबी) प्रमुख वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल किए जाने के लिए विचाराधीन हैं। वर्ष 2021 में आईजीबी को दो प्रमुख सूचकांक प्रदाताओं द्वारा वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल करने के लिये निगरानी सूची (वॉचलिस्ट) में रखा गया था। 21 सितंबर 2023 को एक सूचकांक प्रदाता ने जून 2024 से उभरते बाजारों के अपने सूचकांकों के समूह में आईजीबी को शामिल करने की घोषणा की, जिसमें निर्धारित समावेशन मानदंडों[1] को पूरा करते हुए एफएआर के तहत जारी किए गए सरकारी बॉण्ड, सूचकांक में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं। इस समावेशन के 10 महीने (28 जून 2024 से 31 मार्च 2025 तक) की अवधि में क्रमबद्ध तरीके से पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें हर महीने एक प्रतिशत का वृद्धिशील भार जोड़ा जाएगा। इस प्रकार सूचकांक में भारत का समग्र भार 10 प्रतिशत रहेगा। एक अन्य सूचकांक प्रदाता ने 8 जनवरी 2024 को अपने उभरते बाजार सूचकांक में इंडिया एफएआर बॉण्ड के प्रस्तावित समावेश पर प्रतिक्रिया मांगने के लिए परामर्श लिया। इसके बाद 5 मार्च 2024 को घोषणा की गई कि एफएआर के तहत कवर किए गए और निर्धारित समावेशन मानदंडों को पूरा करने वाले आईजीबी[2] को इसके उभरते बाजार (ईएम) स्थानीय मुद्रा सरकारी सूचकांक और संबंधित सूचकांकों में सम्मिलित किया जाएगा। बॉण्ड को शुरू में 31 जनवरी 2025 तक उनके पूर्ण बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर भार के साथ शामिल किया जाएगा, और 10 प्रतिशत की मासिक वृद्धि के माध्यम से बढ़ोतरी की जाएगी, जो अक्टूबर 2025 तक उत्तरोत्तर पूर्ण बाजार मूल्य तक बढ़ जाएगी।

बाजार सहभागियों का अनुमान है कि वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में आईजीबी को शामिल करने से विदेशी निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की मांग बढ़ेगी और अधिक प्रतिफल प्राप्त होने की प्रत्याशा है। इसके साथ-ही-साथ, कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए ऋण लागत में भी संभावित धनात्मक प्रभाव-विस्तार होगा। जी-सेक बाजार की बाजार चलनिधि को बढ़ावा देने और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में सुधार करते हुए, ऑनशोर बाजार में हेजिंग संबंधित उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है।

हालांकि, एफपीआई प्रवाह में वृद्धि और घरेलू बाजारों में अधिक अनिवासी भागीदारी से अस्थिरता बढ़ सकती है, विशेषकर जोखिम-मुक्त वैश्विक स्थितियों के दौरान। इन जोखिमों के नियंत्रित होने की संभावना है क्योंकि सूचकांक आधारित निवेश निष्क्रिय हैं और भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासी निवेश, बकाया स्टॉक का लगभग 2 प्रतिशत है जो निरपेक्ष रूप से कम है तथा उभरते बाजार के अधिकांश एशियाई समकक्षियों के सापेक्ष भी है।

[1] सूचकांक प्रदाता ने 21 सितंबर 2023 को अपने 2023 ईएम इंडेक्स गवर्नेंस परिणामों के माध्यम से संकेत दिया कि 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (समतुल्य) से अधिक कल्पित बकाया और कम-से-कम 2.5 वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले सभी एफएआर बॉण्ड सूचकांक में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, भारत की बीबीबी- / बीबीबी- / बीएए3 (फिच/ एस एंड पी/ मूडीज) की स्थानीय मुद्रा कर्ज रेटिंग, इसे 'जीबीआई-ईएम ग्लोबल डायवर्सिफाइड आईजी 15% कैप' सूचकांक में शामिल करने के लिए योग्य बनाती है।

[2] समावेशन मानदंडों के अनुसार, प्रतिभूतियों में ₹10 बिलियन की न्यूनतम राशि बकाया होनी चाहिए और उन्हें उभरते बाजार-स्थानीय मुद्रा सूचकांक के सामान्य नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि बॉण्ड की न्यूनतम परिपक्वता अवधि एक वर्ष की होनी चाहिए।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.20 वर्ष 2024-25 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए वैध इकाई सूचक (एलईआई) आवश्यकताओं के तहत बेहतर एकत्रीकरण और पारदर्शिता; ओटीसी व्युत्पन्नी लेनदेनों के लिए वैश्विक सूचक (जैसे, विशिष्ट लेनदेन सूचक) *[उत्कर्ष* 2.0];
- घरेलू वित्तीय बाजारों के विकास और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार लिखतों के लिए ईटीपी प्राधिकरण हेतु विनियामक ढांचे की समीक्षा; और
- रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) के लिए एक ढांचे का विकास ।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.21 एफएमओडी मुख्य रूप से मौद्रिक नीति रुख़ के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के संचालन के लिए जिम्मेदार है तथा ऑनशोर और ऑफशोर बाजार परिचालनों, दोनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

V.22 वर्ष के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मौद्रिक नीति रुख़ के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन परिचालन (पैराग्राफ V.23);
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन (पैराग्राफ V.24); और
- वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण ताकि निरंतर आधार पर बाजार परिचालन कार्यनीतियों का मार्गदर्शन किया जा सके *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.25]।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.23 वर्ष 2023-24 के दौरान, बदलती चलनिधि स्थिति के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन[3] को दो-तरफ़ा परिचालनों के माध्यम से आयोजित किया गया - परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) और परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी मुख्य परिचालन बनी रही। यह ₹2000 की बैंक नोटों को हटाने से उत्पन्न अधिशेष चलनिधि की स्थितियों के बीच वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात (आई-सीआरआर) द्वारा पूरित रही। रिज़र्व बैंक ने अग्रिम कर और वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) बहिर्वाह से जुड़ी घर्षणात्मक चलनिधि स्थितियों के प्रत्युत्तर में विभिन्न अवधियों की वीआरआर नीलामी भी आयोजित की। सितंबर की शुरुआत से आई-सीआरआर की सुविचारित समाप्ति ने चलनिधि स्थितियों को सुगम बनाया। सरकारी नकदी शेष राशि की अधिकता और प्रणाली में अत्यधिक विषम चलनिधि वितरण ने बैंकों को 2023-24 की तीसरी तिमाही में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया, जबकि स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत भी निधि नियोजित की गई। इसके प्रत्युत्तर में, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न अवधियों के वीआरआर परिचालनों का परिष्करण (फाइन-ट्यून) किया तथा सप्ताहांत और अवकाश के दौरान भी एसडीएफ और एमएसएफ, दोनों के अंतर्गत चलनिधि सुविधाओं के प्रत्यावर्तन की अनुमति दी। वर्ष 2023-24 की चतुर्थ तिमाही में, रिज़र्व बैंक ने 8 मार्च 2022 को आयोजित 5 बिलियन यूएस डॉलर के लिए यूएसडी/आईएनआर बिक्री-खरीद-अदला-बदली (सेल बाय स्वैप) नीलामी के दूसरे चरण तथा विभिन्न अवधियों की मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर नीलामियों के माध्यम से चलनिधि का प्रबंधन किया।

[3] इस रिपोर्ट के अध्याय III में चलनिधि प्रबंधन परिचालनों से संबंधित विवरण शामिल हैं।

V.24 यूएस फेडरल रिज़र्व की मौद्रिक नीति के रुख़ और भू-राजनीतिक तनावों के कारण, भारतीय रुपए (आईएनआर) को वैश्विक वित्तीय बाजारों से उत्पन्न अस्थिरता के दौर का अनुभव करना पड़ा। जबकि एफपीआई अंतर्वाह, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और चालू खाता घाटे में कमी से भारतीय रुपये को समर्थन मिला, वहीं भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका में दीर्घावधि के लिए उच्च ब्याज दरों की प्रत्याशाओं के बीच सुरक्षित आश्रय मांग को दर्शाने वाले मजबूत यूएसडी ने भारतीय रुपये (आईएनआर) पर मूल्यह्रास दबाव बनाया। रिज़र्व बैंक ने ऑनशोर/ऑफशोर ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) खंडों में परिचालनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में मध्यक्षेप किया ताकि व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखा जा सके और विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके।

V.25 विभाग ने पोर्टफोलियो प्रवाहों और विनिमय दर में उतार-चढ़ावों; अस्थिरता के प्रसंगों और भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों; और संगत बेंचमार्क में वाणिज्यिक पत्र दर के चालकों को शामिल करने वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कार्य किए।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.26 वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग की योजना निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की है:

- सुचारु और अधिक लचीले चलनिधि प्रबंधन परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन;
- चलनिधि समायोजन सुविधा पर समेकित अनुदेश जारी करना;
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अधिक अस्थिरता को रोकने के लिए, सकेंद्रित विदेशी मुद्रा परिचालन शुरू करने के लिए मध्यक्षेप साधन बढ़ाना; और
- निरंतर आधार पर बाजार परिचालन कार्यनीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान और विश्लेषण *(उत्कर्ष 2.0)*।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.27 एफईडी को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तदनुसार, विभाग ने वर्ष के दौरान विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा, जिसमें कारोबारी सुगमता को बढ़ाने और अनुपालन भार को कम करने के लिए सरल लेकिन व्यापक, समय-संगत और अधिक सिद्धांत-आधारित नीतियां तैयार की गईं। वर्ष के दौरान मौजूदा समष्टि-आर्थिक स्थितियों और बदलती कारोबारी पद्धतियों और मॉडलों के अनुरूप, फेमा के अंतर्गत जारी वर्तमान विनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं की समीक्षा/युक्तिकरण भी किया गया।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

V.28 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज नियमों की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.29];
- फेमा के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के प्राधिकरण ढांचे की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.30];
- उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) को युक्तिसंगत बनाना [*उत्कर्ष* 2.0] (पैराग्राफ V.31);
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमन, 2016 पर विनियमों को युक्तिसंगत बनाना *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.32];
- अनिवासियों के रुपया खातों से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.33];

- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान का तरीका और गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमन, 2019 को युक्तिसंगत बनाना (पैराग्राफ V.34);
- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा (पैराग्राफ V.35);
- गारंटी विनियमों को युक्तिसंगत बनाना (पैराग्राफ V.36); और
- व्यापार संबंधी दिशानिर्देशों का युक्ति-संगतिकरण/सरलीकरण *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ V.37]।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.29 विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियम 2023 [मौजूदा विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज) नियम, 2000 का अधिक्रमण करने के लिए] की समीक्षा प्रक्रियाधीन है। इस समीक्षा में, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न पदों पर रिज़र्व बैंक अधिकारियों द्वारा कंपाउंडिंग करने के लिए ऐसे उल्लंघनों में शामिल राशि की मौद्रिक उच्चतम सीमाओं को बढ़ाना, कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक और अन्य ऑनलाइन माध्यमों को सुलभ बनाना तथा प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जांच/न्याय-निर्णयन के विभिन्न चरणों वाले मामलों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सरल बनाना शामिल है।

V.30 फेमा के तहत जारी प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए लाइसेंसिंग ढांचे की समीक्षा पिछली बार मार्च 2006 में की गई थी। तब से एपी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जबकि नए कारोबार मॉडल भी सामने आए हैं। पिछले दो दशकों में फेमा के अंतर्गत प्रगामी उदारीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण, भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण और संस्थागत संरचना के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, उभरती आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए लाइसेंसिंग ढांचे को युक्तिसंगत और सरल बनाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, फेमा के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए लाइसेंसिंग ढांचे का मसौदा रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 26 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सभी हितधारकों से टिप्पणियां/फीडबैक मांगे गए थे। मसौदा ढांचे को प्राप्त फीडबैक के आधार पर तथा उचित आंतरिक जांच के साथ-साथ भारत सरकार की सम्मति के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

V.31 एलआरएस के तहत, प्राधिकृत व्यापारी किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) निवासी व्यष्टियों द्वारा 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक के विप्रेषण की स्वतंत्र रूप से अनुमति दे सकते हैं। योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ विधिक ढांचे, वार्षिक सीमा, अनुमत प्रयोजनों और प्रत्यावर्तन आवश्यकताओं को शामिल करते हुए, योजना में विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की जा रही है।

V.32 विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमन 2023 को 21 दिसंबर 2023 को जारी करने के माध्यम से, भारतीय रुपये (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और भागीदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। युक्तिसंगत विनियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रमुख संशोधन शामिल हैं:

- विनियमों को सरल बनाया गया है जिससे उनकी पठनीयता और समझ में सुधार आया है;
- पिछले विनियमों में विदेशी मुद्रा में प्राप्ति/भुगतान केवल स्वतंत्र रूप से संपरिवर्तनीय मुद्राओं के लिए अनुमत था। संशोधित विनियम किसी भी विदेशी मुद्रा में प्राप्ति/भुगतान को सक्षम बनाते हैं, जो भागीदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान में सहायक होगा; और

- पिछले विनियमों में गैर-एशियाई मुद्रा संघ (एसीयू) देशों के लिए सभी सीमा-पार लेनदेनों (चालू एवं पूंजी) के लिए भारतीय रुपये (आईएनआर) की प्राप्ति/भुगतान की अनुमति थी, जबकि एसीयू के कुछ देशों (यथा बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और मालदीव) के संबंध में ऐसी प्राप्ति/भुगतान की अनुमति नहीं थी। संशोधित विनियम, अब एसीयू के सभी देशों के लिए गैर-व्यापार संबंधी लेनदेनों के संबंध में और व्यापार संबंधी लेनदेनों के लिए समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार आईएनआर निपटान को समर्थ बनाते हैं।

V.33 भारतीय रुपये (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और भागीदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान का समर्थन करने के लिए, अनिवासियों के लिए आईएनआर खातों से संबंधित विनियमों को उदार बनाना आवश्यक है। तदनुसार, अनिवासियों द्वारा आईएनआर खातों के संबंध में, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) विनियमन [फेमा 5(आर)] की वर्तमान में सरकार के परामर्श से समीक्षा की जा रही है।

V.34 वर्तमान में फेमा विनियमन संख्या 395 के संदर्भ में निर्धारित भुगतान के तरीकों और रिपोर्टिंग आवश्यकता से संबंधित विनियमों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव, विभाग में समीक्षाधीन हैं। समीक्षा में विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखतें) नियम, 2019 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न संशोधनों के कारण वर्तमान ढांचे में आवश्यक परिवर्धन/संशोधन शामिल किए जाएंगे।

V.35 फेमा के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए लाइसेंसिंग ढांचे की जारी समीक्षा के अनुरूप, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) श्रेणी-II के लिए पर्यवेक्षी ढांचे की व्यापक समीक्षा की जा रही है। संशोधित दिशानिर्देश/अनुदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।

V.36 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों की समीक्षा की जा रही है ताकि सीमा पार लेन-देन करते समय बदलती हुई समष्टि-आर्थिक स्थितियों, कारोबार आवश्यकताओं और भारत के निवासी व्यष्टियों के समक्ष आने वाले मुद्दों को परिलक्षित किया जा सके। इस अभ्यास का उद्देश्य अनुमोदन की आवश्यकता को कम करके कारोबारी सुगमता में सुधार लाना है।

V.37 अधिक सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए, कारोबारी सुगमता में सुधार लाकर और अनावश्यक प्रावधानों/प्रक्रियाओं और विभिन्न अनुमोदनों को समाप्त करके - व्यापारिक लेनदेनों के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे को सरल बनाने के लिए, व्यापार संबंधी दिशानिर्देशों का युक्तिकरण/सरलीकरण प्रक्रियाधीन है।

प्रमुख पहलें

'एपी-कनेक्ट' का परिचालन – संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक एडी श्रेणी- II के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन

V.38 डिजिटलीकरण की दिशा में प्रक्रिया को सरल बनाने और कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए एक प्रयास के रूप में, एक नई सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, 'एपी-कनेक्ट', अप्रैल 2023 में सफलतापूर्वक लागू की गई थी। यह एप्लिकेशन, अन्य बातों के साथ-साथ, एफएफएमसी और गैर-बैंक एडी श्रेणी-II संस्थाओं को लाइसेंस देने, मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) एजेंट को प्राधिकार देने, मौजूदा लाइसेंस/प्राधिकार के नवीनीकरण और प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विवरणों/विवरणियों को प्रस्तुत करने के अनुरोधों पर कार्रवाई करने की सुविधा प्रदान करती है। प्रणाली के कारण प्राधिकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सभी हितधारकों के लिए परिचालन दक्षता में सुधार आया है और लागत बचत हुई है एवं कागजी कार्रवाई और श्रमशक्ति आवश्यकताओं में कमी आयी है। इससे रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में संबद्ध कार्यों के संचालन में भी उल्लेखनीय सुधार आया है।

एडी श्रेणी-II - फॉर्म ए2 का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण

V.39 एलआरएस पर मास्टर निदेश तथा अन्य विप्रेषण सुविधाओं पर मास्टर निदेश में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों के लिए आयात और मध्यवर्ती व्यापार लेनदेन के अलावा अन्य प्रेषण करते समय फॉर्म ए2 प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अन्य विप्रेषण सुविधाओं पर मास्टर निदेश के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने वाले एडी बैंकों के ग्राहक, व्यक्तियों द्वारा 25,000 अमेरिकी डॉलर (या इसके समतुल्य) तक और प्रमुख कंपनियों (कॉरपोरेट) द्वारा 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (या इसके समतुल्य) तक के प्रेषण के लिए फॉर्म ए2 ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस संदर्भ में, ग्राहक सुविधा और निपटान समय में सुधार लाने के लिए एडी श्रेणी-II संस्थाओं को 12 अप्रैल 2023 से फॉर्म ए2 को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देने की भी मंजूरी दी गई थी।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत आईएफएससी को विप्रेषण

V.40 रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2021 में भारत में निवासी संस्थाओं/कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अलावा, लेकिन आईएफएससी के बाहर जारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए आईएफएससी को एलआरएस के तहत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक के प्रेषण की अनुमति दी थी। हालांकि, विदेशी क्षेत्राधिकारों की तुलना में आईएफएससी पर लागू एलआरएस विप्रेषण सुविधा की विशेषताओं में कुछ अंतर थे। उदाहरण के लिए, निवासी व्यष्टि आईएफएससी में केवल एक ब्याज-रहित विदेशी मुद्रा खाता बनाए रख सकते थे और ऐसे खातों में जमा किसी भी अप्रयुक्त निधि को 15 दिनों के भीतर प्रत्यावर्तित करना पड़ता था। समीक्षा करने पर और आईएफएससी के लिए एलआरएस को अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों की तुलना में संरेखित करने के उद्देश्य से, खाते में पड़ी किसी भी अप्रयुक्त निधि को इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने पर वापस करने की शर्त को हटा दिया गया था। साथ ही, इस तरह के प्रेषणों के लिए अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों में लागू अवधि यानी 180 दिनों के साथ इसे 26 अप्रैल 2023 से संरेखित किया गया था।

V.41 इसके अलावा, आईएफएससी को विदेशी क्षेत्राधिकार के रूप में केवल वित्तीय सेवाओं के प्रयोजन कार्यान्वित करने की अनुमति है और इसलिए यात्रा, शिक्षा, उपहार आदि जैसे चालू खाता लेनदेनों या पूंजी खाता लेनदेनों जैसे अचल संपत्ति की खरीद के लिए विप्रेषण, आईएफएससी के लिए लागू नहीं होते हैं। दिनांक 16 फरवरी 2021 के परिपत्र के माध्यम से आईएफएससी को एलआरएस विप्रेषण की अनुमति केवल प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए दी गई थी। भारत सरकार ने 23 मई 2022 की राजपत्र अधिसूचना के तहत, आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले चुनिंदा पाठ्यक्रमों को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया है। इसलिए, 22 जून 2023 से आईएफएससी में निवासी व्यष्टियों द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान के लिए विप्रेषण को एलआरएस के तहत निश्चित प्रयोजन, यानी 'विदेश में अध्ययन' के लिए सुलभ बनाया गया है।

विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड/स्टोर मूल्य कार्ड/यात्रा कार्ड पर प्रभार लगाना

V.42 भारत में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कुछ प्राधिकृत व्यक्ति, भारत में देय विदेशी मुद्रा प्री-पेड कार्ड/स्टोर मूल्य कार्डों पर प्रभार/शुल्क लगाते रहे हैं। प्राधिकृत व्यक्तियों और निवासियों के बीच ये लेन-देन अनिवार्य रूप से दो निवासियों के बीच घरेलू लेनदेन हैं, और इनके परिणामस्वरूप निवासी को कोई विदेशी मुद्रा जोखिम वहन नहीं करना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सूचित करते हुए अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारत में देय किसी भी शुल्क/प्रभार को केवल भारतीय रुपए में ही मूल्यवर्गित कर उसका निपटान किया जाना चाहिए।

आईएफएससी प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा अधिसूचित अर्हता-प्राप्त जौहरियों द्वारा चांदी के आयात पर दिशानिर्देश

V.43 विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की 11 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना के अनुसार, अर्हता-प्राप्त जौहरियों

(आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को रिज़र्व बैंक (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा अधिसूचित नामांकित एजेंसियों के अलावा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड पर आधारित विशिष्ट भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आईटीसी) के तहत चांदी आयात करने की अनुमति है। इसके अनुसार, एडी बैंकों को 10 नवंबर 2023 से निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, आईएफएससी में आईआईबीएक्स के माध्यम से चांदी के आयात के लिए अर्हता-प्राप्त जौहरियों (आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित) को 11 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान करने की अनुमति दी गई है।

भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान - निर्यात आगम के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलना

V.44 रिज़र्व बैंक के 11 जुलाई 2022 के परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, निर्यातकों को अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता (एसआरवीए) बनाए रखने वाले एडी श्रेणी-I बैंकों को 17 नवंबर 2023 से उनके निर्यातक घटकों के लिए अनन्य रूप से उनके निर्यात लेनदेनों के निपटान हेतु एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति है।

सीआईएमएस परियोजना कार्यान्वयन – परंपरागत एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) में प्रस्तुति को बंद करना

V.45 रिज़र्व बैंक द्वारा नेक्स्ट जेनरेशन डेटा वेयरहाउस यथा केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के 30 जून 2023 को शुभारंभ के साथ, एडी श्रेणी-I बैंकों द्वारा एक्सबीआरएल साइट के माध्यम से सात विवरणियों की प्रस्तुति बंद कर दी गई है और सीआईएमएस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दी गई है।

आईएफएससी प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा यथाअधिसूचित भारत-यूएई सीईपीए के तहत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश

V.46 डीजीएफटी अधिसूचना दिनांक 20 नवंबर 2023 के अनुसरण में, एडी बैंकों को 25 मई 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र में उल्लिखित निदेशों के अधीन, आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत वैध टीआरक्यू धारकों को, 31 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले टीआरक्यू के तहत आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने के आयात के लिए 11 दिनों के अग्रिम भुगतान प्रेषण की अनुमति दी गई है।

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और डिजिटल सामग्री का सृजन करना

V.47 केंद्रीय कार्यालय में किए जा रहे विनियमों के सरलीकरण की पहल को पूरा करने के लिए, विभाग द्वारा जागरूकता पहल के रूप में रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान विभाग ने एपी और फेमा प्रदर्शनी-सह-टाउनहॉल कार्यक्रमों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं, जहां व्यापार और उद्योग निकायों एवं विदेशी मुद्रा के उपयोगकर्ताओं ने भाग लिया। इन जागरूकता कार्यक्रमों का उपयोग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हाल के नीतिगत परिवर्तनों की व्याख्या करने और बुनियादी स्तर पर कार्यान्वयन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए भी किया जा रहा है।

एडी बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को शक्तियों का प्रत्यायोजन

V.48 मुख्य रूप से ग्राहक सेवा/निपटान समय में सुधार लाने और विभाग को नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने के लिए, एडी बैंकों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

- उदारीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुए और कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमन 2022 में विलंब प्रस्तुतिकरण शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी जिसे सात विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों (यथा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली) में लागू किया गया। इसके बाद, परिचालन प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने और एलएसएफ आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए निपटान

समय को कम करने के लिए, एलएसएफ राशि के संग्रह हेतु ऑनलाइन प्रसंस्करण और ऑनलाइन भुगतान मोड को सक्षम करके प्रक्रिया को सरल बनाया गया था। तदनुसार, सात नामित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिपुष्टि के लिए एसओपी का एक संशोधित संस्करण जारी किया गया है; और

- इससे पहले, पारदेशीय निवेश प्रभाग (ओआईडी) के आवेदन पर देरी के साथ रिपोर्ट किए गए पारदेशीय निवेश लेनदेनों के लिए रिज़र्व बैंक से अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती थी। ओआईडी आवेदन के तहत एलएसएफ आवेदनों के ऑनलाइन प्रसंस्करण की शुरुआत के साथ, एडी बैंकों को ऐसे लेनदेनों का रिकॉर्ड रखने की शक्तियां एलएसएफ के भुगतान के अधीन, जहां भी लागू हो, सौंपी गई हैं। इस उपाय से ऐसी विलंबित रिपोर्टिंग की पुष्टि के लिए समय को कम करने और बाद की रिपोर्टिंग के तीव्र प्रसंस्करण को सक्षम बनाने की उम्मीद है।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

V.49 विभाग की वर्ष 2024-25 के लिए रणनीति, रिज़र्व बैंक के मध्यमावधि कार्यनीति ढांचे के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान देने के साथ, उपरोक्त सभी पहलों को समेकित कर उन्हें आगे बढ़ाने की होगी। इसका प्राथमिक केंद्रबिंदु बदलते समष्टि-आर्थिक वातावरण के साथ फेमा परिचालन ढांचे के निरंतर ताल-मेल पर जोर देने के साथ, विभिन्न दिशानिर्देशों के युक्तिकरण पर होगा। तदनुसार, विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित रणनीतिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है:

- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए प्राधिकार ढांचे की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)* ;
- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे का उदारीकरण;
- बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग एवं अनुमोदन के लिए सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म (स्पेक्ट्रा) परियोजना हेतु चरण-I के लिए 'गो-लाइव';
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विनियमनों को युक्तिसंगत बनाना *(उत्कर्ष 2.0)* ;
- प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमनों का युक्तिकरण;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान का तरीका और गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमनों का युक्तिकरण;
- भारतीय रुपये (आईएनआर) का अंतरराष्ट्रीयकरण:
    - भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों (पीआरओआई) को भारत के बाहर आईएनआर खाता खोलने की अनुमति देना [*उत्कर्ष* 2.0];
    - भारतीय बैंकों द्वारा पीआरओआई को आईएनआर उधारियाँ; और
    - विशिष्ट खातों [यथा विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआर) और विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता (एसआरवीए)] के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और पोर्टफोलियो निवेश को सुलभ बनाना]।
- विदेशी मुद्रा लेनदेनों की व्यापक एकीकृत रिपोर्टिंग के लिए एक ढांचा बनाना;
- अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों की तुलना में गांधीनगर, गुजरात में गिफ्ट सिटी[4] की भूमिका को बेहतर बनाने के उपाय:
    - विभिन्न विदेशी मुद्राओं के लिए एफसीवाई-आईएनआर जोड़े की ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करना; तथा

[4] गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी।

- ○ फेमा के तहत आईएफएससी विनियमनों की समीक्षा।
- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्ज नियमों की समीक्षा *(उत्कर्ष 2.0)* ;
- एलआरएस को युक्तिसंगत बनाना *(उत्कर्ष 2.0)*; और
- आवक विप्रेषण योजनाओं, यथा एमटीएसएस और रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) को युक्तिसंगत बनाना [*उत्कर्ष* 2.0]।

5. निष्कर्ष

V.50 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने, निवेशक आधार का विस्तार करने और विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन भार को कम करने पर जोर देने के साथ, बदलती कारोबारी प्रथाओं और मॉडलों के अनुरूप विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कई उपाय किए। वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत सरकार के बॉण्ड को शामिल करने की घोषणा से, सरकारी प्रतिभूति बाजार की चलनिधि, मूल्य निर्धारण और सहभागिता आधार में विविधता बढ़ाने के संबंध में एक लाभकारी प्रभाव होने की उम्मीद है। स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार के निपटान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने की दिशा में विनियमों को युक्तिसंगत बनाया गया। आगे चलकर, चलनिधि परिचालन मौद्रिक नीति के रुख़ के अनुरूप होते रहेंगे, जबकि विदेशी मुद्रा परिचालन, रुपये की विनिमय दर में व्यवस्थित उतार-चढ़ाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देशित होंगे।

VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

वर्ष 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने समुत्थानशील और मजबूत वित्तीय प्रणाली के निर्माण हेतु पहल जारी रखी। अभिशासन, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और पूंजी बफर को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी पहल कार्यान्वित किए गए। रिज़र्व बैंक ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ-साथ प्रभावी और कुशल पर्यवेक्षण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के अपने प्रयास जारी रखे। ग्राहक सेवाओं को और बेहतर बनाने के साथ-साथ धोखाधड़ी पहचान तंत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्रवाई की गई।

VI.1 वर्ष के दौरान घरेलू वित्तीय प्रणाली मजबूत और समुत्थानशील बनी रही। तकनीकी व्यवधानों, साइबर जोखिमों और जलवायु परिवर्तन से उभरती चुनौतियों के बीच रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित बनाने और जिम्मेदार नवोन्मेषों को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास जारी रखे। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ विनियामकीय/पर्यवेक्षी रूपरेखा को संरेखित करने के वृहत उद्देश्य के हिस्से के रूप में, वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन, विनियामकीय अनुपालन और प्रवर्तन, और उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।

VI.2 विनियमन विभाग (डीओआर) ने कई दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, डिजिटल ऋण देने में चूक हानि गारंटी; समझौता निपटारा और तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने (राइट-ऑफ़) के लिए रूपरेखा; वैकल्पिक निवेश निधि में निवेश; वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण, परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड; परिचालन जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएँ शामिल हैं।

VI.3 फिनटेक विभाग ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)-थोक (सीबीडीसी-डब्ल्यू) और सीबीडीसी-खुदरा (सीबीडीसी-आर) पायलट के दायरे और व्याप्ति का विस्तार किया; और निर्बाध ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफार्म की प्रायोगिक परियोजना शुरु की।

VI.4 पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) ने ऑनसाइट और ऑफसाइट पर्यवेक्षण दोनों को और मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू किए, जिसमें अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धन शोधन निवारण (एएमएल) और साइबर/सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जोखिम के संबंध में पर्यवेक्षित संस्थाओं के प्रत्यक्ष आकलन को सुव्यवस्थित करना; दबाव परीक्षण मॉडल को नया रूप देना; आरंभिक चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूएस) और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस) को सुदृढ़ करना; और पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के साथ पर्यवेक्षी जुड़ाव को मजबूत करना शामिल हैं। उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) ने ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाने और विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) पर लागू आंतरिक लोकपाल (आईओ) योजना से संबंधित निर्देशों को सुसंगत बनाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं।

VI.5 इस अध्याय में वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए 2023-24 के दौरान किए गए विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा की गई है। इस अध्याय का शेष भाग पाँच खंडों में विभाजित है। खंड 2 वित्तीय स्थिरता विभाग (एफएसडी) के अधिदेश और कार्यों से संबंधित है। खंड 3 फिनटेक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ डीओआर के विनियामकीय पहलों पर केंद्रित है। खंड 4 में पर्यवेक्षण विभाग द्वारा किए गए पर्यवेक्षी पहल और प्रवर्तन विभाग (ईएफडी) द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयां शामिल हैं।

खंड 5 में उपभोक्ता हितों की रक्षा, जागरूकता प्रसार और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में सीईपीडी और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2024-25 के लिए इन विभागों की कार्यसूची इस अध्याय के संबंधित खंडों में शामिल है। निष्कर्ष टिप्पणियाँ अंतिम खंड में दी गई हैं।

2. वित्तीय स्थिरता विभाग (एफएसडी)

VI.6 एफएसडी का अधिदेश वित्तीय स्थिरता के जोखिमों की निगरानी करना और समष्टि-विवेकपूर्ण चौकसी कर वित्तीय प्रणाली की समुत्थानशीलता का मूल्यांकन करना है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, जो वित्तीय प्रणाली के लिए समष्टि-विवेकपूर्ण विनियमों की निगरानी और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने के लिए अंतर-विनियामकों का संस्थागत मंच है। एफएसडी को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) प्रकाशित करने का भी अधिदेश है जो वित्तीय स्थिरता और आरंभिक चेतावनी विश्लेषण के लिए संभावित जोखिम परिदृश्यों का आकलन करता है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.7 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- दबाव परीक्षण रूपरेखा की समकक्षी समीक्षा (पैराग्राफ VI.8);
- समष्टि - विवेकपूर्ण निगरानी का संचालन (पैराग्राफ VI.8);
- अर्ध-वार्षिक एफएसआर का प्रकाशन (पैराग्राफ VI.9); और
- एफएसडीसी-एससी की बैठकें आयोजित करना (पैराग्राफ VI.9)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.8 अप्रैल 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की एक टीम द्वारा दबाव परीक्षण रूपरेखा की एक समकक्षी समीक्षा की गई, जिसने सितंबर 2023 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरी आईएमएफ तकनीकी सहायता मिशन ने रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए जनवरी 2024 में विभाग का दौरा किया। विभाग ने कई अधिकार-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के साथ बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए वैश्विक दबाव परीक्षण अभ्यास में भी भाग लिया। इस अभ्यास में बैंकों के विभिन्न मापदंडों पर एक विस्तृत डेटासेट के साथ एक सामान्य वैश्विक परिदृश्य को जोड़ा गया, ताकि राष्ट्रीय प्राधिकरणों के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ अपने बैंकिंग प्रणाली की समुत्थानशीलता की तुलना करने के लिए, उसे एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सके। इस संबंध में, विभाग ने 10 प्रमुख भारतीय बैंकों के वैश्विक परिचालनों का दबाव परीक्षण किया। इस उद्देश्य के लिए, विभाग ने विशेष दबाव परीक्षण मॉडल विकसित किए और 2023-25 की अवधि के लिए प्रमुख बैंकिंग मापदंडों का भी अनुमान लगाया। अभ्यास के मुख्य परिणाम, अभ्यास में प्रयुक्त प्रविधि और अनुमानों को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) को प्रस्तुत किया गया।

VI.9 वित्तीय स्थिरता के जोखिमों के संतुलन और भारतीय वित्त प्रणाली की समुत्थानशीलता पर एफएसडीसी-एससी का समेकित मूल्यांकन प्रदान करने वाले एफएसआर के दो संस्करण वर्ष के दौरान जारी किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान, एफएसडीसी-एससी ने एक बैठक की, जिसमें प्रमुख वैश्विक और घरेलू समष्टि-आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रम, भारतीय वित्त क्षेत्र से संबंधित अंतर-विनियामक समन्वय के मुद्दे और इसके दायरे में विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज की समीक्षा की गई।

एफएसडीसी-एससी, भारतीय वित्त प्रणाली के साथ-साथ वृहत् अर्थव्यवस्था में आने वाली किसी भी दुर्बलता, खास तौर से वैश्विक प्रसार-प्रभाव, के प्रति सतर्क रहने और मजबूत, धारणीय और समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.10 वर्ष 2024-25 में, अपने नियमित कार्य के अलावा, एफएसडी निम्नलिखित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- समकक्षी समीक्षा के सिफारिशों का कार्यान्वयन (*उत्कर्ष* 2.0);
- गैर-बैंकिंग स्थिरता कार्य-योजना/सूचकांक का विकास (*उत्कर्ष* 2.0); और
- एकल-कारक दबाव परीक्षणों में वृद्धि (*उत्कर्ष* 2.0);

3. वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का विनियमन

विनियमन विभाग (डीओआर)

VI.11 विनियमन विभाग (डीओआर), वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के विनियमन के लिए नोडल विभाग है। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं के अनुकूल विनियामकीय रूपरेखा को समायोजित किया गया है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.12 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- क्रेडिट प्रबंधन में सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों पर निर्देशों की व्यापक समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.13];
- विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (एमएनबीसी) विनियमों की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.14]
- एनबीएफसी के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की मान्यता (पैराग्राफ VI.15);
- यूसीबी के लिए चलनिधि प्रबंधन रूपरेखा की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.16]
- बैंकों और एनबीएफसी के गतिविधियों की संचालन-नीति की समीक्षा (पैराग्राफ VI.17);
- एजेंसी व्यवसाय और रेफरल सेवा पर विनियमन की समीक्षा (पैराग्राफ VI.17);
- विनियमित संस्थाओं के लिए 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण' पर सामंजस्यपूर्ण विनियम जारी करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.18];
- उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा जारी सभी निधीतर (नॉन-फंड) आधारित आकस्मिक सुविधाओं की व्यापक समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.18];
- यूसीबी के विभिन्न विनियामकीय अनुमोदनों पर निदेशों की समीक्षा (पैराग्राफ VI.19);
- यूसीबी के परिचालन क्षेत्र पर दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा (पैराग्राफ VI.19); और
- जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर विनियामकीय पहल (पैराग्राफ VI.20)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.13 वर्ष के दौरान, ऋण प्रबंधन में सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों पर मौजूदा निर्देशों के संबंध में व्यापक परामर्श किया गया। इसके बाद, जहाँ भी लागू हुआ, आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

VI.14 नीतिगत रुख के रूप में, रिज़र्व बैंक विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) द्वारा जमाराशि स्वीकार करने को हतोत्साहित कर रहा है। इसके तहत, रिज़र्व बैंक ने एमएनबीसी / चिट फंड कंपनियों द्वारा उनके शेयरधारकों को

छोड़कर अन्य किसी से जमाराशि स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। जमाराशि स्वीकार करने पर विभिन्न विधायी अधिनियमन/विनियामकीय घटनाक्रमों[1] को देखते हुए, भारत सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से विभाग में एमएनबीसी/चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशि स्वीकार करने को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामकीय रूपरेखा की समीक्षा की जा रही है।

VI.15 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, स्केल, ग्राहक पहुंच और विविधीकरण के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं के वितरण में नवीन प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में वृद्धि के संदर्भ में, वित्तीय पारितंत्र के व्यवस्थित विकास के लिए नैतिक और पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई। अनुपालन संस्कृति में सुधार और नीति निर्माण के लिए परामर्श मंच प्रदान करने में एसआरओ की संभावित भूमिका को देखते हुए, रिज़र्व बैंक के विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए एक बहुप्रयोजनीय (ओम्नीबस) रूपरेखा जारी करने का निर्णय लिया गया। बहुप्रयोजनीय एसआरओ रूपरेखा अन्य बातों के अलावा व्यापक उद्देश्यों, कार्यों, पात्रता मानदंडों और अभिशासन मानकों को निर्धारित करेगी, जो सभी एसआरओ के लिए समान होंगे, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों। रिज़र्व बैंक क्षेत्र-विशिष्ट एसआरओ को मान्यता देने के लिए अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कर सकता है। हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 21 दिसंबर 2023 को बहुप्रयोजनीय रूपरेखा का मसौदा जारी किया गया था, उसके बाद 21 मार्च 2024 को अंतिम रूपरेखा जारी की गई। बहुप्रयोजनीय रूपरेखा जारी होने के बाद एनबीएफसी के लिए एसआरओ की मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

VI.16 शहरी सहकारी बैंकों के चलनिधि प्रबंधन रूपरेखा पर मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की जा रही है, तथा इस विषय पर मास्टर निदेश के मसौदे पर विचार किया जा रहा है।

VI.17 आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट की सिफारिशों और अन्य हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, बैंकों की गतिविधियों के संचालन पर निर्देशों को समेकित करने वाला एक परिपत्र वर्तमान में तैयार किया जा रहा है। साथ ही, बैंकों और एनबीएफसी द्वारा तीसरे पक्ष के उत्पादों के लिए एजेंसी व्यवसाय और रेफरल सेवा पर विनियमन की समीक्षा की जा रही है।

VI.18 हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान' पर विवेकपूर्ण मानदंडों के सामंजस्य से संबंधित कार्य वर्तमान में चल रहा है। ऐसी सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले विनियामकीय रूपरेखा को मजबूत करने की दृष्टि से आरई द्वारा विस्तारित विभिन्न निधीतर (नॉन-फंड) आधारित सुविधाओं की समीक्षा चल रही है।

VI.19 विभाग ने यूसीबी के निम्नलिखित विनियामक क्षेत्रों की समीक्षा की और दिशानिर्देश जारी किए: (ए) आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में यूसीबी को शामिल करने के संबंध में संशोधित मानदंड; (बी) सभी स्तरों (वेतनभोगियों के बैंकों को छोड़कर) में वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) यूसीबी के परिचालन के अनुमोदित क्षेत्र में शाखा विस्तार के लिए एक स्वचालित उपायों की शुरूआत; और (सी) सहकारी बैंकों के नाम में बदलाव और उनके उपनियमों में संशोधन पर दिशानिर्देश। यूसीबी के संचालन क्षेत्र पर दिशानिर्देशों की समीक्षा वर्तमान में जांच के अधीन है।

VI.20 जैसा कि विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर रिज़र्व बैंक के वक्तव्य (8 फरवरी 2023) में घोषित किया गया, आरई को ग्राहकों को हरित जमा की पेशकश करने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने, ग्रीनवाशिंग जोखिमों से निपटने और

[1] जैसे - इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनयम, 1978 का अधिनियमन; चिट फंड अधिनियम, 1982; कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014; और अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम, 2019.

हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, हरित जमा की स्वीकृति के लिए एक रूपरेखा 11 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी। 29 दिसंबर 2023 को, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट, जिसका उद्देश्य स्पष्टीकरण प्रदान करना और हरित जमा रूपरेखा से संबंधित सामान्य प्रश्नों का समाधान करना था, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। सार्वजनिक परामर्श के लिए 28 फरवरी 2024 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जलवायु-संबंधित वित्तीय जोखिमों, 2024 पर एक मसौदा प्रकटीकरण रूपरेखा प्रकाशित की गई थी, जिसमें चार विषयगत स्तंभों - अभिशासन, कर्यनीति, जोखिम प्रबंधन, और मेट्रिक्स और लक्ष्य के तहत जलवायु-संबंधित वित्तीय प्रकटीकरणों के लिए आरई के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं। इस रूपरेखा का उद्देश्य जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों और अवसरों के शीघ्र मूल्यांकन को बढ़ावा देना और बाजार अनुशासन को सुविधाजनक बनाना है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक खास अनुभाग भी बनाया गया था, जिसमें जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर रिज़र्व बैंक के विचार शामिल थे।

प्रमुख घटनाक्रम[2]

डिजिटल उधार में चूक हानि गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश

VI.21 डीएलजी व्यवस्था में ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) आरई की ओर से एलएसपी द्वारा प्राप्त ऋण पोर्टफोलियो पर चूक हानि का एक निश्चित पूर्व-निर्धारित प्रतिशत वहन करने का वचन देते हैं। डीएलजी व्यवस्थाओं के संबंध में प्राथमिक चिंता में, अविनियमित संस्थाओं द्वारा क्रेडिट जोखिम की धारणा, संबद्ध करोबार आचरण के मुद्दे और विनियामकीय निरीक्षण का अभाव शामिल है। इनके बावजूद, इसमें एलएसपी की 'भागीदारी' सुनिश्चित करने और औपचारिक क्रेडिट तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने का लाभकारी पहलू था। विवेक और नवोन्मेष के उद्देश्यों को संतुलित करने वाली एक कार्यक्षम रूपरेखा तैयार की गई थी। ये दिशानिर्देश आरई और एलएसपी के बीच के अलावा आरई के बीच भी डीएलजी व्यवस्थाओं को शामिल करते हैं और इसमें कई विनियामक मानक निर्धारित किए गए हैं, जैसे: (i) स्पष्ट और अंतर्निहित दोनों डीएलजी व्यवस्थाओं को शामिल करना; (ii) डीएलजी को बकाया ऋण पोर्टफोलियो के पांच प्रतिशत तक सीमित करना; (iii) डीएलजी, केवल नकद, सावधि जमा या बैंक गारंटी के समतुल्य पेश किया जाएगा; (iv) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर दिशानिर्देशों को लागू करना; (v) एलएसपी की वेबसाइट पर डीएलजी का खुलासा; और (vi) डीएलजी व्यवस्था में प्रवेश / नवीनीकरण करते समय आरई द्वारा समुचित सावधानी बरतना।

समझौता निपटारा और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ़) के लिए रूपरेखा

VI.22 दिनांक 8 जून 2023 को जारी समझौता निपटारा और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट-ऑफ़) पर रूपरेखा, कुछ मौजूदा विनियामकीय प्रावधानों को सख्त और अधिक पारदर्शी बनाकर, एससीबी के संबंध में वर्षों से समझौता निपटारा पर जारी किए गए विभिन्न विनियामकीय दिशानिर्देशों को समेकित और सुसंगत बनाती है। यह रूपरेखा, अन्य आरई विशेष रूप से सहकारी बैंकों के संबंध में, समझौता निपटारा करने के लिए एक सक्षम तंत्र प्रदान करती है। इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया-संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन देती है जिसमें बोर्ड द्वारा निगरानी, शक्ति का प्रत्यायोजन, रिपोर्टिंग तंत्र और समझौता निपटारा के सामान्य मामलों के लिए सुषुप्ति (कूलिंग) अवधि शामिल है। धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर वर्तमान में लागू दंडात्मक उपाय उन मामलों में भी लागू रहेंगे जहां बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटारा करते हैं।

[2] यह उप अनुभाग डीओआर द्वारा जारी किए गए प्रमुख परिपत्रों / दिशानिर्देशों पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट का अनुबंध। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान नीति घोषणाओं का एक व्यापक विभाग-वार कालक्रम विवरण प्रदान करता है।

उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण की दिशा में विनियामकीय पहल

VI.23 कोविड के बाद, उपभोक्ता वर्ग में ऋण का उठाव काफी बढ़ गया है, साथ ही बैंक उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता ने विनियामक चिंताओं को जन्म दिया है। व्यापक पोर्टफोलियो स्तर पर सहज आस्ति गुणवत्ता की स्थिति के बावजूद, इसके लिए विवेकपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। तदनुसार, किसी भी संभावित जोखिम के निर्माण को रोकने के लिए, 16 नवंबर 2023 को विनियामकी पहलों की घोषणा की गई थी।

यूसीबी की सभी श्रेणियों के लिए मानक आस्तियों के प्रावधानीकरण मानदंडों को सुसंगत बनाना

VI.24 सभी स्तरों पर यूसीबी पर लागू मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों को 24 अप्रैल 2023 के परिपत्र के माध्यम से सुसंगत बनाया गया था। तदनुसार, टियर 1 यूसीबी को मानक आस्ति प्रावधान के रूप में, 0.25 प्रतिशत की पूर्व आवश्यकता की तुलना में 0.40 प्रतिशत की संशोधित आवश्यकता को 31 मार्च 2025 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की अनुमति दी गई थी।

ऋण/निवेश संकेद्रण मानदंड – ऋण जोखिम हस्तांतरण

VI.25 एनबीएफसी - अपर लेयर के लिए मौजूदा बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क, उन्हें पात्र क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण लिखतों के साथ मूल प्रतिपक्षी को एक्सपोजर प्रतितुलन (ऑफसेट) की अनुमति देता है। एनबीएफसी में एक्सपोजर की गणना में एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, 15 जनवरी 2024 को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें मिडिल लेयर और बेस लेयर के एनबीएफसी को पात्र क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण लिखतों के साथ अपने एक्सपोजर को ऑफसेट करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, बेस लेयर के एनबीएफसी को एकल उधारकर्ता/पार्टी और उधारकर्ताओं/पार्टियों के एकल समूह, दोनों के लिए क्रेडिट/निवेश संक्रेंद्रण सीमा हेतु एक आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करने की भी आवश्यकता है।

वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश

VI.26 कथित एवरग्रीनिंग के कुछ उदाहरण पाए गए, जिसके तहत एआईएफ योजनाओं में विनियमित संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश को संबंधित विनियमित संस्थाओं के दबावग्रस्त उधारकर्ताओं द्वारा उनके ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए विनियोजित किया गया। एवरग्रीनिंग सहित ऐसे किसी भी विवेकपूर्ण नीति के उल्लंघन को रोकने के लिए 19 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए : (ए) विनियमित संस्थाओं को ऐसी किसी भी एआईएफ योजना में निवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसका संबंधित विनियमित संस्थाओं की किसी भी देनदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश है; (बी) विनियमित संस्थाओं को यह अनिवार्य किया गया था कि, यदि एआईएफ योजना ने विनियमित संस्थाओं की देनदार कंपनी में निवेश किया है या बाद में करती है, तो वे एआईएफ में अपने मौजूदा निवेश को 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर समाप्त कर दें, ऐसा न करने पर विनियमित संस्थाओं को उस विशेष योजना में अपने निवेश के लिए पूर्ण प्रावधान करना होगा; और (सी) विनियमित संस्थाओं को यह अनिवार्य किया गया था कि जूनियर ट्रांच में किए गए किसी भी निवेश को उनकी विनियामक पूंजी निधि से पूरी कटौती की जाएगी। कार्यान्वयन में निरंतरता सुनिश्चित करने और कुछ प्रमुख मुद्दों पर आगे विनियामकीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, 27 मार्च 2024 को स्पष्टीकरण जारी किए गए थे, जिसमें सूचित किया गया था कि: (i) डाउनस्ट्रीम निवेश में इक्विटी शेयर शामिल नहीं हैं लेकिन अन्य लिखत शामिल हैं; (ii) प्रावधानीकरण केवल एआईएफ योजना (आनुपातिक आधार) में आरई के निवेश की सीमा तक लागू होता है, न कि संपूर्ण निवेश पर; (iii) यदि एआईएफ के पास देनदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश की कमी है, तो 19 दिसंबर 2023 के परिपत्र के पैराग्राफ 2 का अनुपालन आवश्यक है; (iv) पूंजी से प्रस्तावित कटौतियां टियर-1 और टियर-2 पूंजी दोनों को प्रभावित करती हैं, जिसमें प्रवर्तक इकाइयों सहित सभी प्रकार के अधीनस्थ एक्सपोजर शामिल हैं; और (v) फंड ऑफ फंड्स या म्यूचुअल फंड जैसी मध्यस्थ संस्थाओं के माध्यम से एआईएफ में निवेश परिपत्र के दायरे से बाहर है।

वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा

VI.27 संशोधित निर्देश 12 सितंबर 2023 को जारी किए गए थे। संशोधित निर्देशों के तहत कुछ प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं: (i) निवेश पोर्टफोलियो का तीन श्रेणियों में सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण, *अर्थात*, (i) 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस), और 'लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य' (एफवीटीपीएल); (ii) एफवीटीपीएल के भीतर एक उप-श्रेणी, 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी) के तहत स्पष्ट रूप से पहचान योग्य ट्रेडिंग बही; (iii) एचएफटी श्रेणी के तहत होल्डिंग अवधि पर 90-दिवसीय सीलिंग को हटाना; (iv) एचटीएम श्रेणी में निवेश पर उपरि सीमा (सीलिंग) को हटाना; (v) एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरण और एचटीएम से बिक्री के आसपास विनियमन को सख्त बनाना; (vi) कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन, गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी में शामिल करना; (vii) एएफएस और एफवीटीपीएल श्रेणियों के तहत निवेश के लिए लाभ/हानि की सममित पहचान; और (viii) निवेश पोर्टफोलियो पर विस्तृत प्रकटीकरण। संशोधित निर्देशों से बैंकों की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और पारदर्शिता में वृद्धि होने, कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार को बढ़ावा मिलने, हेजिंग के लिए डेरिवेटिव के उपयोग को सुगम बनने और बैंकों के समग्र जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के मजबूत बनने की उम्मीद है। वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का पालन करते हुए, निर्देशों में निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर), गैर-एसएलआर निवेशों के संबंध में समुचित सावधानी/सीमाएं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, समीक्षा और रिपोर्टिंग जैसे महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण सुरक्षा उपाय बरकरार रखे गए हैं।

परिचालनगत जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएँ

VI.28 दिनांक 26 जून 2023 को, रिज़र्व बैंक ने संशोधित बेसल मानकों के साथ अधिक संगति सुनिश्चित करने हेतु परिचालनगत जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं निर्धारित करने हेतु नया मानकीकृत दृष्टिकोण निर्धारित किया। नया दृष्टिकोण न्यूनतम परिचालनगत जोखिम पूंजी आवश्यकताओं को मापने के लिए वर्तमान में निर्धारित सभी दृष्टिकोणों को प्रतिस्थापित करेगा। नए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, बैंकों को अपने परिचालनगत जोखिम विनियामक पूंजी गणना में, हानि डेटा-आधारित आंतरिक हानि गुणक (आईएलएम) [बड़े बैंकों के लिए] के साथ-साथ वित्तीय विवरण-आधारित व्यापार संकेतक घटक (बीआईसी) पर विचार करना आवश्यक है।

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक शुल्क (जुर्माना)

VI.29 दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने के संबंध में आरई के बीच अलग-अलग प्रथाओं के मद्देनजर, संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जो आरई को दंडात्मक शुल्क पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करने और उधारकर्ताओं को दंडात्मक शुल्क की मात्रा और लगाने के कारण का पारदर्शी रूप से खुलासा करने के लिए बाध्य करते हैं। इसके अलावा, यदि उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर आरई द्वारा जुर्माना लगाया जाता है, तो वह 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में होगा और 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा। आरई को दंडात्मक शुल्कों का पूंजीकरण करने से भी प्रतिबंधित किया गया है, यानी ऐसे शुल्कों पर कोई और ब्याज की गणना नहीं की जाएगी।

समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों का फ्लोटिंग ब्याज दर पर पुनर्गठन

VI.30 उधारकर्ताओं के साथ उचित संचार और/या सहमति के बिना ऋण अवधि बढ़ाने और/या ईएमआई राशि में वृद्धि से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुईं। इस समस्या को दूर करने हेतु, बढ़ती ब्याज दरों के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त गुंजाईश के प्रावधान, सावधि ऋणों पर स्विच करने का विकल्प और ऋणों की पूर्व-समाप्ति के विकल्पों का प्रयोग करने पर विभिन्न प्रासंगिक शुल्कों का पारदर्शी प्रकटीकरण और उधारकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी देकर आरई में उचित

आचरण रूपरेखा और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विनियम जारी किए गए थे।

जिम्मेदार उधार आचरण - व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना

VI.31 ऋण खाता बंद करने के बाद चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में आरई द्वारा अपनायी जाने वाली अलग-अलग प्रथाओं को, जिसके कारण ग्राहकों की शिकायतें और विवाद होते हैं, ठीक करने के लिए विनियम जारी किए गए जो आरई को, ऋण खाते की पूर्ण चुकौती/निपटान के 30 दिनों के भीतर किसी भी रजिस्ट्री में पंजीकृत शुल्क हटाने सहित सभी मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने का आदेश देते हैं। यह विनियम, अन्य बातों के अलावा, आरई द्वारा दस्तावेजों की वापसी में देरी के लिए मुआवज़े का प्रावधान करता है और नुकसान/क्षति के मामले में दस्तावेजों की डुप्लिकेट/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आरई पर जिम्मेदारी डालता है।

यूसीबी के लिए छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना

VI.32 दिनांक 11 अगस्त 2023 को, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए प्रस्तावित यूओ - राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) को जमाराशि स्वीकार न करने वाली टाइप-II एनबीएफसी के रूप में निर्धारित शर्तों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद, कंपनी को 8 फरवरी 2024 को अंतिम सीओआर जारी किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमा पर अनुदेशों की समीक्षा

VI.33 मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, आरआरबी के लिए थोक जमा को '15 लाख रुपये और उससे अधिक' की एकल रुपया सावधि जमा के रूप में परिभाषित किया गया था। समीक्षा के बाद, आरआरबी के लिए थोक जमा की परिभाषा को संशोधित कर 'एक करोड़ रुपये और उससे अधिक' कर दिया गया ताकि आरआरबी को परिचालनगत स्वतंत्रता प्रदान की जा सके और अन्य बैंकों के साथ समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

अवसंरचना डेट फंड (आईडीएफ) - एनबीएफसी के लिए विनियामकीय रूपरेखा की समीक्षा

VI.34 अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण में आईडीएफ-एनबीएफसी को अधिक भूमिका निभाने में सक्षम बनाने और एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों पर लागू विनियमों में सामंजस्य के विनियामक उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए, आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामकीय रूपरेखा 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। संशोधित रूपरेखा में प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए प्रायोजक की आवश्यकता को वापस लेना; (ii) आईडीएफ-एनबीएफसी को प्रत्यक्ष ऋणदाताओं के रूप में टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की अनुमति देना, (iii) आईडीएफ-एनबीएफसी को बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के तहत ऋण मार्ग के जरिए धन तक पहुंच प्रदान करना; और (iv) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए त्रिपक्षीय समझौते को वैकल्पिक बनाना।

इरादतन और बड़े चूककर्ताओं पर मसौदा दिशानिर्देश

VI.35 मास्टर निदेश का मसौदा 21 सितंबर 2023 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था। प्रस्तावित मास्टर निदेश विभिन्न अदालती फैसलों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए), बैंकों और अन्य हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन/सुझावों के आधार पर अन्य संशोधनों के साथ-साथ इरादतन और बड़े चूककर्ताओं से संबंधित सभी निर्देशों को समेकित करता है। इन टिप्पणियों की जांच के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

सीआईसी और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को सुदृढ़ बनाना

VI.36 सीआईसी और सीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के लिए, उनके द्वारा क्रेडिट जानकारी को अद्यतन/सुधार करने के लिए समयसीमा (30 दिन) का पालन न करने पर एक मुआवज़ रूपरेखा निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सीआईसी को सलाह दी गई है कि वे

ग्राहकों को उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट तक पहुंच के बारे में लघु संदेश सेवा (एसएमएस) या ई-मेल के जरिए सूचित करें। क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, सीआई को सलाह दी गई है कि वे मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में चूक या देय तिथि के बीते दिनों के बारे में सीआईसी को जानकारी प्रस्तुत करते समय अपने उधारकर्ताओं को एसएमएस या ई-मेल के जरिए सूचित करें। इसके अलावा, सीआई के पास सीआईसी द्वारा उठाई गई ग्राहक शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष नोडल बिंदु होगा जो छमाही आधार पर ग्राहक शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) करेगा और ग्राहकों को आँकड़ा शुद्धीकरण अनुरोध के खारिज़ होने के बारे में जानकारी देगा। सीआईसी को सूचित किया गया है कि वे सीआई से प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर क्रेडिट सूचना डेटा को अपने डेटाबेस में शामिल करें, अपनी वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों का डेटा प्रकट करें, उनके 'खोज और मिलान' तर्क एल्गोरिदम की समय-समय पर समीक्षा करें और अपनी वेबसाइट पर निःशुल्क पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए लिंक को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

सरफेसी[3] अधिनियम, 2002 के तहत आरई द्वारा रखे गए प्रतिभूत आस्तियों से संबंधित जानकारी का प्रदर्शन

VI.37 आरई, जो सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार प्रतिभूत ऋणदाता हैं, को सूचित किया गया है कि वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करें, जिनकी प्रतिभूत आस्तियां उक्त अधिनियम के तहत उनके कब्जे में ली गई हैं।

विनियामकीय उपायों के लिए सार्वजनिक परामर्श

VI.38 रिज़र्व बैंक अपनी नीतियों के निर्माण में सहभागी और परामर्शी दृष्टिकोण अपनाता है (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1

विनियामकीय पहलों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक परामर्श

सार्वजनिक परामर्श, विनियामक प्राधिकरणों जैसे केंद्रीय बैंकों द्वारा विचाराधीन विनियामक परिवर्तनों के बारे में जनता को सूचित करने तथा उनकी प्रतिक्रिया और इनपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली है। इस तरह के परामर्श से विनियमनों की पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होता है (आईएमएफ 2000; ओईसीडी, 2006)। प्रमुख केंद्रीय बैंकों[4] द्वारा अपनाई गई हाल की प्रथाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि: (क) केंद्रीय बैंकों ने, नीतियों के जारी होने या मौजूदा नीतियों/विनियामक रूपरेखा में बदलाव से पहले, नीति निर्माण के विभिन्न चरणों में सार्वजनिक परामर्श का सहारा लिया है; (ख) हितधारकों को प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणी साझा करने के लिए 15-120 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें अक्सर प्रतिक्रिया के लिए एक आरक्षित वेबपेज होता है; (ग) प्राप्त टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को अक्सर सार्वजनिक रखा जाता है; और (घ) जटिल और तकनीकी विनियामक मुद्दों पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए समिति की स्थापना और सम्मेलनों/बैठकों के आयोजन, जैसे अतिरिक्त परामर्श चैनल भी स्थापित किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक की परामर्श प्रक्रिया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) आम तौर पर नए/प्रमुख विनियामकीय पहलों, मौजूदा दिशा-निर्देशों में वृद्धिशील विनियामक परिवर्तनों और मौजूदा दिशा-निर्देशों/विनियमों की व्यापक समीक्षा पर हितधारकों/जनता से टिप्पणियाँ/प्रतिक्रियाएँ माँगता है। विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 (आरआरए 2.0) ने 2022 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि "जहाँ तक संभव हो, आवश्यक सार्वजनिक परामर्श के बाद निर्देश जारी करने का प्रयास किया जाना चाहिए और जहाँ भी संभव हो, मसौदा निर्देशों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए और उन्हें अंतिम रूप देने से पहले प्रतिक्रियाएँ माँगी जानी चाहिए"[5]।

नए/प्रमुख विनियामकीय पहलों के मामले में, अंतिम विनियामकीय दिशानिर्देश जारी करने से पहले, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रासंगिक कार्य समूह रिपोर्ट, चर्चा पत्र और मसौदा परिपत्र/दिशानिर्देश डालकर सार्वजनिक परामर्श लिया जाता है। नीति

(जारी)

3 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन।

4 यूएस फेडरल रिज़र्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इटली, मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर, रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीकी रिज़र्व बैंक।

5 विनियामक प्रक्रियाओं की समीक्षा करके विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए अनुपालन में आसानी बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ आरआरए 2.0 का गठन किया गया था। यह एक व्यापक कार्य था जिसमें कई स्तरों पर आंतरिक और बाह्य परामर्श शामिल थे।

प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु हितधारकों के साथ उनकी सक्षमता और स्वीकार्यता का आकलन करने के लिए आंतरिक परामर्श भी किया जाता है।

मौजूदा विनियमन की व्यापक समीक्षा करते समय आमतौर पर सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाता है। कुछ मामलों में, प्रस्तावित पहेल / विनियमों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और परामर्श के लिए सलाहकार समिति की स्थापना की जाती है।

विनियामकीय पहलों पर विभिन्न प्रश्नों और हितधारकों के साथ चल रहे जुड़ाव के जवाब में, मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों पर जनता/हितधारकों से निरंतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के अलावा, स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी करने की एक व्यवस्था भी मौजूद है।

सार्वजनिक परामर्श का मुख्य चैनल विनियामक नीतियों के मसौदे पर लिखित टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया मांगता रहता है, जबकि सार्वजनिक परामर्श के अन्य तरीके जैसे हितधारकों के साथ चर्चा और स्वतंत्र कार्य समूह/समिति की स्थापना का उपयोग तकनीकी और जटिल विनियामक मुद्दों पर समग्र दृष्टिकोण रखने के लिए भी किया जाता है। बैंक के जोखिम निगरानी विभाग द्वारा निर्धारित नीति जोखिम मूल्यांकन टेम्पलेट के माध्यम से नीति जोखिम का आकलन करते समय सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, फिनटेक विनियमन जैसे विशिष्ट विनियामक क्षेत्रों में अग्रसक्रिय ढ़ंग से सार्वजनिक परामर्श ली जाती है।

सारणी 1 : सार्वजनिक परामर्श* - आरबीआई

(संख्या)

विनियामक विभाग	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4
विनियमन विभाग	5	6	21
फिनटेक विभाग^	-	-	1
पर्यवेक्षण विभाग	-	1	4
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	5	5	10
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	6	3	3
विदेशी मुद्रा प्रबंधन विभाग	-	1	1
कुल	**16**	**16**	**40**

*: नई/प्रमुख विनियामक नीतियों के साथ-साथ वृद्धिशील परिवर्तनों और मौजूदा दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षाओं के लिए मसौदा परिपत्रों, रिपोर्टों और चर्चा पत्रों, हितधारकों के साथ संवाद के माध्यम से परामर्श शामिल हैं।

^: विभाग की स्थापना जनवरी 2022 में की गई थी। -: शून्य।

स्रोत : आरबीआई।

पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) में, रिज़र्व बैंक द्वारा, बैंकों और एनबीएफसी, भुगतान और निपटान प्रणाली, वित्तीय बाजार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्रों में विनियमन और पर्यवेक्षण के मुद्दों पर हितधारकों के साथ 72 सार्वजनिक परामर्श किए गए (सारणी 1 और अनुबंध II)। प्रस्तावित विनियामकीय नीतियों पर प्राप्त टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं का गहराई से विश्लेषण किया जाता है, और यथा-उपयुक्त संशोधनों को शामिल करने के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। सहभागी और परामर्शी दृष्टिकोण, प्रतिक्रिया के लिए लगभग 15-60[6] दिन प्रदान करने, समीक्षाधीन विनियमों की किसी भी विसंगतियों या कई व्याख्याओं को दूर करने; विकसित बाजार प्रथाओं और अंतर्निहित विनियमों के बीच संभावित विसंगतियों की पहचान करने और हितधारकों के सरोकारों और अपेक्षाओं का एक वस्तुपरक मूल्यांकन तैयार करने में सुविधा प्रदान करता है।

विनियामक मुद्दों पर इन विशिष्ट परामर्शों के अलावा, रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति निर्माण और अन्य मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ समय-समय पर बातचीत कर परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों, शोधकर्ताओं, वित्तीय बाज़ार सहभागियों, बैंकों, शैक्षणिक निकायों और शोध संस्थानों, व्यापार और उद्योग संघों और कई अन्य के साथ विस्तृत बातचीत करता है (दास, 2022)।

कुल मिलाकर, सार्वजनिक परामर्श भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए नीतियों के निर्माण का एक अभिन्न अंग बना हुआ है, जिससे उनकी स्वीकार्यता और प्रभावशीलता में वृद्धि के अलावा अधिक पारदर्शिता और समावेश सुनिश्चित होती है।

संदर्भ:

1. दास, शक्तिकान्त (2022), 'मौद्रिक नीति और केंद्रीय बैंक संचार', राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में संबोधन, रक्षा मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली, मार्च।
2. आईएमएफ (2000), 'मौद्रिक और वित्तीय नीतियों में पारदर्शिता पर उचित प्रक्रिया संहिता के लिए सहायक दस्तावेज़', जुलाई।
3. ओईसीडी (2006), 'सार्वजनिक परामर्श पर पृष्ठभूमि दस्तावेज़'।
4. आरबीआई (2022), 'विनियमन समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की रिपोर्ट', जून।

[6] पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) की जानकारी के आधार पर।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.39 वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग निम्नलिखित प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर आस्तियों के मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0);
- ऋण उत्पादों के वेब-एकत्रीकरण के लिए विनियामकीय रूपरेखा;
- परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामकीय रूपरेखा को मजबूत करने और सभी आरई में निर्देशों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से, कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा की गई, और सभी आरई के लिए लागू एक व्यापक विनियामकीय रूपरेखा जारी करना प्रस्तावित है;
- वर्ष 2023 में, रिज़र्व बैंक ने बाज़ार सहभागियों से टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर एक चर्चा पत्र जारी किया। हितधारकों की टिप्पणियों की जांच के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे;
- अग्रिमों पर ब्याज दरों पर मौजूदा विनियम सभी आरई में भिन्न-भिन्न हैं। इसे सुसंगत बनाने के लिए मौजूदा विनियामक निर्देशों की व्यापक समीक्षा चल रही है;
- बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) रूपरेखा की शुरूआत पर एक चर्चा पत्र 16 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। जहाँ चर्चा पत्र पर टिप्पणियों की जांच की जा रही है, एक बाहरी कार्य समूह - जिसमें शिक्षा, उद्योग और चुनिंदा प्रमुख बैंकों के डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं - का गठन समग्र रूप से जांच करने और कुछ तकनीकी पहलुओं पर स्वतंत्र टिप्पणियां प्रदान करने के लिए किया गया था। मसौदा दिशानिर्देश तैयार करते समय कार्य समूह की सिफारिशों को विधिवत शामिल किया जाएगा;
- 22 अक्टूबर 2021 को जारी स्केल-आधारित विनियामकीय रूपरेखा में उल्लिखित एनबीएफसी में विभिन्न समितियों (जैसे- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, और जोखिम प्रबंधन समिति) की भूमिका को निरूपित करना;
- एनबीएफसी/हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के प्रबंधन में बदलाव के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता की समीक्षा करना, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों में बदलाव होगा;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 के तहत एक नई विदेशी निवेश व्यवस्था के परिचालन के मद्देनजर, एनबीएफसी और कोर निवेश कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी;
- अप्रैल 2021 में, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर लागू मौजूदा कानूनी और विनियामकीय रूपरेखा की समीक्षा करने और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक बाह्य समिति की स्थापना की गई थी। समिति की प्रमुख सिफारिशों को 11 अक्टूबर 2022 के परिपत्र के माध्यम से लागू किया गया था। समिति की शेष सिफारिशों की जांच की जाएगी और 2024-25 के दौरान लागू किया जाएगा; और
- एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) को एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियामकीय रूपरेखा के मिडिल लेयर में रखा गया है। हालांकि, एनबीएफसी के विपरीत, एसपीडी सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य बाजार से संबंधित उत्पादों के लिए अपने जोखिम

को देखते हुए बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर दिशानिर्देशों के अधीन हैं और वे विभिन्न कोर और नॉन-कोर गतिविधियाँ करने के लिए भी पात्र हैं, जिनकी अनुमति एनबीएफसी को नहीं है। बैंकों के लिए बेसल III मानकों के साथ संगति लाने के लिए एसपीडी के लिए बाजार जोखिम के रूपरेखा की समीक्षा की जाएगी; और

- संबद्ध उधार में नैतिक जोखिम शामिल हो सकते हैं, जिससे मूल्य निर्धारण और ऋण प्रबंधन कमज़ोर हो सकते हैं। इस मुद्दे पर मौजूदा दिशा-निर्देश सीमित दायरे में हैं और सभी आरई पर समान रूप से लागू नहीं हैं। जैसा कि विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर रिज़र्व बैंक के वक्तव्य (8 दिसंबर 2023) में घोषित किया गया है, सभी आरई के लिए संबद्ध उधार पर एक एकीकृत विनियामकीय रूपरेखा लागू की जाएगी, जिसके लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी किया जाएगा।

फिनटेक विभाग

VI.40 फिनटेक विभाग को, सतर्क रह कर संबद्ध जोखिमों का समाधान करते हुए फिनटेक पारितंत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.41 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- सीबीडीसी-आर और सीबीडीसी-डब्लू दोनों खंडों[7] में विभिन्न उपयोग मामलों के साथ आगे के प्रायोगिक कार्यक्रमों का संचालन करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.42-VI.43]
- देश में फिनटेक पारितंत्र के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा विकसित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.44]
- वित्त के लिए अंतर-परिचालनीय एकीकृत सार्वजनिक तकनीकी मंच तैयार करना जो एक एकीकृत सार्वजनिक मंच के रूप में कार्य कर सके, जो उधारदाताओं के लिए सहज तरीके से डेटा के एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा और बाधारहित ऋण की डिलीवरी को सक्षम करेगा (पैराग्राफ VI.45);
- वैश्विक हैकथॉन 'हार्बिंजर' शृंखला का आयोजन (पैराग्राफ VI.46);
- दक्षता हासिल करने और उसके आगे विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर (एए) तकनीकी पारितंत्र में सुधार लाना (पैराग्राफ VI.47); और
- आरई द्वारा उपयोग के लिए रेगटेक टूल के विकास के लिए सुविधा प्रदान करना और उभरते सुपटेक टूल की पहचान करना। विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस)/ हैकथॉन के तहत समूहों में से एक में रेगटेक से संबंधित विषय शामिल होगा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.48]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.42 चुनिंदा बैंकों की भागीदारी के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटान के लिए सीबीडीसी-डब्ल्यू (e₹-डब्ल्यू) खंड में पायलट 1 नवंबर 2022 से शुरू हुआ। इस पायलट का उद्देश्य निपटान जोखिम को कम करने के लिए निपटान गारंटी अवसंरचना या संपार्श्विक की आवश्यकता को पहले ही निवारण कर लेनदेन लागत को

[7] भारत का सीबीडीसी, डिजिटल रुपया (e₹), इसकी आधिकारिक मुद्रा का डिजिटल रूप है, जिसे केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा के बाद पेश किया गया था। यह रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया गया वैध मुद्रा है, जो डिजिटल क्षेत्र में विश्वास, सुरक्षा और तत्काल निपटान समापन प्रदान करता है। सीबीडीसी दो व्यापक श्रेणियों में आते हैं, सीबीडीसी - डब्ल्यू और सीबीडीसी – आर, सीबीडीसी - डब्ल्यू वित्तीय संस्थानों जैसे विशिष्ट उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित है, जबकि सीबीडीसी – आर जनता के लिए व्यापक रूप से सुलभ है।

कम करना है। तकनीकी वास्तुकला में बदलाव के साथ-साथ अंतर-बैंक उधार और उधार लेनदेन को शामिल करने के लिए e₹-डब्ल्यू के दायरे का बाद में विस्तार किया गया।

VI.43 सीबीडीसी-आर (e₹-आर) सेगमेंट में पायलट 1 दिसंबर 2022 को शुरु किया गया था, जिसमें ग्राहकों और व्यापारियों के एक सीमित उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) के लिए चुनिंदा स्थानों को शामिल किया गया था। उपयोगकर्ता, भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से e₹-आर के साथ व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन पर वॉलेट में डिजिटल मुद्रा संगृहीत कर सकते हैं। पायलट की शुरुआत चार बैंकों और चार शहरों से हुई थी। इसके बाद, इसे 15 बैंकों तक विस्तारित किया गया और 81 स्थानों को कवर किया गया। पायलट से मिली सीख के आधार पर, उपयोगकर्ताओं को सुविधा और सहज अनुभव प्रदान करने हेतु यूपीआई स्वीकृति अवसंरचना का लाभ उठाने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) और सीबीडीसी के बीच अंतर-परिचालन की शुरुआत की गई। इस प्रकार, उपयोगकर्ता अब अपने सीबीडीसी ऐप के साथ यूपीआई क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड को स्कैन करके लेनदेन कर सकते हैं। खुदरा पायलट की परिकल्पना वास्तविक समय में डिजिटल रुपया निर्माण, वितरण, अवसंरचना और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करने के लिए की गई है।

VI.44 फिनटेक की गतिविधियों की समीक्षा करने और देश में फिनटेक क्षेत्र के सतत विकास के लिए सिफारिशें सुझाने हेतु गठित फिनटेक संबंधी गतिविधियों की विनियामक समीक्षा पर कार्य समूह ने रिज़र्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

VI.45 रिज़र्व बैंक ने अपनी विकासात्मक और विनियामक नीति वक्तव्य (10 अगस्त 2023) में, निर्बाध ऋण के लिए एक सार्वजनिक तकनीकी मंच विकसित करने की घोषणा की थी। इस मंच की संकल्पना रिज़र्व बैंक द्वारा की गई थी और यह रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) द्वारा विकसित किया गया था [बॉक्स VI.2]।

बॉक्स VI.2

निर्बाध ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीक प्लेटफ़ॉर्म (पीटीपीएफसी)

डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और डिजिटल डेयरी ऋण पायलट परियोजनाओं ने निपटान अवधि (टीएटी) में महत्वपूर्ण कमी का प्रदर्शन किया और ऋण प्रक्रिया में अपेक्षित दक्षता लाई। हालांकि, इसने क्रेडिट मूल्यांकन और वितरण के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण को बढ़ाने में विभिन्न चुनौतियों और जटिलताओं की पहचान भी की। जटिलताओं ने एक प्लेटफ़ॉर्म प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो उधारदाताओं के लिए कई खास एकीकरण की आवश्यकता के बिना ऋण प्रक्रिया को निर्बाध बनाएगा। इन जानकारियों के आधार पर और केसीसी और डेयरी ऋण से परे ऋण के सभी क्षेत्रों में लागत में कमी, त्वरित संवितरण और मापनीयता के संदर्भ में दक्षता लाने के उद्देश्य से, जहां नियम-आधारित ऋण देना संभव है, निर्बाध ऋण के लिए एक सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म (पीटीपीएफसी) तदनुसार विकसित किया गया।

यह प्लेटफॉर्म एक एंटरप्राइज-ग्रेड ओपन आर्किटेक्चर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न डेटा स्रोतों से जानकारी तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट के एक बड़े इकोसिस्टम के संचालन का केंद्र है। वित्तीय सेवा और कई डेटा सेवा प्रदाता एक खुले और साझा एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) रूपरेखा में मानक और प्रोटोकॉल संचालित आर्किटेक्चर का उपयोग करके प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होते हैं। डेटा रिपॉजिटरी को प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करके और प्लग एंड प्ले सेवा के रूप में उधारदाताओं को उपलब्ध कराकर क्रेडिट प्रोसेसिंग और डिलीवरी में बाधा को दूर किया गया है। इसने कई डेटा प्रदाताओं के साथ उधारदाताओं के बोझिल एक-एक संपर्क की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है और उपभोक्ताओं और उधारदाताओं दोनों के लिए दक्षता लाई है। बदले में ऋणदाताओं को सहज तरीके से क्रेडिट मूल्यांकन और निर्णय लेने के लिए आवश्यक विभिन्न डेटा/जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने की आवश्यकता होती है।

यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं, ऋणदाताओं और डेटा सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद है। उपभोक्ता, कागज़-आधारित दस्तावेज़ों या वित्तीय संस्थाओं (बैंक/बैंकेतर) में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता के बिना, विश्वसनीय सहमति प्रणाली के साथ

(जारी)

डिजिटल रूप से उपलब्ध डेटा का लाभ लेकर बिना किसी परेशानी के प्रयोजनानुकूल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋणदाताओं और डेटा सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क प्रभाव, मानकीकरण, लागत और टीएटी के संदर्भ में दक्षता, ऋण देने की प्रक्रिया में नवोन्मेष, मापनीयता और बढ़ती पहुंच के कारण लाभ होता है।

31 मार्च 2024 तक, प्लेटफ़ॉर्म में पाँच ऋण यात्राएँ हैं, अर्थात, (ए) 1.6 लाख रुपये तक के केसीसी ऋण; (बी) डेयरी ऋण; (सी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण (गैर-जमानती); (डी) व्यक्तिगत ऋण; और (ई) आवास ऋण, पायलट में कुल 12 बैंक भाग ले रहे हैं, जो 17 अगस्त 2023 से शुरू हुआ। यह प्लेटफ़ॉर्म वर्तमान में 31 विभिन्न डेटा सेवाओं[8] के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। हितधारकों से प्राप्त सीख और सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर, प्लेटफ़ॉर्म के दायरे और कवरेज का विस्तार किया जा रहा है ताकि अधिक उत्पादों, डेटा प्रदाताओं और उधारदाताओं को शामिल किया जा सके।

इस प्लेटफ़ॉर्म का पायलट 17 अगस्त 2023 से शुरू हुआ, जिसे हितधारकों से प्राप्त सीख और प्रतिक्रिया के आधार पर विस्तारित किया जाएगा।

VI.46 रिज़र्व बैंक ने 'समावेशी डिजिटल सेवाएँ' विषय के साथ वैश्विक हैकथॉन 'हार्बिंजर 2023 - परिवर्तन के लिए नवोन्मेष' का दूसरा संस्करण आयोजित किया। हैकथॉन में चार समस्या स्टेटमेंट शामिल थे, अर्थात, (i) दिव्यांगों के लिए अभिनव, उपयोग में आसान, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं; (ii) आरई के लिए अधिक कुशल अनुपालन की सुविधा के लिए रेगटेक समाधान; (iii) ऑफलाइन मोड में लेनदेन सहित सीबीडीसी-आर लेनदेन के लिए उपयोग के मामलों/समाधानों की खोज करना; और (iv) प्रति सेकंड लेनदेन (टीपीएस)/ थ्रूपुट और ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी बढ़ाना। हैकथॉन को भारत के भीतर और बाहर से उत्साहजनक भागीदारी मिली। हैकथॉन तीन चरणों में चला, जिसकी शुरुआत शॉर्टलिस्टिंग और समाधान विकास से हुई, उसके बाद अंतिम मूल्यांकन हुआ। एक स्वतंत्र निर्णायक-मंडल ने नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, उपयोगकर्ता अनुभव, सुरक्षा और कार्यान्वयन में आसानी, जैसे मापदंडों के आधार पर 28 फाइनलिस्ट टीमों में से विजेताओं और उप विजेताओं का मूल्यांकन और चयन किया। इन नवोन्मेषी उत्पादों से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के अधिक सुलभ, कुशल, अनुपालनशील, मजबूत और स्केलेबल बनने की उम्मीद है।

VI.47 रिज़र्व बैंक ने, रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट), जो रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और अन्य हितधारकों के परामर्श से एपीआई विनिर्देश संस्करण 1.1.3 का खास उन्नयन किया। एए पारितंत्र के सभी प्रतिभागियों द्वारा अपनाने के लिए उन्नत एपीआई विनिर्देश संस्करण 2.0.0 को रेबिट द्वारा 9 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। यह उन्नयन, वित्तीय जानकारी साझा करते समय संभावित सुरक्षा चिंताओं और संगतता चुनौतियों जैसी समस्याओं को दूर करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एपीआई विनिर्देश संस्करण 2.0.0 को एए रूपरेखा के कामकाज को बाधित किए बिना सभी प्रतिभागियों द्वारा सुचारु ढ़ंग से यथा समय अपनाया गया है, रेबिट की वेबसाइट पर 'एपीआई विनिर्देश अपनाने की कार्यनीति' उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, एए फ्रेमवर्क में सहमति अस्वीकृति के अनुरोधों को कम करने के लिए, 'पैन और ई-मेल' फ़ील्ड जो पहले अनिवार्य थे, उन्हें एए फ्रेमवर्क पर ग्राहक के डेटा को साझा करने के लिए वैकल्पिक बनाया गया था। अद्यतन वित्तीय जानकारी (एफआई) प्रकार की योजनाएँ रेबिट की वेबसाइट पर जारी की गईं।

[8] भूमि अभिलेख प्रणाली (छह राज्य सरकारों से भूमि अभिलेख); लिप्यंतरण; आधार ई-अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी); आधार आधारित ई-हस्ताक्षर; स्थायी खाता संख्या (पैन) सत्यापन; बैंक खाता। सत्यापन; खाता एग्रीगेटर; उपग्रह सेवा; दूध निकास का डेटा; संपत्ति खोज डेटा; प्लेटफ़ॉर्म से 30 एपीआई प्रदान करके डिजिलॉकर के माध्यम से ई-स्टैंपिंग आईडी/दस्तावेज़ सत्यापन।

VI.48 रिज़र्व बैंक ने रेगटेक टूल (साधन) अंगीकरण को बढ़ावा देने और नए सुपटेक टूल का पता लगाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहल की: (ए) आरई द्वारा अधिक कुशल अनुपालन की सुविधा के लिए रेगटेक समाधान के रूप में समस्या स्टेटमेंट के साथ हैकथॉन हार्बिंजर 2023 की शुरुआत। 10-11 अक्टूबर, 2023 के दौरान आयोजित अंतिम मूल्यांकन के भाग के रूप में दो रेगटेक समाधानों को विजेता और उप विजेता के रूप में चुना गया था; और (बी) रिज़र्व बैंक, वैश्विक वित्तीय नवोन्मेष नेटवर्क (जीएफआईएन) के पहले ग्रीनवॉशिंग टेकस्प्रिंट में भाग लेने वाले 13 अंतरराष्ट्रीय विनियामकों में से एक था। इस वैश्विक टेकस्प्रिंट में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) दावों की पुष्टि करने और ग्रीनवॉशिंग के उदाहरणों की पहचान करने के लिए रेगटेक टूल विकसित करने पर केंद्रित दो समस्या स्टेटमेंट शामिल थे। रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित आवेदकों में से एक ने टेकस्प्रिंट में 'फास्ट सॉल्यूशन' पुरस्कार जीता।

प्रमुख पहल

भारत की जी20 अध्यक्षता

VI.49 जी20 पहल के तहत, विभाग ने कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए: (ए) 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी: द इंडिया स्टोरी' शीर्षक से आउटरीच सेमिनार; (बी) भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत चौथी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली कार्य समूह (आईएफए-डब्ल्यूजी) की बैठक के मौके पर सियोल, दक्षिण कोरिया में 'सीबीडीसी के समष्टि-वित्त प्रभाव' पर सेमिनार; (सी) गांधीनगर में, तीसरे पक्ष के जोखिम प्रबंधन रूपरेखा सहित बिगटेक और फिनटेक से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक के हिस्से के रूप में कार्यक्रम; (डी) नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न जी20 आयोजनों में 'आरबीआई इनोवेशन पवेलियन' के माध्यम से सीबीडीसी, पीटीपीएफसी, डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड और डिजिटल डेयरी सहित रिज़र्व बैंक की कुछ परिवर्तनकारी पहलों को प्रदर्शित करना; और (ई) भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के तहत जी20 टेकस्प्रिंट[9] के चौथे संस्करण को शुरु करना, जिसका विषय 'क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए प्रौद्योगिकी समाधान' है। डोमेन विशेषज्ञों वाले निर्णायकों के स्वतंत्र पैनल ने तीन समस्या स्टेटमेंट के लिए प्रत्येक टीम को विजेता के रूप में चुना।

विनियामकीय सैंडबॉक्स (आरएस) – समूह (कोहोर्ट)

VI.50 'एमएसएमई उधार' विषय पर आरएस के तीसरे समूह के तहत, आरएस के अंतर्गत परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर पांच संस्थाओं को व्यवहार्य पाया गया। 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन' विषय के साथ चौथे समूह के तहत, छह संस्थाओं को परीक्षण चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और संस्थाओं ने 31 दिसंबर 2023 को परीक्षण पूरा किया। रिज़र्व बैंक ने आरएस के तहत पांचवां समूह शुरू किया जिसका विषय था '*थीम न्यूट्रल*', अर्थात, रिज़र्व बैंक के विनियामकीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यों से संबंधित कोई भी नवीन उत्पाद/सेवाएं/प्रौद्योगिकियां आवेदन करने के लिए पात्र थीं। वर्तमान में, इस समूह के तहत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण चरण हेतु शॉर्टलिस्टिंग के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है।

VI.51 आरएस के अधीन 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा वर्तमान में 'खुदरा भुगतान', 'सीमा पार भुगतान' और 'एमएसएमई ऋण' के लिए उपलब्ध है। अब तक 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा के तहत परीक्षण चरण के लिए तीन संस्थाओं का चयन किया गया

[9] टेकस्प्रिंट ने वैश्विक नवोन्मेषकों को तीन समस्या विवरणों में सीमा पार से भुगतान के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया, अर्थात्, (i) अवैध वित्त जोखिम को कम करने के लिए धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (एएमएल/सीएफटी) प्रौद्योगिकी समाधान; (ii) अधिक उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था (ईएमडीई) मुद्राओं में निपटान को सक्षम करने के लिए विदेशी मुद्रा और चलनिधि प्रौद्योगिकी समाधान; और (iii) बहुपक्षीय सीमा पार सीबीडीसी प्लेटफार्मों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान

है। 'खुदरा भुगतान' सेवा के लिए 'ऑन टैप' के तहत प्राप्त एक आवेदन वर्तमान में मूल्यांकन के अधीन है।

अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क

VI.52 वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में वित्तीय क्षेत्र विनियामकों (एफएसआर) से संबंधित एनबीएफसी-एए और आरई की बढ़ती भागीदारी के साथ एए रूपरेखा गति पकड़ रही है। एफ़आईपी से ग्राहक की वित्तीय जानकारी के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, रेबिट (ReBIT) ने क्षेत्रीय विनियामकों और रिज़र्व बैंक के परामर्श से एफआई प्रकार की योजनाएं जारी की हैं। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने पारितंत्र को अधिक मजबूत, तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने और एए रूपरेखा को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अन्य हितधारकों के परामर्श से एक सुविचारित और सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया है।

आरबीआईएच के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाएँ

VI.53 वर्ष 2023-24 के दौरान, केसीसी ऋण के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के लिए चल रही पायलट परियोजनाओं को चार और राज्यों (तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा; और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिले) और सात बैंकों को शामिल करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। आरबीआईएच द्वारा संचालित कि गई पीटीपीएफसी परियोजना 17 अगस्त 2023 से पायलट आधार पर शुरू की गई। तब से, बैंकों ने 31 मार्च 2024 तक ₹5,535 करोड़ (₹3,640 करोड़ के एमएसएमई ऋण सहित) के ऋण वितरित किए हैं।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.54 वर्ष 2024-25 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- ऑफ़लाइन कार्यक्षमता, प्रोग्रामेबिलिटी, सीमा-पारीय लेनदेन और आस्तियों के टोकनाइजेशन के साथ-साथ नए डिजाइन, तकनीकी विचार और अधिक प्रतिभागियों जैसे नए उपयोग के मामलों को शामिल करने के लिए सीबीडीसी पायलटों के दायरे का विस्तार करना;
- भारत को दुनिया का सबसे बड़ा विप्रेषण प्राप्तकर्ता मानते हुए टीएटी, दक्षता और पारदर्शिता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आधार पर सीमा पारीय भुगतान हेतु पायलट आधार पर सीबीडीसी शुरू करने की संभावना तलाशना, (*उत्कर्ष* 2.0)
- अधिक वित्तीय संस्थानों/डेटा सेवा प्रदाताओं और उत्पाद पेशकश के साथ पूर्ण पैमाने पर सार्वजनिक तकनीकी मंच का शुभारंभ;
- फिनटेक क्षेत्रक में, उसके व्यवस्थित विकास के लिए, एसआरओ की पहचान हेतु रूपरेखा को लागू करना (*उत्कर्ष* 2.0);
- फिनटेक के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए रिपोजिटरी की स्थापना और तकनीक से संबंधित गतिविधियों के लिए रिपोजिटरी तैयार करना ताकि इसके पारितंत्र में विकास को प्रभावी ढंग से समझा जा सके;
- अगले वैश्विक हैकथॉन 'हार्बिंजर 2024' का आयोजन;
- आरएस के छठे समूह के अंतर्गत नवीन उत्पादों/सेवाओं और प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना; और
- वित्तीय सेवाओं में पर्यवेक्षी गतिविधियों/विनियामकीय अनुपालन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सुपटेक/रेगटेक टूल की पहचान करना और अवधारणा[10] को मूर्त बनाने के लिए प्रमाण जुटाना और एक कार्यशील नमूना तैयार करना (*उत्कर्ष* 2.0)।

[10] यह एक ऐसा अभ्यास है जिसमें कार्य इस बात पर केंद्रित होता है कि क्या किसी विचार को वास्तविकता में बदला जा सकता है या यह सत्यापित किया जाए कि क्या विचार कल्पना के अनुसार कार्य करेगा।

4 . वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)

VI.55 डीओएस को सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), भुगतान बैंक (पीबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), सीआईसी, एआईएफआई, यूसीबी, एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वाणिज्यिक बैंक

VI.56 विभाग ने वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए कई उपाय किए ।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.57 विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बाजार जोखिम - परिदृश्य विश्लेषण करना और प्रणालीगत दबाव परीक्षण के लिए इनपुट प्रदान करना *(उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.58];
- एससीबी के लिए मशीन लर्निंग (एमएल) क्षमताओं का उपयोग करके धोखाधड़ी भेद्यता मैट्रिक्स का कार्यान्वयन *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ VI.59]; और
- ईडब्ल्यूएस और एफआरएमएस का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन (पैराग्राफ VI.59)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.58 प्राथमिक व्यापारी (पीडी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) और विदेशी बैंक (एफबी) के लिए बाज़ार जोखिम मूल्यांकन पूरा किया गया। विभिन्न दबाव परीक्षण परिदृश्यों के तहत ब्याज दर जोखिम का आकलन करने और निरंतर आधार पर पर्यवेक्षी टिप्पणियों के लिए विस्तृत पद्धति तैयार की गई है और इसे लागू की गई है।

VI.59 धोखाधड़ी भेद्यता सूचकांक (एफवीआई) के लिए एक मॉडल रूपरेखा तैयार की गई थी। एससीबी के नमूने के लिए अवधारणा का प्रमाणीकरण किया गया और मॉडल का सत्यापन किया गया। सभी एससीबी के लिए एफवीआई मॉडल लागू किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस और खातों की रेड फ्लैगिंग (आरएफए) से संबंधित दिशा-निर्देशों को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि इन्हें मजबूत, प्रभावी और प्रौद्योगिकी संचालित बनाया जा सके।

अन्य पहल

केवाईसी/एएमएल जोखिमों के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (एसएकेएआर) रूपरेखा के अंतर्गत नियंत्रण ख़ामी मूल्यांकन की शुरूआत

VI.60 एससीबी में केवाईसी/एएमएल जोखिमों का व्यापक तरीके से आकलन करने के लिए, बैंकों द्वारा नियंत्रणों और प्रक्रियाओं का एक संरचित मूल्यांकन शुरू किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कमियों, यदि कोई हों, की पहचान की जा सके। उक्त मूल्यांकन विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे विवेकपूर्ण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया गया है। इसके साथ, एसई में केवाईसी/एएमएल जोखिमों का एक समग्र दृष्टिकोण सुगम हो जाएगा, क्योंकि डेटा-संचालित विश्लेषणात्मक मॉडल के माध्यम से अंतर्निहित जोखिम मूल्यांकन को इकाई स्तर पर नियंत्रण/जोखिम शमन रूपरेखा के केंद्रित पर्यवेक्षी मूल्यांकन द्वारा अनुपूरित किया जाएगा।

सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग

VI.61 सीमा पार पर्यवेक्षी सहयोग पर बीसीबीएस सिद्धांतों के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने विदेशी समकक्ष पर्यवेक्षकों के साथ संपर्क बनाए रखा। रिज़र्व बैंक ने मुंबई में, एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण निदेशकों के 25वें दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक-वित्तीय स्थिरता संस्थान (एसईएसीईएन-एफएसआई) सम्मेलन और एसईएसीईएन सदस्यों के पर्यवेक्षण निदेशकों की 36वीं बैठक की मेजबानी की। रिज़र्व बैंक ने मुंबई में जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण पर एक अध्ययन दौरा सह कार्यशाला के लिए बांग्लादेश बैंक के एक प्रतिनिधिमंडल की भी मेजबानी की।

VI.62 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा बैंकों की पर्यवेक्षी कॉलेज बैठकें आयोजित कीं और पर्यवेक्षी चिंताओं, कार्यप्रणाली और सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी के आदान-प्रदान के लिए

विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ सात बैठकें आयोजित कीं। बदले में, रिज़र्व बैंक ने मेजबान प्राधिकारी के रूप में विदेशी पर्यवेक्षकों द्वारा चुनिंदा बैंकों के लिए आयोजित सात पर्यवेक्षी कॉलेजों की बैठकों में भाग लिया। रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों ने 'पर्यवेक्षी दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और प्रथाएं' पर यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) और हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी (एचकेएमए) द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया।

दबाव परीक्षण मॉडल को नया रूप देना

VI.63 एससीबी के लिए एकल-कारक दबाव परीक्षण मॉडल को दबाव परीक्षण के बहु-कारक मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें मुद्रास्फीति, जीडीपी संवृद्धि, विनिमय दर और बेरोजगारी दर जैसे समष्टि-आर्थिक कारक शामिल हैं, जिन्हें एससीबी विशिष्ट विशेषताओं द्वारा पूरक बनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि आस्ति की गुणवत्ता और जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की स्थिति समष्टि-आर्थिक कारकों के साथ-साथ संस्था विशेष विशिष्टताओं के अनुरूप हों।

बैंकों में अभिशासन को मजबूत बनाना

VI.64 रिज़र्व बैंक द्वारा की गई पर्यवेक्षी पहलों का उद्देश्य जोखिमों और कमजोरियों की आरंभ में ही पहचान करना, जोखिमों को कम करने के लिए एक संरचित प्रारंभिक पर्यवेक्षी हस्तक्षेप रूपरेखा को स्थापित करना, कमियों के मूल कारण पर ध्यान बढ़ाना और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यवेक्षी सख्ती को सुसंगत बनाना है। इस संबंध में, बैंकों में अभिशासन को मजबूत करना रिज़र्व बैंक के लिए एक पर्यवेक्षी प्राथमिकता बनी हुई है (बॉक्स VI.3)।

बॉक्स VI.3

पीएसबी और पीवीबी में अभिशासन प्रथाएँ

हाल के वर्षों में एसई के भीतर अभिशासन प्रथाओं को मजबूत करना, केंद्र में रहे क्षेत्रों में से एक रहा है। इस पहलू की न केवल प्रत्यक्ष पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान जांच की जाती है, बल्कि बोर्ड/वरिष्ठ प्रबंधन के साथ सम्मेलनों और बैठकों के रूप में एसई के साथ निरंतर जुड़ाव और परोक्ष प्रणालीगत स्तर के आकलन के माध्यम से भी इस पर जोर दिया जाता है। बैंक, ऋण के सबसे महत्वपूर्ण प्रदाता के रूप में, अन्य संस्थाओं से अलग हैं क्योंकि उनके पतन का जमाकर्ताओं, संस्थानों और वित्तीय प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इससे बैंकों को विशेष विनियमन और कड़ी निगरानी के अधीन रखना अनिवार्य हो जाता है। बैंकों से उचित नीतियां और उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि अभिशासन संरचना को अच्छी तरह से लागू किया जा सके क्योंकि बैंक वित्तीय संरचना और अर्थव्यवस्था के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं।

यह जरूरी है कि बैंकों के पास मजबूत अभिशासन नीतियां और प्रक्रियाएं हों, जिनमें रणनीतिक दिशा, समूह और संगठनात्मक संरचना, नियंत्रण वातावरण, बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारियां शामिल हैं, जो बैंक के जोखिम प्रोफाइल और प्रणालीगत महत्व के अनुरूप हों। बोर्ड की जिम्मेदारी बैंक की रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी देने और उसकी देखरेख करने, जोखिम उठाने की क्षमता और संबंधित नीतियों, कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्यों की स्थापना और संचार करने, तथा हितों के टकराव और एक मजबूत नियंत्रण वातावरण से संबंधित नीति निर्धारित करने की है।

पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान उपर्युक्त पहलुओं और नीतियों के कार्यान्वयन की जांच की जाती है। इनमें अन्य पहलुओं के अलावा उचित कौशल और विशेषज्ञता वाले पर्याप्त संख्या में बोर्ड सदस्यों की उपलब्धता और निर्धारित नीतियों के अनुसार बोर्ड की बैठकों का प्रभावी संचालन शामिल है। पीएसबी और पीवीबी में सुदृढ़ अभिशासन पद्धतियां हितधारकों के विभिन्न समूह, विशेष रूप से जमाकर्ताओं, जिनकी बैंकों के कारोबारी निर्णयों में कोई भूमिका नहीं होती है, को विश्वास प्रदान करने में मदद करती हैं। इसके लिए कार्यनीतिक मुद्दों और जोखिम निगरानी में बैंकों के बोर्डों की गहन भागीदारी की आवश्यकता होती है ।

धोखाधड़ी विश्लेषण

VI.65 पिछले तीन वर्षों में बैंक समूह-वार धोखाधड़ी के मामलों के आकलन से पता चलता है कि जहां निजी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की संख्या अधिकतम थी, वहीं राशि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी अधिकतम रिपोर्ट की गई (सारणी VI.1)। संख्या के संदर्भ में धोखाधड़ी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान (कार्ड/इंटरनेट) की श्रेणी में हुई है। मूल्य के संदर्भ में, धोखाधड़ी मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो (अग्रिम श्रेणी) में रिपोर्ट की गई है [सारणी VI.2]। 2023-24 के दौरान रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी राशि में 2022-23 की तुलना में 46.7 प्रतिशत की गिरावट आई। जहाँ, छोटे मूल्यवर्ग के कार्ड/इंटरनेट धोखाधड़ी की संख्या निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम थी वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो में थी।

VI.66 वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की श्रेणी का विश्लेषण धोखाधड़ी की घटना की तारीख और उसके पता लगाने की तारीख के बीच एक महत्वपूर्ण समय-अंतराल दिखाता है (सारणी VI.3)। पिछले वित्तीय वर्षों में हुई धोखाधड़ी में शामिल राशि मूल्य के संदर्भ में, 2022-23 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का 94.0 प्रतिशत थी। इसी तरह, 2023-24 में मूल्य के हिसाब से रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का 89.2 प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्षों में घटित हुई।

सारणी VI.1: धोखाधड़ी के मामले - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह/संस्था	2021-22		2022-23		2023-24	
	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3,044	32,288	3,392	18,750	7,472	10,507
	(33.7)	(71.1)	(25.0)	(71.8)	(20.7)	(75.3)
निजी क्षेत्र के बैंक	5,312	10,653	8,979	6,159	24,210	3,170
	(58.7)	(23.5)	(66.2)	(23.6)	(67.1)	(22.8)
विदेशी बैंक	494	1,206	804	292	2,899	154
	(5.5)	(2.7)	(5.9)	(1.1)	(8.1)	(1.1)
वित्तीय संस्थान	9	1,178	10	888	1	-
	(0.1)	(2.6)	(0.1)	(3.4)	-	-
लघु वित्त बैंक	155	30	311	31	1,019	64
	(1.7)	(0.1)	(2.3)	(0.1)	(2.8)	(0.5)
भुगतान बैंक	30	1	68	7	472	35
	(0.3)	-	(0.5)	-	(1.3)	(0.3)
स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	2	-	-	2	-
	-	-	-	-	-	-
कुल	**9,046**	**45,358**	**13,564**	**26,127**	**36,075**	**13,930**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

-: शून्य/नगण्य।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. आंकड़े इस अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी से संबंधित हैं।
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बताए गए आंकड़े उनके द्वारा संपादित संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
4. किसी वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग वर्ष से कई वर्ष पहले घटित हो सकती है।
5. रिपोर्ट की गई राशि में हुए नुकसान की राशि नहीं दिखाई गई है। वसूली के आधार पर, हुआ नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, यह भी जरूरी नहीं है कि इसमें शामिल पूरी राशि को उद्देश्य से इतर लगाया गया हो।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी।

सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले - परिचालन क्षेत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

परिचालन क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम	3,782	43,272	4,090	24,685	4,133	11,772
	(41.8)	(95.4)	(30.2)	(94.5)	(11.5)	(84.5)
तुलन-पत्र से इतर	21	1,077	14	285	11	256
	(0.2)	(2.4)	(0.1)	(1.1)	-	(1.8)
विदेशी मुद्रा लेनदेन	7	7	13	12	19	38
	(0.1)	-	(0.1)	-	(0.1)	(0.3)
कार्ड/इंटरनेट	3,596	155	6,699	277	29,082	1,457
	(39.8)	(0.3)	(49.4)	(1.1)	(80.6)	(10.4)
जमाराशियां	471	493	652	258	2,002	240
	(5.2)	(1.1)	(4.8)	(1.0)	(5.5)	(1.7)
अंतर-शाखा खाते	3	2	3	-	29	10
	-	-	-	-	(0.1)	(0.1)
नकद	649	93	1,485	159	484	78
	(7.2)	(0.2)	(10.9)	(0.6)	(1.3)	(0.6)
चेक/डीडी इत्यादि।	201	158	118	25	127	42
	(2.2)	(0.4)	(0.9)	(0.1)	(0.4)	(0.3)
समाशोधन खाते	16	1	18	3	17	2
	(0.2)	-	(0.1)	-	-	-
अन्य	300	100	472	423	171	35
	(3.3)	(0.2)	(3.5)	(1.6)	(0.5)	(0.3)
कुल	**9,046**	**45,358**	**13,564**	**26,127**	**36,075**	**13,930**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

-: शून्य/नगण्य.

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

2. सारणी VI.1 के फुटनोट 2-5 देखें।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.67 विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- एससीबी की साइबर घटना प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के लिए साइबर रेंज की स्थापना (*उत्कर्ष* 2.0); और
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीनी अधिगम (एमएल) का उपयोग करके सूक्ष्म-आंकड़ा विश्लेषिकी और अन्य समान उपयोग के मामलों पर सुपटेक डेटा टूल के एक स्वीट द्वारा पर्यवेक्षी क्षमताओं को बढ़ाना। (*उत्कर्ष* 2.0)

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.68 विभाग ने वर्ष के दौरान यूसीबी के प्रदर्शन की लगातार निगरानी की और एक सुरक्षित और सुप्रबंधित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए उपाय किए।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.69 विभाग ने वर्ष 2023-24 में शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- शहरी सहकारी बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण की शुरूआत की जांच करना (पैराग्राफ VI.70);

सारणी VI.3: 2022-23 और 2023-24 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या

(₹ करोड़)

2022-23		2023-24	
1	2	3	4
धोखाधड़ी की घटना	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की घटना	सम्मिलित राशि
से पहले 2013-14	1,444	से पहले 2013-14	2,133
2013-14	1,082	2013-14	1,327
2014-15	828	2014-15	1,616
2015-16	494	2015-16	951
2016-17	6,526	2016-17	858
2017-18	2,985	2017-18	781
2018-19	4,613	2018-19	1,196
2019-20	1,253	2019-20	835
2020-21	2,171	2020-21	807
2021-22	3,164	2021-22	844
2022-23	1,567	2022-23	1,073
		2023-24	1,509
कुल	**26,127**	**कुल**	**13,930**

टिप्पणी: 1. डेटा इस अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में है।
2. सारणी VI.1 के फुटनोट 3 और 5 देखें।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी।

- शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई रूपरेखा (एसएएफ) की समीक्षा करना (पैराग्राफ VI.70); तथा
- लेवल III और IV शहरी सहकारी बैंकों के लिए आईटी परीक्षण के दायरे/कवरेज का विस्तार करना (पैराग्राफ VI.71)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.70 वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के मौजूदा पर्यवेक्षी मूल्यांकन मॉडल की व्यापक समीक्षा की गई। अनुभव के आधार पर, शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण दृष्टिकोण की व्यवहार्यता की जांच रिज़र्व बैंक की एक आंतरिक समिति द्वारा की जा रही है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौजूदा एसएएफ की समीक्षा की गई।

VI.71 वर्ष के दौरान सभी लेवल IV यूसीबी और कुछ चुनिंदा लेवल III यूसीबी की आईटी जांच की गई। डिजिटल चैनलों के माध्यम से बढ़ते जोखिम के आधार पर, मोबाइल और/या इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले चुनिंदा स्तर III यूसीबी (उनके डिजिटल प्रसार के अनुसार) को सूचित किया गया था कि वे मौजूदा साइबर सुरक्षा रूपरेखा की कसौटी पर सीईआरटी-इन[11] पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों से एक खामी-मूल्यांकन करवाए गए और इन आउटलायर बैंकों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। अनुपालन की स्थिति में सुधार के आधार पर, प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.72 विभाग ने वर्ष 2024-25 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य की पहचान की है :

- साइबर/आईटी जोखिम मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.73 विभाग ने रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी की बारीकी से निगरानी करना जारी रखा।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.74 विभाग ने 2023-24 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की जांच करना और अनुपालन न करने वाली एनबीएफसी के विरुद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू करना (पैराग्राफ VI.75) ; और
- एनबीएफसी के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में हालिया संशोधन का प्रभाव मूल्यांकन (पैराग्राफ VI.76)।

[11] भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है , और साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.75 वर्ष के दौरान, विभाग ने एनबीएफसी की निगरानी को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए। पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करने की प्रक्रिया को उपयुक्त रूप से सुव्यवस्थित किया गया। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय संशोधित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू कर रहे हैं।

VI.76 एनबीएफसी[12] द्वारा रिपोर्ट की गई सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) पर नए आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का प्रभाव विश्लेषण किया गया। एनबीएफसी क्षेत्रक का जीएनपीए 31 मार्च, 2022 को सकल अग्रिम के 6.3 प्रतिशत से घटकर 30 सितंबर, 2022 को 5.9 प्रतिशत हो गया, जो नए मानदंडों के कार्यान्वयन की अंतिम निर्धारित तारीख थी। 31 मार्च, 2023 को जीएनपीए घटकर सकल अग्रिम का 5.0 प्रतिशत हो गया, और 30 सितंबर, 2023 को 4.6 प्रतिशत हो गया। चूंकि दैनिक आधार पर पिछले देय दिनों को चिह्नित करने की प्रणाली पहले से ही बड़े एनबीएफसी द्वारा लागू की गई थी, नए मानदंडों का रिपोर्ट की गई आस्ति गुणवत्ता पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। वर्ष 2022-23 के दौरान एनबीएफसी क्षेत्रक के सकल अग्रिमों में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि का भी जीएनपीए स्तर पर शमन-प्रभाव पड़ा।

अन्य पहल

एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियामकीय रूपरेखा

VI.77 22 अक्तूबर 2021 को एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित नियामकीय रूपरेखा में बताई गई प्रविधि के आधार पर अपर लेयर में एनबीएफसी की पहचान के लिए मूल्यांकन 2023-24 के दौरान किया गया था। मूल्यांकन में आस्ति के आकार के आधार पर शीर्ष 10 एनबीएफसी और कुल एक्सपोजर के आधार पर 50 एनबीएफसी के नमूने को शामिल किया गया। मूल्यांकन के बाद, एनबीएफसी-अपर लेयर में वर्गीकरण के लिए 15 कंपनियों की पहचान की गई।

सरकारी एनबीएफसी तक पीसीए फ्रेमवर्क का विस्तार

VI.78 रिज़र्व बैंक ने 14 दिसंबर 2021 को एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क लागू किया। इस फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और सरकारी एनबीएफसी (बेस लेयर वालों को छोड़कर) तक इसे विस्तारित किया गया। यह फ्रेमवर्क 1 अक्तूबर 2024 से लागू हेगा।

2024 -25 के लिए कार्यसूची

VI.79 विभाग ने 2024-25 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य की पहचान की है:

- एनबीएफसी की लाभप्रदता पर 16 नवंबर 2023 के परिपत्र द्वारा निर्धारित बढ़े हुए जोखिम भार के प्रभाव का आकलन।

सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी पहल

VI.80 एक एकीकृत डीओएस का संचालन किया गया है जिसमें बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी की निगरानी एक ही विभाग के तहत समग्र तरीके से की जा रही है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.81 विभाग ने 2023-24 में सभी एसई के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- आंतरिक और बाह्य इनपुट के आधार पर रेटिंग मॉडल सहित पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.82] ;
- प्रक्रिया लेखा-परीक्षा और अनुपालन परीक्षण को चरणबद्ध तरीके से लागू करके क्षेत्र/एसई (विशेषकर एससीबी के अनुरूप एनबीएफसी और यूसीबी के लिए) में पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का अंशांकित सामंजस्य (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.82];

[12] यह विश्लेषण जमाराशि स्वीकार करने वाली और जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (पीडी सहित) और सीआईसी के आंकड़ों पर आधारित है।

- केवाईसी/एएमएल और साइबर/आईटी जोखिमों से संबंधित एसई के प्रत्यक्ष मूल्यांकन को सुव्यवस्थित और मजबूत करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.83] ;
- पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए विभिन्न विश्लेषिकी और सुपटेक पहलों को लागू करना (पैराग्राफ VI.84); और
- साइबर ड्रिल के लिए साइबर रेंज की स्थापना, साइबर क्षेत्रक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एस-एसओसी) को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करना और एसई के लिए फ़िशिंग अनुकूलन अभ्यास सम्पन्न करने सहित एसई में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना (पैराग्राफ VI.85)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.82 पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल की व्यापक समीक्षा पूरी की गई। समीक्षा के आधार पर संशोधित मॉडल वर्ष के दौरान प्रस्तुत किया गया। एसई सेगमेंट में (विशेष रूप से एनबीएफसी और एससीबी के अनुरूप यूसीबी के लिए) पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं का एक सुनिर्धारित सामंजस्य स्थापित किया गया था, जिसके कारण यूसीबी और एनबीएफसी के लिए प्रक्रिया लेखा-परीक्षा और अनुपालन परीक्षण रूपरेखा की चरणबद्ध शुरुआत हुई।

VI.83 केवाईसी/एएमएल और आईटी/साइबर जोखिम पर्यवेक्षण के प्रत्यक्ष मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए:

- बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के आंतरिक हितधारकों के लिए प्रमुख केवाईसी/एएमएल और आईटी जोखिमों को उजागर करने के लिए प्रत्यक्ष जांच रिपोर्ट के प्रारूप को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया;
- आईटी पर्यवेक्षण के लिए, परोक्ष विवरणियों में शामिल जोखिमों से कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया गया। परोक्ष विवरणियों का उपयोग प्रारंभिक इनपुट के रूप में किया गया ताकि एक केंद्रित प्रत्यक्ष आईटी जांच की जा सके, जिसे जोखिम धारणा और विश्लेषण के आधार पर बैंकों के वृहत प्रत्यक्ष मूल्यांकन द्वारा अनुपूरित किया गया; तथा
- साइबर सुरक्षा संवर्धन योजना (सीएसएपी) आरंभ की गई, जिसमें आईटी जांच में पाई गई प्रमुख कमियों को विशिष्ट समय-सीमा के साथ उजागर किया गया। अर्ध-वार्षिक अनुपालन मूल्यांकन किया गया और अनुपालन न कर पाने वाले एसई को इसमें तेजी लाने के लिए उचित सुझाव दिये गए।

VI.84 रिज़र्व बैंक का लक्ष्य जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया को मानकीकृत करने के उद्देश्य से डेटा संग्रह और विश्लेषणात्मक कार्यों को प्रभावी ढंग से मापित/एकीकृत करके जोखिम हिस्से के लिए एसई का एक समग्र दृष्टिकोण तैयार करना है। इस उद्देश्य के लिए, ग्राहक आचरण, केवाईसी/एएमएल, अभिशासन प्रभावशीलता और संबंधित पार्टी लेनदेन के क्षेत्रों में उपयोग के मामलों की पहचान की गई, जिन्हें एमएल मॉडल का उपयोग करके विकसित किया जा रहा है।

VI.85 वर्ष के दौरान, विभाग ने एसई की साइबर सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें साइबर ड्रिल के आयोजन के लिए साइबर रेंज की स्थापना की शुरुआत, एस-एसओसी को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच करना और एसई के लिए फ़िशिंग अनुकूलन अभ्यास आयोजित करना शामिल हैं। 40 एसई के सार्वजनिक एप्लिकेशनों[13] के लिए पहले वर्ष के लिए साइबर टोही अभ्यास पूरा हो गया है।

[13] सार्वजनिक नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट पर पहुँचा जा सकता है।

अन्य पहल

आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश और आईटी प्रशासन, जोखिम नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश

VI.86 आरई अपने व्यवसायों, उत्पादों और सेवाओं में तीसरे पक्ष पर बढ़ती निर्भरता के साथ-साथ बड़े पैमाने पर आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) का उपयोग कर रहे हैं जो आरई को विभिन्न जोखिमों के प्रति एक्सपोज करता है। इसे देखते हुए 10 अप्रैल, 2023 को इस संबंध में एक मास्टर निदेश के रूप में दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, आईटी प्रशासन और नियंत्रण, कारोबार निरंतरता प्रबंधन और सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा पर 7 नवंबर, 2023 को जारी निर्देशों को मास्टर निदेश के रूप में अद्यतन और समेकित किया गया था।

उन्नत विश्लेषिकी का उपयोग

VI.87 रिज़र्व बैंक प्रभावी और कुशल पर्यवेक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। एसई के बोर्ड और उप-समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त के जोखिम टिप्पणियों, एसई के विभिन्न कार्यों पर बोर्ड की निगरानी की प्रभावशीलता का आकलन और पर्यवेक्षी चिंताओं पर एसई के बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श के सत्यापन के लिए उन्नत विश्लेषण किया गया था।

एसएकेएआर फ्रेमवर्क के तहत केवाईसी/एएमएल जोखिमों के समग्र मूल्यांकन के लिए 'उच्च' जोखिम वाले एनबीएफसी और यूसीबी का प्रत्यक्ष निरीक्षण

VI.88 एसई के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए अपनाए गए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, एससीबी के प्रत्यक्ष मूल्यांकन के अलावा, पहली बार चुनिंदा एनबीएफसी और यूसीबी का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। परोक्ष जोखिम मूल्यांकन के साथ केवाईसी/एएमएल जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण संबंधित क्षेत्र में केवाईसी/एएमएल जोखिमों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और पर्यवेक्षी तीव्रता तय करने में सहायता करता है। इसके अलावा, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की एक मूल्यांकन टीम ने केवाईसी /एएमएल जोखिम मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं का व्यापक मूल्यांकन किया (बॉक्स VI.4)।

बॉक्स VI.4

केवाईसी-एएमएल जोखिम मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए एफएटीएफ द्वारा भारत का पारस्परिक मूल्यांकन

वर्तमान में, भारत एफएटीएफ द्वारा 'पारस्परिक मूल्यांकन' (एमई) प्रक्रिया के अधीन है। एमई प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, एफएटीएफ की सिफारिशों (तकनीकी अनुपालन) के अनुपालन के साथ-साथ धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण/प्रसार वित्तपोषण उद्देश्यों के लिए वित्तीय क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने में क्षेत्राधिकार द्वारा लागू किए गए एएमएल/सीएफटी[14] / सीपीएफ[15] रूपरेखा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन शामिल है [प्रभावशीलता मूल्यांकन (ईए)]।

यद्यपि तकनीकी अनुपालन के लिए मूल्यांकन सहायक साक्ष्य के साथ-साथ अधिकतर लिखित दस्तावेजों की प्रस्तुति पर आधारित होता है, तथापि ईए में मूल्यांकन किए गए देश का प्रत्यक्ष दौरा भी शामिल होता है। एफएटीएफ मूल्यांकन टीम द्वारा प्रत्यक्ष दौरा नवंबर 2023 के दौरान किया गया था और इसमें क्षेत्र-वार विनियामकों और चुनिंदा आरई के साथ व्यापक बातचीत शामिल थी। ईए प्रक्रिया में, क्षेत्राधिकार की क्षमता की गहन जांच शामिल है ताकि यह निरूपित किया जा सके कि इसके एएमएल/सीएफटी उपाय 'तत्काल परिणाम' के रूप में परिभाषित परिणामों के एक समुच्चय के मुकाबले वांछित स्तर के परिणाम और

(जारी)

[14] आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना।

[15] प्रतिप्रसार वित्तपोषण।

उपलब्धि स्तर प्रदान करते हैं। ऐसे 11 'तत्काल परिणामों' में से, तत्काल परिणाम 3 बताता है कि पर्यवेक्षक अपने जोखिमों के अनुरूप एएमएल/सीएफटी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए वित्तीय संस्थानों की उचित पर्यवेक्षण, निगरानी और विनियमन करते हैं।

रिज़र्व बैंक ने एफएटीएफ मूल्यांकन टीम के साथ सक्रिय रूप से सहभागिता की। मूल्यांकन के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें विभाग के भीतर समर्पित कार्यात्मक केवाईसी/एएमएल समूह शामिल था, जो मुख्य रूप से इकाई स्तर के साथ-साथ क्षेत्र-वार केवाईसी/एएमएल जोखिम मूल्यांकन पर केंद्रित था। एसई के जोखिम प्रोफाइलिंग में विश्लेषणात्मक मॉडल का उपयोग, 'उच्च' जोखिम वाले और अन्य पहचानी गई संस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण, विवेकपूर्ण पर्यवेक्षकों को पर्यवेक्षी इनपुट, एसई को उनके अंतर्निहित जोखिमों (आउटलायर के माध्यम से) की पहचान करने में प्रतिपुष्टि और मार्गदर्शन की प्रणाली और कमियों का समाधान करने में नियंत्रण और प्रक्रियाओं को मजबूत करना कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे, जिन पर एफएटीएफ मूल्यांकन टीम के साथ उनके प्रत्यक्ष दौरे के समय विस्तार से चर्चा की गई।

एसई के साथ जुड़ाव

VI.89 पर्यवेक्षी/सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य पहचान की गई कमियों को आरंभिक चरण में दूर करने के लिए एसई को मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करना है। पर्यवेक्षी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एसई के साथ लगातार और व्यापक बातचीत एक महत्वपूर्ण साधन बनी हुई है। एस.ई. के साथ संचार का दायरा और आवृत्ति काफी हद तक उनके आकार, जटिलता और जोखिम प्रोफ़ाइल द्वारा निर्धारित होते हैं (बॉक्स VI.5)।

बॉक्स VI.5

एसई के साथ पर्यवेक्षी संलग्नता की बदलती रूपरेखा

एसई के साथ पर्यवेक्षी सहभागिता प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और समयबद्धता के व्यापक सिद्धांतों का पालन करता है। पिछले कुछ वर्षों में, एसई के साथ सहभागिता के क्षेत्र में संवाद स्तर और आवृत्ति दोनों के मामले में काफी वृद्धि हुई है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बदलती वास्तविकताओं को अपनाने के लिए रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी दृष्टिकोण सतत विकसित हो रहा है। परिणामस्वरूप, एसई के साथ पर्यवेक्षी जुड़ाव की रूपरेखा लगातार विकसित हो रही है, जो नीचे दिए गए पारंपरिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है:

एसई में अभिशासन रूपरेखा का निरंतर मूल्यांकन

चूंकि अभिशासन सर्वोपरि है और पर्यवेक्षी सरोकारों के मूल कारण में है, इसलिए रिज़र्व बैंक ने एसई के प्रबंधन और निदेशकों के साथ अपनी सहभागिता को नई दिशा दी। वर्ष के दौरान, पीएसबी, पीवीबी और टियर 3, 4 यूसीबी के बोर्डों के निदेशकों के लिए 'बैंकों में अभिशासन - सतत विकास और स्थिरता को बढ़ावा' विषय पर सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें रिज़र्व बैंक के गवर्नर और शीर्ष प्रबंधन ने भाग लिया। गवर्नर ने पीएसबी, पीवीबी, अपर लेयर (एचएफसी सहित) और चुनिंदा सरकारी एनबीएफसी, राज्यों के यूसीबी संघों के प्रमुखों और यूसीबी के सीईओ के प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ भी बैठकें कीं। रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों (एनडी) और अतिरिक्त निदेशकों (एडी) के लिए समय-समय पर सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। इन बैठकों में, एसई को जोखिमों की शीघ्र पहचान और शमन को सक्षम करने के लिए अभिशासन संरचना को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

आउटलायर एसई के साथ बैठकें

बैंकों और गैर-बैंकों के बीच आरंभिक और उभरती कमज़ोरियों तथा क्षेत्रक दबाव की घटनाओं की पहचान करने के लिए परोक्ष मूल्यांकन में विश्लेषण के दायरे को बढ़ाया गया। इस उद्देश्य के लिए, डेटा-संचालित निर्णय लेने, जोखिमों की पहचान करने और वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और आंकड़ा विश्लेषिकी का लाभ उठाया जा रहा है। इसके अलावा, एसई के व्यवसाय मॉडल की बारीकी से जांच और बताई गई जोखिम वहन क्षमता के साथ इसके संरेखण के बारे में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

रिज़र्व बैंक का शीर्ष प्रबंधन उपर्युक्त मूल्यांकनों में आउटलायर के रूप में पहचाने गए एसई के साथ बैठकें करता है।

आश्वासन प्राधिकारी

चूँकि एसई के आश्वासन कार्य रिज़र्व बैंक की विस्तारित पर्यवेक्षी शाखा के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए आंतरिक आश्वासन कार्यों को

(जारी)

मजबूत करना हाल के वर्षों में एक पर्यवेक्षी प्राथमिकता रही है। वर्ष के दौरान, पर्यवेक्षी अपेक्षाओं से अवगत कराने के लिए बैंकों के आश्वासन पदाधिकारियों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भी एसई के आश्वासन पदाधिकारियों के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

सुनिर्धारित निरंतर पर्यवेक्षण

इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षी टीमें प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान कई स्तरों पर एसई के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं। जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण रूपरेखा के तहत, संरचित वार्षिक पर्यवेक्षी चक्र के अलावा, पर्यवेक्षक उभरती स्थितियों के आधार पर एसई के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ते हैं।

संक्षेप में, विभिन्न स्तरों पर एसई के साथ जुड़ाव प्रारंभिक और प्रभावी हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन संलग्नताओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि संभावित पर्यवेक्षी चिंताओं को कम करने में मदद करती है और/या एसई को वांछनीय पर्यवेक्षी उद्देश्यों की ओर प्रेरित करने के लिए और अधिक उन्नत पर्यवेक्षी हस्तक्षेपों को बढ़ाती है। साथ ही, महत्वपूर्ण हितधारकों से समर्थन प्राप्त करने से स्वीकार्यता बढ़ती है, लागत कम होती है और इसलिए, पर्यवेक्षी हस्तक्षेप अधिक प्रभावी हो जाता है।

घरेलू वित्तीय विनियामकों के साथ अंतर-विनियामकीय सहयोग

VI.90 रिज़र्व बैंक अन्य घरेलू वित्तीय विनियामकों के साथ मिलकर काम कर रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, घरेलू विनियामकों ने अंतर-विनियामक मंच (आईआरएफ) की 12वीं बैठक के दौरान वित्तीय क्षेत्र में प्रणाली-व्यापी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा, बैंक के नेतृत्व वाले वित्तीय समूहों के साथ आईआरएफ बैठकों के दौरान एसई से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की गई।

लक्षित आकलन

VI.91 रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी जोर इकाई-विशिष्ट मुद्दों पर नज़र रखते हुए प्रणाली-व्यापी जोखिम निगरानी और शमन पर रहा है। इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने लक्षित विषयगत मूल्यांकन की एक प्रणाली स्थापित की है जिसका उद्देश्य प्रणाली-व्यापी चिंताओं के मूल कारणों की जांच करना और साथ ही सम्पूर्ण प्रणाली में कुछ एसई में अज्ञात जोखिम निर्माण को समझना है। इन अध्ययनों से सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने में मदद मिली है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.92 विभाग ने 2024-25 में सभी एसई के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- आरई में सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा-परीक्षा रूपरेखा की जांच करना;
- आरई के लिए डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जांच करना;
- परोक्ष विवरणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) विकसित करना (*उत्कर्ष* 2.0);
- प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के साथ परोक्ष विश्लेषिकी का गहन एकीकरण; तथा
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) डेटाबेस के साथ पर्यवेक्षी डेटा का सत्यापन (*उत्कर्ष* 2.0)।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.93 ईएफडी की स्थापना प्रवर्तन कार्रवाई को पर्यवेक्षी प्रक्रिया से अलग करने तथा लागू नीतियों के उल्लंघन की पहचान करने तथा उसे संसाधित करने के लिए एक संरचित, नियम-आधारित दृष्टिकोण को अपनाने तथा रिज़र्व बैंक में इसे निरंतर आधार पर लागू करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रवर्तन का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, सार्वजनिक हित और उपभोक्ता संरक्षण के व्यापक सिद्धांतों के भीतर नियमों और विनियमों के साथ विनियमित संस्थाओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना है ।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.94 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- प्रवर्तन के लिए स्केल-आधारित दृष्टिकोण को लागू करने का प्रयास किया जाए (पैराग्राफ VI.95)।

कार्यान्वयन स्थिति

VI.95 विभिन्न प्रकार के आरई [बैंक, एनबीएफसी, एचएफसी, एआरसी, फैक्टर, सीआईसी, भुगतान प्रणाली संचालक (पीएसओ)] के लिए उनके आकार, जटिलता, परस्पर जुड़ाव, गतिविधियों का विस्तार और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई के लिए स्केल-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। स्केल-आधारित प्रवर्तन रूपरेखा का मसौदा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

VI.96 वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग ने विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों और क़ानून के प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन[16] के लिए कुल ₹86.1 करोड़ की राशि के 281 जुर्माने लगाए (सारणी VI.4)।

अन्य पहल

VI.97 विभाग ने ईएफडी केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में मामलों को संसाधित करने वाले अधिकारियों के लिए प्रवर्तन कार्रवाई पर कुछ कार्यशालाएँ आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य प्रासंगिक कानूनी और प्रवर्तन-संबंधी पहलुओं पर विचार साझा करके प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाना था। विभाग ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को उसके निरीक्षण अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए संकाय सहायता भी प्रदान की।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.98 2024-25 के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है:

सारणी VI. 4 : प्रवर्तन कार्रवाई

विनियमित संस्था	जुर्माने की संख्या	कुल जुर्माना (₹ करोड़)
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	16	23.68
निजी क्षेत्र के बैंक	12	24.90
विदेशी बैंक	3	7.04
भुगतान बैंक	1	5.39
लघु वित्त बैंक	1	0.29
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4	0.12
सहकारी बैंक	215	12.07
एनबीएफसी	22	11.53
सीआईसी	4	1.01
एचएफसी	3	0.08
कुल	**281**	**86.11**

स्रोत: आरबीआई।

- व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, प्रवर्तन के लिए स्केल-आधारित रूपरेखा लागू की जाएगी।

5. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.99 सीईपीडी रिज़र्व बैंक के आरई के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है; आरई के आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के कामकाज की निगरानी करता है; लोकपाल कार्यालयों के प्रदर्शन पर निगरानी रखता है और साथ ही 'रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' (आरबी-आईओएस) को लागू करता है; तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा और सुरक्षा पर मौजूदा विनियमों के साथ-साथ ग्राहक शिकायतों के निवारण के तरीकों पर सार्वजनिक जन-जागरूकता लाता है।

[16] उदाहरण के लिए, उनमें से कुछ में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 ए; बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा; एक्सपोजर मानदंड और आईआरएसी मानदंड; भारतीय रिज़र्व बैंक [अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)] निर्देश, 2016; भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश 2016; सीआरआईएलसी पर सूचना रिपोर्टिंग; सीआईसी को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करना; ग्राहक संरक्षण-अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना; निदेशक संबंधित ऋण; निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी; और आवास वित्त कंपनियां निदेश, 2010 (एनएचबी) का उल्लंघन शामिल है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

VI.100 विभाग ने 2023-24 के लिए *उत्कर्ष* 2.0 के तहत निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए थे :

- ग्राहक सेवा पर मौजूदा रिज़र्व बैंक विनियामकीय दिशानिर्देशों की समीक्षा, समेकन और अद्यतीकरण (पैराग्राफ VI.101);
- बढ़ी हुई डेटा उपयोगिता और विश्लेषण के लिए गुप्त दौरों के माध्यम से संकलित डेटा का डिजिटलीकरण (पैराग्राफ VI.101);
- आपदा मोचन (डीआर) और व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) सुविधा सहित स्थानीय भाषाओं के लिए दो अतिरिक्त स्थानों पर रिज़र्व बैंक संपर्क केंद्र की स्थापना (पैराग्राफ VI.102); और
- विभिन्न आरई प्रकारों पर लागू आंतरिक लोकपाल योजनाओं की समीक्षा और एकीकरण (पैराग्राफ VI.103)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.101 बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र 2015 में प्रकाशित हुआ था। रिज़र्व बैंक ग्राहक सेवा दिशानिर्देशों की समीक्षा, समेकन और अद्यतीकरण में समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है। रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से देश में बैंक शाखाओं में गुप्त दौरे किए जाते हैं। वास्तविक समय डेटा उपलब्धता और बेहतर डेटा विश्लेषण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण को डिजिटल कर दिया गया है। प्रभावी डेटा संग्रह के लिए गुप्त दौरों के लिए जांच सूची को भी नियमित रूप से संशोधित किया जा रहा है । दौरों के निष्कर्षों को अब पर्यवेक्षी और विनियामकीय सुझाव के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है ।

VI.102 ग्राहकों की बढ़ती कॉल के प्रत्युत्तर में रिज़र्व बैंक के संपर्क केंद्र ने ग्राहकों की संतुष्टि और परिचालन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यनीतिक विकास किया है। चंडीगढ़ में मौजूदा स्वचलित संपर्क केंद्र को अत्याधुनिक सुविधा में अपग्रेड किया गया, जिसका विस्तार भुवनेश्वर और कोच्चि में किया गया और जिसे डीआर और बीसीपी सुविधाओं के रूप में स्थापित किया गया। उन्नत संपर्क केंद्र रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण में काम करने वाले आउटसोर्स एजेंटों के हाइब्रिड मोड में काम करता है। गुणवत्ता विश्लेषक और संपर्क केंद्र प्रबंधक जैसी विशेष भूमिकाएँ ग्राहक बातचीत में उत्कृष्टता पर जोर देते हुए सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने में और योगदान देती हैं।

VI.103 आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 2018 में बैंकों के लिए, 2019 में गैर-बैंक प्रणालीगत प्रतिभागियों, 2021 में चुनिंदा एनबीएफसी और 2022 में सीआईसी के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र को संस्थागत बनाया। आरई की विभिन्न श्रेणियों के लिए वर्तमान में लागू आईओ रूपरेखा पर दिशानिर्देशों में परिचालन मामलों पर कुछ भिन्नताएं होने के साथ-साथ समान डिजाइन विशेषताएं हैं। मौजूदा आईओ दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से मिली सीख के आधार पर, आईओ तंत्र पर विभिन्न आरई पर लागू निर्देशों को सुसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 'भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल), 2023' पर मास्टर निदेश 29 दिसंबर, 2023 को जारी किया गया था, जो आईओ तक शिकायतों को भेजने के लिए निर्धारित समय-सीमा; आईओ के पास शिकायतें भेजने से बाहर रखने; आईओ की अस्थायी अनुपस्थिति; आईओ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता; और उप आंतरिक लोकपाल के पद की शुरूआत के अलावा, रिपोर्टिंग प्रारूपों का अद्यतीकरण जैसे मामलों में एकरूपता लाता है।

प्रमुख गतिविधियाँ

आरबीआई लोकपाल (ओआरबीआईओ) के कार्यालयों की शुरुआत/पुनर्गठन

VI.104 रिज़र्व बैंक ने ओआरबीआईओ की भौगोलिक उपस्थिति की समीक्षा की ताकि शिकायतों की प्राप्ति की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा सके। तदनुसार, शिमला में एक नया ओआरबीआईओ चालू किया गया और चेन्नई और कोलकाता

में अतिरिक्त ओआरबीआईओ शुरू किए गए हैं। सभी लोकपाल कार्यालय 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' के वृहत सिद्धांत के तहत कार्य करते हैं ।

आरई में ग्राहक सेवा मानकों और प्रथाओं की समीक्षा के लिए समिति

VI.105 रिज़र्व बैंक ने 23 मई, 2022 को आरई में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट 5 जून 2023 को सार्वजनिक किया गया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के साथ-साथ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए इनकी जांच की जा रही है।

ग्राहक केंद्रित पहल

VI.106 रिज़र्व बैंक ने ग्राहक सेवा और संतुष्टि में सुधार के लिए 2021-22 से 2023-24 के दौरान 130 ग्राहक केंद्रित पहल की (बॉक्स VI.6)।

बॉक्स VI.6

भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्राहक केंद्रित पहल

ग्राहक केंद्रितता ग्राहकों की जरूरतों, प्राथमिकताओं और व्यवहारों की समझ के आधार पर समाधान प्रदान करने के बारे में है (विश्व बैंक, 2014)। ग्राहक के दृष्टिकोण से छह सामान्य मुख्य परिणाम सामने आते हैं (विश्व बैंक, 2020): (ए) उपयुक्तता और औचित्य (अर्थात, सस्ती और उचित गुणवत्ता वाली सेवाओं तक पहुंच); (बी) विकल्प (अर्थात, उत्पादों/सेवाओं की शृंखला होना); (सी) सुरक्षा और संरक्षा (अर्थात, पैसा और जानकारी सुरक्षित रखी जाती है, और सेवा प्रदाता जानकारी की गोपनीयता का सम्मान करते हैं); (डी) निष्पक्षता और सम्मान (अर्थात, सम्मान के साथ व्यवहार करना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना); (ई) आवाज (अर्थात, आसानी से सुलभ चैनल के माध्यम से संचार और न्यूनतम लागत के साथ समस्याओं का त्वरित समाधान); और (एफ) उद्देश्य को पूरा करना (अर्थात, वित्तीय उत्पादों या आघातों का प्रबंधन करने या अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होना)। इन मुख्य परिणामों के अनुरूप, ओईसीडी/जी20 'वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण पर उच्च-स्तरीय सिद्धांत' को 2022 में अद्यतित किया गया और सरकार, निगरानी निकाय और वित्तीय सेवा प्रदाताओं (ओईसीडी, 2024) के लिए 12 सिद्धांतों[17] की सिफारिश की गई।

रिज़र्व बैंक की ग्राहक केंद्रित नीतियाँ

एक पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक होने के नाते रिज़र्व बैंक के पास विविध कार्यात्मक अधिदेश है। ग्राहक सेवा, ग्राहक संतुष्टि और ग्राहक केंद्रीयता जैसी अवधारणाओं को बैंकिंग क्षेत्र की शब्दावली में शामिल किए जाने से बहुत पहले (लीलाधर, 2007) जमाकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949[18] के तहत रिज़र्व बैंक को सौंपी गई। विनियमित संस्थाओं (आरई) में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता के लिए रिज़र्व बैंक के स्थायी सरोकार के चलते ग्राहक सेवा पर विभिन्न समितियों[19] की स्थापना सहित दशकों से कई पहल जारी हैं। ग्राहक के साथ उचित व्यवहार और उचित कीमत पर ग्राहक सेवा की पर्याप्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में विनियामकों का समुचित हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं,

(जारी)

[17] नामतः (1) कानूनी, विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचा; (2) निरीक्षण निकायों की भूमिका; (3) पहुंच और समावेशन; (4) वित्तीय साक्षरता और जागरूकता; (5) प्रतिस्पर्धा; (6) उपभोक्ताओं के साथ न्यायसंगत और उचित व्यवहार; (7) प्रकटीकरण और पारदर्शिता; (8) गुणवत्ता वाले वित्तीय उत्पाद; (9) वित्तीय सेवा प्रदाताओं और मध्यवर्ती संस्थाओं का जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और संस्कृति; (10) धोखाधड़ी, घोटाले और दुरुपयोग के विरुद्ध उपभोक्ता आस्तियों की सुरक्षा; (11) उपभोक्ता डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा; और (12) शिकायतों का निपटान और निवारण।

[18] अधिनियम की धारा 35ए रिज़र्व बैंक को जनहित में या बैंकिंग नीति के हित में निर्देश देने या किसी बैंकिंग कंपनी के कामकाज को जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित होने से रोकने का अधिकार देती है। रिज़र्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए आरबीआई अधिनियम, 1934 और प्रणालीगत प्रतिभागियों के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत समान शक्तियां प्राप्त हैं।

[19] ग्राहक सेवा पर तलवार समिति (1975); बैंकों में ग्राहक सेवा पर गोइपोरिया समिति (1990); बैंकों में ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति (2010); और रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए कानूनगो समिति (2023)। कानूनगो समिति द्वारा ग्राहक सेवा पर विनियामकीय संरचना की समीक्षा से पता चला कि 'यह काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है और अन्य प्राधिकार क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण विनियमन के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है'। इस समिति की कुछ सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं, जबकि अन्य जांच की प्रक्रिया में हैं।

जैसे 'रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना[20] (आरबी-आईओएस)' के अंतर्गत 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' प्रणाली; विनियमित संस्थाओं की आंतरिक शिकायत निवारण (आईजीआर) प्रणाली; तथा ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिताएँ। 2006 में रिज़र्व बैंक में ग्राहक सेवा विभाग के रूप में स्थापित उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) आईजीआर तंत्र की निगरानी के अलावा, अपने आरई के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नीति दिशानिर्देश तैयार करता है; लोकपाल कार्यालयों की निगरानी करता है और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं/ग्राहक सेवा और सुरक्षा पर मौजूदा नियमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता का प्रसार करता है। बैंक प्रभारों/शुल्कों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए अपनी शाखाओं के साथ-साथ अपनी वेबसाइटों के होम पेज पर भी विभिन्न सेवा प्रभारों और शुल्कों का विवरण निरंतर आधार पर प्रदर्शित करना और अद्यतन करना अनिवार्य कर दिया है। रिज़र्व बैंक द्वारा एक "ग्राहक अधिकारों का चार्टर" भी तैयार किया गया है जो बैंक ग्राहकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत, व्यापक सिद्धांतों को स्थापित करता है, और बैंक ग्राहकों के निम्नलिखित पांच बुनियादी अधिकारों को प्रतिपादित करता है: (i) उचित व्यवहार; (ii) पारदर्शिता; निष्पक्ष और ईमानदार कार्य-व्यवहार; (iii) उपयुक्तता; (iv) गोपनीयता; और (v) शिकायत निवारण और मुआवज़ा।

वित्तीय समावेशन (वित्तीय साक्षरता सहित) को बढ़ाने की दिशा में निरंतर ठोस प्रयास किए जाते हैं, साथ ही ग्राहक सुरक्षा और संरक्षण, मुद्रा के विनिमय और वितरण, और विशेष रूप से डिजिटल लेनदेन के बढ़ते उपयोग के बीच धोखेबाजों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के बारे में जनता को जागरूक बनाने के लिए रिज़र्व बैंक की विभिन्न पहलों पर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बैंकों को विशेष रूप से दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर तक (डोरस्टेप) बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) में, रिज़र्व बैंक द्वारा 130 ग्राहक केंद्रित कदम उठाए गए (अनुलग्नक III)।

संदर्भ:

1. लीलाधर, वी. (2007), 'ग्राहक केंद्रीयता और रिज़र्व बैंक', आरबीआई बुलेटिन, नवंबर।
2. ओईसीडी (2024), 'वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण संबंधी उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर परिषद की सिफारिशें', ओईसीडी/विधिक/0394।
3. आरबीआई (2023), 'ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा समिति' (अध्यक्ष: बी.पी. कानूनगो)।
4. आरबीआई (2014), 'आरबीआई ने ग्राहक अधिकारों का चार्टर जारी किया', प्रेस प्रकाशनी, 3 दिसंबर।
5. विश्व बैंक (2020), 'उपभोक्ता संरक्षण विनियमन को अधिक ग्राहक-केंद्रित बनाना', वर्किंग पेपर, सीजीएपी, जून।
6. विश्व बैंक (2014), 'वित्तीय समावेशन के लिए ग्राहक-केंद्रीयता', सीजीएपी, जून।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.107 वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग का निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है:

- शिकायत दर्ज करने में सहयोग बढ़ाने और निर्णयों तथा परिणामों में अधिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली में आगे सुधार करना (*उत्कर्ष* 2.0);
- विनियमित संस्थाओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण मूल्यांकन मैट्रिक्स (*उत्कर्ष* 2.0) विकसित करना;
- ग्राहक सेवा में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण रूपरेखा को मजबूत करना;
- ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कम शिकायतों के कारणों का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण करवाना; तथा
- आरई और ओआरबीआईओ से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर पुनर्निर्देशित राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम की समीक्षा और कार्यान्वयन।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.108 डीआईसीजीसी, जिसे डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक

[20] नई योजना के तहत, देश भर में शामिल आरई के ग्राहक एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) या चंडीगढ़ में केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) में एक ही भौतिक/ईमेल पते के माध्यम से रिज़र्व बैंक लोकपाल के पास अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा, इन आरई के खिलाफ "सेवा में कमी" के आधार पर सभी शिकायतें अब पूर्ववर्ती योजनाओं के तहत आधारों की एक विशिष्ट सूची के साथ स्वीकार्य हैं।

कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है, जमा बीमा प्रणाली का प्रबंधन करती है। विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि के लिए सुरक्षा का बीमा देकर, यह वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखती है। डीआईसीजीसी द्वारा विस्तारित जमा बीमा उन सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को कवर करता है जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,997 थी, जिसमें 140 वाणिज्यिक बैंक (12 एसएफबी, 6 पीबी, 43 आरआरबी एवं 2 एलएबी सहित) और 1,857 सहकारी बैंक (1,472 शहरी सहकारी बैंक, 33 राज्य सहकारी बैंक एवं 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक) शामिल थे।

VI.109 भारत में जमा बीमा की वर्तमान सीमा 'समान क्षमता और समान अधिकार में'[21] बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता के लिए ₹5 लाख है। वर्तमान में, बीमा कवर 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय का 2.9 गुना है। 30 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार, संरक्षित खातों (281.8 करोड़) की संख्या कुल खातों की संख्या (287.9 करोड़) का 97.9 प्रतिशत थी। राशि के संदर्भ में, 30 सितंबर 2023 तक ₹90,32,340 करोड़ की कुल बीमित जमाराशियां ₹2,04,18,707 करोड़ की करयोग्य जमाराशियों[22] का 44.2 प्रतिशत थीं। 30 सितंबर 2023 के अनुसार, आरक्षित निधि अनुपात (निक्षेप बीमा निधि/बीमित जमाराशियां) 2.02 प्रतिशत थी।

VI.110 डीआईसीजीसी निक्षेप बीमा कोष (डीआईएफ) का निर्माण अपने अधिशेष, यानी करों को घटाकर प्रत्येक वर्ष व्यय पर (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान और संबंधित खर्चों का भुगतान) आय के आधिक्य (मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेश से ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्तियों से नकद वसूली) के हस्तांतरण के माध्यम से करता है। यह निधि परिसमापन/ समामेलन में लिए गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध होता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राप्त जमा बीमा प्रीमियम ₹23,879 करोड़ था, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि निगम द्वारा निपटाए गए कुल दावे ₹1,431.5 करोड़ थे। 31 मार्च 2024 को डीआईएफ का आकार ₹1,98,310 करोड़ (31 मार्च, 2023 को ₹1,69,602 करोड़) था।

6. निष्कर्ष

VI.111 रिज़र्व बैंक ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्र के विनियामकीय और पर्यवेक्षी रूपरेखा को और मजबूत करके वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए। आगे बढ़ते हुए, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं में दबाव के समाधान, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतीकरण और अपेक्षित ऋण हानि के क्षेत्रों में रूपरेखा जारी करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। सूक्ष्म-आंकड़ा विश्लेषिकी और अन्य समान उपयोग के मामलों पर सुपटेक डेटा टूल्स के एक सूट द्वारा पर्यवेक्षी क्षमताओं को बढ़ाने, एआई/एमएल का उपयोग करने और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के साथ परोक्ष विश्लेषिकी का एकीकरण करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, प्रवर्तन रूपरेखा को और मजबूत किया जाएगा। मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को दुरुस्त करने के साथ-साथ ग्राहक सेवा मानकों को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

[21] जमा खाते तब कहलाते हैं जब जमाकर्ता के पास एक या एक से अधिक प्रकार के जमा खाते होते हैं और बैंक की एक या एक से अधिक शाखाओं में उसके व्यक्तिगत नाम से होते हैं। इसमें मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर रखी गई जमा राशि भी शामिल है, जहां जमाकर्ता एकमात्र मालिक है। यदि जमाकर्ता के पास किसी फर्म के भागीदार/नाबालिग के अभिभावक/कंपनी के निदेशक/ट्रस्ट के ट्रस्टी/संयुक्त खाते के रूप में बैंक की एक या एक से अधिक शाखाओं में जमा खाते हैं, तो ऐसे खातों को अलग-अलग क्षमता और अलग-अलग अधिकार में रखा गया माना जाता है। संयुक्त खातों के मामले में, यदि व्यक्ति एक से अधिक संयुक्त खाते खोलते हैं जिनमें उनके नाम एक ही क्रम में नहीं हैं या व्यक्तियों का समूह अलग-अलग है, तो इन संयुक्त खातों में रखी गई जमा राशि को अलग-अलग क्षमता और अलग-अलग अधिकार में रखा गया माना जाता है।

[22] मूल्यांकन योग्य जमाराशियों में सभी बैंक जमाराशियां शामिल हैं, सिवाय (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियां; (ii) केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियां; (iii) अंतर-बैंक जमाराशियां; (iv) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशियां; और (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त जमाराशियां।

VII लोक ऋण प्रबंधन

केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में, रिज़र्व बैंक लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाजार विकास के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके से सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, पूरे बकाया डेट स्टॉक पर भारित औसत कूपन में मामूली वृद्धि हुई जबकि सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) का प्रतिफल कम हो गया। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। दीर्घावधि के निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए एक 50-वर्षीय दीर्घावधिक जी-सेक लाया गया । वर्ष के दौरान सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड निर्गम भी जारी रहा।

VII.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार और इस अधिनियम की धारा 21ए में किए गए प्रावधान के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के घरेलू ऋण का प्रबंधन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) में की गई व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों को तीन माह तक की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के रूप में अल्पावधिक ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम किया जा सके।

VII.2 वर्ष 2023-24 में, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बाज़ार उधार उनकी वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण अधिक रहा। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों और तंग घरेलू वित्तीय स्थितियों के बावजूद, रिज़र्व बैंक ने लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाजार विकास के तीन व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए बाजार उधार कार्यक्रम को गैर-विघटनकारी तरीके से पूर्ण करना सुनिश्चित किया। वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के लिए बाजार उधार का भारित औसत प्रतिफल 8 आधार अंक (बीपीएस) कम हो गया। रोलओवर जोखिम को कम करने के लिए बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को बढ़ाया गया। रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से वर्ष 2023-24 के दौरान ₹20,000 करोड़ की कुल राशि के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) जारी किए।

VII.3 शेष अध्याय को तीन खंडों में बांटा गया है। खंड 2 केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए ऋण प्रबंधन के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ वर्ष 2023-24 की कार्यसूची के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता है। खंड 3 में वर्ष 2024-25 में की जाने वाली प्रमुख पहलों को शामिल किया गया है, और अंतिम खंड में सारांश दिया गया है।

2. वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

VII.4 विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जी-सेक बाजार में चलनिधि बढ़ाने और नए निर्गमों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम के साथ-साथ कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच परिचालन के माध्यम से ऋण का समेकन (पैराग्राफ VII.5- VII.6);

- 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना' के तहत खुदरा निवेशकों की पहुंच को आसान बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का विकास (पैराग्राफ VII.7);
- 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना' के बारे में खुदरा निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए उचित उपाय करना (पैराग्राफ VII.7);
- विदेशी केंद्रीय बैंकों (एफसीबी) के लेनदेन के लिए विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) मॉड्यूल का कार्यान्वयन [पैराग्राफ VII.8];
- आरबीआई के डेटा वेयरहाउस सिस्टम में सरकारी ऋण सांख्यिकी के कवरेज का विस्तार (पैराग्राफ VII.9); और
- नकदी और ऋण प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन (पैराग्राफ VII.10)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VII.5 रिज़र्व बैंक ने ₹25.5 लाख करोड़ की केंद्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त सकल बाजार उधारी को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.0 प्रतिशत अधिक रही। रिज़र्व बैंक ने पुनर्निर्गम के माध्यम से परोक्ष (पैसिव) समेकन और स्विच के माध्यम से प्रत्यक्ष (एक्टिव) समेकन की अपनी नीति जारी रखी। वर्ष 2023-24 के दौरान, जी-सेक के 149 निर्गमों में से 135 पुनर्निर्गम हुए (90.6 प्रतिशत), जबकि पिछले वर्ष में 177 निर्गमों में से 161 पुनर्निर्गम (91 प्रतिशत) थे। दीर्घावधिक सरकारी प्रतिभूतियों के साथ निकट अवधि में परिपक्व होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों के स्विचिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष ऋण समेकन आम तौर पर महीने में एक बार आयोजित किया गया। तदनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1 लाख करोड़ की बजटीय राशि के मुकाबले ₹1.03 लाख करोड़ की राशि के स्विच हुए।

VII.6 वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न परिपक्वता अवधियों की प्रतिभूतियों की इच्छा रखने वाले निवेशकों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से 3 से 50 वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) तक की प्रतिभूतियां जारी की गईं। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के दौरान सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक नई 3-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूतियों की शुरुआत की गई। अत्यधिक लंबी अवधि की दीर्घावधिक प्रतिभूतियों की बाजार की मांग की प्रतिक्रिया में वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में 50-वर्ष की परिपक्वता की एक और दिनांकित प्रतिभूति की शुरुआत की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान एसजीआरबी का कुल निर्गम ₹20,000 करोड़ था, जिसमें 30-वर्षीय एसजीआरबी के पहले निर्गम (₹10,000 करोड़) के अलावा 5-वर्षीय (₹5,000 करोड़) और 10-वर्षीय (₹5,000 करोड़) अवधि के निर्गम शामिल थे।

VII.7 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल में खुदरा निवेशकों के लिए पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन का विकास अंतिम चरण में है और इसके वर्ष 2024-25 के आरंभ में शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना' की समग्र पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से अपने प्रयास जारी रखे। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए, विभिन्न तकनीकी उन्नयन किए गए हैं। 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत उत्पादों की शृंखला को अस्थायी दर बचत बॉण्ड (एफआरएसबी), 2020 को शामिल करने के लिए भी विस्तारित किया गया है। पोर्टल पर राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) भुगतान की व्यवस्था भी की गई है, जिससे निवेशक एक बार पंजीकृत कर सकते हैं और प्राथमिक नीलामी के तहत आने वाली निधियन बोलियों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

VII.8 विभाग एफसीबी द्वारा रुपया निवेश की योजना के तहत एफसीबी और अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (एमएफएल) की ओर से निवेश करता है। स्विफ्ट मॉड्यूल की शुरुआत कर दी गई है जो योजना के तहत किए गए लेनदेन से संबंधित बैक-ऑफिस गतिविधियों के लिए स्विफ्ट नेटवर्क के उपयोग को संदेश भेजने में सक्षम बनाता है।

VII.9 सरकारी ऋण के आंकड़े रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और डेटा वेयरहाउस सिस्टम के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, समय शृंखला की सूचना रिज़र्व बैंक के नेक्स्ट-जेनरेशन डेटा वेयरहाउस सिस्टम, यानी, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) में स्थानांतरित कर दी गई।

VII.10 कुछ राज्यों में विवेकपूर्ण नकदी और ऋण प्रबंधन प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित किए गए। इसके अलावा, दिसंबर 2023 में रिज़र्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे में नकदी और ऋण प्रबंधन पर दो दिवसीय सीबीपी आयोजित किया गया, जिसमें 11 राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी की भागीदारी देखी गई।

प्रमुख घटनाक्रम

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.11 वर्ष 2023-24 के दौरान, दिनांकित जी-सेक के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) का सकल और निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत अधिक रहा। दिनांकित प्रतिभूति और टी-बिल दोनों माध्यमों को मिलाकर कुल निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक था (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.12 वर्ष के दौरान जारी सरकारी प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल (डबल्यूएवाई) पिछले वर्ष की तुलना में 8 आधार कम हो गया, जबकि संपूर्ण ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन 3 आधार अंक बढ़ गया। मार्च 2024 के अंत में प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) और बकाया ऋण पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया (सारणी VII.2)।

VII.13 आठ अवसरों की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान प्राथमिक डीलरों (पीडी) को कोई हस्तांतरण नहीं हुआ, जो वर्ष 2022-23 में ₹23,053 करोड़ था। पिछले वर्ष ऐसे चार अवसर रहे जिसमें बोलियाँ स्वीकार नहीं की गईं, जिसकी कुल

सारणी VII.1: केंद्र सरकार के बाजार उधार

(₹ करोड़)

मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाज़ार उधार	13,70,324 (6.90)	11,27,382 (4.78)	14,21,000 (5.27)	15,43,000 (5.25)
निवल बाज़ार उधार (i से iv)	13,75,654 (6.93)	9,29,351 (3.94)	11,74,375 (4.36)	12,28,805 (4.18)
i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ@	11,43,114	8,63,103	11,08,261	11,80,456
ii) 91-दिवसीय टी-बिल	10,713	45,439	-23,798	20,164
iii) 182-दिवसीय टी-बिल	-18,743	71,252	52,426	15,982
iv) 364- दिवसीय टी-बिल	2,40,570	-50,444	37,487	12,203

@: वापसी-खरीद/स्विच को समायोजित किए बिना। स्विच के समायोजन के बाद, वर्ष 2023-24 के दौरान निवल बाज़ार उधार ₹12,26,101 करोड़, वर्ष 2022-23 में ₹11,71,951 करोड़, वर्ष 2021-22 में ₹9,29,060 करोड़ और वर्ष 2020-21 में ₹11,46,739 करोड़ रहा।
टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।
स्रोत: आरबीआई और एमओएसपीआई।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - एक रूपरेखा*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में प्रतिफल की अंतिम सीमा			वर्ष के दौरान जारी^			बकाया स्टॉक#	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की सीमा@	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.77	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27
2021-22	4.07-5.10	4.04-6.78	4.44-7.44	6.28	1-40	16.99	11.71	7.11
2022-23	5.43-7.45	5.21-7.52	5.65-7.90	7.32	1-40	16.05	11.94	7.26
2023-24	6.89-7.39	6.98-7.40	7.07-7.57	7.24	3-50	18.09	12.54	7.29

@: निर्गम की अवशिष्ट परिपक्वता और आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।
*: विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर। ^: स्विच नीलामी को छोड़कर। #: स्विच नीलामी सहित।
स्रोत: आरबीआई।

अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ रही, लेकिन वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसा एक बार भी नहीं हुआ।

VII.14 वर्ष के दौरान जी-सेक प्रतिफल में कमी, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति के दबाव में कमी, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति सख्ती चक्र के संभावित सकारात्मक अंत की उम्मीद और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) अंतर्वाह में वृद्धि के कारण हुई। अपरिवर्तित रेपो दर और मार्च और अप्रैल के लिए अपेक्षा से कम घरेलू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आंकड़ों के कारण अप्रैल और मई में प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई। हालांकि जून में 10-वर्षीय प्रतिफल में थोड़ी सी वृद्धि हुई, कुल मिलाकर, यह पहली तिमाही में 21 आधार अंक कम होकर जून 2023 के अंत में 7.10 प्रतिशत पर आ गया। वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के दौरान, अमेरिकी खज़ाना प्रतिफल, कच्चे तेल की उच्च कीमतों, और जुलाई के लिए अपेक्षा से अधिक घरेलू सीपीआई आंकड़ों को देखते हुए प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई। 10-वर्षीय प्रतिफल दूसरी तिमाही में 12 आधार अंक तक बढ़कर सितंबर 2023 के अंत में 7.22 प्रतिशत तक पहुँच गया। वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में, प्रतिफल में शुरुआत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, अक्टूबर और नवंबर के लिए अपेक्षा से कम घरेलू सीपीआई आंकड़े और एक प्रमुख वैश्विक उभरते बाजार सूचकांक में भारत सरकार के बॉण्ड (आईजीबी) के संभावित समावेश से संबंधित सूचना के कारण कमी आ गई। दिसंबर 2023 के अंत में 10-वर्षीय प्रतिफल तीसरी तिमाही में 2 आधार अंक घटकर 7.20 प्रतिशत रहा। अपेक्षा से कम सीपीआई और बाजार उधार में कमी और वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय राजकोषीय घाटे के कारण वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान प्रतिफल में और गिरावट आई। 10-वर्षीय प्रतिफल चौथी तिमाही में 13 आधार अंक कम होकर 28 मार्च 2024 को 7.07 प्रतिशत पर बंद हुआ (चार्ट VII.1)।

चार्ट VII.1: एफ़बीआईएल अर्ध-वार्षिक समतुल्य प्रतिफल वक्र

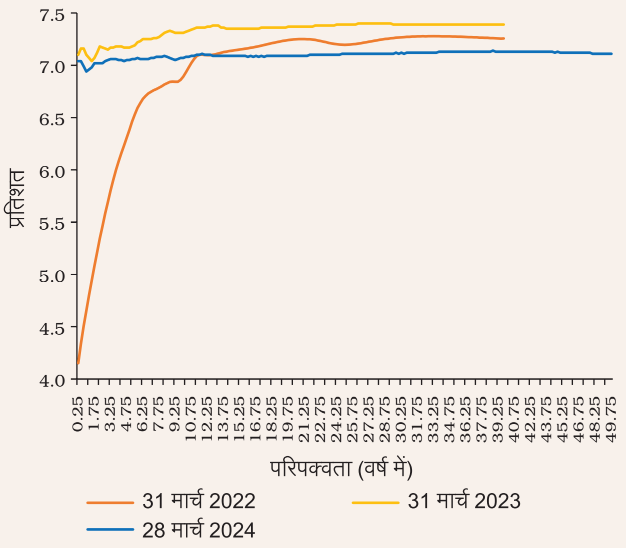

स्रोत : एफ़बीआईएल।

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2021-22		2022-23		2023-24	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्षों से कम	2.3	20.3	2.7	19.0	2.5	16.5
5 - 9.99 वर्ष	2.4	21.5	4.6	32.1	4.8	31.4
10-14.99 वर्ष	3.2	28.4	2.9	20.1	2.8	17.8
15 वर्ष और अधिक	3.4	29.8	4.1	28.8	5.3	34.3
कुल	**11.3**	**100.0**	**14.2**	**100.0**	**15.4**	**100.0**

टिप्पणी: संख्याओं का पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।
स्रोत : आरबीआई।

VII.15 वर्ष 2023-24 के दौरान, बाजार उधार का लगभग 52.1 प्रतिशत 10 वर्षीय और उससे अधिक परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से जुटाया गया, जबकि पिछले वर्ष में यह 48.9 प्रतिशत था (सारणी VII.3)।

खज़ाना बिल

VII.16 केंद्र सरकार की अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को टी-बिल जारी करने के माध्यम से पूरा किया जाता है। टी-बिल (91, 182 और 364 दिवसीय) के माध्यम से सरकार की निवल अल्पकालिक बाजार उधारी वर्ष 2023-24 के दौरान घटकर ₹48,349 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष में ₹66,114 करोड़ थी।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.17 मार्च 2024 के अंत तक वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों [टी-बिल और राज्य सरकार प्रतिभूतियों (एसजीएस) सहित] के सबसे बड़े धारक बने रहे, जिनकी हिस्सेदारी 37.6 प्रतिशत थी, इसके बाद बीमा कंपनियां (25.0 प्रतिशत), भविष्य निधि (10.1 प्रतिशत) और रिज़र्व बैंक (7.9 प्रतिशत) रहे। एफपीआई की हिस्सेदारी 1.5 फीसदी रही। सरकारी प्रतिभूतियों (टी-बिल और एसजीएस सहित) के अन्य धारकों में म्यूचुअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान और कॉरपोरेट शामिल हैं।

प्राथमिक व्यापारी (पीडी)

VII.18 पीडी की संख्या 21 रही [14 बैंक-पीडी और 7 एकल पीडी (एसपीडी)]। पीडी को टी-बिल/नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामी के संबंध में बोली प्रतिबद्धता और सफलता अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामी की हामीदारी करने का अधिकार है। पीडी ने वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 59.3 प्रतिशत और वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में 62.2 प्रतिशत का औसत सफलता अनुपात हासिल किया। वर्ष 2023-24 के दौरान टी-बिल की नीलामी में पीडी की हिस्सेदारी 69.4 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष यह 68.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी की हामीदारी के लिए जीएसटी सहित पीडी को भुगतान किया गया कमीशन वर्ष 2022-23 के दौरान ₹107.5 करोड़ की तुलना में ₹48.5 करोड़ रहा।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (एसजीबी) योजना

VII.19 रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से, वर्ष 2023-24 के दौरान जारी किए जाने वाले एसजीबी की चार किश्तों वाले एक कैलेंडर की घोषणा की। वर्ष 2023-24 के दौरान जुटाई गई कुल राशि ₹27,031 करोड़ (44.34 टन) थी। नवंबर 2015 में एसजीबी योजना की शुरुआत के बाद से, 67 किश्तों के माध्यम से कुल ₹ 72,274 करोड़ (146.96 टन) जुटाए गए।

अस्थायी दर बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) योजना

VII.20 वर्ष के दौरान, अस्थायी दर बचत बॉण्ड (एफ़आरएसबी), 2020 (कर योग्य) जारी करने के माध्यम से ₹7,063 करोड़ जुटाए गए। सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने की

दिशा में अपने निरंतर प्रयासों के तहत, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक के 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल के माध्यम से एफआरएसबी, 2020 (कर योग्य) की सदस्यता को भी सक्षम किया है।

केंद्र सरकार का नकद प्रबंधन

VII.21 केंद्र सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा वर्ष 2023-24 की पहली और दूसरी छमाही के लिए क्रमशः ₹1.5 लाख करोड़ और ₹0.5 लाख करोड़ तय की गई। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष के 9 दिनों की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 24 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट (ओडी) का उपयोग किया। वर्ष के अधिकांश दिनों के दौरान केंद्र सरकार का नकदी शेष अधिशेष में रहा (चार्ट VII.2)।

विदेशी केंद्रीय बैंक (एफसीबी) योजना के तहत निवेश

VII.22 एफसीबी योजना के तहत, रिज़र्व बैंक द्वारा द्वितीयक जी-सेक बाजार में चुनिंदा एफसीबी और बहुपक्षीय विकास संस्थानों की ओर से भारतीय जी-सेक में निवेश किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान इन संस्थानों की ओर से लेन-देन की कुल मात्रा ₹920 करोड़ (अंकित मूल्य) रही, जबकि पिछले वर्ष में यह ₹4,805 करोड़ (अंकित मूल्य) थी।

चार्ट VII.2: भारत सरकार की नकद शेष स्थिति

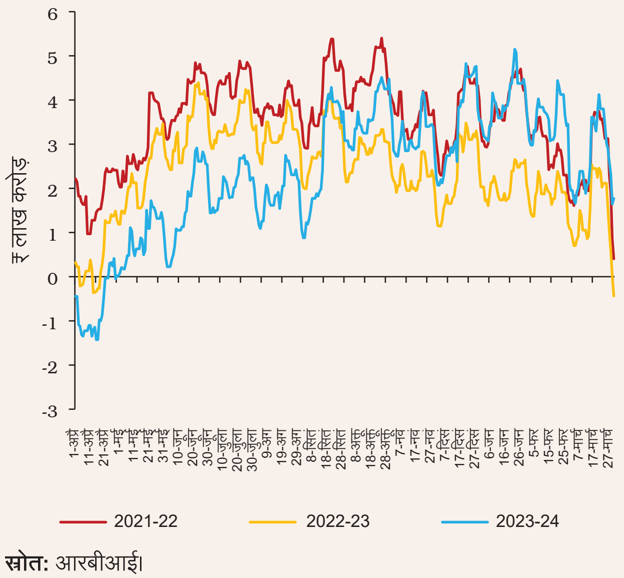

स्रोत: आरबीआई।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.23 अधिकांश राज्यों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा से बाहर करने की 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, पिछले कुछ वर्षों में राज्यों की बाजार उधारी बढ़ रही है। राज्यों की सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में बाजार उधार की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 (आरई) में 72.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 (बीई) में 76.1 प्रतिशत हो गई।

VII.24 वर्ष 2023-24 में राज्यों की सकल बाजार उधारी राज्य सरकारों द्वारा बाजार उधारी के लिए तिमाही सांकेतिक कैलेंडर में इंगित राशि का 93 प्रतिशत रही। वर्ष 2023-24 में 782 निर्गम हुए, जिनमें से 49 पुनर्निर्गम थे (वर्ष 2022-23 में 605 निर्गम हुए, जिनमें से 45 पुनर्निर्गम थे) [सारणी VII.4]।

VII.25 वर्ष 2023-24 के दौरान एसजीएस निर्गम का भारित औसत उच्चतम प्रतिफल (डबल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 7.71 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 7.52 प्रतिशत रहा। केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का भारित औसत स्प्रेड वर्ष 2023-24 में 31 आधार अंक रहा जो पिछले वर्ष के समान है। वर्ष 2023-24 में 23 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों ने 10 वर्ष के अलावा 2 से 40 वर्ष तक की अवधि की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं। 10-वर्षीय अवधि (नए निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतर-राज्य स्प्रेड वर्ष 2023-24 में 3 आधार अंक था, जो वर्ष 2022-23 के समान था।

VII.26 वर्ष 2023-24 के दौरान, 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठाया, 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया और 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ओडी का लाभ उठाया।

VII.27 आकस्मिक देयताओं से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, 7 जुलाई 2022 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार की गारंटी पर एक कार्य दल के गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय,

सारणी VII.4: एसजीएस के माध्यम से राज्यों का बाजार उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वता	1.5	2.1	2.4	2.9
अनुच्छेद 293(3) के तहत सकल संस्वीकृती	9.7	9.0	8.8	11.3
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	8.0	7.0	7.6	10.1
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	6.5	4.9	5.2	7.2
कुल संस्वीकृती की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	82.4	78.4	86.1	89.2
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में) #	39.3	44.3	49.3	56.4

#: *उज्ज्वल* डिस्कॉम्स एश्योरेंस *योजना* (उदय) और अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित।
स्रोत : आरबीआई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य सरकारों से सदस्य शामिल होने थे। कार्य दल ने 16 सितंबर 2023 को अपनी अंतिम रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को सौंप दी (बॉक्स VII.1)।

VII.28 मध्यवर्ती खज़ाना बिल (आईटीबी) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) में राज्यों का बकाया निवेश वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़ गया (सारणी VII.5)।

बॉक्स VII.1
राज्य सरकार की गारंटियों पर कार्य दल

गारंटी किसी अप्रत्याशित भविष्य की घटना के मामले में एक आकस्मिक संभावित देयता है। यदि इस प्रकार की देयताएं पर्याप्त बफर के बिना निर्धारित की जाती हैं, तो इससे राज्य सरकार के लिए व्यय, राजकोषीय घाटे और ऋण के स्तर में वृद्धि हो सकती है। यदि लागू की गई गारंटी नहीं मानी जाती है, तो इससे गारंटीकर्ता के लिए प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम और कानूनी खर्च हो सकता है। इससे जुड़ी चिंता गारंटी द्वारा समर्थित सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं की बैंक से वित्त में वृद्धि है। इसलिए, गारंटी जारी करते समय आकलन और निगरानी करना और विवेकपूर्ण होना महत्वपूर्ण है, खासकर जब ऐसी गारंटी राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है।

कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

ए) सशर्त/बिना शर्त, वित्तीय/प्रदर्शन गारंटी के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए;

बी) 'गारंटी' शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में किया जाना चाहिए और इसमें ऐसे लिखत शामिल हो सकते हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, यदि ये राज्य सरकार पर दायित्व बनाते हैं;

सी) सरकारी गारंटी का उपयोग राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से वित्त प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो राज्य सरकार के बजटीय संसाधनों का विकल्प है;

डी) राज्यों को परियोजनाओं/गतिविधियों को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए और उनके लिए गारंटी उपलब्ध करने से पहले उचित जोखिम भार निर्दिष्ट करना चाहिए;

ई) एक वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली वृद्धिशील गारंटी के लिए राजस्व प्राप्तियों का 5 प्रतिशत या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सीमा होनी चाहिए। राज्यों को परंपरागत रूप से जोखिम भार की न्यूनतम सीमा 100 प्रतिशत रखना चाहिए;

एफ़) न्यूनतम 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष को आधार या न्यूनतम गारंटी शुल्क माना जा सकता है और राज्य सरकार द्वारा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम, जारी की गई प्रत्येक जोखिम श्रेणी पर लिया जा सकता है;

जी) राज्यों को गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) के निर्माण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि में अपनी कुल बकाया गारंटी के पांच प्रतिशत का बफर बनाना चाहिए;

एच) उधार लेने वाले राज्य उद्यमों को राज्य सरकार की गारंटी का सहारा लेने से पहले पुनर्भुगतान के लिए परियोजना आय से आवधिक योगदान के साथ निलंब खाते की व्यवस्था करनी चाहिए; और

आई) राज्यों को भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएएस) के अनुसार गारंटी से संबंधित डेटा को प्रकाशित/प्रकट करना चाहिए।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(₹ करोड़)

मद	31 मार्च को बकाया				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	1,54,757	2,05,230	2,16,272	2,12,758	2,66,805
एटीबी	33,504	41,293	87,400	58,913	51,258
कुल	**1,88,261**	**2,46,523**	**3,03,672**	**2,71,671**	**3,18,063**

स्रोत : आरबीआई।

समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ)/जीआरएफ में निवेश

VII.29 रिज़र्व बैंक राज्यों की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है - सीएसएफ और जीआरएफ। वर्तमान में, 24 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश ने सीएसएफ की स्थापना की है जबकि 20 राज्य जीआरएफ के सदस्य हैं। मार्च 2024 के अंत में सीएसएफ और जीआरएफ में सदस्य राज्यों द्वारा बकाया निवेश क्रमशः ₹2,06,441 करोड़ और ₹12,259 करोड़ रहा, जबकि मार्च 2023 के अंत में क्रमश: ₹1,84,029 करोड़ और ₹10,839 करोड़ था।

3. वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

VII.30 वर्ष 2024-25 के दौरान, ऋण प्रबंधन के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ बाजार उधार कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है:

- जी-सेक बाजार में चलनिधि बढ़ाने के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम के साथ-साथ कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच परिचालन के माध्यम से ऋण का समेकन;
- डिपॉजिटरी द्वारा निर्बाध तरीके से सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) की सुविधा के लिए एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) का विकास;
- अस्थायी दर बचत बॉण्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की समीक्षा; और
- अतिरिक्त भुगतान विकल्प प्रदान करके आरबीआई 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल के यूजर इंटरफेस को और बेहतर बनाना।

4. निष्कर्ष

VII.31 वर्ष के दौरान, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और भू-राजनीतिक दबाव से उत्पन्न चुनौतियों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों की बाजार उधारी सफलतापूर्वक संचालित की गई। सरकार के बजटीय राजकोषीय घाटे के आकार और उभरती बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-25 के लिए बाजार उधार कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से शुरू किया जाएगा। रिज़र्व बैंक एक स्थिर ऋण संरचना सुनिश्चित करते हुए ऋण प्रबंधन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर बाजार उधार कार्यक्रम का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना जारी रखेगा।

VIII मुद्रा प्रबंध

वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक का ध्यान पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ बैंकनोट संचलन में उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों पर बना रहा। इसके अनुसरण में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। देश में बैंकनोटों, सिक्कों और भुगतान के डिजिटल तरीकों के उपयोग और पसंद पर बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। देश की मौजूदा मुद्रा प्रबंध वास्तु संरचना को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाने और इसकी परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए पुनर्रचित किए जाने का कार्य आरंभ किया गया।

VIII.1 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने जनता की नकदी की मांग पूर्ण करने के लिए अर्थव्यवस्था में स्वच्छ बैंकनोटों और सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों को जारी रखा। गंदे नोटों की वापसी और उनके निपटान की गति भी बनी रही। भविष्य में बैंकनोटों की आवश्यकता के बेहतर आकलन के लिए, परिवारों द्वारा लेनदेन के लिए नकदी के उपयोग पर अंतर्दृष्टि जुटाने के लिए एक विश्लेषण किया गया। रिज़र्व बैंक ने देश में मुद्रा प्रबंध आधार संरचना को आधुनिक बनाने पर कार्य आरंभ किया। ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस ले लिया गया, जिन्हें नवंबर 2016 में ₹500 और ₹1000 के बैंकनोटों की वैधानिक टेंडर स्थिति वापस लिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के लिए लाया गया था।

VIII.2 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय के शेष अंश को पांच खंडों में बांटा गया है। खंड 2 में 2023-24 की कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति को शामिल किया गया है, जिसके बाद वर्ष के दौरान संचलनगत मुद्रा में हुई महत्त्वपूर्ण घटनाओं के साथ-साथ अन्य गतिविधियों को खंड 3 में प्रस्तुत किया गया है। खंड 4 में भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल), जो रिज़र्व बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी है, के संबंध में घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया है। खंड 5 में 2024-25 के लिए विभाग की कार्यसूची बताई गई है, जबकि खंड 6 में निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. 2023-24 के लिए कार्यसूची

VIII.3 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मुद्रा प्रबंध में उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए मुद्रा नेटवर्क डिजाइन, मशीनीकरण और स्वचालन, और शेड्यूलिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन पर रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर एक कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार करना (पैराग्राफ VIII.4);
- बैंकनोटों पर नवीनतम अनुसंधान करने के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा की स्थापना *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ VIII.5];
- संचलनगत नोटों की गुणवत्ता पर सर्वेक्षण करना *(उत्कर्ष 2.0)* [पैराग्राफ VIII.6];
- नकदी उपयोग संकेतक विकसित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VIII.7];

- नकदी वितरण के मौजूदा तंत्र और ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) पारितंत्र में संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन (पैराग्राफ VIII.8); और
- निर्धारित छंटाई मानकों के अनुरूप नोट छंटाई मशीनों (एनएसएम) के प्रमाणन की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VIII.9]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VIII.4 नेटवर्क को इष्टतम बनाकर, तकनीकी समाधान, स्वचालन और व्यवसाय प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग के उपयोग से मुद्रा प्रबंध वास्तु-संरचना को रीडिजाइन करने और आधुनिक बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। विभिन्न हितधारकों को शामिल करने वाली इस परियोजना को चरणों में लागू किया जाएगा।

VIII.5 बीआरबीएनएमपीएल के मैसूरु कैंपस में बैंकनोटों पर अत्याधुनिक शोध करने के लिए एक प्रतिकूल विश्लेषण[1] प्रयोगशाला परिचालित की गई है।

VIII.6 बैंकनोटों की गुणवत्ता के बारे में जनता की धारणाओं पर विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए, जिससे जनता की अपेक्षाओं को समझने में मदद मिली और तदनुसार, आवश्यक नीतिगत और परिचालन उपाय किए गए।

VIII.7 लेनदेन के लिए घर-परिवारों में नकदी के उपयोग में हालिया रुझानों और इसके परिप्रेक्ष्य में खुदरा डिजिटल भुगतान में वृद्धि को समझने के लिए विभाग में एक विश्लेषण किया गया ताकि भविष्य में बैंकनोटों की मांग के बेहतर अनुमान लगाए जा सकें। प्राप्त डेटा के आधार पर नकदी उपयोग संकेतकों को और मजबूत बनाने के लिए कार्यप्रणाली को अद्यतन किया जाएगा।

VIII.8 एटीएम पारितंत्र में नकदी वितरण की मौजूदा व्यवस्था और संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए समिति की सिफारिशें वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

VIII.9 रिज़र्व बैंक के आदेशानुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा नोट छँटाई मशीनों (एनएसएम) के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का संस्थानीकरण निर्धारित छँटाई मानकों के अनुरूप किया गया, जिसमें उद्योग के विशेषज्ञों, बीआईएस, आरबीआई और बैंकों से मानक निर्धारकों का एक पैनल बनाया गया, जिसने एनएसएम के लिए तकनीकी मानकों को अंतिम रूप दिया। 'नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) स्पेसिफिकेशन आईएस 18663: 2024' 19 मार्च, 2024 को 'भारत के राजपत्र' में प्रकाशित हुई। इन मानकों का उपयोग देश भर के बैंकों द्वारा प्रयुक्त एनएसएम के प्रमाणीकरण के लिए किया जाएगा और इससे सभी बैंकों के बीच नोट सॉर्टिंग में एकरूपता आएगी।

3. संचलनगत मुद्रा संबंधी घटनाक्रम

VIII.10 संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में बैंकनोट, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) और सिक्के आते हैं। वर्तमान में, संचलनगत बैंकनोट में ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 और ₹2000 मूल्यवर्ग शामिल हैं। रिज़र्व बैंक अब ₹2, ₹5 और ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट नहीं छाप रहा है। संचलनगत सिक्कों में 50 पैसे और ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के सिक्के शामिल हैं। रिज़र्व बैंक 29 दिसंबर 2023 के सप्ताहांत से साप्ताहिक आधार पर संचलनगत मुद्रा पर मूल्यवर्ग-वार डेटा प्रकाशित कर रहा है।

[1] इसका उपयोग जाली नोट बनाने के जोखिम के आकलन के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों/ तकनीशियनों द्वारा व्यवसायिक रूप से उपलब्ध सामग्री और उपकरण का उपयोग कर बैंकनोटों के इन-हाउस सिमुलेशन द्वारा किया जाता है।

VIII.11 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22ए के अनुसार, अधिनियम की धारा 24 में निर्धारित मूल्यवर्ग डिजिटल स्वरूप के बैंकनोटों पर लागू नहीं होंगे। तदनुसार, डिजिटल रुपया ईई-रिटेल ((e₹-R) का लाइव-पायलट 50 पैसे, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 और ₹2000 के मूल्यवर्ग में आरंभ किया गया है, जबकि ई₹-होलसेल (e₹-W) का कोई विशिष्ट मूल्यवर्ग नहीं है।

बैंकनोट

VIII.12 वर्ष 2023-24 के दौरान संचलनगत बैंकनोटों के मूल्य और मात्रा में क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसमें क्रमशः 7.8 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी VIII.1)। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹500 के बैंकनोटों का हिस्सा मूल्य के संदर्भ में बढ़ा जबकि ₹2000 के बैंकनोटों का हिस्सा तेजी से गिरा, जो इस मूल्यवर्ग को वापस लिए जाने को दर्शाता है। मात्रा के संदर्भ में, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कुल संचलनगत बैंकनोटों में ₹500 के मूल्यवर्ग का भाग सबसे अधिक रहा, इसके बाद ₹10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट रहे।

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का संचलन से वापस लिया जाना

VIII.13 ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम की धारा 24(1) के तहत, मुख्यतः उस समय संचलन में रहे ₹500 और ₹1000 के बैंकनोटों की वैधानिक टेंडर स्थिति की वापसी के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के लिए लाए गए थे। जब अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तब ₹2000 के बैंकनोटों का उद्देश्य पूर्ण हो गया। इसलिए 2018-19 में ₹2000 के बैंकनोटों की छपाई बंद कर दी गई।

सारणी VIII.1:संचलनगत बैंकनोट (मार्च अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)			मूल्य (करोड़ ₹ में)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	1,11,261	1,10,843	1,10,547	4,284	4,263	4,249
	(8.5)	(8.1)	(7.5)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
10	2,78,046	2,62,123	2,49,506	27,805	26,212	24,951
	(21.3)	(19.2)	(17.0)	(0.9)	(0.8)	(0.7)
20	1,10,129	1,25,802	1,33,973	22,026	25,160	26,795
	(8.4)	(9.2)	(9.1)	(0.7)	(0.8)	(0.8)
50	87,141	85,716	89,783	43,571	42,858	44,892
	(6.7)	(6.3)	(6.1)	(1.4)	(1.3)	(1.3)
100	1,81,420	1,80,584	2,05,656	1,81,421	1,80,584	2,05,656
	(13.9)	(13.3)	(14.0)	(5.8)	(5.4)	(5.9)
200	60,441	62,620	77,108	1,20,881	1,25,241	1,54,215
	(4.6)	(4.6)	(5.2)	(3.9)	(3.7)	(4.4)
500	4,55,468	5,16,338	6,01,770	22,77,340	25,81,690	30,08,847
	(34.9)	(37.9)	(41.0)	(73.3)	(77.1)	(86.5)
2000	21,420	18,111	410	4,28,394	3,62,220	8,202
	(1.6)	(1.3)	(0.03)	(13.8)	(10.8)	(0.2)
कुल	**13,05,326**	**13,62,137**	**14,68,754**	**31,05,721**	**33,48,228**	**34,77,805**

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

VIII.14 ₹2000 मूल्यवर्ग के लगभग 89 प्रतिशत बैंकनोट अपने अनुमानित जीवनकाल 4-5 वर्ष के अंत में थे और आमतौर पर लेनदेन के लिए उपयोग नहीं किए जाते थे। अतः, ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को उनकी वैधानिक टेंडर स्थिति बरकरार रखते हुए संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया। 19 मई, 2023 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें जनता को 30 सितंबर 2023 तक बैंक शाखाओं और रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों[2] में ₹2000 के बैंकनोट जमा करने और/या विनिमय के लिए सूचित किया गया, जिसे बाद में 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। 9 अक्टूबर 2023 से रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में जमा और/या विनिमय की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, ₹2000 के बैंकनोट संबंधित बैंक खातों में क्रेडिट के लिए भारतीय डाक द्वारा रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों को भेजे जा सकते हैं। 19 मई, 2023 को जब वापसी की घोषणा की गई थी, तब संचलन में मौजूद ₹2000 के ₹3.56 लाख करोड़ नोटों में से 97.7 प्रतिशत 31 मार्च, 2024 तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके थे।

सिक्के

VIII.15 वर्ष 2023-24 में संचलनगत सिक्कों का कुल मूल्य और कुल मात्रा दोनों बढ़े। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के मिलाकर संचलनगत सिक्कों की कुल मात्रा का 82.5 प्रतिशत रहे, जबकि मूल्य के अनुसार इन मूल्यवर्गों का हिस्सा 68 प्रतिशत रहा (सारणी VIII.2)।

संचलनगत ई₹

VIII.16 वर्ष के दौरान, 1 दिसंबर, 2022 को आरंभ किए गए e₹-R के लाइव पायलट ने गति पकड़ी (सारणी VIII.3)।

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के (मार्च अंत)

मूल्यवर्ग(₹)	मात्रा (संख्या लाख में)			मूल्य (करोड़ ₹ में)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	1,47,880	1,47,880	1,47,880	700	700	700
	(11.9)	(11.6)	(11.2)	(2.5)	(2.3)	(2.1)
1	5,15,879	5,21,618	5,29,934	5,159	5,216	5,299
	(41.4)	(40.8)	(40.0)	(18.4)	(17.2)	(15.9)
2	3,40,792	3,47,277	3,55,929	6,816	6,946	7,119
	(27.3)	(27.1)	(26.9)	(24.4)	(23.0)	(21.3)
5	1,84,331	1,94,155	2,05,471	9,217	9,708	10,274
	(14.8)	(15.2)	(15.5)	(33.0)	(32.1)	(30.8)
10	54,044	59,764	68,637	5,404	5,976	6,864
	(4.3)	(4.7)	(5.2)	(19.3)	(19.8)	(20.6)
20	3,372	8,483	15,667	674	1,697	3,133
	(0.3)	(0.7)	(1.2)	(2.4)	(5.6)	(9.4)
कुल	**12,46,298**	**12,79,178**	**13,23,518**	**27,970**	**30,242**	**33,389**

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई।

[2] अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम।

सारणी VIII.3: संचलनगत ई₹ (मार्च अंत)

e₹	मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)		मूल्य (करोड़ ₹ में)	
		2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6
ई₹- रिटेल	0.5	2.7	18.4	0.01	0.09
		(16.1)	(7.7)	(0.2)	(0.04)
	1	3.8	37.3	0.04	0.37
		(22.2)	(15.7)	(0.7)	(0.2)
	2	2.8	27.1	0.06	0.54
		(16.2)	(11.4)	(1.0)	(0.2)
	5	2.4	27.3	0.12	1.37
		(13.9)	(11.5)	(2.1)	(0.6)
	10	1.5	21.4	0.15	2.14
		(8.8)	(9.0)	(2.6)	(0.9)
	20	1.2	19.7	0.23	3.94
		(6.8)	(8.3)	(4.1)	(1.7)
	50	0.8	17.0	0.39	8.49
		(4.6)	(7.1)	(6.9)	(3.6)
	100	0.8	20.7	0.83	20.73
		(4.8)	(8.7)	(14.5)	(8.9)
	200	0.6	16.0	1.16	32.01
		(3.4)	(6.7)	(20.4)	(13.7)
	500	0.5	32.9	2.71	164.36
		(3.2)	(13.8)	(47.5)	(70.2)
	2000	-	-	-	-
कुल ई₹- रिटेल		17.1	237.8	5.70	234.04
कुल ई₹- होलसेल		…	…	10.69	0.08
कुल ई₹				**16.39**	**234.12**

-: शून्य। … लागू नहीं।

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई।

मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना

VIII.17 मुद्रा (अर्थात, बैंकनोट व सिक्के) के निर्गमन और इसके प्रबंधन का कार्य रिज़र्व बैंक देश में भर में फैले अपने 19 निर्गम कार्यालयों, 2,794 करेंसी चेस्टों और 2,460 छोटे सिक्कों के डिपो के माध्यम से करता है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, करेंसी चेस्ट में भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा (सारणी VIII.4)।

सारणी VIII.4: करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों का डिपो (मार्च अंत 2024)

वर्ग	करेंसी चेस्ट की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	1,467	1,339
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,086	911
निजी क्षेत्र के बैंक	224	194
सहकारी बैंक	5	5
विदेशी बैंक	4	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7	7
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	**2,794**	**2,460**

स्रोत: आरबीआई।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.18 वर्ष 2023-24 के लिए बैंकनोटों और सिक्कों की मांग की मात्रा 2022-23 से अधिक रही (सारणी VIII.5 और सारणी VIII.6)। वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकनोटों और सिक्कों की आपूर्ति भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही।

सारणी VIII.5:बैंकनोटों की मांग और बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा आपूर्ति (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्य-वर्ग (₹)	2021-22		2022-23		2023-24	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	-	-	-	-	-	-
10	7,500	7,510	6,000	6,000	8,000	8,000
20	20,000	20,000	20,000	19,999	20,000	20,000
50	15,000	15,000	20,000	20,000	25,000	25,000
100	40,000	40,002	60,000	60,000	70,000	70,000
200	12,000	11,991	20,000	20,000	30,000	30,000
500	1,28,000	1,28,003	1,00,000	1,00,004	90,000	90,000
2000	-	-	-	-	-	-
कुल	**2,22,500**	**2,22,505**	**2,26,000**	**2,26,002**	**2,43,000**	**2,43,000**

-: शून्य।
बीआरबीएनएमपीएल: भारतीय रिज़र्व बैंकनोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
एसपीएमसीआईएल: भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
नोट: संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी VIII.6:सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा आपूर्ति (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्य-वर्ग (₹)	2021-22		2022-23		2023-24	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	1,000	1,000	3,000	3,058
2	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
10	2,000	2,000	1,000	1,002	1,000	1,000
20	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,999
कुल	**8,000**	**8,000**	**10,000**	**10,002**	**12,000**	**12,056**

-: शून्य।
नोट: संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

गंदे नोटों का निपटान

VIII.19 वर्ष 2023-24 के दौरान गंदे नोटों के निपटान संबंधी विवरण सारणी VIII.7. में दिए गए हैं। रिज़र्व बैंक दिसंबर 2023 से मासिक आधार पर गंदे नोटों के निपटान पर मूल्यवर्ग-वार डेटा प्रकाशित कर रहा है।

सारणी VIII.7: गंदे नोटों का निपटान (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4
2000	3,847	4,824	18,458
1000	-	-	4
500	22,082	51,092	63,320
200	6,167	13,062	13,594
100	59,203	58,282	60,217
50	27,696	34,219	19,095
20	20,771	21,393	13,971
10	46,778	45,077	23,461
5 तक	1,257	1,315	370
कुल	**1,87,801**	**2,29,264**	**2,12,493**

-: लागू नहीं
नोट: संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

जाली नोट

VIII.20 वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गई नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) में से 7.9 प्रतिशत रिज़र्व बैंक में पकड़े गए (सारणी VIII.8)।

VIII.21 वर्ष 2023-24 के दौरान ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 और ₹500 मूल्यवर्ग में पकड़े गए जाली नोटों में गिरावट आई, जबकि ₹200 मूल्यवर्ग में पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक

सारणी VIII.8: पकड़े गए जाली नोटों की संख्या (अप्रैल से मार्च)

(नोटों की संख्या)

वर्ष	रिज़र्व बैंक में पकड़े गए	अन्य बैंकों में पकड़े गए	कुल
1	2	3	4
2021-22	15,878	2,15,093	2,30,971
	(6.9)	(93.1)	(100.0)
2022-23	10,465	2,15,304	2,25,769
	(4.6)	(95.4)	(100.0)
2023-24	17,613	2,05,026	2,22,639
	(7.9)	(92.1)	(100.0)

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. डेटा में पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।
स्रोत: आरबीआई।

वृद्धि हुई। ₹2000 के बैंकनोटों की संचलन से वापसी की जारी प्रक्रिया और बड़ी संख्या में इन नोटों के प्रसंस्करण के कारण, इस मूल्यवर्ग में पकड़े गए जाली नोटों में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई है। (सारणी VIII.9)।

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.22 पिछले वर्ष के ₹4,682.8 करोड़ की तुलना में 2023-24 के दौरान प्रतिभूति मुद्रण पर कुल व्यय ₹5,101.4 करोड़ था।

अन्य गतिविधियां

बैंकनोटों और सिक्कों के उपयोग पर सर्वेक्षण

VIII.23 खुदरा डिजिटल भुगतान में वृद्धि के साथ-साथ नकदी की मांग में निरंतर वृद्धि के उभरते परिदृश्य में नकदी, सिक्कों के उपयोग और पसंद, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने और नकदी और सिक्कों की कमी/अधिशेष का आकलन करने के लिए 2023 में एक सर्वेक्षण किया गया (बॉक्स VIII.1)।

सारणी VIII.9: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट- मूल्यवर्ग के अनुसार (अप्रैल से मार्च)

(नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4
2 व 5	1	3	1
10	354	313	235
20	311	337	297
50	17,696	17,755	15,366
100	92,237	78,699	66,310
200	27,074	27,258	28,672
500 (विनिर्दिष्ट बैंकनोट)	14	6	11
500	79,669	91,110	85,711
1000 (विनिर्दिष्ट बैंकनोट)	11	482	1
2000	13,604	9,806	26,035
कुल	**2,30,971**	**2,25,769**	**2,22,639**

स्रोत: आरबीआई।

बॉक्स VIII.1

बैंकनोटों और सिक्कों के उपयोग पर सर्वेक्षण

इस सर्वेक्षण में कुल 22,725 प्रतिसादकर्ता शामिल थे, जिसमें 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 11,474 उपभोक्ता और 11,251 व्यापारी (यथा, छोटे निर्माता, खुदरा व्यापारी और सेवा प्रदाता) शामिल थे। कुल प्रतिसादकर्ताओं में से लगभग 63 प्रतिशत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से थे, 19 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से और 18 प्रतिशत महानगरीय केंद्रों से थे।

प्रमुख निष्कर्ष

उपभोक्ता

सर्वेक्षण के अनुसार, 56.7 प्रतिशत उपभोक्ता प्रतिसादकर्ताओं को खरीदारी, यात्रा और दान करने के लिए मुख्य रूप से खुदरा सिक्कों की आवश्यकता होती है। ₹5 के सिक्कों की आवश्यकता सबसे अधिक थी, उसके बाद ₹2 और ₹10 की आवश्यकता आती है। अधिकांश प्रतिसादकर्ताओं ने बताया कि पिछले एक साल में उन्हें सिक्कों की कोई कमी नहीं हुई है।

बैंकनोटों के संबंध में, 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता प्रतिसादकर्ताओं को खरीदारी, यात्रा, उपयोगिता/शुल्क भुगतान और आपात स्थिति के लिए बैंकनोटों की आवश्यकता होती है। 70 प्रतिशत से अधिक प्रतिसादकर्ताओं ने ₹50 और कम के बैंकनोटों की तुलना में ₹100 और अधिक के बैंकनोटों की उपलब्धता बेहतर बताई। लगभग 80 प्रतिशत प्रतिसादकर्ताओं को पिछले एक वर्ष में बैंकनोटों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा।

लेनदेन का टिकट साइज़ बढ़ने के साथ-साथ, उपभोक्ता प्रतिसादकर्ताओं के बीच डिजिटल भुगतान की ओर पसंद स्थानांतरित हो गई है। सुरक्षा चिंताओं के अलावा, डिजिटल भुगतान मोड के साथ कम परिचय के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के उपयोग की पहुंच अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम थी। यह असमानता 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में अधिक स्पष्ट थी।

व्यापारी

लगभग दो-तिहाई व्यापारी प्रतिसादकर्ताओं ने व्यापारिक लेनदेन, यात्रा और दान के लिए सिक्कों का उपयोग किया, और यह उपयोग सबसे अधिक खुदरा व्यापारियों के बीच और उसके बाद सेवा प्रदाताओं के बीच है। ₹5 के सिक्कों की आवश्यकता सबसे अधिक थी, उसके बाद ₹2 के सिक्कों और ₹10 के सिक्कों की आवश्यकता थी। लगभग 25 प्रतिशत

(जारी)

उत्तरदाताओं ने पिछले एक साल में सिक्कों की कमी बताई, जबकि 41 प्रतिशत ने इसे मौसमी कारक माना।

बैंकनोटों के संबंध में, लगभग 90 प्रतिशत व्यापारी प्रतिसादकर्ताओं ने उनका उपयोग व्यापारिक लेनदेन, यात्रा और आपात स्थिति के लिए किया। प्रतिसादकर्ताओं ने विशेष रूप से ₹100 और अधिक के बैंकनोटों की सुलभता को नोट किया। 80 प्रतिशत से अधिक प्रतिसादकर्ताओं ने बताया कि उन्हें पिछले एक साल में बैंकनोटों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा।

लेनदेन मूल्य में वृद्धि पर डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग में भुगतान के तरीकों से परिचित न होना और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ डिजिटल भुगतान मोड में बाधा बताई गई, खासतौर से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

संक्षेप में, सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि यद्यपि नकदी लोकप्रिय बनी हुई है, भुगतान के डिजिटल तरीके जनता के बीच प्रचलित हो रहे हैं।

नए श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) की खरीद

VIII.24 वर्ष के दौरान, उचित निविदा प्रक्रिया के बाद 21 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए नए श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम की खरीद के लिए क्रयादेश दिए गए । इन एसबीएस मशीनों की सुपुर्दगी और संस्थापन 2024-25 की पहली तिमाही से शुरू होगी और इसे सभी कार्यालयों के लिए अगले दो वर्षों में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

सिक्कों के वितरण के लिए मोबाइल सिक्का वैन (एमसीवी) - भौगोलिक पहुंच और परिचालन के दायरे में विस्तार

VIII.25 सिक्कों का वितरण बढ़ाने के लिए, चुनिंदा राज्यों में चल रही एमसीवी की योजना पूरे देश में विस्तारित की गई है। इसके अतिरिक्त, सेवाओं का दायरा कम मूल्यवर्ग के नोट, जो संचालन के लिए अनुपयुक्त हैं, को बदलने के लिए बढ़ाया गया है। ये एमसीवी विशेष रूप से अर्ध-शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में निवास करने वाली जनता को सिक्के और बैंकनोट वितरित करती हैं।

मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मनी) ऐप और सिक्कों के बारे में भ्रामक सूचनाओं पर जागरूकता अभियान

VIII.26 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भारतीय बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए मनी ऐप 1 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बैंकनोट मूल्यवर्ग सूचित करता है। मनी ऐप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आकाशवाणी/विविध भारती/अन्य निजी एफएम रेडियो चैनलों के माध्यम से एक अखिल भारतीय रेडियो अभियान चलाया गया।

VIII.27 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने जनता के बीच सिक्कों के बारे में भ्रामक सूचना को दूर करने के लिए प्रिंट और रेडियो के मीडिया मिक्स द्वारा जागरूकता अभियान आरंभ किया।

भारतीय बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताओं की खरीद

VIII.28 रिज़र्व बैंक बैंकनोटों के लिए नई/ उन्नयित सुरक्षा विशेषताएं आरंभ करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि. (बीआरबीएनएमपीएल)

VIII.29 बीआरबीएनएमपीएल बैंकनोटों के डिजाइन, मुद्रण और आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह बैंकनोट उत्पादन के स्वदेशीकरण, कच्चे माल के बैकवर्ड इंटीग्रेशन सहित, के कार्यनीतिक लक्ष्य के कार्यान्वयन में रिज़र्व बैंक का प्रमुख भागीदार रहा है। बीआरबीएनएमपीएल द्वारा की गई खरीद भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत जारी निर्देशों के अनुरूप है। बीआरबीएनएमपीएल प्रेसों से करेंसी चेस्ट को प्रत्यक्ष बैंकनोट प्रेषण में वृद्धि हुई है, जिससे व्यवस्थागत पक्ष की दक्षता और लागत प्रभाविता में वृद्धि हुई है। रिज़र्व बैंक के आदेशानुसार, बीआरबीएनएमपीएल मुद्रा के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए अपने मैसूरु परिसर में एक मुद्रा अनुसंधान और विकास केंद्र (सीआरडीसी) की स्थापना कर रहा है।

5. 2024-25 के लिए कार्यसूची

VIII.30 वर्ष के दौरान विभाग का ध्यान निम्नलिखित पर होगा;

- मुद्रा प्रबंध आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की परियोजना को आगे बढ़ाना;
- मौजूदा एसबीएस मशीनों का प्रतिस्थापन;
- मुद्रा नोट ब्रिकेट के अधिक धारणीय और पर्यावरण-अनुकूल निपटान का अन्वेषण;
- जनता को बैंकनोटों/सिक्कों की सुपुर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उपाय करना और नीतियों को सुचारु बनाना; और
- बीआईएस द्वारा जारी तकनीकी मानकों का देश भर में बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एनएसएम के लिए कार्यान्वयन।

6. निष्कर्ष

VIII.31 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने बैंकनोट वितरण में दक्षता बढ़ाने, बैंकनोटों और सिक्कों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ बैंकनोटों और सिक्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की पहल जारी रखी। रिज़र्व बैंक ने मुद्रा प्रबंध आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण और स्वचालन के लिए कार्ययोजना तैयार की और ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया। भविष्य में, रिज़र्व बैंक का प्रयास मुद्रा प्रबंध आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाने और बैंकनोट उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाए रखना होगा। बैंकनोटों की सत्यता को और सुदृढ़ करने तथा भुगतान के अन्य तरीकों के समक्ष जनता द्वारा नकदी को प्राथमिकता के रुझान को समझने के लिए विश्लेषणात्मक अनुसंधान पर ध्यान बना रहेगा।

IX भुगतान और निपटान प्रणालियां और सूचना प्रौद्योगिकी

रिज़र्व बैंक ने 2023-24 के दौरान देश के प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षित, सुलभ, किफायती और कुशल भुगतान प्रणाली प्रदान करने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखा। रिज़र्व बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए विभिन्न मार्गों की भी तलाश की। रिज़र्व बैंक, रिज़र्व बैंक में आईटी प्रणालियों और विभिन्न एप्लिकेशन के सुचारु कामकाज के लिए मजबूत और सुरक्षित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहा।

IX.1 कुशल भुगतान और निपटान प्रणालियाँ आर्थिक विकास को प्रेरित करती हैं, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देती है और वित्तीय समावेशन में सहयोग करती हैं। सुरक्षित और प्रभावशाली भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करना रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यों में से एक रहा है। रिज़र्व बैंक तेजी से भुगतान पारितंत्र में नवोन्मेष का उत्प्रेरक बन रहा है, साथ ही जोखिमों और चुनौतियों का समाधान भी कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि उन्नति का लाभ आबादी के व्यापक हिस्से तक पहुंचे। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ जुड़कर यूपीआई और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुंच बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी।

IX.2 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने अपने आंतरिक आईटी सिस्टम और एप्लिकेशन के सुचारु कामकाज के लिए रिज़र्व बैंक में एक अत्याधुनिक आईसीटी अवसंरचना विकसित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष के दौरान, *ई-कुबेर* और भुगतान प्रणालियों में प्रगति के अलावा, एंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल (ईकेपी), *सारथी* (इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली/डिजिटल वर्कफ़्लो एप्लिकेशन), और *एकमेव* (कर्मचारियों के लिए एकल साइन-ऑन पोर्टल) जैसे प्रमुख आंतरिक सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन को नवीकृत करने की दिशा में कई पहल की गईं।

IX.3 इस पृष्ठभूमि में, खंड 2 में 2023-24 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों में हुई गतिविधियाँ और 2023-24 की कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन शामिल है। खंड 3 में वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित कार्यसूची के सामने वर्ष के दौरान डीआईटी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा दिया गया है। 2024-25 की कार्यसूची पर भी चर्चा की गई है। खंड 4 में इस अध्याय का सार दिया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.4 वर्ष के दौरान, डीपीएसएस ने अखंडता, समावेशिता, नवोन्मेषिता और अंतरराष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए ढांचे पर स्थापित भुगतान विज़न डॉक्यूमेंट 2025 के अनुरूप कई पहल शुरू कीं। इनका उद्देश्य भुगतान पारितंत्र को बेहतर बनाना और भुगतान प्रणालियों के विकास के लिए अनुकूल विनियामक वातावरण तैयार करना था (बॉक्स IX.1)।

भुगतान प्रणाली

IX.5. भुगतान और निपटान प्रणाली[1] ने लेनदेन की मात्रा के संदर्भ में पिछले वर्ष में दर्ज 57.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2023-24 के दौरान 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (सारणी IX.1)। खुदरा और अधिक मूल्यवाली भुगतान प्रणाली [यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)] दोनों की वृद्धि दर में कमी के चलते मूल्य के संदर्भ में, 2023-24 में वृद्धि 15.8

[1] डेटा कुल भुगतान के लिए है, जिसमें डिजिटल भुगतान और पेपर-आधारित लिखत शामिल हैं।

बॉक्स IX.1

उपयोगकर्ता की पहुंच और सुविधा के लिए यूपीआई में संवर्द्धन

यूपीआई ने उपयोग में आसानी, सुरक्षा और तत्काल कार्य करने की क्षमता जैसी विशेषताओं के चलते भारत में डिजिटल भुगतान पारितंत्र को परिवर्तित कर दिया है। धनराशि के त्वरित अंतरण (24X7), वर्चुअल पेमेंट एड्रैस का उपयोग, पीयर-टू-पीयर (पी2पी) और पीयर-टू-मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन जैसी सुविधाओं के साथ यूपीआई जैसी तेज भुगतान प्रणाली उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद उपयोगी है। निरंतर चलते नवोन्मेषी प्रयासों ने इसकी उपयोगिता और उपयोग में आसानी को बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप यूपीआई लेनदेन की मात्रा के मामले में एकलौती सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली बन गई है। रिज़र्व बैंक ने उत्पाद पेशकश को और बढ़ाने के लिए यूपीआई में कई नई सुविधाओं को जोड़ने में सहयोग किया है - उदाहरण के लिए, यूपीआई123पे, यूपीआई लाइट ऑन-डिवाइस वॉलेट, रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ना, और सिंगल-ब्लॉक-और-मल्टीपल-डेबिट के साथ मैंडेट प्रोसेस करना। इस रुख को जारी रखते हुए, 2023-24 के दौरान यूपीआई में निम्नलिखित नए संवर्द्धन किए गए:

i. एक नवोन्मेषी भुगतान मोड, यानी, 'कन्वर्सेशनल पेमेंट्स' को यूपीआई में सक्षम किया गया ताकि उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित माहौल में लेनदेन शुरू करने और पूरा करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-संचालित प्रणाली के साथ संवाद करने का अवसर मिले। देश में डिजिटल पहुंच को और गहरा करने के लिए यह चैनल स्मार्टफोन और फीचर फोन-आधारित यूपीआई चैनल दोनों में उपलब्ध कराया गया है;

ii. यूपीआई लाइट ऑन-डिवाइस वॉलेट लोकप्रियता हासिल कर रहा है और वर्तमान में प्रति माह 10 मिलियन से अधिक लेनदेन कर रहा है। यूपीआई-लाइट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का उपयोग करके ऑफ़लाइन लेनदेन को भी सक्षम किया गया। इस सुविधा से न केवल उन स्थितियों में खुदरा डिजिटल भुगतान किया जा सकता है, जहां इंटरनेट/दूरसंचार कनेक्टिविटी कमजोर है या उपलब्ध नहीं है, बल्कि न्यूनतम विफलता के साथ तेज लेनदेन भी सुनिश्चित किया जा सकता है; और

iii. जमा खातों के अलावा बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों को/से अंतरण सक्षम करके यूपीआई का दायरा बढ़ाया गया। दूसरे शब्दों में, यूपीआई नेटवर्क बैंकों से क्रेडिट द्वारा वित्तपोषित भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। इससे ऐसी पेशकशों की लागत कम हो सकती है और भारतीय बाजारों के लिए अद्वितीय उत्पादों के विकास में सहायता मिल सकती है।

निरंतर आधार पर इस तरह की नवोन्मेषिता ने यूपीआई के उपयोग और उपयोगकर्ता आधार का विस्तार किया है और डिजिटल भुगतान साधनों को 'सार्वजनिक वस्तु' के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया है।

प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष में यह 19.2 प्रतिशत थी। गैर-नकद खुदरा भुगतान की कुल मात्रा में डिजिटल लेनदेन का हिस्सा पिछले वर्ष के 99.6 प्रतिशत की तुलना में मामूली बढ़त के साथ 2023-24 के दौरान 99.8 प्रतिशत हो गया।

डिजिटल भुगतान

IX.6 भुगतान के डिजिटल तरीकों में, 2023-24 के दौरान आरटीजीएस लेनदेन में मात्रा के संदर्भ में 11.3 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खुदरा लेनदेनों की मात्रा और मूल्य में क्रमशः 44.1 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IX.1)। मार्च 2024 के अंत तक आरटीजीएस सेवाएं 247 सदस्य बैंकों के 1,70,855 आईएफएससी[2] के माध्यम से उपलब्ध थीं, जबकि एनईएफटी सेवाएं 233 सदस्य बैंकों के 1,72,290 आईएफएससी के माध्यम से उपलब्ध थीं।

IX.7 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) ने वर्ष के दौरान प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस)/मोबाइल पीओएस (एमपीओएस) टर्मिनल, अंतर-परिचालनीय क्विक रिस्पांस (क्यूआर) अवसंरचना, आधार सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस और अन्य समकालीन डिवाइस लगाने के लिए सब्सिडी देकर डिजिटल भुगतान बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया। इसने विशेष रूप से टियर III से टियर VI केंद्रों में स्वीकृति अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार किया। 2023-24 के दौरान, पीओएस टर्मिनलों की संख्या 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 89.0 लाख हो गई और भारत क्यूआर (बीक्यूआर) कोड की संख्या 16.1 प्रतिशत से बढ़कर 62.5 लाख हो गई। मार्च 2024 के अंत तक यूपीआई क्यूआर कोड 35.0 प्रतिशत से बढ़कर 34.6 करोड़ हो गया।

2 भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड।

सारणी IX.1 : भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक कारोबार (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ लाख करोड़)		
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली						
सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली	33	41	43	2,068.7	2,588.0	2,592.1
बी. भुगतान प्रणाली						
1. बड़े मूल्य के क्रेडिट अंतरण – आरटीजीएस	**2,078**	**2,426**	**2,700**	**1,286.6**	**1,499.5**	**1,708.9**
खुदरा खंड (2 से 6)						
2. क्रेडिट अंतरण	**5,77,935**	**9,83,621**	**14,86,107**	**427.3**	**550.1**	**675.4**
2.1 एईपीएस (फंड ट्रांसफर)	10	6	4	0.006	0.004	0.003
2.2 एपीबीएस	12,573	17,834	25,888	1.3	2.5	3.9
2.3 ईसीएस क्रे.	-	-	-	-	-	-
2.4 आईएमपीएस	46,625	56,533	60,053	41.7	55.9	65.0
2.5 एनएसीएच क्रे.	18,758	19,257	16,227	12.8	15.4	15.3
2.6 एनईएफटी	40,407	52,847	72,640	287.3	337.2	391.4
2.7 यूपीआई	4,59,561	8,37,144	13,11,295	84.2	139.1	200.0
3. डेबिट अंतरण और प्रत्यक्ष डेबिट	**12,189**	**15,343**	**18,250**	**10.3**	**12.9**	**16.9**
3.1 भीम *आधार* पे	228	214	194	0.1	0.1	0.1
3.2 ईसीएस डे.	-	-	-	-	-	-
3.3 एनएसीएच डे.	10,755	13,503	16,426	10.3	12.8	16.8
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा हुआ)	1,207	1,626	1,629	0.02	0.03	0.03
4. कार्ड भुगतान	**61,783**	**63,325**	**58,470**	**17.0**	**21.5**	**24.2**
4.1 क्रेडिट कार्ड	22,399	29,145	35,610	9.7	14.3	18.3
4.2 डेबिट कार्ड	39,384	34,179	22,860	7.3	7.2	5.9
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	**65,783**	**74,667**	**78,775**	**2.8**	**2.9**	**2.8**
6. पेपर आधारित लिखत	**6,999**	**7,109**	**6,632**	**66.5**	**71.7**	**72.1**
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	7,24,689	11,44,065	16,48,234	523.9	659.1	791.5
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	7,26,767	11,46,491	16,50,934	1,810.5	2,158.6	2,500.4
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**7,19,768**	**11,39,382**	**16,44,302**	**1,744.0**	**2,086.8**	**2,428.2**

सीसीआईएल : क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एपीबीएस : *आधार* भुगतान ब्रिज प्रणाली
आईएमपीएस : त्वरित भुगतान सेवा
एनईएफटी : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनईटीसी : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह
एईपीएस : *आधार* सक्षम भुगतान प्रणाली
ईसीएस : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
एनएसीएच : राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन ग्रह
भीम : *भारत* इंटरफ़ेस फॉर मनी
क्रे. : क्रेडिट
डे. : डेबिट
- : शून्य/नगण्य

टिप्पणी : 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त ट्रेड और रेपो लेनदेन और त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन के दोनों चरण शामिल हैं।
3. कार्ड के आंकड़े पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों और ऑनलाइन भुगतान लेनदेन के लिए हैं।
4. संभव है कि संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल में नहीं जुड़ पाएँ हों।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत किया जाना

IX.8. रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान 22 ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर (पीए), दो गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं और एक ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया। साथ ही कुछ अन्य ऑनलाइन पीए, पीपीआई, एक व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) परिचालक और एक टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म परिचालक को सैद्धांतिक प्राधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीपीआई जारी करने के लिए एक बैंक, *भारत* बिल भुगतान

सारणी IX.2: भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्राधिकार (मार्च के अंत में)

(संख्या)

निकाय	2023	2024
1	2	3
क. गैर-बैंक – प्राधिकृत		
पीपीआई जारीकर्ता	36	38
भुगतान एग्रीगेटर (ऑनलाइन)	-	22
डब्ल्यूएलए परिचालक	4	4
तत्काल धन अंतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीओयू	10	10
टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म परिचालक	3	4
एमटीएसएस परिचालक	8	8
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
ख. बैंक - अनुमोदित		
पीपीआई जारीकर्ता	58	59
बीबीपीओयू	44	46
मोबाइल बैंकिंग प्रदाता	725	777
एटीएम नेटवर्क	3	3

टिप्पणी: 1. भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) में सीसीआईएल और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के अतिरिक्त पीपीआई जारीकर्ता, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर (पीए-ऑनलाइन), सीमा पार धन अंतरण सेवा योजनाएं (एमटीएसएस), व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) परिचालक, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म, एटीएम नेटवर्क, तत्काल धन अंतरण सेवा प्रदाता, कार्ड नेटवर्क, भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां (बीबीपीओयू) और सेंट्रल काउंटर पार्टियां (सीसीपी) शामिल हैं।
2. इसके अलावा, एक गैर-बैंक इकाई को भी सीसीपी के रूप में काम करने के लिए प्राधिकरण प्रदान किया गया है।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के लिए दो बैंकों और अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 52 बैंकों को अनुमोदन प्रदान किया (सारणी IX.2) । साथ ही, पीए सीमा-पार को भी रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में शामिल करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

2023-24 के लिए कार्यसूची

IX.9 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- वित्तीय बाजार अवसंरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआई) के मानकों के अनुपालन में केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों (सीपीएस), यानी एनईएफटी और आरटीजीएस के आंतरिक मूल्यांकन से मिले अनुभव के आधार पर, सीपीएस की निगरानी के लिए मानकों, आवृत्ति और प्रकटीकरणों को निर्धारित करने वाला एक सुदृढ़ ढांचा तैयार किया जाएगा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IX.10];
- पीआईडीएफ को भुगतान स्वीकृति अवसंरचना[3] के लिए योगदान देने वालों (अर्थात, आरबीआई, कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों) और अधिग्रहणकर्ताओं से काफी सहयोग मिला है। योजना के कार्यान्वयन ने विभिन्न नवोन्मेषी सुझाव और क्षेत्र स्तर के अनुभव प्रदान किए। पीआईडीएफ योजना को जारी रखने की संभाव्यता का पता लगाया जाएगा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IX.10];
- भुगतान अनुभव में और सुधार लाने के लिए, वास्तविक निधि अंतरण से पहले तत्काल आदाता के नाम के सत्यापन की संभाव्यता का पता लगाया जाएगा (पैराग्राफ IX.10); और
- हितधारकों को उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करने और भुगतान प्रणालियों में अनुसंधान और भावी नवोन्मेष के लिए भुगतान प्रणालियों पर सूक्ष्म जानकारियों के प्रसार को बढ़ाने के लिए पहल जारी रखना (पैराग्राफ IX.10)।

कार्यान्वयन की स्थिति

IX.10 रिज़र्व बैंक ने सीपीएस, यानी एनईएफटी और आरटीजीएस की निगरानी के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है, जो पीएफएमआई मानकों के अनुरूप सीपीएस के आंतरिक मूल्यांकन से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। जैसा कि विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (6 अक्टूबर 2023) में घोषणा की गई थी, पीआईडीएफ़ योजना को दो साल की अवधि यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया

[3] दिसंबर 2023 के अंत तक 90 लाख भुगतान टच पॉइंट बनाने का योजना का प्रारंभिक लक्ष्य, पहले वर्ष के अंत तक, यानी दिसंबर 2021 में ही पूरा कर लिया गया था।

गया। रिज़र्व बैंक नए अधिनियमित 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023' के अनुपालन में 'आदाता नाम लुक-अप सुविधा' के कार्यान्वयन पर काम कर रहा है। रिज़र्व बैंक प्रकाशित भुगतान लेनदेन डेटा का कवरेज बढ़ाने और उसकी बारीकियों पर भी काम कर रहा है, जो हितधारकों को उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और भुगतान प्रणालियों में अनुसंधान और भावी नवोन्मेष का अवसर प्रदान करेगा।

प्रमुख गतिविधियाँ

अखंडता

भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन – सीमा-पार (पीए- सीमा-पार)

IX.11 पीए- सीमा-पार संस्थाएं अनुमति प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए सीमा-पार ऑनलाइन मोड में भुगतान लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं। सीमा-पार भुगतान में हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि ऐसी सभी संस्थाओं को रिज़र्व बैंक के प्रत्यक्ष विनियमन के तहत लाया जाए, और तदनुसार वर्ष के दौरान पीए सीमा-पार के विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए एक सामान्य कॉरपोरेट अभिशासन संरचना का निर्माण

IX.12 आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों के लिए एक सामान्य कॉरपोरेट अभिशासन संरचना निर्मित करने के उद्देश्य से सदस्यों के साथ निरंतर संवाद हेतु एक संरचित मंच प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए सीपीएस के प्रबंधन के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी)[4] - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन को सक्षम बनाना

IX.13 रिज़र्व बैंक ने सीधे कार्ड जारी करने वाले बैंकों/संस्थाओं के माध्यम से कार्ड-ऑन-फाइल टोकन (सीओएफटी) सुविधाओं की अनुमति दी है। इससे कार्डधारकों को एक ही प्रक्रिया से कई मर्चेंट साइटों के लिए अपने कार्ड को टोकन करने का एक अतिरिक्त विकल्प प्राप्त होगा।

पीएसओ की साइबर समुत्थानशीलता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण

IX.14 रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर 'साइबर समुत्थानशीलता और पीएसओ के भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश का मसौदा' टिप्पणियों के लिए रखा है। इस दस्तावेज में साइबर सुरक्षा जोखिमों और कमजोरियों तथा सुरक्षित डिजिटल भुगतान लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत सुरक्षा उपाय सहित सूचना सुरक्षा की पहचान, विश्लेषण, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत अभिशासन तंत्र शामिल है।

क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था

IX.15 रिज़र्व बैंक ने 10 लाख या उससे अधिक सक्रिय कार्ड वाले कार्ड जारीकर्ताओं (बैंकों/गैर-बैंकों) से कहा है कि वे कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था में न आएं या ऐसा कोई करार न करें जिससे अन्य कार्ड-नेटवर्क के साथ गठजोड़ करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाए। उनके लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वे ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क के बीच चयन करने की सुविधा प्रदान करें।

पीपीआई पर मास्टर निदेश में संशोधन

IX.16 रिज़र्व बैंक ने अधिकृत बैंक और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान करने के उद्देश्य से मास ट्रांजिट सिस्टम (पीपीआई-एमटीएस) के लिए पीपीआई जारी करने की अनुमति दी। इससे यात्रियों को पारगमन सेवाओं के लिए भुगतान के डिजिटल माध्यमों की सुविधा, गति, सामर्थ्य और सुरक्षा प्राप्त होगी।

[4] इस ढांचे के तहत, कार्डधारक कार्ड विवरण के बदले "टोकन" (एक अद्वितीय वैकल्पिक कोड) बना सकते हैं। इन टोकन को भविष्य में लेनदेन करने के लिए व्यापारियों द्वारा संग्रहीत किया जा सकता है। इस प्रकार बनाया गया टोकन कार्ड और ऑनलाइन/ई-कॉमर्स व्यापारी के लिए विशिष्ट होगा, यानी, इस टोकन का उपयोग किसी अन्य व्यापारी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।

वित्तीय बाजार अवसंरचना (पीएफएमआई) के सिद्धांतों के तहत आरटीजीएस और एनईएफटी का स्व-मूल्यांकन

IX.17 केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली जिसमें आरटीजीएस और एनईएफटी शामिल हैं, रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में है और यह रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित की जाती है। केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों को और सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2023-24 में पीएफ़एमआई पर उनका स्व-मूल्यांकन किया गया। इस तरह के स्व-मूल्यांकन 2023-24 से वार्षिक आधार पर किए जाएंगे। चूंकि आरटीजीएस को वित्तीय बाजार अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अतः स्व-मूल्यांकन के आधार पर आरटीजीएस से संबंधित एक सार्वजनिक प्रकटीकरण दस्तावेज रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

नवोन्मेष

इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए अंतर-परिचालनीय भुगतान प्रणाली

IX.18 पीए के माध्यम से किए गए इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन अंतर-परिचालनीय नहीं हैं, यानी, एक बैंक को अलग-अलग ऑनलाइन व्यापारियों के प्रत्येक पीए के साथ अलग से जुड़ना होगा। परिणामस्वरूप, व्यापारियों को भुगतान की वास्तविक प्राप्ति में देरी होती है जिसके चलते निपटान जोखिम हो सकता है। रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई भारत बिल-पे लिमिटेड (एनबीबीएल) को इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए एक अंतर-परिचालनीय भुगतान प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी है। नई प्रणाली से व्यापारियों को धन के त्वरित निपटान में सुविधा होगी।

वित्तीय समावेशन

ट्रेड्स (टीआरईडीएस) के दायरे का विस्तार

IX.19 रिज़र्व बैंक ने लेनदेन के लिए बीमा की अनुमति देकर, वित्तपोषकों के समूह को बढ़ाकर और फैक्टरिंग इकाइयों (एफयू) के लिए द्वितीयक बाजार को सक्षम करके ट्रेड्स में गतिविधि का दायरा बढ़ाया है। इससे एमएसएमई के नकदी प्रवाह में सुधार होगा।

ई-रुपी (e-RUPI) वाउचर के दायरे और पहुंच का विस्तार

IX.20 रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को ई- रुपी वाउचर जारी करने की अनुमति देकर, व्यक्तियों की ओर से इसे जारी करना शुरू करके और ई-रुपी वाउचर के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए वाउचर को फिर से लोड करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया और जारी करने की सीमा जैसे अन्य पहलुओं को संशोधित करके ई-रुपी वाउचर के दायरे का विस्तार किया।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) प्रक्रियाओं और सदस्यता मानदंड को सुव्यवस्थित करना

IX.21 रिज़र्व बैंक ने बीबीपीएस के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों को देखते हुए इसके लिए विनियामक ढांचे को संशोधित किया। यह बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा और अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाएगा।

पीआईडीएफ योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों का समावेश

IX.22 *प्रधान मंत्री विश्वकर्मा* योजना के तहत देश भर में चुने गए लाभार्थियों को पीआईडीएफ योजना के अंतर्गत लाने के लिए व्यापारियों के रूप में शामिल किया गया। अन्य समकालीन डिवाइस, जैसे, (i) साउंडबॉक्स डिवाइस और (ii) आधार-सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस को भी योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र माना गया। भुगतान स्वीकृति अवसंरचना को और तेज करने और बढ़ाने के लिए विशेष रूप से केन्द्रित क्षेत्रों, जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लगाए डिवाइस के लिए सब्सिडी की राशि को कुल लागत के 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया, चाहे वह डिवाइस किसी भी प्रकार का हो।

आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैंडेट का प्रसंस्करण

IX.23 रिज़र्व बैंक ने प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक, जो कि ई-मैंडेट ढांचे में निर्धारित है, को हटाकर बाद के आवर्ती लेनदेन

की सीमा को बढ़ाते हुए निम्नलिखित श्रेणियों : ए) म्यूचुअल फंड की सदस्यता, (बी) बीमा प्रीमियम का भुगतान, और (सी) क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, के लिए प्रति लेनदेन-सीमा ₹ 15,000 से बढ़ाकर ₹ 1,00,000 कर दी है।

विशिष्ट श्रेणियों के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा बढ़ाना

IX.24 रिज़र्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को किए जाने वाले यूपीआई भुगतान की सीमा को ₹ 1 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख प्रति लेनदेन कर दिया है।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) को और मजबूत करना

IX.25 रिज़र्व बैंक ने एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली अनिवार्य समुचित सावधानी सहित ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा है। 2023 में, 37 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं ने एईपीएस लेनदेन किया, जो वित्तीय समावेशन में एईपीएस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करता है। अतिरिक्त धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाएगा, जो एईपीएस को और मजबूती प्रदान करेगा।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के तहत ग्रिड का विलय

IX.26 कार्यक्षम चेक प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सीटीएस को तीन क्षेत्रीय ग्रिडों की संरचना से एक राष्ट्रीय ग्रिड में परिवर्तित किया। यह विलय 13 अक्टूबर 2023 को पूरा हुआ। विलय किए गए ग्रिड को नेशनल ग्रिड समाशोधन गृह (एनजीसीएच) नाम दिया गया है और रिज़र्व बैंक, चेन्नई कार्यालय को विलय किए गए ग्रिड के परिचालन के प्रबंधन और निगरानी हेतु नोडल कार्यालय के रूप में नामित किया गया है। विलय से प्रणाली की चलनिधि क्षमता में सुधार हुआ है और चेक समाशोधन अवसंरचना को युक्तिसंगत बनाने में मदद मिली है। विलय के बाद, सीटीएस के माध्यम से प्रस्तुत सभी चेक को स्थानीय चेक के रूप में संसाधित किया जा रहा है।

विभिन्न चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना

IX.27 रिज़र्व बैंक देश भर में समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बीएएटी) कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 340 ई-बीएएटी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के सुरक्षित उपयोग, उनके लाभ और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में बताया गया।

डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2024

IX.28 रिज़र्व बैंक ने मिशन 'हर पेमेंट डिजिटल'[5] के अंतर्गत 4 से 10 मार्च 2024 के दौरान 'डिजिटल भुगतान, सुरक्षित भुगतान' ('डिजिटल पेमेंट, सेफ पेमेंट') थीम के साथ डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मनाया। इस पहल के तहत काम करते हुए, रिज़र्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने चुने हुए क्षेत्रों में सब्जी बाजारों/मंडियों जैसे बाजार क्षेत्रों और ऑटो/टैक्सी जैसी लोक परिवहन अवसंरचना को डिजिटल भुगतान सक्षम क्लस्टर में परिवर्तित करने के लिए क्षेत्रीय अभियान शुरू करेंगे।

अंतरराष्ट्रीयकरण

भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुँच

IX.29 पेमेंट्स विज़न डॉक्यूमेंट 2025 ने अंतरराष्ट्रीयकरण स्तंभ के अंतर्गत इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक के रूप में यूपीआई और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने की रूपरेखा तैयार की है। रिज़र्व बैंक सहयोगात्मक व्यवस्था करने के लिए विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ संवाद कर रहा है।

[5] 6 मार्च, 2023 को लॉन्च किया गया।

IX.30 जुलाई 2023 में, रिज़र्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ़ यूएई (सीबीयूएई) ने अपनी भुगतान अवसंरचना को आपस में जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन के तहत, दोनों केंद्रीय बैंक, अपनी त्वरित भुगतान प्रणाली [भारत के यूपीआई के साथ यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म (आईपीपी), जिसे *आनी* कहा जाता है] को जोड़ने और अपने संबंधित कार्ड स्विच (रुपे स्विच और यूएईस्विच) को जोड़ने पर सहयोग करने के लिए भी सहमत हुए।

IX.31 फरवरी 2024 में, भारत और मॉरीशस के बीच रुपे कार्ड और यूपीआई कनेक्टिविटी शुरू की गई। इस कनेक्टिविटी के साथ, मॉरीशस जाने वाला एक भारतीय यात्री यूपीआई ऐप्स का उपयोग करके मॉरीशस में एक व्यापारी को भुगतान कर पाएगा। इसी तरह, एक मॉरीशस यात्री मॉरीशस के तत्काल भुगतान प्रणाली (आईपीएस) ऐप्स का उपयोग करके भारत में भी ऐसा कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, रुपे तकनीक को अपनाने के साथ, मॉरीशस सेंट्रल ऑटोमेटेड स्विच (एमएयूसीएएस) कार्ड योजना से मॉरीशस के बैंक आंतरिक स्तर पर रुपे कार्ड जारी कर पाएंगे। ऐसे कार्डों का उपयोग मॉरीशस के साथ-साथ भारत में भी स्थानीय एटीएम और पीओएस टर्मिनलों पर किया जा सकता है। इसके साथ, मॉरीशस रुपे तकनीक का उपयोग करके कार्ड जारी करने वाला एशिया के बाहर का पहला देश बन गया है।

IX.32 फरवरी 2024 में, भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई कनेक्टिविटी शुरू की गई। इस कनेक्टिविटी से भारतीय यात्री अपने यूपीआई ऐप का उपयोग कर श्रीलंका में व्यापारिक स्थलों पर क्यूआर कोड-आधारित भुगतान कर पाएंगे।

IX.33 रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक सीमा-पार के भुगतान को सक्षम करने के लिए भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म और नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफ़ेस (एनपीआई) को जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से रास्तों की तलाश कर रहे हैं। जून 2023 में, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ने इस उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

अन्य पहल

डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)

IX.34 रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को मापने के लिए 2021 में एक समग्र डीपीआई का निर्माण किया था। आरबीआई-डीपीआई सूचकांक की गणना अर्ध-वार्षिक रूप से की जाती है और इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो देश भर में डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाए जाने और उसकी गहरी पैठ का प्रतिनिधित्व करता है। सितंबर 2022 के 377.5 की तुलना में सितंबर 2023 में डीपीआई 10.9 प्रतिशत बढ़कर 418.8 हो गया (चार्ट IX.1)।

पीएसओ का निरीक्षण

IX.35 भुगतान और निपटान प्रणालियां अधिनियम की धारा 16 के तहत, रिज़र्व बैंक द्वारा 2023-24 के दौरान 49 खुदरा संस्थाओं, यानी एक खुदरा भुगतान संस्था [एनपीसीआई जिसमें एनपीसीआई *भारत* बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल), रुपे कार्ड और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) शामिल हैं], 29 गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता, 4 डब्ल्यूएलए ऑपरेटर (डब्ल्यूएलएओ), 10 बीबीपीओयू, एक कार्ड नेटवर्क, दो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म प्रदाता, एक एटीएम नेटवर्क प्रदाता और

चार्ट IX.1 : डिजिटल भुगतान सूचकांक

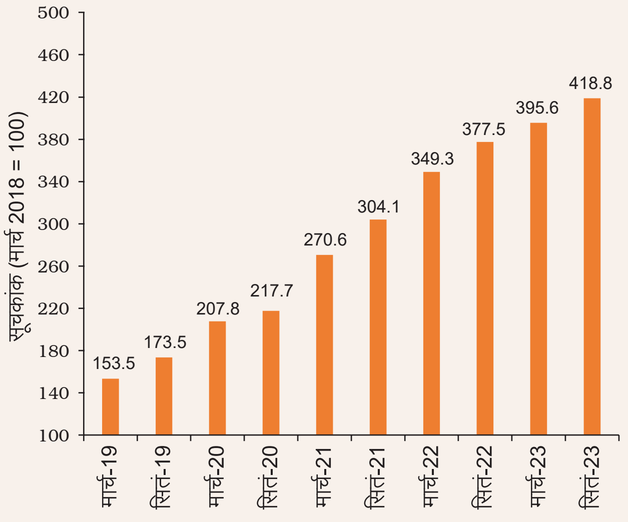

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

तत्काल धन अंतरण (आईएमटी) की सुविधा देने वाली एक संस्था का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया। विभाग ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अन-अनुपालन के लिए एक पीएसओ के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की।

सीसीआईएल में गतिविधियां

IX.36 रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने 1 दिसंबर, 2023 को सीसीआईएल के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन यूनाइटेड किंगडम (यूके) की वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा करते हुए रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी गतिविधियों पर भरोसा रखने के लिए बीओई के लिए एक ढांचा स्थापित करता है। यह समझौता ज्ञापन अंतरराष्ट्रीय समाशोधन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा-पार सहयोग के महत्व और अन्य विनियामकों की व्यवस्थाओं को स्थगित करने के लिए बीओई की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अपने संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने में दोनों प्राधिकरणों के हितों की भी पुष्टि करता है। यह बीओई को सीसीआईएल के अन्य देश सीसीपी के रूप में मान्यता के लिए किए गए आवेदन का आकलन करने में भी सक्षम बनाता है, जो सीसीआईएल के माध्यम से लेनदेन को मंजूरी देने के लिए यूके स्थित बैंकों के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। 15 दिसंबर 2023 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद, बीओई ने सीसीआईएल को मान्यता प्रदान की।

2024-25 के लिए कार्यसूची

IX.37 2024-25 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित करेगा:

- भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) रिपोर्टिंग को स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तक बढ़ाया जाएगा *(उत्कर्ष* 2.0);
- वर्तमान में, सीटीएस में दो निपटान व्यवस्था हैं, एक प्रस्तुतीकरण सत्र के लिए और दूसरा वापसी सत्र के लिए। ऑन-रियलाइज़ेशन मॉडल के तहत, प्रत्येक बैंक की निवल स्थिति के लिए वापसी सत्र बंद होने के बाद एक एकल निपटान किया जाएगा। इससे सीटीएस की चलनिधि दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है;
- *विकसित भारत* 2047 के लक्ष्यों के आलोक में, रिज़र्व बैंक, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के साथ मिलकर वर्ष 2024-25 की आरंभिक समयसीमा और वर्ष 2028-29 की पूर्णता समयसीमा के साथ यूपीआई को 20 देशों में ले जाने की दिशा में काम करेगा। इसके अलावा, यूरोपीय संघ, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे देशों के समूह के साथ त्वरित भुगतान प्रणाली (एफपीएस) सहयोग के साथ-साथ बहुपक्षीय संबंधों का भी पता लगाया जाएगा;
- वर्तमान में, भुगतान पारितंत्र (कार्ड नेटवर्क/बैंक/पीपीआई संस्थाएं) ने प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के रूप में एसएमएस-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को प्रमुखता से अपनाया है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, भुगतान में धोखाधड़ी और बाधा से निपटने के लिए अब विभिन्न नवीन उपाय उपलब्ध हैं। इसलिए, व्यवहारिक बायोमेट्रिक्स, स्थान/ऐतिहासिक भुगतान, डिजिटल टोकन और इन-ऐप सूचनाओं का लाभ उठाने वाले एक वैकल्पिक जोखिम-आधारित प्रमाणीकरण तंत्र का पता लगाया जाएगा; और
- वर्तमान में, केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां (आरटीजीएस और एनईएफटी) निधि अंतरण के लिए केवल खाता संख्या और आईएफएससी पर निर्भर है। धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और भुगतान अनुभव को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, नए अधिनियमित 'डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2023' के अनुपालन में वास्तविक निधि अंतरण से पहले आदाता के नाम के तत्काल सत्यापन की शुरुआत करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.38 वर्ष के दौरान, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरुआत, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सुविधाओं को प्रतिवर्ती करना और एनईएफटी को आईएसओ 20022 मानक के अनुरूप बनाने जैसी उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए *ई-कुबेर* और भुगतान प्रणालियों में संवर्द्धन किया गया। रिज़र्व बैंक की कार्य संस्कृति में डिजिटल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, विभाग ने रिज़र्व बैंक के प्रमुख आंतरिक एप्लिकेशन, अर्थात एंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल (ईकेपी); *स्वागत* (एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम); इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली *(सारथी)*; और *संवाद* (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम) में व्यापक सुधार किया। रिज़र्व बैंक में साइबर सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष के दौरान *एकमेव* - पहचान पहुंच प्रबंधन (आईएएम) और मोबाइल डिवाइस प्रबंधन (एमडीएम) भी शुरू किए गए।

IX.39 रिज़र्व बैंक की आईटी अवसंरचना जिसमें आईटी एप्लिकेशन, सिस्टम, नेटवर्क, डिवाइस और डेटा शामिल हैं, की साइबर जोखिम से बचाव सुनिश्चित करने के लिए साइबर हाइजीन में सर्वोत्तम प्रथाओं- उभरती प्रौद्योगिकियों, अत्याधुनिक उपकरणों को अपनाना और नियंत्रणों की निरंतर निगरानी को अपनाया गया है। विभाग ने भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पोंस टीम (सीईआरटी-इन) और अन्य सरकारी एजेंसी जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) के साथ सहयोग करना जारी रखा है। एजेंसियों द्वारा जारी परामर्श, खतरे के खूफ़िया स्रोतों से प्राप्त इनपुट और निरंतर जोखिम मूल्यांकन तथा निगरानी के आधार पर, सुरक्षा नियंत्रणों को निरंतर आधार पर उन्नत किया जा रहा है, जिससे साइबर खतरों के विरुद्ध प्रतिरक्षा बढ़ रही है। 'सिक्योर आवर वर्ल्ड' की व्यापक थीम के साथ रिज़र्व बैंक में छह महीने तक चलने वाला एक विस्तारित साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान भी लागू किया गया है। जहां रिज़र्व बैंक के अंदर एक सुरक्षित और जिम्मेदार साइबर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 'एंटरप्राइज़ कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान' का निर्माण प्रगति पर है, वहीं 31 मार्च 2024 तक विभिन्न स्थानों से लगभग 753 अधिकारियों को शामिल करते हुए 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

IX.40 इसके अलावा, भुगतान विज़न दस्तावेज़ 2025 के अनुरूप, और वैश्विक पहुँच का समर्थन करने तथा घरेलू भुगतान प्रणालियों की पहुँच का विस्तार करने के लिए, एक ग्लोबल स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) हब परियोजना शुरू की गई। इससे रिज़र्व बैंक की भुगतान प्रणाली की दक्षता में और भी सुधार होगा।

2023-24 के लिए कार्यसूची

IX.41 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- भारत सरकार और राज्य सरकारों सहित कई महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ *ई-कुबेर* एप्लिकेशन इंटरफ़ेस को उभरते आईटी और वित्तीय परिदृश्य से मेल खाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अवसंरचना के साथ अद्यतन करने की आवश्यकता है। *ई-कुबेर* को एनसीआईआईपीसी द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के रूप में नामित किया गया है। उन्नत *ई-कुबेर* एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई), माइक्रोसर्विसेज और कंटेनरों का उपयोग करते हुए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करेगा, और कार्यान्वयन के लिए इसके 2023-24 में पूरा होने की उम्मीद है *(उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IX.42];
- रिज़र्व बैंक ने क्षमता विस्तार की बाधाओं को दूर करने, लगातार बढ़ती आईटी परिदृश्य की जरूरतों को पूरा करने और क्षेत्र विशिष्ट जोखिमों से बचने के लिए एक

नए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर के निर्माण की परियोजना शुरू की है। डेटा सेंटर का निर्माण शुरू हो गया है और यह 2023-24 में पूरा होने के अंतिम चरण में होगा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IX.43];

- रिज़र्व बैंक ने भारत की राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को अद्यतन और उन्नत करने के अपने निरंतर प्रयास के तहत, आरटीजीएस प्रणाली को उन्नत करने की योजना बनाई है। इसमें मौजूदा कार्यात्मकताओं में सुधार और आरटीजीएस द्वारा समर्थित कई नई कार्यात्मकताओं की भी शुरुआत शामिल होगी। उन्नत आरटीजीएस भविष्य की आवश्यकताओं जैसे स्केलेबिलिटी, वर्धित सुरक्षा और कार्यनिष्पादन का ध्यान रखेगा (पैराग्राफ IX.44); और
- विभाग डिजिटल मोड की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाने और दिन-प्रतिदिन के काम में मैनुअल और कागज-आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए कई आंतरिक एप्लिकेशन को बढ़ाएगा। *सारथी* में निरंतर सुधार, नवीकृत ईकेपी, बेहतर आगंतुक प्रबंधन प्रणाली और विनियमित संस्थाओं के लिए आवेदन/अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए एक वेब इंटरफेस के विकास की योजना बनाई गई है, जो डिजिटल बदलाव लाने में मदद करेगी (पैराग्राफ IX.45 - पैराग्राफ IX.48)।

कार्यान्वयन की स्थिति

IX.42 सर्वोत्तम श्रेणी और पर्यावरण-अनुकूल डिजिटल तथा भौतिक अवसंरचना प्रदान करने की दृष्टि से, विभाग ने नवीनतम तकनीक के साथ *ई-कुबेर* को *ई-कुबेर* 2.0 में अपग्रेड किया है। सभी सहभागी अब *ई-कुबेर* ऑनलाइन पोर्टल के उन्नत संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। मुद्रा प्रबंधन मॉड्यूल को भी उन्नत किया गया है और रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। मुद्रा तिजोरी (सीसी) धारक बैंकों ने सीसी से संबंधित लेनदेन की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए उन्नत मुद्रा तिजोरी पोर्टल का उपयोग भी शुरू कर दिया है।

IX.43 22 मार्च 2023 को रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा डेटा सेंटर की आधारशिला रखने के साथ ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। डेटा सेंटर का बुनियादी और आवरण निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है। इस परियोजना को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है।

IX.44 विभाग ने 2023-24 के दौरान आरटीजीएस प्रणाली को नई कार्यक्षमताओं जैसे विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) कोड परिचय, आरटीजीएस के विभिन्न नोड्स के बीच बेहतर और कुशल स्वचालित संदेश प्रवाह, के साथ अद्यतन और उन्नत किया। इनके अलावा, सिस्टम की सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर उपयोगकर्ता प्रबंधन नियंत्रण और प्रमाणन प्राधिकारी, अर्थात बैंकिंग प्रोद्यौगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा जारी नवीनतम प्रमाणपत्रों के साथ संगतता के संदर्भ में उन्नत किया गया है।

IX.45 विभाग ने ईकेपी का नवीनीकरण किया। नया ईकेपी एक अत्याधुनिक, इंटरैक्टिव और सहयोगी इंट्रानेट पोर्टल है जिसमें उन्नत उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और कर्मचारी सहभागिता सुविधाएं हैं।

IX.46 उन्नत पहुँच प्रबंधन प्रणाली जिसे 'सीमलेस स्वागत' नाम दिया गया है, के साथ विभाग कर्मचारी पहुंच प्रबंधन के लिए चेहरे की पहचान और आगंतुक पहुंच प्रबंधन प्रणाली के लिए क्यूआर कोड प्रौद्योगिकी को लागू करना चाहता है। यह तकनीक वर्तमान में आरबीआई केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई में पायलट आधार पर विकसित की जा रही है। प्रतिसूचना और उपयोगकर्ता अनुभवों के आधार पर इसके धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की उम्मीद है।

IX.47 आरबीआई के आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए पासवर्ड-रहित प्रमाणीकरण परियोजना दो चरणों में लागू की

गई। प्रथम चरण में डेस्कटॉप लॉगिन के लिए पासवर्ड-रहित बायोमेट्रिक (चेहरा/फिंगरप्रिंट) प्रमाणीकरण सक्षम किया गया। दूसरा चरण पहचान पहुंच प्रबंधन (आईएएम) समाधान है जिसे *"एकमेव"* नाम दिया गया है, जो रिज़र्व बैंक के आंतरिक उपयोगकर्ताओं द्वारा इसकी वेब एप्लिकेशन तक पहुंच के साथ उपयोगकर्ता अनुभव और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित एकल साइन-ऑन (एसएसओ) पोर्टल है।

IX.48 उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए *सारथी* में निरंतर सुधार भी किए जा रहे हैं और नवीकृत *सारथी* 2.0 कार्यान्वयन के अधीन है। *सारथी* 2.0 कई सुविधाओं के साथ होगा, जिसमें बेहतर यूजर इंटरफेस (यूआई)/उपयोगकर्ता अनुभव (यूएक्स), मोबाइल प्रतिक्रिया, ज्ञान भंडार कार्यक्षमता और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एकीकरण शामिल है।

प्रमुख पहल

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)

IX.49 सीबीडीसी (ई₹) को थोक और खुदरा पायलट दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है। सीबीडीसी के उपयोग के मामले अभी भी विकसित हो रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने अंतर-बैंक मांग मुद्रा व्यापार की सुविधा के लिए अक्तूबर 2023 में ई₹ का उपयोग करते हुए ई₹-थोक (ई₹-डबल्यू) पायलट में एक अन्य उपयोग मामला शुरू किया। वर्तमान में, मौजूदा अंतर-बैंक मांग मुद्रा व्यापार का निपटान आरटीजीएस का उपयोग करके किया जाता है। हालाँकि, बैंक, आरटीजीएस एप्लिकेशन का उपयोग किए बिना ही ई₹-डबल्यू के माध्यम से ई-*कुबेर* में तत्काल मांग मुद्रा व्यापार का निपटान कर सकते हैं। इसके अलावा, वितरित खाताबही प्रौद्योगिकी (डीएलटी) प्लेटफ़ॉर्म पर ई₹-डबल्यू के अंतरण की सुविधा के लिए ई₹-डबल्यू की शेष राशि को तत्काल एनपीसीआई के साथ प्रतिरूपित किया गया।

ई-कुबेर के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की निधियों को 'जस्ट इन टाइम' जारी करना

IX.50 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के व्यय विभाग द्वारा सीएसएस के तहत निधि जारी करने के लिए ई-*कुबेर* प्लेटफॉर्म का उपयोग करने हेतु परियोजना लागू की गई, जिसमें ई-*कुबेर* केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से लाभार्थियों तक सीएसएस निधि प्रवाह को 'जस्ट इन टाइम' संचालित कर रहा है। वर्तमान में, सात राज्य सरकारों को शामिल किया गया है, और अन्य राज्य सरकारों को शामिल किया जा रहा है।

एलएएफ के तहत सुविधाओं का प्रत्यावर्तन (रिवर्सल)

IX.51 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (8 दिसंबर, 2023) के अनुसार, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दोनों में एक साथ उच्च उपयोग को देखते हुए, 30 दिसंबर 2023 से सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी एसडीएफ और एमएसएफ दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं में प्रत्यावर्तन की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया था। इस उपाय से बैंकों को बेहतर निधि प्रबंधन की सुविधा मिलने की उम्मीद थी। तदनुसार, इसे सक्षम बनाने के लिए ई-*कुबेर* सीबीएस में बदलाव किए गए। इसके अलावा, सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान लेनदेन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा के तहत प्राप्त चलनिधि सुविधाओं का प्रत्यावर्तन पहले मुंबई में अगले कार्य दिवस पर किया जाता था। अब चाहे छुट्टी हो या न हो, इन एएसआईएसओ लेनदेन के अगले दिन तुरंत प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए ई-*कुबेर* में भी बदलाव किए गए।

एनईएफटी को आईएसओ 20022 मैसेजिंग मानकों के अनुरूप बनाना

IX.52 रिज़र्व बैंक में एनईएफटी प्रणाली को माइग्रेट कर दिया गया है और इसे आईएसओ 20022 मैसेजिंग मानकों के अनुरूप बनाया गया है। आईएसओ 20022 मैसेजिंग मानकों पर 230 से अधिक सदस्य बैंकों को शामिल करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सभी सदस्य बैंकों का माइग्रेशन और ऑनबोर्डिंग 2024 की शुरुआत में पूरा होने की उम्मीद है। आईएसओ 20022 को अपनाने से संरचित और विस्तृत डेटा, बेहतर विश्लेषण, एंड-टू-एंड ऑटोमेशन और बेहतर वैश्विक सामंजस्य प्राप्त होगा। यह

आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच अंतर-परिचालनीयता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

आईटी और साइबर सुरक्षा का निरंतर उन्नयन

IX.53 विभाग, उभरते संकट से निपटने की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने और महत्वपूर्ण भुगतान अवसंरचना को पूरा करने वाले अपनी आईटी अवसंरचना की रक्षा के लिए आईटी सुरक्षा अवसंरचना का लगातार मूल्यांकन और उन्नयन करने का प्रयास करता है। इस प्रयास के लिए, विभाग ने 'सुरक्षा स्वचालन, संकट विश्लेषण और प्रतिक्रिया केंद्र (एसएटीएआरसी): अगली पीढ़ी के सुरक्षा संचालन केंद्र (एनजीएसओसी)' को नवीन क्षमताओं और अतिरिक्त उन्नत विशेषता जैसे सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन, स्वचालन और प्रतिक्रिया, उपयोगकर्ता स्थिति व्यवहार विश्लेषण, विस्तारित पहचान और प्रतिक्रिया के साथ उन्नत किया।

IX.54 वर्ष के दौरान, विभाग ने एक आक्रामक सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म की सेवाओं का लाभ उठाकर अपनी सुरक्षा स्थिति को और मजबूत किया, जिसका उपयोग सक्रिय रक्षा और रिज़र्व बैंक के नेटवर्क, सिस्टम, एप्लिकेशन और एंडपॉइंट से संबंधित नीतियों सहित कई सुरक्षा उपकरणों/सॉफ्टवेयर की स्वचालित निरंतर फाइन-ट्यूनिंग के लिए किया जाता है। यह प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा का मूल्यांकन करता है जो सुरक्षा गैप की पहचान करने और मूल्यांकन परिणामों के आधार पर सिस्टम को और बेहतर बनाने में सक्षम करने के लिए नियंत्रित परिवेश में तत्काल समय में हमले के परिदृश्यों का अनुकरण करता है।

निजी क्लाउड अवसंरचना विस्तार

IX.55 विभाग ने मौजूदा क्लस्टरों की क्षमता बढ़ाने और एंड ऑफ द सपोर्ट तक पहुंचने वाले सर्वरों को बदलने के लिए अपनी निजी क्लाउड अवसंरचना (जैसे, वर्चुअलाइज्ड कंप्यूट, मेमोरी और स्टोरेज) को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। यह अतिरिक्त क्षमता, अगली पीढ़ी के कोर बैंकिंग सोल्युशंस (सीबीएस) एप्लिकेशन (*ई-कुबेर* 3.0) के साथ-साथ प्रक्रियाधीन अतिरिक्त गैर-भुगतान एप्लिकेशन में सहायक होगी। रिज़र्व बैंक का निजी क्लाउड सर्वरों का केंद्रीकृत प्रबंधन, स्केलेबिलिटी और एप्लिकेशन होस्टिंग के लिए ओवरहेड लागत में कमी जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है (बॉक्स IX.2)।

केंद्रीकृत डिजिटल एप्लिकेशन प्राप्तियाँ और ट्रैकिंग प्रणाली

IX.56 *प्रवाह* (वीनियामकीय एप्लिकेशन, सत्यापन और प्राधिकरण हेतु) नामक एक सुरक्षित वेब-आधारित केंद्रीकृत पोर्टल विकसित किया गया है ताकि विभिन्न क़ानूनों/विनियमों के तहत रिज़र्व बैंक से लाइसेंस/प्राधिकरण/विनियामकीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया जा सके। एप्लिकेशन के संपूर्ण प्रसंस्करण-जीवनकाल के अद्योपांत डिजिटलीकरण से, यह विनियामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता और विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए व्यापार करने में सुलभता लाएगा। उक्त पोर्टल मांगे गए आवेदनों/स्वीकृतियों पर निर्णय लेने की समय-सीमाएं दिखाएगा और आवेदक को तात्कालिक-स्थिति का अपडेट देगा। 'प्रवाह' को गतिशील फॉर्म-बिल्डिंग क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर विनियामकीय विभाग आसानी से ऑनलाइन फॉर्म के टेम्पलेट बना सकें/संशोधित कर सकें। आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरे हुए फॉर्म संबंधित विभागों द्वारा आंतरिक प्रसंस्करण के लिए *सारथी* (रिज़र्व बैंक के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक कार्यप्रगति एप्लिकेशन) में दर्ज किए जाएंगे। आवेदकों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने और आवेदक को जवाब देने की सुविधाएं भी पोर्टल में उपलब्ध हैं जो ई-मेल/पत्र भेजने की आवश्यकता से मुक्त करती हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस को नवीकृत करना

IX.57 विभाग ने *संवाद* (सिक्योर ऑडियो-वीडियो मीटिंग्स विद एड्वान्स्ड डिवाइसेज़) परियोजना शुरू की है जिसके तहत रिज़र्व बैंक में स्थापित मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्रणाली को नवीकृत किया जा रहा है। इस परियोजना में रिज़र्व

बैंक के कार्यालयों में एक समान, मानकीकृत और अत्याधुनिक ऑडियो-वीडियो और वीसी प्रणाली शामिल है। उक्त नवीकृत प्रणाली सक्रिय स्पीकर ट्रैकिंग कार्यक्षमता, देशी 4के रेसोल्यूशन डिस्प्ले यूनिट एवं अधिक समवर्ती बैठकों के लिए केंद्रीकृत सर्वरों में क्षमता वृद्धि जैसी उन्नत सुविधाएँ प्रदान करती है। परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

IX.58 2024-25 के लिए विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- रिज़र्व बैंक ने क्षमता विस्तार की बाधाओं को दूर करने, लगातार बढ़ती आईटी परिदृश्य की जरूरतों को पूरा करने और क्षेत्र विशिष्ट जोखिमों से बचने के लिए एक नए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर के निर्माण की परियोजना शुरू की है। उक्त डेटा सेंटर, जिसकी परिकल्पना रिज़र्व बैंक और उसके सहायक संगठनों की आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है, वर्ष 2024-25 में अपना परिचालन शुरू करेगा (*उत्कर्ष* 2.0);
- भारतीय वित्तीय क्षेत्र के डेटा की सुरक्षा, अखंडता और गोपनीयता को बढ़ाने के लिए, क्लाउड सुविधा स्थापित की जाएगी और शुरुआत में इसका संचालन आईएफटीएएस द्वारा किया जाएगा। इस क्लाउड सुविधा को मध्यम अवधि में सुविचारित तरीके से शुरू करने की योजना है;

बॉक्स: IX.2

भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा

भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ (आईएफटीएएस) जो रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, के पास अपना स्वयं का क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म चलाने और विभिन्न क्लाउड सेवाएँ प्रदान करने का आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। इस प्लेटफ़ॉर्म को एसएफएमएस सदस्य इंटरफ़ेस के लिए आईएफटीएएस, रिज़र्व बैंक और इसकी सहायक कंपनियों की परियोजनाओं के होस्टिंग के लिए रखा गया था।

चूंकि भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थाएं डेटा की बढ़ती मात्रा से सूझ रही हैं और विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी क्लाउड सुविधाओं के विकल्पों पर विचार कर रही हैं, अत: उनके लिए क्लाउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ उठाने से पहले उनका एक व्यापक व्यावसायिक प्रौद्योगिकी जोखिम मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा, भंडारण, अखंडता, सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता के पहलुओं सहित वैश्विक मानकों का पालन और समझौतों की प्रवर्तनीयता जैसे मुद्दे भी प्रासंगिक हो गए हैं। ऐसी स्थिति में, प्रक्रिया के हर चरण पर सहायता प्रदान करने के लिए एक अनुभवी भागीदार की विशेषज्ञता और सलाह के मामले में वन-स्टॉप समाधान के रूप में इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड (आईबीसीसी) विशेषकर छोटे बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) के लिए फायदेमंद होगा। ऐसा क्लाउड, अधिकार-क्षेत्र के संबंध में किसी भी चिंता को दूर करेगा और डेटा की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों का समाधान करेगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य (8 दिसंबर 2023) में वित्तीय क्षेत्र के लिए एक क्लाउड सुविधा स्थापित करने की घोषणा की, जिसे शुरू में आईएफटीएएस द्वारा संचालित किया जाएगा और बाद में एक अलग इकाई के रूप स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रस्तावित क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के प्रौद्योगिकी के मामले में, अग्रणी सार्वजनिक क्लाउड सेवा प्रदाताओं के बराबर की होने की उम्मीद है। क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म डेटा की उच्च स्तर की सुरक्षा, अखंडता और गोपनीयता बनाए रखते हुए ऑन- डिमांड स्केलेबिलिटी के साथ क्लस्टर्ड उच्च उपलब्धता, उच्च पुन:प्राप्ति समय उद्देश्य (आरटीओ) और पुन:प्राप्ति बिंदु उद्देश्य (आरपीओ) के साथ आपदा बहाली प्रदान करेगा।

यह ध्यान में रखते हुए कि क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म भारतीय वित्तीय प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, इसके विनियमकीय और सुरक्षा अनुपालन के लिए एक अभिशासन ढांचा तैयार किया जाएगा। उक्त ढांचा ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को भी परिभाषित करेगा। आईएफटीएएस के अंदर विभिन्न टीमों, जिसमें क्लाउड रणनीति और अभिशासन, क्लाउड आर्किटेक्ट, तकनीकी प्रशासन सहायता टीम, क्लाउड संचालन और अलर्ट निगरानी टीम, सुरक्षा टीम, वित्त एवं लेखांकन, बिक्री एवं विपणन, कानूनी एवं अनुबंध टीमें शामिल होंगी, के आवंटन के साथ एक स्वतंत्र केंद्रित ऑपरेटिंग इकाई के रूप में एक क्लाउड वर्टिकल का गठन किया जाएगा। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्लाउड सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से इष्टतम क्षमता प्रावधान के

(जारी)

साथ शुरू किया जाएगा।

चरण 1 में सेवाएँ दी जाएंगी :

(ए) सेवा के रूप में अवसंरचना, सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म, सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर; (बी) सेवा के रूप में कंटेनर; (सी) सेवा के रूप में भंडारण; (डी) सेवा के रूप में सार्वजनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल; (ई) सेवा के रूप में आपदा बहाली; (एफ) सेवा के रूप में एंटीवायरस; (जी) सेवा के रूप में लोड बैलेंस, वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल; (ज) सेवा के रूप में बैकअप; और (i) सेवा के रूप में भेद्यता मूल्यांकन।

चरण 2 सेवाएँ दी जाएंगी :

(ए) एपीआई प्रबंधन; (बी) एप्लिकेशन कार्यनिष्पादन प्रबंधन; (सी) उपलब्धता क्षेत्र; और (डी) विकास, सुरक्षा और संचालन (DevSecOps)।

यह उम्मीद की जाती है कि सीएसपी से अपेक्षित सेवाओं की पूरी शृंखला प्रदान करने के लिए आईबीसीसी आवश्यकता के आधार पर एज डेटा सेंटर सहित कई डेटा सेंटर स्थापित करने में सक्षम होगा।

स्रोत: आरबीआई।

- भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फीनेट) भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए संचार-आधार है। यह सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विशेष उपयोग के लिए एक सीमित उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) नेटवर्क है। इन्फीनेट आरटीजीएस, एनईएफ़टी और *ई-कुबेर* जैसे महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली एप्लिकेशन का संचलन करता है। इंफीनेट 3.0 मौजूदा इंफीनेट 2.0 को बेहतर तकनीक, बैंडविड्थ और समग्र सेवाओं के साथ उन्नत करना चाहता है। इसे नवीनतम सॉफ्टवेयर-डिफ़ाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डब्ल्यूएएन) तकनीक के साथ बनाना प्रस्तावित है। एसडी-डब्ल्यूएएन के तहत प्रस्तावित सुविधाओं में लिंक का प्रभावी लोड बैलेंसिंग, ऑडियो और वीडियो ट्रैफ़िक ओप्टिमाइजेशन और एप्लिकेशन अवेयर रूटिंग शामिल हैं। एसडी-डब्ल्यूएएन (वैन) नेटवर्क का केंद्रीकृत प्रबंधन और शून्य स्पर्श प्रावधान भी प्रदान करता है;
- भारतीय रुपये (आईएनआर) को तेज गति से वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक समाधान की परिकल्पना की है, जिसमें भारत की आंतरिक मैसेजिंग प्रणाली एसएफएमएस को ग्लोबल एसएफएमएस हब के माध्यम से अन्य देशों तक बढ़ाया जाएगा। इच्छुक देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में सीमा- पार भुगतान मैसेजिंग के लिए अपने स्थानीय मैसेजिंग सिस्टम को वैश्विक एसएफएमएस हब से जोड़ सकते हैं। इससे भारत को अन्य प्रमुख व्यापारिक मुद्राओं पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन में सहायता मिल सकती है; और
- देश की *आत्मनिर्भर भारत* पहल को सहयोग देने के लिए, विभाग ने बाहरी निर्भरता (विक्रेताओं सहित) को कम करने के लिए निम्नलिखित आंतरिक एप्लिकेशन विकसित करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा सोर्स कोड पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्रदान करते हुए सिस्टम में बदलाव करने के मामले में लचीलापन बढ़ाया गया है:
  - आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) द्वारा *ई-कुबेर* 3.0 एप्लिकेशन का विकास करना। सरकारी भुगतान मॉड्यूल (जीपीएक्स) के साथ कोर अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म का विकास प्रगति पर है।
  - आंतरिक और सीमा-पारीय वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेश संचार को सहयोग प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक संदेश प्रणाली ढांचा विकसित करना। यह विश्व स्तर पर स्वीकृत आईएसओ 20022 मैसेजिंग मानकों पर आधारित होगा जिसमें सीमा-पारीय

समाधान और साख पत्र /बैंक गारंटी (एलसी/बीजी) संदेश जैसी कार्यक्षमताएं होंगी।

- डिजिटल भुगतान प्रणालियों के लिए एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करना, जो अन्य उन्नत कार्यात्मकताओं के साथ-साथ मौजूदा सीपीएस द्वारा वर्तमान में मिल रही सभी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगा। यह प्रणाली खुदरा और उच्च मूल्य वाली भुगतान सेवाओं, बल्क मैसेज सपोर्ट और कम मूल्य वाली त्वरित भुगतान सेवाओं को सहयोग प्रदान करेगा। यह सीपीएस से जुड़ने के लिए थिक क्लाइंट और ओपन एपीआई सॉल्यूशन जैसे विकल्प प्रदान करेगा। इस घरेलू विकसित व्यापक प्रणाली को अन्य देशों को भी देने का प्रस्ताव है।

4. निष्कर्ष

IX.59 रिज़र्व बैंक ने अखंडता, समावेशन, नवोन्मेष और अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रमुख लक्ष्यों पर केन्द्रित भुगतान विज़न दस्तावेज़ *2025* के अनुरूप वर्ष के दौरान कई पहलों की शुरूआत के माध्यम से देश में अत्याधुनिक भुगतान और निपटान प्रणाली विकसित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष के दौरान, यूपीआई और रूपे की वैश्विक पहुंच बढ़ाने की संभावनाएं भी तलाशी गईं। *ई-कुबेर* और भुगतान प्रणालियों में उन्नयन के अलावा, रिज़र्व बैंक के प्रमुख आंतरिक एप्लिकेशन को भी नवीकृत किया गया। रिज़र्व बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं (साइबर हाइजीन) को अपनाया गया। भारतीय वित्तीय क्षेत्र की सुरक्षा, अखंडता और गोपनीयता बढ़ाने के लिए क्लाउड सुविधा स्थापित करने की दिशा में पहल शुरू की गई। आगे बढ़ते हुए, क्षमता विस्तार की बाधाओं को दूर करने, लगातार बढ़ती आईटी परिदृश्य आवश्यकताओं को पूरा करने और क्षेत्र विशिष्ट जोखिमों से बचने के लिए एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर परिचालित किया जाएगा।

X संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी

2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने संचार में पारदर्शिता, स्पष्टता और समयबद्धता बनाए रखी। भारत की जी20 अध्यक्षता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। रिज़र्व बैंक ने सरकार की नकदी प्रबंधन प्रणाली में और अधिक दक्षता लाने और विदेशी मुद्रा भंडार के सुदृढ़ प्रबंधन की दिशा में भी प्रयास जारी रखा। नीतिगत निविष्टि को मजबूत करने के लिए आर्थिक नीति विश्लेषण और अनुसंधान और सूचना प्रबंधन प्रणालियों को और अधिक परिष्कृत किया गया। स्थिर और सक्रिय वित्तीय क्षेत्र के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई विधायी पहल की गई और कई संशोधन किए गए।

X.1 2023-24 के दौरान, प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और समयबद्धता के सिद्धांतों पर आधारित रिज़र्व बैंक की संचार नीति, नीतिगत कार्यों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित रही। रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। एकीकृत मंच पर सभी हितधारकों को क्रमिक रूप से शामिल करके एक कुशल सरकारी नकदी प्रबंधन प्रणाली के लिए कार्य शुरू किए गए। विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के विवेकपूर्ण सिद्धांतों (जैसे, सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ) का पालन किया गया। नीति निर्धारण के लिए प्रभावी और सामयिक विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करने के लिए समसामयिक समष्टि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला पर शोध अध्ययन किए गए। नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस [अर्थात, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस)] के विकास के माध्यम से सूचना प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत किया गया। इस वर्ष वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई विधानों में संशोधन हुए या नए विधान प्रस्तुत किए गए।

X.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में रिज़र्व बैंक की संचार नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की कई प्रमुख पहलों का उल्लेख है। खंड 3 में रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ संवाद पर चर्चा की गई है। खंड 4 सरकारों और बैंकों के लिए बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक की गतिविधियों से संबंधित है। खंड 5 विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के संचालन का विश्लेषण करता है। खंड 6 सांविधिक रिपोर्ट और अग्रणी अनुसंधान प्रकाशन सहित अनुसंधान गतिविधियों पर केन्द्रित है। खंड 7 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों को रेखांकित करता है और खंड 8 विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। अंतिम खंड में निष्कर्ष दिया गया है।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.3 केंद्रीय बैंक के रणनीति साधनों में संचार की केंद्रीयता का लंबे भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अस्थिरता के माहौल में समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्व बढ़ने लगा है। वास्तविक परिणामों को आकार देने में अपेक्षाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावी संचार इसके नीतिगत कार्यों की प्रभावकारिता को मजबूत कर सकता है और मूल्य और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। मुख्यधारा की मीडिया, वेबसाइटों और भाषणों के अलावा, केंद्रीय बैंकों ने सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया और

जनता के साथ सीधे जुड़ाव के माध्यम से नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग जारी रखा। वैश्विक स्तर पर, जहां वैश्विक मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर के कारण 2023-24 के दौरान, मौद्रिक नीति से संबंधित संचार मुख्यधारा की मीडिया की सुर्खियों में रहा, वहीं चुनिंदा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पर्यवेक्षी सरोकारों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एकबारगी घटनाओं के प्रसार को रोकने के लिए त्वरित और समय पर संचार की आवश्यकता को रेखांकित किया। सोशल मीडिया के युग में सक्रिय दो-तरफ़ा संचार चैनल के माध्यम से गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए कड़ी निगरानी का महत्व बढ़ गया है।

X.4 वर्ष के दौरान, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रिज़र्व बैंक के संरचित संचार के साथ-साथ शीर्ष प्रबंधन के भाषणों व साक्षात्कारों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अनौपचारिक मीडिया संवाद तथा मीडिया कार्यशालाओं के माध्यम से मौखिक संचार भी जोड़ा गया। रिज़र्व बैंक की संचार रणनीति में विनियमित संस्थाओं और वित्तीय बाजारों के प्रभुत्व वाले विशेष वर्ग के साथ-साथ अधिक विविध प्रकार के वर्ग शामिल हैं, जो सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। गैर-तकनीकी और समझने में आसान संचार ने न केवल इसे अधिक प्रभावी बना दिया है, बल्कि सार्वजनिक विश्वास बनाने में भी मदद की है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोग किया है।

X.5 रिज़र्व बैंक ने एक पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी भूमिका में, *'आरबीआई कहता है'* और 'आरबीआई सेज़' बैनर के तहत 360-डिग्री जन जागरूकता अभियान (पीएसी) भी चलाया। प्रिंट, डिजिटल, टेलीविजन (टीवी), शॉर्ट-मैसेजिंग-सर्विस (एसएमएस), आउट-ऑफ-होम (ओओएच), सोशल मीडिया, खेल कार्यक्रम और अन्य उच्च-प्रभाव वाले कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शाए गए इन अभियानों का उद्देश्य रिज़र्व बैंक की नई पहलों के बारे में जागरूकता फैलाना, धोखाधड़ी करने वाले लोगों/योजनाओं के प्रति लोगों को सचेत करना और वित्तीय साक्षरता में सुधार करना है। *'आरबीआई कहता है...जानकार बनिए, सतर्क रहिए'* (आरबीआई सेज़...बी अवेयर, बी एलर्ट) की व्यापक थीम के तहत चलाए गए अभियानों का उद्देश्य ग्राहकों को सूदखोर प्रथाओं और अपंजीकृत लोगों से बचाने के साथ-साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। ये अभियान 14 विभिन्न भाषाओं में हैं और समाज के सभी वर्गों को लक्षित करते हैं।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.6 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता अभियानों के प्रभाव मूल्यांकन को पूरा किया जाना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ X.7];
- सभी हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम पुन: डिज़ाइन की गई वेबसाइट का आरंभ *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ X.7]; और
- कोलकाता में 'दी आरबीआई म्यूजियम' के दूसरे चरण को पूरा करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.8]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.7 रिज़र्व बैंक ने मई 2023 में जन जागरूकता अभियानों का प्रभाव मूल्यांकन विश्लेषण पूरा किया। इस मूल्यांकन से मिले अनुभव का उपयोग जन जागरूकता अभियानों की रणनीति को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक की वेबसाईट को अधिक व्यवस्थित और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस उपलब्ध कराने के लिए नवीकृत किया गया। रिज़र्व बैंक की नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन को फिर से डिज़ाइन करने और विकसित करने का कार्य पूरा हो चुका है

और 05 अप्रैल 2024 को सभी हितधारकों के लिए इसकी शुरुआत की गई है।

X.8 रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों को दर्शाने वाले 'दी आरबीआई म्यूज़ियम' के दूसरे चरण की स्थापना कोलकाता में पूरी हो चुकी है। 12 दिसंबर 2023 को आरबीआई के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। 'दी आरबीआई म्यूज़ियम' की नवोन्मेषी प्रदर्शनियों में इंटरैक्टिव टूल की एक विस्तृत शृंखला शामिल है। संग्रहालय मुद्रा की अवधारणा, उसके विकास और अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, जनता के मुद्रा व्यवहार और समाज में स्वर्ण के निरंतर बढ़ते महत्व को एक इंटरैक्टिव अंदाज में स्पष्ट करता है (बॉक्स X.1)। 31 मार्च 2024 तक, संग्रहालय की स्थापना के बाद से 35,270 से अधिक आगंतुकों ने इसे भेंट दी।

प्रमुख गतिविधियां

X.9 2023-24 के दौरान, संचार विभाग (डीओसी) ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 12 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में टीवी, प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, ओओएच, एसएमएस और सिनेमा जैसे विभिन्न मीडिया का उपयोग करके प्रसंगानुसार संचार का प्रसार किया (सारणी X.1)।

X.10 इन विषय आधारित प्रसंगानुकूल अभियानों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने जनता के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), *कौन बनेगा करोड़पति* (केबीसी), एशियाई खेलों और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

बॉक्स X.1

केंद्रीय बैंक संग्रहालय

कोई भी संग्रहालय एक प्रकार से ज्ञान का खजाना होता है। वह देश/संगठन की संस्कृति और इतिहास का जतन करता है और संचार के एक महत्वपूर्ण माध्यम की भूमिका निभाता है। केंद्रीय बैंकों के संग्रहालयों का उद्देश्य लोगों तक उनकी भूमिका और उनके कार्य की जानकारी देना होता है। इस महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए कई केंद्रीय बैंकों ने इतिहास; विकास एवं कार्य; राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्रा; तथा जन जागरूकता और वित्तीय साक्षरता की दिशा में किए गए उनके प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए अपने स्वयं के संग्रहालय विकसित किए हैं। इनमें बैंको सेंट्रल डो ब्राज़िल (बैंको सेंट्रल म्यूज़ियम), बैंक ऑफ इंग्लैंड (बैंक ऑफ इंग्लैंड म्यूज़ियम), बैंक ऑफ इटली (मनी म्यूज़ियम), बैंक ऑफ जापान (करेंसी म्यूज़ियम), बैंक ऑफ रशिया (दी बैंक ऑफ रशिया म्यूज़ियम), ड्यूश बंड्सबैंक (मनी म्यूज़ियम), फेडरल रिज़र्व (मनी म्यूज़ियम), मॉनिटरी एथोरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) [एमएएस गैलरी], और रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (दी रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया म्यूज़ियम) शामिल हैं। ये संग्रहालय मुद्राओं, सिक्कों और अन्य मौद्रिक साधनों, केंद्रीय बैंक के इतिहास और उसके कार्यों, धन के बारे में ज्ञान और मुद्रा के विकास को दर्शाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के तीन संग्रहालय हैं, - (i) कोलकाता में दी आरबीआई म्यूज़ियम; (ii) मुंबई में मौद्रिक संग्रहालय; और (iii) पुणे में भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार। मुंबई के संग्रहालय में मुख्य रूप से विभिन्न कालखंडों के बैंक नोट और सिक्कों का संग्रह प्रदर्शित किया गया है तथा पुणे का संग्रहालय बीते वर्षों में रिज़र्व बैंक की यात्रा से संबंधित दस्तावेजों का समृद्ध संग्रह प्रदर्शित करता है।

कोलकाता में स्थित 'दी आरबीआई म्यूज़ियम' रिज़र्व बैंक का पहला ऐसा संग्रहालय है जिसमें कलाकृतियाँ और मुद्रा, भारत में केंद्रीय बैंकिंग का उद्भव, रिज़र्व बैंक और उसके कार्य, वित्तीय साक्षरता और सार्वजनिक जागरूकता संदेशों का संपूर्ण प्रदर्शन है। 'दी आरबीआई म्यूज़ियम' का पहला चरण मार्च 2019 में जनता के लिए खोला गया जिसमें मुद्रा, स्वर्ण और रिज़र्व बैंक की उत्पत्ति के रोचक किस्सों को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय में एक इंटरैक्टिव गेमिंग ज़ोन भी है जहां युवा आगंतुक वित्त संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 'दी आरबीआई म्यूज़ियम' के दूसरे चरण में 75 अभिनव प्रदर्शनियों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों को दर्शाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लिपबुक, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पैनल, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) सेंसर आधारित प्रदर्शन, भित्ति चित्र, इंटरैक्टिव गेम, होलोग्राफिक डिस्प्ले, डियोरामा और कलाकृतियाँ शामिल हैं। यह संग्रहालय अपने संदेश और जानकारी को जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। फेसबुक पेज - therbimuseum और आरबीआई के इंस्टाग्राम पेज - @reservebankofindia पर इसकी बहुत सक्रिय उपस्थिति है।

स्रोत: आरबीआई और केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें।

सारणी X.1: आवश्यकता आधारित अभियान: 2023-24

अभियान का विवरण	अवधि
1	2
1. नोटों का विनिमय	अप्रैल-जून 2023
2. रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस)	जून-जुलाई 2023 सितंबर-अक्टूबर 2023 नवंबर 2023 - जनवरी 2024
3. खुदरा प्रत्यक्ष योजना	जुलाई-अगस्त 2023
4. विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म	सितंबर-नवंबर 2023
5. डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म	अक्टूबर-दिसंबर 2023
6. अकाउंट एग्रीगेटर	अक्टूबर-दिसंबर 2023
7. विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म	दिसंबर 2023 - जनवरी 2024
8. सिक्कों से संबंधित गलत सूचना	दिसंबर 2023 - जनवरी 2024
9. केंद्रीय बैंकिंग डिजिटल करेंसी	दिसंबर 2023 - फरवरी 2024
10. डिजिटल भुगतान-यूपीआई या कार्ड, धोखाधड़ी को कहें अलविदा	जनवरी 2024
11. वित्तीय साक्षरता सप्ताह	फरवरी 2024
12. सीईपीडी एसएमएस अभियान	अप्रैल-अगस्त 2023 दिसंबर 2023 फरवरी 2024
13. डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह	मार्च 2024
14. खुदरा प्रत्यक्ष योजना	मार्च 2024

यूपीआई: एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस।
सीईपीडी: उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग।
स्रोत: आरबीआई।

परिषद (आईसीसी) पुरुष क्रिकेट विश्व कप जैसे उच्च प्रभाव वाले आयोजनों/कार्यक्रमों में भाग लिया। टियर 3 और 4 शहरों में अधिक पहुंच के लिए, राष्ट्रीय प्रसारकों, *जैसे आकाशवाणी* और *दूरदर्शन* के माध्यम से भी अभियान चलाए गए।

X.11 ये जन जागरूकता संदेश साप्ताहिक आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जारी किए गए। याद होगा कि, इसके लिए दो शुभंकर, 'मनी कुमार' और 'मिस मनी' का सभी पीएसी में उपयोग किया जाता है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से चलाए गए ये अभियान 360-डिग्री अभियान (टीवी, प्रिंट, रेडियो, डिजिटल, एसएमएस, ओओएच और सिनेमा सहित सभी जन मीडिया को शामिल करते हुए) के पूरक हैं।

अन्य पहल

क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला

X.12 रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के साथ नियमित कार्यशालाएं आयोजित करता है और उनसे नियमित बातचीत करता है ताकि वे केंद्रीय बैंक के कार्य को समझ सकें और उसकी नवीनतम गतिविधि, अवधारणाओं और उसकी नीतियों के पीछे के तर्कों के बारे में जान सकें। वर्ष के दौरान जयपुर और बेंगलुरु में ऐसी दो कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस

X.13 द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद, गवर्नर और उप गवर्नर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं। वर्ष के दौरान इस प्रकार की छह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं।

अनौपचारिक मीडिया संवाद

X.14 रिज़र्व बैंक जब भी आवश्यक हो, अनौपचारिक परिवेश में मीडिया संवाद आयोजित करता है। वर्ष के दौरान इस प्रकार के 17 संवाद आयोजित किए गए।

सोशल मीडिया कमांड सेंटर

X.15 फोलोवर्स की बढ़ती संख्या, जन सहभागिता और सूचना प्रसार के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रिज़र्व बैंक की उपस्थिति अच्छे प्रमाण में दिखाई देती है (सारणी X.2)। रिज़र्व बैंक ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब के अलावा दिसंबर 2023 में लिंक्डइन में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया।

आरबीआई वेबसाइट

X.16 2023-24 के दौरान, विभाग ने 2,146 प्रेस विज्ञप्तियां, 161 अधिसूचनाएं, 19 मास्टर परिपत्र और 16 मास्टर निदेश जारी किए और 20 साक्षात्कार और शीर्ष प्रबंधन के 48 भाषण, सात आरबीआई रिपोर्ट, सात वर्किंग पेपर, 2,249 निविदाएं और 46 भर्ती संबंधी विज्ञापन अपलोड किए और एक्स (पहले ट्विटर) पर 239 पोस्ट किए।

सारणी X.2: सोशल मीडिया उपस्थिति*

(लाख)

प्लेटफॉर्म	सोशल मीडिया हैंडल/पेज का नाम	शुरू करने की तारीख	फॉलोवर्स/सब्सक्राइबर्स की संख्या
1	2	3	4
1. X (पूर्व में ट्वीटर)	i. @RBI	जनवरी 2012	22.5
	ii. @RBIsays	अगस्त 2019	2.19
2. यूट्यूब	Reserve Bank of India	अगस्त 2013	2.07
3. फेसबुक	i. @RBIsays	अगस्त 2019	0.13
	ii. @therbimuseum	फरवरी 2020	0.02
4. इंस्टाग्राम	@reservebankofindia	जनवरी 2022	3.75
5. पब्लिक ऐप	@RBIsays	जनवरी 2023	0.49
6. लिंक्डइन	Reserve Bank of India (RBI)	दिसंबर 2023	1.66

*: 28 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार।
स्रोत: आरबीआई।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.17 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक के संचार चैनलों को और मजबूत किया जाएगा, और निम्नानुसार प्रयास किए जाएंगे:

- समय-समय पर मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना;
- विभिन्न विषयों पर आयोजित 360-डिग्री जागरूकता अभियानों को जारी रखना;
- रिज़र्व बैंक की संचार नीति की व्यापक समीक्षा करना;
- आरबीआई *सुनता है* (आरबीआई लिसन्स) कार्यक्रम शुरू करना;
- वित्तीय जागरूकता और सार्वजनिक जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करना; और
- 'दी आरबीआई म्यूजियम' माइक्रोसाइट विकसित करना।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.18 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईओ) और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया। भारत के दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जी20, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), ब्रिक्स[1] और सार्कफाइनेंस[2] जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रखा गया। भारत की जी20 अध्यक्षता 30 नवंबर 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें ब्राजील ने 2024 के लिए जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024 के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई सेंट्रल बैंक (एसईएसीईएन) अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण की।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.19 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

[1] ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।

[2] दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों (जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के केंद्रीय बैंक गवर्नरों और वित्त सचिवों का नेटवर्क।

- जी20 अध्यक्षता वित्त ट्रैक (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.20-X.24];
- आईएमएफ-विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) संयुक्त पंचवार्षिक निगरानी - भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.26-X.27]; और
- रिज़र्व बैंक, भारत सरकार (जीओआई) की सहमति से 2023-26 के लिए एक सार्क करेंसी स्वैप ढांचा स्थापित करेगा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.29]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.20 भारतीय अध्यक्षता के जी20 वित्त ट्रैक में विभिन्न कार्य समूहों में प्राथमिकताओं के साथ डिजिटलीकरण, ग्लोबल साउथ के सरोकारों और जलवायु परिवर्तन के व्यापक विषयों की प्रधानता थी। रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों (एफएसआई), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) के तहत कई जी20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं और वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई) पर काम शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें एफएसबी, बीआईएस, आईएमएफ और ओईसीडी जैसे आईओ के साथ गहन सहयोग भी शामिल था। विभाग ने भारतीय अध्यक्षता के तहत जी20 वित्त ट्रैक कार्यक्रमों पर एक ई-संकलन तैयार किया, जिसका शीर्षक 'जी20 वित्त ट्रैक- वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर: स्मृतियां और परिणाम' है।

X.21 जीपीएफआई ने वित्तीय समावेशन कार्य योजना (एफआईएपी) 2020, जो छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन और वित्त पर केंद्रित है, को पूरा करने के साथ वित्तीय समावेशन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का लाभ उठाने को प्राथमिकता दी। एफआईएपी 2023 को वित्तीय सेवाओं तक बुनियादी पहुंच के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण पहुंच की ओर बढ़ने पर जोर देने के साथ तैयार किया गया।

X.22 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप (आईएफए डब्ल्यूजी) में, रिज़र्व बैंक ने (i) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के समष्टि-वित्तीय निहितार्थों का आकलन करने; (ii) सतत पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तीय समुत्थानशीलता को मजबूत करने; और (iii) वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र (जीएफएसएन) को मजबूत करने पर काम शुरू किया।

X.23 एफएसआई के तहत, रिज़र्व बैंक ने जी20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं (i) धन के निर्बाध प्रवाह के लिए राष्ट्रीय द्रुतगति भुगतान प्रणालियों की अंतर-परिचालनीयता; (ii) बिगटेक और फिनटेक से संबंधित तीसरे पक्ष के जोखिमों और आउटसोर्सिंग को प्रबंधित करने की वित्तीय संस्थानों की क्षमता को भी मजबूत करने; और (iii) वित्तीय क्षेत्र की साइबर समुत्थानशीलता को मजबूत करने के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचे पर कार्य शुरू किया।

X.24 जन-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करते हुए, रिज़र्व बैंक ने भारत की जी20 अध्यक्षता वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए "*जनभागीदारी*" (लोगों की भागीदारी) और घरेलू कार्यक्रमों के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभायी। रिज़र्व बैंक ने जी20 मंत्रिस्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के साथ-साथ इस अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर कई कार्यक्रम अलग से भी आयोजित किए। इसके अलावा, आईएफए और फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडबल्यूजी) की जी20 प्राथमिकताओं पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 11 अगस्त 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया। 9-10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा (एनडीएलडी) को अपनाने के साथ समाप्त हुआ।

X.25 आईएमएफ ने कोटा संबंधी 16वीं सामान्य समीक्षा (जीआरक्यू) संपन्न की। 15 दिसंबर, 2023 को, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) ने सदस्यों के कोटा में 50 प्रतिशत (एसडीआर 238.6 बिलियन या यूएस $ 320 बिलियन) की वृद्धि को मंजूरी दी जिससे आईएमएफ का कुल कोटा एसडीआर

715.7 बिलियन (यूएस $ 960 बिलियन) हो जाएगा। बढ़ा हुआ कोटा सदस्यों को उनके मौजूदा कोटा शेयरों के अनुपात में आवंटित किया जाएगा। भारत का कोटा बढ़कर एसडीआर 19.67 बिलियन (यूएस $ 25.9 बिलियन[3]) हो जाएगा। 16वें जीआरक्यू में यह भी परिकल्पना की गई है कि एक बार कोटा वृद्धि प्रभावी हो जाने पर, द्विपक्षीय उधार समझौते (बीबीए) समाप्त हो जाएंगे और आईएमएफ की वर्तमान ऋण देने की क्षमता को बनाए रखने के लिए उधार लेने की नई व्यवस्था (एनएबी) को कम कर दिया जाएगा।

X.26 विभाग ने अप्रैल और अक्टूबर 2023 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की फंड-बैंक बैठकों के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराईं। विभाग ने सितंबर 2023 में आयोजित आईएमएफ के आर्टिकल IV परामर्श को पूरा करने में सहायता की। भारत की 2023 आर्टिकल IV परामर्श स्टाफ रिपोर्ट 18 दिसंबर 2023 को प्रकाशित हुई।

X.27 जब 1999 में एफएसएपी कार्यक्रम शुरू हुआ, तब मूल्यांकन स्वैच्छिक थे। 2010 में, आईएमएफ ने भारत के प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों सहित 25 अधिकार क्षेत्रों के लिए हर पांच साल में एफएसएपी मूल्यांकन अनिवार्य कर दिए। भारत के लिए एफएसएपी 2024 से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है।

X.28 ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने वैकल्पिक मुद्राओं में भुगतान और धन के वास्तविक अंतरण के साथ आईएमएफ कार्यक्रम से अलग किए गए चलनिधि लिखत को शामिल करते हुए एक आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (सीआरए) परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। परीक्षण की सफलता ब्रिक्स सीआरए की परिचालन तत्परता की पुष्टि करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने विभिन्न कार्य धाराओं *जैसे* ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन, सूचना सुरक्षा, भुगतान प्रणाली और ट्रांजीशन वित्त के तहत कई जानकारी साझा करने संबंधी गतिविधियों और अध्ययन रिपोर्ट के साथ अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है।

X.29 सार्क करेंसी स्वैप ढांचे के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा भूटान के रॉयल मोनीटरी एथोरिटी (आरएमएबी) के साथ एक द्विपक्षीय स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 28 नवंबर, 2023 को नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) और रिज़र्व बैंक के बीच छठी संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति (जेटीसीसी) की बैठक आयोजित की गई। रिज़र्व बैंक ने सार्क केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति और भुगतान प्रणाली सहित विभिन्न केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्रों में तकनीकी सहायता एवं उच्च अध्ययन के लिए सार्कफाइनेंस छात्रवृत्ति प्रदान करके सहयोग प्रदान किया। 1 मार्च, 2024 को बैंक ऑफ जापान (बीओजे) और रिज़र्व बैंक के बीच वरिष्ठ स्तरीय वार्ता (एसएलडी) आयोजित की गई।

X.30 वर्ष 2024 के लिए एसईएसीईएन केंद्र के चेअर के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 59वें एसईएसीईएन गवर्नरों के सम्मेलन जो 'आर्थिक बाधाओं को दूर करना और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना: परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ' विषय पर केन्द्रित था और 15 और 16 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित 43वें एसईएसीईएन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की मेजबानी की।

X.31 विभाग ने 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय बैठकों/मुद्दों में टिप्पणियों/सूचनाओं के साथ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को सहयोग प्रदान किया।

अन्य पहल

बीआईएस की गतिविधियाँ

X.32 विभाग ने बीआईएस की विभिन्न बैठकों जैसे गवर्नरों की द्विमासिक बैठकें, वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस)[4], उभरते बाजार उप-गवर्नरों की बीआईएस

[3] 7 नवंबर, 2023 की एसडीआर/यूएसडी विनिमय दर के आधार पर।

[4] सीजीएफएस वैश्विक वित्तीय बाजारों में तनाव के संभावित स्रोतों का आकलन करता है और उनके कामकाज और स्थिरता में सुधार को बढ़ावा देता है।

वार्षिक बैठक, हाँगकाँग मॉनिटरी एथोरिटी उच्च स्तरीय सम्मेलन और बीआईएस वार्षिक सम्मेलन के लिए विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की। इसके अलावा, विभाग ने बीआईएस प्रिपरेटरी एशियन कंसल्टेटिव काउंसिल (एसीसी) की बैठकों में भाग लिया। विभाग ने बीआईएस सर्वेक्षण जैसे की गैर-बैंक ऋण पर वित्तीय स्थिरता सर्वेक्षण और केंद्रीय बैंक नीति बोर्डों के लिए बैठक प्रोटोकॉल पर केंद्रीय बैंक अभिशासन नेटवर्क (सीबीजीएन) सर्वेक्षण में योगदान दिया। विभाग ने मौद्रिक नीति पर बीआईएस वर्किंग पार्टी, ब्याज दर जोखिम एक्स्पोज़र पर सीजीएफएस वर्किंग ग्रुप, समष्टि विवेकपूर्ण नीति पर सीजीएफएस कार्यशाला, केंद्रीय बैंक आरक्षित निधि, चलनिधि विनियमन और वित्तीय स्थिरता पर संयुक्त बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति- बाजार समिति-सीजीएफएस (बीसीबीएस-एमसी-सीजीएफएस) वर्किंग ग्रुप और एशियाई केंद्रीय बैंकों के बीच जलवायु वित्त पर बीआईएस-एशियाई विकास बैंक गोलमेज चर्चा में रिज़र्व बैंक की भागीदारी का भी समन्वयन किया।

वैश्विक वित्तीय विनियमन पर एफएसबी की पहल

X.33 विभाग ने एफएसबी की विभिन्न स्थायी समितियों की चर्चा में योगदान दिया, जिसमें वित्तीय स्थिरता पर वैश्विक सहयोग; गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) की समुत्थानशीलता; क्रिप्टो-आस्तियां; और अन्य वित्तीय नवोन्मेष; सीमा-पार भुगतान; साइबर और परिचालनगत समुत्थानशीलता और जलवायु परिवर्तन से वित्तीय जोखिम जैसे कई विषयों पर रिज़र्व बैंक के विचार प्रस्तुत किए। वर्ष के दौरान, विभाग ने सीमा-पार भुगतान बढ़ाने के लिए जी20 रोडमैप; ओवर दि काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार सुधार; एनबीएफआई की समुत्थानशीलता में वृद्धि; गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट (जीएमआर); और क्रिप्टो-आस्ति गतिविधियों के लिए वैश्विक विनियामक ढांचा जैसी प्रमुख एफएसबी रिपोर्टों पर सूचना प्रदान की।

X.34 इसके अतिरिक्त, विभाग ने एफएसबी द्वारा आयोजित विभिन्न सर्वेक्षणों में योगदान दिया जिसमें इसका वार्षिक निगरानी अभ्यास; कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) अपनाने पर सिफ़ारिशों को लागू करने की प्रगति पर सर्वेक्षण; ओटीसी डेरिवेटिव बाजार सुधारों के कार्यान्वयन पर वार्षिक प्रश्नावली, और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी) पर एफएसबी नीति सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन शामिल हैं। विभाग ‘12वें भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय संवाद-संयुक्त वक्तव्य’ और ‘भारत-यूएसए आर्थिक और वित्तीय साझेदारी (ईएफपी)’ की त्रैमासिक बैठकों के लिए सूचना प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल था।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.35 वर्ष के दौरान, विभाग रिज़र्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- 2024-26 के लिए सार्क करेंसी स्वैप ढांचा (*उत्कर्ष* 2.0);
- आईएमएफ-डब्ल्यूबी संयुक्त पंचवार्षिक निगरानी-भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 (*उत्कर्ष* 2.0); और
- वर्ष 2024 के लिए एसईएसीईएन केंद्र के चेअर के रूप में, रिज़र्व बैंक 17वें एसईएसीईएन उच्च-स्तरीय सेमिनार और एसईएसीईएन कार्यकारी समिति की 23वीं बैठक की मेजबानी करेगा।

4. सरकारी और बैंक लेखा

X.36 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) आंतरिक लेखों का लेखा-जोखा रखने और रिज़र्व बैंक की लेखा नीतियों को तैयार करने के अलावा बैंकों के बैंकर और सरकारों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यों का प्रबंधन करता है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.37 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया था:

- ई-*कुबेर* और सरकारी प्रणाली के बीच एकीकरण के माध्यम से चरणबद्ध रूप में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत भुगतान लागू करना (पैराग्राफ X.38)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.38 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) और रिज़र्व बैंक की ई-*कुबेर* प्रणाली के एक एकीकृत ढांचे के माध्यम से सीएसएस निधि जारी करने के लिए एसएनए-स्पर्श[5] को वर्ष के दौरान लागू किया गया (बॉक्स X.2)। 31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के साथ सात

बॉक्स X.2

सरकारी भुगतान में दक्षता लाने की पहल - सीएसएस को लागू करना

रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए सरकारी भुगतानों में दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास रहा है तथा 'उपुक्त समय में' (जस्ट इन टाइम) सिद्धांत के अनुसार निधि जारी करना यथासंभव लागू कर रहा है ताकि सरकार की नकदी प्रबंधन प्रणाली को अधिक दक्ष बनाया जा सके। एसएनए-स्पर्श एक एकीकृत ढांचे के माध्यम से केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सीएसएस फंड जारी करने के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 13 जुलाई 2023 को एसएनए-स्पर्श के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंक की भागीदारी के बिना सरकारों के लिए प्राथमिक बैंकर के रूप में कार्य करता है;
- भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग मौजूदा यूजर डिफाइन्ड कस्टमर हायरारकी (यूडीसीएच) कोड के तहत रिज़र्व बैंक के साथ एक आहरण खाता खोलेंगे;
- राज्य सरकार सीएसएस के अनुरूप प्रत्येक राज्य से जुड़ी योजना (एसएलएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। राज्य सरकार रिज़र्व बैंक में एसएलएस-वार एसएनए आहरण खाते खोलेगी;
- वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, मंत्रालय/विभाग राज्य के सीएसएस के लिए पीएफएमएस में एक 'मदर सैंक्शन' सृजित करेंगे। 'मदर सैंक्शन' उस सीएसएस के लिए मंत्रालय/विभाग की राज्य-वार आहरण सीमा को तय करेगा;
- राज्य सरकार केंद्रीय हिस्से का अग्रिम जारी करने के लिए समेकित *(केंद्र और राज्य का हिस्सा)* भुगतान फ़ाइल पीएफएमएस के साथ साझा करेगी, जिसके बाद संबंधित मंत्रालय/विभाग केंद्र के आहरण खाते से राज्य के आहरण खाते में धनराशि के केंद्रीय हिस्से के अंतरण के लिए मंजूरी सृजित करेगा। मंजूरी संबंधी आवश्यक विवरण पीएफएमएस द्वारा ई-भुगतान फ़ाइल के रूप में ई-*कुबेर* को सूचित किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के आहरण खाते में केंद्रीय हिस्से को पहले ही जमा कर दिया जाएगा। धनराशि का केंद्रीय हिस्सा जारी होने के बाद उस राज्य संबंधी योजना के लिए केंद्र के आहरण खाते के 'मदर सैंक्शन' में से समतुल्य राशि कम हो जाएगी;
- केंद्र का हिस्सा प्राप्त होने पर समेकित भुगतान फ़ाइल राज्य राजकोष प्रणाली से ई-*कुबेर* में स्वचालित रूप से अंतरित हो जाएगी, जहां से भुगतान फ़ाइल की कुल राशि के अनुसार राज्य की आहरण राशि को नामे किया जाएगा और भुगतान फ़ाइल में दिए गए निर्देशों के अनुसार विक्रेताओं/लाभार्थियों को भुगतान जारी किया जाएगा। ई-*कुबेर* इस भुगतान की नामे सूचना पीएफएमएस और राज्य आईएफएमआईएस दोनों के साथ साझा करेगा; और
- धनराशि संबंधित समेकित निधि में जमा रहेगी और उसे लाभार्थियों/विक्रेताओं को 'जस्ट-इन-टाइम' सिद्धांत के अनुसार जारी किया जाएगा।

परियोजना के प्राथमिक प्रयोग के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2023 के अंत तक छह योजनाओं और दस राज्यों[10] की पहचान की गई है।

स्रोत: आरबीआई।

[5] एकल नोडल एजेंसी - *समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण* (एसएनए-स्पर्श) एकीकृत त्वरित हस्तांतरण की एक वास्तविक समय प्रणाली है।

[6] राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार और असम।

राज्य सरकारें इस एकीकृत मंच पर लाइव हो गई हैं। इस योजना के आगे का विस्तार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

प्रमुख गतिविधियाँ

सरकारी रिपोर्टिंग प्रणालियों में दक्षता लाने के लिए पहल

X.39 वर्ष के दौरान, एक राज्य सरकार सेक्यूअर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) के माध्यम से एक्सएमएल[7] प्रारूप में क्लियरेंस मेमो और फैक्स संदेश रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्यक्षमता के लिए लाइव हुई। इसके साथ तीन राज्य सरकारें (*अर्थात,* पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब) अब इस कार्यक्षमता के साथ तैयार हैं।

पहले से की गई सरकारी पहलों का स्थिरीकरण

X.40 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के साथ विभिन्न सरकारी भुगतानों और प्राप्तियों के एकीकरण के माध्यम से सरकारी बैंकिंग की प्रक्रिया को लगातार उन्नत करने और बेहतर बनाने के रिज़र्व बैंक के प्रयास के रूप में, टैक्स इन्फोर्मेशन नेटवर्क (टीआईएन 2.0) जिसने ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) को संवर्द्धन और संशोधनों के साथ प्रतिस्थापित किया, स्थिर हुआ है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित त्रुटि ज्ञापन (एमओई) मामलों के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए रिज़र्व बैंक की प्रणाली के साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के एकीकरण कार्य गोवा और पश्चिम बंगाल के राज्यों को एकीकृत राज्यों की सूची में शामिल करके, आगे बढ़ाया गया जबकि मेघालय राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और लक्षद्वीप) के लिए उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण प्रक्रिया अभी चल रही है।

एजेंसी बैंकों की नियुक्ति

X.41 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के साथ अपने एजेंट के रूप में करार किए हैं, जिसमें भारत में सभी स्थानों पर या किसी स्थान पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बैंकों को एजेंट के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। वर्ष के दौरान, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में काम करने वाले एक विदेशी बैंक को भी एक एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया जिससे एजेंसी बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 33 हो गई।

प्रतिसूचना के आदान-प्रदान के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत के लिए पहल

X.42 22 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सभी महालेखाकारों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जो रिज़र्व बैंक द्वारा इस तरह की पहली पहल थी। इसी तरह, 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में 33 एजेंसी बैंकों के सरकारी व्यापार प्रमुखों और चुनिंदा राज्यों के हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठकें पिछले लंबित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श को संभव बनाने और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए रिज़र्व बैंक की *ई-कुबेर* प्रणाली के साथ एकीकरण के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यवाही के संबंध में आयोजित की गई थीं।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.43 विभाग द्वारा 2024-25 के लिए निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है:

- अधिसूचित राज्यों के लिए सरकारी प्रणाली के साथ *ई-कुबेर* के एकीकरण के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन *(उत्कर्ष* 2.0)।

[7] एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज।

5. विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन

X.44 आरक्षित निधि प्रबंधन कार्य बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों और वित्तीय बाजार की अस्थिरता के कारण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। 2022-2023 में लगातार हुई समक्रमिक वैश्विक मौद्रिक सख्ती ने निश्चित आय वाले निवेशकों को प्रभावित किया, जिससे मूल्यांकन समायोजित हुआ। 2024 में केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दरों में अपेक्षित कटौती और अन्य नीतिगत उपाय किए जाने से पोर्टफोलियो प्रबंधक के निवेश परिचालन के संचालन में जोखिमों और लाभ संबंधी नई संभावनाएं बन सकती हैं।

X.45 आरक्षित निधि प्रबंधन के व्यापक सिद्धांतों (*अर्थात* सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ) के अनुसार बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) ने विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) के प्रबंधन के लिए इसी अनुक्रम में कार्य करना जारी रखा। वर्ष 2023-24 के दौरान एफईआर में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें 4.7 प्रतिशत की कमी आई। विभाग ने अपने परिभाषित नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार विदेशी मुद्रा आस्ति परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों/अधिकार क्षेत्रों की खोज करके विदेशी मुद्रा भंडार के विविधीकरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को भी जारी रखा।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.46 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- नेक्स्ट जेनेरेशन ट्रेजरी एप्लिकेशन (एनजीटीए) को लागू करके आरक्षित निधि प्रबंधन कार्यों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.47]।
- वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपये (आईएनआर) की भूमिका को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रयास के रूप में, और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक वातावरण का आकलन करने में विभाग की विशेष जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, विभाग आईएनआर के अंतरराष्ट्रीयकरण को और बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। इसके अलावा विभाग एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र में आईएनआर और अन्य घरेलू मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देगा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.48-X.49]; तथा
- आरक्षित निधि प्रबंधन के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार का सक्रिय रूप से प्रबंधन जारी रखना और प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए रणनीतियों को अपनाना (पैराग्राफ X.50)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.47 विभाग एनजीटीए को लागू करने की प्रक्रिया में है और वर्ष के दौरान इसमें प्रगति हुई है।

X.48 आईएनआर के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर अंतर विभागीय समूह (आईडीजी) की रिपोर्ट में पहचाने गए अल्पकालिक लक्ष्यों में से, कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन में आंशिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, अर्थात, विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से व्यापार निपटान के लिए निर्यात प्रोत्साहन का प्रावधान; जून 2024 से जेपी मॉर्गन जीबीआई-ईएम ग्लोबल इंडेक्स में सरकारी बाण्डों को शामिल करना; सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका द्वारा भारतीय रुपये को नामित विदेशी मुद्रा के रूप में मान्यता देना; सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई[8] और बैंक इंडोनेशिया

[8] रिज़र्व बैंक ने सीमा-पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं, *यानी* आईएनआर और यूएई दिरहम (एईडी) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए 15 जुलाई, 2023 को सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई (सीबीयूएई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईएनआर और एईडी के द्विपक्षीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (एलसीएसएस) स्थापित करना है। एलसीएसएस के निर्माण से निर्यातक और आयातक चालान बना पाएंगे और अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में भुगतान कर पाएंगे, जो बदले में आईएनआर-एईडी विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा।

(बीआई)[9] के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) समझौता ज्ञापन में प्रवेश करना; और कई देशों में लाइव फास्ट पेमेंट सिस्टम के माध्यम से यूपीआई क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड को सक्षम बनाना, रुपे कार्ड जारीकरण और पीयर-टू-पीयर (पी2पी) प्रेषण की स्वीकृति को सक्षम करना।

X.49 रिज़र्व बैंक ने वर्चुअल कार्यशालाओं का आयोजन किया और एसीयू के सदस्य केंद्रीय बैंकों के साथ एक इन-हाउस पुस्तिका साझा की, जो एसीयू तंत्र में घरेलू मुद्राओं के संभावित उपयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है।

X.50 पोर्टफोलियो विविधीकरण के उद्देश्य से, विभाग ने प्रतिलाभ में वृद्धि करने के लिए कुछ गैर-पारंपरिक बाजारों और उत्पादों/लिखतों का पता लगाया है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.51 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- आरक्षित निधि प्रबंधन में केंद्रीय बैंक साथियों को नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करने के लिए वैश्विक प्रक्रियाओं और निवेश ढांचों को अपनाना;
- स्थानीय मुद्रा के माध्यम से व्यापार निपटान में दक्षता लाने के लिए भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करना; और
- एसीयू तंत्र के तहत भारतीय रुपये का उपयोग करके व्यापार निपटान के लिए एक परिचालन तंत्र तैयार करना (*उत्कर्ष 2.0)*।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.52 रिज़र्व बैंक के ज्ञान केंद्र के रूप में, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) नीति निर्माण के लिए निरंतर आधार पर विश्लेषणात्मक और अनुसंधान-आधारित सूचनाएं उपलब्ध कराता है। प्रमुख प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के संकलन और प्रसार के अलावा रिज़र्व बैंक की विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। विभाग सामयिक समष्टि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर शोध पत्र/आलेख प्रकाशित करता है, बाहरी शोधकर्ताओं के साथ रिज़र्व बैंक के स्टाफ द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान से संबंधित अध्ययन जारी करता है और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा गठित तकनीकी समूहों/समितियों के कार्य में सहायता करता है।

X.53 मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन, विदेशी ऋण, प्रभावी विनिमय दर, संयुक्त सरकारी वित्त, पारिवारिक वित्तीय बचत और निधियों के प्रवाह पर प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और प्रसार आंकड़ों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया गया। कृषि आपूर्ति शृंखलाओं में मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को समझने के लिए प्रमुख कृषि वस्तुओं की मूल्य गतिशीलता को समझने और मूल्य शृंखलाओं में सुधार के तरीकों की पहचान करने के लिए मंडियों में किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं का एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.54 2023-24 के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- उभरते मुद्दों को पर्याप्त रूप से शामिल करने के साथ विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार करते हुए न्यूनतम 100 शोध पत्रों का प्रकाशन *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ X.55-X.56]*;*

[9] आरबीआई और बीआई ने सीमा पर लेनदेन के लिए द्विपक्षीय रूप से स्थानीय मुद्राओं जैसे आईएनआर और आईडीआर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए 7 मार्च, 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एलसीएसएस समझौता ज्ञापन में सभी चालू खाता लेनदेन, अनुमत पूंजी खाता लेनदेन और दोनों देशों द्वारा सहमति के अनुसार किसी भी अन्य आर्थिक और वित्तीय लेनदेन को शामिल किया गया है। यह ढांचा निर्यातकों और आयातकों को अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने में सक्षम करेगा, जो बदले में आईएनआर-आईडीआर विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग लेनदेन के लिए लागत और निपटान समय को अनुकूलित करेगा।

- नीतिगत प्रासंगिकता वाले विभिन्न सामयिक मुद्दों पर अध्ययन (पैराग्राफ X.56);
- एक वैश्विक मौद्रिक नीति और ग्लोबल स्पिलओवर डैशबोर्ड तथा स्पिलओवर सूचकांक विकसित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.57]; और
- वैश्विक आपूर्ति शृंखला निगरानी ढांचा विकसित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.57]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.55 2023-24 के दौरान, विभाग ने रिज़र्व बैंक की प्रमुख वैधानिक रिपोर्ट, *अर्थात,* वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट समय पर जारी की। “राज्य वित्त: बजट अध्ययन – 2023-24”, भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका 2022-23 और *पंचायती राज* संस्थानों के वित्त पर एक अध्ययन शीर्षक की रिपोर्ट भी जारी की गई। इसके अलावा, “हरित स्वच्छ भारत की ओर” इस व्यापक विषय पर मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट जारी की गई।

X.56 विभाग ने वर्ष के दौरान, 102 शोध पत्र/लेख प्रकाशित किए जिनमें (क) राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के लिए राजकोषीय लागत और उसके समष्टि आर्थिक प्रभाव; (ख) भारत में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में उतार-चढ़ाव का बैंक लाभप्रदता पर प्रभाव; (ग) तेल मूल्य प्रक्षेपवक्र का आकलन; (घ) कोविड-19 महामारी और भारत के अनुसंधान और विकास व्यय की समुत्थानशीलता; (ङ) मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का विश्लेषण; (च) वित्तीय आंकड़ों से मौद्रिक नीति प्रत्याशाओं को डिकोड करना; और (छ) मशीन लर्निंग तकनीकों के साथ भारत में मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान शामिल हैं। विभाग के अनुसंधान के एक भाग के रूप में डिजिटल भुगतान पारितंत्र जैसे विभिन्न उभरते क्षेत्रों को भी शामिल किया गया।

X.57 विभाग ने जनवरी 2024 में मैनुअल के साथ वर्ष 2021-22 के लिए केएलईएमएस (पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाएं) डेटा जारी किया। वैश्विक आपूर्ति शृंखला निगरानी के लिए माल ढुलाई दरों, प्रतीक्षा समय, वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) और भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई) जैसे संकेतकों को शामिल करके एक डैशबोर्ड विकसित किया गया। बाहरी स्पिलओवर के माप को मजबूत करने के लिए वैश्विक मौद्रिक नीति और स्पिलओवर डैशबोर्ड को पूरा किया गया।

अन्य पहल

X.58 वर्ष के दौरान डीईपीआर स्टडी सर्कल, जो एक आंतरिक चर्चा मंच है, ने 19 संगोष्ठियों/विविध विषयों पर शोध पत्रों के प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया। विभाग ने जून 2023 में लोनावला में छठे एशिया केएलईएमएस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया।

X.59 विभाग ने वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए। अठारहवें एल. के. झा स्मृति व्याख्यान में प्रोफेसर लॉरेंस एच. समर्स, प्रेसिडेंट एमेरिटस, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 26 सितंबर 2023 को “ग्लोबल इकोनोमिक पोसीबिलिटीज़ फॉर अवर चिल्ड्रन” पर व्याख्यान दिया गया। अठारहवां सीडी देशमुख स्मृति व्याख्यान 15 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया जिसमें प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और प्रोफेसर जगदीश भगवती, भारतीय राजनैतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा “इंडिया एट 125: रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी एंड रिटर्निंग द ग्लोबल इकोनॉमी टू द ओल्ड नॉर्मल” विषय पर व्याख्यान दिया गया। छठा पी.आर. ब्रह्मानंद मेमोरियल व्याख्यान 22 फरवरी 2024 को डॉ. राकेश मोहन, प्रेसिडेंट एमेरिटस और प्रतिष्ठित फेलो, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी), नई दिल्ली द्वारा "निम्न मध्यम-आय के जाल से बचना: राज्य के सुदृढ़ीकरण की अनिवार्यताएं" विषय पर दिया गया। भारत सरकार के

पूर्व विदेश सचिव श्री विजय गोखले ने 24 अगस्त 2023 को "जिओपॉलिटिक्स ऑफ दी इंडो-पॅसिफिक: इंप्लीकेशन्स फॉर दी नेक्स्ट डिकेड" पर एक व्याख्यान दिया।

X.60 वर्ष के दौरान, केंद्रीय पुस्तकालय ने अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न डेटाबेस और अन्य संदर्भ संसाधनों तक निर्बाध दूरस्थ पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराई। आरबीआई अभिलेखागार ने विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों से फाइलें और तस्वीरें हासिल कीं और वर्ष के दौरान लगभग 5.05 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया।

X.61 रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(15बी) के अनुसरण में आरबीआई व्यावसायिक चेयर और कॉर्पस फंड योजना के माध्यम से बाहरी अनुसंधान गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में, भारत में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों में 19 आरबीआई व्यावसायिक चेयर की स्थापना की गई है । वर्ष के दौरान, आरबीआई अध्यक्षों द्वारा अनुसंधान गतिविधियों में मौद्रिक नीति संचरण, वित्तीय समावेशन, बेरोजगारी, उत्पादकता, वैश्विक मूल्य शृंखला, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और राजकोषीय नीति जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया, साथ ही सीबीडीसी के नए उभरते क्षेत्र, डिजिटलीकरण, मशीन लर्निंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम की संभावनाएं भी तलाशी गईं।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.62 2024-25 के लिए विभाग की कार्यसूची निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केन्द्रित होगी :

- विश्लेषण और शामिल सामग्री की गुणवत्ता को बनाए रखते और उसे बढ़ाते हुए न्यूनतम 100 शोध पत्रों का प्रकाशन (*उत्कर्ष* 2.0);
- नई डिजिटल अर्थव्यवस्था और उत्पादकता विरोधाभास पर अध्ययन की तैयारी (*उत्कर्ष* 2.0);
- "खाद्य मुद्रास्फीति अनुमान ढांचा" पर आईसीआरआईईआर[10] के साथ एक संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन (*उत्कर्ष* 2.0); और
- "मौद्रिक नीति संचरण के तुलन-पत्र चैनल", "भारत में मुद्रास्फीति वृद्धि की गतिशीलता", "भारत द्वारा वैश्विक मूल्य शृंखला भागीदारी और उत्पादकता पर उसका प्रभाव" और "वित्तीय समावेशन एवं भारत में मौद्रिक नीति प्रभावशीलता पर उसका प्रभाव" पर अध्ययन के साथ नीति निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाओं को सक्षम बनाना।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.63 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) ने समष्टि वित्तीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रसार के अपने मुख्य कार्यों को जारी रखा। इसने डेटा गुणवत्ता और डेटा संग्रह तंत्र को परिष्कृत करने और नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करके सूचना प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। रिज़र्व बैंक के अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस, *अर्थात्,* केंद्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) को बढ़ते बड़े डेटा प्रवाह, एकत्रीकरण, विश्लेषण, सार्वजनिक प्रसार और डेटा गवर्नेन्स कार्य के लिए रिज़र्व बैंक के ढांचे में एक प्रमुख बदलाव लाने के लिए शुरू किया गया, सीआईएमएस बिग डेटा का प्रबंधन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है और यह डेटा विश्लेषण तथा टेक्स्ट माइनिंग, विजुअल एनालिटिक्स और क्रॉस डोमेन डेटा के उन्नत सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए 'पावर उपयोगकर्ताओं' के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा। इसके अलावा, विभाग ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पायलट आधार पर अपने परिवार सर्वेक्षणों की पहुंच का विस्तार किया। उच्च आवृत्ति के साथ विस्तृत बैंकिंग आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई जबकि प्रकाशन अंतराल और बैंकों पर रिपोर्टिंग बोझ को कम किया गया। इसके अलावा,

[10] भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद।

विभाग सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगा रहा और उसने नीति निर्माण के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराईं।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.64 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- उपयोगकर्ताओं के लिए एक अत्याधुनिक डेटा पोर्टल और अनुकूलित डैशबोर्ड में एक उन्नत विश्लेषणात्मक वातावरण का निर्माण (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.65];
- सीआईएमएस के शेष मॉड्यूल को लागू कराना; क्वेरी और विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स उपलब्ध कराना; सभी विनियमित संस्थाओं की ऑन-बोर्डिंग करना; और पुरानी प्रणालियों [केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (सीडीबीएमएस) और एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल] को निष्क्रिय करना [पैराग्राफ X.65];
- रिज़र्व बैंक के नियमित परिवार सर्वेक्षणों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.66];
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का उपयोग करके बैंकिंग विवरणियों के लिए डेटा गुणवत्ता को परिष्कृत करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.66]; और
- गैर-पारंपरिक डेटा का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के अतिरिक्त उच्च आवृत्ति संकेतकों का निर्माण (पैराग्राफ X.66)।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.65 रिज़र्व बैंक की अगली पीढ़ी का डेटा वेयरहाउस, *अर्थात*, सीआईएमएस को एससीबी द्वारा रिपोर्टिंग के लिए 30 जून 2023 को लॉन्च किया गया। इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य विनियमित संस्थाओं [जैसे सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)] द्वारा डेटा प्रस्तुत करने के लिए विस्तारित किया गया। नई प्रणाली में एक सुचारू अंतरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए कई सेमिनार, कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

X.66 नियमित शहरी परिवार सर्वेक्षणों को संपूरित करने के लिए, प्रमुख आर्थिक मानदंडों पर उपभोक्ता मनोभावों और अपेक्षाओं सहित एक नया द्विमासिक सर्वेक्षण प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीएसएस) का विस्तार धीरे-धीरे 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 74 जिलों तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें प्रत्येक सर्वेक्षण दौर में 8,000 से अधिक परिवार शामिल हैं। बैंकिंग रिटर्न के लिए आउटलायर पहचान तकनीकों सहित डेटा गुणवत्ता सत्यापन को यूजर इंटरफेस के साथ टूलबॉक्स के हिस्से के रूप में ट्री-आधारित एमएल एल्गोरिदम और डीप लर्निंग मेथड के आधार पर परिष्कृत किया गया। मौजूदा सांख्यिकीय प्रयासों को पूरा करने के लिए गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों का अन्वेषण बढ़ाया गया। नियमित उद्यम सर्वेक्षणों के पूरक के रूप में बड़े कॉरपोरेटों द्वारा मीडिया संचार से व्यावसायिक दृष्टिकोण की नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नेचरल लेंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) और एमएल आधारित प्रणाली विकसित की गई है। सीज़न के दौरान रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करते हुए चुनिंदा प्रमुख कृषि जिंसों के लिए आवधिक फसल उत्पादन मूल्यांकन भी किया गया।

अन्य पहल

X.67 बेसिक स्टॅटिस्टिकल रिटर्न - 2 (बीएसआर-2), *अर्थात*, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर, एससीबी के पास की जमाराशियों के संबंध में सर्वेक्षण की आवधिकता को मार्च 2023 से वार्षिक से तिमाही में बदल दिया गया है। बीएसआर-2 में व्यक्तियों की जमा राशि का आयु-समूह वितरण शुरू किया गया है और मार्च 2023 से इस बारे में जानकारी जारी की जा रही है।

X.68 बृहत ऋण सूचनागार (सीसीआईआर) प्रणाली विकसित की गई है और यह प्रणाली चुनिंदा एससीबी के साथ प्राथमिक परीक्षण के लिए तैयार है। सीआईएमएस में एक सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा ईएक्सचेंज़ (एसडीएमएक्स)

प्रबंधक मॉड्यूल विकसित किया गया है। लगभग 1,000 डेटा एलिमेंट और संबंधित एसडीएमएक्स आर्टेफेक्ट के साथ एलिमेंट-आधारित रिपोजीटरी (ईबीआर) विकसित की गई है।

X.69 असंरचित और उच्च आवृत्ति जानकारी का विश्लेषण करने के लिए एआई/एमएल तकनीकों सहित बिग डेटा प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है ताकि प्रासंगिक परिणाम प्राप्त हो और नीति निर्माण में सहायता मिले। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख समष्टि आर्थिक संकेतकों के लिए मीडिया सेंटीमेंट इंडेक्स विकसित किया जाना और एनएलपी तकनीकों का प्रयोग करते हुए मीडिया रिसेप्शन तथा वित्तीय बाजारों पर प्रभाव सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से रिज़र्व बैंक की नीति संचार का नियमित मूल्यांकन शामिल है।

X.70 विभाग ने प्रमुख समष्टि आर्थिक संकेतकों के मूल्यांकन और पूर्वानुमान के लिए कार्यप्रणाली को परिष्कृत करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ बार-बार होने वाले प्रतिकूल आपूर्ति आघातों को ध्यान में रखते हुए राज्यों में मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव का विस्तृत विश्लेषण शामिल था (कृपया धारा II.3 मूल्य स्थिति देखें)।

X.71 रिज़र्व बैंक ने 14 मार्च, 2024 को भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के साथ सूचना के निर्बाध साझाकरण के साथ जलवायु और मौसम सेवाओं पर अधिक सहयोग के लिए और विशेष रूप से कृषि वस्तुओं के उत्पादन और कीमतों के लिए विश्लेषणात्मक और पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह कदम चरम घटनाओं और उनके प्रभाव विश्लेषण की संयुक्त समझ को बेहतर करने के लिए दोनों संस्थानों के अवलोकन के साथ-साथ अनुसंधान क्षमताओं को एक साथ लाएगा, और दूरदेशी ज्ञान आधार के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारस्परिक हित से संबन्धित भविष्यकालीन क्षेत्रों का पता लगाएगा।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X.72 विभाग 2024-25 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- मेटाडेटा-आधारित डेटा एक्सेस और विज़ुअल एनालिटिक्स के लिए मानक डेटा क्वेरी इंजन (डीक्युई) विकसित करना और उसका कार्यान्वयन;
- प्रमुख विनियमित संस्थाओं द्वारा सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा ईएक्सचेंज (एसडीएमएक्स) मानक डेटा रिपोर्टिंग, जिसमें 90 प्रतिशत बैंकिंग व्यवसाय शामिल होगा (*उत्कर्ष* 2.0);
- भारतीय अर्थव्यवस्था डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल की सार्वजनिक पहुंच के लिए मोबाइल आधारित एप्लिकेशन;
- प्रमुख कंपनियों के घरेलू/विदेशी उधार और वित्तीय खातों की लिंकेज के लिए ढांचे का विकास (*उत्कर्ष* 2.0);
- गैर-पारंपरिक डेटा का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के उच्च-आवृत्ति संकेतकों को विकसित करना, जिसमें उपग्रह इमेजरी डेटा जैसे नॉन-टेक्स्ट डेटा शामिल हैं (*उत्कर्ष* 2.0); और
- वैश्विक डेटा गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचे को लागू करके रिज़र्व बैंक के डेटा गवर्नेंस ढांचे (डीजीएफ) को परिष्कृत करना (*उत्कर्ष* 2.0)।

8. विधिक मुद्दे

X.73 विधि विभाग की स्थापना रिज़र्व बैंक की ओर से विधिक मुद्दों की जांच और सलाह देने तथा मुकदमेबाजी के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। यह विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी

निगम (डीआईसीजीसी), कैफरेल[11] और आरबीआई के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं को विधिक मुद्दों, मुकदमों और अदालती मामलों पर कानूनी सहायता और परामर्श देता है।

2023-24 के लिए कार्यसूची

X.74 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे

- निम्नलिखित के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम (सीएएमएस) को सीएएमएस 2.0 में अपग्रेड करना; (क) वास्तविक समय मामले की स्थिति के लिए बाहरी न्यायिक वेबसाइटों के साथ एकीकरण; (ख) इंटरनेट पर सीएएमएस तक पहुंच, जिससे 'कहीं से भी काम' की सुविधा प्राप्त हो सकेगी (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.75];
- रिज़र्व बैंक के आंतरिक उपयोग के लिए विधि विभाग मैनुअल का मसौदा तैयार करना और प्रकाशित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ X.75]; और
- उपलब्ध/मौजूदा विधिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण और उपयोगकर्ताओं तक उनकी पहुँच उपलब्ध कराना [पैराग्राफ X.75]।

कार्यान्वयन की स्थिति

X.75 सीएएमएस – जो रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) द्वारा विकसित विधि विभाग का वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्रोसेस एप्लीकेशन है - के सभी मॉड्यूलों को परिनियोजित किया गया है। विधि विभाग के मैनुअल से संबंधित कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही उसे प्रकाशित किया जाएगा।

अन्य गतिविधियाँ

X.76 वर्ष के दौरान, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानून/विनियम लाए/संशोधित किए गए:

- *डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का अधिनियमन:* डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम में, इसकी प्रस्तावना के अनुसार, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के संबंध में किया गया प्रावधान व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता, दोनों को मान्यता देता है। यह अधिनियम उस तारीख या विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखों को प्रभावी होगा जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करे;
- *जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 का* अधिनियमन: *जन विश्वास* (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023, जीवन यापन और व्यवसाय करने में सुलभता के लिए विश्वास-आधारित अभिशासन को बेहतर बनाने के लिए अपराधों को गैर-आपराधिक और तर्कसंगत बनाने के लिए कुछ अधिनियमों में संशोधन करता है, को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। अधिनियम निम्नलिखित कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन करता है जो रिज़र्व बैंक द्वारा प्रशासित हैं या जो रिज़र्व बैंक के कार्यों से संबंधित हैं: (i) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006; (ii) उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978; (iii) लोक ऋण अधिनियम, 1944; (iv) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961; (v) फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011; (vi) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981; (vii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987; (viii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; और (ix) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002। यह अधिनियम

[11] उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र।

उस तारीख या विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखों को प्रभावी होगा जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करे; और

- *बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन:* बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया। संशोधन का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा कानून में पूरक जोड़ते हुए और सत्तानवें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करके बहु-राज्य सहकारी सोसायटियों में अभिशासन को मजबूत करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। अधिनियम की धारा 120बी में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि बैंकिंग व्यवसाय करने वाली बहु-राज्य सहकारी सोसायटी के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे।

2024-25 के लिए कार्यसूची

X. 77 2024-25 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- VIDHICaMS पर अपलोड करने के लिए विभाग की न्यायालयीन मामलों की फाइलों का डिजिटलीकरण और मामलों की स्थिति का अद्यतनीकरण (*उत्कर्ष* 2.0);
- विनियमन प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; और
- रिज़र्व बैंक के सांविधिक विनियमों में सामंजस्य स्थापित करना।

9. निष्कर्ष

X.78 रिज़र्व बैंक ने नीति कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी नीतिगत कार्रवाइयों में जनता के विश्वास को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल करते हुए संचार के कई माध्यमों का प्रयोग किया। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ नियमित रूप से संपर्क रखते हुए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संबंध और बढ़ाया गया। रिज़र्व बैंक ने जी-20 और भारत की जी-20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके परिणामस्वरूप 'लीडर्स समिट डिक्लरेशन' को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभी संबंधित हितधारकों को क्रमिक रूप से जोड़ते (ऑनबोर्डिंग) हुए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए निधियों के वास्तविक समय आधार पर अंतरण हेतु एक एकीकृत ढांचा तैयार किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार, जो विनिमय दर की अस्थिरता के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है, उसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित किया गया। सामयिक और उभरते समष्टि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अध्ययन आयोजित करते हुए आर्थिक अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखते हुए उन्हें अधिक असरदार बनाया गया। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ डेटा वेयरहाउस को उन्नत करके सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत बनाया गया । मौजूदा विनियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए वित्तीय क्षेत्र के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा भी सुनिश्चित किया गया।

XI अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने कर्मचारियों के सामान्य कल्याण का ध्यान रखते हुए नई भर्तियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मानव संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 (उत्कर्ष 2.0) की अवधि के लिए अपने मध्यावधि कार्यनीति ढांचे के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्यों (माईलस्टोन) के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की गई। रिज़र्व बैंक में जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू किए गए।

XI.1 इस अध्याय में आंतरिक लेखापरीक्षा, राजभाषा और परिसर से संबंधित विभागों की गतिविधियों को शामिल करने के अलावा रिज़र्व बैंक के संगठनात्मक कार्यसंचालन के मुख्य पहलुओं-अभिशासन, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम निगरानी और कॉरपोरेट नीति और बजट पर चर्चा की गई है। यह अध्याय प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा करता है, वर्ष की शुरुआत में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2023-24 के दौरान उनके परिणामों का मूल्यांकन करता है और 2024-25 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 एक कुशल और अभिप्रेरित कार्यबल के निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से, मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) ने कर्मचारियों के कल्याण संबंधी उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यबल के कौशल को बढ़ाना जारी रखा। विभाग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) कार्यशालाएं भी आयोजित कीं।

XI.3 रिज़र्व बैंक में केंद्रीकृत जोखिम इकाई के रूप में जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) ने घटना रिपोर्टिंग ढांचे की व्यापक समीक्षा करने के अलावा, आउटसोर्सिंग जोखिम, मॉडल जोखिम और जोखिम संस्कृति पर नई नीतियों के माध्यम से आंतरिक जोखिम अभिशासन को और मजबूत किया है। विभाग ने जोखिम जागरूकता के लिए एक औपचारिक ढांचे के माध्यम से जोखिम संस्कृति और जोखिम जागरूकता के प्रचार, कर्मचारियों के लिए ई-लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू करने और जोखिम डैशबोर्ड तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया।

XI.4 वर्ष के दौरान, निरीक्षण विभाग ने अपने मौजूदा अनुप्रयोग (एप्लिकेशन) *अर्थात* लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) को अपग्रेड किया। उन्नत अनुप्रयोग, जिसे लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) का नाम दिया गया है, में डैशबोर्ड, विजुअल एनालिटिक्स शामिल हैं और इसमें मौजूदा लेखापरीक्षाओं के अलावा रिज़र्व बैंक में किसी भी प्रकार की लेखापरीक्षा की जा सकती है और यह रिज़र्व बैंक के उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के तहत प्रभावी जोखिम आश्वासन प्रदान कर सकती है।

XI.5 कॉरपोरेट कार्यनीति और बज़ट विभाग (सीएसबीडी) ने वैश्विक बेंचमार्क के अनुसार वर्तमान नीति की समीक्षा करके कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) ढांचे को मजबूत किया। इसने *उत्कर्ष* 2.0 के तहत निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्यों (मील के पत्थर) के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की।

XI.6 राजभाषा विभाग ने रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रगामी उपयोग को सुनिश्चित किया और राजभाषा नीति के तहत विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की। विभाग ने सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया और अपने आंतरिक प्रकाशनों के माध्यम से कर्मचारियों के लिए हिंदी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा दिया।

XI.7 परिसर विभाग ने पर्यावरणीय मुद्दों के साथ वास्तुशिल्प उत्कृष्टता को एकीकृत करते हुए रिज़र्व बैंक की अवसंरचना के सृजन, अनुरक्षण और उन्नयन के अपने अधिदेश का अनुसरण किया। वर्ष के दौरान, चालू निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने

में प्रगति करने के अलावा, विभाग ने अपने ऑपरेटिंग मैनुअल को अद्यतन किया।

XI.8 इस अध्याय को नौ खंडों में व्यवस्थित किया गया है। रिज़र्व बैंक की अभिशासन संरचना से संबंधित घटनाक्रमों को खंड 2 में प्रस्तुत किया गया है। खंड 3 मानव संसाधन प्रबंध विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबंध और विकास के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान की गई पहलों को रेखांकित करता है। उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढांचे पर प्रगति खंड 4 में प्रस्तुत की गई है। निरीक्षण विभाग और सीएसबीडी की गतिविधियों पर क्रमशः खंड 5 और 6 में चर्चा की गई है, जबकि राजभाषा और परिसर विभागों की गतिविधियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में प्रस्तुत किया गया है। अंत में अध्याय को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभिशासन संरचना

XI.9 केंद्रीय निदेशक मंडल को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार रिज़र्व बैंक के अभिशासन कार्यों का कार्यभार सौंपा गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर और केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल होते हैं। चार स्थानीय बोर्ड हैं, जिनमें से उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए एक-एक बोर्ड है, जो केंद्रीय बोर्ड को उन्हें सौंपे गए मामलों पर सलाह देते हैं और केंद्रीय बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करते हैं। स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की नियुक्ति भी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

XI.10 केंद्रीय बोर्ड को तीन समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है: केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी); वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस); और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप-समितियां हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस); मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी); भवन उप-समिति (बी-एससी); सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी); और कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)। इनमें से प्रत्येक उप-समिति का नेतृत्व एक बाहरी निदेशक करता है।

केंद्रीय बोर्ड, सीसीबी और स्थानीय बोर्डों की बैठकें

XI.11 केंद्रीय बोर्ड ने 2023-24 के दौरान छह बैठकें की।

XI.12 सीसीबी ने 2023-24 के दौरान 46 बैठकें कीं, जिनमें से 34 ई-मीटिंग के रूप में और 12 भौतिक रूप से आयोजित की गई। सीसीबी रिज़र्व बैंक के वर्तमान कारोबार को देखती है, जिसमें इसके मामलों के साप्ताहिक विवरणों का अनुमोदन शामिल है।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

XI.13 वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति जिसमें दो बाहरी निदेशक शामिल थे, ने उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों *के स्थान पर* कार्य किया। स्थायी समिति ने वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें की। केंद्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप-समितियों तथा स्थानीय बोर्डों के स्थानपर केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की बैठकों में निदेशकों/सदस्यों की भागीदारी का विवरण अनुबंध सारणी XI.1-4 में दिया गया है।

XI.14 भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में श्री महेश कुमार जैन का कार्यकाल 21 जून, 2023 को समाप्त हो गया।

XI.15 केंद्र सरकार ने श्री स्वामीनाथन जे. को पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया। श्री स्वामीनाथन जे. ने 26 जून, 2023 को पदभार ग्रहण किया।

XI.16 केंद्र सरकार ने श्री एम. राजेश्वर राव को 9 अक्टूबर, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया।

XI.17 केंद्र सरकार ने डॉ. माइकल देवब्रत पात्र को 15 जनवरी, 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया।

XI.18 केंद्रीय सरकार ने श्री टी. रबी शंकर को 3 मई 2024 से या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनःनियुक्त किया।

कार्यपालक निदेशक

XI.19 कार्यपालक निदेशक श्री जोस जे. कट्टूर, डॉ. सितिकंठ पटनायक और श्री अजय कुमार चौधरी क्रमशः 30 जून, 2023, 28 सितंबर, 2023 और 31 अक्टूबर, 2023 को सेवानिवृत्त हुए। कार्यपालक निदेशक श्री दीपक कुमार ने 30 अप्रैल 2024 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। श्री नीरज निगम को 3 अप्रैल, 2023; श्री पी. वासुदेवन 3 जुलाई, 2023; श्री मनीष कपूर 3 अक्टूबर, 2023; श्री मनोरंजन मिश्रा 1 नवंबर, 2023 और श्री आर. लक्ष्मी कांत राव को 9 मई 2024 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया ।

3. मानव संसाधन विकास पहल

XI.20 रिज़र्व बैंक व्यापक परिचालन करता है, जिसमें इसके अधिदेश को पूरा करने के लिए विविध कौशल और आंतरिक क्षमताओं के एक मजबूत सेट की आवश्यकता होती है। मासंप्रवि रिज़र्व बैंक में एक कुशल और अभिप्रेरित कार्यबल बनाने और बनाए रखने के लिए एक सक्षमकर्ता और एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान, विभाग ने भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल को बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, इसमें ई-लर्निंग और कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देना शामिल था। इन और अन्य क्षेत्रों में वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलों पर नीचे प्रकाश डाला गया है, साथ ही 2023-24 के लिए निर्धारित कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ 2024-25 की कार्यसूची भी दी गई है।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.21 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में टाउन हॉल बैठकें आयोजित करने के लिए एक सुपरिष्कृत नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित एक मजबूत तंत्र स्थापित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.22];
- भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948 की व्यापक समीक्षा करना जो रिज़र्व बैंक के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को परिभाषित करती है (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.23]; तथा
- सभी नए भर्ती स्टाफ के लिए एक आसान ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, विभाग एक संदर्भ पुस्तिका तैयार करेगा (पैराग्राफ XI.24)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.22 निरंतर आधार पर कर्मचारी सहभागिता बनाए रखने और संगठनात्मक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप में “वार्तालाप” *नामक एक टाउन हॉल पहल* शुरू की गई है।

XI.23 वर्तमान संगठनात्मक वास्तविकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विनियमों को समनुरूप बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (कर्मचारी) विनियमावली, 1948 की व्यापक समीक्षा की गई है। प्रस्तावित परिवर्तनों को अपनाने से पहले कानूनी दृष्टिकोण से जांच की जा रही है।

XI.24 सभी नए भर्ती स्टाफ के लिए ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, नए भर्ती स्टाफ को उनके शुरुआती महीनों में निदेशित करने में मदद करने के लिए एक संदर्भ पुस्तिका तैयार की गई है।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.25 रिज़र्व बैंक अपनी मानव पूंजी की निरंतर कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण पर जोर देता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने प्रशिक्षण संस्थाओं (टीई) की स्थापना की है, जैसेकि चेन्नै में रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी); पुणे में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी); मुंबई (बेलापुर), नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै में चार आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (जेडटीसी); मुंबई में पर्यवेक्षक महाविद्यालय (सीओएस); और मुंबई में आरबीआई अकादमी। हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने उद्यम कम्प्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (ईसीसीटीआई) के तत्वावधान में भविष्योन्मुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए भुवनेश्वर में एक परिसर स्थापित किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक की प्रशिक्षण संस्थाओं (टीई) द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों के प्रारूप में हैं (सारणी XI.1)। एक ज्ञान संस्थान के रूप में, रिज़र्व बैंक शिक्षण और विकास में निरंतरता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह बदलती प्रशिक्षण आवश्यकताओं और परिवेश के अनुरूप हो

XI.26 रिज़र्व बैंक का प्रशिक्षण तंत्र तकनीकी और व्यवहार कौशल के उन्नयन के साथ-साथ कर्मचारियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए रिज़र्व बैंक की पहलों को बॉक्स XI.1 में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है।

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम (अप्रैल-मार्च)

प्रशिक्षण संस्थान	2021-22		2022-23		2023-24	
	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै	122	4,267 (325)	97	2,800 (12)	109	2,437 (42)
सीओएस#	43	1,726*	59	2,212*	70	2,889 (1,191)
आरबीआई अकादमी	18	1,185	15	1,274	17	683 (151)
सीएबी, पुणे	216	13,308* (134)	194	23,657*	281	44,053 (43,198)
ईसीसीटीआई	-	-	-	-	23	619 (22)
जेडटीसी (श्रेणी I)	127	3,140	112	2,511	118	2,260
जेडटीसी (श्रेणी III)	109	3,920	103	3,396	107	3,084
जेडटीसी (श्रेणी IV)	23	820	36	983	32	843

आरबीएससी: रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय सीएबी: कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
ईसीसीटीआई: एंटरप्राइज कम्प्यूटिंग एंड साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जेटीसी: आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र
#: पर्यवेक्षण कॉलेज (सीओएस) प्रशासनिक रूप से पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय से जुड़ा हुआ है।
*: इन आंकड़ों में आरबीआई के सहभागी, गैर-आरबीआई सहभागी (घरेलू), विदेशी सहभागी और/अथवा बाह्य संस्थानों के सहभागी शामिल हैं।
-: लागू नहीं।
नोट: कोष्ठक में आंकड़े विदेशी सहभागियों और/अथवा बाह्य संस्थानों के सहभागियों से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

बॉक्स XI.1

रिज़र्व बैंक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) को बढ़ाना

कार्यस्थल पर मानव संसाधनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को महत्वपूर्ण (गेम चेंजर) माना जाता है। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं की पहचान करने, विनियमित करने और उचित रूप से व्यक्त करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) है। आत्म-जागरूकता, आत्म-विनियमन, संबंध प्रबंधन और सहानुभूति को शामिल करते हुए डैनियल गोलेमैन की चतुर्मुखी भावनात्मक दक्षताओं की रूपरेखा सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत ढांचा है। आत्म-जागरूकता और आत्म-विनियमन को व्यक्तिगत दक्षताओं के रूप में माना जाता है, जबकि बाद के दो सामाजिक दक्षताओं का निर्माण करते हैं। स्व-विनियमन और सहानुभूति ईआई के लिए अपरिहार्य है। संगठन में वरिष्ठ स्तरों पर ईआई का महत्व अधिक स्पष्ट है। जबकि इंटेलीजेंस कॉसंट (आईक्यू) कम उम्र में चरम पर होता है, ईआई को जीवन के किसी भी समय पर बढ़ाया जा सकता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में पहल की आवश्यकता को महसूस करते हुए, रिज़र्व बैंक ने अपने वरिष्ठ कार्यपालकों और शीर्ष प्रबंधन के लिए इस अपेक्षा के साथ ईआई कार्यशालाओं का आयोजन शुरू किया है कि ऐसी पहल से लीडर अपनी टीम के सदस्यों को अन्य हितधारकों की अभिप्रेरणाओं और दृष्टिकोणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें अव्यक्त अवसरों को पहचानने और उन पर कार्य करने के लिए सशक्त बनाएगें, प्रारंभिक चरण में द्वन्द्व को रोकने एवं उसका हल निकालने और उच्च कार्यनिष्पादन करने वाली टीमों का निर्माण करने में सशक्त बनाएंगे।

बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.27 रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बाहरी संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भारत और विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों के लिए अपने अधिकारियों को नामित किया (सारणी XI.2)। III और IV श्रेणी के कर्मचारियों को भी भारत में बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

अध्ययन योजनाएं

XI.28 कुल 9 अधिकारियों ने उच्चतर अध्ययन करने के लिए अध्ययन अवकाश योजना का लाभ उठाया जिनमें से तीन अधिकारी विदेश में उच्चतर अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा, 12 अधिकारियों को स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना पुरस्कार 2023 के तहत विदेश में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए चुना गया है।

सारणी XI.2: भारत और विदेशों में स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (अप्रैल-मार्च)

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेशों में प्रशिक्षित
1	2	3
2021 - 22	326	Nil (496)
2022 - 23	401	420 (266)
2023 - 24	570	390 (29)

नोटः कोष्ठक में आंकड़े ऑनलाइन मोड दर्शाते हैं।
स्रोतः आरबीआई।

अन्य पहल

अनुदान और दान (एंडोमेंट)

XI.29 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने मिशन के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹35.26 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की; उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केन्द्र (सीएएफआरएएल), मुम्बई को ₹12.20 करोड़; राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम) को ₹2.95 करोड़; लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया ऑब्जर्वेटरी और आईजी पटेल चेयर को ₹0.76 करोड़; और भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹0.84 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की।

औद्योगिक संबंध

XI.30 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कर्मचारियों की सेवा शर्तों और कल्याण उपायों से संबंधित विभिन्न मामलों पर अधिकारियों और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों के साथ आवधिक बैठकें

आयोजित की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान, मासंप्रवि, केंद्रीय कार्यालय ने मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों की केंद्रीय इकाइयों के साथ नौ बैठकें की। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओज) ने भी तिमाही/अर्धवार्षिक अंतरालों पर मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों की स्थानीय इकाइयों के साथ बैठकें आयोजित की।

कर्मचारियों के साथ वार्तालाप (इंटरफेस)

XI.31 रिज़र्व बैंक ने कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके विचारों और फीडबैक का उपयोग करने के उद्देश्य से एक सतत श्रवण संस्कृति विकसित करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। रिज़र्व बैंक की पहल, वॉइस (वॉइसिंग ओपिनियन टू इंस्पायर, कंट्रीब्यूट एंड एक्सेल), कर्मचारियों को विभाग के साथ मुक्त प्रवाह वाले प्रारूप में बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने 14 वॉइस सत्र आयोजित किए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) के लगभग 295 प्रतिभागियों को शामिल किया गया।

भर्ती और कर्मचारियों की संख्या

XI.32 वर्ष 2023 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 882 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

सारणी XI. 3: रिज़र्व बैंक द्वारा 2023 में भर्तियां

श्रेणी	कुल	जिसमें से:			
		एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	284	38	15	77	23
श्रेणी III	533	80	70	139	79
श्रेणी IV	65	14	18	15	5
कुल	882	132	103	231	107

*: जनवरी-दिसंबर, 2023
ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
स्रोत: आरबीआई।

XI.33 31 दिसंबर, 2023 को रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या 13,490 थी, जो दिसंबर 2022 के अंत की स्थिति से 1.4 प्रतिशत अधिक थी (सारणी XI.4)।

XI.34 रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 31 दिसंबर, 2023 को 1,105 थी, जबकि दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 318 थी (सारणी XI.5)। जनवरी-दिसंबर 2023 के दौरान, रिज़र्व बैंक में 18 पूर्व सैनिकों और 18 बेंचमार्क दिव्यांगों (पीडब्ल्यूबीडी) की भर्ती की गई।

XI.35 वर्ष 2023 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिये प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बौद्ध संघ के प्रतिनिधियों के बीच चार बैठकें आयोजित की गईं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) संघ के प्रतिनिधियों के साथ दो बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

सारणी XI.4: रिज़र्व बैंक में स्टाफ की संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या में प्रतिशत		
			अजा		अजजा		अपिव		अजा	अजजा	अपिव
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6,653	7,109	1,048	1,113	459	504	1,544	1,761	15.7	7.1	24.8
श्रेणी III	3,369	3,358	541	537	228	244	1,044	1,027	16.0	7.3	30.6
श्रेणी IV	3,276	3,023	597	521	250	242	962	943	17.2	8.0	31.2
कुल	**13,298**	**13,490**	**2,186**	**2,171**	**937**	**990**	**3,550**	**3,731**	**16.1**	**7.3**	**27.7**

*: दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 के अंत में।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी XI.5: भूतपूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूबीडी*

श्रेणी	भूतपूर्ण सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति)			
		दृष्टिबाधित (VI)	श्रवण बाधित (एचआई)	दिव्यांग (ओएच)	बौद्धिक विकलांगता ('डी')**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	259	62	13	95	4
श्रेणी III	178	38	1	42	0
श्रेणी IV	668	16	6	41	0

*: 31, 2023 की स्थिति के अनुसार।
**: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, PwBD वर्गीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: (क) अंधापन और कम दृष्टि; (ख) बहरापन और सुनने में कठिनाई; (ग) प्रमस्तिष्क अंगघात सहित चलने-फिरने संबंधी विकलांगता, कुष्ठ रोग से उपचारित, बौनापन, तेजाब हमले के पीड़ितों और मांसपेशीय अपविकास; (घ) आत्मकेंद्रित, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी; और (ई) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों के बीच से कई विकलांगता बहरापन-अंधापन सहित बहु-विकलांगता।
स्रोतः आरबीआई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम

XI.36 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र वर्ष 1998 से मौजूद है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम और नियम, 2013 के अनुसार 2014-15 में दिशा-निर्देशों का एक नया व्यापक सेट जारी करते हुए इसे मजबूत किया गया था। जनवरी-दिसंबर 2023 के दौरान, दस शिकायतें प्राप्त हुईं और आठ मामलों का निपटारा किया गया है। नए भर्ती हुए कर्मचारियों सहित कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में इस विषय पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.37 रिज़र्व बैंक को 2023-24 के दौरान और आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए 20,360 अनुरोध 1,626 अपीलें मिलीं। 2023-24 के दौरान आरटीआई अधिनियम पर सात प्रशिक्षण कार्यक्रम और 99 सत्र भी आयोजित किए गए।

खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना

XI.38 रिज़र्व बैंक खेलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता रहा है और नियमित रूप से विभिन्न खेल विधाओं में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती करता है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए विविध सुविधाएं प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा भर्ती किए गए खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। रिज़र्व बैंक के दो कर्मचारियों को वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और तीन कर्मचारियों को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

रक्तदान अभियान का आयोजन

XI.39 सामाजिक जिम्मेदारी के कदम के रूप में, रिज़र्व बैंक के कार्यालयों ने सरकारी और नगरपालिका अस्पतालों के साथ मिलकर रक्तदान अभियान का आयोजन किया। 2023-24 में रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में कुल 60 ऐसे शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 2,824 कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया।

रिज़र्व बैंक में सतर्कता से संबंधित गतिविधियाँ

XI.40 रिज़र्व बैंक की सतर्कता इकाई, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के समग्र प्रभार के अधीन है और केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय सतर्कता कक्ष (सीवी सेल) और विभिन्न आरओ, सीओडी, टीई और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) में 52 शाखा सतर्कता इकाइयों (प्रत्येक एक शाखा सतर्कता अधिकारी के तहत) के साथ दो स्तरीय आधार पर काम कर रही है। तथापि, रिज़र्व बैंक में सतर्कता कार्य

के संबंध में समग्र उत्तरदायित्व सीवी कक्ष में है, जो रिज़र्व बैंक के सभी कर्मचारियों पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है और शाखा सतर्कता इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करता है। सीवी कक्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग (आयोग) और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ भी संपर्क बनाए रखता है। सीवी कक्ष की प्रमुख गतिविधियां/कार्य निम्नानुसार हैं

ए) क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय विभागों/प्रशिक्षण संस्थाओं की सतर्कता लेखापरीक्षा आयोजित करना, प्रमुख कार्यों के लिए मुख्य तकनीकी परीक्षक की लेखापरीक्षा और कर्मचारियों की संपत्ति/देनदारियों के वार्षिक विवरणों की जांच जैसे भ्रष्टाचार विरोधी और निवारक सतर्कता उपायों का कार्यान्वयन करना;

बी) जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प, 2004 सहित सतर्कता मामलों की जांच, भिन्न स्रोतों से कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल और निपटान करना;

सी) रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देना और 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाना तथा सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा उन्हें सजग बनाना; और

डी) सतर्कता पर पर क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय विभागों/प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुदेश जारी करना।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.41 इस वर्ष के रोडमैप में विभाग के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्ष्य (मील का पत्थर) शामिल होंगे:

- खेलों के लिए विजन दस्तावेज में खेलों से संबंधित गतिविधियों को संकेन्द्रित तरीके से बढ़ावा देने में रिज़र्व बैंक की पहलों का उल्लेख किया गया है। खेलों के लिए विजन दस्तावेज़ की समीक्षा की जाएगी और इसे नया स्वरूप दिया जाएगा (*उत्कर्ष* 2.0);
- रिज़र्व बैंक द्वारा भर्ती किए गए ग्रेड 'बी' अधिकारियों को विकास केंद्र कार्यशालाओं (डीसीडब्ल्यू) से अवगत कराया जाता है, जिसके माध्यम से उनकी मुख्य दक्षताओं और अन्य क्षमताओं का आकलन किया जाता है, और उनके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए इनपुट के रूप में फीडबैक प्रदान किया जाता है। डीसीडब्ल्यू ढांचे के डिजाइन की समीक्षा की जाएगी और इसे नवीकृत किया जाएगा (*उत्कर्ष* 2.0); और
- रिज़र्व बैंक 1 अप्रैल, 2024 को अपने अस्तित्व के 90वें वर्ष में प्रवेश करेगा। रिज़र्व बैंक के इतिहास में इस उपलब्धि (मील का पत्थर) को मनाने के लिए, वर्ष के दौरान उपयुक्त गतिविधियां/कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.42 जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के निर्माण और परिचालन के लिए नोडल विभाग है। वर्ष के दौरान, विभाग ने मौजूदा जोखिम नियंत्रणों को मजबूत करने, जोखिमों के कवरेज को व्यापक बनाने के लिए नए ढांचे विकसित करने और संगठन में जोखिम संस्कृति और जोखिम जागरूकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने के तीन-आयामी दृष्टिकोण का पालन किया। विभाग और सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों से, रिज़र्व बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन परिपक्वता ने अंतरराष्ट्रीय सहकर्मी समूह (पीयर ग्रूप) मूल्यांकन/मानकों के अनुसार "प्रबंधित" श्रेणी से "उन्नत" श्रेणी में प्रगति की है। भारतीय रिज़र्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग, यूके द्वारा "रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024" से सम्मानित किया गया है।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.43 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- घटना रिपोर्टिंग और जोखिम रजिस्टर के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की जाएगी ताकि कारोबारी क्षेत्रों को प्राथमिक जोखिम कारकों की पहचान करने और परिदृश्य विश्लेषण (पैराग्राफ XI.44) के साथ जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाया जा सके;
- अपने कार्यस्थल में जोखिम प्रबंधकों के रूप में अपनी भूमिका निभाने में जोखिम अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक पुस्तिका तैयार की जाएगी (पैराग्राफ XI.45);
- विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों का निर्माण और ट्रांसवर्सल जोखिमों[1] के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा बनाना (पैराग्राफ XI.46);
- मौजूदा भेद्यता आकलन और प्रवेश परीक्षण (VAPT) नीति की समग्र समीक्षा करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वीएपीटी के दृष्टिकोण, अनुपालन, मानकों, साधनों और जोखिम स्वीकृति मानदंडों जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। इस समीक्षा में अनुप्रयोगों की परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अनुपालन निगरानी प्रणाली का संचालन भी शामिल होगा (पैराग्राफ XI.47);
- आरएमडी की संगठनात्मक संरचना और संचालन को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की *तुलना* में बेंचमार्क करना और चरणबद्ध तरीके से विश्लेषण के परिणाम के आधार पर कार्य करना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ XI.48];
- ज्ञात अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर रिज़र्व बैंक के साइबर सुरक्षा नियंत्रणों को बेंचमार्क करना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ XI.49];
- रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो के लिए एक चलनिधि-जोखिम मॉडल विकसित करना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ XI.49];
- रिज़र्व बैंक के उद्देश्यों के लिए उभरते जोखिमों के आकलन के लिए एक ढांचे का परिचालन करना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ XI.49]; तथा
- रिज़र्व बैंक में जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचे का परिचालन करना *(उत्कर्ष* 2.0*)* [पैराग्राफ XI.49]।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.44 घटना रिपोर्टिंग ढांचे को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है और *20* नवंबर*, 2023* से रिज़र्व बैंक में 'जोखिम घटनाओं की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए ढांचा' लागू किया गया है। जोखिम रजिस्टर ढांचे की समीक्षा प्रक्रियाधीन है।

XI.45 'जोखिम अधिकारियों के लिए निर्देशों का संग्रह' के रूप में जोखिम अधिकारियों के लिए हैंडबुक 24 जुलाई, 2023 को जारी की गई थी। हैंडबुक में आरएमडी द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देश शामिल हैं, जिसमें रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के जोखिम अधिकारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हैं।

XI.46 विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों के निर्माण और ट्रांसवर्सल जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक ढांचा तैयार करने के संबंध में नीतियां तैयार की गई हैं।

XI.47 विभाग द्वारा एप्लिकेशन के अभिभावक विभागों (ओनर डिपार्टमेंट्स) और लेखा परीक्षकों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर वर्तमान वीएपीटी नीति की समीक्षा की गई। स्टेकधारकों से प्राप्त सुझावों को मसौदा नीति में शामिल कर लिया गया है और उनकी जांच की जा रही है।

XI.48 विभाग ने दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही ईआरएम प्रथाओं पर एक अध्ययन किया, और सीओएसओ[2] - ईआरएम फ्रेमवर्क (2017)

[1] ऐसी गतिविधियों/प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम जो अनेक कारोबारी क्षेत्रों से जुड़े हैं या जिनके घटने पर उससे संबंधित जोखिम वाले क्षेत्र या प्रक्रिया से परे हटकर विभिन्न कार्यों, क्षेत्रों या गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं।

और आईएसओ 31000 - जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश (2018) के तहत निर्धारित ईआरएम पर बेंचमार्क प्रथाओं पर भी एक अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों को रिज़र्व बैंक के ईआरएम ढांचे की समीक्षा में एकीकृत किया जा रहा है।

XI.49 राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी) साइबर सुरक्षा ढांचे के साथ विभाग में साइबर सुरक्षा नियंत्रण के संरेखण पर अध्ययन किया गया था। विदेशी मुद्रा बॉण्ड पोर्टफोलियो में चलनिधि जोखिम के आकलन के लिए एक चलनिधि समायोजित अपेक्षित कमी (एलएईएस) मॉडल विकसित और कार्यान्वित किया गया है। उभरते जोखिमों के शीघ्र मूल्यांकन के लिए एक उभरता हुआ जोखिम स्कैनिंग ढांचा तैयार किया गया है जो रिज़र्व बैंक के जनादेश की उपलब्धि को प्रभावित कर सकता है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिज़र्व बैंक में जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा लागू की गई है, जिसमें एक जोखिम संस्कृति नीति और एक जोखिम संस्कृति स्व-मूल्यांकन ढांचा शामिल है।

अन्य पहल

रिज़र्व बैंक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की जांच

XI.50 जोखिम प्रबंधन केंद्रीय बैंकों के कामकाज का अभिन्न अंग होने के कारण, रिज़र्व बैंक जोखिम प्रबंधन के संपूर्ण जीवनचक्र का प्रबंधन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संभावित अनुप्रयोगों की खोज कर रहा है (बॉक्स XI.2)।

बॉक्स XI.2

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और जोखिम प्रबंधन

विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित अत्याधुनिक उपकरणों/ प्रौद्योगिकियों के साथ महत्वपूर्ण चौराहे पर है, जो प्रौद्योगिकियां वास्तविक दुनिया के कई अनुप्रयोगों में बदलाव का अग्रदूत बन रही हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जो एआई का पर्याय हैं, आवश्यक मूल्य निर्माण उपकरण बन गए हैं, जो विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों में परिचालन दक्षता को बढ़ा रहे हैं।

केंद्रीय बैंक एआई के अनुप्रयोगों का लाभ नीति निर्माण और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के इनपुट के रूप में और एक प्रमुख प्रौद्योगिकी-आधारित बल गुणक (सारणी I) के रूप में भी उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बाजार के बुनियादी ढांचे और भुगतान, नकदी प्रबंधन और संचालन, मानव संसाधन, कानूनी और सूचना प्रणाली, कारोबार निरंतरता, लेखा परीक्षा और विश्लेषण के क्षेत्र में एआई के अनुप्रयोग को तलाशा जा रहा है।

सारणी I: केंद्रीय बैंकों में एआई का उपयोग-कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र

पर्यवेक्षण	आईटी	अर्थशास्त्र, वित्त, सांख्यिकी, जोखिम प्रबंध	मीडिया और संचार
1	2	3	4
1. प्रवृत्ति और जोखिम पहचान; 2. विसंगति का पता लगाना; 3. आंकड़ों का संग्रह और प्रोसेसिंग; 4. जोखिम अलर्ट और 5. प्रणालीगत निगरानी।	1. साइबर सुरक्षा; 2. सुरक्षा परिचालन केंद्र विश्लेषिकी; 3. एंटी-वायरस और फाइल स्कैनिंग; 4. धोखाधड़ी का पता लगाना और 5. क्लाउड।	1. दबाव परीक्षण; 2. वित्तीय और गैर-वित्तीय जोखिम प्रबंधन; 3. समष्टि-आर्थिक और वित्तीय चरों का पूर्वानुमान; 4. वेब स्क्रैपिंग और नाउकास्टिंग; 5. मॉडलिंग; 6. पोर्टफोलियो प्रबंधन; 7. आंकड़ों का संकलन; 8. टेक्स्ट माइनिंग और प्राकृतिक भाषा की प्रोसेसिंग; और 9. वैकल्पिक आंकड़ों का विश्लेषण।	1. केंद्रीय बैंक की प्रतिष्ठा का आकलन; 2. चैटबॉट; 3. मीडिया की निगरानी और 4. समाचारों की निगरानी।

(जारी)

[2] ट्रेडवे कमीशन के प्रायोजक संगठनों की समिति (सीओएसओ) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित एक स्वैच्छिक निजी क्षेत्र का संगठन है, जो संगठनात्मक अभिशासन, व्यावसायिक नैतिकता, आंतरिक नियंत्रण, उद्यम जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी और वित्तीय रिपोर्टिंग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्यकारी प्रबंधन और अभिशासन संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए समर्पित है। सीओएसओ ने एक सामान्य आंतरिक नियंत्रण मॉडल स्थापित किया है जिसकी सहायता से कंपनियां और संगठन अपने नियंत्रण प्रणालियों का आकलन कर सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन (डिफॉल्ट/डाउनग्रेड पूर्वानुमान), बाजार जोखिम प्रबंधन (अस्थिरता विश्लेषण), आस्ति आवंटन, पोर्टफोलियो जोखिम अनुकूलन, परिदृश्य और संवेदनशीलता विश्लेषण जैसे पारंपरिक जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों में पहले से ही एआई-आधारित उपकरणों के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। भविष्य में, स्वैच्छिक डेटा का विश्लेषण करने और पैटर्न की पहचान करने, डेटा-संचालित सक्रिय जोखिम प्रबंधन के लिए एआई-आधारित उपकरणों की क्षमता पर विचार करते हुए एआई के अनुप्रयोग का जोखिम प्रबंधन के पूर्ण जीवनचक्र पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

एआई का उपयोग रिपोर्ट की गई जोखिम घटनाओं के विश्लेषण या विभिन्न नियंत्रण कार्यों में लेखा-परीक्षा टिप्पणियों के एकत्रीकरण के लिए किया जा सकता है ताकि प्रवृत्तियों/पैटर्न/संभावित कमजोरियों की पहचान की जा सके। जोखिम प्रबंधन में अन्य संभावित एआई अनुप्रयोगों में नियंत्रण स्व-मूल्यांकन, जोखिम रिपोर्टिंग में सहायता के लिए चैटबॉट्स का उपयोग, जोखिम की घटनाओं के लिए पिछली प्रतिक्रियाओं पर संस्थागत स्मृति का निर्माण, गुणवत्ता जांच, अतिरेक की पहचान और जोखिम उपकरणों के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है। एआई का उपयोग साइबर सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके थ्रेट हंटिंग और निगरानी के माध्यम से और कारोबार निरंतरता प्रबंधन के लिए क्लाउड-आधारित उपकरणों के माध्यम से केंद्रीय बैंकों की परिचालनात्मक समुत्थानशीलता में सुधार करने में भी योगदान दे सकता है।

एआई की पूर्व सूचना देने की क्षमताएं केंद्रीय बैंकों के लिए अपेक्षाकृत नए क्षेत्रों जैसे कि व्यापक वित्तीय प्रणाली में उभरते जोखिमों की पहचान, तृतीय पक्षकार के जोखिम मूल्यांकन और जलवायु तथा प्राकृतिक आपदा जोखिम मूल्यांकन में जोखिमों के आकलन को भी मजबूत कर सकती हैं।

संदर्भ:

1. बर्गट, जोस्ट वैन डेर (2019), 'वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत', डी नेदरलैंडशे बैंक, एम्स्टर्डम।
2. अमेरिकी वाणिज्य विभाग (2023), 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क', नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी (एनआईएसटी), वाशिंगटन डी.सी.

जोखिम प्रबंधन नीति की आउटसोर्सिंग

XI.51 रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन नीति लागू की हुई है, जो आउटसोर्सिंग जोखिमों के प्रबंधन पर मार्गदर्शन प्रदान करती है और इसमें वेंडर/सेवा प्रदाता से संबंधित जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है जैसे आउटसोर्स किए गए कार्यकलापों से जोखिम मूल्यांकन, समुचित सावधानी और चयन, आउटसोर्सिंग करार, आंकड़ों की गोपनीयता और सुरक्षा, आउटसोर्स गतिविधियों की चालू निगरानी और नियंत्रण, कार्यनिष्पादन मानक और उप-अनुबंध।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.52 वर्ष 2024-25 के लिए, विभाग के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं:

- सभी कारोबारी क्षेत्रों की अनुमोदित जोखिम सहनशीलता सीमाओं (आरटीएल) का विश्लेषण किया जाएगा जिससे कि अंतर-सहबद्धता की पहचान की जा सके और विभागों में समान आरटीएल के बाद के सामंजस्य की पहचान की जा सके;
- रिज़र्व बैंक की सूचना सुरक्षा नीति, 2022 में संशोधन किया जाएगा जिससे कि नीति के वर्तमान संस्करण को और परिष्कृत किया जा सके और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके ताकि इसे तेजी से विकसित हो रहे एआई, क्लाउड, एनालिटिक्स और उन्नत एनालिटिक्स को अपनाने के अनुरूप बनाया जा सके;
- बाजार दबाव की ऐतिहासिक अवधि से प्राप्त परिदृश्यों के आधार पर विनिमय दर और ब्याज दर के एक साथ संचलन के संदर्भ में तुलनपत्र का दबाव परीक्षण किया जाएगा, जो भविष्य के दबाव परिदृश्यों द्वारा संवर्धित है;
- ईआरएम (*उत्कर्ष 2.0*) की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना; और
- रिज़र्व बैंक में उभरते जोखिमों का आकलन (*उत्कर्ष* 2.0)।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण

XI.53 रिज़र्व बैंक का निरीक्षण विभाग आंतरिक नियंत्रण और अभिशासन प्रक्रियाओं की जांच, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग करता है और जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) ढांचे के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आश्वासन प्रदान करता है। इस प्रकार, विभाग रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्य के तहत सुरक्षा की तीसरी पंक्ति[3] (अर्थात, जोखिम आश्वासन) के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को रिपोर्ट करता है। विभाग रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली के कामकाज की देखरेख और स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) को नियंत्रित करता है। आरबीआईए, सीए और सीएसएए कार्य लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) नामक एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की देखरेख में केंद्रीय बोर्ड के एआरएमएस के सचिवालय के रूप में और कार्यकारी निदेशकों की समिति (ईडीसी) के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, पांच क्षेत्रों में स्थित आंचलिक निरीक्षणालय (जेडआई) विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अनुपालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करके रिज़र्व बैंक में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में लेखापरीक्षा कार्यालयों (एओ) की सहायता करते हैं और रिज़र्व बैंक के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के परिचालनों पर शीर्ष प्रबंधन को स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जोखिम आश्वासन प्रदान करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में विभाग की सहायता करते हैं।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.54 विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- 2022-23 के दौरान शुरू किए गए उपायों के अनुसार आरबीआईए को अधिक जोखिम केंद्रित बनाना *(उत्कर्ष 2.0) [पैराग्राफ* XI.55];
- जोखिम आश्वासन पर सामग्री के योगदान की दिशा में क्षेत्रीय निरीक्षणालयों के कामकाज का स्थिरीकरण (पैराग्राफ XI.56);
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए डैशबोर्ड और दृश्य विश्लेषण रिपोर्ट का विकास *(उत्कर्ष 2.0) [*पैराग्राफ *XI.57]*;
- लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) में ऑफ-साइट रिपोर्टिंग स्थापित करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.58];
- आरबीआईए के उच्च और मध्यम जोखिम पैराग्राफ का सुलभ संदर्भ (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.59];
- अनुपालन लेखापरीक्षा और परियोजना लेखापरीक्षा के लिए विभिन्न मॉड्यूलों का विकास (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.59];
- सांख्यिकीय विश्लेषिकी प्रणाली (एसएएस) - एंटरप्राइज अभिशासन जोखिम और अनुपालन (ईजीआरसी) 6.1 को एसएएस में अपग्रेड करना - 2,000 उपयोगकर्ता लाइसेंस के साथ एएमआरएमएस के लिए अभिशासन और अनुपालन प्रबंधक (जीसीएम) 7.4 मंच, [अनुच्छेद XI.59]; और
- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के तत्वावधान में केंद्रीय बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करना [पैराग्राफ XI.60]।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.55 आरबीआईए को अधिक जोखिम केन्द्रित बनाने के लिए निरीक्षण पूर्व अध्ययनों, स्कोपिंग नोट्स, सहभागिता और ध्यानकेंद्रण क्षेत्रों के दायरे को परिभाषित करने, विषयगत अध्ययन और नमूना परीक्षण सहित विभिन्न उपाय कार्यान्वित किए गए थे।

[3] सुरक्षा की पहली पंक्ति कारोबारी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र से उत्पन्न जोखिमों की पहचान और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जबकि सुरक्षा की दूसरी पंक्ति आरएमडी है जो केंद्रीकृत जोखिम निगरानी का कार्य करता है और सुरक्षा की तीसरी पंक्ति निरीक्षण विभाग है जो निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से जोखिम आश्वासन की भूमिका निभाता है।

XI.56 क्षेत्रीय निरीक्षणालयों (जेडआई) ने लेखापरीक्षा कार्यालयों (एओ) के अनुपालन का विश्लेषण किया है और अनुपालन में कथित खामियों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, जेडआई ने लेखापरीक्षा कार्यालयों में देखे गए जोखिमों की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ दस्तावेज तैयार करने के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान की।

XI.57 एमआईएस के लिए डैशबोर्ड और विज़ुअल एनालिटिक्स रिपोर्ट को एएमआरएमएस के उन्नत संस्करण में विकसित किया गया है, जिसे लेखा-परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) का नाम दिया गया है, और इसे 21 दिसंबर, 2023 को चालू किया गया।

XI.58 ऑफ-साइट निगरानी मॉड्यूल को एएमआरएमएस में लाइव किया गया था और उन्नयन के पश्चात एएमएस में हस्तांतरित कर दिया गया था।

XI.59 रिज़र्व बैंक के सभी लेखापरीक्षा कार्यालयों में सभी उच्च और मध्यम जोखिम टिप्पणियों (डिजाइन अंतराल टिप्पणियों सहित) की रिपोर्ट एएमएस में उपलब्ध कराई गई है। विभाग द्वारा अनुपालन लेखा परीक्षा और परियोजना लेखापरीक्षा मॉड्यूल का विकास पूरा कर लिया गया है।

XI.60 विभाग ने 26-28 अप्रैल, 2023 के दौरान नई दिल्ली में बीआईएस के तत्वावधान में केंद्रीय बैंकों के आंतरिक लेखापरीक्षक (सीबीआईए) समूह की 35वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया। बीआईएस के आंतरिक ऑडिट (आईए) के अलावा सीबीआईए सचिवालय, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और एशिया, यूरोप, उत्तर और लैटिन अमेरिका के 13 केंद्रीय बैंकों के आंतरिक लेखा परीक्षा विभागों के प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया।

प्रमुख गतिविधियां

XI.61 विभाग ने 1 जनवरी, 2024 को अपना व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण मैनुअल जारी किया।

2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.62 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- लेखापरीक्षा प्राप्तकर्ता इकाइयों द्वारा किए गए "मूल" और "महत्वपूर्ण" परिचालनों के आधार पर मौजूदा आरबीआईए की फाइन ट्यूनिंग और प्रक्रिया को अधिक जोखिम केंद्रित बनाना;
- आंचलिक निरीक्षणालयों के कामकाज की समीक्षा जिससे कि रिज़र्व बैंक में आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने में उनकी प्रभावकारिता का अध्ययन किया जा सके;
- नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा की प्रभावकारिता और दक्षता पर विषयगत अध्ययन करना; और

6. कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

X.63 सीएसबीडी रिज़र्व बैंक की मध्यावधि कार्यनीति रूपरेखा (*उत्कर्ष*) का समन्वय और निर्माण करता है, इसका वार्षिक व्यय बजट तैयार करता है और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसकी निगरानी करता है। विभाग अपने महत्वपूर्ण परिचालनों के लिए रिज़र्व बैंक की कारोबार निरंतरता योजना तैयार करता है और निष्पादित भी करता है और रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बाहरी संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न सेवानिवृत्ति निधियों और कर्मचारी कल्याण निधियों का भी रखरखाव करता है।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.64 वर्ष 2023-24 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- भारतीय रिज़र्व बैंक व्यय नियमों का संशोधन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.65];
- रिज़र्व बैंक की कारोबारी इकाइयों के लिए कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) निष्पादन मूल्यांकन टेम्पलेट तैयार करना (पैराग्राफ XI.65); और
- भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (आरबीआई ईपीएफ) विनियम, 1935 की समीक्षा (पैराग्राफ XI.65)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.65 रिज़र्व बैंक की व्यय नियमावली, 2018 की समीक्षा की गई और संशोधित व्यय नियमावली, 2023 को 1 अक्टूबर, 2023 से लागू किया गया। बीसीएम उपायों की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए, 2023-24 से एक बीसीएम कार्यनिष्पादन मूल्यांकन (पीई) टेम्पलेट लागू किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (आरबीआई ईपीएफ) विनियम, 1935 की व्यापक समीक्षा इस उद्देश्य के लिए गठित एक आंतरिक कार्य समूह द्वारा की गई थी।

प्रमुख गतिविधियां

XI.66 रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी) की छठी बैठक 31 अगस्त, 2023 को *उत्कर्ष* 2.0 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिये आयोजित की गई थी। 31 मार्च तक पूर्ण किए जाने वाले कुल 93 महत्वपूर्ण लक्ष्यों (माईलस्टोन) में से 68 (73 प्रतिशत) पूर्ण किए जा चुके हैं, 7 महत्वपूर्ण लक्ष्य (8 प्रतिशत) पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं और 18 महत्वपूर्ण लक्ष्यों (19 प्रतिशत) के लिए निर्धारित तिथियों को बढ़ाया गया है जो लक्ष्य 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण करने के लिए देय नहीं थे।

XI.67 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में सामान्य खाता बही खातों की व्यापक समीक्षा की गई। बज़ट इकाइयों द्वारा व्यय के सही शीर्षों के तहत उचित लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए अप्रयुक्त खातों को निष्क्रिय/बंद कर दिया गया था।

XI.68 विभाग ने रिज़र्व बैंक में महत्वपूर्ण प्रणालियों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। आईएसओ 22301: 2019 मानकों के लिए बीसीएम नीति की समीक्षा करके और व्यावसायिक इकाइयों की समय संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) को अद्यतन करके कारोबार निरंतरता ढांचे को मजबूत किया गया था।

XI.69 कॉरपोरेट कार्यनीति के हिस्से के रूप में और उत्तर पूर्वी राज्यों के सामान्य आर्थिक विकास का ध्यान रखने के लिए और वित्तीय समावेशन को गहन बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक के उप-कार्यालय जून 2023 और अक्टूबर 2023 में क्रमशः कोहिमा (नागालैंड) और ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में खोले गए थे। इसके साथ, रिज़र्व बैंक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।

XI.70 वर्ष के दौरान, विभाग ने सभी चार बाह्य वित्त पोषित संस्थानों (ईएफआई) अर्थात, सीएएफआरएएल, आईजीआईडीआर, आईआईबीएम और एनआईबीएम के बोर्डों की सभी उप-समितियों की समीक्षा की गई। विभाग ने अपने नियंत्रण बोर्डों और उप-समितियों की बैठकों के माध्यम से ईएफआई के अभिशासन को मजबूत किया, जिसमें रिक्तियों को समय पर भरना और उनकी समीक्षा समितियों की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। अनुसंधान और प्रशिक्षण, वित्तीय और अभिशासन से संबंधित ईएफआई में प्रमुख घटनाक्रमों, उपलब्धियों और मुद्दों की तिमाही आधार पर निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया था।

XI.71 रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्थानों पर और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में कार्यनीति, कारोबार निरंतरता और बजट दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.72 वर्ष के लिए विभाग की कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रिज़र्व बैंक की समय-संवेदनशील महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) की त्रिवार्षिक समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0);
- रिज़र्व बैंक की बीसीएम प्रणालियों की समीक्षा;
- *उत्कर्ष 2.0* की मध्यावधि समीक्षा;
- बज़ट रेटिंग ढांचे की समीक्षा; और
- बज़ट इकाइयों के बज़ट प्रबंधन की समीक्षा।

7. राजभाषा

XI.73 राजभाषा विभाग रिज़र्व बैंक में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। विभाग ने व्यापक कार्य योजना तैयार करके और प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करके रिज़र्व बैंक में हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित किया जिससे कि राजभाषा अधिनियम, 1963; राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों; भारत के राष्ट्रपति के आदेश और भारत सरकार (जीओआई) और राजभाषा पर संसद की समिति के अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। विभाग ने हिंदी प्रशिक्षण, व्याख्यान और वेबिनार आयोजित करके और विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से हिंदी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए ठोस प्रयास किए। इसने हिंदी के उपयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का भी प्रयास किया। वर्ष के दौरान, राजभाषा नीति की आवश्यकताओं और वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के अलावा, विभाग ने रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों और इसकी वेबसाइट के द्विभाषीकरण की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने प्रकाशनों अर्थात 'कृति-अनुकृति' और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के माध्यम से हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित किया।

वर्ष 2023-24 की कार्यसूची

XI.74 विभाग ने वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- दिसंबर 2023 तक 'बैंकिंग ग्लोसरी (बैंकिंग शब्दावली)' के एक नए संस्करण का प्रकाशन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ XI.75]।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.75 'बैंकिंग शब्दावली' (बैंकिंग ग्लोसरी) का नया संस्करण 3 फरवरी, 2024 को आरबीएससी, चेन्नै में आयोजित राजभाषा सम्मेलन के दौरान जारी किया गया।

प्रमुख गतिविधियाँ

रिज़र्व बैंक में माननीय संसदीय राजभाषा समिति के दौरे

XI.76 राजभाषा संबंधी माननीय संसदीय समिति की तीसरी उप-समिति ने वर्ष के दौरान शिमला, रायपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, जयपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद और पणजी कार्यालयों का निरीक्षण किया।

XI.77 राजभाषा अधिकारियों के लिए वार्षिक राजभाषा सम्मेलन 3-4 फरवरी, 2024 के दौरान आरबीएससी, चेन्नै में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान, हिंदी भाषा और राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित समकालीन और महत्वपूर्ण विषयों पर आलेख प्रस्तुत किए गए और एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई।

प्रशिक्षण

XI.78 वर्ष के दौरान, 311 नए कर्मचारियों ने हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा आयोजित पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण की। रिज़र्व बैंक स्टाफ के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 20 नवंबर, 2023 को निजी सचिवों के लिए एक हिंदी कार्यशाला, 4-5 दिसंबर, 2023 के दौरान राजभाषा अधिकारियों के लिए संसदीय समिति के निरीक्षणों पर प्रशिक्षण और 15-17 जनवरी, 2024 के दौरान राजभाषा अधिकारियों के लिए एक संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

प्रकाशन

XI.79 कर्मचारियों के लिए हिंदी में रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एक अर्धवार्षिक ई-पत्रिका '*कृति-अनुकृति*' प्रकाशित की गई, जिसने राजभाषा नीति और इसके विभिन्न वैधानिक पहलुओं के आधार पर विभिन्न गतिविधियों को व्यापक कवरेज दिया, और केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) और क्षेत्रीय कार्यालयों में अन्य प्रचार कार्यक्रम

आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान हिंदी पत्रिका *'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'* का नया संस्करण भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें बैंकिंग और वित्त के वर्तमान विषयों पर लेख शामिल थे। हिंदी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं का मूल्यांकन किया गया और 22 नवंबर, 2023 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में ए, बी और सी क्षेत्रों में विजेता क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कार दिए गए।

वार्षिक कार्य योजना

XI.80 राजभाषा विभाग, भारत सरकार सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है जिसमें राजभाषा नीति से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हिंदी उपयोग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी निर्देशों और कार्यान्वयन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, राजभाषा विभाग द्वारा एक विस्तृत 'वार्षिक कार्य योजना 2023-24' तैयार की गई। नीति के कार्यान्वयन के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाली यह लक्ष्योन्मुखी व्यापक कार्य योजना 28 अप्रैल, 2023 को प्रकाशित की गई थी और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय विभागों को परिचालित की गई थी।

वर्ष 2024-25 की कार्यसूची

XI.81 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है:

- अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए निर्दिष्ट अनुभागों की संख्या में दिसंबर 2024 तक 120 अनुभागों को जोड़ना (*उत्कर्ष* 2.0);
- 'परांगत' पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करके हिंदी में कुशल स्टाफ सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना;
- राजभाषा पर माननीय संसद समिति की निरीक्षण प्रश्नावली पर क्षेत्रीय निदेशकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करना;
- आरबीएससी, चेन्नै और सीएबी, पुणे के संकाय के सदस्यों को हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करना;
- RBI@90 समारोह के हिस्से के रूप में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों के स्तर पर अधिकारियों के लिए आर्थिक, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना;
- नए भर्ती किए गए स्टाफ सदस्यों को हिंदी का अनिवार्य कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;
- राजभाषा अधिकारियों के लिए विभिन्न राजभाषा निरीक्षणों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; और
- राजभाषा अधिकारियों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना।

8. परिसर विभाग

XI.82 परिसर विभाग का दृष्टिकोण उच्चतम स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए रिज़र्व बैंक के परिसर में ग्रीन रेटिंग के साथ वास्तुशिल्प उत्कृष्टता और सौंदर्य अपील को एकीकृत करके 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' और पर्यावरण के अनुकूल भौतिक अवसंरचना प्रदान करना है।

वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

XI.83 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- *उत्कर्ष* 2.0 (पैराग्राफ XI.84) के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- देहरादून कार्यालय और रायपुर कार्यालय परियोजनाओं का निर्माण पूरा करना (पैराग्राफ XI.85);
- कार्यालय/आवासीय स्थान का अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा करना (पैराग्राफ XI.85);

- 25वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन का नवीनीकरण संबंधी कार्य पूरा करना (पैराग्राफ XI.86);
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में नियोजन चरण में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना(पैराग्राफ XI.86);
- परिसर विभाग के मैनुअल (पैराग्राफ XI.87) के संशोधित संस्करण का प्रकाशन करना।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.84 विभाग ने *उत्कर्ष* 2.0 *के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया है*: (i) दिसंबर 2025 तक कम से कम 9 कार्यालय भवनों और 16 आवासीय भवनों के लिए आईजीबीसी/जीआरआईएचए[4] से प्रासंगिक ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में, आईजीबीसी से 5 कार्यालय भवनों और 6 आवासीय भवनों (दिसंबर 2023 के अंत तक) के लिए ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुई है; (ii) दिसंबर 2023 (आधार वर्ष जून 2018) को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्धारित खपत के 6.5 प्रतिशत पर नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की खपत प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में, सभी कार्यालय परिसरों में 7.5 प्रतिशत हासिल किया गया है; और (iii) रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2023 (आधार वर्ष जून 2018) को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्धारित 5.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 13.9 प्रतिशत की ऊर्जा बचत हासिल की है।

XI.85 देहरादून में रिज़र्व बैंक के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन 25 अक्टूबर, 2023 को किया गया। रायपुर कार्यालय भवन के संबंध में, कार्य वर्ष 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। मुंबई में कुल अतिरिक्त कार्यालय स्थान की आवश्यकता का आकलन किया गया था। मझगांव (मुंबई) और कर्का गांव (गोवा) में आवासीय स्थान का अधिग्रहण किया गया है।

XI.86 केंद्रीय कार्यालय भवन की 25वीं मंजिल का नवीनीकरण पूरा हो चुका है और नवीकृत तल का उद्घाटन 28 जून, 2023 को गवर्नर, रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया था और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और खारघर में जेडटीसी-सह-आवासीय क्वार्टरों में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में प्रगति हो रही है।

XI.87 परिसर विभाग (पीडी) के मैनुअल के संशोधित संस्करण के प्रकाशन के लक्ष्य के संबंध में, काम पूरा हो चुका है और संशोधित पीडी मैनुअल (2024 संस्करण) को उद्यम ज्ञान पोर्टल (ईकेपी) पर अपलोड किया गया है।

प्रमुख गतिविधियां

XI.88 रिज़र्व बैंक विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। मार्च 2024 के अंत तक, 28 कार्यालय परिसरों और 58 आवासीय परिसरों में 4,028 kWp (किलोवाट पीक) पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र थे।

XI.89 ग्रीन[5] डेटा प्लेटफॉर्म, जिसे *उत्कर्ष* 2.0 के तहत विभाग के लक्ष्यों का आकलन करने के लिए डेटा के समेकन और विश्लेषण के उद्देश्य से पिछले वर्ष पूरी तरह से चालू किया गया था, को कई नए कार्यात्मक मॉड्यूल जोड़कर और मजबूत किया गया है।

अन्य पहल

XI. 90 विभाग विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं पर लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित संपदा विभागों के अधिकारियों के कौशल संवर्धन को प्राथमिकता दे रहा है, इसमें निर्धारित आस्ति पॉलिसी, एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडरिंग, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से खरीद, आस्तियों का केंद्रीकृत बीमा, उद्यम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर[6] के सुचारू कार्यान्वयन के लिए परिचय और वॉकथ्रू प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कवर किया गया। विभाग समय-समय पर वेंडरों

[4] इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी)/ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (जीआरआईएचए)।

[5] ऊर्जा दक्षता/संरक्षण में सुधार लाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त *उत्कर्ष* डेटा और अन्य हरित पहलों और ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा पर जानकारी के समेकन और विश्लेषण के लिए आरईबीआईटी के परामर्श से जीआरईईएन (नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और *नीर* संरक्षण) नामक एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।

[6] सॉफ्टवेयर जो परियोजनाओं की निगरानी और कुशलता से प्रबंधन में मदद करता है।

के कार्यनिष्पादन मानकों की समीक्षा करता है ताकि उन्हें सुदृढ़ किया जा सके।

XI.91 विभाग अपनी खरीद नीति और अधिशेष संपत्ति की निपटान नीति को अद्यतन करने के अंतिम चरण में है। प्रक्रिया 2024 में पूरी होने की उम्मीद है।

वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

XI.92 वर्ष 2024-25 के लिए, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- दिसंबर 2024 के लिए *उत्कर्ष 2.0* के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- रायपुर कार्यालय परियोजना का निर्माण पूरा करना;
- विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्तमान में योजना चरण में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना; और
- मुंबई में आवासीय स्थान का अधिग्रहण पूरा करना.

9. निष्कर्ष

XI.93 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के दौरान अभिशासन, मानव संसाधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और रिज़र्व बैंक की कॉरपोरेट कार्यनीति के क्षेत्रों में विभिन्न पहल कीं और साथ ही अपने जोखिम प्रबंधन कार्यों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के उपाय किए। अपने मानव संसाधनों की आंतरिक क्षमताओं के उन्नयन, संवर्धन और विविधता के उपायों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने उच्च कार्यनिष्पादन करने वाली टीमों के निर्माण के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता कार्यशालाओं जैसी नई पहलों का भी पता लगाया। विभागों ने वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है और रिज़र्व बैंक की मध्यावधि कार्यनीति ढांचे (*उत्कर्ष* 2.0) के अनुरूप 2024-25 के लिए कार्यसूची भी निर्धारित की है।

सारणी XI.1: 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 के दौरान केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
1	2	3	4
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	6	6
महेश कुमार जैन*	8(1)(ए)	1	1
माइकल देवब्रत पात्र	8(1)(ए)	6	6
एम. राजेश्वर राव	8(1)(ए)	6	6
टी. रबी शंकर	8(1)(ए)	6	6
स्वामीनाथन जे.#	8(1)(ए)	5	5
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	6	6
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	6	5
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	6	4
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	6	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(सी)	6	3
वेणु श्रीनिवासन	8(1)(सी)	6	2
पंकज रमणभाई पटेल	8(1)(सी)	6	4
रवीन्द्र एच. ढोलकिया	8(1)(सी)	6	6
अजय सेठ	8(1)(सी)	6	5
विवेक जोशी	8(1)(सी)	6	3

*: 21 जून 2023 तक उप गवर्नर।   #: 26 जून 2023 से उप गवर्नर।

सारणी XI.2: 1 अप्रैल, 2023 - 31 मार्च, 2024 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	46	39
महेश कुमार जैन*	8(1)(ए)	11	8
माइकल देवब्रत पात्र	8(1)(ए)	46	39
एम. राजेश्वर राव	8(1)(ए)	46	39
टी. रबी शंकर	8(1)(ए)	46	43
स्वामीनाथन जे.#	8(1)(ए)	35	31
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	15	15
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	14	8
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	37	37
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	13	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	8(1)(सी)	16	16
वेणु श्रीनिवासन	8(1)(सी)	12	6
पंकज रमणभाई पटेल	8(1)(सी)	21	21
रवीन्द्र एच. ढोलकिया	8(1)(सी)	41	41
अजय सेठ	8(1)(डी)	2	2

*: 21 जून, 2023 तक उप गवर्नर। #: 26 जून, 2023 से उप गवर्नर।

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	15	15
महेश कुमार जैन*	उपाध्यक्ष	3	2
स्वामीनाथन जे.#	उपाध्यक्ष	12	12
माइकल देवब्रत पात्र	सदस्य	15	10
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	15	12
टी. रबी शंकर	सदस्य	15	12
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	15	10
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	15	11
रवीन्द्र एच. ढोलकिया	सदस्य	15	11
रेवती अय्यर@	सदस्य	4	3

*: 21 जून, 2023 तक उप गवर्नर।
#: 26 जून 2023 से उप गवर्नर और 23 अगस्त 2023 से उपाध्यक्ष के रूप में नामित।
@: 1 जनवरी 2024 से बीएफएस के सदस्य के रूप में नामित।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	1	1
टी. रबी शंकर	उपाध्यक्ष	1	1
महेश कुमार जैन*	सदस्य	Nil	Nil
माइकल देवब्रत पात्र	सदस्य	1	1
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	1	1
स्वामीनाथन जे.#	सदस्य	1	1
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	1	1
वेणु श्रीनिवासन$	सदस्य	1	1
रवीन्द्र एच. ढोलकिया@	सदस्य	1	1

*: 21 जून, 2023 तक उप गवर्नर। #: 26 जून 2023 से उप गवर्नर।
@: 1 जनवरी 2024 से बीबीएसएस के सदस्य के रूप में नामित। $:1 मार्च 2024 तक सदस्य

सारणी XI.3: 1 अप्रैल, 2023 – 31 मार्च, 2024 के दौरान बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	7	7
वेणु श्रीनिवासन	सदस्य	7	2
पंकज रमणभाई पटेल	सदस्य	7	4
सचिन चतुर्वेदी @	सदस्य	1	1
एम. राजेश्वर राव*	सदस्य	2	2
स्वामीनाथन जे.#	सदस्य	5	5

*: 25 जून 2023 तक सदस्य। #: 26 जून 2023 से एआरएमएस के सदस्य।
@: 1 जनवरी 2024 से एआरएमएस के सदस्य के रूप में नामित।

II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
पंकज रमणभाई पटेल	अध्यक्ष	2	2
आनंद गोपाल महिंद्रा	सदस्य	2	2

III. मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
आनंद गोपाल महिंद्रा	अध्यक्ष	2	2
पंकज रमणभाई पटेल	सदस्य	2	2

IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
सचिन चतुर्वेदी	अध्यक्ष	3	3
वेणु श्रीनिवासन@	सदस्य	3	Nil

@: 21 फरवरी 2024 तक सदस्य

V. कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	1	1
आनंद गोपाल महिंद्रा	सदस्य	1	1
माइकल देवब्रत पात्र	सदस्य	1	1
वेणु श्रीनिवासन@	सदस्य	Nil	Nil

@: 1 जनवरी 2024 से एस-एससी के सदस्य के रूप में नामित।

सारणी XI.4: 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान स्थानीय बोर्ड/बोर्डों के बदले केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति*		
सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
1	2	3
रेवती अय्यर, अध्यक्ष	8	8
सतीश काशीनाथ मराठे, सदस्य	8	8

***:** केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों के बदले कार्य कर रही है।

नोट: उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के लिए दो-दो बैठकें आयोजित की गईं।

XII वर्ष 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का आकार 11.08 प्रतिशत बढ़ा है। इस वर्ष आय में 17.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि व्यय में 56.30 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष की समाप्ति पर कुल अधिशेष ₹2,10,873.99 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष ₹87,416.22 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 141.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

XII.1 रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र, मुद्रा निर्गम के साथ-साथ मौद्रिक नीति और आरक्षित निधि प्रबंधन उद्देश्यों सहित इसके विभिन्न कार्यों के अनुसरण में की गई गतिविधियों को दर्शाता है।

XII.2 वर्ष 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों (पैराग्राफों) में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.3 तुलन-पत्र के आकार में ₹7,02,946.97 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, अर्थात इसका आकार 31 मार्च 2023 के ₹63,44,756.24 करोड़ रुपये से 11.08 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹70,47,703.21 करोड़ रुपये हो गया। विदेशी निवेश, स्वर्ण, और ऋण तथा अग्रिम में क्रमश: 13.90 प्रतिशत, 18.26 प्रतिशत और 30.05 प्रतिशत की वृद्धि के कारण आस्ति पक्ष में वृद्धि हुई। देयता पक्ष में जारी किए गए नोटों, जमाराशियों और अन्य देनदारियों में क्रमश: 3.88 प्रतिशत, 27.00 प्रतिशत और 92.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2024 तक कुल आस्तियों में घरेलू आस्तियों की हिस्सेदारी 23.31 प्रतिशत थी, जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण (जमा स्वर्ण और भारत में रखा स्वर्ण मिलाकर) भारत के बाहर के वित्तीय संस्थानों को ऋण और अग्रिम मिलाकर कुल हिस्सेदारी 76.69 प्रतिशत थी, जो 31 मार्च 2023 को क्रमशः 26.08 प्रतिशत और 73.92 प्रतिशत थी।

XII.4 ₹42,819.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और उसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, व्यय, निवल आय और केन्द्र सरकार को अंतरित अधिशेष के संबंध में प्रवृत्ति विवरण सारणी XII.1 में दिया गया है।

XII.5 वर्ष 2023-24 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय विवरण; अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की विवरणी और लेखा संबंधी अनुपूरक टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत है:

सारणी XII.1 : आय, व्यय, निवल आय और केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
ए) आय	1,49,672.46	1,33,272.75	1,60,112.13	2,35,457.26	2,75,572.32
बी) कुल व्यय[1]	92,540.93[2]	34,146.75[3]	1,29,800.68[4]	1,48,037.04[5]	64,694.33[6]
सी) निवल आय (ए-बी)	57,131.53	99,126.00	30,311.45	87,420.22	2,10,877.99
डी) निधियों को अंतरण[7]	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ई) केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	57,127.53	99,122.00	30,307.45	87,416.22	2,10,873.99

टिप्पणी: 1. इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।
2. सीएफ को हस्तांतरण के लिए ₹73,615 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
3. सीएफ को हस्तांतरण के लिए ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
4. सीएफ और एडीएफ में स्थानांतरण के लिए क्रमशः ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ के प्रावधान शामिल है।
5. सीएफ को हस्तांतरण के लिए ₹1,30,875.75 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
6. सीएफ को हस्तांतरण के लिए ₹42,819.91 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹1 करोड़ की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, में अंतरित की गई।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षक, इसके द्वारा केंद्र सरकार को, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, बैंक के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है), जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है, पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा कि बैंक के लेखा बहियों से स्पष्ट है, अनुसूचियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित, यह तुलन पत्र पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं; और यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ("आरबीआई अधिनियम, 1934") के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च 2024 तक बैंक के कार्य और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके परिचालन के परिणाम की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

अभिमत का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार हमने यह लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिए गए हैं। लेखा परीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक से निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाओं के साथ तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत उल्लिखित प्रतीत होती हैं। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि यह अन्य जानकारी तात्विक रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है।

हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कुछ भी नहीं मिला है।

प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन प्रभार वहन करने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों का अभिशासन करने वालों का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करें। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित भी शामिल हैं: पर्याप्त लेखा परीक्षा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो सच्चा व सही अभिमत दें और गंभीर विवरणात्मक भूल से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटि के कारण हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, बैंक का परिसमापन केंद्र सरकार द्वारा आदेश से और निदेशित किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक के वित्तीय विवरण तैयार करने का मौलिक आधार जहां आरबीआई अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों पर आधारित है, वहीं प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को अपनाया है जो एक कार्यशील संस्था के रूप में इसकी निरंतरता को दर्शाता है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की ज़िम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके अभिशासन का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से इस संबंध में आश्वस्त होना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की तथ्यात्मक गलती, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त है तथा अपने अभिमत के साथ लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह

इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में हमेशा तात्विक गलती, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाए। गलत विवरण किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे, अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इसके उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय यथोचित रूप से प्रभावित होने की संभावना हो।

इस लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर रुख अपनाते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलती, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यन करते हैं, इन जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखा परीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलती का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलती से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखा परीक्षा पद्धति तैयार की जा सके। लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन के आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह देखते हैं कि क्या लेखांकन नीतियां और जानकारी इसे कार्यशील संस्था के रूप में दर्शाती है और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या लेखांकन के आधार के उपयोग से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और तथ्य का मूल्यन करते हैं, और यह देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे, समय और लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखा परीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को एक विवरणी भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं, और उन सभी संबंधों और उन अन्य मामलों को सूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित प्रभाव डालते हों, एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

अन्य मामले

हम सूचित करते हैं कि लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की 25 लेखांकन इकाइयों का लेखा–जोखा शामिल है, जिनकी लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा-लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते चंदाभॉय और जासुभॉय
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 101647डब्ल्यू)

अम्बेश दवे
भागीदार
सदस्यता संख्या 049289
यूडीआईएन: 24049289BKDHQQ9690

कृते फोर्ड रोड्स पार्क्स एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 102860डब्ल्यू / डब्ल्यू 100089)

आस्था कारिया
भागीदार
सदस्यता संख्या 122491
यूडीआईएन:24122491BKHBBJ4500

स्थान: मुंबई
दिनांक : 22 मई 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	अनुसूची	2022-23	2023-24	आस्तियां	अनुसूची	2022-23	2023-24
पूंजी		5.00	5.00	**बैंकिंग विभाग (बीडी) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि		6,500.00	6,500.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	6	9.50	10.13
अन्य आरक्षित निधियां	1	238.00	240.00	स्वर्ण-बैंकिंग विभाग	7	2,30,733.95	2,74,714.27
जमाराशियाँ	2	13,54,217.22	17,19,838.56	निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग	8	10,08,993.26	14,89,081.42
जोखिम प्रावधान				निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग	9	14,06,422.89	13,63,368.97
आकस्मिकता निधि		3,51,205.69	4,28,621.03	खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
आस्ति विकास निधि		22,974.68	22,974.68	ऋण और अग्रिम	10	2,88,813.53	3,75,593.49
पुनर्मूल्यन खाता	3	11,26,088.12	11,30,963.71	सहयोगी संस्थाओं में निवेश	11	2,063.60	2,063.60
अन्य देयताएं	4	1,35,282.86	2,60,520.73	अन्य आस्तियां	12	59,474.84	64,831.83
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग (आईडी) की आस्तियां (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)**			
जारी किए गए नोट	5	33,48,244.67	34,78,039.50	स्वर्ण- आईडी	7	1,40,765.60	1,64,604.91
				रुपया सिक्का		277.29	458.54
				निवेश-विदेशी-आईडी	8	32,07,201.78	33,12,976.05
				निवेश-घरेलू-आईडी	9	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणि-ज्यिक-पत्र		0.00	0.00
						33,48,244.67	**34,78,039.50**
	कुल देयताएं	**63,44,756.24**	**70,47,703.21**		**कुल आस्तियां**	**63,44,756.24**	**70,47,703.21**

संगीता लालवानी	स्वामीनाथन जे.	टी. रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	एम. डी. पात्र	शक्तिकान्त दास
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	अनुसूची	2022-23	2023-24
ब्याज	13	1,43,073.11	1,88,605.73
अन्य आय	14	92,384.15	86,966.59
Total		**2,35,457.26**	**2,75,572.32**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		4,682.80	5,101.40
मुद्रा विप्रेषण पर व्यय		118.19	128.39
एजेंसी प्रभार	15	4,068.62	3,976.31
कर्मचारी लागत		6,003.93	7,890.11
ब्याज		1.92	2.19
डाक और संचार प्रभार		191.18	242.75
मुद्रण और लेखन-सामग्री		26.97	29.53
किराया, कर, बीमा, विद्युत, आदि		161.47	254.14
मरम्मत और रखरखाव		126.21	173.07
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		4.15	5.75
लेखापरीक्षक के शुल्क और व्यय		7.44	7.37
विधिक प्रभार		16.88	18.06
मूल्यह्रास		303.18	370.62
विविध व्यय		1,448.35	3,674.73
प्रावधान		1,30,875.75	42,819.91
कुल		**1,48,037.04**	**64,694.33**
उपलब्ध शेष राशि		**87,420.22**	**2,10,877.99**
घटाना :			
(a) निम्नलिखित में अंशदान:			
(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(b) नाबार्ड को अंतरण योग्य:			
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि[1]		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि[1]		1.00	1.00
(c) **अन्य**			
केंद्र सरकार को देय अधिशेष राशि		**87,416.22**	**2,10,873.99**

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

संगीता लालवानी	स्वामीनाथन जे.	टी. रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	एम. डी. पात्र	शक्तिकान्त दास
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

		2022-23	2023-24
अनुसूची 1:	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	32.00	33.00
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	206.00	207.00
	कुल	**238.00**	**240.00**
अनुसूची 2:	**जमाराशियाँ**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	5,000.93	5,000.30
	(ii) राज्य सरकार	42.49	42.46
	उप योग	***5,043.42***	***5,042.76***
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	8,68,939.67	9,56,010.64
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8,100.09	10,934.25
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	11,530.78	12,272.97
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	5,177.27	6,515.91
	(v) अन्य बैंक	36,729.16	39,714.96
	उप योग	***9,30,476.97***	***10,25,448.73***
	(सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रेपो उधार-विदेशी	1,00,952.11	1,61,402.27
	(ii) रिवर्स रेपो मार्जिन- विदेशी	1,255.08	2,146.54
	उप योग	***1,02,207.19***	***1,63,548.81***
	(डी) अन्य		
	(i) आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि खाते के प्रशासक	4,642.35	4,778.94
	(ii) जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि	62,224.89	78,212.53
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियाँ	1,059.02	1,702.86
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियाँ	6,796.52	7,727.18
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियाँ	507.06	501.00
	(vi) म्यूचुअल फंड	1.34	1.33
	(vii) अन्य	2,41,258.46	4,32,874.42
	उप योग	***3,16,489.64***	***5,25,798.26***
	कुल	**13,54,217.22**	**17,19,838.56**
अनुसूची 3:	**पुनर्मूल्यन खाता**		
	(i) मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)	11,24,733.16	11,30,793.34
	(ii) निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियाँ (आईआरए-एफ़एस)	0.00	0.00
	(iii) निवेश पुनर्मूल्यन खाता- रुपया प्रतिभूतियाँ (आईआरए-आरएस)	0.00	0.00
	(iv) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (एफ़सीवीए)	1,354.96	170.37
	कुल	**11,26,088.12**	**11,30,963.71**
अनुसूची 4:	**अन्य देयताएं**		
	(i) वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाते के लिए प्रावधान (पीएफ़सीवीए)	0.00	0.00
	(ii) देय राशियों के लिए प्रावधान	3,665.97	4,827.02
	(iii) उपदान और अधिवर्षिता निधि	30,892.24	33,321.37
	(iv) केंद्र सरकार को देय अधिशेष	87,416.22	2,10,873.99
	(v) देय बिल	0.11	11.35
	(vi) विविध	13,308.32	11,487.00
	कुल	**1,35,282.86**	**2,60,520.73**
अनुसूची 5:	**जारी नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	9.43	10.06
	(ii) संचलन में नोट	33,48,218.85	34,77,795.32
	(iii) सीबीडीसी-डब्ल्यू	10.69	0.08
	(iv) सीबीडीसी-आर	5.70	234.04
	कुल	**33,48,244.67**	**34,78,039.50**

		2022-23	2023-24
अनुसूची 6:	**नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के**		
	(i) नोट	9.43	10.06
	(ii) रुपया सिक्का	0.06	0.06
	(iii) छोटे सिक्के	0.01	0.01
	कुल	**9.50**	**10.13**
अनुसूची 7:	**स्वर्ण**		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण	2,04,401.58	2,60,537.16
	(ii) स्वर्ण जमा	26,332.37	14,177.11
	उप योग	***2,30,733.95***	***2,74,714.27***
	(बी) निर्गम विभाग	1,40,765.60	1,64,604.91
	कुल	**3,71,499.55**	**4,39,319.18**
अनुसूची 8:	**निवेश-विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी -बीडी	10,08,993.26	14,89,081.42
	(ii) निवेश-विदेशी -आईडी	32,07,201.78	33,12,976.05
	कुल	**42,16,195.04**	**48,02,057.47**
अनुसूची 9:	**निवेश-घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू -बीडी	14,06,422.89	13,63,368.97
	(ii) निवेश-घरेलू -आईडी	0.00	0.00
	कुल	**14,06,422.89**	**13,63,368.97**
अनुसूची 10:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम:		
	(i) केंद्र सरकार	48,677.00	0.00
	(ii) राज्य सरकार	791.72	6,599.94
	उप योग	***49,468.72***	***6,599.94***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम:		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,12,731.34	1,93,341.00
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	0.00
	(vi) अन्य	24,485.36	12,397.51
	उप योग	***1,37,216.70***	***2,05,738.51***
	(बी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिवर्स रेपो उधार-विदेशी	1,01,968.98	1,62,822.88
	(ii) रेपो मार्जिन-विदेशी	159.13	432.16
	उप योग	***1,02,128.11***	***1,63,255.04***
	कुल	**2,88,813.53**	**3,75,593.49**
अनुसूची 11:	**सहयोगी/सहायक संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	30.00	30.00
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	33.60	33.60
	(vi) रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच)	100.00	100.00
	कुल	**2,063.60**	**2,063.60**

		2022-23	2023-24
अनुसूची 12:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	981.57	2,042.64
	(ii) **उपचित आय (ए + बी)**	**55,217.80**	**58,878.51**
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर	*383.70*	*421.47*
	बी. अन्य मदों पर	*54,834.10*	*58,457.04*
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)	1,354.96	170.37
	(v) विविध	1,920.51	3,740.31
	कुल	**59,474.84**	**64,831.83**
अनुसूची 13:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	96,516.05	92,589.51
	(ii) एलएएफ़ परिचालन पर निवल ब्याज	-9,068.41	-7,052.08
	(iii) एसडीएफ़ पर ब्याज	-7,444.71	-5,616.80
	(iv) एमएसएफ़ परिचालन पर ब्याज	361.02	3,413.37
	(v) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	2,411.98	2,094.09
	उप योग	***82,775.93***	***85,428.09***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय	43,649.26	65,327.93
	(ii) रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन पर निवल ब्याज	228.25	228.64
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	16,419.67	37,621.07
	उप योग	***60,297.18***	***1,03,177.64***
	कुल	**1,43,073.11**	**1,88,605.73**
अनुसूची 14:	**अन्य आय**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) बट्टा	0.00	0.00
	(iii) कमीशन	3,469.14	3,886.95
	(iv) प्राप्त किराया	8.99	9.19
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	-222.86	859.32
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-110.67	-68.74
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-2,264.19	-2,394.71
	(viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से लाभ/हानि	2.45	1.73
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	-330.07	379.29
	उप योग	***552.79***	***2,673.03***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-9,972.25	2,235.86
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	-1,740.59	-630.56
	(iii) विदेशी विनिमय से विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	1,03,308.35	83,615.86
	(iv) विविध आय	235.85	-927.60
	उप योग	***91,831.36***	***84,293.56***
	कुल	**92,384.15**	**86,966.59**
अनुसूची 15:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन	3,873.06	3,806.71
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	107.47	48.47
	(iii) विविध (राहत/बचत बॉण्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंको को अदा किया गया संचालन प्रभार और टर्नओवर कमीशन)	20.98	28.12
	(iv) बाह्य आस्ति प्रबंधक, अभिरक्षकों, ब्रोकर आदि को अदा किया गया शुल्क	67.11	93.01
	कुल	**4,068.62**	**3,976.31**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ''बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना" है।

1.2 रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- ए) बैंक नोट का निर्गमन एवं सिक्कों का संचलन;
- बी) मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्धारण, कार्यान्वयन और निगरानी करना एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना;
- सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण;
- डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण;
- ई) विदेशी मुद्रा के प्रबंधकर्ता के रूप में कार्य करना;
- एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन;
- जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना;
- एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना;
- आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाएगा, और निर्गम विभाग की आस्तियां निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में स्वर्ण के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया

सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। आरबीआई अधिनियम, 1934 की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं तत्समय संचलनगत भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 परिपाटी (कन्वेंशन)

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां पुनर्मूल्यन और/या परिशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए इसे संशोधित किया गया हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनायी जाने वाली लेखा नीतियां पिछले वर्ष में अपनायी गई नीतियों के अनुरूप हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.2 राजस्व निर्धारण

- ए) आय और व्यय को बैंकों से लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को छोड़कर उपचय के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसका हिसाब तभी दिया जाता है जब वसूली की निश्चितता हो। शेयरों पर लाभांश आय को, जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो, उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है,।
- बी) ड्राफ्ट देय खाते, भुगतान आदेश खाता, विविध जमा खाता- विविध-बीडी, विप्रेषण समाशोधन खाता, अग्रिम

राशि जमा खाता और प्रतिभूति जमा खाते सहित कुछ ट्रांजिट खातों में तीन से अधिक लगातार पूर्ण लेखांकन वर्षों के लिए बकाया और अदावी शेष जमाराशि की समीक्षा की जाती है और आय में प्रतिलेखित किया जाता है। दावे, यदि कोई हों, पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय पर अधिरोपित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय, उस दिन के प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

डी) विदेशी मुद्राओं और स्वर्ण की बिक्री पर विनिमय लाभ/हानि की लागत निकालने के लिए भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग कर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियां एवं देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) **स्वर्ण**

स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) का पुनर्मूल्यन, दैनिक आधार पर, अमेरिकी डॉलर में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) के स्वर्ण की कीमत के नब्बे (90) प्रतिशत और रुपया-अमेरिकी डॉलर बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यन लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में शामिल किया जाता है।

बी) **विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं**

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रेपो और संविदाओं, जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा को छोड़कर) उस दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दैनिक आधार पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है।

विदेशी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल (टी-बिल), वाणिज्यिक पत्र और कुछ 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों (जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में निवेश और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यूके द्वारा जारी बॉण्ड, जो लागत पर मूल्यांकित हैं) के अलावा दैनिक मार्क-टू-मार्केट होते हैं। पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता - विदेशी प्रतिभूति' (आईआरए-एफएस) में दर्ज किए जाते हैं। आईआरए-एफएस में क्रेडिट शेष को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को आईआरए-एफएस में डेबिट शेष, यदि कोई हो, आकस्मिक निधि (सीएफ) से वसूल किया जाता है और उसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस कर दिया जाता है।

विदेशी टी-बिल और वाणिज्यिक पत्रों को डिस्काउंट/प्रीमियम के दैनिक परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट का दैनिक परिशोधन किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को परिशोधित बही मूल्य के संबंध में निर्धारित किया जाता है।

सी) **फॉरवर्ड / स्वैप संविदा**

रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, जबकि बाजार मूल्य पर निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन हेतु प्रावधान खाता ' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए

में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि रिवर्स किए जाते हैं। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि रिवर्स कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख पर एफसीवीए में डेबिट शेष, यदि कोई हो, को सीएफ से प्रभारित किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन पर क्रमशः निवल अप्राप्त लाभ और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप के मामले में, जो रेपो के रूप में होती है, फ्यूचर संविदा दर तथा संविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है। अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि रिवर्स की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जहाँ, एफसीवीए 'पुनर्मूल्यन खातों' का हिस्सा है, वहीं पीएफसीवीए 'अन्य देनदारियों' का हिस्सा है, और आरएफसीए और एसएए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा हैं।

डी) **पुनर्खरीद लेनदेन**

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालन के एक हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक विदेशी पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो और रिवर्स रेपो) में सहभागिता करता है। रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार लेने के रूप में माना जाता है और 'जमा' के तहत दिखाया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार देने के रूप में माना जाता है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है।

ई) **डेरिवेटिव में लेनदेन**

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में, ब्याज दर फ्यूचर्स, मुद्रा फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप और ओवरनाइट इंडेक्सड स्वैप, जैसे डेरिवेटिव में लेनदेन को आवधिक आधार पर बाजार भाव पर दर्शाया (मार्क्ड टू मार्केट) जाता है और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में डाला जाता है।

एफ) **प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन**

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन में सहभागिता करता है। उधार दी गई प्रतिभूतियां रिज़र्व बैंक के निवेशों के रूप में रहती हैं और इन्हें परिशोधित किया जाता है, ये ब्याज अर्जित करती हैं और बाजार भाव पर दर्शाई (मार्क्ड टू मार्केट) जाती हैं।

2.4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में लेनदेन

रिज़र्व बैंक द्वारा अपने हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में किए गए ईटीसीडी लेनदेन दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट होते हैं और परिणामी लाभ / हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

ए) रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड, टी-बिल और (डी) में उल्लिखित को छोड़कर, शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार बाजार दर पर दर्ज किए जाते हैं। पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूतियां' (आईआरए-आरएस) में शामिल किया जाता है। आईआरए-आरएस के क्रेडिट शेष को अगले लेखा वर्ष में आगे ले जाया जाता है। तुलन-पत्र की तारीख को आईआरए-आरएस में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, को सीएफ से प्रभारित किया जाता है और इसे अगले लेखांकन वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों/तेल बॉण्डों की बिक्री/मोचन पर मूल्यन लाभ/हानि और आईआरए-आरएस में पड़े बेचे गए तेल बॉण्ड आय खाते

में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड भी दैनिक परिशोधन के अधीन हैं।

बी) टी-बिल को डिस्काउंट/प्रीमियम के दैनिक परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है।

सी) अनुषंगियों के शेयरों में निवेश का मूल्यन लागत पर किया जाता है।

डी) विभिन्न स्टाफ निधियों [(जैसे उपदान और अधिवर्षिता, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि)] डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) और पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) के लिए निर्धारित तेल बॉण्ड और रुपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता के लिए धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधन लागत पर धारित किया जाता है।

ई) घरेलू निवेश में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रेपो/रिवर्स रेपो, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के तहत रेपो लेनदेन उधार के रूप में माने जाते हैं और तदनुसार 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाये जा रहे हैं, जबकि एलएएफ और एसडीएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेन जमाराशियों के रूप में माने जा रहे हैं और 'जमाराशियां-अन्य' के तहत दर्शाये जा रहे हैं।

2.7 अचल आस्तियां

अचल आस्तियों में, लागत पर धारित कला और चित्र तथा पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड लैंड) को छोड़कर, अन्य सभी को लागत मूल्य में से मूल्यह्रास घटाकर प्राप्त लागत पर नियत किया गया है।

2.7.1 भूमि और भवनों के अलावा अचल आस्तियां

ए) ₹1 लाख तक की अचल आस्तियों (लैपटॉप/ई-बुक रीडर जैसी आसानी से उठाने-योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को छोड़कर) को अधिग्रहण के वर्ष में आय में प्रभारित किया जाता है। आसानी से उठाने-योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटॉप, आदि, जिनकी कीमत ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दर पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

बी) ₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग-अलग मदों को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

सी) लेखांकन वर्ष के दौरान अर्जित और पूंजीकृत अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की गणना, पूंजीकरण के महीने से मासिक आनुपातिक आधार पर की जाएगी और अनुप्रयुक्त आस्तियों के उपयोगी जीवन-काल के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार छमाही आधार पर प्रभावी होगी।

डी) एक आस्ति के उपयोगी जीवन-काल के आधार पर, अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित तरीके से दर्शाया जाता है:

आस्ति की श्रेणी	उपयोगी जीवन-काल (मूल्यह्रास की दर)
1	2
विद्युत संस्थापना, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, फिक्स्चर, सीवीपीएस / एसबीएस मशीनें, इत्यादि।	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

ई) मासिक यथानुपात आधार पर छमाही के अंत में अचल आस्तियों की शेष राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के मामले में, ऐसी आस्तियों के परिवर्धन/विलोपन के माह सहित मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है।

एफ) बाद के *व्यय* पर मूल्यह्रास:

i. एक मौजूदा अचल आस्ति पर उपगत बाद का व्यय, जिसे खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रासित नहीं किया गया है, उसका मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन-काल पर मूल्यह्रास किया जाता है;

ii. मौजूदा अचल आस्ति के आधुनिकीकरण/परिवर्धन/ओवरहालिंग पर किए गए बाद के व्यय, जिनका पहले से ही खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और जिस वर्ष में व्यय होता है, उसके बाद उस वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

2.7.2 **भूमि एवं भवन:** भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

ए) भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली आस्तियाँ माना जाता है और तदनुसार इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन, पट्टे की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

i. सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष का माना जाता है और इन पर तीस वर्षों के दौरान 'सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट-लाइन)' आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यह्रास, भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।

ii. भवनों को हुई क्षति: क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- *ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित किए गए हों या जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा:* ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यह्रास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

- *जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/ जिन्हें खाली कर दिया गया है:* ये भवन, वसूली-योग्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा अवशिष्ट (स्क्रैप) मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) पर दर्शाये गए हैं। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और वसूली-योग्य मूल्य (निवल बिक्री मूल्य)/ स्क्रैप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

ए) बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए प्रत्येक माह एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में आय खाते में प्रभारित किया जाता है।

बी) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'पूर्वानुमानित इकाई क्रेडिट' पद्धति के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.6 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.6.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹5 करोड़ थी। रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास निहित रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹5 करोड़ बनी हुई है।

XII.6.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन, रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाली ₹6,495 करोड़ की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹6,500 करोड़ हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो 'पुनर्मूल्यन खाता' शीर्ष के अंतर्गत आता है।

XII.6.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) *राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46सी के अनुसार ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार इस निधि में शेष राशि ₹33 करोड़ थी।

बी) *राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹50 करोड़ की आरंभिक मूल पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, इस निधि में प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹207 करोड़ की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए, प्रति निधि प्रत्येक वर्ष ₹1 करोड़ की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.6.4 जमाराशियां

ये बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की जमाराशि, और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रेपो, एसडीएफ, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), पीआईडीएफ आदि के बदले बकाया जमाराशियों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी जाने वाली शेष राशि को दर्शाते हैं। कुल जमाराशि में 27.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2023 को ₹13,54,217.22 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2024 तक ₹17,19,838.56 करोड़ हो गई।

ए. *जमाराशियां - सरकार*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 31 मार्च 2023 के ₹5,000.93 करोड़ और ₹42.49 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2024 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमश: ₹5000.30 करोड़ और ₹42.46 करोड़ थीं।

बी. *जमाराशियां - बैंक*

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह करने हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए बैंक, रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में राशि जमा रखते हैं। बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 10.21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2023 के ₹9,30,476.97 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2024 को ₹10,25,448.73 करोड़ हो गई। इस शीर्ष में वृद्धि बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) में वृद्धि के कारण हुई।

सी. *जमाराशियां – भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं*

वर्ष के दौरान रेपो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के कारण, इस शीर्ष के तहत शेष राशि 31 मार्च 2023 को ₹1,02,207.19 करोड़ से 60.02 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹1,63,548.81 करोड़ हो गई।

डी. *जमाराशियां - अन्य*

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), पीआईडीएफ, रिवर्स रेपो के अंतर्गत बकाया राशियां, एसडीएफ आदि शामिल होते हैं। मुख्य रूप से रिवर्स रेपो जमाराशियों में वृद्धि के कारण, 'जमाराशियां-अन्य' 31 मार्च 2023 को ₹3,16,489.64 करोड़ से 66.13 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹5,25,798.26 करोड़ हो गई।

XII.6.5 जोखिम प्रावधान

रिज़र्व बैंक आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार जोखिम प्रावधान करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए जोखिम प्रावधानों में आकस्मिकता निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) शामिल हैं। पूंजी और आरक्षित निधि के साथ ये जोखिम प्रावधान, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे[1] (ईसीएफ) के तहत रिज़र्व बैंक की उपलब्ध वास्तविक इक्विटी (एआरई) के घटक हैं। पूंजी और आरक्षित निधि का विवरण पिछले पैराग्राफ में दिया गया है। दो जोखिम प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:

ए. *आकस्मिकता निधि (सीएफ)*

यह एक विशिष्ट प्रावधान है जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटना है, जिसमें प्रतिभूतियों का मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालन से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और रिज़र्व बैंक को सौंपी गई विशेष जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी जोखिम शामिल है। 31 मार्च, 2024 तक, आईआरए -एफ़एस और आईआरए -आरएस

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ईसीएफ को अगस्त 2019 में रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अपनाया गया था।

में डेबिट बैलेंस के कारण क्रमशः ₹1,43,220.82 करोड़ और ₹7,090.29 करोड़ की राशि सीएफ़ पर चार्ज की गई थी। अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर सीएफ़ पर प्रभार प्रत्यावर्तित किया जाता है। इसके अलावा, उपलब्ध प्राप्त इक्विटी (एवेलेबल रियलाइज़्ड इक्विटी) को तुलन पत्र के आकार के 6.50 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने के लिए सीएफ के लिए ₹42,819.9 करोड़ की राशि भी प्रदान की गई। तदनुसार, 31 मार्च 2024 तक सीएफ में शेष राशि ₹4,28,621.03 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2023 को यह ₹3,51,205.69 करोड़ थी।

बी. *आस्ति विकास निधि (एडीएफ़)*

आस्ति विकास निधि (एसेट डेवलेपमेंट फंड) 1997-98 में बनाया गया और उसकी शेष राशि विशेष रूप से सहायक कंपनियों और सहयोगी संस्थानों में निवेश और आंतरिक पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए आज तक किए गए प्रावधान को दर्शाती है। वर्ष 2023-24 में एडीएफ़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। 31 मार्च 2023 की तरह, 31 मार्च 2024 तक एडीएफ़ की शेष राशि ₹22,974.68 करोड़ बनी रही (सारणी XII.2)।

XII.6.6 पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्य पर अंकित लाभ/हानि पुनर्मूल्यन शीर्षों *जैसे कि* मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफ़सीवीए) में दर्ज किए जाते हैं। इनका विवरण यहाँ दिया गया है:

ए . *मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)*

रिज़र्व बैंक के सामने आने वाले बाज़ार जोखिम के प्रमुख स्रोत मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) और स्वर्ण के मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसलिए, सीजीआरए में निवल शेष, आस्ति आधार के आकार, उसके मूल्यन और विनिमय दरों और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ परिवर्तित होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर/ स्वर्ण की कीमत में उतार-चढ़ाव के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता है या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है तो यह दबाव में आ सकता है। जब सीजीआरए विनिमय घाटे को पूरी तरह से

सारणी XII.2: पूंजी, आरक्षित निधि और जोखिम प्रावधानों में संतुलन (उपलब्ध वास्तविक इक्विटी)

(₹ करोड़)

को स्थिति	पूंजी	आरक्षित निधि	सीएफ	एडीएफ	एआरई	तुलन पत्र के प्रतिशत के रूप में एआरई
1	2	3	4	5	6 = (2+3+4+5)	7
जून 30, 2020	5.00	6,500.00	2,64,033.94	22,874.68	2,93,413.62	5.50
मार्च 31, 2021	5.00	6,500.00	2,84,542.12@	22,874.68	3,13,921.80	5.50
मार्च 31, 2022	5.00	6,500.00	3,10,986.94$	22,974.68$$	3,40,466.62	5.50
मार्च 31, 2023	5.00	6,500.00	3,51,205.69*	22,974.68	3,80,685.37	6.00
मार्च 31, 2024	5.00	6,500.00	4,28,621.03^	22,974.68	4,58,100.71	6.50

@ : सीएफ में वृद्धि ₹20,710.12 करोड़ के प्रावधान और एफसीवीए में ₹6,127.35 करोड़ की राशि के नामे शेष पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

$: सीएफ में वृद्धि ₹1,14,567.01 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस में ₹94,249.54 करोड़ की राशि के नामे शेष पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

$$: एडीएफ में वृद्धि आरबीआईएच में निवेश के कारण ₹100 करोड़ के प्रावधान से है।

* : सीएफ़ में वृद्धि ₹1,30,875.75 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफ़एस तथा आईआरए-आरएस में क्रमशः ₹1,65,488.93 करोड़ और ₹19,417.61 करोड़ राशि के नामे शेष पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।।

^ : सीएफ में वृद्धि ₹42,819.91 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस और आईआरए-आरएस में क्रमशः ₹1,43,220.82 करोड़ और ₹7,090.29 करोड़ के नामे शेष राशि पर प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो इसकी भरपाई सीएफ़ से की जाती है।

बी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियाँ (आईआरए-एफ़एस)*

विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और उनसे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए -एफ़एस में अंतरित किया जाता है। लगभग सभी प्रमुख बाजारों की परिपक्वता अवधि के प्रतिफल में नरमी के कारण, आईआरए-एफ़एस में शेष राशि 31 मार्च, 2023 के ₹ (-)1,65,488.93 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹ (-)1,43,220.82 करोड़ हो गई। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए -एफ़एस में ₹1,43,220.82 करोड़ की नामे शेष राशि को 31 मार्च, 2024 को सीएफ़ के साथ समायोजित किया गया जिसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 तक आईआरए-एफ़एस में शेष राशि शून्य रही।

सी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)*

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में रखी गयी रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत उल्लिखित अपवादों के साथ) को शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिन में बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि का लेखा आईआरए -आरएस में किया जाता है। आईआरए-आरएस में शेष राशि 31 मार्च, 2023 को ₹(-)19,417.61 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹ (-)7,090.29 करोड़ हो गई, जिसका कारण वक्र पर प्रतिफल में नरमी का आना था। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए -आरएस में ₹ 7,090.29 करोड़ की नामे शेष राशि 31 मार्च, 2024 को सीएफ़ के सामने समायोजित की गई जिसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को आईआरए-आरएस में शेष राशि शून्य थी।

डी. *विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए)*

31 मार्च, 2023 तक ₹1,354.96 करोड़ के निवल अप्राप्त लाभ की तुलना में 31 मार्च, 2024 तक बकाया वायदा संविदा को बाजार मूल्य पर अंकित करने के परिणामस्वरूप, ₹170.37 करोड़ का निवल अप्राप्त लाभ हुआ, जिसे वायदा संविदा के पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए) में प्रतिपक्षी नामे के साथ एफसीवीए में जमा किया गया।

XII.6.7 अन्य देयताएं

'अन्य देयताएं' 31 मार्च, 2023 के ₹1,35,282.86 करोड़ से 92.57 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक ₹2,60,520.73 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार को देय अधिशेष में वृद्धि है।

i. वायदा संविदा मूल्यन खाते (पीएफसीवीए) के लिए प्रावधान

31 मार्च 2024 के साथ-साथ 31 मार्च 2023 को भी इस खाते में शेष राशि शून्य थी।

पिछले पांच वर्षों के पुनर्मूल्यन खातों और पीएफसीवीए में शेष राशि सारणी XII.3 में दी गई है।

ii. देयताओं के लिए प्रावधान

यह वर्ष के अंत में किए गए व्यय जिनका भुगतान नहीं किया गया है और यदि अग्रिम/देय प्राप्त आय हो तो उसके लिए किए गए प्रावधान को दर्शाता है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च, 2023 को ₹3,665.97 करोड़ से 31.67 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹4,827.02 करोड़ हो गई।

सारणी XII.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए में बकाया), निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफ़एस), निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफ़सीवीए) और वायदा संविदा मूल्यन खाते के लिए प्रावधान (पीएफ़सीवीए) में शेष राशि

(₹ करोड़)

निम्नलिखित तिथि को	सीजीआरए	आईआरए-एफएस	आईआरए-आरएस	एफसीवीए	पीएफसीवीए
1	2	3	4	5	6
30 जून 2020	9,77,141.23	53,833.99	93,415.50	0.00	5,925.41
31 मार्च 2021	8,58,877.53	8,853.67	56,723.79	0.00	6,127.35
31 मार्च, 2022	9,13,389.29	0.00	18,577.81	2,576.90	0.00
31 मार्च, 2023	11,24,733.16	0.00	0.00	1,354.96	0.00
31 मार्च, 2024	11,30,793.34	0.00	0.00	170.37	0.00

iii. केंद्र सरकार को देय अधिशेष

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत अशोध्य और संदिग्ध कर्जों, आस्तियों में मूल्यह्रास, कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति निधियों में योगदान और उन सभी मामलों के लिए जिनके लिए अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रावधान किए जाने हैं या जो आमतौर पर बैंकरों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उसके लिए प्रावधान करने के बाद, रिज़र्व बैंक के मुनाफे का शेष केंद्र सरकार को भुगतान किया जाना है। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 48 के तहत, रिज़र्व बैंक अपनी किसी भी आय, लाभ या लाभ पर आयकर या सुपर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार, सीएफ के लिए प्रावधान और चार सांविधिक निधियों में ₹4 करोड़ के योगदान सहित व्यय को समायोजित करने के बाद, वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को देय अधिशेष ₹2,10,873.99 करोड़ था (पिछले वर्ष के ₹424.07 करोड़ के मुकाबले ₹291.42 करोड़ सहित, विशेष प्रतिभूतियों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय के अंतर के लिए देय)।

iv. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने घटकों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र के अलावा) जारी करके प्रेषण की सुविधाएं प्रदान करता है। इस मद के अंतर्गत शेष राशि दावा न किए गए डीडी/पीओ को दर्शाती है। इस मद के अंतर्गत बकाया राशि 31 मार्च, 2023 को ₹0.11 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹11.35 करोड़ हो गई।

v. विविध

यह एक अवशिष्ट शीर्ष है, जिसमें निर्धारित प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, अवकाश नकदीकरण के कारण देय राशि, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि जैसी मदें शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च 2023 को ₹13,308.32 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2024 को ₹11,487.00 करोड़ हो गई।

XII.6.8 निर्गम विभाग की देयताएं-जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताएं प्रचलन में मौजूद मुद्रा नोटों की मात्रा को दर्शाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34(1) के अनुसार, 1 अप्रैल, 1935 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन शुरू होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी सभी मुद्रा नोट निर्गम विभाग की देयताओं का हिस्सा होंगे। 31 मार्च, 2023 को जारी किए गए नोट ₹33,48,244.67 करोड़ से 3.88 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹34,78,039.50

करोड़[2] हो गए। डिजिटल रूप में संचलन में बैंक नोटों का मूल्य यानी ई-थोक (ई₹-डब्ल्यू) और ई-खुदरा (ई₹-आर) 31 मार्च, 2024 को क्रमशः ₹0.08 करोड़ और ₹234.04 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च, 2023 को यह क्रमशः ₹10.69 करोड़ और ₹5.70 करोड़ था।

पहले, 30 जून 2018 तक भुगतान न किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य का प्रतिनिधित्व करनेवाली ₹10,719.37 करोड़ की राशि, 'अन्य देयताओं' में स्थानांतरित कर दी गई। रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पात्र निविदाकारों को एसबीएन के विनिमय मूल्य के लिए ₹5.93 करोड़ तक का भुगतान किया है और इस शीर्ष के लिए किया गया संचयी भुगतान ₹36.14 करोड़ रहा।

XII.7 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.7.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्का, छोटा सिक्का

यह मद बैंक नोटों, एक रुपये के नोटों, ₹1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्कों और छोटे सिक्कों से संबंधित है जो रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित बैंकिंग कार्यों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखे जाते हैं। 31 मार्च 2024 को यह शेष राशि ₹10.13 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2023 को ₹9.50 करोड़ थी।

ii) स्वर्ण-बैंकिंग विभाग (बीडी)

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के पास कुल स्वर्ण 822.10 मीट्रिक टन था, जबकि 31 मार्च 2023 को यह 794.63 मीट्रिक टन था। यह वृद्धि वर्ष के दौरान स्वर्ण में 27.47 मीट्रिक टन की अतिरिक्त बढ़ोतरी के कारण हुई।

सारणी XII.4: स्वर्ण की भौतिक धारिता

	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक
	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा
1	2	3
जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया स्वर्ण (भारत में रखा हुआ)	301.09	308.03
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) (विदेश में रखे हुए स्वर्ण सहित)	493.54	514.07#
कुल	**794.63**	**822.10**

#: 100.28 मीट्रिक टन भारत में और 413.79 मीट्रिक टन विदेश में रखा गया।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 822.10 मीट्रिक टन में से 308.03 मीट्रिक टन स्वर्ण जारी नोटों के बदले में रखा गया है जो 31 मार्च 2023 को 301.09 मीट्रिक टन था और इसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में अलग से दर्शाया गया है। शेष स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्तियां माना जाता है जो 31 मार्च 2023 के 493.54 मीट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2024 को 514.07 मीट्रिक टन था (सारणी XII.4)।

बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखे गए स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) का मूल्य 31 मार्च 2023 के ₹2,30,733.95 करोड़ से 19.06 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹2,74,714.27 करोड़ हो गया। यह वृद्धि 20.53 मीट्रिक टन स्वर्ण की बढ़ोतरी होने, स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन के कारण हुई।

iii) क्रय किए और भुनाए गए बिल

यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों को खरीद और भुना सकता है, लेकिन 2023-24 में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई। अत:, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के बही-खातों में ऐसी कोई आस्ति नहीं थी।

[2] इसमें भौतिक और डिजिटल रूप में बैंक नोट शामिल हैं।

iv) **निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग (बीडी)**

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा (एफसीए) इस प्रकार हैं: (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में रखी जमाराशियां; (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के पास रखी जमाराशियां; (iii) विदेशों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों में रखी जमाराशियां; (iv) विदेशी टी-बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश; एवं (v) भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)।

एफसीए को तुलन पत्र में दो प्रमुखों मदों के तहत दर्शाया गया है: (ए) 'निवेश-विदेशी-बीडी' को बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दिखाया गया है और (बी) 'निवेश-विदेशी-आईडी' को निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में दिखाया गया है।

'निवेश-विदेशी आईडी' एफसीए हैं, जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार पात्र हैं, जिनका उपयोग जारी किए गए नोटों के समर्थन के लिए किया जाता है। एफसीए का शेष हिस्सा 'निवेश-विदेशी-बीडी' है।

एफसीए की पिछले दो वर्षों की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

V) **निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग (बीडी)**

इस निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और विशेष तेल बॉण्ड शामिल हैं। रिज़र्व बैंक की घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता, जो 31 मार्च 2023 को ₹14,06,422.89 करोड़ थी, 3.06 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2024 को ₹13,63,368.97 करोड़ हो गई। यह गिरावट मुख्य रूप से चलनिधि प्रबंधन परिचालन हेतु सरकारी प्रतिभूतियों की निवल बिक्री और निवेश सूची में धारित प्रतिभूतियों के मोचन के कारण आई।

सारणी XII.5: विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण		31 मार्च तक	
		2023	2024
1		2	3
I	निवेश-विदेशी-बीडी*	10,08,993.26	14,89,081.42
II	निवेश-विदेशी-आईडी	32,07,201.78	33,12,976.05
कुल		**42,16,195.04**	**48,02,057.47**

*: इसमें बीआईएस और सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फिनान्शियल टेलीकम्यूनिकेशन्स (स्विफ्ट) और भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित एसडीआर शामिल हैं, जिनका मूल्य 31 मार्च 2024 को ₹12,553.70 करोड़ रुपये था जबकि 31 मार्च 2023 को यह राशि ₹12,096.82 करोड़ थी।

टिप्पणी:
1. रिज़र्व बैंक आईएमएफ की 'उधार लेने की नई व्यवस्था' (एनएबी) के तहत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। 01 जनवरी 2021 से एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता एसडीआर 8.88 बिलियन (₹98,080.69 करोड़ / 11.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। 31 मार्च 2024 तक एनएबी के तहत बकाया कोई निवेश नहीं है।
2. रिज़र्व बैंक, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश के लिए सहमत हो गया है, तथापि समग्र रूप से यह राशि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹41,701.05 करोड़) से अधिक नहीं हो। 31 मार्च 2024 तक रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉण्ड में 0.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹7,773.08 करोड़) का निवेश किया है।
3. वर्ष 2013-14 के दौरान, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से एसडीआर धारिता को भारत सरकार से आरबीआई को हस्तांतरित करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। 31 मार्च 2024 तक 1.11 बिलियन (₹12,225.23 करोड़ / 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य का एसडीआर रिज़र्व बैंक के पास था।
4. क्षेत्रीय वित्तीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक सार्क सदस्य देशों को सार्क स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये, दोनों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने के लिए सहमत हो गया है। 31 मार्च 2024 तक सार्क और एसीयू मुद्रा विनिमय व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि 2.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹20,214.68 करोड़) थी।
5. पुनर्खरीद और आईआरएफ लेनदेन में संपार्श्विक और मार्जिन के रूप में दर्शायी गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,62,047.22 करोड़/ 19.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹1,76,406.05 करोड़ / 21.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
6. 31 मार्च 2024 को प्रतिभूति उधार देने की व्यवस्था के तहत उधार दी गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹81,283.23 करोड़ / 9.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

निवेश-घरेलू-बीडी का एक हिस्सा विभिन्न स्टाफ फंड, डीईए फंड और पीआईडीएफ के लिए भी निर्धारित किया गया है जैसा कि पैरा 2.5 (डी) में बताया गया है। 31 मार्च 2024 तक, विभिन्न स्टाफ फंड और डीईए फंड के लिए ₹1,19,173 करोड़ (अंकित मूल्य) निर्धारित किए गए थे।

vi) **ऋण और अग्रिम**

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के तहत केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में और राज्य सरकारों को डब्ल्यूएमए, ओडी और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के रूप में दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में डब्ल्यूएमए सीमा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाती है और राज्य सरकारों के मामले में इस प्रयोजनार्थ गठित सलाहकार समिति/समूह की सिफारिशों के आधार पर अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सीमा निर्धारित की जाती है। 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार की डब्ल्यूएमए के तहत बकाया ऋण राशि ₹48,677.00 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2024 को यह राशि शून्य थी। राज्य सरकारों को दिया गया ऋण और अग्रिम 31 मार्च 2023 को ₹791.72 करोड़ था जो बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹6,599.94 करोड़ गया।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम*

- *वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम:* इनमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंकों को विशेष चलनिधि सुविधा के तहत बकाया रेपो राशि शामिल है। वर्ष के दौरान प्रणालीगत चलनिधि कम रहने की वजह से एलएएफ के तहत और बैंकिंग प्रणाली में प्रणालीगत चलनिधि अस्थिर रहने से एमएसएफ के तहत बैंकों द्वारा लिए गए ऋण में वृद्धि के कारण बकाया राशि, जो 31 मार्च 2023 को ₹1,12,731.34 करोड़ थी, बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹1,93,341.00 करोड़ हो गई।

- *नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:*

  रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण दे सकता है। 31 मार्च 2023 के साथ-साथ 31 मार्च 2024 को कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं था और तदनुसार इस खाते में शेष राशि 'शून्य' थी।

- *अन्य को ऋण और अग्रिम:*

  इस मद के तहत शेष राशि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ऋण और अग्रिम और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को प्रदान की गई चलनिधि सहायता से संबंधित है। इस मद में बकाया राशि 31 मार्च 2023 के ₹24,485.36 करोड़ से 49.37 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2024 को ₹12,397.51 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण 31 मार्च 2024 तक वित्तीय संस्थानों द्वारा चलनिधि सुविधा सहायता के अंतर्गत कम ऋण लिया जाना है।

सी) *भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम*

वर्ष के दौरान रिवर्स रेपो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के कारण इस मद के तहत शेष 31 मार्च 2023

के ₹1,02,128.11 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹1,63,255.04 करोड़ हो गया।

vii) **सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थानों में निवेश**

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थानों में निवेश की तुलनात्मक स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है। 31 मार्च 2024 को कुल धारित राशि ₹2,063.60 करोड़ थी। समान राशि 31 मार्च 2023 को भी थी।

viii) **अन्य आस्तियां**

'अन्य आस्तियों' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास का निवल), अर्जित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए) और विविध आस्तियां शामिल हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम, पूरा होने के लिए लंबित परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि, भुगतान की गई सुरक्षा जमाराशि आदि शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' के तहत बकाया राशि, जो 31 मार्च 2023 को ₹59,474.84 करोड़ थी, 9.01 प्रतिशत बढ़ कर 31 मार्च 2024 को ₹64,831.83 करोड़ हो गई।

ए. स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को एसएए में शेष राशि शून्य थी क्योंकि स्वैप की कोई बकाया संविदा नहीं थी जो बाजार से अलग रेपो दर पर हो।

बी. वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)

आरएफसीए में शेष राशि 31 मार्च 2024 को ₹170.37 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2023 की ₹1,354,96 करोड़ की बकाया वायदा संविदा पर निवल बाज़ार अंकित लाभ को दर्शाती है।

XII.7.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण के सिक्के, स्वर्ण के बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का, रुपया प्रतिभूतियां और देशी विनिमय बिल तथा अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 822.10 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 308.03 मीट्रिक टन 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया है (सारणी XII.4)। निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण का मूल्य 31

सारणी XII.6: सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थाओं में धारित राशि

(₹ करोड़)

		2022-23	2023-24	31 मार्च 2024 तक धारित राशि प्रतिशत में
1		2	3	4
ए)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00	100
बी)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00	100
सी)	रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (पी) लिमिटेड (आरईबीआईटी)	50.00	50.00	100
डी)	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	30.00	30.00	30
ई)	भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस)	33.60	33.60	100
एफ़)	रिज़र्व बैंक नवोन्मेष हब (आरबीआईएच)	100.00	100.00	100
कुल		**2,063.60**	**2,063.60**	

मार्च, 2023 के ₹1,40,765.60 करोड़ से 16.94 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च,2024 को ₹1,64,604.91 करोड़ हो गया।

वर्ष के दौरान स्वर्ण के मूल्य में यह वृद्धि स्वर्ण की मात्रा में 6.94 मीट्रिक टन की वृद्धि, स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और यूएस डालर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन के कारण हुई है।

निर्गमित नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, इसके समर्थन में रखा गया निवेश-विदेशी-आईडी 31 मार्च, 2023 के ₹32,07,201.78 करोड़ से 3.30 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹33,12,976.05 करोड़ हो गया।

निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 31 मार्च, 2023 के ₹277.29 करोड़ से 65.36 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹458.54 करोड़ हो गई।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

XII.8 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) में विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए), स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित), विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) धारिताएं एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। भारत सरकार से प्राप्त एसडीआर धारिता रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा है तथा इसे 'निवेश-विदेशी-बीडी' के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत सरकार के पास रखी एसडीआर धारिता तथा आरटीपी, जो आईएमएफ में विदेशी मुद्रा में भारत के कोटा अंशदान का प्रतिनिधित्व करती है, रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं है। 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एफईआर की स्थिति भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर, जो रिज़र्व बैंक के एफईआर के लिए मूल्यमान मुद्रा है, में सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) में दी गई है।

सारणी XII.7(ए): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (रुपया)

(₹ करोड़)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	41,89,132.39^	47,61,844.48#	5,72,712.09	13.67
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	3,71,499.55@	4,39,319.18*	67,819.63	18.26
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1,51,164.10	1,51,223.44	59.34	0.04
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्च की स्थिति (आरटीपी)	42,468.49	38,868.77	-3,599.72	-8.48
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफईआर)	**47,54,264.53**	**53,91,255.87**	**6,36,991.34**	**13.40**

^: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध ₹11,767.83 करोड़ की एसडीआर धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹9,558.65 करोड़ का निवेश; और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध करायी गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत दिया गया ₹5,736.17 करोड़ का उधार।

#: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध ₹12,225.23 करोड़ की एसडीआर धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹7,773.08 करोड़ का निवेश; और (सी) सार्क और एसीयू करेंसी व्यवस्था के तहत दिया गया ₹20,214.68 करोड़ का उधार।

@: इसमें से ₹1,40,765.60 करोड़ मूल्य के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹2,30,733.95 करोड़ मूल्य के स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

*: इसमें से ₹1,64,604.91 करोड़ मूल्य के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹2,74,714.27 करोड़ मूल्य के स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7(बी): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (यूएसडी)

(यूएस$ बिलियन)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2024	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	509.69*	570.95**	61.26	12.02
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	45.20	52.67	7.47	16.53
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	18.39	18.13	-0.26	-1.41
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्च की स्थिति (आरटीपी)	5.17	4.66	-0.51	-9.86
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफईआर)	**578.45**	**646.41**	**67.96**	**11.75**

*: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध यूएस$1.43 बिलियन की एसडीआर धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है; (बी) आईआईएफसी (यूके) के बॉण्डों में यूएस$1.16 बिलियन का निवेश; और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत दिया गया यूएस$0.70 बिलियन का उधार दिया गया।

**:निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध यूएस$1.46 बिलियन की एसडीआर धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है; (बी) आईआईएफसी (यूके) के बॉण्डों में यूएस$0.93 बिलियन का निवेश; और (सी) सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत दिया गया यूएस$2.42 बिलियन का उधार।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XII.9 रिज़र्व बैंक की आय के घटक 'ब्याज' एवं 'अन्य आय' हैं जिसमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय (iii) कमीशन (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों पर मिलने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन से हुआ लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास (vii) प्राप्त किराया (viii) रिज़र्व बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ/हानि एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं। आय की कतिपय मद, जैसे, एलएएफ रेपो पर प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रेपो और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों से हुए विनिमय लाभ/हानि निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.10 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय वर्ष 2022-23 के ₹1,52,128.54 करोड़ से 23.23 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹1,87,471.20 करोड़ हो गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों पर होने वाले अर्जन की दर वर्ष 2022-23 के 3.73 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2023-24 में 4.21 प्रतिशत थी (सारणी XII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.11 घरेलू स्रोतों से होने वाली निवल आय वर्ष 2022-23 के ₹83,328.72 करोड़ से 5.73 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹88,101.12 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एलएएफ/एमएसएफ/एसडीएफ के तहत दिए जाने वाले निवल ब्याज में आई कमी है (सारणी XII.9)।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद	2022-23	2023-24	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	42,16,195.04	48,02,057.47	5,85,862.43	13.90
औसत एफसीए	40,81,053.94	44,52,358.86	3,71,304.92	9.10
एफसीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/ हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/ हानि)	1,52,128.54	1,87,471.20	35,342.66	23.23
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	3.73	4.21	0.48	12.87

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से अर्जन

(₹ करोड़ में)

मद	2022-23	2023-24	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III+IV)	**83,328.72**	**88,101.12**	**4,772.41**	**5.73**
I. रुपया प्रतिभूतियों और डिस्काउंट लिखतों से अर्जन				
i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज (तेल बॉण्ड सहित)	96,516.05	92,589.51	-3,926.54	-4.07
ii) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ/हानि	-222.86	859.32	1,082.18	485.59
iii) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-110.67	-68.74	41.93	37.89
iv) रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/ डिस्काउंट का परिशोधन	-2,264.19	-2,394.71	-130.52	-5.76
v) डिस्काउंट	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	***93,918.33***	***90,985.38***	***-2,932.95***	***-3.12***
II. एलएएफ/ एमएसएफ/एसडीएफ पर ब्याज				
i) **एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज**	-9,068.41	-7,052.08	2,016.33	22.23
ii) एसडीएफ पर निवल ब्याज	-7,444.71	-5,616.80	1,827.91	24.55
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	361.02	3,413.37	3,052.35	845.48
उप जोड़ (i+ii+iii)	***-16,152.10***	***-9,255.51***	***6,896.59***	***42.70***
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	556.49	1,294.43	737.94	132.61
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1,791.55	718.92	-1,072.63	-59.87
iii) कर्मचारी	63.94	80.74	16.80	26.27
उप जोड़ (i+ii+iii)	***2,411.98***	***2,094.09***	***-317.89***	***-13.18***
IV. अन्य अर्जन				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	3,469.14	3,886.95	417.81	12.04
iii) प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय	-318.64	390.21	708.85	222.46
उप जोड़ (i+ii+iii)	***3,150.50***	***4,277.16***	***1,126.66***	***35.76***

XII.12 *रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) की धारिता पर ब्याज* वर्ष 2022-23 के ₹96,516.05 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 में ₹92,589.51 करोड़ हो गया।

XII.13 *चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)/स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)* परिचालन से, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि में कमी के कारण, *निवल ब्याज आय* वर्ष 2022-23 के ₹(-)16,152.10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ (-)9,255.51 करोड़ हो गई।

XII.14 *रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ* वर्ष 2022-23 के ₹(-)222.86 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹859.32 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण चालू वर्ष में सभी वक्रों के प्रतिफलों में आई नरमी है, जिसके कारण प्रतिभूतियों की बिक्री पर अधिक प्राप्ति हुई। वर्ष 2023-24 में, निवल बिक्री परिचालन ₹18,505 करोड़ (अंकित मूल्य) था।

XII.15 *रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन:* रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और तेल बॉण्डों पर प्रीमियम/डिस्काउंट का अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधन किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट से प्राप्त होने वाली निवल आय 2022-23 के ₹ (-)2,264.19 करोड़ से घटकर वर्ष 2023-24 में ₹(-)2,394.71 करोड़ हो गई।

XII.16 *डिस्काउंट :* वर्ष 2022-23 की भांति वर्ष 2023-24 में बट्टागत लिखतों (टी-बिल) की धारिता से कोई आय प्राप्त नहीं हुई।

XII.17 *ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज*

ए. *केंद्र सरकार और राज्य सरकार :*

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय वर्ष 2022-23 के ₹556.49 करोड़ से 132.61 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹1,294.43 करोड़ हो गई। कुल में से, डब्ल्यूएमए/ओडी के चलते केंद्र सरकार से प्राप्त ब्याज आय वर्ष 2022-23 के ₹32.52 करोड़ से 1,086.07 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹385.71 करोड़ हो गई। डब्ल्यूएमए/ओडी/एसडीएफ के चलते राज्य सरकारों से प्राप्त ब्याज आय वर्ष 2022-23 के ₹523.97 करोड़ से 73.43 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹908.72 करोड़ हो गई। यह वृद्धि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा रिज़र्व बैंक से अधिक ऋण लिए जाने के कारण थी।

बी. *बैंक और वित्तीय संस्थाएं :*

विशेष चलनिधि सुविधा के तहत वित्तीय संस्थानों द्वारा कम ऋण लिए जाने के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय वर्ष 2022-23 के ₹1,791.55 करोड़ से 59.87 प्रतिशत घटकर वर्ष 2023-24 में ₹718.92 करोड़ रह गई।

सी. *कर्मचारी :*

कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय वर्ष 2022-23 के ₹63.94 करोड़ से 26.27 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹80.74 करोड़ हो गई।

XII.18 *कमीशन :* कमीशन आय जो 2022-23 में ₹3,469.14 करोड़ थी, 12.04 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹3,886.95 करोड़ हो गई। यह वद्धि मुख्य रूप से ए) केंद्र सरकार के बकाया ऋणों, सरकारी स्वर्ण बॉण्ड तथा बचत बॉण्ड की सर्विसिंग के लिए प्राप्त प्रबंधन कमीशन में वृद्धि और बी) राज्य सरकारों के बकाया ऋणों की सर्विसिंग के लिए प्राप्त प्रबंधन कमीशन में वृद्धि तथा सी) वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋणों के लिए केंद्र और राज्य से वसूले गए फ्लोटेशन प्रभार में वृद्धि के कारण हुई।

XII.19 *प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ/हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय :* आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन, जो 2022-23 में ₹(-)318.64 करोड़ था, बढ़ कर 2023-24 में ₹390.21 करोड़ हो गया।

व्यय

XII.20 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को निष्पादित करते हुए एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों की छपाई, मुद्रा के विप्रेषण पर व्यय के अलावा कर्मचारियों से संबंधित और अन्य व्यय करता है। रिज़र्व बैंक का कुल व्यय 2022-23 के ₹1,48,037.04 करोड़ से 56.30 प्रतिशत घट कर 2023-24 में ₹64,694.33 करोड़ हो गया (सारणी XII.10)।

सारणी XII.10: व्यय

(₹ करोड़)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	1.34	1.10	1.77	1.92	2.19
ii. कर्मचारी लागत	8,928.06	4,788.03	3,869.43	6,003.93	7,890.11
iii. एजेंसी प्रभार/ कमीशन	3,876.08	3,280.06	4,400.62	4,068.62	3,976.31
iv. नोटों का मुद्रण	4,377.84	4,012.09	4,984.80	4,682.80	5,101.40
v. प्रावधान	73,615.00	20,710.12	1,14,667.01	1,30,875.75	42,819.91
vi. अन्य	1,742.61	1,355.35	1,877.05	2,404.02	4,904.41
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**92,540.93**	**34,146.75**	**1,29,800.68**	**1,48,037.04**	**64,694.33**

i) ***ब्याज भुगतान***

वर्ष 2023-24 के दौरान ब्याज के रूप में ₹2.19 करोड़ की राशि का भुगतान डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी परोपकारी निधि को किया गया, जबकि 2022-23 में यह राशि ₹1.92 करोड़ थी।।

ii) ***कर्मचारी लागत***

कुल कर्मचारी लागत 2022-23 के ₹6,003.93 करोड़ से 31.42 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹7,890.11 करोड़ हो गई। यह बढ़ोतरी 2023-24 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के लिए रिज़र्व बैंक के व्यय में बढ़ोतरी की वजह से थी।

iii) ***एजेंसी प्रभार/कमीशन***

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी कमीशन 2022-23 के ₹3,873.06 करोड़ से मामूली रूप से अर्थात 1.71 प्रतिशत घटकर 2023-24 में ₹3,806.71 करोड़ हो गया।

बी. प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किए गए हामीदरी कमीशन के कारण यह व्यय 2022-23 के ₹107.47 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹48.47 करोड़ हो गया। निवेश मांग में वृद्धि और पीडी के लिए कोई अंतरण न होने के कारण चालू वर्ष में हामीदरी कमीशन काफी कम रहा।

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत/बचत बॉण्ड अभिदान के लिए बैंकों को भुगतान किए गए टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधार लेन-देन प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन इत्यादि शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत भुगतान किया गया कमीशन 2022-23 के ₹20.98 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹28.12 करोड़ हो गया।

डी. बाहरी आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों, दलालों, आदि को अदा किया गया शुल्क

इस मद में व्यय 2022-23 में ₹67.11 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹93.01 करोड़ हो गया।

iv) ***नोट मुद्रण***

वर्ष 2023-24 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या 2,43,000 लाख थी जो कि वर्ष 2022-23 के 2,26,002 लाख नोट की तुलना में 7.52 प्रतिशत अधिक है। बैंक नोटों के मुद्रण पर किया गया व्यय वर्ष 2022-23 के ₹4,682.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹5,101.40 करोड़ हो गया।

v) ***प्रावधान***

ईसीएफ आवश्यकता के अनुसार आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) तुलन पत्र आकार के 5.50 से 6.50 प्रतिशत तक की सीमा में बनाए रखा जाना अपेक्षित है। केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक तुलन पत्र आकार का 6.50 प्रतिशत सीआरबी बनाए रखने के

लिए अनुमोदन दिया। तदनुसार, ₹42,819.91 करोड़ का प्रावधान किया गया और वर्ष के दौरान इसे सीएफ में अंतरित किया गया (सारणी XII.2)।

vi) ***अन्य***

अन्य व्यय में मुद्रा विप्रेषण, मुद्रण और स्टेशनरी, लेखा-परीक्षा शुल्क तथा संबंधित व्यय, विविध व्यय आदि शामिल हैं, जो 2022-23 के ₹2,404.02 करोड़ से 104.01 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹4,904.41 करोड़ हो गया।

आकस्मिक देयताएं

XII.21 रिज़र्व बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹1,002.45 करोड़ रुपए थीं। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के अंशतः चुकता शेयर, जिन्हें एसडीआर में मूल्यवर्गित किया गया है, रिज़र्व बैंक की आकस्मिक देयताओं का मुख्य हिस्सा हैं। बीआईएस के अंशत: चुकता शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकॉल्ड लायबिलिटी) 31 मार्च 2024 को ₹985.36 करोड़ थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

पूर्व अवधि के लेन-देन

XII.22 प्रकटीकरण के प्रयोजन से केवल ₹1 लाख और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों को शामिल किया गया है। व्यय और आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹0.12 करोड़ और ₹2.09 करोड़ थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान

XII.23 निम्नलिखित सारणी में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल धन या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान के मामलों को प्रस्तुत किया गया है :

(₹ करोड़)

विवरण	2022-23		2023-24	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5
i. मूल राशि और उस पर देय ब्याज जिसका भुगतान 31 मार्च; तक किसी आपूर्तिकर्ता को नहीं हुआ है	-	-	-	-
ii. लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि;	-	-	-	-
iii. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) जिसमें अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज न जोड़ा गया हो;	-	-	-	-
iv. लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज की राशि जिसका भुगतान न हुआ हो;	-	-	-	-
v. अतिरिक्त ब्याज राशि, जो बाद के वर्षों में भी बकाया और देय है, जिसका भुगतान उस तारीख तक जब उसका भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को किया गया हो, बकाया हो, जो धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के उद्देश्य के रूप में अस्वीकृत है।	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.

-: कुछ नहीं ला.न.: लागू नहीं।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.24 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखा परीक्षक

XII.25 बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक की लेखा-बहियों की लेखा परीक्षा मेसर्स चंदाभॉय एंड जसूभॉय, मुंबई और मेसर्स फोर्ड रोड्स पार्क्स एंड कंपनी एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में और मेसर्स एस घोष एंड कंपनी कोलकाता, मैसर्स एन. सी. राजगोपाल एंड कंपनी चेन्नई और मेसर्स जे. सी. भल्ला एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में की गई।

अनुबंध I

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2023 से मार्च 2024[1]

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	मौद्रिक नीति विभाग
6 अप्रैल 2023	मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो अपने समायोजनकारी रुख में कमी के निर्णय पर केंद्रित रही। वर्ष 2023-24 के दौरान नीतिगत रेपो दर और रुख अपरिवर्तित रहे।
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
25 अप्रैल 2023	'सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा - समीक्षा' पर एक संशोधित परिपत्र जारी किया गया। यह निर्धारित करता है कि जीसीसी उन व्यक्तियों/संस्थाओं को जारी किया जा सकता है जिन्हें गैर-कृषि उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाएं संस्वीकृत हैं जो प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकरण के पात्र हैं। जीसीसी को 21 अप्रैल 2022 के 'मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और संचालन निदेश' (समय-समय पर अद्यतन) में निर्धारित शर्तों के अनुरूप क्रेडिट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा।
26 अप्रैल 2023	• दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रदान की जाने वाली परिक्रामी निधि सहायता को पहले के ₹10,000-₹15,000 प्रति एसएचजी से बढ़ाकर ₹20,000-₹30,000 प्रति एसएचजी कर दिया गया। • डीएवाई-एनआरएलएम के तहत विभिन्न संस्थाओं के साथ डेटा साझा करने के संबंध में, बैंकों को 1 जुलाई 2015 के बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 25 के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने की सलाह दी गई। ग्राहकों की सहमति के संबंध में, उपरोक्त मास्टर परिपत्र के अनुसार जैसा कि पैराग्राफ 25(iv) में उल्लिखित है, बैंक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ग्राहकों से सहमति खाता खोलने या ऋण के लिए आवेदन में सामान्य खंड के रूप में नहीं बल्कि विशेष रूप से और अलग से प्राप्त की जाए।
9 मई 2023	अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक बनाने की सुविधा के लिए, जो स्थायी खाता संख्या (पैन) या वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) जैसे अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करने में सक्षम नहीं थे, भारत सरकार (जीओआई) के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने एक उद्यम सहायता मंच (यूएपी) शुरू किया। तदनुसार, एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उद्यम सहायता प्रमाणपत्र वाले आईएमई को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए एमएसएमई के तहत सूक्ष्म उद्यमों के रूप में माना जाएगा।
13 सितंबर 2023	उचित कार्रवाई के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' पर दिशानिर्देशों की ओर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का ध्यान आकर्षित करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया।
28 दिसंबर 2023	एमएसएमई-पीएसएल वर्गीकरण पर नवीनतम गतिविधियों को शामिल करने के लिए 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण' के लिए मास्टर निदेश को अद्यतन किया गया। पीएसएल प्रयोजनों के लिए, बैंकों को किसी उद्यम के उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) में दर्ज वर्गीकरण द्वारा निर्देशित होने के अनुदेश दिये गए।
	वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग
12 मई 2023	30 जून 2023 के बाद सभी लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) व्यवस्था के प्रकाशन की समाप्ति के साथ, रिज़र्व बैंक ने मई 2023 में अपनी विनियमित संस्थाओं (आरई) को एक अंतिम परामर्शिका जारी की, जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिये गए कि नए लेनदेन उनके द्वारा या उनके ग्राहकों द्वारा लाइबोर या घरेलू बेंचमार्क - मुंबई अंतर-बैंक वायदा एकमुश्त दर (माइफॉर) के माध्यम से नहीं किए जाएं।

[1] यह सूची सांकेतिक प्रकृति की है और विवरण रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
6 जून 2023	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) का परिचालन करने वाले प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों को बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) के उद्देश्य से, निवासी गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय रुपये (आईएनआर) में गैर सुपुर्दगी-योग्य डेरीवेटिव संविदा (एनडीडीसी) की पेशकश करने की अनुमति दी गई।
8 जून 2023	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) को अंतर-बैंक देयताओं के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर, मांग और सूचना पर देय मुद्रा बाजारों में उधार लेने के लिए अपनी सीमा निर्धारित करने की अनुमति देकर मुद्रा बाजार परिचालनों में अधिक सुविधा प्रदान की गई।
23 जून 2023	माइफॉर के विकल्प के रूप में विकसित, संशोधित माइफॉर (एम-माइफॉर) को एक 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया गया।
8 नवंबर 2023	वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) को शामिल करने के लिए पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार किया गया।
24 नवंबर 2023	अनधिकृत संस्थाओं/इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) का प्रस्ताव या प्रचार करने वाली अनधिकृत संस्थाओं की 'अलर्ट सूची' [सितंबर 2022 में प्रकाशित] को 7 जून 2023 और 24 नवंबर 2023 को अद्यतन किया गया ।
27 दिसंबर 2023	निवेशकों को पोर्टफोलियो प्रतिलाभ में वृद्धि और जी-सेक बाजार में पहुँच बढ़ाने के लिए अपनी निष्क्रिय प्रतिभूतियों को नियोजित करने हेतु एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रतिभूति उधार देने और लेने की अनुमति दी गई।
28 दिसंबर 2023	• रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों से संबंधित सभी बेंचमार्कों के प्रशासन को शामिल करते हुए एक व्यापक, जोखिम-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया, जिसमें बेंचमार्क प्रशासकों के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, अभिशासन और निरीक्षण व्यवस्थाओं, हितों के टकराव, नियंत्रण और पारदर्शिता का अनुपालन करना आवश्यक है। • घरेलू वित्तीय बाजार में उपलब्ध ब्याज दर डेरीवेटिव के समूह का विस्तार करने और बाजार सहभागियों, विशेष रूप से दीर्घावधि के निवेशकों को सक्षम बनाने और बाजार फीडबैक के लिए नकदी प्रवाह और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर बॉण्ड वायदा की अनुमति देने वाले मसौदा निदेश जारी किए गए।
3 जनवरी 2024	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) पर निदेशों की समीक्षा की गई और इन बाजारों में जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य सहभागियों के संदर्भ में उत्पादों में अनुरूपता लाने के लिए संशोधित निदेश जारी किए गए।
5 जनवरी 2024	विदेशी मुद्रा (एफएक्स) जोखिमों की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और संशोधित निदेश जारी किए गए, जिसमें सभी प्रकार के लेनदेनों - ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड से संबंधित पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को एक ही मास्टर निदेश के अंतर्गत समेकित किया गया, जिसमें अनुमत विदेशी मुद्रा (एफएक्स) डेरीवेटिव उत्पादों के समूह का विस्तार किया गया तथा आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं वाले प्रयोक्ताओं के एक बड़े समूह को अपने जोखिमों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए उपयोगकर्ता वर्गीकरण फ्रेमवर्क को परिष्कृत किया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
27 दिसंबर 2023	बैंकों द्वारा बेहतर निधि प्रबंधन की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2023 से सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं के प्रत्यावर्तन की अनुमति दी।
विदेशी मुद्रा विभाग	
6 अप्रैल 2023	संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक एडी श्रेणी-II संस्थाओं को लाइसेंस प्रदान करने के लिए एप्लिकेशन प्रसंस्करण को सुकर बनाने, मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के एजेंट के रूप में प्राधिकार देने, मौजूदा लाइसेंस/प्राधिकार का नवीनीकरण करने और इन प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) द्वारा विभिन्न विवरण/विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए भी एपी-कनेक्ट नामक एक नया सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन विकसित किया गया।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2023 से मार्च 2024

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
12 अप्रैल 2023	ग्राहक सुविधा और निपटान समय में सुधार लाने के लिए, 12 अप्रैल 2023 से एडी श्रेणी-II संस्थाओं को आयात और मध्यस्थ व्यापार लेनदेनों के अलावा अन्य विप्रेषण करते समय अपने ग्राहकों द्वारा फॉर्म ए2 को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति दी गई।
26 अप्रैल 2023	आईएफएससी के लिए अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों की तुलना में उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) को संरेखित करने के उद्देश्य से, खाते में पड़ी किसी भी अप्रयुक्त निधि को इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने पर वापस करने की शर्त को हटा दिया गया। इस तरह के प्रेषणों के लिए अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों में लागू अवधि यानी 180 दिनों के साथ इसे 26 अप्रैल 2023 से प्रभावी किया गया।
9 मई 2023	कुछ प्राधिकृत डीलरों (एपी) द्वारा भारत में ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भारत में देय विदेशी मुद्रा में प्री-पेड कार्ड/स्टोर मूल्य कार्डों पर प्रभार/शुल्क लेने के मामलों के कारण, प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सूचित करते हुए अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारत में देय किसी भी शुल्क/प्रभार को केवल भारतीय रुपए में ही मूल्यवर्गित कर उसका निपटान किया जाना चाहिए।
22 जून 2023	राजपत्र अधिसूचना दिनांक 23 मई 2022 के अनुसार, जिसने आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा वित्तीय सेवाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए चुनिंदा पाठ्यक्रमों को 22 जून 2023 से अधिसूचित किया है, आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान के लिए निवासी व्यष्टियों द्वारा विप्रेषण को निश्चित प्रयोजन, यानी 'विदेश में अध्ययन' के लिए एलआरएस के तहत सक्षम बनाया गया है।
10 नवंबर 2023	विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की 11 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, एडी बैंकों को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 10 नवंबर 2023 से आईएफएससी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम से चांदी के आयात के लिए अहर्ता-प्राप्त जौहरियों (आईएफएससी प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित) को 11 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान करने की अनुमति दी गई।
17 नवंबर 2023	निर्यातकों को अधिक परिचालनगत सहजता प्रदान करने के लिए, विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता रखने वाले एडी श्रेणी- I बैंकों (11 जुलाई 2022 के रिज़र्व बैंक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार) को 17 नवंबर 2023 से अपने निर्यात लेनदेन के निपटान के लिए, विशेष रूप से अपने निर्यातक घटक के लिए, एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति दी गई।
21 दिसंबर 2023	भारतीय रुपये (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और भागीदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान का समर्थन करने के लिए, 21 दिसंबर 2023 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमन 2023 लागू करने के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।
22 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक द्वारा नेक्स्ट जेनरेशन डेटा वेयरहाउस यथा केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के 30 जून 2023 को शुभारंभ के साथ, एडी श्रेणी-I बैंकों द्वारा एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) साइट के माध्यम से सात विवरणियों की प्रस्तुति बंद कर दी गई और 26 दिसंबर 2023 से सीआईएमएस प्लेटफॉर्म में स्थानांतरित कर दी गई।
31 जनवरी 2024	डीजीएफटी अधिसूचना दिनांक 20 नवंबर 2023 के अनुसार, एडी बैंकों को भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत वैध टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों को 31 जनवरी 2024 से टीआरक्यू के तहत आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण के आयात के लिए 11 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान प्रेषण की अनुमति दी गई है, जो कि 25 मई 2022 के परिपत्र में उल्लिखित निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।
5 मार्च 2024	रिज़र्व बैंक के नेक्स्ट जेनरेशन डेटा वेयरहाउस सीआईएमएस के शुभारंभ के बाद, एमटीएसएस के तहत भारतीय एजेंट के रूप में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा एमटीएसएस के माध्यम से प्राप्त विप्रेषणों की मात्रा पर तिमाही विवरण प्रस्तुति को मार्च 2024 तिमाही के अंत से सीआईएमएस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
विनियमन विभाग	
11 अप्रैल 2023	विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए हरित जमाराशि की स्वीकृति हेतु एक फ्रेमवर्क लाया गया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य/औचित्य आरई द्वारा ग्राहकों को हरित जमाराशियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित करना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, ग्राहकों को उनके संधारणीयता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करना, ग्रीनवाशिंग संबंधी चिंताओं को दूर करना और हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए ऋण-प्रवाह को बढ़ाने में मदद करना है। आरई भारत सरकार के 'सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड के लिए फ्रेमवर्क' के तहत क्षेत्रों में हरित जमाराशियों से जुटाई गई निधियों का आबंटन करेंगे। विनियमित संस्थाएं संचयी/गैर-संचयी जमाराशियों के रूप में और केवल भारतीय रुपए में हरित जमाराशियां जारी करेंगी। यह फ्रेमवर्क 1 जून 2023 से लागू हुआ।
24 अप्रैल 2023	शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की सभी श्रेणियों पर लागू मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों को सुसंगत बनाया गया, चाहे संशोधित फ्रेमवर्क में उनका स्तर (टियर) कुछ भी हो। तदनुसार, संशोधित फ्रेमवर्क के तहत टियर I, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 यूसीबी पर लागू मानक आस्ति प्रावधानीकरण मानदंड निम्नानुसार होंगे: (i) कृषि एवं लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिम - 0.25 प्रतिशत; (ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र को अग्रिम - 1 प्रतिशत; (iii) सीआरई - रिहायशी आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र को अग्रिम – 0.75 प्रतिशत; (iv) बैंक अन्य सभी अग्रिमों के लिए, पोर्टफोलियो आधार पर बकाया निधिकृत निधियों के न्यूनतम 0.40 प्रतिशत का एक समान सामान्य मानक आस्ति प्रावधान बनाए रखेंगे।
28 अप्रैल 2023	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश को व्यापक रूप से संशोधित किया गया ताकि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की कतिपय अनुशंसाओं और धन-शोधन निवारण (पीएमएल) नियमों के लिए 7 मार्च 2023 के संशोधनों के साथ अनुदेशों को संरेखित किया जा सके। इसके अलावा, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के लिए 15 मार्च 2023 के अपडेट के साथ-साथ नव निर्धारित "सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) अधिनियम, 2005 (30 जनवरी 2023 का सरकारी आदेश) की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" को भी मास्टर निदेश में शामिल किया गया।
4 मई 2023	रिज़र्व बैंक द्वारा गठित 'वर्किंग ग्रुप ऑन वायर ट्रांसफर (डब्ल्यूजी)' की अनुशंसाओं के बाद, वायर ट्रांसफर पर मौजूदा अनुदेशों को एफएटीएफ की अनुशंसाओं के अनुरूप संशोधित किया गया।
8 जून 2023	• समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्य और यूसीबी द्वारा कमजोर वर्गों को अग्रिमों के उप-लक्ष्य को प्राप्त करने की समय-सीमा को दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि यानी मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्यों को पुनः समायोजित किया गया। शहरी सहकारी बैंक 31 मार्च 2023 (31 मार्च 2021 के बजाय) से निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में पीएसएल लक्ष्य/उप-लक्ष्यों में अपनी कमी के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य पात्र निधियों में अंशदान देंगे। • वित्तीय रूप से मजबूत यूसीबी को परिचालन के स्वीकृत क्षेत्र में शाखा विस्तार की सामान्य अनुमति दी गई। सामान्य अनुमति के अतिरिक्त, अन्य पात्र शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क के अनुसार पूर्व अनुमोदन मार्ग के तहत शाखा विस्तार भी जारी रहेगा। • सभी आरई को शामिल करते हुए समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने (राइट-ऑफ) को अभिशासित करने वाला एक व्यापक विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया। • विनियमित संस्थाओं (आरई) और ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) के बीच या डिजिटल ऋण में चूक हानि गारंटी (डीएलजी) से जुड़े दो आरई के बीच व्यवस्था, जिसे आमतौर पर प्रथम हानि चूक गारंटी (एफएलडीजी) के रूप में जाना जाता है, की अनुमति दी गई थी। इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई गई डीएलजी व्यवस्था को ' सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण' के रूप में नहीं माना जाएगा और/या ' ऋण भागीदारी' के प्रावधानों को भी लागू नहीं किया जाएगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
26 जून 2023	परिचालन जोखिम पर संशोधित बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) मानकों के साथ रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अभिसरण के रूप में, सभी वाणिज्यिक बैंकों [स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर] के लिए 'परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता' पर मास्टर निदेश जारी किए गए। मास्टर निदेश, परिचालन जोखिम पूंजी गणना के लिए नए मानकीकृत दृष्टिकोण (बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण) को निर्धारित करता है। यह बैंकों को निम्नलिखित पर विचार करने की आवश्यकता के द्वारा मौजूदा बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) की वैचारिक कमजोरी पर काबू पाता है: (ए) एक वित्तीय विवरणी-आधारित कारोबार संकेतक घटक (व्यापक मापदंडों पर विचार करते हुए) और (बी) परिचालन जोखिम विनियामक पूंजी गणना पद्धति में हानि डेटा-आधारित आंतरिक हानि गुणक (बड़े बैंकों के लिए)
10 अगस्त 2023	रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के तहत एक निदेश जारी किया, जिसके अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/सभी अनुसूचित यूसीबी/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात (आई-सीआरआर) बनाए रखने की आवश्यकता है, जो 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा।
18 अगस्त 2023	• 'ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार' के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें बैंकों और अन्य उधारदात्री संस्थाओं को सलाह दी गई कि उधारकर्ता द्वारा ऋण संविदा के नियम और शर्तों का अनुपालन न करने पर यदि कोई दंड लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक प्रभार' माना जाएगा और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जिसे अग्रिमों पर प्रभारित ब्याज दर में जोड़ा जाता है। इसके अलावा, दंडात्मक प्रभारों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा। आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि 1 अप्रैल 2024 से लिए गए सभी नए ऋणों के संबंध में अनुदेशों को लागू किया जाए। मौजूदा ऋणों के मामले में, नई दंडात्मक प्रभार व्यवस्था में स्विचओवर 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 के बीच अगली समीक्षा/नवीनीकरण तिथि पर सुनिश्चित किया जाएगा। • रिज़र्व बैंक ने अवसंरचना ऋण निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आईडीएफ-एनबीएफसी) के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया ताकि उन्हें अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ एनबीएफसी द्वारा अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाले विनियमों को सुसंगत बनाने में सक्षम बनाया जा सके। संशोधित फ्रेमवर्क में, अन्य बातों के साथ-साथ, आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए प्रायोजक की आवश्यकता हटा दी गई, आईडीएफ-एनबीएफसी को प्रत्यक्ष ऋणदाताओं के रूप में पथकर-परिचालन-अंतरण (टोल ऑपरेट ट्रांसफर-टीओटी) परियोजनाओं का वित्तपोषण करने की अनुमति दी गई, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए त्रिपक्षीय करार को वैकल्पिक बनाया गया है और आईडीएफ-एनबीएफसी को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के अंतर्गत ऋण मार्ग के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति दी गई। • रिज़र्व बैंक ने समान मासिक किस्तों (ईएमआई) पर आधारित अस्थायी दर वाले वैयक्तिक ऋणों का पुनर्निर्धारण करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें उधारकर्ताओं को बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एक निश्चित दर पर स्विच करने की अनुमति शामिल है। रिज़र्व बैंक ने आरई को निदेश दिया कि उन्हें उधारकर्ताओं को मंजूरी देते समय, ऋण पर बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव के कारण ईएमआई, अवधि अथवा दोनों में होने वाले सभी संभावित प्रभावों के संबंध में स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा।
8 सितंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने आई-सीआरआर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। वर्तमान और बदलती चलनिधि स्थितियों के आंकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के अंतर्गत अवरुद्ध राशि चरणों में जारी की जाएगी ताकि प्रणाली चलनिधि में अचानक आघात न आए और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य करे।
12 सितंबर 2023	रिज़र्व बैंक द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया। संशोधित फ्रेमवर्क में उचित मूल्य लाभ और हानियों का सममित उपचार, ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से पहचान-योग्य ट्रेडिंग बुक, एचएफटी के अंतर्गत धारिता अवधि पर 90 दिन की उच्चतम सीमा को हटाने, परिपक्वता तक धारित अधिकतम सीमा को हटाने और निवेश पोर्टफोलियो पर अधिक विस्तृत प्रकटीकरण करते हुए, वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ विनियामक दिशानिर्देशों को अद्यतन किया गया। इसके अलावा, सुचारु कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, संशोधित फ्रेमवर्क पर व्याख्यात्मक मार्गदर्शन तैयार किया गया है और निदेशों के साथ संलग्न किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) निदेश 2023 में विस्तृत संशोधित फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2024 से सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
13 सितंबर 2023	बैंकों और एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों और सहकारी बैंकों सहित अन्य उधारदाताओं को निदेश जारी किए गए थे कि वे उधारकर्ताओं द्वारा वैयक्तिक ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान या निपटान के 30 दिनों के भीतर सभी मूल चल या अचल संपत्ति के दस्तावेज जारी करें। विलंब की स्थिति में, उधारदाताओं विलंब के प्रत्येक दिन के लिए उधारकर्ताओं को ₹5,000 का भुगतान करके मुआवजा देना होगा। जिम्मेदार उधार आचरण के भाग के रूप में जारी किए गए निदेश उन सभी मामलों पर लागू होंगे, जहां संपत्ति के मूल दस्तावेज 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद जारी होने बाकी हैं। संपत्ति के मूल दस्तावेजों के नुकसान या क्षति की स्थिति में, ऋणदाता को या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, दस्तावेजों की प्रतिलिपि या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में उधारकर्ता की सहायता करनी होगी और संबद्ध लागतों का वहन करना होगा। यह लागत, प्रत्येक दिन की देरी के लिए ₹5,000 के दैनिक मुआवजे के अतिरिक्त होगी। हालांकि ऐसे मामलों में, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऋणदाता को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, और विलंब के लिए दंड की गणना उसके बाद की जाएगी, यानी कुल 60 दिनों की अवधि के बाद।
14 सितंबर 2023	एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन के तहत, निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार पहचाने गए अपर लेयर में 15 एनबीएफसी की एक सूची 14 सितंबर 2023 को जारी की गई।
20 सितंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) तैयार करने का निदेश दिया। ऋण संस्थाओं (सीआई) द्वारा तीन रिपोर्टिंग खंडों, अर्थात् उपभोक्ता, वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त के तहत सीआईसी को ऋण सूचना दी जाती है। इससे पहले, डीक्यूआई केवल उपभोक्ता खंड के तहत प्रस्तुत डेटा के लिए सीआईसी द्वारा प्रदान किया जा रहा था। डीक्यूआई को अब वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के लिए भी शुरू किया गया है। इसके अलावा, सीआई को सूचित किया गया है कि वे सीआईसी को प्रस्तुत किए जा रहे डेटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी खंडों (उपभोक्ता, वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त) के लिए डीक्यूआई की छमाही समीक्षा करें। इसके अतिरिक्त, पहचाने गए मुद्दों और उठाए गए सुधारात्मक कदमों पर समीक्षा के लिए एक रिपोर्ट उस छमाही के अंत से दो महीने के भीतर प्रत्येक सीआई द्वारा अपने शीर्ष प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
21 सितंबर 2023	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के लिए 'बासेल III पूंजी फ्रेमवर्क पर विवेकपूर्ण विनियम', 'एक्सपोजर मानदंड', 'महत्वपूर्ण निवेश', 'निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन' और 'संसाधन जुटाने के मानदंड' पर मास्टर निदेश जारी किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करता है जो एआईएफआई के लिए वर्तमान में लागू बासेल I पूंजी विनियमों के स्थान पर, वर्तमान में बैंकों पर लागू बासेल III पूंजी विनियमों का विस्तार एआईएफआई तक करता है। एआईएफआई के लिए बासेल III की उपयुक्तता, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी: (i) पूंजी मानकों को बढ़ाना (ii) बाह्य रेटिंग के आधार पर ऋण जोखिम की बेहतर पहचान को सक्षम बनाना (iii) वर्तमान में अपनाए जा रहे सरलीकृत दृष्टिकोण के बजाय बाजार जोखिम की व्यापक-आधारित कैप्चरिंग को सुलभ बनाना, और एआईएफआई के परिचालन जोखिम की पहचान करना (iv) लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क के तहत, एआईएफआई के तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर का अधिक कुशलता से पता लगाने की सुविधा प्रदान करना; और (v) वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) की प्रयोज्यता को एआईएफआई में लाना, इस प्रकार उनके वृहत एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित करना। यह मास्टर निदेश 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है।
25 सितंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने अधिक पारदर्शिता की दिशा में कदम उठाने के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के अनुसार जमानती लेनदार हैं, को उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करने का निदेश दिया है जिनकी सुरक्षित आस्तियां, अधिनियम के तहत आरई द्वारा कब्जे में ली गई हैं। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने आरई को अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी अपलोड करने की सलाह दी। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह महीने के भीतर विनियमित संस्थाओं (आरई) की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और यह सूची मासिक आधार पर अद्यतन की जाएगी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
6 अक्टूबर 2023	रिज़र्व बैंक ने एकबारगी पुनर्भुगतान योजना के तहत दिए जा सकने वाले स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया, जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा किया तथा रिज़र्व बैंक के 8 जून 2023 के परिपत्र में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखा।
16 अक्टूबर 2023	यह स्पष्ट किया गया था कि बैंकों को फॉर्म 'ए' विवरणी में रिवर्स रेपो लेनदेनों की प्रस्तुति के लिए नीचे उल्लिखित पद्धति का पालन करना चाहिए: ● बैंकों के साथ रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्ट निम्नानुसार की जानी चाहिए: ○ 14वें दिन सहित 14 दिन तक की मूल अवधि के लिए फॉर्म 'ए' की मद III(बी) (अर्थात मांग और अल्प सूचना पर देय मुद्रा) और; फॉर्म 'ए' के अनुबंध ए की मेमो मद 2.1 (अर्थात अंतर-बैंक आस्तियों के तहत) ○ 14 दिन से अधिक अवधि की मूल अवधि के लिए फॉर्म 'ए' की मद III(सी) (अर्थात बैंकों को अग्रिम) और; फॉर्म 'ए' के अनुबंध ए के मेमो मद 2.1 और 2.2 (यानी, अंतर-बैंक आस्तियों के तहत)। ● गैर-बैंकों (अन्य संस्थाओं) के साथ सभी अवधियों के लिए रिवर्स रेपो लेनदेन, फॉर्म 'ए' की मद VI (ए) के तहत रिपोर्ट किए जाने चाहिए [अर्थात, भारत में बैंक क्रेडिट के तहत ऋण, नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)]।
17 अक्टूबर 2023	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की अनुशंसाओं और पीएमएल नियमों में 4 सितंबर 2023 और 17 अक्टूबर 2023 के संशोधनों के अनुसार कतिपय अनुदेशों को अद्यतन करने के लिए, केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया। इसके अलावा, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के लिए 29 अगस्त 2023 के अपडेट के साथ-साथ संशोधित "डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया, 2005 (1 सितंबर 2023 के सरकारी आदेश)" को मास्टर निदेश में शामिल किया गया। पुनः, सरकार से 29 अगस्त 2023 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) प्राप्त होने पर, एफएटीएफ की अनुशंसाओं को लागू नहीं करने वाले या अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले क्षेत्राधिकारों के संबंध में विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए अनुदेशों में संशोधन किया गया तथा आरई को परिष्कृत समुचित सावधानी उपायों को लागू करने की सलाह दी गई, जो उन देशों के प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों (वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ कारोबारी संबंधों और लेनदेन जोखिमों के लिए प्रभावी और आनुपातिक हैं, जिनके लिए एफएटीएफ द्वारा इसकी मांग की जाती है।
25 अक्टूबर 2023	● रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने बोर्ड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सहित कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की उपस्थिति सुनिश्चित करें। डब्ल्यूटीडी की संख्या बैंक के बोर्ड द्वारा परिचालन के आकार, व्यावसायिक जटिलता और अन्य प्रासंगिक पहलुओं, जैसे कारकों पर विचार करके तय की जाएगी। इसके अलावा, जो बैंक वर्तमान में उपर्युक्त न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी(1)(बी) के तहत डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के लिए अपने प्रस्ताव, प्रासंगिक परिपत्र जारी होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करें। ● रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी सहकारी बैंक सभी अदावी देयताओं (जहाँ देय राशि जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता (डीईए) निधि में स्थानांतरित कर दी गई है) को 'आकस्मिक देयताएँ - अन्य' के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा, सभी बैंक वित्तीय विवरणों के खाता-टिप्पणियों में प्रकटीकरण में निर्दिष्ट करेंगे कि डीईए निधि में स्थानांतरित राशि के शेष को 'अनुसूची 12' - आकस्मिक देयताएं - अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएं - अन्य', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत शामिल किया गया है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
26 अक्टूबर 2023	• रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को निर्देश दिया कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा सीआई/ सीआईसी से शिकायत की प्रारंभिक फाइलिंग की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो ग्राहकों को प्रति कैलेंडर दिवस ₹100 की दर से मुआवजा दिया जाए। • रिज़र्व बैंक ने सीआई और सीआईसी द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के उपायों पर निर्देश जारी किए। अन्य बातों के अलावा, इस दिशानिर्देश में ग्राहकों को उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) तक पहुंच के संबंध में एसएमएस/ ईमेल के माध्यम से सूचित करने या सीआईसी में उनकी मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में चूक/ बकाया दिनों की रिपोर्टिंग करने का प्रावधान किया गया है। • रिज़र्व बैंक ने आरआरबी के लिए थोक जमा सीमा बढ़ा दी। तदनुसार, आरआरबी के लिए थोक जमा (बल्क डिपॉजिट)' का मतलब एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा होगा। • रिज़र्व बैंक ने 'जमाराशि पर ब्याज दर' पर मास्टर निदेश की समीक्षा की और निर्णय लिया कि (i) अप्रतिदेय (नॉन-कॉलेबल) सावधि जमा (टीडी) की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ की जा सकती है; और (ii) ये निर्देश अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा / साधारण अनिवासी (एनआरओ) जमा पर भी लागू होंगे। • 'अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा' पर परिपत्र ने अकाउंट एग्रीगेटर (एए) इकोसिस्टम में वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में 'पेंशन फंड' के स्थान पर 'केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी' को शामिल कर लिया है। • एए इकोसिस्टम के कुशल और इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआई-यू) के रूप में एए परितंत्र में शामिल होने वाले आरई को आवश्यक रूप से एफआईपी के रूप में भी शामिल होना होगा, यदि उनके पास निर्दिष्ट वित्तीय जानकारी है और वे एफआईपी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
30 अक्टूबर 2023	• रिज़र्व बैंक ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, कस्बे या गांव में शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों को स्थानांतरित करने के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए और डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। सहकारी समितियों पर यथा लागू बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23(ए) के अनुसार, डीसीसीबी, ग्रामीण या अर्ध-शहरी या शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में स्थित अपनी शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों को क्रमशः उसी गांव या कस्बे या इलाके/नगरपालिका वार्ड में रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा, डीसीसीबी को कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद, रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी अलाभकारी शाखाओं को बंद करने की अनुमति है। • रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंक द्वारा नाम में किसी भी परिवर्तन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। अपने नाम में परिवर्तन के इच्छुक सहकारी बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 49बी और 49सी के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) से संपर्क करना होगा, जिसमें ऐसे परिवर्तन के लिए स्पष्ट रूप से कारण बताए जाने चाहिए।
16 नवंबर 2023	कोविड-19 के बाद, उपभोक्ता ऋण खंड में ऋण उठाव काफी अधिक रहा है। साथ ही, बैंक उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता विनियामक चिंताओं को जन्म दे रही थी। हालांकि व्यापक पोर्टफोलियो स्तर पर आस्ति गुणवत्ता में दबाव के कोई बड़े संकेत नहीं दिख रहे थे, लेकिन उपर्युक्त खंडों में लगातार उच्च ऋण वृद्धि की रिपोर्ट ने विवेकपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई। इसलिए, इन खंडों में परस्पर जुड़ाव और अत्यधिक ऋण वृद्धि से किसी भी संभावित जोखिम के निर्माण को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के लिए विनियामक उपायों पर एक परिपत्र जारी किया। उपायों में ऐसे जोखिम के लिए उच्च जोखिम भार और सख्त जोखिम सीमाएँ शामिल थीं। इन उपायों से असुरक्षित ऋण खंड की कमियों में सुधार आने की संभावना है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
19 दिसंबर 2023	आरई द्वारा वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के माध्यम से विनियामक अंतरपणन के कुछ उदाहरण देखे गए थे। इस मार्ग का उपयोग दबावग्रस्त आस्तियों को सदाबहार बनाने के लिए किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आरई में प्रावधानीकरण कम हुआ और तुलन पत्र की सुदृढ़ता कम हुई। इन चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से, 19 दिसंबर 2023 के परिपत्र के माध्यम से, निम्नलिखित उपाय किए गए: (ए) आरई किसी भी एआईएफ योजना में निवेश नहीं करेगा, जिसमें इक्विटी निवेश को छोड़कर, संबंधित आरई के किसी भी देनदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश हो। इसमें फंड ऑफ फंड्स या म्यूचुअल फंड जैसे मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से एआईएफ में आरई द्वारा किया गया निवेश भी शामिल नहीं है; (बी) यदि एआईएफ योजना ने आरई की देनदार कंपनी में निवेश किया है अथवा निवेश करता है तो आरई को 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर एआईएफ में अपने मौजूदा निवेश को समाप्त करना होगा, ऐसा न करने पर आरई को एआईएफ में अपने निवेश के लिए आनुपातिक रूप से प्रावधान करना होगा; और (सी) आरई को यह भी अनिवार्य किया गया है कि लघु अंश में कोई भी निवेश, ऐसे निवेश का उद्देश्य चाहे जो भी हो, उसके विनियामकीय पूंजी निधि से पूरी कटौती की जाएगी। ये उपाय एआईएफ मार्ग के माध्यम से निवेश कर, कुछ आरई द्वारा नियोजित विनियामक अंतरपणन को रोकेंगे। इसके अलावा, परिपत्र के कार्यान्वयन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, 27 मार्च, 2024 को स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें सलाह दी गई थी कि: (i) डाउनस्ट्रीम निवेश में इक्विटी शेयर शामिल नहीं हैं लेकिन परिपत्र के पैराग्राफ 2(i) के अनुसार अन्य निवेश शामिल हैं; (ii) प्रावधान केवल एआईएफ योजना में आरई के निवेश की सीमा तक लागू होता है, संपूर्ण निवेश पर नहीं; (iii) यदि एआईएफ के पास देनदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश की कमी है तो परिपत्र के पैराग्राफ 2 का अनुपालन आवश्यक है; (iv) पूंजी से प्रस्तावित कटौतियां टियर-1 और टियर-2 पूंजी दोनों को प्रभावित करती हैं, जिसमें प्रायोजक इकाइयों सहित सभी प्रकार के अधीनस्थ एक्सपोजर शामिल हैं; और (v) फंड ऑफ फंड्स या म्यूचुअल फंड जैसे मध्यस्थों के माध्यम से एआईएफ में निवेश परिपत्र के दायरे से बाहर है।
22 दिसंबर 2023	'फॉर्म 'ए' विवरणी में रिवर्स रिपो लेनदेन की रिपोर्टिंग' पर 16 अक्टूबर 2023 के परिपत्र के पैरा बी को संशोधित किया गया था। संशोधित निर्देशों के अनुसार, गैर-बैंकों (अन्य संस्थानों) के साथ बैंक के रिवर्स रेपो लेनदेन को निम्नानुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए: (i) 14 दिनों तक की मूल अवधि के लिए - फॉर्म 'ए' में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है; और (ii) 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि के लिए - फॉर्म 'ए' की मद VI(ए) [यानी, भारत में बैंक ऋण के तहत ऋण, नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)]।
28 दिसंबर 2023	• 'फैक्टरिंग कारोबार' के भाग के रूप में अर्जित प्राप्तियों के द्वितीयक बाजार परिचालनों को विकसित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि पात्र हस्तान्तरणकर्ताओं द्वारा ऐसी प्राप्तियों के हस्तांतरण को न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि आगे दी गई शर्तें पूरी हों: (i) हस्तांतरण के समय ऐसी प्राप्तियों की शेष परिपक्वता अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए; और (ii) 'ऋण जोखिमों के हस्तांतरण' पर मास्टर निदेशों के खंड 10 और 35 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार, हस्तान्तरिती ऐसी प्राप्तियों को प्राप्त करने से पहले बिल के अदाकर्ता का उचित ऋण मूल्यांकन करता है। • "घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के निपटान के लिए फ्रेमवर्क- 2023" को संशोधित किया गया।
29 दिसंबर 2023	समीक्षा के बाद रिज़र्व बैंक ने निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) की गणना के लिए राष्ट्रीय विकास बैंकों (एनडीबी) के रूप में निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) के अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को भी शामिल किया।
1 जनवरी 2024	• रिज़र्व बैंक ने टियर 3 और 4 में अनुसूचित यूसीबी के लिए थोक जमा सीमा को बढ़ाकर ₹ एक करोड़ और उससे अधिक कर दिया है। तदनुसार, प्राथमिक यूसीबी के लिए 'थोक जमा' का अर्थ अब होगा: (i) संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क के तहत टियर 3 और 4 यूसीबी के रूप में वर्गीकृत अनुसूचित यूसीबी के लिए ₹ एक करोड़ और उससे अधिक का एकल रुपया सावधि जमा ; और (ii) अन्य सभी यूसीबी के लिए ₹15 लाख और उससे अधिक का एकल रुपया सावधि जमा, यानी टियर 3 और 4 में अनुसूचित यूसीबी के अलावा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
1 जनवरी 2024	• खाताधारकों की सहायता के उपाय के रूप में और निष्क्रिय खातों पर मौजूदा निर्देशों को समेकित और तर्कसंगत बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: खातों और जमाराशियों को निष्क्रिय खातों और अदावी जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत करने के विभिन्न पहलू, जैसा भी मामला हो; ऐसे खातों और जमाराशियों की समय-समय पर समीक्षा, ऐसे खातों/जमाओं में धोखाधड़ी को रोकने के उपाय, शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र, खातों को सक्रिय करने हेतु, निष्क्रिय खातों/दावा न किए गए जमाराशियों के ग्राहकों, उनके नामांकित व्यक्तियों/कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदम, दावों का निपटान या समाप्त करना और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। ये निदेश, बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमाराशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही मालिकों/दावेदारों को वापस करने के लिए बैंकों और रिज़र्व बैंक के चालू प्रयासों और पहलों के अनुपूरक होंगे। संशोधित निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) और सभी सहकारी बैंकों पर लागू हैं और 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो गए हैं।
4 जनवरी 2024	• केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों (पीईपी) की पहचान के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करना और फिर से परिभाषित करना है। संशोधन से पहले, पीईपी की परिभाषा केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 3 के खंड (ए) के उप-खंड (xvii) में प्रदान की गई थी। हालाँकि, बेहतर स्पष्टता प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने मास्टर निदेश के अनुभाग 41 के स्पष्टीकरण के रूप में पीईपी की परिभाषा को इस प्रकार शामिल किया: *'इस अनुभाग के प्रयोजन के लिए, राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति (पीईपी) ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं अथवा कर रहे हैं, जिनमें राज्यों/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं।*
15 जनवरी 2024	एनबीएफसी के बीच एक्सपोज़र की गणना में एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, यह निदेश अब एनबीएफसी-मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) और एनबीएफसी-बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल) को पात्र क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण साधनों का उपयोग करके मूल प्रतिपक्ष को एक्सपोजर ऑफसेट करने की अनुमति देते हैं। ऋण जोखिम हस्तांतरण साधन के रूप में पात्र होने के लिए, केंद्र/राज्य सरकार से गारंटी प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त होगी। इसके अलावा, केंद्र/राज्य सरकार के प्रत्यक्ष एक्सपोज़र के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से गारंटी वाले एक्सपोज़र को सकेंद्रण सीमा से छूट दी गई है। जबकि एनबीएफसी-बीएल के लिए कोई संक्रेंद्रण सीमा निर्धारित नहीं है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे संक्रेंद्रण सीमा के लिए एक आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएं।
17 जनवरी 2024	रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में यूसीबी को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित किया ताकि उन्हें संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क के अनुरूप लाया जा सके। तदनुसार, लाइसेंस प्राप्त टियर 3 और टियर 4 यूसीबी, लगातार दो वर्षों तक टियर 3 यूसीबी के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमाराशि के रखरखाव और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन शामिल किए जाने के लिए पात्र माने जाएंगे: (ए) वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) यूसीबी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना; (बी) यूसीबी पर लागू न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता से कम से कम 3 प्रतिशत अधिक, पूंजी और जोखिम (भारित) आस्ति अनुपात (सीआरएआर); और (सी) कोई बड़ी विनियामक और पर्यवेक्षी चिंता न होना।
9 फरवरी 2024	• रिज़र्व बैंक ने गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) के पारिश्रमिक को ₹20 लाख प्रति वर्ष की सीमा से संशोधित कर ₹30 लाख प्रति वर्ष कर दिया है। ये निदेश छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के साथ-साथ विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होंगे। • रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2022 के परिपत्र के माध्यम से, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के पेशेवर समाशोधन सदस्य (पीसीएम) के रूप में, गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (जीआईएफटी-आईएफएससी) में भारतीय बैंकों की शाखाओं की भागीदारी के लिए, रूपरेखा निर्धारित की थी। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि (ए) आईआईबीएक्स के ट्रेडिंग सदस्य (टीएम)/ट्रेडिंग और समाशोधन सदस्य (टीसीएम) के रूप में भारतीय बैंकों की भागीदारी (शाखा/सहायक/संयुक्त उद्यम के माध्यम से), और (बी) आईआईबीएक्स के विशेष श्रेणी ग्राहक (एससीसी) के रूप में स्वर्ण/चांदी आयात करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
22 फ़रवरी 2024	• भारत सरकार 1 अप्रैल 2015 से पात्र निर्यातकों को शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यन योजना (आईईएस) परिचालित कर रही है। संशोधन के माध्यम से सरकार ने इस योजना को 30 जून 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। इसके अलावा, डीजीएफटी ने जो इस योजना के प्रशासक हैं, औसत ब्याज दर और छूट राशि की सीमा के संबंध में योजना में संशोधन किया है। उपर्युक्त संशोधनों के संबंध में बैंकों को 22 फरवरी 2024 के परिपत्र के माध्यम से सूचित किया गया।
27 फ़रवरी 2024	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) में निदेशक, प्रबंध निदेशक या सीईओ की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। एआरसी को सूचित किया गया कि वे रिक्तियाँ निकलने/नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 90 दिन पहले विनियमन विभाग (डीओआर) को विधिवत हस्ताक्षरित सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन अनुबंध-I, अनुबंध-II में उल्लिखित दस्तावेजों/जानकारी के साथ जमा करें।
28 फ़रवरी 2024	बाजार जोखिम पूंजी प्रभार के लिए मौजूदा अनुदेशों में संशोधन करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए, जो इस प्रकार हैं: (क) पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से 'ट्रेडिंग बुक' की परिभाषा को निवेश से संबंधित मास्टर निदेश के अनुरूप बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू है; और (ख) 'बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश - बेसल III' को अपनाने की दिशा में संक्रमण को सुचारु बनाने के लिए बेसल III फ्रेमवर्क के तहत वाणिज्यिक बैंकों के लिए मध्यवर्ती स्केलर पेश किए गए।
7 मार्च 2024	कार्ड परितंत्र में विकास और विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर, 'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड-जारी करने और परिचालन के निर्देश, 2022' पर मास्टर निदेश में संशोधन किए गए हैं। प्रमुख अपडेट इस प्रकार हैं: (ए) रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी बैंकों और एनबीएफसी को कार्ड जारीकर्ताओं के सह-ब्रांडिंग भागीदार बनने की सामान्य अनुमति; (बी) अन्य फॉर्म फैक्टर (धारण योग्य उपकरण, की-चेन, आदि) में क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति; (सी) व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड के लिए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी; और (डी) आउटसोर्सिंग भागीदारों के साथ लेनदेन डेटा सहित कार्ड डेटा साझा करने पर प्रतिबंध।
21 मार्च 2024	आरई के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए एक सर्वव्यापी फ्रेमवर्क जारी किया गया जो कि रिज़र्व बैंक से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित किसी भी एसआरओ के लिए सामान्य व्यापक मानदंड, जैसे- उद्देश्य, जिम्मेदारियां, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानक, आवेदन प्रक्रिया और अन्य बुनियादी शर्तें निर्धारित करता है।
फिनटेक विभाग	
4 मई 2023	भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत, रिज़र्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के बीआईएस इनोवेशन हब (बीआईएसआईएच) ने संयुक्त रूप से 4 मई 2023 को जी20 टेकस्प्रिंट के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया, जो सीमापारीय भुगतान में सुधार के उद्देश्य से नवोन्मेषी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता है। जी20 टेकस्प्रिंट के चौथे संस्करण के विजेताओं की घोषणा 4 सितंबर 2023 को की गई।
14 अगस्त 2023	रिज़र्व बैंक ने 10 अगस्त 2023 की विकासात्मक और विनियामक नीतियों के अनुसार, निर्बाध ऋण के लिए एक सार्वजनिक तकनीकी मंच के विकास की घोषणा की। यह मंच रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा विकसित किया गया है, जो रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस मंच की प्रायोगिक परियोजना 17 अगस्त 2023 को शुरू हुई।
8 दिसंबर 2023	दिनांक 8 दिसंबर 2023 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों में आरबीआईएच द्वारा अप्रैल 2024 या उससे पहले फिनटेक रिपोजिटरी के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें फिनटेक रजिस्ट्री और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (एम-टेक) रिपोजिटरी शामिल हैं।
15 जनवरी 2024	फिनटेक क्षेत्र के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए मसौदा फ्रेमवर्क को हितधारकों और जनता की टिप्पणियों/ प्रतिक्रिया के लिए वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया।
28 फरवरी 2024	विनियामकीय परीक्षण स्थल (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) हेतु सक्षम फ्रेमवर्क को पिछले साढ़े चार वर्षों में चलाये गए चार समूहों (कोहार्ट) से प्राप्त अनुभव तथा फिनटेक, बैंकिंग भागीदारों और अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित किया गया। अन्य बातों के अलावा, रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समय-सीमा को सात महीने से बढ़ाकर नौ महीने तक संशोधित किया गया। अद्यतन फ्रेमवर्क में सैंडबॉक्स संस्थाओं के लिए डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
पर्यवेक्षण विभाग	
10 अप्रैल 2023	रिज़र्व बैंक ने "सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश" के रूप में दिशानिर्देश जारी किए, जो सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आउटसोर्सिंग और संबंधित जोखिमों के प्रबंधन और समूह/संगुट के भीतर आईटी आउटसोर्सिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के उपयोग पर विशिष्ट आवश्यकताओं आदि जैसे अन्य पहलुओं के संबंध में विनियामक आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं।
10 अक्टूबर 2023	एनबीएफसी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क को 10 अक्टूबर 2023 के परिपत्र के माध्यम से सरकारी एनबीएफसी (बेस लेयर को छोड़कर) तक बढ़ा दिया गया था। 31 मार्च 2024 या उसके बाद के एनबीएफसी द्वारा लेखांकित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर यह फ्रेमवर्क 1 अक्टूबर 2024 से सरकारी एनबीएफसी पर भी प्रभावी होगा। । पीसीए फ्रेमवर्क का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना है और पर्यवेक्षित इकाई (एसई) को अपने वित्तीय स्थिति को बहाल करने के लिए समय पर उपचारात्मक उपाय शुरू करने और लागू करने की आवश्यकता है।
7 नवंबर 2023	सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन और नियंत्रण, कारोबार निरंतरता प्रबंधन और सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा परीक्षा पर अनुदेशों को "सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश" के रूप में अद्यतन और समेकित किया गया।
15 जनवरी 2024	रिज़र्व बैंक ने सांविधिक लेखा परीक्षक (एसए) की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या हटाने, और अन्य संबंधित मामलों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) के सांविधिक लेखा परीक्षकों (सीसीबी) की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी किए।
31 जनवरी 2024	रिज़र्व बैंक ने 'आंतरिक अनुपालन निगरानी कार्य को सुव्यवस्थित करना - प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाना' पर एक परिपत्र जारी किया, जिसमें आरई को अनुपालन कार्य की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए व्यापक, एकीकृत, उद्यम-व्यापी और कार्यप्रवाह-आधारित समाधान/साधन लागू करने की सलाह दी गई।
27 फरवरी 2024	विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं को जारी किए गए अनुदेशों में स्पष्टता, संक्षिप्तता और सामंजस्य लाने के लिए 'भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणियों की प्रस्तुति) निदेश 2024' पर मास्टर निदेश जारी किया गया ।
1 मार्च 2024	रिज़र्व बैंक ने विनियमों की आंतरिक समीक्षा के आधार पर 34 परिपत्र वापस ले लिए।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
29 दिसंबर 2023	विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) में आंतरिक लोकपाल तंत्र की प्रभावकारिता को सुदृढ़ करने और उत्कृष्ट बनाने के लिए, मास्टर निदेश- 'भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023' जारी किया गया।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
29 मार्च 2023	वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2023) के लिए भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ तय की गई थी।
26 सितंबर 2023	• वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2023 से मार्च 2024) के लिए भारत सरकार की डबल्यूएमए की सीमा ₹50,000 करोड़ तय की गई थी। • रिज़र्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, दीर्घकालिक निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए, मौजूदा बेंचमार्क आवधिक पत्र के अलावा, एक दीर्घावधिक 50-वर्षीय पत्र शुरू किया। • अक्टूबर 2023 - मार्च 2024 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के जारी करने के कैलेंडर के एक भाग के रूप में, ₹20,000 करोड़ की कुल राशि के एसजीआरबी जारी करना, जिसमें 5-वर्षीय और 10-वर्षीय पत्र के अलावा 30-वर्षीय एसजीआरबी जारी करना शामिल है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
मुद्रा प्रबंध विभाग	
15 मई 2023	दो वर्ष से अधिक से बैंकिंग व्यवसाय कर रहे लघु वित्त बैंकों के लिए जनता को गंदे/कटे-फटे/त्रुटिपूर्ण नोटों के विनिमय की सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य किया गया जिससे वे देश के अन्य सभी बैंकों की शाखाओं के समान हो गए हैं, केवल भुगतान बैंकों को छोड़कर, जिनके लिए यह सेवा वैकल्पिक बनी हुई है।
19 मई 2023	• अपनी "स्वच्छ नोट नीति" के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की वैधानिक टेंडर स्थिति को बरकरार रखते हुए उन्हें संचलन से वापस लेने की घोषणा की। • जनता को बैंक शाखाओं और रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में ₹2000 के नोट जमा करने और/या बदलने के लिए 7 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया गया। • 09 अक्टूबर 2023 से, रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में विनिमय और/या जमा, भारतीय डाक द्वारा भी किए जाने की सुविधा उपलब्ध है।
18 जनवरी 2024	बैंकिंग प्रणाली में नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) का पता लगाने/रिपोर्टिंग को सुचारु बनाने के लिए, एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग संरचना शुरू की गई।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
7 जून 2023	लेनदेन के लिए बीमा की अनुमति, वित्तपोषक के दायरे का विस्तार और आढ़त इकाइयों (एफयू) के लिए द्वितीयक बाजार को सक्षम करके व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) का दायरा बढ़ाया गया।
8 जून 2023	• रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंक पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं को ई-रुपी वाउचर जारी करने की अनुमति देकर ई-रुपी वाउचर के दायरे का विस्तार किया, व्यक्तियों की ओर से इसे जारी करने में सक्षम बनाया और वाउचर को पुनः लोड करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया और इसके उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी करने की सीमाओं जैसे अन्य पहलुओं को संशोधित किया। । • रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकों के स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम), बिक्री केंद्रों (पीओएस) की मशीनों और विदेशों के ऑनलाइन व्यापारियों के उपयोग के लिए रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दी।
10 अगस्त 2023	• रिज़र्व बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) पर एक अभिनव भुगतान मोड, अर्थात 'संवादात्मक भुगतान' शुरू करने की घोषणा की, जो उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में लेनदेन की प्रक्रिया को शुरू करने और पूरा करने से पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित प्रणाली के साथ संवाद के लिए सक्षम बनाएगा। • रिज़र्व बैंक ने यूपीआई-लाइट में नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का उपयोग करके ऑफ़लाइन लेनदेन की सुविधा के प्रस्ताव की घोषणा की।
24 अगस्त 2023	ऑफ़लाइन मोड (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और यूपीआई लाइट सहित) में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान में और सुधार के लिए, प्रति लेनदेन सीमा ₹200 से बढ़ाकर ₹500 कर दी गई।
4 सितंबर 2023	यूपीआई को फंडिंग खाते के रूप में क्रेडिट लाइनों से जोड़ने की अनुमति देकर और बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से/में स्थानांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार किया गया।
31 अक्टूबर 2023	रिज़र्व बैंक ने माल और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए सीमा पार भुगतान लेनदेन की सुविधा देने वाली सभी संस्थाओं को अपने प्रत्यक्ष विनियमन के तहत लाने के लिए 'भुगतान एग्रीगेटर विनियमन - क्रॉस बॉर्डर (पीए-क्रॉस बॉर्डर)' पर दिशानिर्देश जारी किए।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
1 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
8 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान के लिए यूपीआई के माध्यम से लेनदेन सीमा को मौजूदा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा की।
12 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने आवर्ती लेनदेन के लिए ई-जनादेश फ्रेमवर्क को संशोधित किया, म्यूचुअल फंड की सदस्यता, बीमा प्रीमियम के भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिलों के भुगतान के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के बिना लेनदेन की सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया।
20 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने कार्ड जारी करने वाले बैंकों/संस्थानों के माध्यम से सीधे कार्ड-ऑन-फ़ाइल टोकन (सीओएफटी) निर्माण सुविधाओं की अनुमति दी।
29 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) योजना को दो वर्ष की अवधि के लिए यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया और सभी केंद्रों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों और पीआईडीएफ़ योजना के तहत साउंडबॉक्स और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों जैसे भुगतान स्वीकृति बुनियादी अवसंरचना को भी शामिल किया।
8 फरवरी 2024	• रिज़र्व बैंक ने घोषणा की कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) टचप्वाइंट ऑपरेटरों को शामिल करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य सम्यक तत्परता और अतिरिक्त धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन आवश्यकताएं शामिल हैं। • रिज़र्व बैंक ने नियम-आधारित "डिजिटल भुगतान लेनदेन के प्रमाणीकरण के लिए फ्रेमवर्क" अपनाने की घोषणा की।
12 फरवरी 2024	भारत और मॉरीशस के बीच रुपे कार्ड और यूपीआई कनेक्टिविटी, साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई कनेक्टिविटी लॉन्च की गई।
15 फरवरी 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने क्रमशः भारत और नेपाल की तेज़ भुगतान प्रणालियों, अर्थात, भारत के यूपीआई और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफ़ेस, के एकीकरण के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान-प्रदान किया।
23 फरवरी 2024	रिज़र्व बैंक ने विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान करने के लिए अधिकृत बैंक और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को पीपीआई जारी करने की अनुमति देने के लिए 'प्रीपेड भुगतान साधनों पर मास्टर निदेश' में संशोधन किया।
29 फरवरी 2024	रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को कवर करते हुए एक संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया, जो बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, अधिक भागीदारी को सक्षम बनाता है और अन्य परिवर्तनों में ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाता है।
4 मार्च 2024	रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए एक इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली बनाने की घोषणा की, जिसका कार्यान्वयन एनपीसीआई[2] भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) द्वारा किया जाएगा।
6 मार्च 2024	रिज़र्व बैंक ने कार्ड जारीकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं, जिनके द्वारा जारी किए गए सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है, वे कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता न करें जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो, और जारी करने के समय उनके पात्र ग्राहकों के लिए एकाधिक कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प न प्रदान करता हो।

[2] भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

अनुबंध II

सार्वजनिक परामर्श के बाद किए गए विनियामकीय उपाय[1] अप्रैल 2021 से मार्च 2024

वर्ष	दिनांक	विषय
		वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
2021-22	1 अप्रैल 2021	कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट पर दिशानिर्देश जारी किए गए, जिससे प्रतिभागियों को मौजूदा विवेकपूर्ण विनियामक मानदंडों के भीतर कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट में अपनी उधार सीमा निर्धारित करने की सुविधा मिली।
	4 जून 2021	• अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-। बैंकों को, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में उनके क्रेडिट जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के भीतर लेनदेन के निपटान के लिए, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के साथ मार्जिन रखने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को ऋण देने की अनुमति दी गई थी। • जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर दिशानिर्देश जारी किए गए, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को सीडी जारी करने और बैंकों को सीडी वापस खरीदने की अनुमति मिल गई।
	7 जून 2021	एफपीआई/संरक्षक बैंकों को अपने जी-सेक लेनदेन को नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने के लिए एक विस्तारित समय अवधि प्रदान की गई थी।
	16 सितंबर 2021	काउंटर पर (ओटीसी) डेरिवेटिव उत्पादों में बाजार निर्माताओं के लिए दिशानिर्देशों को सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और डेरिवेटिव व्यवसाय में ग्राहक उपयुक्तता और उपयुक्तता के आकलन के मजबूत मानकों को स्थापित करने के लिए संशोधित किया गया था।
	10 फरवरी 2022	संशोधित क्रेडिट डेरिवेटिव दिशानिर्देश जारी किए गए, जिससे बाजार सहभागियों को ओटीसी सेगमेंट और स्टॉक एक्सचेंजों में एकल नाम ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) अनुबंधों का उपयोग करने की अनुमति मिल गई। खुदरा उपयोगकर्ताओं को केवल हेजिंग के लिए संरक्षण खरीदने की अनुमति दी गई है। गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं, अर्थात, विनियमित वित्तीय संस्थाओं और एफपीआई को (i) हेजिंग के लिए और हेजिंग के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए संरक्षण खरीदने; और (ii) संरक्षण बेचने की अनुमति दी गई है।
2022-23	1 जून 2022	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण मार्जिन) दिशानिर्देश, 2022 जारी किए गए थे, जिसमें कवर की गई संस्थाओं को अकेंद्रीय समाशोधित डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट) लेनदेन के लिए वेरिएशन मार्जिन का विनिमय अनिवार्य किया गया था।
	16 जून 2022	अकेंद्रीय समाशोधित डेरिवेटिव (एनसीसीडी) के लिए प्रारंभिक मार्जिन के विनिमय के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने वाले मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
	17 फरवरी 2023	सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने की अनुमति देने के लिए मसौदा निर्देश जारी किए गए।
2023-24	28 दिसंबर 2023	सरकारी प्रतिभूतियों पर बॉण्ड फॉरवर्ड शुरू करने के लिए मसौदा निर्देश जारी किए गए।
	3 जनवरी 2024	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) पर दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और इन बाजारों में जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य प्रतिभागियों के संदर्भ में उत्पादों में स्थिरता लाने के लिए संशोधित निर्देश जारी किए गए।

[1] नई/प्रमुख विनियामकीय नीतियों के साथ-साथ मसौदा परिपत्रों, रिपोर्टों, चर्चा पत्रों और हितधारकों के परामर्श के आधार पर वृद्धिशील परिवर्तन और मौजूदा दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा भी शामिल है। इस अनुलग्नक में शामिल कुछ मसौदा परिपत्रों/मसौदा दिशानिर्देशों/चर्चा पत्रों के लिए जनता से परामर्श अभी भी जारी है।

वर्ष	दिनांक	विषय
2023-24	5 जनवरी 2024	अनुमत एफएक्स डेरिवेटिव उत्पादों के सुइट का विस्तार करते हुए और उपयोगकर्ता वर्गीकरण फ्रेमवर्क को परिष्कृत करते हुए, ताकि आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के एक बड़े समूह को अपने जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाया जा सके, सभी प्रकार के लेनदेन - ओटीसी और एक्सचेंज कारोबार - के संबंध में पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को समेकित करते हुए विदेशी मुद्रा (एफएक्स) जोखिमों की हेजिंग के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और एक ही मास्टर निदेश के तहत, संशोधित निर्देश जारी किये गये।
विदेशी मुद्रा विभाग		
2022-23	22 अगस्त 2022	फेमा, 1999 के तहत विदेशी निवेश फ्रेमवर्क को युक्तिसंगत बनाया गया। सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया/टिप्पणियों के आधार पर, तर्कसंगत 'विदेशी निवेश विनियम' जारी किए गए।
2023-24	26 दिसंबर 2023	फेमा, 1999 के तहत अधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क का प्रारूप जारी किया गया।
विनियमन विभाग		
2021-22	10 मई 2021	अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर मास्टर निदेश में संशोधन [केवाईसी (री-केवाईसी) में आवधिक अद्यतनीकरण और वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) से संबंधित परिवर्तनों के संबंध में]
	23 अगस्त 2021	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: एन.एस. विश्वनाथन) की रिपोर्ट जारी की गई और दिशानिर्देश जारी किए गए।
	29 अक्तूबर 2021	'बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता' पर परिपत्र।
	11 नवंबर 2021	लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) परिवर्तन - विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) एफसीएनआर (बी) जमा पर ब्याज दर
	14 मार्च 2022	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क) निदेश, 2022।
2022-23	27 जुलाई 2022	जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर चर्चा पत्र।
	2 सितंबर 2022	डिजिटल ऋण देने पर दिशानिर्देश।
	11 अक्तूबर 2022	एआरसी के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क की समीक्षा।
	16 जनवरी 2023	बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधान के लिए अपेक्षित हानि (ईएल) आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र।
	25 जनवरी 2023	दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क (एसएसएएफ) पर चर्चा पत्र।
	17 फरवरी 2023	बेसल III के अंतर्गत बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश।
2023-24	28 अप्रैल 2023	धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियम, 2005 (समय-समय पर संशोधित) और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुरूप केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन।
	4 मई 2023	केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन - वायर ट्रांसफर पर निर्देश।
	08 जून 2023	डिजिटल ऋण में चूक हानि गारंटी (डीएलजी) पर दिशानिर्देश।
	26 जून 2023	परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश।

वर्ष	दिनांक	विषय
2023-24	18 अगस्त 2023	• समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर को पुनः निर्धारित किया गया। • उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार।
	12 सितंबर 2023	वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर मास्टर निदेश।
	13 सितंबर 2023	'उत्तरदायी ऋण आचरण - व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना' पर परिपत्र।
	21 सितंबर 2023	• इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार पर मसौदा मास्टर निदेश। • मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल III पूंजीगत फ्रेमवर्क, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों तथा संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम) निदेश, 2023।
	17 अक्तूबर 2023	पीएमएल नियम, 2005 (समय-समय पर संशोधित) और एफएटीएफ सिफारिशों के अनुरूप केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन।
	26 अक्तूबर 2023	• वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मसौदा मास्टर निदेश। • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमा पर अनुदेशों की समीक्षा।
	1 जनवरी 2024	बैंकों में निष्क्रिय खातों/अदावाकृत जमाराशियों पर परिपत्र - संशोधित अनुदेश।
	2 जनवरी 2024	बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा तथा भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा लाभ को मुख्यालय में प्रेषित करने के संबंध में मसौदा परिपत्र।
	15 जनवरी 2024	• सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए ऋण/निवेश संकेन्द्रण मानदंडों पर मसौदा परिपत्र। • आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और एचएफसी तथा एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सामंजस्य पर मसौदा परिपत्र।
	9 फरवरी 2024	इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) में भारतीय बैंकों की भागीदारी पर परिपत्र।
	28 फरवरी 2024	जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण रूपरेखा, 2024 का मसौदा।
	7 मार्च 2024	मास्टर निदेश में संशोधन - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचरण निदेश, 2022 - संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के साथ अद्यतन दिशानिर्देश उपर्युक्त मास्टर निदेश के अनुलग्नक के रूप में जारी किए गए और इसे रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
	21 मार्च 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक के आरई के लिए एसआरओ की मान्यता के लिए बहुप्रयोजनीय (Omnibus) फ्रेमवर्क।
फिनटेक विभाग		
2023-24	15 जनवरी 2024	फिनटेक क्षेत्र के लिए एसआरओ को मान्यता देने हेतु मसौदा रूपरेखा जारी की गई।

वर्ष	दिनांक	विषय
पर्यवेक्षण विभाग		
2022-23	6 मार्च 2023	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एसबीए की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए संशोधित दिशानिर्देश/ पीएसबी की वैधानिक शाखा लेखापरीक्षा के तहत व्यवसाय कवरेज पर मानदंड जारी किए गए।
2023-24	10 अप्रैल 2023	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश जारी किया गया।
	13 अक्तूबर 2023	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) वसूली शाखाओं और शून्य अग्रिम वाली शाखाओं की लेखापरीक्षा के लिए उनके एसबीए को देय पारिश्रमिक तय करने के लिए सामान्य अनुमोदन प्रदान किया गया।
	7 नवंबर 2023	सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश जारी किया गया।
	15 जनवरी 2024	राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग		
2021-22	10 जून 2021	स्वचालित टेलर मशीनों/नकदी पुनर्चक्रण मशीनों के उपयोग के लिए विनिमय शुल्क और ग्राहक प्रभार की समीक्षा की गई।
	14 जून 2021	*भारत* बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में 'मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज' को बिलर श्रेणी के रूप में अनुमति दी गई।
	7 सितंबर 2021	कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति दी गई।
	23 दिसंबर 2021	वास्तविक कार्ड डेटा *(अर्थात्* कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ)] के भंडारण पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की गई।
	3 जनवरी, 2022	ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए रूपरेखा जारी की गई।
2022-23	19 मई, 2022	एटीएम पर अंतर-संचालनीय कार्ड-रहित नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू) सक्षम की गई।
	26 मई, 2022	*भारत* बिल भुगतान प्रणाली पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया।
	16 जून, 2022	ई-मैंडेट ढांचे के कार्यान्वयन और ग्राहकों को उपलब्ध सुरक्षा के अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (एएफए) की समीक्षा के आधार पर, सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति लेनदेन कर दिया गया।
	28 जुलाई, 2022	भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की समयसीमा की समीक्षा की गई।
	17 अगस्त, 2022	भुगतान प्रणालियों में शुल्क पर चर्चा पत्र जारी किया गया।
2023-24	2 जून, 2023	भुगतान प्रणाली प्रचालकों के लिए साइबर समुत्थानशीलता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया गया।
	7 जून, 2023	व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया।
	5 जुलाई, 2023	डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था पर मसौदा परिपत्र जारी किया गया।
	24 अगस्त, 2023	ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा बढ़ा दी गई।
	31 अक्तूबर, 2023	'भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - सीमापार' पर परिपत्र जारी किया गया।

वर्ष	दिनांक	विषय
2023-24	12 दिसंबर, 2023	इसके अंतर्गत प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के बिना किए जाने वाले अनुवर्ती आवर्ती लेनदेन की सीमाएं वाली ई -अधिदेश रूपरेखा को निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए बढ़ाया गया।
	20 दिसंबर, 2023	सीओएफटी (CoFT) - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन सक्षम किया गया।
	29 दिसंबर, 2023	भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना को दो वर्ष की अवधि *अर्थात* 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया ।
	23 फरवरी, 2024	पूर्वदत्त भुगतान लिखतों पर मास्टर निर्देश में संशोधन किया गया।
	29 फरवरी, 2024	*भारत* बिल भुगतान प्रणाली पर मास्टर निर्देश जारी किया गया।

अनुबंध III

ग्राहक केंद्रित उपाय[1]: अप्रैल 2021 से मार्च 2024

वर्ष	दिनांक	विषय
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग		
2021-22	-	वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना का विस्तार - 1,107 सीएफएल स्थापित किए गए।
	-	रिज़र्व बैंक द्वारा पूरे भारत में 52 टाउन हॉल बैठकें आयोजित की गईं जिससे लगभग 3,799 उद्यमियों को लाभ हुआ।
2022-23	-	सीएफएल परियोजना का विस्तार - अतिरिक्त 362 सीएफएल स्थापित किए गए।
	-	रिज़र्व बैंक द्वारा पूरे भारत में 60 टाउन हॉल बैठकें आयोजित की गईं जिससे लगभग 5,784 उद्यमियों को लाभ हुआ।
2023-24	-	सीएफएल परियोजना का विस्तार - अतिरिक्त 952 सीएफएल स्थापित किए गए।
	-	रिज़र्व बैंक द्वारा पूरे भारत में 60 टाउन हॉल बैठकें आयोजित की गईं जिससे लगभग 6,352 उद्यमियों को लाभ हुआ।
वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग		
2021-22	16 सितंबर 2021	अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, काउंटर पर (ओटीसी) डेरिवेटिव उत्पादों में बाजार-निर्माताओं के लिए अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक उपयुक्तता का आकलन और डेरिवेटिव व्यवसाय में उपयुक्तता के मजबूत मानकों को स्थापित करने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया।
	3 फरवरी 2022	• निवासियों को अनधिकृत व्यक्तियों के साथ या अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के खिलाफ चेतावनी देने वाले दिशानिर्देश जारी किए गए। • जनता की सामान्य जानकारी के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट प्रकाशित किया गया।
2022-23	7 सितंबर 2022	• उन संस्थाओं की एक "अलर्ट सूची" जारी की गई जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं। • विदेशी मुद्रा लेनदेन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) को "अलर्ट सूची" के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए अद्यतन किया गया।
	10 फरवरी 2023	उन संस्थाओं की एक "अलर्ट सूची" जारी की गई जो न तो फेमा, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं।
2023-24	7 जून 2023	उन संस्थाओं की एक "अलर्ट सूची" को अद्यतित किया गया जो न तो फेमा, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं।
	24 नवंबर 2023	उन संस्थाओं की एक "अलर्ट सूची" को अद्यतित किया गया जो न तो फेमा, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं।
	3 जनवरी 2024	विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और सभी प्रकार के लेनदेन के संबंध में पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को समेकित करते हुए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।

[1] नई/प्रमुख विनियामकीय नीतियों के साथ-साथ वृद्धिशील परिवर्तन और मौजूदा दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा, मसौदा परिपत्रों, रिपोर्टों, चर्चा पत्रों और हितधारकों के परामर्श के बाद शामिल किया गया है। इस अनुलग्नक में शामिल कुछ मसौदा परिपत्रों/मसौदा दिशानिर्देशों/चर्चा पत्रों के लिए सार्वजनिक परामर्श अभी भी जारी है।

वर्ष	दिनांक	विषय
		विदेशी मुद्रा विभाग
2021-22	8 सितंबर 2021	बेंचमार्क दर के रूप में लंदन अंतर-बैंक ऑफर रेट (LIBOR) की आसन्न समाप्ति के मद्देनजर, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात), 2021 में यह संकेत देकर संशोधन किया गया था कि ब्याज की दर, यदि कोई हो, पर देय अग्रिम भुगतान LIBOR या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित अन्य लागू बेंचमार्क से 100 आधार अंक (बीपीएस) से अधिक नहीं होगा।
	06 जनवरी 2022	विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा अधिसूचित योग्य ज्वैलर्स को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से विशिष्ट भारतीय व्यापार वर्गीकरण - हार्मोनाइज्ड सिस्टम [आईटीसी (एचएस)] कोड्स के तहत सोना आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
2022-23	19 मई 2022	श्रीलंका से निर्यात आय प्राप्त करने में निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) तंत्र के बाहर भारतीय रुपये (आईएनआर) में निपटान की जा सकती है।
	25 मई 2022	अर्हता प्राप्त जौहरियों को नामांकित एजेंसियों और बैंकों के अलावा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के तहत स्वर्ण आयात करने की अनुमति दी गई।
	6 जुलाई 2022	भारत में विदेशी मुद्रा प्रवाह को उदार बनाने के उपायों के तहत, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) स्वचालित मार्ग के तहत उधार लेने की सीमा 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी गई थी। इसके अलावा, ईसीबी फ्रेमवर्क के तहत समग्र लागत सीमा भी 100 बीपीएस बढ़ा दी गई थी, बशर्ते कि उधारकर्ता निवेश ग्रेड रेटिंग का हो। ये उपाय 31 दिसंबर, 2022 तक प्रभावी थे।
	8 जुलाई 2022	एडी श्रेणी-I बैंकों को सलाह दी गई कि श्रीलंका के साथ व्यापार लेनदेन सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेन को अगली सूचना तक एसीयू तंत्र के अलावा किसी भी अनुमत मुद्रा में तय किया जाएगा।
	11 जुलाई 2022	भारत से निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने और सीमा पार लेनदेन के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, एडी बैंकों के साथ रखे गए विदेशी प्रतिनिधि बैंक/बैंकों की विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों के उपयोग के माध्यम से आईएनआर में निर्यात/आयात के चालान, भुगतान और निपटान की एक अतिरिक्त व्यवस्था प्रदान की गई थी।
	22 अगस्त 2022	व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने और टर्नअराउंड समय (टीएटी) को कम करने के लिए, विदेशी निवेश लेनदेन की देरी की रिपोर्टिंग को नियमित करने के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।
	15 सितंबर 2022	अनिवासी विनिमय गृहों के साथ रुपया आहरण समझौता (आरडीए) वाले एडी श्रेणी- I बैंक द्वारा प्राप्त विदेशी आवक प्रेषण को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से लाभार्थी के किसी भी बैंक खाते में सीधे जमा करने की अनुमति दी गई थी।
	30 सितंबर 2022	व्यवसाय करने में आसानी के लिए, सभी लेनदेन में देरी की रिपोर्टिंग के लिए एलएसएफ निर्धारित करने के लिए एक सरल और समान गणना मैट्रिक्स रखने का निर्णय लिया गया।
	5 जनवरी 2023	भारत में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग के लिए आवेदन, विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (एफआईआरएमएस) को नया रूप दिया गया। एफआईआरएमएस के नए संस्करण ने कई हितधारकों द्वारा लेनदेन को एक साथ दाखिल करने, अनुमोदन प्रक्रिया के लिए टीएटी को कम करने और एलएसएफ की स्वचालित गणना की अनुमति देकर विदेशी निवेश की निर्बाध रिपोर्टिंग को सक्षम किया।
2023-24	6 अप्रैल 2023	'एपी कनेक्ट' को संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी), गैर-बैंक अधिकृत डीलरों (एडी) श्रेणी- II, मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के एजेंट के रूप में प्राधिकार के लाइसेंस के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण, मौजूदा लाइसेंस/प्राधिकरण का नवीनीकरण, मौजूदा निर्देशों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने; और एफएफएमसी और गैर-बैंक एडी श्रेणी- II द्वारा विभिन्न विवरण/रिटर्न जमा करने के लिए विकसित और प्रारम्भ किया गया।

वर्ष	दिनांक	विषय
2023-24	12 अप्रैल 2023	'फॉर्म ए2' के ऑनलाइन जमा करने की सुविधा एडी श्रेणी-II संस्थाओं तक विस्तारित की गई जिसमें व्यक्तियों के लिए 25,000 अमेरिकी डॉलर (या इसके समतुल्य) और कॉरपोरेट के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (या इसके समतुल्य) की उच्चतम सीमा तक के लेनदेन के लिए 'फॉर्म ए2' को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी गई।
	26 अप्रैल 2023	उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के लिए आईएफएससी में निवासी व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा खाते (एफसीए) में निष्क्रिय पड़े किसी भी धन को उसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों तक की अवधि के लिए वापस भेजने की शर्त को बदल दिया गया और सामान्य तौर पर सभी क्षेत्राधिकारों के लिए एलआरएस पर मास्टर निदेश में निहित योजना के अनुसार प्रावधानों के अनुरूप बना दिया गया।
	9 मई 2023	प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को सूचना देकर निर्देश जारी किए गए थे कि विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड इत्यादि पर भारत में देय शुल्क/परिवर्तन केवल भारतीय रुपये में ही अंकित और निपटान किया जाना चाहिए, क्योंकि एपी और निवासियों के बीच ये लेनदेन अनिवार्य रूप से दो निवासियों के बीच घरेलू लेनदेन थे।
	12 मई 2023	विदेशी निवेश से संबंधित देरी की रिपोर्टिंग के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट मोड के अलावा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/ तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) जैसे ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से सक्षम किया गया। इसी प्रकार विदेशी निवेश लेनदेन के लिए एलएसएफ के भुगतान के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस जैसे ऑनलाइन भुगतान मोड 19 जून 2023 से सक्षम किए गए।
	22 जून 2023	आईएफएससी को एलआरएस प्रेषण केवल प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अनुमति दी गई थी। भारत सरकार ने 23 मई 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रस्तावित वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के पाठ्यक्रमों को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया था। तदनुसार, 22 जून 2023 से, आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान के लिए निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रेषण को परिभाषित उद्देश्य 'विदेश में अध्ययन' के लिए एलआरएस के तहत सक्षम किया गया था।
	10 नवंबर 2023	एडी श्रेणी-I बैंकों को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अर्हता प्राप्त जौहरियों को आईआईबीएक्स के माध्यम से चांदी के आयात के लिए 11 दिनों के अग्रिम भुगतान करने की सहमति देने की अनुमति दी गई।
	17 नवंबर 2023	बैंकों द्वारा चालू खाते और नकद क्रेडिट (सीसी)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) खाते खोलने पर और निर्यातकों को अधिक परिचालन लोचनीयता प्रदान करने के लिए, एडी श्रेणी- I बैंक बनाए रखने के लिए 19 अप्रैल 2022 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.23/21.08.008/2022-23 के पैरा 4.1 के संदर्भ में विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते को विशेष रूप से अपने निर्यात लेनदेन के निपटान के लिए अपने निर्यातक घटक के लिए एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति दी गई थी।
	31 जनवरी 2024	आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) धारकों द्वारा स्वर्ण के आयात के लिए 11 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान की अनुमति सहित दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
		विनियमन विभाग
2021-22	05 मई 2021	कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों के मद्देनजर केवाईसी (आरई -केवाईसी) के आवधिक अद्यतनीकरण के संबंध में कुछ छूट प्रदान की गई थीं।
	10 मई 2021	• वर्ष 2020 में शुरू की गई वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) का विस्तार किया गया, ताकि प्रोप्राइटरशिप फर्म के मामले में स्वामी (प्रोप्राइटर) की वी-सीआईपी और विधिक इकाई ग्राहकों के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और हितकारी स्वामियों की वी-सीआईपी की अनुमति दी जा सके। पात्र ग्राहकों के अद्यतनीकरण /आवधिक अद्यतनीकरण (री-केवाईसी) के लिए वी-सीआईपी की भी अनुमति दी गई है। • ग्राहकों को एक सरल स्व-घोषणा प्रदान करने की अनुमति देकर पुनः केवाईसी (री-केवाईसी) प्रक्रिया को सरल बनाया गया, जिसके तहत ग्राहक को "केवाईसी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं होने पर" तथा "पते में परिवर्तन होने पर" विनियमित संस्थाओं (आरई), स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम), एसएमएस और डिजिटल चैनलों में अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

वर्ष	दिनांक	विषय
2021-22	13 सितंबर 2021	केवाईसी अद्यतनीकरण के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई।
	30 दिसंबर 2021	कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों के मद्देनजर केवाईसी के संबंध में कुछ छूट प्रदान की गई।
	14 मार्च 2022	सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) पर लागू व्यापक विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न आय वाले परिवारों से संबंधित सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए अनेक ग्राहक सुरक्षा उपाय प्रस्तुत किए गए।
2022-23	7 अप्रैल 2022	बैंकिंग सेवाओं के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की उपलब्धता में सुधार और डिजिटल वित्तीय समावेशन और शिक्षण में पहुँच बढ़ाने के लिए, निरंतर प्रयासों के एक अंश के रूप में, रिज़र्व बैंक द्वारा "डिजिटल बैंकिंग इकाइयों" (डीबीयू) की अवधारणा शुरू की गई।
	21 अप्रैल 2022	'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचार संबंधी निदेश' पर मास्टर निदेश (1 जुलाई 2022 से प्रभावी) जारी किया गया।
	8 जून 2022	रिज़र्व बैंक ने "बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23-द्वारस्थ बैंकिंग" पर परिपत्र जारी करके पात्र शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने ग्राहकों को 'द्वारस्थ बैंकिंग' सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी।
	12 अगस्त 2022	विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा नियोजित एजेंटों की गतिविधियों से उत्पन्न चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि आरई यह सख्ती से सुनिश्चित करेंगे कि वे या उनके एजेंट अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए धमकी या उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल करने सहित किसी भी प्रकार की उत्पीड़न का सहारा न लें।
	2 सितंबर 2022	रिज़र्व बैंक ने डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी के लाभों का स्थायी और व्यवस्थित तरीके से प्रभावकारी लाभ उठाया जा सके।
	5 जनवरी 2023	केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण (री: केवाईसी) के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई।
2023-24	28 अप्रैल 2023	• अद्यतनीकरण/आवधिक अद्यतनीकरण - ग्राहक द्वारा केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के लिए बगैर-आमने-सामने आए (नॉन फेस-टू-फेस मोड) में आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। • एकल स्वामित्व वाली फर्म की ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) प्रक्रिया - केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन के माध्यम से सीडीडी प्रक्रिया के लिए एकल स्वामित्व फर्म के मामले में कार्यकलाप के प्रमाण के लिए दस्तावेजों की सूची में उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (यूआरसी) को शामिल किया गया है।
	17 अगस्त 2023	जमाकर्ताओं को विभिन्न बैंकों में अदावाकृत जमाराशियों को आसानी से और एक ही स्थान पर खोजने की सुविधा प्रदान करने के लिए तथा जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) निधि समिति के निदेशों के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम (यूडीजीएएम) - अनक्लेम्ड डिपोजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फार्मेशन विकसित किया है।
	18 अगस्त 2023	• 'समान मासिक किस्तों (ईएमआई) पर आधारित वैयक्तिक ऋणों पर अस्थिर ब्याज दर का पुनर्निर्धारण' पर परिपत्र जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं में उचित आचरण फ्रेमवर्क और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। • 'उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार' पर परिपत्र जारी किया गया, जिसमें युक्तिसंगत एवं पारदर्शी तरीके से दंडात्मक प्रभार लगाने के संबंध में स्पष्ट आचरण फ्रेमवर्क को अधिदेशित किया गया है।
	13 सितंबर 2023	विनियमित संस्थाओं (आरई) के बीच जिम्मेदार उधार आचरण को बढ़ावा देने के लिए, 'जिम्मेदार उधार आचरण - वैयक्तिक ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना' पर परिपत्र जारी किया गया।

वर्ष	दिनांक	विषय
2023-24	26 अक्तूबर 2023	• क्रेडिट सूचना के विलंबित अद्यतनीकरण/सुधार के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसके तहत शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने की तारीख से 30 कैलेंडर दिवसों की अवधि के भीतर उनकी शिकायत का समाधान नहीं होने पर वे प्रति कैलेंडर दिवस ₹100 के मुआवजे के हकदार होंगे। • शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता में सुधार करने और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए, विभिन्न उपाय किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट जानकारी के विलंबित अद्यतनीकरण/सुधार के लिए मुआवजा तंत्र और ग्राहकों को उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) तक पहुंच या सीआई द्वारा सीआईसी को चूक जानकारी की रिपोर्टिंग के संबंध में एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित करना भी शामिल है।
	1 जनवरी 2024	'बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियां' संबंधी परिपत्र पर संशोधित अनुदेश जारी किए गए।
	2 फरवरी 2024	केवाईसी अद्यतनीकरण के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए एक प्रेस प्रकाशनी जारी की गई।
	7 मार्च 2024	'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचरण संबंधी निदेश 2022' पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया, जिससे उपभोक्ता संरक्षण उपायों को और सुदृढ़ किया गया। सभी हितधारकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर उक्त विषय पर एफएक्यू भी जारी किए गए।
	-	आम जनता में अकाउंट एग्रीगेटर (एए) के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से, मीडिया मिक्स के माध्यम से एए सुविधा के लिए जन जागरूकता अभियान आयोजित किए गए।
	-	जनता को निम्नलिखित विषयों के बारे में शिक्षित करने के लिए टेलीविज़न का उपयोग करते हुए जन-जागरूकता अभियान शुरू किए गए: (i) कागज-रहित ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के लिए केंद्रीय नो योर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) द्वारा जारी केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग; (ii) री-केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्प; और (iii) ग्राहकों के खातों का छद्म (म्यूल) खाते के रूप में दुरुपयोग होने से रोकना।
फिनटेक विभाग		
2021-22	13 सितंबर 2021	'एमएसएमई उधार' विषय के साथ विनियामकीय परीक्षण-स्थल (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स-आरएस) के अंतर्गत तीसरे कोहार्ट के एप्लिकेशन विंडो के शुरुआत की घोषणा की गई।
	8 अक्तूबर 2021	विनियामकीय परीक्षण-स्थल (आरएस) के लिए सक्षम फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया।
	9 नवंबर 2021	पहला वैश्विक हैकथॉन - हार्बिंजर 2021 'स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स' विषय के साथ आरंभ किया गया।
2022-23	6 जून 2022	विनियामकीय परीक्षण-स्थल (आरएस) के तहत 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन' विषय के साथ चतुर्थ कोहार्ट के एप्लिकेशन विंडो के शुरुआत की घोषणा की गई।
	2 सितंबर 2022	रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना 'भारत में ग्रामीण वित्त का डिजिटलीकरण' आरंभ की गई।
	7 अक्तूबर 2022	केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पर अवधारणा नोट जारी किया गया।
	29 नवंबर 2022	सीबीडीसी - खुदरा (ई₹-आर) प्रायोगिक परियोजना के लिए 01 दिसंबर 2022 को सीबीडीसी-प्रायोगिक (Pilot) का परिचालन शुरू किया गया।
	14 फरवरी 2023	'समावेशी डिजिटल सेवाएं' विषय के साथ दूसरा वैश्विक हैकथॉन - हार्बिंजर 2023 आरंभ किया गया।

ग्राहक केंद्रित उपाय : अप्रैल 2021 से मार्च 2024

वर्ष	दिनांक	विषय
2023-24	14 अगस्त 2023	निर्बाध ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच हेतु 17 अगस्त 2023 को प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई।
	27 अक्तूबर 2023	सामान्य-विषय (थीम न्यूट्रल) के साथ पाँचवें कोहार्ट के एप्लिकेशन विंडो के शुरुआत की घोषणा की गई।
	28 फरवरी 2024	आरएस के लिए सक्षम फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया।
पर्यवेक्षण विभाग		
2023-24	10 अप्रैल 2023	'सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग' पर मास्टर निदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था ग्राहक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने की आरई की क्षमता को कम नहीं करेगी।
	7 नवंबर 2023	'सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं' पर मास्टर निदेश जारी किया गया। ग्राहकों को संरक्षित और सुरक्षित तरीके से डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मास्टर निदेश में पूरे संगठन में पर्याप्त निगरानी की आवश्यकता होती है।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग		
2021-22	-	जून-जुलाई 2021 में 21 राज्यों को कवर करते हुए 30 बैंकों में आंतरिक शिकायत निवारण (आईजीआर) प्रणाली के संबंध में बैंक ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया गया था।
	-	रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के सहयोग के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) एप्लिकेशन को नवीकृत किया गया।
	12 नवंबर 2021	वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाने और वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को सरल, अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाकर विनियमित संस्थाओं (आरई) के ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2021 में 'एक देश एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाकर एक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 शुरू की।
	15 नवंबर 2021	आंतरिक लोकपाल (आईओ) योजना चुनिंदा एनबीएफसी पर लागू की गई, जिसमें आंशिक रूप से या पूरी तरह से खारिज की गई सभी ग्राहक शिकायतों को शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय से अवगत कराने से पहले एनबीएफसी के आईओ को भेजना अनिवार्य किया गया ताकि विनियमित संस्थाओं के स्वयं के स्तर पर ही शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया जा सके।
	-	रिज़र्व बैंक ने धोखेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य *कार्यप्रणाली* और विभिन्न वित्तीय लेनदेन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर एक पुस्तिका - BE(A)WARE अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की।
	15 मार्च 2022	विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर, देश भर के क्षेत्रीय मल्टी-मीडिया चैनलों में एक " लोकपाल कहता है" (ऑम्बुड्ज़्मैन स्पीक) कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं/ग्राहकों को रिज़र्व बैंक शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक बनाया जा सके।
2022-23	-	भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल (ओआरबीआईओ) के कार्यालय से संपर्क करने वाले शिकायतकर्ताओं के संतुष्टि स्तरों का आकलन करने के लिए संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया।
	6 अक्तूबर 2022	सीआईसी के आईजीआर तंत्र की दक्षता को सुदृढ़ करने और सुधारने के लिये आईओ तंत्र को सीआईसी तक बढ़ाया गया।

वर्ष	दिनांक	विषय
2022-23	-	संपर्क केंद्र के इंटरएक्टिव वॉयस रेस्पोंस सिस्टम (आईवीआरएस) पर दी गई जानकारी में 24x7 सहयोग के साथ सुधार किया गया। उक्त संपर्क केंद्र में पंजाबी और असमिया में बात करने की सुविधा को जोड़कर भाषा विस्तार सहयोग प्रदान किया गया, जिससे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में कॉल सहयोग की उपलब्धता बढ़ गई है।
	-	सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, रिज़र्व बैंक के एजीआर तंत्र और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए मौजूदा नियमों पर वित्तीय उपभोक्ता जागरूकता का गहन प्रसार सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत एक बहु-चरणीय, बहु-आयामी वित्तीय जागरूकता अभियान के रूप में चलाया गया था और इसमें तीन चरणों अर्थात लोकपाल कहता है कार्यक्रम; शीर्ष प्रबंधन द्वारा टॉकथॉन; और एक महीने तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी) को शामिल किया गया।
	-	'राजू और चालीस चोर' नामक पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी में जारी की गई, जिसमें वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित घटनाओं की कार्यप्रणाली की झलक दी गई और ऐसी घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा उपायों के रूप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, के बारे में आसान जानकारियाँ दी गईं पुस्तिका कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।
	15 मार्च 2023	'लोकपाल कहता है' कार्यक्रम का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया।
2023-24	1 अप्रैल 2023	हिमाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में केंद्रित जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिमला में आरबीआई लोकपाल का एक नया कार्यालय स्थापित किया गया।
	24 अप्रैल 2023	विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने के लिए बी.पी. कानूनगो की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
	-	तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई लोकपाल के दो नए कार्यालय क्रमशः चेन्नई (17 अप्रैल 2023 से) और कोलकाता (01 जून 2023 से) में स्थापित किए गए।
	29 दिसंबर 2023	आईओ तंत्र पर विभिन्न विनियमित संस्थाओं पर लागू निर्देशों को सुसंगत बनाने के लिए मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023 जारी किया गया।
	5 फरवरी 2024	वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) पर विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए दो और स्थानों, भुवनेश्वर और कोच्चि में अत्याधुनिक संपर्क केंद्रों का परिचालन किया गया। ये नए केंद्र व्यापार निरंतरता और आपदा से बहाली की सुविधा भी प्रदान करते हैं। चंडीगढ़ में मौजूदा संपर्क केंद्र को अपग्रेड किया गया।
	15 मार्च 2024	तीसरी पुस्तिका 'द अलर्ट फैमिली' मार्च 2024 में लॉन्च की गई। पुस्तिका वित्तीय धोखाधड़ी पर सामान्य जनता को मार्गदर्शन प्रदान करती है और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं के बारे में गलत सामान्य धारणाओं को दूर करती है।
	-	सीएमएस प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से दृष्टिबाधित उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए अतिरिक्त ऑडियो कैप्चा कार्यात्मकता के साथ उन्नत बनाया गया।
	-	सीएमएस के संचार टेम्पलेट की पठनीयता में काफी सुधार हुआ जिससे बेहतर समझ और उपयोगकर्ता अनुभव अधिक सकारात्मक हुआ।
		आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
2021-22	12 नवंबर 2021	'भारतीय रिज़र्व बैंक – रिटेल डायरेक्ट योजना 'शुरू की गई, जो खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करती है।

वर्ष	दिनांक	विषय
2022-23	-	'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना की समग्र पहुंच में सुधार के लिए देश भर में जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त, पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए वीडियो केवाईसी मॉड्यूल का अपग्रेडेशन, डिजिलॉकर खाते से सीधे उपयोगकर्ता विवरण प्राप्त करना और केवाईसी प्रक्रिया के दौरान डाटा को स्वचालित रूप से सेव करने जैसे कार्य किए गए।
2023-24	23 अक्तूबर 2023	रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से फ्लोटिंग दर बचत बॉण्ड का सब्स्क्रिप्शन प्रारम्भ किया गया। 9 अक्तूबर 2023 से पोर्टल परराष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) भुगतान कार्यक्षमता भी उपलब्ध कराई गई।
		मुद्रा प्रबंध विभाग
2021-22	1 दिसंबर 2021	सिक्कों के वितरण को बढ़ाने के रिज़र्व बैंक के उद्देश्य के अनुसरण में, सभी करेंसी चेस्ट को दिसंबर 2021 से प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार सिक्का मेला आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए।
	27 अगस्त 2021	2021-22 में बैंकों के लिए मुद्रा वितरण और विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा की गई, जिसमें सिक्कों के वितरण के लिए प्रोत्साहन राशि को ₹25 से बढ़ाकर ₹65 प्रति बैग कर दिया गया। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सिक्का वितरण के लिए ₹10 प्रति बैग की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। बैंकों को थोक ग्राहकों को सिक्के उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया जिसकी पहले अनुमति नहीं थी।
	-	ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने की दृष्टि से टीवी विज्ञापनों और प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा पर रिज़र्व बैंक ने जागरूकता अभियान शुरू किया है
2022-23	21 सितंबर 2022	1 जनवरी 2020 को लॉन्च किए गए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मणि) ऐप की पहुंच को पहले से उपलब्ध हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, 11 और भाषाओं को शामिल करके ऑडियो अधिसूचना के माध्यम से बैंक नोट मूल्यवर्ग की पहचान के लिए विस्तारित किया गया था। ऐप को आंशिक दृष्टि वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए भी सक्षम किया गया था।
	-	ग्राहक सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस, एफएम रेडियो और डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) के माध्यम से 'बैंक नोटों के आदान-प्रदान' पर एक अभियान चलाया गया।
	-	एक ही मूल्यवर्ग के विभिन्न डिजाइनों के सिक्कों के परिचालन के संबंध में भ्रांतियों और आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रिंट और रेडियो मीडिया मिश्रण के माध्यम से अभियान चलाया गया।
2023-24	1 अप्रैल 2023	जनता के लिए लेन-देन को आसान बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न मूल्यवर्ग में मूल्य आधारित सिक्कों के पैकेट जैसे ₹50, ₹100, ₹150, आदि शुरू किए।
	1 फरवरी 2024	1 अक्तूबर 2022 को शुरू की गई मोबाइल कॉइन वैन (एमसीवी) योजना को फरवरी 2024 से पूरे देश के लिए उपलब्ध कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कम मूल्यवर्ग के नोट, जो परिचालन के लिए अनुपयुक्त हैं, के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवाओं के दायरे का विस्तार किया गया।
	-	*आकाशवाणी/विविध भारती/*निजी एफएम रेडियो चैनलों के माध्यम से मणि ऐप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय रेडियो अभियान चलाया गया ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भारतीय बैंक नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में सुविधा प्रदान की जा सके।
	-	परिचालन में नोटों की गुणवत्ता के बारे में जनता की समझ में सुधार लाने के उद्देश्य से दो सर्वेक्षण किए गए। 2022-23 के दौरान आयोजित पहले सर्वेक्षण में देश के चुनिंदा राज्यों को शामिल किया गया, इसके बाद 2023-24 के दौरान एक और अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया।
		भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
2021-22	19 मई 2021	प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) के लिए अधिसूचना जारी की गई - अंतरसंचालनीयता को अनिवार्य करना; पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख करना; और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण'की अनुमति देना।

वर्ष	दिनांक	विषय
2021-22	26 मई 2021	संयुक्त अरब अमीरात में RuPay कार्ड की स्वीकृति प्रारम्भ हुई।
	10 जून 2021	एटीएम/कैश रिसाइक्लर मशीनों का उपयोग - विनिमय शुल्क और ग्राहक शुल्क की समीक्षा की गई।
	13 जुलाई 2021	भूटान में व्यापारिक भुगतान के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की स्वीकृति सक्रिय की गई।
	27 अगस्त 2021	प्रति लेनदेन सीमा ₹50,000 से ₹2 लाख तक बढ़ाकर और प्रति प्रेषक एक वर्ष में 12 प्रेषण की सीमा को हटाकर भारत-नेपाल प्रेषण सुविधा योजना का विस्तार किया गया।
	7 सितंबर 2021	कार्ड-ऑन-फ़ाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति दी गई।
	3 जनवरी 2022	ऑफ़लाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल भुगतान सुविधाजनक बनाने के लिए रूपरेखा जारी की गई।
2022-23	2 अप्रैल 2022	नेपाल में RuPay कार्ड की स्वीकृति प्रारंभ हुई ।
	19 मई 2022	एटीएम पर इंटरऑपरेबल कार्ड-कम नकद आहरण (आईसीसीडब्ल्यू) सक्षम किया गया ।
	16 जून 2022	ई-जनादेश फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन और ग्राहकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा की समीक्षा पर प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) में छूट की सीमा को प्रति लेनदेन ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया।
	10 फरवरी 2023	भारत आने वाले जी 20 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए यूपीआई तक पहुंच के लिए पीपीआई जारी करने की अनुमति दी गयी ।
	21 फरवरी 2023	रिज़र्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने अपनी संबंधित शीघ्र भुगतान प्रणाली (एफपीएस), यूपीआई और पेनाउ के लिंकेज को प्रचालित कर दिया है, जिससे दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ता पारस्परिक आधार पर तत्काल और कम लागत वाले सीमा-पार पीयर-टू-पीयर (पी2पी) भुगतान करने में सक्षम हो गए हैं।
	6 मार्च 2023	मिशन 'हर पेमेंट डिजिटल' शुरू किया गया।
2023-24	7 जून 2023	व्यापार प्राप्तियों की छूट प्रणाली का दायरा बढ़ाया गया।
	24 अगस्त 2023	ऑफ़लाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल भुगतानों के लिए लेनदेन सीमाएं बढ़ा दी गईं।
	31 अक्तूबर 2023	'भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - सीमा पार' के संबंध में परिपत्र जारी किया गया।
	12 दिसंबर 2023	ई-जनादेश फ्रेमवर्क के तहत प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के बिना किए गए बाद के आवर्ती लेनदेनों की सीमाएं निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए बढ़ा दी गईं।
	20 दिसंबर 2023	सीओएफटी - कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से टोकनाइजेशन सक्षम किया गया ।
	1 फरवरी 2024	फ्रांस में व्यापारी भुगतान (ई-कॉमर्स) के लिए क्युआर कोड के माध्यम से यूपीआई को अपनाना प्रारम्भ हुआ।
	12 फरवरी 2024	भारत और मॉरीशस के बीच RuPay कार्ड और यूपीआई कनेक्टिविटी तथा भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई कनेक्टिविटी की शुरुवात की गई।
	23 फरवरी 2024	पीपीआई संबंधी मास्टर निदेशों में संशोधन किया गया।
	29 फरवरी 2024	*भारत* बिल भुगतान प्रणाली संबंधी मास्टर निदेश जारी किया गया।
	6 मार्च 2024	'क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था' पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
	8 मार्च 2024	नेपाल में व्यापारी भुगतानों के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई की स्वीकृति लाइव हो गई।

-: लागू नहीं (निरंतर जारी प्रकृति का)।

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	औसत 2014-15 से 2018-19 (5 वर्ष)	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था						
I.1 बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी (% परिवर्तन)*	7.9	6.7	7.4	9.7	7.0	7.6
I.2 आधार कीमत पर वास्तविक जीवीए (% परिवर्तन)*	7.7	6.3	7.0	9.4	6.7	6.9
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)**	213.6	248.8	269.8	315.6	329.7	309.3
I.4 ए) खाद्य स्टाक (मिलियन टन)***	18.6	50.1	44.6	74.0	51.7	60.7
बी) खरीद (मिलियन टन)	39.3	61.3	66.5	107.2	77.2	79.4
सी) उठाव (मिलियन टन)	41.5	57.0	61.5	105.7	92.7	66.9
1.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (% परिवर्तन)	11.2	4.6	4.0	11.4	5.2	5.8
I.6 आठ मुख्य उद्योगों का सूचकांक (% परिवर्तन)	5.9	4.9	4.3	10.4	7.8	7.5
I.7 सकल देशी बचत दर (वर्तमान कीमतों पर जीएनडीआई का %)*	33.6	33.9	31.2	30.8	29.7	-
I.8 सकल देशी निवेश दर (वर्तमान कीमतों में जीडीपी का %)*	35.2	38.0	33.1	32.4	32.2	-
II. मूल्य#						
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	-	-	4.5	5.5	6.7	5.4
II.2 सीपीआई- औद्योगिक कामगार (औसत % परिवर्तन)	5.0	10.3	4.9	5.1	6.1	5.3
II.3 थोक मूल्य सूचकांक (औसत % परिवर्तन)	5.5	7.1	1.3	13.0	9.4	-0.7
III. मुद्रा और ऋण##						
III.1 आरक्षित मुद्रा (%परिवर्तन)	20.4	12.1	10.7	13.0	7.8	6.7
III.2 व्यापक मुद्रा (एम$_3$) [%परिवर्तन]	18.6	14.7	9.5	8.8	9.0	11.2
III.3 ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमाराशियां (%परिवर्तन)	20.2	15.0	9.5	8.9	9.6	12.9
बी) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण (%परिवर्तन)	26.7	16.7	9.6	9.6	15.0	16.3
IV. वित्तीय बाजार						
IV.1 ब्याज दरें (%)						
ए) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	6.7	3.3	5.4	6.6
बी) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	7.6	6.3	7.3	7.2
सी) 91-दिवसीय खजाना -बिलों पर प्रतिफल	5.8	7.1	7.0	3.5	5.6	6.8
डी) केंद्र सरकार की उधारियों पर भारित औसत लागत	7.2	8.1	7.7	6.3	7.3	7.2
ई) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	7.8	4.3	6.3	7.4
एफ) जमा प्रमाणपत्र	8.9†	8.2	7.5	4.1	6.4	7.2
IV.2 चलनिधि (₹. लाख करोड़)						
ए) एलएएफ बकाया	-	-	-	5.9	1.3	0.6
बी) एमएसएस बकाया~	-	-	-	-	-	-
सी) माँग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
डी) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार	0.1	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6
ई) परिवर्ती दर रेपो~~	-	-	-	0.0	0.0	1.0
एफ) परिवर्ती दर रिवर्स रेपो~~	-	-	-	2.8	0.0	0.0
जी) एमएसएफ~~	-	-	-	0.0005	0.3	0.9
एच) एसडीएफ~~	-	-	-	-	2.3	2.5
V. सरकारी वित्त						
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %)$						
ए) राजस्व प्राप्तियाँ	10.0	9.2	8.6	9.2	8.8	9.2
बी) पूंजीगत परिव्यय	1.6	1.6	1.5	2.3	2.3	2.7
सी) कुल व्यय	14.9	15.0	12.8	16.1	15.6	15.3
डी) सकल राजकोषीय घाटा	3.7	5.4	3.7	6.7	6.4	5.9
V.2 राज्य सरकार के वित्त$$						
ए) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)	0.3	-0.1	0.1	0.4	0.3	0.5
बी) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	2.7	2.3	2.8	2.8	2.7	3.3
सी) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)	0.3	0.6	1.2	1.0	1.0	1.6

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक *(समाप्त)*

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	औसत 2014-15 से 2018-19 (5 वर्ष)	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
VI. बाह्य क्षेत्र@						
VI.1 भुगतान संतुलन						
ए) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	1.6	44.8	6.3	-6.0
बी) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	2.7	55.3	16.6	-7.3
सी) व्यापार संतुलन/जीडीपी (%)	-5.5	-9.1	-6.2	-6.0	-7.9	-7.4
डी) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.2	5.8	4.8	4.8	5.9	6.2
ई) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.3	-1.4	-1.2	-2.0	-1.2
एफ) निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी (%)	4.7	3.8	2.7	2.7	1.8	2.5
जी) रिज़र्व परिवर्तन (बीओपी आधार पर) [बिलियन अमेरिकी $] [वृद्धि (-)/कमी (+)]	-40.3	-6.6	-28.2	-47.5	9.1	-32.9
VI.2 बाह्य कर्ज संकेतक@@						
ए) बाह्य कर्ज़ स्टाक (बिलियन अमेरिकी $)	156.5	359.0	500.6	619.0	624.3	648.2
बी) कर्ज-जीडीपी अनुपात (%)	17.8	20.9	21.4	20.0	19.0	18.7
सी) रिज़र्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	10.3	11.8	9.6	11.0
डी) कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधिक कर्ज (%)	13.6	21.3	18.6	19.7	20.6	19.5
ई) कर्ज चुकौती अनुपात (%)	8.3	5.6	7.7	5.2	5.3	6.5
एफ) कर्ज की तुलना में रिज़र्व (%)	113.7	84.8	76.2	98.1	92.7	96.0
VI.3 उदारता संकेतक (%)						
ए) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.7	41.0	32.0	33.1	35.1	31.8
बी) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	41.3	53.2	43.7	45.8	50.2	46.4
सी) चालू प्राप्तियाँ और चालू भुगतान/जीडीपी	47.1	59.4	49.4	51.7	57.0	53.7
डी) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	37.3	50.4	45.2	45.4	38.4	43.5
ई) चालू प्राप्तियाँ एवं भुगतान और पूंजी प्राप्तियां और भुगतान/जीडीपी	84.4	109.8	94.6	97.0	95.3	97.3
VI.4 विनिमय दर संकेतक						
ए) विनिमय दर (रुपये/अमेरिकी $)						
अवधि के अंत में	43.1	51.1	65.6	75.8	82.2	83.4
औसत	44.1	51.2	65.6	74.5	80.4	82.8
बी) 40-मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	3.1^	0.8	1.8	1.2	-1.7	0.9
सी) 40-मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.7^	-4.9	0.2	-0.8	-2.0	-0.6
डी) 6- मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	5.7^	2.3	2.0	0.4	-0.3	-0.01
ई) 6- मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	2.6^	-5.1	-1.1	-1.6	-1.3	-2.7

- : उपलब्ध नहीं/लागू नहीं।
* : आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष शृंखला पर आधारित हैं।
** : वर्ष 2023-24 के आंकड़े कृषि उत्पादन के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, केवल खरीफ और रबी फसलों (ग्रीष्म को छोड़कर) से संबंधित हैं।
*** : आंकड़े सभी वर्षों के लिए 31 मार्च तक स्टॉक से संबंधित हैं।
# : 2023-24 के लिए थोक मूल्य सूचकांक आंकड़े अनंतिम हैं; सीपीआई-औद्योगिक कामगारों के आंकड़े अप्रैल 2023-जनवरी 2024 के लिए हैं।
: आरक्षित मुद्रा के लिए 2023-24 के आंकड़े 29 मार्च, 2024 से संबंधित है, जबकि मुद्रा आपूर्ति के आंकड़े 22 मार्च, 2024 से संबंधित है।
† : कॉलम 2 में दर्शाये गए आंकड़े अप्रैल 13, 2007 - मार्च 28, 2008 से संबंधित है।
~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार को बकाया।
~~ : 31 मार्च, 2024 को बकाया।
$: 2023-24 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं। यह अनुपात जीडीपी संख्या में संशोधन के कारण केंद्रीय बजट में प्रकाशित अनुपात से भिन्न हो सकते हैं।
$$: 2021-22 तक के आंकड़े विधानसभा सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से संबंधित हैं। 2022-23 और 2023-24 के आंकड़े 27 राज्यों/यूटी के लिए क्रमशः लेखा और संशोधित अनुमान हैं।
@ : 2022-23 के आंकड़े अनंतिम और अप्रैल-दिसंबर 2023 से संबंधित हैं, जब तक कि अन्यथा दर्शाया न गया हो।
@@ : 2023-24 के आंकड़े अनंतिम और दिसंबर 2023 के अंत से संबंधित हैं।
^ : कॉलम 2 में दर्शाये गए आंकड़े वर्ष 2005-06 से 2007-2008 की अवधि का औसत है।

टिप्पणी : 1. औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के लिए, कॉलम 2,3 और 4 में दिए गए आंकड़े वर्ष 2011-12 आधार वर्ष पर आधारित हैं।
2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) के लिए आधार वर्ष 2012=100; वार्षिक आंकड़ों के लिए डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12=100 और औसत 5 वर्ष के मुद्रास्फीति के लिए 2004-05=100 है; अगस्त 2020 तक सीपीआई-आईडब्ल्यू के लिए आधार 2001=100 और सितंबर 2020 के बाद से 2016=100 है।
3. औसत दैनिक सरकारी प्रतिभूति बाजार के कुल कारोबार के लिए, एकमुश्त ट्रेडिंग टर्नओवर केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों (कैलेंडर दिवस पर आधारित) में होता है।
4. एलएएफ ऋणात्मक मान का अर्थ है अंतर्वेशन।
5. 6- और 40-मुद्रा एनईईआर/आरईईआर सूचकांकों के लिए आधार वर्ष 2015-16=100 है। आरईईआर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित हैं।

स्रोत : आरबीआई, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), श्रम ब्यूरो तथा केंद्र और राज्य सरकार के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना

(वर्ष 2011-12 की कीमतों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर				हिस्सेदारी		
	औसत 2016-17 से 2023-24	2021-22	2022-23	2023-24*	2021-22	2022-23	2023-24*
1	2	3	4	5	6	7	8
बाजार मूल्यों पर जीडीपी (व्यय पक्ष)							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	5.4	11.7	6.8	3.0	58.1	58.0	55.6
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	5.0	0.0	9.0	3.0	9.9	10.0	9.6
3. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	7.0	17.5	6.6	10.2	33.4	33.3	34.1
4. स्टाक में परिवर्तन	57.1	525.4	14.5	5.0	1.1	1.1	1.1
5. मूल्यवान वस्तुएँ	6.9	32.5	-19.1	13.8	1.9	1.4	1.5
6. निवल निर्यात	-79.2	47.0	52.7	-517.8	-1.0	-0.4	-2.5
ए) निर्यात	7.0	29.6	13.4	1.5	22.6	23.9	22.6
बी) कम आयात	7.6	22.1	10.6	10.9	23.6	24.4	25.1
7. विसंगतियाँ	-15.5	-386.9	11.2	-121.0	-3.3	-3.4	0.7
8. सकल घरेलू उत्पाद	**5.5**	**9.7**	**7.0**	**7.6**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
आधार कीमतों पर जीवीए (आपूर्ति पक्ष)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	**4.5**	**4.6**	**4.7**	**0.7**	**15.6**	**15.3**	**14.5**
2. उद्योग	**4.4**	**9.6**	**-0.6**	**8.3**	**23.0**	**21.4**	**21.7**
जिसमें से :							
ए) खनन और उत्खनन	1.1	6.3	1.9	8.1	2.2	2.1	2.2
बी) विनिर्माण	4.7	10.0	-2.2	8.5	18.5	16.9	17.2
सी) बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	6.7	10.3	9.4	7.5	2.3	2.4	2.4
3. सेवाएँ	**6.0**	**10.6**	**9.9**	**7.9**	**61.4**	**63.3**	**63.9**
जिसमें से:							
ए) निर्माण	6.8	19.9	9.4	10.7	8.6	8.8	9.1
बी) व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएं	5.6	15.2	12.0	6.5	17.9	18.8	18.7
सी) वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ	6.1	5.7	9.1	8.2	22.5	23.0	23.3
डी) लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	6.0	7.5	8.9	7.7	12.4	12.7	12.8
4. आधार कीमतों पर जीवीए	**5.3**	**9.4**	**6.7**	**6.9**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

* : वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान।

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)।

परिशिष्ट सारणी 3: सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
I. सकल बचत	**29.1**	**28.7**	**30.8**	**29.7**
I.1 गैर-वित्तीय निगम	10.4	10.4	11.4	11.1
I.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.4	1.2	1.3	1.2
I.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	9.0	9.2	10.1	9.9
I.2 वित्तीय निगम	**2.6**	**2.6**	**2.5**	**2.8**
I.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.5	1.4	1.5	1.7
I.2.2 निजी वित्तीय निगम	1.0	1.2	1.0	1.1
I.3 सामान्य सरकार	**-2.7**	**-6.6**	**-2.9**	**-2.2**
I.4 हाउसहोल्ड क्षेत्र	**18.8**	**22.4**	**19.8**	**18.1**
I.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.6	11.6	7.2	5.2
मेमो: सकल वित्तीय बचत	11.4	15.2	10.9	10.9
I.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	11.0	10.6	12.4	12.7
I.4.3 मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बचत	0.2	0.2	0.3	0.2

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय।

टिप्पणी : हाउस होल्ड क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत की गणना वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत तथा वित्तीय देयताओं के बीच के अंतर से की गई है।

स्रोत : एनएसओ।

परिशिष्ट सारणी 4: मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय)	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**5.4**	**6.8**	**5.6**	**5.6**	**6.4**	**5.1**	**5.5**	**6.7**	**5.4**
खाद्य और पेय	3.9	6.8	6.9	4.7	6.5	7.3	4.2	6.7	7.0
आवास	…	…	…	3.7	4.3	3.9	3.7	4.3	3.9
ईंधन और बिजली	10.0	9.6	1.8	13.4	11.6	0.3	11.3	10.3	1.2
विविध	6.6	5.9	4.6	6.8	6.6	4.4	6.7	6.3	4.5
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	6.7	6.3	4.5	5.4	5.9	4.2	6.0	6.1	4.3
अन्य मूल्य सूचकांक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1. थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)									
सभी पण्य वस्तुएँ	**-3.7**	**1.7**	**2.9**	**4.3**	**1.7**	**1.3**	**13.0**	**9.4**	**-0.7**
प्राथमिक वस्तुएं	-0.4	3.4	1.4	2.7	6.8	1.7	10.2	10.0	3.5
जिनमें से : खाद्य वस्तुएं	2.6	4.0	2.1	0.3	8.4	3.2	4.1	7.3	6.6
ईंधन और ऊर्जा	-19.7	-0.3	8.2	11.5	-1.8	-8.0	32.5	28.1	-4.5
विनिर्मित उत्पाद	-1.8	1.3	2.7	3.7	0.3	2.8	11.1	5.6	-1.7
खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद	-1.8	-0.1	3.0	4.2	-0.4	2.2	11.0	5.8	-1.4
2. सीपीआई - औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू) [2001=100]#	**5.6**	**4.1**	**3.1**	**5.4**	**7.5**	**5.0**	**5.1**	**6.1**	**5.3**
जिनमें से : सीपीआई-आईडब्ल्यू खाद्यान्न	6.1	4.4	1.5	0.6	7.4	5.8	4.7	6.1	7.2
3. सीपीआई - कृषि श्रमिक (1986-87=100)##	**4.4**	**4.2**	**2.2**	**2.1**	**8.0**	**5.5**	**4.0**	**6.8**	**7.0**
4. सीपीआई - ग्रामीण श्रमिक (1986-87=100)##	**4.6**	**4.2**	**2.3**	**2.2**	**7.7**	**5.5**	**4.2**	**7.0**	**6.9**
मुद्रा और ऋण									
	2015-16	2016-17^	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24^^
आरक्षित मुद्रा (आरएम)	**13.1**	**-12.9**	**27.3**	**14.5**	**9.4**	**18.8**	**13.0**	**7.8**	**6.7**
संचलन में मुद्रा	14.9	-19.7	37.0	16.8	14.5	16.6	9.8	7.8	4.1
आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	7.8	8.4	3.9	6.4	-9.6	28.5	25.4	6.1	15.4
मुद्रा - जीडीपी अनुपात$	12.1	8.7	10.7	11.3	12.2	14.4	13.3	12.5	12.0
संकीर्ण मुद्रा (एम$_1$)	**13.5**	**-3.9**	**21.8**	**13.6**	**11.2**	**16.2**	**10.7**	**6.9**	**7.5**
व्यापक मुद्रा (एम$_3$)	**10.1**	**6.9**	**9.2**	**10.5**	**8.9**	**12.2**	**8.8**	**9.0**	**11.2**
मुद्रा - जमा अनुपात	16.0	11.0	14.4	15.4	16.3	17.2	17.4	17.3	16.0
मुद्रा गुणांक*	5.3	6.7	5.8	5.6	5.5	5.2	5.0	5.2	5.4
जीडीपी-एम$_3$ अनुपात$*	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक									
कुल जमाराशियां	9.3	11.3	6.2	10.0	7.9	11.4	8.9	9.6	12.9
बैंक ऋण	10.9	4.5	10.0	13.3	6.1	5.6	9.6	15.0	16.3
खाद्येतर ऋण	10.9	5.2	10.2	13.4	6.1	5.5	9.7	15.4	16.3
ऋण-जमा अनुपात	77.7	72.9	75.5	77.7	76.4	72.4	72.2	75.8	78.1
ऋण-जीडीपी अनुपात$	52.6	50.9	50.5	51.7	51.6	55.2	50.4	50.7	54.1

: 2023-24 के आंकड़े अप्रैल-जनवरी 2024 से संबंधित हैं।
: 2023-24 के आंकड़े अप्रैल-फरवरी 2024 से संबंधित हैं।
… : आवास के लिए ग्रामीण सीपीआई को समेकित नहीं किया है।
^ : 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2016 से अधिक, आरएम और उसके घटकों को छोड़कर।
^^ : आरक्षित निधि के आंकड़े 29 मार्च, 2024 से संबंधित है, जबकि मुद्रा आपूर्ति से संबंधित आंकड़े 22 मार्च, 2024 से संबंधित हैं।
$: 2011-12 के बाद से जीडीपी के आंकड़े नई शृंखला *यानी* आधार: 2011-12 पर आधारित हैं। जीडीपी मौजूदा बाजार कीमतों पर जीडीपी को संदर्भित करता है।
* : प्रतिशत में व्यक्त नहीं किया गया।

टिप्पणी: 1. आंकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन को दर्शाते हैं जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) के लिए आधार वर्ष 2012=100 है, जबकि अगस्त 2020 तक सीपीआई-आईडब्ल्यू के लिए आधार वर्ष 2001=100 और सितंबर 2020 से 2016=100 है।

स्रोत: आरबीआई, एनएसओ, श्रम ब्यूरो और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

परिशिष्ट सारणी 5: पूंजी बाजार - प्राथमिक एवं द्वितीयक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23		2023-24 (P)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाज़ार				
ए. सार्वजनिक एवं अधिकार निर्गम				
1. निजी क्षेत्र (ए+बी)	**271**	**54,486.7**	**383**	**97,284.2**
ए) वित्तीय	45	13,631.5	61	29,133.1
बी) गैर-वित्तीय	226	40,855.2	322	68,151.1
2. सार्वजनिक क्षेत्र (ए+बी+सी)	**1**	**20,557.2**	**2**	**4,974.7**
ए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1	20,557.2	2	4,974.7
बी) सरकारी कंपनियाँ	…	…	…	…
सी) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	…	…	…	…
3 कुल (1+2, i+ii, ए+बी)	**272**	**75,043.9**	**385**	**102,258.8**
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	238	65,823.3	340	83,092.5
(ii) कर्ज	34	9,220.6	45	19,166.3
निर्गमकर्ता के प्रकार				
(ए) आईपीओ	164	54,772.4	272	67,955.3
(बी) सूचीबद्ध	108	20,271.5	113	34,303.5
बी. यूरो निर्गम (एडीआर एवं जीडीआर)	**…**	**…**	**…**	**…**
सी. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (ए+बी)	**1,385**	**452,300.7**	**1276**	**537,366.2**
ए) वित्तीय	1,123	356,541.1	954	343,467.5
बी) गैर-वित्तीय	262	95,759.6	322	193,898.7
2. सार्वजनिक क्षेत्र (ए+बी)	**227**	**352,038.3**	**215**	**438,207.4**
ए) वित्तीय	156	284,200.4	191	406,652.5
बी) गैर-वित्तीय	71	67,837.9	24	31,555.0
3. कुल (1+2, i+ii)	**1,612**	**804,338.9**	**1,491**	**975,573.6**
(i) इक्विटी^	11	8,212.3	61	68,971.5
(ii) कर्ज	1,601	796,126.6	1,430	906,602.2
डी. अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन	**11**	**8,212.3**	**61**	**68,971.5**
ई. म्यूचुअल फंड संग्रहण (निवल)#				
1. निजी क्षेत्र		15,983.0		308,898.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र		60,242.5		45,803.3
II. द्वितीयक बाज़ार				
बीएसई				
सेंसेक्स: समाप्ति-अवधि	58,991.5		73,651.4	
अवधि का औसत	58,307.5		66,822.7	
कीमत अर्जन अनुपात@	22.4		25.2	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)*	95.8		131.7	
नकदी खंड का कुल कारोबार		1,028,864.8		1,629,038.4
इक्विटी व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		34,315,313.1		802,835,384.3
एनएसई				
निफ्टी 50: समाप्ति-अवधि	17,359.8		22,326.9	
अवधि का औसत	17,335.9		19,978.3	
कीमत अर्जन अनुपात@	20.4		22.9	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाज़ार पूंजीकरण (%)*	95.1		130.7	
नकदी खंड का कुल कारोबार		13,305,073.4		20,103,439.4
इक्विटी व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		3,822,326,468.1		7,992,767,152.4

…: शून्य अ: अनंतिम। #: निवल मोचन। @: जैसा कि अवधि के अंत में।

^ : इसमें अधिमान्य आवंटन शामिल नहीं है।

* : 2023-24 के लिए जीडीपी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार है।

टिप्पणी: कॉलम में दिए गए अंकों को संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कुल योग में जोड़ा नहीं गया है।

स्रोतः सेबी, एनएसई, बीएसई, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकर और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।

परिशिष्ट सारणी 6: मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएँ@	बकाया देयताएँ$
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	4.0	3.2	-0.5	7.7	54.6	60.6
1995-96	0.8	2.5	-1.7	5.0	50.3	58.3
2000-01	0.9	4.0	-0.7	5.6	54.6	60.4
2009-10	3.2	5.3	2.0	6.6	55.4	57.3
2010-11	1.8	3.3	0.2	4.9	51.6	53.2
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.9	51.7	53.5
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	51.0	52.5
2013-14	1.1	3.2	-0.2	4.5	50.5	52.2
2014-15	0.9	2.9	-0.3	4.1	50.1	51.4
2015-16	0.7	2.5	-0.7	3.9	50.1	51.5
2016-17	0.4	2.1	-1.1	3.5	48.4	49.5
2017-18	0.4	2.6	-0.5	3.5	48.3	49.5
2018-19	0.4	2.4	-0.7	3.4	48.5	49.6
2019-20	1.6	3.3	0.3	4.6	51.4	52.6
2020-21	5.7	7.3	3.9	9.2	61.5	62.7
2021-22	3.3	4.4	1.0	6.7	58.1	59.0
2022-23	3.0	4.0	0.5	6.4	57.0	58.0
2023-24 (सं.अ.)#	2.3	2.9	-0.7	5.9	57.9	58.7
2024-25 (ब.अ.)	1.5	2.0	-1.6	5.1	56.5	57.1
राज्य*						
1990-91	1.8	0.9	-0.6	3.3	22.2	22.2
1995-96	0.8	0.7	-1.1	2.6	20.8	20.8
2000-01	1.8	2.5	0.1	4.2	28.1	28.1
2009-10	1.2	0.4	-1.4	3.0	26.4	26.4
2010-11	0.4	-0.2	-1.8	2.1	24.4	24.4
2011-12	0.4	-0.3	-1.9	2.0	23.2	23.2
2012-13	0.4	-0.3	-1.8	2.0	22.6	22.6
2013-14	0.7	0.0	-1.5	2.2	22.3	22.3
2014-15	1.1	0.3	-1.2	2.6	22.0	22.0
2015-16	1.5	0.0	-1.6	3.0	23.7	23.7
2016-17	1.8	0.2	-1.4	3.5	25.1	25.1
2017-18	0.7	0.1	-1.6	2.4	25.1	25.1
2018-19	0.8	0.1	-1.6	2.4	25.3	25.3
2019-20	0.9	0.6	-1.1	2.6	26.6	26.6
2020-21	2.1	1.9	-0.1	4.1	31.0	31.0
2021-22	1.0	0.4	-1.4	2.8	29.3	29.3
2022-23	1.0	0.3	-1.4	2.7	…	…
2023-24 (सं.अ.)	1.6	0.5	-1.2	3.3	…	…
2024-25 (ब.अ.)	1.3	0.2	-1.5	3.0	…	…

… : उपलब्ध नही। सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

@ : इसमें केंद्र की बाह्य देयताएँ शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

$: इसमें केंद्र की बाह्य देयताएँ शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

: किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम जीडीपी डेटा का उपयोग करने के सिद्धांत के आधार पर, वर्ष 2023-24 (सं.अ.) के लिए जीडीपी नवीनतम उपलब्ध द्वितीय अग्रिम अनुमान है। यह देखते हुए, इस सारणी में दिए गए जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय संकेतक केंद्रीय बजट दस्तावेज़ों में रिपोर्ट किए गए राजकोषीय संकेतकों से कुछ हद तक भिन्न हो सकते हैं।

* : 2021-22 तक के आंकड़े विधानसभा सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से संबंधित हैं। 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के आंकड़े 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्रमशः लेखा, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान हैं जिनमें से 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपना अंतिम बजट पेश किया है और शेष राज्यों ने लेखानुदान बजट पेश किया है।

टिप्पणी: 1. ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतकों में अधिशेष का सूचक है।

2. इस सारणी में प्रयुक्त जीडीपी आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित हैं, जो कि नवीनतम उपलब्ध अनुमान हैं।

3. कॉलम 6 और 7 संबंधित वर्षों के मार्च के अंत तक के बकाया आंकड़े हैं।

स्रोत : केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़, सरकारी कर्ज संबंधी स्थिति पत्र और लोक ऋण प्रबंधन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।

परिशिष्ट सारणी 7: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण

(राशि ₹ हजार करोड़ में)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (सं.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	**5,041**	**5,411**	**6,353**	**7,098**	**8,377**	**9,045**
1.1 विकासात्मक	2,883	3,074	3,823	4,189	5,073	5,426
1.1.1 राजस्व	2,224	2,447	3,150	3,255	3,839	3,836
1.1.2 पूंजी	597	588	550	862	1,146	1,472
1.1.3 ऋण	62	40	123	72	89	118
1.2 विकासेतर	2,078	2,253	2,443	2,810	3,189	3,491
1.2.1 राजस्व	1,966	2,110	2,272	2,603	2,989	3,278
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	895	956	1,061	1,227	1,403	1,589
1.2.2 पूंजी	111	141	169	176	197	208
1.2.3 ऋण	1	2	2	32	3	5
1.3 अन्य	80	83	87	99	115	128
2 कुल प्राप्तियाँ	**5,023**	**5,734**	**6,397**	**7,156**	**8,258**	**9,150**
2.1 राजस्व प्राप्तियाँ	3,798	3,852	3,688	4,824	5,706	6,337
2.1.1 कर प्राप्तियाँ	3,279	3,232	3,193	4,160	4,837	5,477
2.1.1.1 पण्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	2,030	2,013	2,076	2,627	2,968	3,373
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1,246	1,216	1,115	1,531	1,865	2,100
2.1.1.3 केंद्र शासित प्रदेश (बिना विधान-मण्डल के) के कर	3	3	3	3	4	4
2.1.2 कर से इतर प्राप्तियाँ	519	620	495	663	869	860
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियाँ	36	31	33	35	38	45
2.2 कर्जेतर पूंजी प्राप्तियाँ	140	110	65	44	88	119
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	45	60	17	28	26	35
2.2.2 विनिवेश प्राप्तियाँ	96	51	48	16	63	85
3 सकल राजकोषीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1,103**	**1,449**	**2,600**	**2,231**	**2,582**	**2,589**
3ए.1 वित्तपोषण के स्रोतः संस्थावार						
3ए.1 घरेलू वित्तपोषण	1,097	1,441	2,530	2,194	2,559	2,567
3ए.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	387	572	890	627	688	….
3ए.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	326	190	107	351	1	….
3ए.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	710	869	1,640	1,567	1,871	….
3ए.2 बाह्य वित्तपोषण	6	9	70	36	24	22
3बी वित्तपोषण के स्रोतः लिखतवार						
3बी.1 घरेलू वित्तपोषण	1,097	1,441	2,530	2,194	2,559	2,567
3 बी.1.1 बाजार उधार (निवल)	796	971	1,696	1,213	1,777	1,903
3 बी.1.2 लघु बचत (निवल)	89	209	459	527	404	441
3 बी.1.3 राज्य भविष्य निधियाँ (निवल)	51	38	41	28	36	37
3 बी.1.4 आरक्षित निधियाँ	-18	10	5	42	4	24
3 बी.1.5 जमाराशि और अग्रिम	66	-14	26	42	82	58
3 बी.1.6 नकदी शेष	17	-323	-44	-58	119	-105
3 बी.1.7 अन्य	96	549	348	400	137	207
3 बी.2 बाह्य वित्तपोषण	6	9	70	36	24	22
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	*26.7*	*26.9*	*32.0*	*30.1*	*31.1*	*30.0*
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियाँ	*26.6*	*28.5*	*32.2*	*30.3*	*30.6*	*30.3*
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ	*20.1*	*19.2*	*18.6*	*20.4*	*21.2*	*21.0*
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियाँ	*17.3*	*16.1*	*16.1*	*17.6*	*17.9*	*18.2*
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	*5.8*	*7.2*	*13.1*	*9.5*	*9.6*	*8.6*

…: उपलब्ध नहीं। सं.अ.- संशोधित अनुमान। ब.अ.- बज़ट अनुमान।

टिप्पणी : 1. जीडीपी के आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित हैं। 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2023-24 से है।

2. सभी राज्यों द्वारा अपना अंतिम बजट पेश करने के बाद सामान्य सरकारी राजकोषीय आंकड़ों का संशोधन किया जाएगा और उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा अपने वार्षिक प्रकाशन-'राज्य वित्त : बजट अध्ययन' के माध्यम से सारणीबद्ध, समेकित और प्रसारित किया जाता है।

3. कॉलम में दिए गए अंकों को संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कुल योग में जोड़ा नहीं गया है।

स्रोत: केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 8: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अ)
1	2	3	4	5	6
ए. चालू खाता					
1 निर्यात, एफ़.ओएल.बी.	320,431	296,300	429,164	456,073	319,861
2 आयात, सी.आई.एफ़.	477,937	398,452	618,623	721,364	512,693
3 व्यापार संतुलन	-157,506	-102,152	-189,459	-265,291	-192,832
4 अदृश्य मदें, निवल	132,850	126,065	150,694	198,236	161,773
ए) 'गैर-कारक' सेवाएँ *जिसमें से:*	84,922	88,565	107,516	143,283	120,082
सॉफ्टवेयर सेवाएँ	84,643	89,741	109,540	131,284	105,432
बी) आय	-27,281	-35,960	-37,269	-45,923	-35,376
सी) निजी अंतरण	76,217	74,439	81,230	101,776	77,681
5. चालू खाता शेष	-24,656	23,912	-38,766	-67,055	-31,059
बी . पूंजी खाता					
1. विदेशी निवेश, निवल (ए+बी)	44,417	80,092	21,809	22,834	41,173
ए) प्रत्यक्ष निवेश	43,013	43,955	38,587	27,986	8,483
बी) संविभाग निवेश	1403	36,137	-16,777	-5,152	32,690
2 बाह्य सहायता, निवल	3,751	11,167	5,366	5,521	5,435
3 वाणिज्यिक उधारियाँ, निवल	22,960	-134	8135	-3,790	-1,560
4 अल्पावधि क्रेडिट, निवल	-1,026	-4,130	20,105	6,539	-1,821
5 बैंकिंग पूंजी *जिसमें से :*	-5,315	-21,067	6,669	20,980	33,631
अनिवासी जमाराशियाँ, निवल	8,627	7,364	3,234	8,989	9,338
6 रुपया कर्ज़ सेवाएँ	-69	-64	-71	-68	-65
7 अन्य पूंजी, निवल&	18,462	-2,143	23,794	6,928	-12,075
8 कुल पूंजी खाता	83,180	63,721	85,807	58,943	64,718
सी. भूल-चूक	974	-347	459	-1024	-711
डी. समग्र शेष [ए (5)+ बी (8)+सी]	59,498	87,286	47,501	-9,135	32,948
ई. मौद्रिक गतिविधियाँ (एफ+जी)	-59,498	-87,286	-47,501	9,135	-32,948
एफ. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	0	0	0	0	0
जी. आरक्षित निधियाँ और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि -, कमी+)	-59,498	-87,286	-47,501	9,135	-32,948
जिसमें से: **एसडीआर आबंटन**	0	0	-17,862	0	0
मेमोः जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1. व्यापार संतुलन	-5.6	-3.8	-6.0	-7.9	-7.4
2. निवल सेवाएं	3.0	3.3	3.4	4.3	4.6
3. निवल आय	-1.0	-1.3	-1.2	-1.4	-1.3
4. चालू खाता शेष	-0.9	0.9	-1.2	-2.0	-1.2
5. पूंजी खाता, निवल	2.9	2.4	2.7	1.8	2.5
6. विदेशी निवेश, निवल	1.6	3.0	0.7	0.7	1.6

अ : आंकड़े अनंतिम हैं और अप्रैल-दिसंबर 2023 से संबंधित हैं।

& : इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियाँ और एफडीआई के अंतर्गत शेयरों के अग्रिम प्राप्त लंबित मामले शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये स्वर्ण तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्तियों में की गई है।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े कवरेज, मूल्यांकन और समय में अंतर के कारण वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के आंकड़ों से भिन्न हैं।

स्रोत : आरबीआई।

परिशिष्ट सारणी 9 : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

स्रोत/उद्योग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अ)
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	50.0	59.6	58.8	46.0	44.4
देश-वार अंतर्वाह					
सिंगापुर	14.7	17.4	15.9	17.2	11.8
मॉरीशस	8.2	5.6	9.4	6.1	8.0
यूएस	4.1	13.8	10.5	6.0	5.0
नीदरलैंड	6.5	2.8	4.6	2.5	4.9
जापान	3.2	1.9	1.5	1.8	3.2
संयुक्त अरब अमीरात	0.3	4.2	1.0	3.4	2.9
यूके	1.3	2.0	1.6	1.7	1.2
कतार	0.1	0.2	0.2	0.0	1.0
साइप्रस	0.9	0.4	0.2	1.3	0.8
कनाडा	0.2	0.0	0.5	0.8	0.6
जर्मनी	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5
लक्समबर्ग	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4
फ्रांस	1.9	1.3	0.3	0.4	0.4
दक्षिण कोरिया	0.8	0.4	0.3	0.3	0.4
ऑस्ट्रेलिया	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
अन्य	7.0	8.5	11.2	3.5	3.0
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
विनिर्माण	9.6	9.3	16.3	11.3	9.3
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, संवितरण एवं संचरण	2.8	1.3	2.2	3.3	5.5
कम्प्यूटर सेवाएँ	5.1	23.8	9.0	5.6	4.9
वित्तीय सेवाएँ	5.7	3.5	4.7	6.8	4.4
फुटकर व थोक व्यापार	5.1	3.9	5.1	5.3	4.1
परिवहन	2.4	7.9	3.3	1.7	3.8
संचार सेवाएँ	7.8	2.9	6.4	4.5	3.7
कारोबार सेवाएँ	3.8	1.8	2.5	2.0	2.6
निर्माण	2.0	1.8	3.2	1.4	2.2
विविध सेवाएँ	1.1	0.9	1.0	1.2	1.9
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	0.8	1.3	3.6	1.9	0.6
रेस्तरां व होटल	2.7	0.3	0.7	0.2	0.4
स्थावर-संपदा गतिविधियां	0.6	0.4	0.1	0.1	0.3
खनन	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1
व्यापार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7

अ: आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी : इसमें अनुमोदन, स्वचालित और मौजूदा शेयर के अधिग्रहण के माध्यम से आनेवाली एफडीआई शामिल है।

स्रोत : आरबीआई।

स्वामित्व: भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
जंग बहादुर सिंह, निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित व प्रकाशित
तथा जयंत प्रिन्टरी एलएलपी, 352/54, गिरगांव रोड, मुरलीधर टेम्पल कम्पाउन्ड, ठाकुरद्वार पोस्ट ऑफिस के पास, मुंबई - 400 002

Owner: Reserve Bank of India, Mumbai
Printed and Published by Jang Bahadur Singh, Director on behalf of the Reserve Bank of India, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai - 400 001 and Printed at Jayant Printery LLP, 352/54, Girgaum Road, Murlidhar Temple Compound, Near Thakurdwar Post Office, Mumbai - 400 002.